दशम माला, खण्ड 29, अंक 16

शुक्रवार, 18 मार्च 1994
27 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 29 में अंक 1 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

दशम माला, खण्ड 29, नवां सत्र, 1994 / 1915 (शाक)

अंक 16, शुक्रवार, 18 मार्च / 27 फाल्गुन, 1915 (शाक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	301 -305	1 - 23
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2		23 - 28
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या :	306 -320	28 -38
अतारांकित प्रश्न संख्या :	3343 -3506	
	3508 - 3575	38 - 242
आजाद हिन्द फौज के शहीदों को श्रद्धांजलि		242 - 245
अध्यक्ष द्वारा घोषणा		245 - 252
29 और 30 मार्च 1994 को सभा की बैठक		
सभा पटल पर रखे गए पत्र		252 - 267
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत		268
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति		
चौथा प्रतिवेदन - प्रस्तुत		268
नियम 377 के अधीन मामले		268 - 271
(एक) केरल में दूरसंचार विकास के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता		268
प्रो. सावित्री लक्ष्मणन		

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(दो) महाराष्ट्र में एकाधिकार कपास (कॉटन) खरीद योजना को 269

ओर अगले दस वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की आवश्यकता

श्री अनंतराव देशमुख

(तीन) उड़ीसा में सम्बलपुर -तलचर रेल लाइन का 269

शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही

(चार) महाराष्ट्र में कराड़ में हवाई पट्टी के बेहतर प्रयोग के लिए 269

एनसीसी एयर-विंग बटालियन गठित करने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण

(पांच) स्वर्गीय श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा की 270

टिकट जारी करने की आवश्यकता

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी

(छः) बिहार में डालमिया नगर में एक उपरि रेल पुल 270

के निर्माण की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह

(सात) केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी संघ की संयुक्त कार्य समिति के 271

साथ उनकी मांगों के बारे में बातचीत शुरू करने की आवश्यकता

श्री प्रभु दयाल कठेरिया

(आठ) औरैया गैस पाइप लाइन का उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, 271

शिकोहाबाद और तक विस्तार

बजट (सामान्य) - 1994-95 सामान्य चर्चा

श्री राम कापसे 272

श्री मुरली देवरा 277

श्री शरद यादव 301

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती	312
श्री लोकनाथ चौधरी	319
श्री पी.जी. नारायणन	325
श्री रमेश चेन्नित्तला	329
श्री काशीराम राणा	335
श्री एच.डी. देवगौड़ा	341
श्री प्रफुल पटेल	347
डा. (श्रीमती)पदाम	354
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	357

लोक सभा

शुक्रवार, 18 मार्च 1994 / फाल्गुन 27, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

क्रेडिट कार्ड सुविधा

*** 301. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ बैंक ऐसे फोटो लगे कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी बैंकों को फोटो लगे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : - जी हां।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों को फोटो के साथ क्रेडिट कार्ड जारी करने के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे आदेश जारी करना जरूरी नहीं समझा गया है क्योंकि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बहुत से बैंकों ने अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड संगठन द्वारा धोखाधड़ियों को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों के आधार पर अन्य उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या मंत्री महोदय सदन को यह बतायेंगे कि भारत में कार्य कर रहे उन बैंकों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्होंने भारत में ए.टी.एम. प्रणाली, कार्ड सिस्टम, स्मार्ट कार्ड्स तथा स्मार्टर कार्ड्स प्रणाली की शुरूआत की है ?

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, इस समय कुल दस भारतीय बैंक ऐसे हैं और छह विदेशी बैंक हैं तथा साथ में बीस बैंक ऐसे है जिन्होंने दस भारतीय बैंकों से टैग किया हुआ है और कार्ड फैसिलटी दे रहे हैं। जो दस बैंक हैं उनके नाम हैं :

[अनुवाद]

आंध्र बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ पटियाला।

[हिन्दी]

और फारेन बैंक्स हैं।

[अनुवाद]

ए.एन.जेड. ग्रिंडलेज बैंक, सिटी बैंक, हाँगकाँग बैंक, शंघाई बैंक कार्पोरेशन लिमिटेड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक आफ अमेरिका, नेशनल ट्रस्ट एंड सर्विसिंग एसोसिएशन तथा अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक

[हिन्दी]

और बीस बैंक ऐसे हैं जिनमें नेशनेलाईल्ड बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स हैं। आप कहें तो मैं माननीय सदस्य को सूची भेज दूँगा।

अध्यक्ष महोदय : भेज दें।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : इस समय हम कार्डजारी करने की प्रणाली शुरू कर रहे हैं। यदि हम अन्य बैंकों का अन्य देशों में रिकार्ड देखें तो, वे स्मार्ट कार्ड्स की शुरूआत कर रहे हैं, जो कि फ्रांसीसियों की देन है। अभी उसका टेलीफोन सेवाओं में अधिक उपयोग किया जाता है और अन्य क्षेत्रों में भी इस फ्रांसीसी अन्वेषण की सहायता से स्मार्ट कार्ड्स की शुरूआत की जा रही है। अन्य ऐसी कंपनियाँ हैं जो एकल स्मार्ट कार्ड पर विभिन्न सेवाओं का आरोपण करने हेतु साफ्टवेयर का विकास कर रही हैं जिससे कार्ड की लागत घट जाये और साथ ही धारक द्वारा उसे वहन करने का बोझ भी घट जाये। व्यापार को तेजी से बढ़ाने तथा व्यापार एवं वाणिज्य में भुगतान पूरा और तेजी से करने के लिये इन प्रणालियों का विकास किया जा रहा है।

इस बारे में, मैं जानना चाहूँगा कि उदारीकरण तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था और व्यापार एवं वाणिज्य को विश्वव्यापी प्रणाली से जोड़ने के बाद की स्थिति में, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार का भारत में कार्यरत

विदेशी बैंकों के कार्ड व्यापार के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में अब हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है;

क्या इसके साथ मैं एक और छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय : यदि इसका उसके साथ गहरा संबंध हो तो !

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : जी हाँ, उसका इससे संबंध है। मैं जानना चाहूँगी कि क्या एम.ई. एस. अर्थात् मेंबर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़े जाने के लिये भारतीय बैंकों की आचरण संहिता पर कोई प्रतिबंध हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन बैंकों को कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं जो यह करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बैंक आफ बड़ौदा ने एक सहायक बैंक की स्थापना की है। शायद उसको यह कठिनाई नहीं होगी। इसलिये, मैं जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक इस पूरी स्थिति को यथाशीघ्र ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम बैंकिग प्रणाली में विश्व की स्थिति से पीछे न रह जायें।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : माननीय सदस्या ने जहां तक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की बात जानना चाही है तो मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी जो क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर ई.ई.एफ.सी. अकाउंट होल्डर को आर.बी.आई. अनुमति देती है। उसके अलावा विदेश के अंदर कोई और कार्ड के माध्यम से इस फैसेलिटी को अवेल नहीं किया जा सकता। बाकी दूसरे कार्डधारी अपने देश में इस सुविधा को अवेल कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्मार्ट कार्ड के लिए क्या कोई सुविधा निर्मित की जाने वाली है जिससे कम्प्यूटर में डालेंगे तो सारी सूचना उसमें आ जायेगी, क्या ऐसा विचार है ? वैसे इसमें इन्फ्रस्ट्रक्चर की जरूरत भी होगी।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : टेलीफोन प्रणाली में भी वे इसे शुरू कर रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : विश्व के वित्तीय संव्यवहार में क्रेडिट कार्ड विजनेस की वृद्धि हो रही है और मुझे आपके साथ यह मानना पड़ेगा कि हमारी बैंकिंग प्रणाली इसे संभालने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। अन्य अनेक देशों में इलैक्ट्रानिक स्कैनर्स हैं इसलिये जैसे ही कोई कार्ड प्रस्तुत किया जाता है, वह जारी करने वाले बैंक के प्रमुख कंप्यूटर के साथ जुड़ जाता है और इस बात की जाँच की जा सकती है कि वह वास्तविक है अथवा नहीं। हमारे पास उस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं और हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : यदि हमारे पास वह प्रणाली नहीं होगी तो क्या हम पिछड़ नहीं जायेंगे क्योंकि भारत में कार्यरत विदेशी बैंक आगे बढ़ जायेंगे तथा भारतीय बैंक कठिनाइयों में फंस जायेंगे और हम इस स्थिति का किस प्रकार सामना करेंगे ?

श्री मनमोहन सिंह : मैं इस चिन्ता को समझता हूँ। हमने इस वर्ष कंप्यूटरीकरण की गति तेज करने का प्रयास किया है। हमें मजदूर संघों के विरोध का सामना करना पड़ा है, हम उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। गत

एक वर्ष में हमने विशेष प्रयास किये हैं। हमने कुछ प्रगति की है। परन्तु मैं यह जरूर मानूँगा कि इस क्षेत्र में द्रुततर कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ शायद हमारे मजदूर संघ आंदोलन पर इस सदन के विचारों का प्रभाव पड़े।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : प्रश्न के 'ग' भाग में पूछा गया है कि क्या सरकार का विचार सभी बैंकों को फोटो लगे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश देने का है, इसके जवाब में मंत्रीजी ने बताया है कि "भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों को फोटो के साथ क्रेडिट कार्ड जारी करने के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे आदेश जारी करना जरूरी नहीं समझा गया है।" मंत्रीजी ने यह भी कहा कि क्रेडिट कार्ड का आज बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। इसके साथ इसकी चोरी भी बहुत हो रही है। क्या सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम है कि वह रिजर्व बैंक को कहे या स्वयं कोई योजना बनाये जिससे लोगों को फोटो वाले क्रेडिट कार्ड जारी किये जा सकें ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : पूरे विश्व का अनुभव यह है कि फोटोग्राफ जारी करना आम बात नहीं है; उपलब्ध साक्ष्य यह भी दर्शाता है कि फोटो छापने से धोखाधड़ी रूकने की कोई गारंटी नहीं है।

श्री पीटर जी. मरबनिआंग : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि इस क्रेडिट कार्ड सुविधा के कारण पूरे भारत में अनुसूचित बैंकों में धोखाधड़ी के कितने मामले हुए, ऐसे कितने मामलों का पता चला और उनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : 10 हजार रुपये तक की जो क्रेडिट कार्ड की फैसेलिटी है उसके अंदर यदि कोई घोटाला होता है तो उसकी सूचना आर.बी.आई. के पास नहीं जाती है। यदि 10 हजार एक से लेकर 1 करोड़ रुपये का फ्राड होता है तो आर.बी.आई. के पास केस जाता है। अभी तक इस मामले में सिर्फ एक केस, जिसको फ्राड नहीं कह सकते। डिस्प्यूटेड अमाउंट का एक केस कैनरा बैंक का रिपोर्ट हुआ था और उसमें भी अधिकांश राशि रिकवर हो गई थी और उसकी एफ आई आर दर्ज कराई गई थी और उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

विमान दुर्घटनाएं

***302. श्री राम प्रसाद सिंह :**

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना हवाई-अड्डे में नीलगायों के घुस आने के कारण वहां हवाई यातायात बन्द होने के समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर पक्षियों के विमानों से टकरा जाने की कितनी घटनाएं हुई ;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई;

(ङ) क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का हवाईअड्डों से पक्षियों को भगाने के लिए बाज का इस्तेमाल करने का विचार है ; और

(च) उपरोक्त भाग (क) और (ग) में उल्लिखित घटनाओं को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (च). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) 26 दिसम्बर, 1993 को पटना विमान क्षेत्र भूभाग के अन्दर 3 नील गायों को देखा गया था। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्थानीय पुलिस तथा अन्यों की सहायता से जानवरों को बाहर निकालने का प्रयास किया। दो जानवरों को भगा दिया गया था। और एक को 29 दिसम्बर, 1993 को पकड़ लिया गया। इस बीच, पटना विमान क्षेत्र को 28-29 दिसम्बर, 1993 को हवाई प्रचालनों के लिए बन्द करना पड़ा था।

(ग) वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 में पक्षी से टकराने की घटनाओं की संख्या क्रमशः 127, 126 तथा 128 है।

(घ) वर्ष 1991 से 1993 तक की अवधि के दौरान पक्षी से टकराने की घटनाओं के परिणामतः हुई कुल अनुमानित हानि 11.39 करोड़ रुपए है।

(ङ) बाजों के नियोजन के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर पक्षी उत्पात की रोकथाम करने का प्रयास किया गया था। तथापि आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि वन्य जीव (सरंक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत भारत में बाज़ एक संरक्षित जाति का पक्षी है।

(च) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूरे विमान क्षेत्र के इर्द-गिर्द ऊपर से झुकी हुई कंटीले तारों से चारदीवारी का निर्माण करने की सलाह दी गई है, जिससे जानवरों को विमान क्षेत्र में घुसने से रोका जा सके।

पक्षी से टकराने की घटनाओं को रोकने हेतु निवारक उपायों के लिए हवाई क्षेत्र पर्यावरणीय प्रबंध समितियां गठित की गई हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि पटना में जो 26, 27 और 28 दिसंबर 1993 को हवाई अड्डे में नीलगाय घुस आईं थीं और लगातार वहां चरती रहीं। आपका विभाग इतना अक्षम है कि वहां तीन नीलगाय घुस आई थीं जिनको निकालने के लिए आपने तीन दिन तक क्या क्या किया और लगातार हजारों रुपए खर्च किये और अंत में वहां घास वगैरह जलाई गई।

अध्यक्ष महोदय : यह भाषण अवर नहीं है प्रश्न काल है।

श्री राम प्रसाद सिंह : मैंने सुझाव दिया था कि इस घास को जला दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूँगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन नीलगायों के चलते कितनी उड़ाने वहां बाधित हुई और विशेष रूप से पटना हवाई अड्डे से दूसरे स्थानों पर जाने वाली उड़ानों के लिए कितने राजस्व की हानि हुई ?

श्री गुलाम नबी आजाद : यह सच है कि वहां 26, 27, 28 और 29 दिसंबर को यह घटना हुई और 26 की शाम को तो कोई फ्लाइट नहीं थी लेकिन 27 तारीख की तमाम फ्लाइट चली क्योंकि हमने रनवे के गिर्द ह्यूमन चेन बना दी थी जिससे उस दिन कोई बाधा नहीं पड़ी, लेकिन 28, 29 तारीख को हवाई अड्डा बंद करना पड़ा और उसकी वजह से केवल 7 फ्लाइट्स पर असर पड़ा।

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 15 अक्तूबर 1993 को माननीय मंत्री जी ने चंडीगढ़ में एक एयर सोसाइटी द्वारा आयोजित सेमिनार का उद्घाटन किया था। उसमें आया था कि 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष पक्षियों की वजह से नुकसान होता है। आपने यह हानि 11.39 करोड़ रुपए बतायी है। उस गोष्ठी में सुझाव दिया गा था कि ये घटनाएं इसलिए होती हैं कि हवाई अड्डों के अगल-बगल में पेड़-पौधों के होने और उसकी वजह से पक्षियों के आने से ये दुर्घटनाएं होती हैं। आप पटना हवाई अड्डे पर जाकर देखें कि वहां आस-पास कितनी गंदगी है। गोष्ठी में एक विचार आया था कि इसको खत्म करना चाहिए। आप वहां देखें कि पक्षियों की वजह से 30 प्रतिशत घटनाएं होती हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आएं।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : आपने पक्षियों से टकराने की घटनाओं की संख्या 1991, 1992 तथा 1993 के लिए क्रमशः 127, 126 तथा 128 बतायी है। यह मामूली घटना नहीं है और इससे राजस्व का भी घाटा होती है। क्या ऐसी गंदगी को जो हवाई अड्डे के अगल-बगल में है, खत्म करने के लिए आप कोई मास्टर प्लान बनाने जा रहे है ?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैं इनकी बात से सहमत हूं कि वहां गंदगी होती है पर वह रनवे पर नहीं होती है। यह आजू बाजू में होती है और आजू बाजू में भी शहर तक मुनस्सर है। यह समस्या दुनिया भर में है और आजू बाजू में भी शहर तक मुनस्सर है। यह समस्या दुनिया भर में है और हिन्दुस्तान में कुछ ज्यादा है। हिन्दुस्तान में इसको पूरे प्रोस्पेक्टिव में लेना पड़ेगा आबादी के हिसाब से और पॉपुलेशन एयरपोर्ट के नज़दीक कितनी रहती है, जितनी आबादी रहेगी उस हिसाब से गंद और कूड़ा-करकट रहेगा, लेकिन पिछले कई सालों से इसमें कमी आई है। 1984, 1985 और 1986 के आंकडे में बताना चाहता हूं। 1984 में 183 ऐसे केसेज हुए, 1985 में 184 ऐसे केसेज हुए और 1986 में 190 ऐसे केसेज हुए, तकरीबन 180 के ऊपर उनकी संख्या रही लेकिन जिस एक्शन प्लान की आप बात कर रहे हैं, उसकी भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। पिछले तीन सालों में 126 और 128 के बीच उनकी संख्या रही है, जिसका मतलब है कि संख्या कम हुई है लेकिन स्थिति ऐसी भी नहीं पहुंची है कि हम उससे बिल्कुल दूर हो चुके हैं। इसीलिये बम्बई नेचुरल हिस्टरी सोसायटी ने एक सर्वे डिफेंस मिनिस्ट्री के आदेश पर किया था जिसके अंतर्गत उन्होंने तकरीबन 21-22 एअरपोर्ट्स का निरीक्षण किया था जिसमें 9 सिविल एअरपोर्ट्स भी शामिल थे। उन्होंने जो रिकमैंडेशन्स की थी, उनके आधार पर भारत सरकार की सिविल एवियेशन मिनिस्ट्री ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। लोकल एअरफील्ड एन्वायरनमेंटल मैनेजमेंट कमेटी, जोकि हर एअरपोर्ट पर बनायी गयी है, जिसमें वहां के सीनियर अधिकारी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कार्पोरेशन, एअरपोर्ट औथौरिटी के लोग और इंडियन एअरलाइंस के लोग होते हैं, इस नेशनल एक्शन प्लान को देखती है और उसे इम्पलीमेंट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष जी, जहां तक मैंने समझा है यह प्रश्न उन जगहों से संबंधित है जहां हवाई जहाज चलते ही नहीं है, जिसके कारण वहां गंदगी होना स्वाभाविक है।

अध्यक्ष महोदय : एअरपोर्टस पर गंदगी नहीं, एअरपोर्ट के बाजू में कार्पोरेशन के एरिया में गंदगी रहती है।

श्री सूर्य नारायण यादव : जी हां, रनवे के बगल में रहती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जितने राज्यों की राजधानियां हैं, उनमें सबसे कम हवाई जहाज कहां चलते हैं ? क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे कि वहां ज्यादा हवाई जहाज चल सकें ताकि एअरपोर्ट के आसपास की गंदगी की सफाई हो सके।

अध्यक्ष महोदय : डिस-एलाउड। आप बैठ जाईये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। यह इस प्रश्न में उद्‌भूत नहीं होता। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्रीमती गिरिजा देवी : महोदय, यह प्रश्न सतही तौर पर केवल नील गाय या पक्षियों से बाधित होने का दिखाई पड़ रहा है लेकिन मेरी दृष्टि से प्रश्न मूलतः बिहार के प्रति घोर उपेक्षा करने से संबंधित है। बार-बार यह मांग की जाती रही है कि बिहार पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद बन सकता है।

अध्यक्ष महोदय : गिरिजा देवी जी, मैं इसका भी डिस-एलाव कर दूंगा।

श्रीमती गिरिजा देवी : मैं बताना चाहती हूं कि वहां एअरपोर्ट के बाजू में चिड़ियाघर है। अभी तो वहां नीलगाय ही घुसी है, आगे बाघ भी घुस सकता है और इस सरकार की यह नीति है . . .

अध्यक्ष महोदय : डिस-एलाउड। आप बैठ जाईये।

श्री सूर्य नारायण यादव : हम लोगों की व्यथा यही है कि हमें बैठने के लिये कह दिया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। आप बैठ जाइये। श्रीमती गिरिजा देवी, कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसे सदन के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदयः देखिये, सप्लीमेंटरी ऐसा हो कि वह मेन क्वैश्चन में से निकलना चाहिये। ऐसा नहीं कि आप कहीं का कहीं ले जाकर जोड़ दें तो मिनिस्टर के पास इन्फार्मेशन नहीं होती है। मुझे 105 एम पीज. ने लैटर लिखकर भेजा है कि इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछने देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में प्राइवेट कम्पनियां भी एअर टैक्सीज देश के विभिन्न भागों में चलाती हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण इन प्राइवेट कम्पनियों के कितने जहाजों के अकस्मात एक्सीडेंट हुए हैं या होते-होते बचे हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : पाठक जी, यह प्रश्न बर्ड हिट से हुए एक्सीडेंट या जानवरों के एयरपोर्ट के ऊपर आने की वजह से जो ऐक्सीडेंट हुए हैं उनके विषय में है। लगता है आपने भी प्रश्न नहीं पढ़ा है।

श्री छत्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन एयरपोर्ट की चार-दीवारी नहीं है और इस कारण चौपाए घुस आते हैं क्या ऐसे एयरपोर्ट की चार-दीवारी बनाने की व्यवस्था करवाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, कई किस्म के एयरपोर्ट हैं। जो औपरेशनल हैं उनमें पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि दीवारें हों और जहां जरूरत है वहां भी व्यवस्था की जा रही है। असली प्रश्न नील गाय का एयर पोर्ट में आ जाने के सम्बन्ध में है इसलिए मैं उसी के विषय में बताना चाहता हूं कि हमने लौंग टर्म और शार्ट टर्म प्रोग्राम बनाया है और शौर्ट टर्म प्रोग्राम में 3 चीजे रखी हैं। मैं पटना से शुरू करूंगा : -

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

(क) बाड़े में खाली जगह दिखाई पड़ने के तुरन्त पश्चात उनकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाता है;

(ख) विमान क्षेत्र के ऊपर प्रत्येक ओर कंटीले तारों की बाड़ बनाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिये कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(ग) 'मूँज' नामक जंगली पौधों, जो पटना हवाई अड्डे पर एक खास बात है, को हवाई पट्टी के निकट के प्रचालन क्षेत्र से हटा दिया गया है। हवाई पट्टी की पार्श्विक पट्टी तथा निकटवर्ती प्रचालन क्षेत्रों से इन जंगली पौधों को हटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सर, इसके अलावा भी जो बड़े-बड़े एयरपोर्ट हैं जहां ज्यादा ट्रैफिक है, उनमें तो हर जगह वाल्स लगा रहे हैं और जहां-जहां जरूरत पड़ेगी फेंसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं है या जो छोटे एयरपोर्ट हैं उनमें तो कर नहीं सकते हैं।

श्री विजय एन.पाटील : अध्यक्ष महोदय, बर्ड हिट से जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आई है इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनके नोटिस में कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि पायलेटों के निर्धारित सीमा से ज्यादा स्पीड हवाई पट्टी पर उतरते या ऊपर उड़ते हुए रखने के कारण कुछ एक्सीडेंट हुए हों क्योंकि प्रायः पायलट समय को कवर करने के लिए कुछ ज्यादा स्पीड रखते हैं जिसके कारण भी पक्षी टकरा जाते हैं क्योंकि पक्षियों की तो स्वाभाविक गति नीचे की ओर आने की होती है, तो इस प्रकार के प्रकरणों में कितने पायलट दोषी पाए गए हैं और क्या कार्रवाई की गई है ?

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय इंडियन एयरलाइंस ने विमान से पक्षी के टकराने की घटनाओं को कम करने के लिये अधोलिखित कार्यवाही की है और अपने विमानचालकों को निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये हैं :-

(क) पक्षियों के झुण्ड अथवा एकाकी पक्षियों से बचकर निकलना और उनके अधिक समीप न जाना।

(ख) उतरते अथवा उड़ान भरते समय पक्षियों को उड़ान पथ से डरा कर दूर रखने के लिये विमान की अवतरण प्रकाश (लैंडिंग लाइट्स) व्यवस्था/स्ट्रोब लाइट्स जलाना;

(ग) यदि विमान पट्टी अथवा धावन क्षेत्र पर पक्षी के टकराने का खतरा हो तो उड़ान भरने में तब तक विलम्ब करना जब तक कि संबंधित अधिकारीगण उन पक्षियों को वहां से हटा न दें;

(घ) पक्षी के टकराने पर उसके आवेग के प्रभाव को कम करने के लिये धरातल से 10,000 फीट ऊँचाई के मध्य उड़ान भरने और उतरने की गति को 250 नॉटिकल मील प्रतिघंटा तक सीमित रखना।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को बैंक ऋण

***303 श्री राम कृपाल यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण दिये जाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं

(ख) क्या उक्त बैंक उद्योगों को इनके वर्गीकरण के आधार पर ऋण देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इन वर्गीकृत उद्योगों को कितनी राशि के ऋण दिये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अक्तूबर, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित ऋण नीति के अनुसार 60 लाख रुपए के संयंत्र और मशीनरी में निवेश वाले लघु उद्योगों के अग्रिमों को (अनुषंगी एकक और निर्यातोन्मुख एककों के मामले में 75 लाख रुपए) प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम माना जाएगा। बैंकों से कहा गया है कि वे ग्रामोद्योग, अति लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योग एककों को इसी क्रम में वरीयता दें। ग्रामोद्योगों, अति लघु उद्योगों एकक की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते समय, जिन्हें बैंकिंग प्रणाली से एक करोड़ रुपए तक की कुल निधि पर आधारित कार्यशील पूंजी सीमा उपलब्ध है, उनकी कार्यशील पूंजी सीमा का आकलन, नए तथा वर्तमान एककों के अनुमानित वार्षिक टर्न ओवर के कम से कम 20 प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। इस सम्भावना से बचत बचने के लिए कि अधिकांश बैंक ऋण तुलनात्मक रूप से बड़े एककों को ही न चला जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत लघु उद्योगों के संघटक को दिये जाने वाले अग्रिम का कम से कम 40 प्रतिशत भाग ग्रामोद्योग, खादी तथा ग्रामोद्योग, कारीगरों, अति लघु उद्योगों (जिनका संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश 5 लाख रुपए तक का है) या अन्य लघु उद्योगों को जिनकी ऋण सीमा 5 लाख रुपए तक है, को दिया जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मेरे प्रश्न के जवाब में जो उत्तर दिया है, वह बिल्कुल असन्तोषजनक है। सरकार ने प्रश्न के जवाब में सिर्फ इतना ही बताया है कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण उद्योगों, खादी और अति लघु उद्योगों को हम 40 प्रतिशत ऋण देने का काम करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना के आधार पर गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं से निपटने के लिए अन्य उपायों के अतिरिक्त लघु उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल देने का जो विचार किया गया था, क्या वह सही नहीं है ?

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, यह बिल्कुल सही है कि ग्रामीण विकासोन्मुख योजना है और ग्रामीण के विकास के लिए एस.एस. आई. यूनिटस के पुनर्वास के लिए पूरा ध्यान देने का प्रावधान है।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही नहीं है कि 1990 से 1995 तक की अवधि के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में छोटे उद्योगों को तीन उपश्रेणियों में विभाजित करके अलग-अलग

रणनीति अपनाने की बात है ? छोटे उद्योगों का जाल ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बिछाने पर बल दिया गया है। इसके लिए सरकार कितनी-कितनी राशि वर्गीकरण के आधार पर छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए देगी ?

डा. अबरार अहमद : आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी-कितनी राशि छोटे उद्योगों के लिए अलग-अलग वर्गीकरण के आधार पर दी जाएगी, वह सूचना मेरे पास अभी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा। लेकिन छोटे उद्योगों के पुनर्वास और ऐसटैबलिशमैंट के लिए सरकार बराबर प्रयासरत है। इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के 62 ऐसे जिले आईडैन्टीफाई किए है, जहां छोटे उद्योगों का बाहुल्य है। जहां दो हजार से ज्यादा छोटे उद्योग हैं, उनके लिए सिंगल विन्डो सिस्टम लागू किया है और यह प्रयास किया जा रहा है कि उनको एक ही जगह से विभिन्न सुविधाएं दी जाएं जो उनके वर्किंग कैपिटल और ऐसटैबलिशमैंट से संबंधित हो।

[अनुवाद]

श्री मुरली देओरा : महोदय, वर्ष 1993-94 के दौरान बैंक द्वारा दी जा रही ऋण की दर में लगभग 3 प्रतिशत कमी आई है। पहले यह 17 प्रतिशत या 16 प्रतिशत था और अब यह 15 प्रतिशत या 14 प्रतिशत है। उनके संबंध में जिन्होंने 1992-93 के पहले ऋण लिया है क्या लघु-स्तर के उद्योगों पर नई दर लागू होगी क्योंकि बैंक अभी इस बात पर अड़े हैं कि पुरानी दरें उन पर लगाई जानी चाहिए ? सरकार लघु स्तर के उद्योग को नई ब्याज दर की सुविधा देने पर क्यों नहीं विचार कर रही है ?

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : जी हाँ, जो तीन वर्ष से अधिक के ऋण हैं, उन पर ब्याज दर लागू नहीं है।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार लघु उद्योगों में भी पूँजी निवेश बढ़ रहा है और आपने 60 लाख, 75 लाख और एक करोड़ के वर्गीकरण के आधार पर ऋण देने का प्रस्ताव किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में उस राशि को एक करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ तक करने की कृपा करेंगे ?

डा. अबरार अहमद : अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, गत कुछ वर्षों से, प्राथमिक क्षेत्र में कर्ज 40 प्रतिशत से कम हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है।

दूसरी बात, किस हद तक यही बात लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतिशत की उपलब्धता के आधार पर हुई है।

तीसरी बात, ब्याज दर लघु उद्योग के लिए निश्चित नहीं है लेकिन ब्याज-दर कर्ज दी जा रही धनराशि के आधार पर निश्चित है। क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे कि ब्याज दर लघु उद्योग के आकार और स्तर पर निर्भर हों न कि इन इकाइयों को दी जाने वाली ऋण राशि के आधार पर।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रायरिटी सेक्टर का जिक्र किया है। उसके अंदर बहुत स्पष्ट है कि एस एस आई के लिए 16 परसेंट का ऋण निर्धारित है लेकिन जहाँ तक इन्होंने रेट ऑफ इंटरस्ट की बात कही है . . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या यह गत तीन वर्षों से हो रहा है ?

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : इस संदर्भ में रेट ऑफ इंटरस्ट स्लैब के आधार पर दिया जाता है न कि कार्य की क्लासिफिकेशन के आधार पर।

[अनुवाद]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : बैंक से ऋण के प्रावधान के बावजूद लघु-स्तर के उद्योग में व्यापक पैमाने पर रुग्णता के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी है जिससे लघु स्तर के उद्योग को दिये जा रहे ऋण के उचित उपयोग पर निगरानी रखी जा सके ?

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी मूल प्रश्न के उत्तर के समय में बताया था कि सरकार छोटे उद्योगों को विकसित करना चाहती है। इसके लिये नई-नई योजनायें लागू करने के लिये हमने सिंगर विंडो सिस्टम लागू किया। जो बीमार लघु उद्योग है, उनके बारे में आर.बी.आई. ने डायरेक्शन्स दी हैं। अलग-अलग तरह के लोन्स पर डेढ़ परसेंट से तीन परसेंट तक का रिलीफ दिया जा रहा है। इतना ही नहीं 31.3.92 तक की जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी 13279 इकाइयों का पुनर्वास किया गया है। उन पर 5059 रुपया बकाया है।

श्री केशरी लाल : लघु उद्योगों के लोन के लिये जो प्रार्थना पत्र दिये जाते हैं, उसके लिए 6-6 महीने तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे फाइलें इधर-उधर हो जाती हैं। क्या आप कोई समय सीमा तय करेंगे कि इतने समय के अन्दर छोटे उद्योगों को धन आबंटित हो जायेगा।

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऑलरेडी समय अवधि निर्धारित है। 10 हजार रुपये के कृषि ऋण और 25 हजार रुपये के स्माल स्केल के ऋण की अवधि 15 दिन है। उससे अधिक के लिये 8 से 9 सप्ताह की अवधि निर्धारित की गई है। अगर माननीय सदस्य को कोई स्पैसिफिक शिकायत है तो वह बताये। उसको निश्चित रूप से देखा जायेगा।

श्री दत्ता मेघे : राज्य सरकारों ने छोटे उद्योगों और बेरोजगारों को ऋण देने के लिये कई स्कीमें बनायी हुई हैं। बेरोजगारों को कई राज्य सरकारें 20 परसेंट तक ऋण देती हैं, लेकिन देखने में आया है कि बैंक यह राशि रिलीज नहीं करते हैं। ऐसे कितने केसिज हैं जिनमें राशि बैंक की तरफ से रिलीज नहीं की गई ? महाराष्ट्र सरकार

भी बेरोजगारों को 20 परसेंट ऋण देती है। लघु उद्योगों और बेरोजगारों को जो राज्य सरकारें ऋण देने को तैयार हैं, क्या आप बैंकों को वह राशि रिलीज करने के आदेश देंगे ?

डा. अबरार अहमद : लघु उद्योगों को ऋण प्रपोज्ड यूनिट के आधार पर दिया जाता है। जहां तक बेरोजगारों को ऋण देने की बात है, उसके लिये जवाहर रोजगार योजना और दूसरी कई योजनायें हैं। इसके तहत उनको ऋण दिये जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं आपका ध्यान प्रश्न की ओर लाना चाहता हूं। प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में यह पूछा गया है :

"क्या उपरोक्त बैंकों द्वारा उद्योगों को ऋण दिया जाता है ?

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि दी गई ?"

लेकिन उत्तर दिया गया है :

"(ख) नहीं, महोदय

प्रश्न नहीं उठता है।"

मुख्य प्रश्न है कि रिजर्व बैंक का दिशानिर्देश क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न (ख) और (ग) का उत्तर क्या हैं। क्या उपर्युक्त सूचना देने की जानबूझकर अनदेखी की गई ? गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग को ऋण की कितनी धनराशि दी गई ?

दिया गया उत्तर प्रश्न की अनदेखी करता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें कोई परेशानी नजर नहीं आती। शायद आप इसे बेहतर समझा सकें।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न का उत्तर अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरे पार्ट में माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि तीन साल में कितना ऋण देते हैं तो मेरे पास इस रूप में तो सूचना नहीं है लेकिन जो टोटल क्रेडिट स्माल स्केल इंडस्ट्रील को दिया है, वह मार्च, 1993 को आउटस्टैंडिंग एमाउंट 20,027 करोड़ रुपये का है।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, बैंकों की कई शाखाएं आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, चाहे बेरोजगारों को ऋण देने का मामला हो या ग्रामोद्योगों को या लघु उद्योगों को ऋण देने का मामला हो, जब तक लेन-देन तय नहीं हो जाता है, तब तक उनको ऋण नहीं मिलता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बैंकों द्वारा ऋण देने में किए जाने वाले ऐसे भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें उनके पास आई हैं क्या ? ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वह कोई उपाय करने जा रहे हैं ?

डा. अबरार अहमद : मेरी जानकारी में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्य के पास हों तो मुझे दे दें। . . . . . **(व्यवधान)** . . . मैंने कहा कि अगर माननीय सदस्य के पास इस प्रकार की कोई भी इण्डीविजुअल शिकायत है तो वह मुझे लिखित रूप में शिकायत दे दें। . . . .**(व्यवधान)** . . . माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरल चीज अलग है। माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि क्या मेरे पास ऐसी कोई स्पेशिफिक शिकायत है, तो मेरे पास स्पेसिफिक शिकायत नहीं है। अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो वह लिखकर मुझे दे दें।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। अब मिनिस्टर साहब उत्तर दे रहे हैं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से सही है कि सामान्य स्तर पर, हमें बैंकिग प्रणाली में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मिलती हैं, खासकर तब जबकि छोटे ऋणों की बात हो तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। परन्तु जब भी हमने निश्चित सूचना की माँग की है - मेरे साथ ही ऐसा कई बार हुआ है जब ऐसे अभ्यावेदन मेरी जानकारी में लाये गये-सामान्य रूप से समस्या से निबटने में कठिनाई आती है। यदि मेरी निगाह में निश्चित मामले लाए जायें तो मैं उचित जाँच-पड़ताल करूँगा और वास्तव में जब भी ऐसे मामले मेरी निगाह में लाए गए तो मैंने भारतीय रिजर्व बैंक से उन खास स्थानों पर जाकर जाँच करने के लिए कहा।

मैं सदन में यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि मैं सतर्कता मशीनरी के प्रति चिंतित हूँ जो हमारे बैंक में चल रही है। गत सप्ताह ही मैंने भारतीय रिजर्व बैंक को यह निर्देश दिया कि वे बैंकिग प्रणाली में सतर्कता मशीनरी की कार्यप्रणाली की पूरी समीक्षा करने के लिए एक ग्रुप की स्थापना करें और यह देखें कि क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है। हम इस मामले में सतर्क हैं। यदि कोई विशिष्ट उदाहरण या निर्देश प्रणाली में सुधार करने के लिए सामने आते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे।

श्री लोकनाथ चौधरी : शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सदस्यों को उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति का प्रस्ताव संसद् में 31 मई, 1990 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे एक जुलाई, 1990 को संसद् ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। उस नीति में लघु उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा बढ़ाई गई थी। लघु उद्योगों के लिए आरक्षित 846 वस्तुओं की सूची में कुछ और वस्तुएं जोड़ने की घोषणा की गई थी तथा बड़े उद्योगों के अतिक्रमण को रोकने की बात कही गई थी तो मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि उस दिशा में छोटे उद्योगों की आरक्षित वस्तुओं की सूची में बढ़ोतरी करने तथा इसके लिए विशेष ऋण मुहैया करने की दिशा में सरकार ने कौन सी पहल की है ?

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इस बात के लिए कहा कि सरकार बराबर लघु

उद्योग विकसित हों, उसके लिए प्रयासरत है और उस संदर्भ में जो कदम उठाने आवश्यक हैं, वह कदम उठा रहे हैं। उसमें मैंने आपको उदाहरण दिया।

विमान यातायात सेवाएं

***304. +श्री गोपी नाथ गजपति :**

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर विमान यातायात से सेवाओं के आधुनिकीकरण का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विमानपत्तनों के नाम क्या हैं तथा प्रस्तावित सुधारों के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक विमान-पत्तन पर आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा।

(घ) क्या आधुनिकीकरण योजना के परिणाम स्वरूप ईंधन की खपत कम हो जाएगी तथा यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क), (ख) और (ग) दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर 352 करोड़ रुपए की लागत से हवाई यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य अक्तूबर, 1995 तक पूरा हो जाने की आशा है। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को भी 30.75 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक राडारों, डॉप्लर, अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास (डी.वी.ओ.आर.) और उपकरण अवतरण प्रणाली की स्थापना करके आधुनिक बनाया जा रहा है। उपकरण अवतरण प्रणाली तथा राडारों के जून, 1994 तक तथा डी.वी.ओ.आर. के फरवरी, 1995 तक चालू हो जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ). तीन दिशाओं में निगरानी रखने वाले प्राथमिक और गौण राडारों से और आगमन तथा प्रस्थान संबंधी उन्नत पद्धतियों के अनुकूल आवर्धित दिक्चालन सुविधाओं से अधिक यातायात गहनता को उच्च सुरक्षा मानकों के साथ संभाला जा सकता है। एप्रोच और प्रस्थान चरणों के दौरान इष्टतम उड़ान प्रोफाइल प्रदान करके, ईंधन में भारी बचत की जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ गजपति : महोदय, माननीय केन्द्रीय मंत्री ने मेरे तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण अत्याधुनिक डी.वी. ओ.आर. तथा आई. एल.एस. प्रणालियों को लागू करके किया जा रहा है। यह खुशी की बात है। साथ ही विश्व स्थितिकरण प्रणाली (ग्लोबल पोजिशनिंग सीसटम) पर आधारित भावी दिक्चालन प्रणाली को 1996 में विकसित देशों में लागू किए जाने की विश्वस्त जानकारी मुझे मिली है। यह हवाई यातायात सुरक्षा तथा इंधन की बचत को सुनिश्चित करने हेतु अत्याधुनिक प्रणाली है। अतः, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या अपने विमानपत्तनों पर इस अत्याधुनिक प्रणाली को शुरू किये जाने पर विचार कर रहे हैं ?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है। चूंकि माननीय केन्द्रीय मंत्री ने स्वयं हाल ही में भुवनेश्वर विमानपत्तन पर आधुनिकीकरण का शिलान्यास किया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि भुवनेश्वर विमानपतन के आधुनिकीकरण हेतु भविष्य की कोई योजना तैयार की गई है।

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों का संबंध है, मेरे विचार से पचास वर्षों में पहली बार 352 करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि आधुनिकीकरण पर खर्च की जा रही है और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद निश्चय ही हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमान पत्तन होंगे। इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम से केवल ईंधन की बचत ही नहीं बल्कि हमारी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। अमरीकी एजेन्सी द्वारा लगाए जा रहे उपकरण जो अगले वर्ष तक चालू हो जायेंगे बेहतरीन उपकरण हैं और इस आधुनिकीकरण से ईंधन पर खर्च होने वाली 70 करोड़ रुपये की बचत निश्चित रूप से की जा सकेगी। जहां तक उड़ानों की कार्यकुशलता का संबंध है इसमें निस्संदेह वृद्धि होगी क्योंकि उड़ान समय में कमी आएगी। जहां तक दिल्ली का संबंध है कार्यकुशलता में 12 मूवमेंट प्रतिघंटा से 40 मूवमेंट प्रति घंटे की वृद्धि होगी और मुम्बई के संबंध में यह वृद्धि 16 मूवमेंट प्रतिघंटा से 40 मूवमेंट प्रतिघंटा होगी। मैं समझता हूं कि इस समय उपलब्ध सबसे बेहतरीन उपकरण है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं।

जहां, तक भुवनेश्वर का संबंध है, माननीय सदस्य ने मुख्य प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर आधुनिकीकरण के संबंध में जानकारी मांगी है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि हम अन्य 38 विमान पत्तनों के आधुनिकीकरण पर 100 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं, जहां तक दिकचालन सुविधाओं का संबंध है उसमें भुवनेश्वर भी शामिल है।

श्री गोपीनाथ गजपति : हवाई यातायात सेवाओं में कई सुधार किए जा सकते हैं जैसे पायलटों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु पायलटों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना जैसाकि एयर-बस 320 के मामले में किया गया था और हमारे होनहार पायलटों को फ्रांस में प्रशिक्षण दिया गया था। भविष्य में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अत्याधुनिक विमानों को ध्यान में रखते हुए क्या हमारे पायलटों को प्रशिक्षण देने और इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के लिए विदेश भेजे जाने की कोई व्यापक योजना है।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, इस बीच मुझे यह जानकारी मिली है कि जी.पी.एस. जिसका

माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है - आई.सी.ए.ओ. ने दिक्चालन सुविधा के रूप में अब तक इसकी स्वीकृति नहीं दी है। जब भी आधुनिकीकरण हेतु जी.पी.एस. को आई.सी.ए.ओ. द्वारा स्वीकृति दे दी जाएगी निश्चित रूप से हम भी इसे शुरू करेंगे।

जहां तक अत्याधुनिक नये विमानों का संबंध है, हमारे पास उपलब्ध नए विमानों को उड़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पायलट भी उपलब्ध हैं। इस समय हमें नहीं लगता है कि हमारे पास उपलब्ध नए विमानों को उड़ाने में कोई समस्या है।

श्री अनंतराव देशमुख : दिए गए वक्तव्य के अनुसार आधुनिकीकरण के द्वारा लागत में पर्याप्त बचत सुनिश्चित करने के उपाय किए गए है। वर्तमान घाटे में एक नया आयाम, दमानिया जैसी प्राइवेट एयर लाइनों द्वारा चोरी करने का जुड़ गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न हवाई यातायात की कार्यकुशलता के संबंध में है न कि कार्यकुशलता की चोरी का।

(व्यवधान)

श्री अनंतराव देशमुख : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री आधुनिकीकरण के लिए जारी इस प्रक्रिया के दौरान हो रही चोरी को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही संगत प्रश्न किया है। यह कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने मेरे द्वारा 'आई विटनेस' को दिए गए साक्षात्कार को उद्धृत किया है। चूंकि उक्त साक्षात्कार दमानिया के संबंध में था। इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने जो कहा था उसके बीच उन्होंने तारतम्य नहीं रखा। मैंने यह कहा था कि एयर कारपोरेशन अधिनियम के रद्द किए जाने के बाद प्राइवेट एयर लाइन आपरेटरों की सुरक्षा के संबंध में और अधिक सावधानी बरतनी होगी, उनके पास रखरखाव की सुविधा और सुरक्षा उपाय होने चाहिये, उन्हें विभाग परिचालन की प्रक्रियाओं का अनुसरण करना होगा और उन्हें हमेशा दूसरे एयर लाइनों से पायलट, टेकनीशियन, मेकैनिक, ईंधन और उपकरण आदि लेने पर निर्भर नहीं रहना होगा। यह एक सामान्य वक्तव्य था। यह किसी व्यक्ति विशेष अथवा एयर लाइन विशेष से संबद्ध नहीं था। जहाँ तक पायलटों और टेक्नीशियनों के लेने का संबंध है, निश्चित रूप से सभी ने उन्हें लिया है। लेकिन जहां तक तेल और उपकरण लेने का संबंध है कुछ एयर लाइनों के विरुद्ध कुछ शिकायतें हैं। लेकिन निश्चित तौर पर दमानिया के विरुद्ध यह शिकायत नहीं है। यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह सामान्य तौर पर कहा गया था कि उन्हें अन्य एयर लाइन पर इन सुविधाओं के लिए निर्भर नहीं होना चाहिए और इन सुविधाओं को वे स्वयं अपने लिए विकसित करें।

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनोजिया : अध्यक्ष महोदय, 4 तारीख को मैं बंगलौर से आ रहा था तो एक यात्री को हार्ट-अटैक हो गया।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न एअर-पोर्ट की ट्रेफिक एफीशिएंसी के बारे में है।

डा. जी. एल. कनोजिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में एनहांस सेफ्टी आफॅ पैसेंजर्स की बात भी की गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं। मैंने पहले भी मंत्री जी से बात की है कि उस एअर-क्राफ्ट के अंदर फर्स्ट एड की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, कार्डियोग्राम की कोई व्यवस्था नहीं थी, फर्स्ट एंड बॉक्स में जंग लग रहा था, दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब जहाज में उपस्थित मच्छरों के बारे में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया तो बताया गया कि ये कंप्लीमेंट्री हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पैसेंजर्स सेफ्टी के बारे में वे क्या कर रहे हैं और यदि अभी तक पैसेंजर्स सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो इसका क्या कारण है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह संगत प्रश्न नहीं है। फिर भी यदि मंत्री जी इसका उत्तर देना चाहते हैं तो मैं इसकी अनुमति देता हूं। प्रश्न हवाई यातायात सेवाओं के संबंध में हैं।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस संबंध में मुझ से चर्चा कर चुके हैं और हमने इस बारे में एक्शन भी लिया है। क्या-क्या दवाइयां वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए, उनकी व्यवस्था की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मच्छरों के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री गुलाम नबी आजाद : यह मच्छरों के साथ बड़ा अन्याय होगा, यदि आप उड़ेंगे और उनको ग्राउंड कर देंगे। . . . . **(व्यवधान)** . . .

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, विमान पत्तनों के टर्मिनलों की स्थिति विशेषकर मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास महानगरों के टर्मिनलों की स्थिति से हम सभी अवगत हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर एयर टर्मिनल सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है। जैसाकि हम सभी को पता ही है कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण हमेशा वित्तीय कठिनाईयों में रहता है और इसके परिणामस्वरूप जो सेवाएं सामान्य रूप से हवाई यात्रियों को मिलनी चाहिये, नहीं मिल पाती हैं, उन्हें इन सेवाओं से वंचित किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास, जैसाकि विदेशों के विमानपत्तनों के मामले में है कि उनका स्वामित्व नगर परिषदों एवं अन्य संगठनों के पास होता है।

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक विद्यमान विमान पत्तनों का सम्बन्ध हैं; अभी ऐसा नहीं है। हम 1993-94 में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण और सेवा विस्तार पर लगभग 1500 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। 1995 में हम विद्यमान विमान पत्तनों के आधुनिकीकरण और सेवा विस्तार पर 1500 रुपये खर्च करेंगे। अभी हम ऐसा अनुभव नहीं करते हैं कि हमें सहायता की आवश्यकता है।

जहां तक नये विमानपत्तनों का सम्बन्ध है, केरल में निश्चित रूप से अप्रवासियों की सहायता से दो विमानपत्तन बनकर तैयार हो रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में घाटा

***305. श्री वी.एस. विजयराघवन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंकवार कितनी शाखाएं घाटे में चल रही हैं; और

(ख) 1991-92 और 1992-93 के दौरान बैंकवार इन शाखाओं को कितना घाटा हुआ ?

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31 मार्च, 1993 तक की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 13232 शाखाओं का घाटा उठाने वाली शाखाओं के रूप में पता लगाया गया था। इन शाखाओं द्वारा 31 मार्च, 1992 तक 31,856.99 लाख रुपए के घाटे और 31 मार्च, 1993 तक 64,921.79 लाख रुपये के घाटे की सूचना दी गयी थी। घाटा उठाने वाली शाखाओं की संख्या का बैंकवार ब्यौरा और घाटे की रकम अनुबंध में दी गई है।

अनुबन्ध

(लाख रुपए)

	बैंक का नाम	31.3.93 की स्थिति के अनुसार घाटा उठाने वाली शाखाओं की कुल संख्या	31.3.93 की स्थिति के अनुसार घादे की कुल राशि	31.3.92 की स्थिति के अनुसार घाटे की कुल राशि
	1	2	3	4
1.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	2421	7483.00	8070.84
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	107	317.13	236.41
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	80	147.11	38.81
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	66	146.00	111.62
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	142	273.54	216.07

	1	2	3	4
6.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	38	101.91	34.35
7.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	44	72.40	26.60
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	30	37.00	40.72
9.	इलाहाबाद बैंक	275	387.72	140.02
10.	आन्ध्रा बैंक	84	115.18	126.12
11.	बैंक आफ बड़ौदा	614	3405.08	1150.56
12.	बैंक आफ इंडिया	633	1897.10	360.00
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	730	3945.67	2693.06
14.	केनरा बैंक	271	1818.24	1014.06
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1605	7775.00	2775.05
16.	कार्पोरेशन बैंक	162	627.75	280.78
17.	देना बैंक	275	471.00	86.00
18.	इंडियन बैंक	169	272.61	244.07
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	505	1764.92	921.44
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	146	467.81	88.14
21.	पंजाब नेशनल बैंक	694	6003.11	2838.70
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	252	2792.00	1005.88
23.	सिंडिकेट बैंक	1458	13419.23	4240.24
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	305	453.61	461.80
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	684	5260.31	1369.75
26.	यूको बैंक	882	2756.80	2108.70
27.	विजिय बैंक	298	1181.56	418.56
28.	न्यू बैंक आफ इंडिया*	262	1529.00	758.64
	योग :	13232	64921.79	31856.99

* पंजाब नेशनल बैंक में विलय किए जाने के समय से।

[अनुवाद]

श्री वी.एस. विजयराघवन : मैं मोटे तौर पर घाटे के कारणों के बारे में जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत ही छोटा और सुस्पष्ट प्रश्न है-घाटे के कारण।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से शाखाओं के अंदर घाटे का कारण है हाई ओवर हैड एक्सपेंडीचर, लो लेवल आफ बिजनैस, लो प्रोड्क्टीविटी, हाई डिग्री आफ एन पी ए, हाई केस डिपोजिट रेश्यो और छोटे ऋणों पर हाई सर्विसिंग चार्जेस हैं, ये बातें मुख्य रूप से घाटे का कारण है।

[अनुवाद]

श्री वी.एस. विजयराघवन : इन बैंकों को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, इस घाटे को कम करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें सबसे पहला एन पी ए को कम करके उसको परफारमिंग एसेट्स में बदलना रिकवरी के माध्यम से और रिकवरी करने के लिए विभिन्न उपाय करना। इसके अंदर ओवर हैड एक्सपैंडीचर को कम करना और लास मेकिंग ब्रान्चेज को शिफ्ट करना या जैसा मैंने कल कहा था बंद करना है, यह उसके अंदर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अच्छे प्रश्न और उत्तर हो रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि इन कारणों से बैंक घाटे में चल रहे हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो लोन मंजूर होते हैं तो उस पैसे को दूसरे मद में खर्च किया जाता है और उसकी वसूली ठीक तरह से नही हो पाती है जिसके कारण बैंकों को घाटा हो रहा है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और बीच में जो दलाल होते हैं तो उन दलालों को रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है ?

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, जो घाटे की शाखाएं हैं तो उन बैंकों को सही करने के बारे में पहला कदम बताया कि एन पी ए को परफारमिंग एसेटस में रिकवरी के द्वारा बदलना और रिकवरी के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके अंदर जो बड़े केस हैं जिनके ऊपर दस लाख रुपये से ज्यादा बकाया है और जिनके केस लिटिगेशन में हैं उसके लिए रिकवरी ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। बैंकों को केपिटल स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए निर्देश दे रहे हैं, एम.ओ.यू. साइन कर रहे हैं और उसमें रिकवरी करने के लिए स्पेशल रिकवरी सेल बनाना भी मुख्य बात है।

श्री सुधीर सावंत : बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय मुख्य उद्देश्य यह था कि बैंकों को सामाजिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इस वजह से काफी बैंकों की शाखायें ऐसे इलाकों में खोली गई जहां पर उसके मुनासिब होने का अंदेशा था। लेकिन अब ऐसी जगहों पर जो शाखायें घाटे में चल रही हैं उनको बन्द करके राष्ट्रीयकरण का जो सामाजिक जिम्मेदारी का मकसद था, क्या उसमें कुछ तबदीली हुई है ?

डा. अबरार अहमद : जो सरकार का सामाजिक उद्देश्य था वह बरकरार है। बल्कि उस उद्देश्य को और बढ़ाया जा रहा है। सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रायरटी सेक्टर निर्धारित किया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के

अंदर 40 प्रतिशत पैसा प्रायरटी सेक्टर में दिया जाता है, विदेशी बैंकों में 15 प्रतिशत तक पैसा प्रायरटी सेक्टर में था, अब बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया है। निजी बैंकों में भी प्रायरटी सेक्टर का प्रावधान रखा है। सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह चिन्तित है। जो शाखायें बन्द की जा रही हैं उनमें 12 हजार से अधिक घाटे में चल रही है, लेकिन 104 शाखाओं को ही रिजर्व बैंक आफ इंडिया का बन्द करने का निर्देश है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में एक शाखा है तो उसको बन्द नहीं किया जायेगा, अगर कहीं पर दो हैं और एक घाटे में चल रही है तो आपस में तालमेल बिठाकर एक को बन्द किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का रिट्रेंचमेंट या छंटनी नहीं की जायेगी। **(व्यवधान)**

श्री ताराचंद खण्डेलवाल : मैं समझा शायद साल में एक बार मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ये सब बातें कहते रहेंगे तो मैं इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दूँगा और उनसे यह निर्णय करने के लिए कहूँगा कि क्या यह विशेषाधिकार के हनन का मामला है अथवा नहीं।

(व्यवधान)

श्री ताराचंद खंडेलवाल : महोदय, मुझे खेद है कि मैं अनेक बार खड़ा हुआ हूँ परन्तु मुझे अवसर नहीं मिलता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं वास्तव में इस बात को नहीं समझता हूँ। **(व्यवधान)** यदि आप चाहते हैं तो मैं इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दूँगा। और उससे इसका निर्णय करने के लिए कहूँगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लगातार इस प्रकार से बात नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल : हमें आज तक मौका नहीं मिला है।। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चौहान जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : अध्यक्ष महोदय, महानगरीय कस्बों में शाखायें खोलने के लिए बैंकों ने ग्रामीण और बिना बैंक वाले क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलीं। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में यह मानदंड निर्धारित किया था कि यदि वे ग्रामीण क्षेत्रों में दो शाखायें खोलते हैं तो उन्हें महानगरीय कस्बों में शाखा खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इसके कारण ही अनेक बैंकों ने बिना सोचे समझे और बैंक की आर्थिक

दृष्टि से लाभप्रदता का पता लगाए बिना ही, बिना बैंक वाले क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोल दी हैं। क्या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारत सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : अगर बिना सोचे-समझे किसी बैंक ने कोई शाखा खोल दी है तो उस पर सोच विचार करना बहुत जरूरी है और उस शाखा पर पुनर्विचार करना जरूरी है।

[अनुवाद]

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, पिछले बजट में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि वे अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन करेंगे।

महोदय, अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों की हालत बहुत खराब है क्योंकि बड़े-बड़े उद्योगपति और व्यापारी अपने ऋण अदा नहीं करते हैं। वे केवल जुर्माना की ब्याज को ही नहीं बल्कि मूल धन को भी माफ कराने के लिए दबाव और अपना प्रभाव डालते हैं जिससे इन बैंकों को भारी घाटा हो रहा है। मैं समझता हूं कि न्यायाधिकरणों के गठन में विलंब हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह इन अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए कब तक इन न्यायाधिकरणों का गठन कर देंगे ?

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष जी, रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाने का कार्य प्रक्रिया में है और बहुत ही शीघ्र ही रिकवरी ट्रिब्यूनल कार्य करेंगे।

अल्प-सूचना प्रश्न

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

2. **श्री जॉर्ज फर्नान्डीज :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास संघ के विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संबंध में कोई कार्यनिष्पादन रिपोर्ट है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य इन कार्यक्रमों को किस तरह कार्यान्वित कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आंगनवाड़ी कार्यक्रमों तथा भारतीय जनसंख्या परियोजना-5 जैसे अन्य संबद्ध कार्यक्रमों में कार्यरत 6,00,000 महिलाओं को भुगतान किया गया पारिश्रमिक उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा इस कार्य पर लगने वाले समय के अनुरूप नहीं है ; और

(घ) क्या सरकार इन कर्मचारियों की पारिश्रमिक दरों में वृद्धि करने और उन्हें चिकित्सावकाश, वर्दी और वाहन जैसे अन्य लाभ देने पर विचार करेगी ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला तथा बाल कल्याण) की राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) से (घ). एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजनाओं से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के ज़रिए मासिक आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के परियोजना-वार/राज्यवार कार्यान्वयन का प्रबोधन कर रहा है। इन रिपोर्टों और केन्द्रीय तकनीकी समिति से प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग तिमाही प्रगति रिपोर्टें तैयार करता है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकताओं/सहायिकाओं के दर्जे संबंधी स्थिति की तथा स्कीम के अंतर्गत यथा-परिकल्पित पूरक पोषाहार और स्कूल-पूर्व शिक्षा सहित सेवाएं प्रदान किए जाने के संबंध में आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा और विश्लेषण किया जाता है।

(ख) लाभ प्राप्तकर्ताओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान किए जाने के संबंध में राज्य-वार कार्य-निष्पादन का प्रबोधन मासिक आधार पर किया जाता है। 31 दिसम्बर, 1993 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट से पता चलता है कि समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत एक आंगनवाड़ी केन्द्र में औसतन 75 लाभप्राप्त कर्ताओं को जिनमें 6 वर्ष तक की आयु के 63 बच्चे और 12 माताएं शामिल हैं, पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, एक आंगनवाड़ी केन्द्र में 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के औसतन 39 बच्चे, जिनमें 20 लड़के और 19 लड़कियां शामिल हैं, स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त करते हैं। किन्तु, लाभप्राप्तकार्ताओं की औसत संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है।

(ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वैच्छिक अंशकालिक कार्यकर्ता हैं और इनका चुनाव यथासंभव स्थानीय समुदाय से ही किया जाता है और उन्हें, उनके द्वारा किए गए स्वैच्छिक प्रयासों के लिए प्रोत्साहन के रूप में एक निर्धारित मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय राशि नॉन-मैट्रिकुलेटों के लिए 350 रुपए प्रति माह से लेकर मैट्रिकुलेटों के लिए 450 रुपये प्रति माह तक दी जाती है। इसी प्रकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए किए गए स्वैच्छिक प्रयासों के लिए आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय के रूप में 200 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसके अलावा, भारतीय जनसंख्या परियोजना-5 के अंतर्गत, प्रत्येक महिला स्वैच्छिक कार्यकर्ता को समुदाय और परिवार कल्याण कार्यकर्ताओं के बीच एक सूत्र का कार्य करने के लिए 200 रुपए प्रति माह की निर्धारित मानदेय राशि दी जाती है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम और भारतीय जनसंख्या परियोजजना-5 के अंतर्गत स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को निर्धारित मानदेय के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि उनकी कार्य-अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(घ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मानदेय की निर्धारित राशि प्राप्त करने के अलावा, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार निम्न श्रेणी लिपिक को यथा अनुमेय दैनिक भत्ता और वास्तविक बस/रेल किराए (दूसरी श्रेणी) के आधार पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। आंगनवाड़ी सहायिका भी राज्य सरकारों के ग्रेड-घ कर्मचारियों को लागू दर से दैनिक भत्ता और वास्तविक बस/रेल (दूसरी श्रेणी) किराए के आधार पर

यात्रा भत्ता प्राप्त करने की हकदार हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले अन्य लाभों में प्रसूति अवकाश और एक वर्ष में 20 दिन के आकस्मिक अवकाश की सुविधा शामिल है। अतः, सरकार मानदेय की वर्तमान दरों अथवा अन्य वर्तमान लाभों में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

श्रीमती बासव राजेश्वरी : श्री जार्ज फर्नान्डीज जी, क्या आप अंग्रेजी में बोलने का कष्ट करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, वह हिन्दी में बोलेंगे परन्तु मंत्री महोदय उसको अनुवाद भाषान्तरकार के द्वारा सुन सकते हैं। जार्ज फर्नान्डीज जी, आप जिस भाषा में चाहें, बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें उनकी तनख्वाह वगैरह के बारे में जो बातें लिखी हैं वैसे वह सब को मालूम हैं। समस्या यह है कि 6 लाख कर्मचारी हैं और महिलाएं हैं कुछ अपवाद छोड़कर। मंत्री जी के उत्तर में ऐसा लग रहा है कि ये सब वॉलंटरी वर्कर्स हैं। ये वॉलंटरी वर्कर्स नहीं हैं, कर्मचारी हैं। कोई और रोजगार इनके पास नहीं है इसलिए ये रोजगार करते हैं। वॉलंटरी कार्य करने वाले दो प्रकार के लोग हिन्दुस्तान में हैं। एक तो खा-पीकर जो समय बचता है उनमें कोई वॉलंटरी काम करते हैं और कुछ वह वॉलंटरी काम करते हैं जो सरकार से या विदेश से भरपूर पैसा लेकर हवाई जहाजी वॉलंटरी काम करते हैं। ये अत्यंत गरीब लोग हैं जिन्हें पैदल चल कर गांव-गांव में परिवारों के साथ रिश्ता जोड़ कर उनके बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और मंत्री जी के उत्तर में दो प्रकार के काम का जिक्र है। एक तीन साल से छह साल की उम्र के बच्चे और दूसरे 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे। तीन साल से छः साल तक के बच्चों को प्री-स्कूल की जो कोई भी पढ़ाई वगैरह करनी है वह दी जाती है और 6 से 12 साल तक के बच्चों को पढ़ाई के साथ उनके न्यूट्रीशन का काम भी इस आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों से होता है। इसलिए मंत्री जी का जो कहना है कि यह वॉलंटरी वर्कर्स हैं वह बात हमें जचती नहीं है और 350 रुपए माहवार तनख्वाह जो नॉन मैट्रिकुलेट हैं उनकी हैं, 450 रुपए माहवार तनख्वाह मैट्रिकुलेट्स की है और 250 रुपए माहवार तनख्वाह हैल्पर्स की है। हम जानना चाहते हैं कि इस तनख्वाह से वह किस प्रकार का काम कराना चाहते हैं और क्या इस तरह से बिल्कुल भुखमरी की अवस्था में इन लोगों से काम कराने से जिन बच्चों को नयी शिक्षा देनी है, आज की लाचारी और परेशानी से बाहर लाना है, आप इन महिलाओं पर यह जिम्मेदारी दे रहे हैं तो इतनी तरख्वाह में उनसे इस प्रकार की अपेक्षाओं की पूर्ति हो सकती है ?

[अनुवाद]

श्रीमती बासव राजेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, यदि मैं सही आंकड़े दूं तो मेरे विचार से उन्हें बड़ा सन्तोष होगा। इस देश में छः लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी कार्यरत हैं और वे सभी अवैतनिक कर्मचारी हैं। यह योजना 1973-74 में शुरू की गई है ? अक्तूबर, 1975 से मैट्रीकुलेट कर्मचारियों को 150 रुपये और गैर-मैट्रिकुलेट कर्मचारियों को 100 रुपये प्रति माह मिल रहे थे। जनवरी, 1977 में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अप्रैल

1978 से मैट्रीकुलेट कर्मचारियों को 175 रुपये और गैर-मैट्रिकुलेट कर्मचारियों को 125 रुपये मिल रहे थे। जहाँ तक सहायकों का संबंध है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जनवरी, 1985 में सहायकों को 250 रुपये, 200 रुपये और 90 रुपये तथा जुलाई, 1990 में 325 रुपये, 275 रुपये और 110 रुपये दिए जाते थे ? हाल ही में हमने इसमें संशोधन किया है जिसके अन्तर्गत मैट्रीकुलेट कर्मचारियों को 400 रुपये से 450 रुपये तक तथा गैर-मैट्रीकुलेट कर्मचारियों को 350 रुपये से 400 रुपये तक और सहायकों को 200 रुपये दिये जाते हैं।

मैं माननीय सदस्य को एक और उत्तर देना चाहती हूँ। हाल ही में हमने इन कर्मचारियों को कुछ प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। जिन कर्मचारियों की दस वर्ष की सेवा हो गई है और जो मैट्रीकुलेट हैं उन्हें पर्यवेक्षकों और उसके बाद सी.डी.ओ. के रूप में प्रोन्नत किया जाएगा। हमने दूसरा निर्णय यह लिया है कि एक राष्ट्रीय बालगृह कोष बनाया जाए। हम 40 प्रतिशत आंगनवाड़ियों को बालगृहों में बदलने जा रहे हैं। यदि इन आंगनवाड़ियों के अध्यापक बालगृह अध्यापक के रूप में कार्य करने को तैयार हैं तो उन्हें अधिक वेतन मिलेगा, यह उनके कार्य पर निर्भर करता है।

उन्होंने नवयुवतियों के संबंध में उल्लेख किया है। नवयुवतियों के लिए 507 केन्द्र हैं। मेरे विचार से 5000 केन्द्र हैं जहाँ आंगनवाड़ियों में अन्य बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। मेरे विचार से इस योजना से पांच लाख लोग लाभान्वित होंगे ? हमारे अपने आंगनवाड़ी कर्मचारी भी इन युवतियों की देखभाल कर रहे हैं वहाँ हमने उनके वेतन में 150 रुपये की वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों में भी उनके वेतनों में वृद्धि की गई है। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र और पाँडिचेरी, महाराष्ट्र में इनके वेतन में 100 रुपये और पाँडिचेरी में 150 रुपये की वृद्धि की गई है। कुछ अन्य राज्यों में उन्हें त्यौहार भत्ता आदि जैसे भत्ते तथा लाभ दिए जा रहे हैं।

जहाँ तक इनके वेतन और अन्य बातों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार केवल परिचालन कार्य कर रही है। राज्य सरकारों को यह देखना है कि वे इस संबंध में क्या कार्यवाही कर सकती हैं कि क्या उनके मानदेय में वृद्धि की जाए अथवा नहीं। इस समय केन्द्रीय सरकार के समक्ष इसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहाँ तक उनके भत्तों और अन्य बातों का संबंध हैं, हम पहले ही उन्हें तीन माह के अवकाश जैसे प्रसूति लाभ दे रहे हैं। जब कभी वे सरकारी कार्य से बाहर जाते हैं तो उन्हें यात्रा भत्ता मिलता है। जहाँ तक अन्य बातों का संबंध है, उन्होंने 20 दिन का अवकाश देने की बात कही है। यह कार्यवाही के लिए अच्छा सुझाव है। मैं इस पर विचार करूँगी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, वैसे तो यह प्रश्न आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बारे में है लेकिन इसमें यह भी शामिल है कि राज्यों की तरफ से किस तरह से इसका काम चल रहा है, जो काम आंगनवाड़ी कर्मचारी कर रहे हैं। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, दो-तिहाई से अधिक इसका काम शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब और अति पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये हो रहा है। दूसरी ओर, अध्यक्ष जी, इसमें 62 प्रतिशत बच्चे उन परिवारों के हैं, जिनकी औसतन सालाना आमदनी 2000 रुपये है, मैं यह बात सरकार की रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं, जो लाईब्रेरी में मिल सकती है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि आंगनवाड़ी प्रोग्राम में जिन परिवारों के बच्चे आते हैं, उनमें से 62 प्रतिशत परिवारों की सालाना आमदनी 2000 रुपये है जो प्रतिदिन सवा छः रुपये

या साढ़े छः रुपये के आसपास आती है। ऐसे बच्चों के लिये जब आपने यह कार्यक्रम चलाया है, उनकी हालत आप सुधारना चाहते हैं और मंत्री जी आप स्वयं इस बात को जानती हैं। कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो काम हो रहा है उसमें परिवार नियोजन से लेकर बच्चों की देखभाल तक का काम शामिल है जो महिलाएं करती हैं। उनके आर्थिक मामलों के प्रश्न को हल करने के लिये, आपने कहा कि हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं हैं लेकिन क्या सरकार इसकी जांच किसी कमेटी के द्वारा, कुछ लोगों को साथ बिठाकर करने के लिये तैयार है ताकि जिन परिवारों के बच्चों का भविष्य इसके तहत हमें तय करना है, उनका कल्याण हो सके क्योंकि कल्याण के उद्देश्य से ही आंगनवाड़ी योजना शुरू की गयी थी। इस समय वित्त मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, मैं आशा करता हूं कि जब वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में अनेक बातें इस संबंध में कहीं कि क्या होना चाहिये, क्या नहीं होना चाहिये, ऐसा उन्होंने बोला। अगर उसके अंदर इस आंगनवाड़ी की समस्या को भी कहीं जोड़ने का काम करेंगे, तो अध्यक्ष जी बहुत से सवालों के हल होने का काम हो सकता है। हम संबंधित मंत्री से इस बारे में जबाव चाहते हैं और वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, अगर आप उनको भी इस पर कुछ प्रकाश डालने के लिए कह सकें, तो बहुत अच्छा होगा ?

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, उन्होंने आंगनवाड़ी बच्चों का उल्लेख किया है। इनमें 62 प्रतिशत बच्चे गरीब परिवारों के हैं। हाल ही में हमने शहरी गंदी बस्तियों और जनजातिय क्षेत्रों को भी इनमें शामिल किया है। जहाँ भी ये आंगनवाड़ी केन्द्र कार्य कर रहे हैं वहाँ मृत्युदर में कमी आयी है और बच्चों को अच्छा पोषाहार मिल रहा है।

जहाँ तक राष्ट्रीय पोषाहार नीति का संबंध है, मंत्रिमंडल ने इसका अनुमोदन कर दिया है और हम सभी राज्य सरकारों को इसके बारे में लिख रहे हैं क्योंकि बच्चों को पोषाहार देने में बड़ी असमानता है। कुछ राज्य 50 पैसे, कुछ राज्य 20 पैसे और कुछ राज्य 75 पैसे प्रति बच्चा दिया करते थे। जहाँ तक पोषाहार संघटक का संबंध है, इस बार हमने यह निर्णय किया है कि सभी राज्यों को इसके लिए एक रुपया प्रति बच्चा देना है। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनकी किसी नई परियोजना को स्वीकृति नहीं देंगे। अधिकांश राज्यों ने इस पर अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जहाँ तक पोषाहार कीमत का संबंध है, वे इन बच्चों के लिए एक रुपया प्रति बच्चे की दर से अतिरिक्त धनराशि देने को तैयार हैं।

जहाँ तक परिवार की वार्षिक आय 2000 रुपये होने के बारे में अन्य बातों का संबंध है तो मैं यह बताना चाहती हूं कि अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों के हैं। हाल ही में हमने परियोजना स्तर से राज्य स्तर तक अपनी निगरानी प्रणाली के द्वारा इसकी जांच की है। हम बारीकी से पूरी स्थिति की जांच कर रहे हैं।

जहाँ तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैं चाहती हूं कि वित्त मंत्री महोदय इसका उत्तर दें। जहाँ तक मेरा संबंध है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं आपको केवल इतना ही बता सकती हूं।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, डाक और तार विभाग में अतिरिक्त विभाग है तथा विभागेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं। मैं आशा करती हूं कि इस प्रकार हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत अतिरिक्त विभाग बना सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत कोई

अतिरिक्त विभाग बनाना सम्भव है और इन आंगनवाड़ी कर्मचारियों को विभागेत्तर कर्मचारी समझा जाये ताकि उन्हें बेहतर भत्ते और वेतन आदि मिल सकें। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि क्या उन्हें सरकारी कर्मचारी समझा जाएगा ?

श्रीमती बासव राजेश्वरी : हमारे समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हाल ही में हमने इस पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया था। उसके बाद ही वेतन बढ़ाए गये है। मद्रास मे मुम्बई में अवैतनिक कर्मचारियों के रूप में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी 200 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्हें अवैतनिक कर्मचारी समझा जाता है। आज तक हम उन्हें वित्तीय अड़चनों के कारण सरकारी कर्मचारी नहीं मानते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वहाँ आंगनवाड़ी कर्मचारियों को जो कार्य दिया जाता है वह नियमित अध्यापक और किसी अन्य नियमित कर्मचारी से अधिक होता है। क्या मंत्री महोदय यह विश्वास करते हैं कि 450 रुपये देकर वह उनके साथ कोई न्याय कर सकते हैं ? क्या अच्छा काम करने वाली महिलाओं के एक बड़े वर्ग को बेहतर सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जा रहा है ?

श्रीमती बासव राजेश्वरी : वे अवैतनिक कर्मचारी हैं, केवल साढ़े चार घण्टे कार्य करते हैं। यदि कभी वे अपने कार्य के लिए देर तक बैठते हैं तो हम उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह आज की स्थिति में पर्याप्त है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ऋण और वसूली

***306. श्री मनोरंजन भक्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण मंजूर किये जाने तथा इनकी वसूली करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ये मानदण्ड विदेशी बैंकों पर भी समान रूप से लागू होते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). जी, नहीं। सरकार नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों की स्वीकृति और वसूली के विभिन्न पहलुओं के बारे में बैंकों को समय समय पर मार्गनिर्देश जारी करता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का प्रबंधन इस बारे में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश लागू होते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, नीतियां और हिदायतें निर्धारित करते हैं। बैंकों से यह आशा की जाती है कि जिन मामलों में बैंक वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं की सम्भाव्यता से संतुष्ट हो जाते हैं और नकदी के प्रवाह का निर्धारण करने और वापसी अनुसूची

तैयार करने के बाद वे उधारकर्ताओं को आर्थिक रूप से सक्षम गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करें। ऐसे ऋणों की वसूली बैंक और उधारकर्ता के बीच परस्पर सहमत शर्तों से नियन्त्रित होती है।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड, विदेशी बैंकों के मामले में प्राथमिकता क्षेत्र के उधारों को छोड़कर, जहां उनके लिए ये लक्ष्य कुछ भिन्न हैं, विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं।

रेशम के कोये

***307. श्री के.एच. मुनियप्पा :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम के कोये के मूल्य निरंतर बढ़ते-घटते रहते हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप देश के, विशेषतया कर्नाटक के किसान प्रभावित हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेशम उत्पादकों के लिए कोई मूल्य संरक्षण योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). शहतूती रेशम कोसों की कीमत के साथ-साथ अपरिष्कृत रेशम की कीमत मुख्यतः अपरिष्कृत रेशम की मांग तथा पूर्ति की स्थिति द्वारा नियंत्रित होती है। यद्यपि रेशम कोसों की कीमतों में अन्तर रहा है, फिर भी देश में अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन, जोकि 1988-89 में लगभग 10600 मी. टन के स्तर पर था, वर्ष 1992-93 में बढ़कर लगभग 14000 मी. टन के स्तर तक हो गया है।

शहतूती रेशम कोसों के उपजकर्ताओं के लिए कोई कीमत संरक्षण योजना नहीं है। फिर भी, भारत सरकार जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है, उपयुक्त नीति परक हस्तक्षेप करके रेशम उत्पादन के किसानों के हितों की रक्षा करती है।

विदेशी फर्मों द्वारा इक्विटी भागीदारी का बढ़ाया जाना

*** 308. श्री हरिन पाठक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फर्मों को अपनी इक्विटी भागीदारी पचास प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की अनुमति है, जबकि भारतीय प्रोमोटरों को यह अनुमति नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस बारे में भारतीय प्रोमोटरों को समान सुविधा प्रदान करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग). जुलाई, 1991 में घोषित केन्द्र सरकार की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों को बिना सरकारी अनुमति के लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति से विदेशी फर्मों को किसी भारतीय कंपनी के शेयर पूंजी के 51 प्रतिशत भाग तक प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। 51 प्रतिशत से अधिक शेयर

पूंजी हेतु सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। कंपनी अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत कोई भारतीय कंपनी अपनी अभिदत्त शेयर पूंजी और अन्य कंपनी के शेयर पूंजी में मुक्त प्रारक्षित निधियों में 30 प्रतिशत तक और बाद के अभिदत्त शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत भाग तक निवेश कर सकती है और इन सीमाओं से अधिक निवेश की स्थिति में केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है।

निवेश के दोनों सेटों के लिए लागू मानदंड एकसमान नहीं है। तथापि, भारतीय कंपनियों द्वारा अन्य कंपनी के शेयर पूंजी में इन सीमाओं से अधिक निवेश हेतु अनुमति प्राप्त की जा सकती है, इसलिए भारतीय कंपनियों के लिए मौजूदा नीति आवश्यक रूप से अलाभकारी नहीं है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति

*** 309 श्री तारा सिंह**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम संबंधी त्रिपक्षीय समिति की हाल ही में बैठक हुई थी ;

(ख) क्या इसमें राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रुग्ण मिलों के भविष्य के बारे में कोई निर्णय लिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). एन टी सी के लिए सरकार द्वारा पहले अनुमोदित की गई सर्वांगीण सुधार नीति के बारे में उठाई गई कुछ आपत्तियों के कारण वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र अनुसंधान संघों से यह कहा था कि वे एन टी सी की मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए नई आधुनिकीकरण योजनाएं बनाएं। वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा बनाई गई योजनाएं एन टी सी के मामलों पर श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति की विशेष समिति के विचारार्थ भेजी गई थीं। उप-समिति की रिपोर्ट अब विशेष त्रिपक्षीय समिति के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

चाय उद्योग

***310. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है;

(ख) क्या चाय की प्रति किलोग्राम उत्पादन लागत इसके विक्रय मूल्य से अधिक बैठती है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार चाय उद्योग के विकास और संवर्धन हेतु क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) चाय के उत्पादन की औसत लागत की तुलना में चाय की औसत अखिल भारतीय नीलामी कीमतें ऊंची हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चाय बोर्ड चाय उद्योग में विकास क्रियाकलापों के लिए ऋण पूंजी इमदाद और बैंक ऋणों पर ब्याज इमदाद के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। छोटे चाय उपजकर्ताओं को चाय की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बोर्ड एक विशेष निविष्टि एवं ब्याज इमदाद योजना चलाता रहा है। इस योजना के अंतर्गत रोपण सामग्री, उर्वरकों आदि सहित निविष्टि लागत के लिए 15,000 रु. प्रति हेक्टे. की दर से पूंजी इमदाद दी जाती है। इसके अलावा 5.1 प्रतिशत वार्षिक दर से बैंक ऋण पर ब्याज इमदाद भी दी जाती है बशर्ते ऋण की अधिकतम राशि 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हो।

इसके अलावा, चाय बोर्ड द्वारा लघु उपजकर्ताओं को चाय नर्सरियां स्थापित करने, प्रदर्शन प्लाटों, क्लोनल गुणन केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, मुफ्त सलाहकार सेवाओं, सहकारी चाय फैक्टरियों की स्थापना करने, आदि के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाती है।

चाय के छोटे उपजकर्ताओं के लाभार्थ वर्ष 1994-95 के दौरान दो नई योजनाएं अर्थात् चाय क्षेत्र भराई इमदाद योजना और विशेष क्षेत्र विकास योजना शामिल करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कुवैत के साथ व्यापार

***311. श्री के. प्रधानी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुवैत को किन-किन मदों का निर्यात किया गया तथा इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ख) क्या कुवैत के साथ व्यापार संबंध और बढ़ाने की कोई गुंजाईश है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क). एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) कुवैत के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए किए गए/प्रस्तावित उपायों में ये शामिल हैं : सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श, व्यापार मेलों और प्रर्दशनियों में भागीदारी, भारतीय कम्पनियों को कुवैत में अपने समकक्ष संगठनों से सीधे सम्पर्क स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देना, आदि।

कुवैत को भारतीय निर्यात के प्रमुख वस्तुवार ब्यौरे

(मूल्य : करोड़ रुपये में)

	प्रमुख वस्तु निर्यात	1990-91	1991-92	1992-93
	1	2	3	4
1.	चाय	4.02	4.12	8.47
2.	काफी	2.92	3.09	7.03
3.	चावल	13.08	18.86	64.15
4.	मसाले	0.90	1.58	2.43
5.	काजू	0.84	2.17	2.56
6.	तेल खाद्य	1.94	1.21	5.99
7.	फल तथा सब्जियां	5.46	4.05	12.38
8.	प्रसंस्कृत फल तथा रस	1.00	2.53	9.51
9.	मांस तथा मांस उत्पाद	3.94	6.75	9.59
10.	समुद्री उत्पाद	0.27	2.94	7.44
11.	अन्य अयस्क तथा खनिज	-	0.51	0.70
12.	चमड़ा तथा उत्पाद	0.85	1.26	1.05
13.	रत्न तथा आभूषण	5.85	8.32	18.76
14.	मूल रसायन	1.57	1.99	3.78
15.	पीबीआर/जीएलएस/ पीपीआर/डब्ल्यूडी/पीएनटी	-	2.88	7.46
16.	प्लास्टिक तथा लिनोलियम उत्पाद	0.44	1.68	5.12
17.	इंजीनियरी माल	9.29	39.06	80.59
18.	सूती यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स	1.72	2.69	10.11
19.	प्राकृतिक रेशम, यार्न, फैब्रिक्स	0.58	0.65	0.95
20.	मानवनिर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स	3.25	3.33	12.31

21.	ऊनी यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स	-	0.63	2.16
22.	आरएमजी काटन, अनुषंगी सामग्री सहित	6.13	7.01	11.94
23.	आरएमजी मानवनिर्मित फैब्रिक, आदि	1.75	2.48	4.02
24.	हस्तशिल्प की वस्तुएं (हाथ से बने - हस्तशिल्पों को छोड़कर)	1.08	1.62	4.91
25.	अन्य	7.85	7.34	20.56
	योग :	73.73	128.75	313.97

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

*** 312. श्री रवि राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए गए ऋण में थोड़ी कमी आई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ढांचागत समायोजन सुविधा और विस्तारित ढांचागत समायोजन सुविधा के अंतर्गत कम आय वाले देशों को रियायती दर पर दिये जाने वाले ऋण में भी काफी कमी हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल संवितरण में मामूली कमी आई और यह वित्तीय वर्ष 1992 के 5.093 मिलियन एस डी आर से घटकर वित्तीय वर्ष 1993 में 5.877 विलियन एस डी आर रह गया।

(ग) और (घ). संरचनात्मक समायोजन सुविधा और विस्तारित संरचनात्मक समायोजन सुविधा के अंतर्गत ऋणों में भी मामूली सी कमी आई है। और यह 608 मिलियन एस. डी आर से घटकर 593 मिलियन एस डी आर रह गया है।

(ङ) सदस्य देशों द्वारा कोष के संसाधनों का उपयोग करने के लिए संवितरण मांग से सम्बद्ध होते हैं। तथापि, भुगतान संतुलन के लिए भारत की आवश्यकताओं के बारे में जून, 1993 में सफलतापूर्वक निष्पन्न हुए ऊपरी ऋण किस्त एवजी प्रबंध के माध्यम से कोष को पूर्ण जानकारी थी।

ईरान के साथ व्यापार

*** 313. डा. कृपा सिंधु भोई :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरान के साथ आर्थिक सहयोग तथा द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग स्थापित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ईरान के साथ बेहतर आर्थिक सहयोग स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चुने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और ईरान के बीच पहले से ही स्थापित संयुक्त उद्यम तेल शोधन और जहाजरानी के क्षेत्रों में हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) आर्थिक सहयोग में सुधार करने के लिए दोनों पक्षों ने जिन क्षेत्रों का पता लगाया है उनमें ये क्षेत्र शामिल हैं - मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ हमारे व्यापार के लिए ईरान से होकर आवागमन सुविधाएं, इंजीनियरी तथा परामर्शी सेवाओं के क्षेत्रों में परियोजना निर्यात, भारत को ईरानी प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना, संयुक्त प्रयास के उर्वरक संयंत्र, खनन, मत्स्यकी, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना, एक संयुक्त भारत-ईरान वाणिज्य मण्डल की स्थापना, आदि।

व्यापार मेले

***314. श्री एम. कृष्ण स्वामी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान आयोजित किये जाने वाले व्यापार मेलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन व्यापार मेलों को आयोजित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का विचार इन मेलों को देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, आयोजित करने का है ; और

(घ) विदेशों में आयोजित होने वाले व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए देश के व्यापारियों को भेजने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इटपो भारत में वर्ष 1994 के दौरान 9 व्यापार मेलों का आयोजन करेगा। इटपो, नई दिल्ली के प्रदर्शनी परिसर में भारत तथा विदेश की अन्य विभिन्न एजेन्सियों द्वारा 18 अन्य मेले आयोजित करने का भी कार्यक्रम है।

(ख) व्यापार मेले आयोजित करने के लिए निर्धारित मानदण्ड मुख्य : निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत आते हैं - प्रदर्शित उत्पादों के लिए निर्यात आर्डरों की संभाव्यता, तकनालोजी उन्नयन, उत्पाद प्रदर्शन और बाजार अवसरों का सृजन, व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित जानकारी, सहयोग/संयुक्त उद्यमों की सम्भावना।

(ग) जी, हां। इंडिया इन्टरनेशनल लेदर फेयर जो हर वर्ष लगता है, पिछले 9 वर्षों से मद्रास (तमिलनाडु) में आयोजित किया जाता रहा है। आई आई एल एफ, 94 भी जनवरी/फरवरी, 1994 में मद्रास में आयोजित किया गया था। इसके अलावा बंगलौर (कर्नाटक) में एक राष्ट्रीय उपभोक्ता सामान मेला आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(घ) विदेश में आयोजित व्यापार मेलों में भागीदारी के मानदण्डों में शामिल हैं : सहभागियों का प्रगति रिकार्ड (निर्यात निष्पादन, आदि), निर्यात व्यापार में उनकी हैसियत अर्थात निर्यात घराना, व्यापार घराना, चोटी का व्यापार घराना, एकक का स्वरूप अर्थात्, लघु उद्योग अथवा अन्यथा उद्यमी का प्रकार अर्थात महिला आदि।

इटपो का वर्ष 1994 में विदेशों में 34 मेलों में भागीदारी के आयोजन का भी प्रस्ताव है।

चाय पैक करने के लिए सामग्री

***315. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लकड़ी बचाने के उद्देश्य से चाय पैदा करने के लिए किसी वैकल्पिक सामग्री का पता लगाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने चाय उद्योग से संरक्षण की दृष्टि से पैकेजिंग प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान और विकास कार्य में तेजी लाने के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) हाल ही में बल्क-चाय की विभिन्न श्रेणियों की पैकेजिंग के लिए लैमिनेटिड जूट बैगों तथा मल्टीवॉल पेपर की बोरियों का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता रहा है।

(ख) और (ग). चाय बोर्ड समय-समय पर चाय उद्योग से यह कहता रहा है कि देश में लकड़ी के स्रोतों के समाप्त होने के कारण वे वातावरण के अनुरूप पैकेजिंग सामग्री विकसित करने के अपने प्रयासों में तेजी लाएं। इस संबंध में, इंडियन जूट मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन परम्परागत (औरथोडोक्स) चाय की पैकेजिंग के लिए सख्त पटसन रेशे की चाय की पेटियां विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है। चाय बोर्ड ने छोटे पैकों का विपणन करने हेतु उपयुक्त पैकेजिंग सामग्रियों का विकास करने के लिए भारतीय पैकेजिंग संस्थान को भी एक परियोजना दी है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन को बढ़ावा देना

*** 316. श्री तरित बरण तोपदार :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां के द्वीपों को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). सरकार ने मिडिल

अंडमान में आमकुंज में और हैवलाक द्वीप में राधानगर में दीर्घावधि पट्टे पर तट विहार स्थलों का विकास करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। सरकार ने हैवलाक द्वीप में राधानगर में विहार-स्थल के विकास के लिए एक उद्यमी से प्राप्त प्रस्ताव को अनन्तिम रूप से स्वीकार किया था। तथापि उस पार्टी ने बाद में अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया क्योंकि उसको वह स्थल उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ।

डाब (नारियल) के पानी का निर्यात

***317. श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डाब के पानी की मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का डाब के पानी का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) टीन के डिब्बों में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में नारियल का पानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकता है।

(ख) से (घ). सभी स्वीकार्य गंतव्य स्थलों को बिना लाइसेंस के नारियल के पानी का निर्यात करने की इजाजत है।

रंग सामग्री और कृषि-रसायन

*** 318. श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में रंग-सामग्री और कृषि रसायनों का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ख) क्या इन मदों का निर्यात बढ़ाने की काफी गुंजाइश है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) रंजक-पदार्थों (मध्यवर्ती एवं कोलतार रसायनों सहित) एवं कृषि-रसायनों के निर्यात संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं : -

	मात्रा टन में				मूल्य करोड़ रुपए में	
	1990-91		1991-92		1992-93	
मद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
रंजक पदार्थ	46.677	442	61.604	781	623.00	958
कृषि-रसायन	8.5	105	35.4	215	13.6	182

(ख) जी, हां।

(ग) रंजक पदार्थों एवं कृषि-रसायनों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार और बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल द्वारा निरंतर अनेक उपाय किये जाते रहे हैं। इन उपायों में सरकार के आर्थिक उदारीकरण के उपायों के अलावा शामिल हैं : - क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, इन क्षेत्रों में भारतीय क्षमता से अवगत कराने की दृष्टि से विदेशी शिष्टमंडल को आमंत्रित करना, बाजार विकास सहायता की उपलब्धता, विदेशों में व्यापार मेलों में भाग लेना, विदेशों में बाजार अध्ययन दल भेजना, अन्य प्रचार/सूचना उपाय तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना

***319. प्रो. एम. कामतन : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश के विभिन्न स्थानों पर इन पार्कों का विकास किये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्य-क्षेत्र वार ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना को शुरू करने में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को प्रोत्साहित करने का है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (छ) राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के परामर्श से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्कीम (ई पी आई पी) बनाई गई है।

स्कीम में यह प्रावधान है कि निर्यात अभिमुख उत्पादन के लिए अवस्थापना संबंधी सुविधाओं पर हुए पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत राज्य सरकारों को मिलने वाले एक केन्द्रीय अनुदान से पूरा किया जाएगा। यह राशि प्रत्येक मामले में सामान्यतः 10 करोड़ रुपये तक सीमित होगी। इसके अलावा, वहां स्थापित प्रत्येक इकाई के निर्यात कारोबार के 2 प्रतिशत के बराबर रखरखाव अनुदान भी राज्य सरकारों को दिये जाने का प्रस्ताव है जो उस ईकाई में वाणिज्यक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा। उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्य सरकारें इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगी।

आवास निधि योजना

*** 320. श्री सनत कुमार मंडल : क्या श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड ने पश्चिम की आवास बन्धक प्रणाली की तर्ज पर निधि के सदस्यों के लिए कोई आवास निधि योजना मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ग) क्या यह समग्र निधि केवल भविष्य निधि/अंशदान और योगदान में से अथवा सरकार से सहायता लेकर बनायी जायेंगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी सहायता ली जायेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ). कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासीबोर्ड ने 24-3-1993 को आयोजित अपनी बैठक में आवास वित्त निधि की स्थापना की सम्भाव्यता का अध्ययन करने और कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को गृह निर्माण ऋण प्रदान करने संबंधी एक योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने जनवरी, 1994 में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया और इस रिपोर्ट को 18-2-194 को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड 31-3-1994 को इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करेगा।

जूट उद्योग संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति

*** 3343. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व गठित जूट उद्योग संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). सरकार ने पटसन क्षेत्र के मौजूदा विकास का अध्ययन करने तथा आधुनिकीकरण, विविधीकरण तथा निर्यात बढ़ाने के लिए रणनीति तथा नीति परक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया था। इस समिति ने 11 नवम्बर, 1992 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों में इस बात पर बल दिया गया है कि पटसन क्षेत्र का भविष्य विविधीकृत अन्त प्रयोगों में एक फाइबर के रूप में पटसन की पूर्ण संभाव्यता को मान्यता देने में है। तकनीकी विकास तथा कीमत संबंधी कारकों से पटसन अर्थव्यवस्था के लिए मात्र पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन करने पर अपने आस्तित्व को बनाए रखना असंभव है। इसलिए पटसन क्षेत्र के लिए यह अनिवार्य है कि वह पटसन उपजाने वाले किसानों, मिल के कामगारों तथा इस फाइबर से जुड़े अन्य व्यक्तियों के हितों में इसका पुनर्निर्माण करना शुरू करें। ऐसे विविधीकरण से पटसन उद्योग के लिए विविधिकृत प्रयोगों के लिए रंग-बिरंगी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले यान तथा फैब्रिकों जैसे मध्यवर्ती कच्चे सामान का उत्पादन करने के माध्यम से मूल्य वसूली में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी जिसके फलस्वरूप रोजगार पैदा करने में भी सहायता मिलेगी। इससे पटसन फाइबर के लिए दुबारा मांग बढ़ेगी जिससे किसानों को अपने उत्पाद के लिए अधिक लाभप्रद कीमतें वसूल करने में सहायता मिलेगी। समिति ने मार्जिन धनराशि की सहायता के माध्यम से तथा सभी सम्बद्ध क्षेत्रों में उचित प्रबन्ध करके विविधीकरण करने के लिए सहायता देने की सिफारिश की है जैसे अपरिष्कृत पटसन की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार लाना, एक और उद्यमियों तथा अनुसंधान व विकास संस्थानों के बीच तथा दूसरी और

वित्तीय संस्थानों और विपणन माध्यमों के बीच प्रौद्योगकी का अन्तरण करने के लिए पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना आदि।

समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन करने के लिए पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

नई भर्ती पर प्रतिबंध

3344. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में विभिन्न पदों/संवर्गों के अन्तर्गत नई भर्ती करने पर प्रतिबंध लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार भर्ती पर लगे इस प्रतिबंध को समाप्त करने का है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). भर्ती पर सामान्य तौर पर कोई रोक नहीं है। तथापि, मितव्ययिता बरतने संबंधी उपायों के एक भाग के रूप में मई, 1993 में इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि उन पदों को जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए रिक्त पड़े हुए हैं, समाप्त हुआ समझा जाएगा और यदि आवश्यकता महसूस होती है तो पदों के सृजन की निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद उन्हें पुनः सृजित किया जा सकता है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता

[अनुवाद]

3345. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य को ऋण और अनुदान के रूप में कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या सह सहायता विशिष्ट परियोजनाओं के लिए नियत की गई थी अथवा इसमें से कुछ राशि राज्यों को बजट के अंतर्गत दी गई सहायता के रूप में थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने तथा इन्हें समय पर कार्यान्वित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है तथा इसमें केन्द्र का कितना योगदान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान (16.3.94 तक) उत्तरपूर्वी राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए ऋण और अनुदान के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्यों को उनकी वार्षिक योजनागत स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता सकल ऋण और सकल अनुदान के रूप में पूरी योजना के लिए दी जाती है और इसका ताल्लुक किसी विशिष्ट परियोजना/योजना से नहीं होता। केन्द्र से दी जाने वाली यह सहायता राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं का वित्त पोषण करने हेतु एक बजटीय सहायता होती है।

(घ) योजनागत परियोजनाओं/स्कीमों की प्रगति की मानीटरी करने तथा उन्हें समय पर कार्यान्वित करने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही किया जाता है।

विवरण

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान (अभी तक) उत्तर पूर्वी राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहातया दर्शाने वाले विवरण

(करोड़ रुपये में)

	राज्य	वर्ष								
		1991-92			1992-93			1993-94 (16.3.94 तक)		
		ऋण	अनुदान	कुल	ऋण	अनुदान	कुल	ऋण	अनुदान	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अरुणाचल प्रदेश	22.84	205.55	228.39	27.09	243.84	270.93	22.01	225.72	247.73
2.	असम	26.41	734.73	761.14	78.33	766.18	844.51	85.96	842.91	928.87
3.	मणिपुर	18.75	168.75	187.50	18.72	175.98	194.70	16.67	218.79	235.46
4.	मेघालय	16.68	150.11	166.79	17.15	154.34	171.49	16.98	195.11	212.09
5.	मिजोरम	15.83	142.48	158.31	16.60	149.44	166.04	12.39	171.39	183.78
6.	नागालैण्ड	16.25	146.30	162.55	17.98	167.83	185.81	25.64	229.97	255.61
7.	त्रिपुरा	19.52	175.69	195.21	21.43	192.90	214.33	14.50	200.59	215.09
	जोड़ :	136.28	1723.61	1859.89	197.30	1850.51	2047.81	194.15	2084.48	2270.63

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

*** 3346. श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) इन बैंकों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान इन उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा कर लिया गया है ;

(ग) क्या इनमें से कुछ बैंक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) मार्च 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। इनकी 1603 शाखाओं का नेटवर्क है जिनके मुख्यालय होशंगाबाद, बिलासपुर, रीवा, टीकमगढ़, सतना, अम्बिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, झाबुआ, रायगढ़, शिवपुरी, दामोह, देवास, खारगोन, मंडला, छिंदबाड़ा, सिहोर, शहडोल, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, उज्जैन, दतिया और विदिशा में है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य उद्देश्य ये हैं : ग्रामीण लोगों के घर तक और विशेष रूप से अब तक के बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिग सेवायें उपलब्ध कराना, समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण बचत जुटाना और उसे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक कार्यों की सहायता करने में लगाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की लागत को कम करना।

मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने मध्य प्रदेश में 28.91 लाख खातों में 491.03 करोड़ रुपये की राशि जुटाई। इन बैंकों ने 9.97 लाख खातों में 338.87 करोड़ रुपए (बकाया) की ऋण सहायता प्रदान की। इस प्रकार पिछले कुछ समय के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण लोगों को संस्थागत ऋण सहायता प्रदान कर और अब तक एकत्र न की गई ग्रामीण बचत को अब जुटाकर उनके घर तक बैंकिंग सेवायें पहुंचाकर उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

(ग) ग्रामीण वर्गों तक पहुंचने और व्यापक सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय हानि हुई है। 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश के 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 23 को 44.44 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और मार्च 1993 के अंत तक उनकी संचित हानियां 119.93 करोड़ रुपए थीं। कुल मिलाकर 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां पूरी तरह से समाप्त कर दी हैं जिसके परिणामस्वरूप चलनिधि की समस्या आ गई है और इसके कारण ऋण देने के कार्यों में कमी आ गई है। राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खराब वसूली कार्यनिष्पादन के कारण चल निधि की समस्या और बढ़ गयी है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को होने वाली हानियों के कई कारण हैं जिनमें ये शामिल है : ग्राहकों की सीमित संख्या, परिचालन का सीमित क्षेत्र, कम ब्याज मार्जिन, बढ़ते हुए स्थापना खर्च और विशेषरूप से राष्ट्रीय औद्योगिक के पंचाट को लागू करने के पश्चात् आदि।

(ङ) उनकी अर्थक्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से इन बैंकों के ऋणों में और अधिक लचीलापन लाने तथा उनकी संबद्ध बैंकिंग सेवाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए दिसम्बर 1993 में उपायों का एक पैकेज घोषित किया गया है। इन उपायों में गैर-लक्ष्यगत समूह वित्तपोषण को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर निधि पर आधारित कारोबार में वृद्धि, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र संबंधी बाध्यताओं से मुक्त करना जिनका वर्ष 1992-93 में संवितरण 2 करोड़ रुपए से कम था और हानि उठाने वाली शाखाओं को मंडियों, तालुका/जिला मुख्यालयों, कृषि उपज केन्द्रों आदि जैसे स्थानों में पुनः स्थापित करने की अनुमति देना और उन संस्थानों के परिसरों में विस्तार काऊंटर खोलना, जिनके लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख बैंकर हैं, आदि उपाय शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेफ डिपाजिट लाकर लगाने की भी अनुमति दी गयी है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग

3347. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मिलों विशेषकर पश्चिम बंगाल में राज्य स्वामित्व वाली पटसन मिलों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल की ऐसी मिलों को कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में पटसन और सूती वस्त्र उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). सरकार निजी पटसन मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। तथापि, सरकार ने कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार के एक उपक्रम राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन जे एम सी) को वर्ष 1992-93 के दौरान 26.25 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। एन जे एम सी ने औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के निर्देश के अनुसार एक सर्वांगीण सुधार योजना भी प्रस्तुत की है जिससे ऐसी आशा है कि एन जे एम सी के अधीन पटसन मिलों के आस्तित्व को बनाए रखने के लिए उपचारी उपाए सुनिश्चित होंगे तथा उनको लागू किया जाएगा।

(ग) सरकार ने पटसन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक प्रोत्साहन प्रदान किए हैं जिनमें पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 बनाना, पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन करना, विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना करना, राजकोषीय, वित्तीय तथा विपणन सहायता स्वीकृत करना आदि शामिल हैं। सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग को आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करने के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना की स्थापना भी की है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को पुनर्जीवित करने के

लिए निषेधात्मक, सुधारात्मक तथा उपचारी उपाए सुनिश्चित करने तथा उन्हें लागू करने के लिए बी आई एफ आर की स्थापना भी की गई है।

छंटनी-लाभ

3348 श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छंटनी लाभ को पूरी की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के पन्द्रह दिनों के वेतन के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर एक मास के वेतन दिये जाने के निर्णय लिए हैं ;

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में संगत वर्तमान उपबंध क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को निकट भविष्य में भारी पैमाने पर छंटनी की आशा है ; और

(घ) क्या औद्योगिक क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना की अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क). जी, नहीं।

(ख) स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गये दिशा निर्देश के अनुसार, ग्रैच्यूटी, भविष्य निधि आदि जैसी अन्य सांविधिक देय राशियों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प देने वाले कर्मचारी सेवा निवृत्त होने के समय सेवा के प्रत्येक पूरे किये गये वर्ष के लिये डेढ़ महीने की परिलब्धियां (वेतन जमा महंगाई भत्ता) अथवा सेवा निवृत्ति की सामान्य तारीख से पहले छोड़ी गयी सेवा के शेष महीनों को सेवा निवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियां (वेतन जमा महंगाई भत्ता) से गुना करके परिलब्धि जो भी कम हो, पाने के पात्र हैं।

(ग) नई आर्थिक नीति के अंतर्गत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर स्वतः छंटनी की परिकल्पना नहीं की गयी है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1990-91 1991-92 और 1992-93 के दौरान 120 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के 80773 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प दिया है।

बन्दोबस्त आयोग

3349. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजा चेलैया समिति ने बन्दोबस्त आयोग (आय-कर और सम्पत्ति कर) के कार्यकरण और कर अपवंचन रोकने में इसकी भूमिका के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). समझौता आयोग (आयकर/धनकर) के कार्य के संबंध में राजा चेलैया कमेटी द्वारा की गई टिप्पणियां और सिफारिशें उनके अंतिम

प्रतिवेदन के भाग 1 के पैरा 5.58 से 5.68 में हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गई हैं। ये टिप्पणियां/सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि

3350. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में निजी क्षेत्र के योगदान की कोई जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में रोजगार में कितनी वृद्धि हुई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्र सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1990, 31 मार्च 1991 तथा 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्र में 10 या अधिक कर्मकार नियोजित करने वाले सभी गैर-कृषीय प्रतिष्ठानों) में रोजगार तथा पिछले वर्ष के रोजगार की तुलना में प्रतिशता में परिवर्तन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार तथा पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन।

मार्च के अंत में	रोजगार (हजारों में)			पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1990	18771.5	7581.9	26353.4	1.4	1.7	1.5
1991	19057.3	7675.8	26733.1	1.5	1.2	1.4
1992	19209.6	7846.1	27055.7	0.8	2.22	1.21

[हिन्दी]

राजस्थान में राजस्व की प्राप्ति

3351. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में आयकर, लघु बचतों, सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क से कुल कितना राजस्व अर्जित किया ;

(ख) कुल अर्जित राजस्व में से राज्य को कितनी धनराशि लौटायी गयी ;

(ग) राजस्थान में इस समय कितने आयकर दाता हैं ; और

(घ) आयकर विभाग ने राज्य में गत एक वर्ष के दौरान कितने छापे मारे और उनमें कितनी सम्पत्ति जब्त की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में आयकर, सोमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के माध्यम से कुल 1264.49 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल किया तथा लघु बचतों के माध्यम से 304.03 करोड़ रुपए वसूल किए।

(ख) राजस्थान सरकार को केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में 1073.41 करोड़ रुपए तथा निवल लघु बचत वसूली के आधार पर लम्बी अवधि के लिए ऋण 228.03 करोड़ रुपए दिए गए।

(ग) दिनांक 31-1-94 की स्थिति के अनुसार आयकर दाताओं की संख्या 3.94 लाख थी।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान, राजस्थान में आयकर विभाग ने 100 तलाशियां ली जिसके परिणामस्वरूप 559.99 लाख रुपए की नकदी/आभूषण आदि ज़ब्त किए।

बीड़ी कामगारों को भविष्य निधि

3352. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी कामगारों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) राज्यवार ऐसे कितने कामगार ई.पी.एफ. स्कीम के अंतर्गत लाए गए हैं ;

(ग) क्या ई. पी. एफ. की राशि उनके वेतन से काटी जाती है और नियोक्ताओं द्वारा उनके खाते में जमा की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ). कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 20 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बीड़ी कर्मकारों के संबंध में उनके वेतन से काटी गयी भविष्य निधि नियोजकों के बराबर अंशदान सहित अंशदाताओं के खातों में जमा करवाई जा रही है। जब कभी इस संबंध में चूक किये जाने की जानकारी प्राप्त होती है तो कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम/योजना के अंतर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कानूनी एवं दांडिक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

राज्य	बीड़ी कर्मकारों की संख्या	क.भ.नि. अंशदाताओं की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	6,00,000	3,46,942
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	12,725	655
बिहार	3,91,500	10,652
गुजरात	2,03,000	418
कर्नाटक	3,55,244	2,64,106
केरल	1,21,331	1,02,300
मध्य प्रदेश	6,00,000	63,427
महाराष्ट्र	2,50,000	1,15,821
उड़ीसा	1,60,000	5,160
राजस्थान	2,79,000	4,704
तमिलनाडु	6,00,000	2,66,753
उत्तर प्रदेश	4,50,000	3,863
पश्चिम बंगाल	4,50,000	37,212
कुल :	44,72,800	12,22,013

[अनुवाद]

रेखी समिति

3353. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेखी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को लागू करने के लिए पहल की है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस समिति ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में संशोधन करने का भी सुझाव दिया है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). रेखी समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट (खंड I और खंड II) में, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानूनों और प्रक्रियाओं को सरल

तथा कारगर बनाने के बारे में कुल मिलाकर 142 सिफारिशें की हैं। मुख्य-मुख्य सिफारिशों का संबंध टैरिफ ढांचे (न कि शुल्क की दर), मूल्यांकन, वर्गीकरण, निर्धारण और निकासी, मॉडवेट, अपीलीय तंत्र, समझौता आयोग आदि से है। इनमें से कुछ सिफारिशें समिति द्वारा व्यक्त की गयी टिप्पणियों और अभिमतों के रूप में हैं।

सरकार ने समिति की कई सिफारिशों को लागू करने के लिए पहले ही कार्यवाही आरंभ कर दी है। इसके अलावा कई सिफारिशों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया को वर्ष 1994-95 के बजट प्रस्तावों में दिखाया गया है; जैसे कि छूट अधिसूचनाओं की संख्या को कम करके न्यूनतम संभव सीमा तक करना; छूट अधिसूचना में उत्पाद के संबंध में वही ब्यौरे देना जैसे कि टैरिफ में प्रयुक्त किया गया हो; अन्त्य उपयोग पर आधारित अधिसूचनाओं को कम से कम सीमा तक रखना, बीजक मूल्य के आधार पर मूल्यांकन पद्धति; लघु उद्योग इकाइयों के लिए छूट को युक्तिसंगत बनाना और पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों ही प्रकार की इकाइयों को लाभ प्रदान करना, पूंजीगत माल को भी मॉडवेट सुविधा प्रदान करना आदि।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 में विधायी परिवर्तन करने और साथ ही प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने के लिए भी कार्रवाई आरंभ की गयी है। इनमें सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए समझौता आयोग का गठन करना, संविधान के अनुच्छेद 323 ख के अंतर्गत उच्च शक्ति प्राप्त अधिकरण का गठन करना, विलंब से की गयी शुल्क अदायगियों पर ब्याज लेना और विलंब से की गयी वापसियों पर ब्याज की अदायगी करना, अधिकारियों के पदनाम में परिवर्तन करना, प्रतिअदायगी का भुगतान पाक्षिक आधार पर करने के बजाए साप्ताहिक आधार पर करने के लिए चैक जारी करना शामिल है।

प्याज का निर्यात

3354. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई फसल आने तक कुछ अवधि के लिए बंगलादेश और अन्य देशों को प्याज का निर्यात स्थगित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) और (घ). पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि बंगलादेश को प्याज का निर्यात बन्द कर दिया जाए क्योंकि देश में प्याज की कम उपज और न्यून आपूर्ति के कारण इसकी कीमतें बढ़ रही हैं।

(ङ) उपजकर्ताओं, उपभोक्ताओं के हित और एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में भारत की छवि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात के लिए सरणीयन एजेन्सी-नेफेड को सुझाव दिया है कि वह प्याज के निर्यात में कमी करें।

पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन

3355 : श्री चन्द्रेश पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी, 1994 को नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रियों की एक बैठक/ सम्मेलन का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसमें लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रत्येक निर्णय के संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ). जी, हां। 20 फरवरी, 1994 को नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया जिनमें शामिल थे - स्वीकृत परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, पर्यटन को उद्योग घोषित करना, स्मारकों का अभिनिर्धारण, मरम्मत करना तथा सुन्दर बनाना, कर-ढांचा, पेइंग गेस्ट आवास और हेरिटेज होटलों, आदि के स्थानों को अभिनिर्धारित करना।

विद्युत करघों का आधुनिकीकरण

3356. श्री थाइल जॉन अंबलोज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल में विद्युत करघों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों को इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

3357. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करदाताओं और कर-निर्धारिण करने वाले प्राधिकारियों के बीच आपसी विश्वास का वातावरण पैदा करने संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं को सुगम और आसान बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). कर-दाताओं और कर-निर्धारण करने वाले प्राधिकारियों के बीच आपसी विश्वास और भरोसे का वातावरण पैदा करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। सिविल निर्माण व्यवसाय या ट्रक मालिकों द्वारा ट्रक चलाने, किराए पर देने या पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगे हुए कुछ कर-दाताओं के मामले में व्यावसायिक आय के निर्धारण हेतु अनुमानित आय प्रणाली शुरू करने के लिए वित्त विधेयक, 1994 में एक प्रस्ताव भी शामिल है।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा यूरिया का आयात

3358. श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने यूरिया के आयात हेतु 15 जुलाई, 1993 को क्वाड्रोस इन्टरनेशनल के साथ कोई समझौता किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने यह समझौता रद्द कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने क्वाड्रोस पर समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और नौवहन कम्पनी द्वारा लिए गये चार करोड़ रुपये के विलंब शुल्क का भी दावा किया है ;

(च) यदि हां, तो क्या क्वाड्रोस ने समझौते का उल्लंघन करने और माल-भाड़ा शुल्क का भुगतान करने के दायित्व से मना कर दिया है ;

(छ) यदि हां, तो इस समझौते तथा रूस से यूरिया के आयात की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ज) खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ख). जी हां, एम एम टी सी ने सी आई एस मूल की 25000 एम टी (# 5 %) यूरिया का 78 अमरीकी डालर प्रति एम.टी. एफ.ओबी पर आयात करने के लिए मैसर्स क्वाड्रोस इण्टरनेशनल, हांगकांग के साथ दिनांक 15.07.93 को एक संविदा की थी। पोतलदान युझनी पत्तन से हुआ था।

(ग) और (घ) जी, हां। यह संविदा दिनांक 11.11.93 को निरस्त कर दी गई क्योंकि आपूतिकर्ता पोतलदान के लिए माल की व्यवस्था नहीं कर सका।

(ङ) और (च) एम एम टी सी ने मैसर्स क्वाड्रोस इण्टरनेशनल पर संविदा की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया है। यह दावा अभी ट्रांसचार्ट से प्राप्त होना है और प्राप्त होने पर एम एम टी सी इसे भुगतान के लिए मै. क्वाड्रोस के पास भेजेगी। मैसर्स क्वाड्रोस ने संविदा भंग के दायित्व से इन्कार किया है, परन्तु एम एम टी सी ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

(छ) मैसर्स क्वाड्रोस इण्टरनेशनल के साथ की गई क्रय संबंधी संविदा अभी निरस्त ही है। एम एम टी सी ने मैसर्स क्वाड्रोस इण्टरनेशनल के साथ संविदा की शर्तों पर ही एक अन्य आपूतिकर्ता से क्रय किया है और दिनांक 16.11.1993 को 23270 एम.टी. यूरिया का आयात किया।

(ज) 58,500 अमरीकी डालर (लगभग 18,26,955 रुपये के समकक्ष) का निष्पादन गारण्टी बाण्ड भुनाया जा चुका है। मैसर्स क्वाड्रोस पर दावा कर दिया गया है और मैसर्स क्वाड्रोस के खिलाफ संविदा के प्रावधानों के अनुसार विवाचन/कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगामी कार्रवाई की जाएगी।

कजाकिस्तान से निर्यात बढ़ाना

3359. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कजाकिस्तान सरकार से निर्यात बढ़ाने के लिए विमान माल-भाड़े रियायत देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) कजाकिस्तान को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कजाकिस्तान को निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार निरन्तर उपाय कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ कजाकिस्तान के लिए ये उपाय शामिल हैं : - व्यापार एवं आर्थिक सहयोग-पर शीघ्र एक करार संपन्न करना जिसमें अन्तरराष्ट्रीय तौर पर प्रतियोगी कीमतों एवं मानकों के आधार पर दुर्लभ मुद्रा में व्यापार करने, पारस्परिक-व्यापार एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य अन्य व्यापार-पद्धतियों के आधार पर व्यापार का प्रावधान हो ; निर्यात सम्प्रेषण का संवर्धन, भण्डारण सुविधाएं, संयुक्त उद्यम लगाना, प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्पर्क बढ़ाना, अन्तर-सरकारी संयुक्त आयोग की स्थापना करना जिसकी पहले ही जुलाई, 1993 में प्रथम बैठक आयोजित हो चुकी है और अधिक सुगम परिवहन एवं पारगमन मार्गों की पहिचान कर उनका विकास करना ; और अधिक उदारीकृत ऋण नीति तैयार करना। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता पर बल देकर ब्रांड नामों का प्रचार करके भारतीय सामान की छवि बनाना आदि।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं

3360. **श्री आर्च फर्नान्डीज :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं भारत सरकार से एयर इंडिया विमानों का अपने देश में अधिक गन्तव्य स्थलों और प्रवेश मार्गों की अनुमति लिये बिना भारत में ऐसी रियायतों की मांग पर जोर दे रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं भारतीय उड्डयन सेवाओं के प्राधिकारियों से और

अधिक हवाई उड़ाने भरने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार ने भी इसके बदले में ऐसी ही मांग की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर विदेशी विमान सेवाओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने भारत से होकर अतिरिक्त यातायात अधिकारों के लिए अनुरोध किया है। इस तरह के अधिकार पारस्परिकता के आधार पर मंजूर किये जाते हैं और उनके बारे में सहमति, उसकी आवश्यकता का इतमीनान हो जाने के बाद ही दी जाती है।

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

3361. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में वर्तमान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल पर्याप्त है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार केरल में नए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितना आबंटन किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). केरल में इस समय उपभवनों सहित 13 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल हैं जिनमें 1299 बिस्तर हैं। इसके अतिरिक्त क.रा.बी. लाभानुभोगियों के लिए राज्य सरकार के अस्पतालों में भी 6 बिस्तर आरक्षित किये गये हैं। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा का प्रबंधन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हैं। केरल राज्य सरकार की ओर से राज्य में नया अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि क.रा. बी. निगम ने विद्यमान क.रा.बी. अस्पताल, एरणाकुलम में 25 बिस्तर और क.रा.बी. अस्पताल ओलरीकारा और आश्रामम, प्रत्येक में 50 बिस्तर बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है।

हेलीकॉप्टर का क्षतिग्रस्त होना

3362. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री 12 अप्रैल, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5519 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हैलीकॉप्टर के जमीन पर उतरते समय क्षतिग्रसत होने के सम्बन्ध में दुर्घटना जांच इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के परिणामों तथा इसके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है ;

(घ) यदि नहीं, तो स्वीकार नहीं किए गए जांच परिणामों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सभी सिफारिशों पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क). जी, हां।

(ख) हैलीकाप्टर में सवार विदेशी राष्ट्रिकों को जंगली जानवर दिखाने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर कोरबेट टाइगर लेक क्षेत्र में बहुत ही नीचे आ गया था जिसके कारण दुर्घटना हुई। पायलेट ने ऊंचाई का गलत अन्दाजा लगाया था और हेलीकाप्टर झील की सतह से छू गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

जांच रिपोर्ट से उद्भूत सिफारिशों में उड़ान मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए पायलेट के विरुद्ध और प्रचालन मानदण्डों को पूरा करने में हुई चूकों के लिए प्रचालक के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई किए जाने का सुझाव दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के श्रमिकों की बहाली

3363. श्री मोहन रावले : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने जनवरी, 1994 के अन्तिम सप्ताह में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के चेयरमैन और निदेशक बोर्ड को निर्देश दिया है कि श्रमिकों की बहाली के सम्बन्ध में उसके पहले के आदेश का 28 फरवरी, 1994 तक अनुपालन किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के इन अन्तिम आदेशों का इस बीच अनुपालन कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एन टी सी ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए 36 कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान किया है तथा 7 कर्मचारियों को पुनः तैनात किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कर्जदार

3364. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्जदारों के मामले में उन्हें

ऋण देते समय गिरवी रखने का तरीका शुरू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा है कि यदि दिया गया ऋण 15000/- रुपए तक हो और जहां चल परिसम्पत्तियां सृजित की जाती हैं और यदि दिया गया ऋण 5000/- रुपये तक हो और जहां चल परिसम्पत्तियां सृजित की जाती हैं, वहां उन्हें किसी संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं देना चाहिए। इन सीमाओं से अधिक के अग्रिमों के लिए, बैंक यथास्थिति अन्य पक्ष गारंटी/बंधक प्राप्त कर सकते हैं। बंधक प्राप्त करने में किसी कठिनाई के मामले में, बैंक अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और यथास्थिति अन्य पक्ष गारंटी/प्रतिभूति प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कताई मिलें

3365. श्री राम पूजन पटेल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां सूती कताई मिलें हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में सूती कताई मिलें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर रही हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने इन मिलों के सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में वस्त्र कताई मिलों का क्षमता उपयोग लगभग 91 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

सूत/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र कताई मिलों की स्थापित क्षमता सहित अवस्थिति तथा संख्या। (31-12-93 की स्थिति के अनुसार)

क्रम.सं.	स्थान	एककों की संख्या	तकुओं के रूप में स्थापित क्षमता (सं.)
1.	इलाहाबाद	3	1,14,460
2.	आजमगढ़	2	75,048

1	2	3	4
3.	रायबरेली	3	87,028
4.	हाथरस	2	38,824 तथा 672 रोटर्स
5.	मिर्जापुर	1	15,296
6.	बुलन्दशहर	2	38,560 तथा 840 रोटर्स
7.	इटावा	1	13,188 तथा 504 रोटर्स
8.	वस्ती	1	25,080
9.	बिजनौर	1	25,080
10.	मुरादाबाद	2	42,184 तथा 672 रोटर्स
11.	सीतापुर	1	12,376 तथा 672 रोटर्स
12.	गाजीपुर	1	24,960
13.	फरूखाबाद	1	24,276
14.	फतेहपुर	1	24,960
15.	मेरठ (गाजियाबाद)	7	1,88,566 तथा 1920 रोटर्स
16.	देहरादून	1	12,064
17.	नैनीताल	3	90,488
18.	मथुरा	1	26,208
19.	फैजाबाद	1	50,168
20.	बाराबंकी	1	50,168
21.	झांसी	1	50,168
22.	हरदोई	1	50,168
23.	बलिया	1	24,752
24.	जोनपुर	1	25,000
25.	बांदा	1	25,088
	कुल :	42	11,54,158 तथा 4440 रोटर्स

प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण

[अनुवाद]

3366. श्री पी.पी. कालिया पेरूमल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कितनी राशि का ऋण दिया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र तथा छोटे व्यापार क्षेत्र को अलग-अलग कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). जून 1990, 1991 और 1992 (अद्यतन उपलब्ध) में सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र, कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार और छोटे धंधों के लिए दिए गए कुल ऋणों की राशि इस प्रकार है : -

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	जून 1990	जून 1991	जून 1992
प्राथमिक क्षेत्र	9029.3	9432.5	9605.4
कृषि	4319.6	4893.5	4956.6
लघु उद्योग	2858.5	2781.0	3089.9
खुदरा व्यापार	479.2	450.7	411.5
छोटे धंधे	346.4	398.3	328.9

[हिन्दी]

राज्यों को धनराशि का आंवटन

3367. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन राज्यों के मामलों पर पुनर्विचार कर रही है जिन्हें आठवें वित्त आयोग ने कम धनराशि दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सम्बद्ध राज्यों को उनका घाटा पूरा करने के लिए पहले कम दी गई राशि जारी करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) विशेष श्रेणी के राज्यों को क्या-क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को दिए जा रहे 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के मुकाबले, विशेष श्रेणी के राज्यों को 10 प्रतिशत ऋण और 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में केन्द्रीय योजनागत सहायता उपलब्ध कराने की सामान्य सुविधा के अतिरिक्त, विशेष श्रेणी के राज्यों की वित्तीय समस्याओं का स्थाई हल ढूंढने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित रंगराजन समिति तथा असम, जम्मू-काश्मीर और पंजाब की वित्तीय समस्याओं की जांच करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित किए गए अन्तर-मंत्रालयी समूह की सिफारिशों के आधार पर विशेष श्रेणी के राज्यों को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं : -

(i) 7वीं योजना के लिए निर्धारित व्यय को योजनागत पक्ष में अन्तरित करना ताकि राज्यों द्वारा योजना भिन्न अन्तरों को कम किया जा सके।

(ii) विशेष श्रेणी के राज्यों को योजना भिन्न व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय योजनागत सहायता की 20 प्रतिशत राशि (असम और जम्मू-काश्मीर के मामले में 30 प्रतिशत) का उपयोग करने की मंजूरी देना ताकि वे अपने योजना भिन्न अन्तरों को कम कर सकें।

[अनुवाद]

अशोध्य ऋण

3368. श्री खेलन राम जांगड़े :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा इंडियन ओवरसीज बैंक ने इंडोनेशिया में कताई और बुनाई मिलों की श्रृंखला के स्वामियों के विरुद्ध बकाया करोड़ों रुपए के ऋण को अशोध्य ऋण की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). बैंकों में प्रचलित प्रथाओं तथा रीती रिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बैंकों के व्यक्तिगत संघटकों के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

बाजार ऋण

3369. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार, रेलवे और विद्युत के महत्वपूर्ण क्षेत्र लगातार दूसरे वर्ष अपने बाजार ऋण संबंधी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और प्राप्त किए गए ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों की सहायता के लिए कुछ उपाय करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित बाजार उधार कार्यक्रम में रेलवे और दूर-संचार को कोई पृथक आवंटन नहीं किया जाता है। केवल विद्युत क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम को वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में क्रमशः 65 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपए और 36 करोड़ रुपए का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसे पूरी तरह से वसूल कर लिया गया है। प्रश्न में उल्लिखित लक्ष्यों का प्राप्त न किया जाना संभवतः सरकारी क्षेत्र की बांड स्कीम के अधीन उधारों से संबंधित है। इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और इसे सदन के सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

हिलसा का आयात

3370. डा. असीम बाला : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 में हिलसा का कितना आयात किया गया ;

(ख) क्या हिलसा का आयात करने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इसके लिए कोई आयातक एजेन्सी नियुक्त की गई है अथवा सरकार स्वयं सीधे आयात कर रही है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1993 के दौरान 82.08 मी. टन हिलसा का आयात किया गया।

(ख) और (ग) महानिदेशक, विदेश व्यापार ने पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रणाधीन एक शीर्ष निवाय मैसर्स पश्चिम बंगाल राज्य मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड, कलकत्ता को कुल 1.150 मी. टन हिलसा का आयात करने के लिए 2 लाइसेंस जारी किए हैं।

(घ) यह आयात पश्चिम बंगाल राज्य मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा किया गया है।

केरल में चाय का उत्पादन

3371. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष चाय का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या सरकार ने केरल में चाय की खेती शुरू करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1993 के कलैण्डर वर्ष के दौरान भारत में कुल 758.063 मिलियन कि.ग्रा. चाय का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) केरल भारत में परम्परागत चाय का उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। केरल में चाय की खेती के अन्तर्गत लगभग 34,708 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। केरल में चाय उद्योग का विकास करने के लिए टी बोर्ड द्वारा जो उपाय किए गए हैं। उनमें ये शामिल हैं : राज्य में चाय उपजाने वाले किसानों को ऋण के रूप में सहायता, पूंजीगत उपदान तथा ब्याज उपदान तथा बैंक ऋण आदि। चाय का उत्पादन शुरू करने हेतु छोटे कृषकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राज्य के इडुकी और वायनाद के कुछेक भागों को विशेष रूप से गैर-परम्परागत क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है ताकि इन जिलों के उपजकर्ता केवल गैर-परम्परागत क्षेत्रों पर लागू उदारीकृत योजनाओं के अन्तर्गत सुलभ ऋणों तथा पूंजीगत राजसहायता का लाभ उठा सके। जिन क्षेत्रों में छोटे उपजकर्ताओं की अधिकता है, वहां चाय पौधशालाएं (टी नर्सरीज़) प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना करने हेतु विशेष सहायता भी दी जा रही है।

ग्रामीण हथकरघा बुनकर योजनाएं

3372. श्री एस.एम. लालंजान बाशा :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों के लिए चार नई योजनाओं को अंतिम रूप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं की लागत कितनी-कितनी है ; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य-वार कितना आबंटन किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) इन योजनाओं में 1993-94 के आरंभ से तीन वर्षों की अवधि के दौरान निम्नलिखित कवरेज़ की जाएगी।

क्रम.सं.	योजना और लक्ष्य
1.	आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत 3.27 लाख करघाहीन हथकरघा बुनकरों को शामिल करना।
2.	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1.20 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति के आवासहीन बुनकरों को शामिल करना।
3.	ट्राइसम के अंतर्गत 1 लाख हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण।
4.	जवाहर रोज़गार योजनाके अंतर्गत 1000 सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना।

(ग) कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रस्तावित सहायता डी.आर.डी.ए. स्तर पर कार्यक्रमों के लिए वर्तमान आबंटन में से ही पूर्ति की जाएगी।

बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

3373. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). जी हां। बीड़ी कर्मकारों के लिये समूहबीमा योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों को शामिल करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) इसकी कार्यप्रणालियां तैयार की जा रही हैं।

न्यूनतम पेंशन स्लैब का लागू किया जाना

3374. श्री अन्ना जोशी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित कर्मचारी पेंशन योजना, 1993 के अंतर्गत वर्तमान न्यूनतम पेंशन स्लैब को लागू करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए एक उपयुक्त पेंशन योजना तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार को अधिकार प्रदान करने के प्रयोजन से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने संबंधी विधेयक अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। अतः विद्यमान न्यूनतम पेंशन स्लैब को इस स्तर पर बढ़ाने के लिए किसी प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में विकास परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

3375. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में कुछ विकास परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की जाएगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग). बिहार में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एवं विदेशी सहायता की मदद से चल रही परियोजनाओं का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बिहार में विदेशी सहायता की मदद चल रहीं परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	दाता एजेंसी	(मिलियन) ऋण/उधार	
1	2	3	4	
1.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II (बहुराज्यीय)	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	78.93
2.	श्रीम्मचन्द मछली पालन (बहुराज्यीय)	तदैव	अमरीकी डालर	85.00
3.	बिहार पठार विकास	तदैव	अमरीकी डालर	117.00
4.	बिहार सार्वजनिक नलकूप	तदैव	अमरीकी डालर	26.63
5.	राष्ट्रीय जल प्रबंध (बहुराज्यीय)	तदैव	अमरीकी डालर	127.27
6.	राज्य सड़क परियोजना (बहुराज्यीय)	तदैव	अमरीकी डालर	199.94
7.	तकनीकी शिक्षा-I (बहुराज्यीय)	तदैव	अमरीकी डालर	218.21
8.	जनसंख्या - 7 (बहुराज्यीय)	तदैव	अमरीकी डालर	96.58
9.	आई.सी.डी.एस. II (बहुराज्यीय)	तदैव	अमरीकी डालर	194.00
10.	शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षिपात मातृत्व (बहुराज्यीय)	तदैव	अमरीकी डालर	214.50
11.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण (बहुराज्यीय)	तदैव	अमरीकी डालर	84.00
12.	राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण (बहुराज्यीय)	तदैव	अमरीकी डालर	85.00
13.	बिहार में सहकारी ग्रामीण संग्रहण	ई.ई. सी	ई.सी.यू.	21.19 (अनुदान)
14.	पर्यटन आधारिक संरचना विकास	ओईसीएफ	येन	9244.00

कृषि विपणन परिषद् को विश्व बैंक का ऋण

3376. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विश्व बैंक ने बाजारों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कृषि विपणन परिषद् को ऋण और अनुदान की कितनी राशि दी ;

(ख) ऋण/अनुदान राशि प्राप्त करने वाली विपणन समितियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन समितियों द्वारा खर्च किए गए धन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). पिछले तीन वर्षो के दौरान विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश राज्य कृषि विपणन परिषद को न तो कोई ऋण दिया है और न ही कोई सहायता दी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नशीली दवाओं का जब्त किया जाना

3377. श्रीमती सरोज दुबे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गईं ;

(ख) सरकार ने नशीली दवाओं के बढ़ते हुए व्यापार पर रोक लगाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ; और

(ग) गत वर्ष के दौरान नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में लिप्त कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). पिछले एक वर्ष के दौरान राज्यवार जब्त की गई स्वापकों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सभी प्रर्वत्तन एजेंसियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे विभिन्न अधिनियमों में निहित सख्त प्रावधानों के अंतर्गत प्रर्वत्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रर्वत्तन एजेंसियों को वाहन और संचार उपस्कर प्रदान किए गए हैं। वैध उत्पादन के नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान 13723 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ।

विवरण

(आंकड़े आनंतिम हैं)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अफीम	हेरोइन	गाँजा (मात्रा किलोग्राम में)	हशीश	मैथाक्वालोन
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	-	-	3613	-	-

1	2	3	4	5	6	
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	4	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	-	2458	-	-
4.	असम	1	4	5193	-	-
5.	बिहार	-	4	19278	684	37
6.	चंडीगढ़	103	13	-	14	-
7.	दादर और नागर हवेली	-	-	-	-	-
8.	दमन और दीव	-	-	-	-	-
9.	दिल्ली	435	139	189	1016	203
10.	गोवा	-	2	32	15	-
11.	गुजरात	29	1	165	95	-
12.	हरियाणा	187	-	-	108	-
13.	हिमाचल प्रदेश	12	-	-	75	-
14.	जम्मू और कश्मीर	4	13	1	41	-
15.	कर्नाटक	6	6	3615	-	2331
16.	केरल	-	1	86	2	-
17.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
18.	मध्यप्रदेश	373	22	1372	22	11
19.	महाराष्ट्र	81	150	7937	3862	11442
20.	मणिपुर	-	4	24620	-	-
21.	मेघालय	50	3	4261	13	-
22.	मिजोरम	3	7	272	-	-
23.	नागालैंड	-	5	11266	2	-
24.	उड़ीसा	4	1	339	-	-
25.	पांडिचेरी	-	-	1	-	-
26.	पंजाब	475	18	-	78	-

	1	2	3	4	5	6
27.	राजस्थान	775	141	1151	1538	-
28.	सिक्किम	-	-	-	?	-
29.	तमिलनाडु	329	110	3684	1	291
30.	त्रिपुरा	-	4	32	-	-
31.	उत्तर प्रदेश	139	50	3616	699	689
32.	पश्चिम बंगाल	2	11	5663	3	-

[अनुवाद]

खान सुरक्षा सम्मेलन

3378. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री हाराधन राय :

श्री तरित बरण तोपदार :

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवें खान सुरक्षा सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क). खानों में सुरक्षा संबंधी सातवां सम्मेलन नई दिल्ली में 19 व 20 दिसम्बर, 1988 को आयोजित किया गया था और इसमें खानों में सुरक्षा संबंधी 5वें और 6 ठे सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा की गई। सातवें सम्मेलन की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग). सिफारिशों को सम्मेलन के अंतिम पूर्ण अधिवेशन में अंगीकर किया गया और तत्पश्चात् आवश्यक कार्यान्वयन के लिए खनन कंपनियों में परिचालित किया गया। नई दिल्ली में 145 और 15 मई, 1993 को आयोजित 8वें सम्मेलन में कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा की गई।

विवरण

सातवें खान सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिशें

1.0 खानों में सुरक्षा संबंधी पांचवें तथा छठे सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा

1.1 प्रत्येक भूमिगत खानों के प्रबन्धक को छत, साइडों, पिछली वॉल तथा हैंगवॉल को सहारा देने के लिए ''सपोर्ट प्लान'' तैयार करना चाहिए। जहां भू-खनन परिस्थितियां प्रतिकूल हैं उनके बारे में सेन्ट्रल माइनिंग एण्ड डिजायन इन्स्टिट्यूट लि. (कोल इंडि. लि. की सहायक)/सी.एम. आर.एस. की राय प्राप्त करनी चाहिए। निम्नलिखित के बारे में ''सपोर्ट प्लान'' होना चाहिए :-

(क) वर्किंग फेसों के 9 मीटर की परिधि का कार्यकरण।

(ख) ट्रामों के लेबलों के साथ-साथ तथा विशेषकर लदान बिन्दुओं (स्थलों) के लिए।

(ग) ढुलाई सड़क मार्गों के साथ-साथ तथा विशेष रूप से जंक्शनों के लिए।

(घ) खान के अन्य किसी ऐसे स्थान/स्थानों जिसे कोल माइन्स रेगुलेशन, 1957 के विनियम 108 तथा मेटालिफिरॉस माइन्स रेगुलेशन, 1961 के विनियमन 112 के अन्तर्गत सहारा के लिए चुना गया हो।

ऐसे प्लान बनाते समय स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियां, संस्तर की भौतिक-यांत्रिक वस्तुओं, यांत्रिकीकरण सहित कार्य की रीति तथा पूर्ण अनुभव इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिए। गैर कोयला खानों के मामले में स्तर की प्रकृति जो कि अनेक मामले में विशाल होती है पर विचार किया जाना चाहिए।

प्लानों में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए : -

(क) सहारों के प्रकार जैसे सफारी, सपोर्ट, रूफ बोल्ट, फ्रीक्सन प्रोप, रिजीड ड्रॉप अथवा हाइड्रोलिक प्रोप इत्यादि।

(ख) टिम्बरमैनों, ड्रेसरों, सिरदारों, ओवरमैनो/फोरमैनों, सहायक प्रबन्धकों, सामान की आपूर्ति, सहारों के प्रतिष्ठापन तथा निकालने, उनके निरीक्षण तथा सहारों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने में लगे प्रबन्धकों और एजेन्टों के कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां।

''सपोर्ट प्लान'' को स्वीकृति हेतु महानिदेशक खान सुरक्षा के पास प्रस्तुत करना चाहिए।

विभिन्न एजेन्सियों के शामिल होने के कारण ऐसे प्लानों को तैयार करने में यदि कोई विलम्ब हो तो अंतरिम प्लान तैयार करने चाहिए और उन्हें शीघ्र प्रस्तुत करना चाहिए। लम्बित स्वीकृति तक उस प्लान को क्रियान्वित करना चाहिए।

किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर नियुक्त नहीं करना चाहिए जहां स्वीकृत 'सपोर्ट प्लान' के अनुसार सहायता (सहारा) प्राप्त ना हो।

1.2 सपोर्ट कार्य में लगे व्यक्तियों जैसे टिम्बरमैनों तथा ड्रेसरों इत्यादि को अनुभव प्राप्त तथा योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसे खान स्तर पर, विशेषतौर से एन सी एस एम द्वारा तिमाही अन्तराल पर कार्यशालायें आयोजित कर किया जा सकता है।

1.3 विलम्बित कार्य विष्फोटक-प्रेरक के उपयुक्त प्रकार तथा समुचित विस्फोटकों के बिना ठोस कोयला क्षेत्र में कोई विष्फोटक नहीं किया जाना चाहिए।

1.4 खान प्रबन्धनों को सभी संस्थापनाओं की जांच तथा पुनरीक्षा करनी चाहिए साथ ही साथ सुरक्षित दूरी बनाये रखनी चाहिए और खतरे को कम से कम करने के लिए अंतरिम अवधि में लिए जाने वाले सुरक्षा पूर्वोपायों सहित छः महीने के अन्दर संशोधन करने के लिए समय-बद्ध कार्रवाई योजना तैयार करनी चाहिए।

1.5 सभी स्थिर किए गये आंतरिक दहन इंजनों को फ्लेन एरिस्टरों तथा रिमोटकन्ट्रोल सहित एयर इन्टेक शट-ऑफ बॉल्व के साथ बंधा होना चाहिए। इनं सुरक्षा यंत्रों के बिना न तो कोई नया रिंग खरीदा जायेगा और न ही प्रतिस्थापित किया जायेगा। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा आइल इँडिया लि. ऐसे पुराने रिगों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा और ऐसे प्रत्येक रिग को जारी रखने के लिए छः माह के अन्दर स्पष्ट तौर पर छूट भी प्राप्त करेगा।

1.6 पिछले पांच साल में लगी आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन शुरू करना चाहिए। इस बारे में एक रिपोर्ट जिसमें किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों का उल्लेख हो छमाही रूप से खान सुरक्षा महानिदेशक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

1.7 खानों में पर्यावरणीय पैरा मीटरों की मानिटरिंग के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जानी चाहिएं। खान प्रबन्धन एवं महानिदेशालय खान सुरक्षा के मध्य आपसी विचार विमर्श द्वारा चुनी गयी सभी डिग्री-III गैसीय कोयला खानों में तथा सक्रीय भूमिगत आग वाली ऐसी खानों में अथवा उन खानों में जहां ताप की गम्भीर समस्याएं हैं उनमें एक वर्ष के भीतर सतत प्रकार की मानिटरिंग सुविधाएं सुस्थापित की जानी चाहिए।

1.8 भूमिगत खानों में नियोजित सभी कामगारों की आरम्भिक डाक्टरी जांच जून, 1989 तक पूरी हो जानी चाहिए। तत्पश्चात्, ऐसे कामगारों की कम से कम पांच वर्ष में एक बार आवधिक डाक्टरी जांच की जानी चाहिए।

1.9 सतह पर नियोजित और ड्रिलिंग लोडिंग और क्रशिंग तथा स्क्रीनिंग संयंत्रों में कार्यरत सभी कर्मकारों की आरंभिक चिकित्सा जांच जून 1989 से पूर्व हो जानी चाहिए। इसके बाद ऐसे सभी कर्मकारों की आवधिक चिकित्सा जांच, कम से कम 5 वर्षों में एक बार की जानी चाहिए।

1.10 तेल खानों के प्रबंधनों और खान सुरक्षा महा. के बीच विचार-विमर्श करके आवधिक चिकित्सा जांच के लिये अपेक्षित तेल खानों में नियोजित व्यक्तियों की श्रेणियों का पता लगाया जाना चाहिये।

1.11 खानों में अर्हता प्राप्त सर्वेक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये खनन कंपनियों को समुचित मात्रा में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना चाहिये।

1.12 खनन कंपनियों को खान सर्वेक्षकों के लिये एक उपयुक्त संवर्ग ढांचा तैयार करना चाहिये ताकि सर्वेक्षण कार्य में सक्षम एवं अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके।

1.13 यह स्वीकार किया गया है कि खानों को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के बाद नयी योजनाओं की तैयारी एक ऐसा कार्य है जो न केवल व्यापक है बल्कि इसकी प्रकृति भी बहुत जटिल है। खानों में तैनात सर्वेक्षक स्वतंत्र रूप से ऐसे सर्वेक्षण शुरू करने की स्थिति में नहीं होंगे। क्षेत्र स्तर पर अर्हता प्राप्त सर्वेक्षकों के एक दल की नियुक्ति की जानी चाहिये (जैसा कि सी.आई.एल. में है) जो कि खान सर्वेक्षकों के सहयोग से ऐसे सर्वेक्षण कर सके। विभिन्न खानों में खान योजनाओं की परिशुद्धता की जांच करने के क्रम में ऐसे दल को नियमित जांच सर्वेक्षण भी करना चाहिये।

1.14 खान सर्वेक्षकों के कौशल उन्नयन के लिये खान प्रबंधकों को विभिन्न संस्थानों से उपलब्ध विभिन्न विशेषज्ञ सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिये। प्रतिभागियों को समुचित प्रमाण पत्र देने के लिये इन संस्थानों में उपलब्ध लघु अवधि (3-6 महीने) ओर दीर्घ अवधि (6-12 महीने) के पाठ्यक्रमों के अंत में समुचित मूलयांकन पद्धति/जांच आयोजित की जानी चाहिए।

1.15 प्रत्येक कर्मकार विशेषकर पीस रेटेड लोडर को जब कभी भी उनके कार्य की प्रकृति में कोई परिर्वतन हो समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

1.16 खनन कंपनियों को खान में कार्यरत पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का स्पष्ट पता लगाना चाहिये। खान प्रबन्धनों को इस संबंध में एन.सी. एस. एम. द्वारा विकसित सैवाओं और विशेषज्ञता का प्रयोग करना चाहिये ताकि अगले कुछ वर्षों में वांछित परिणाम प्रापत करने के क्रम में खान प्रबंधनों के प्रयासों की अनुपूरित किया जा सके।

1.17 तेल खानों में प्रबंधन, कर्मकार प्रतिनिधियों और खनन सुरक्षा महानिदेशालय की त्रिपक्षीय बैठकें प्रत्येक छः महीने पर अवश्य आयोजित की जानी चाहिये जिसमें सुरक्षा निष्पादन और सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर कंपनी की नीति के कार्यान्वयन की प्रगति और इस सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिये। प्रबंधन, श्रमिकों और खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रतिनिधियों द्वारा इन बैठकों की अध्यक्षता बारी-बारी से करनी चाहिये।

1.18 दूरी, यंत्रीकरण, गैस की मात्रा और आग की समस्या के अनुसार प्राथमिकता प्रदान करते हुये भूमिगत खानों में अगले पांच वर्षों में दूर संचार पद्धति क्रमिक रूप से शुरू की जानी चाहिये।

1.19 धातुमय खनन कंपनियों में छः महीने के भीतर सभी स्तरों पर आंतरिक सुरक्षा संगठन को उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर देना चाहिये।

1.20 आंतरिक सुरक्षा संगठन का प्रमुख निदेशक (तक.) यदि कोई हो या महाप्रबंधक/मुख्य कार्यपालक के बाद का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिये।

1.21 खानों में कार्यस्थलों पर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिये।

1.22 जिन खानों में लम्बी अथवा श्रम साध्य दूरी तय करनी पड़ती है वहां कर्मकारों को लाने व ले जाने की व्यवसथा की जानी चाहिये।

2.0 ओपन कास्ट खान में सुरक्षा

2.1(क) प्रत्येक खान में प्रवर्तन हेतु हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (मशीनीकृत ओपकास्ट खान में प्रयोग की जाने वाली मशीनों की क्षमता/आकार के अनुरूप) के संचालन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक कंपनी को समुचित ''कोड ऑफ ट्रैफिक रूल्स'' बनाने चाहिए।

(ख) कोड ऑफ ट्रैफिक रूल्स पर विचार विमर्श, उनको तैयार करना और उनका अनुमोदन छः माह के भीतर होना चाहिए। प्रत्येक खान में 12 माह के भीतर कोड ऑफ ट्रैफिक रूल्स लागू हो जाने चाहिए।

2.2(क) स्टॉक पाइल्स पर टिपिंग, डम्प यार्डस, लोडिंग पाइन्टस पर ओवर बर्डन की डम्पिंग आदि में लगे व्यक्तियों की शारीरिक चोटों से रोकथाम हेतु, मशीनीकृत खान चलाने वाली प्रत्येक कंपनी को समुचित ''कोड ऑफ प्रैक्टिस'' बनाना चाहिए। ऐसे ''कोड ऑफ प्रैक्टिस'' को त्रिपक्षीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(ख) ''कोड ऑफ प्रैक्ट्स'' पर विचार विमर्श, उनको तैयार करना और उनका अनुमोदन छः माह की अवधि के भीतर होना चाहिए। प्रत्येक खान में 12 माह के भीतर यह कोड लागू हो जाना चाहिए।

2.3 प्रत्येक मशीनीकृत ओपन कास्ट खान के लिए प्रतयेक कंपनी को मशीनीकृत ओपनकास्ट खान में ढुलाई मार्गों का डिजाइन और उनका रखरखाव निश्चित करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में कम्पनी, खान सुरक्षा महानिदेशालय के साथ विचार विमर्श/सलाह मशविरा कर सकती है।

2.4 (क) प्रत्येक कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक खान के लिए हैवी अर्थ मूविंगमशीनरी के उचित रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल और प्रतिस्थापित करने हेतु योजना बनाई जाये और लागू की जाये। इस योजना के अंतर्गत मरम्मत शैड और वर्कशॉप जैसे स्थान शामिल किए जाने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हैवी अर्धमूविंग मशीनरी (एच ई एम एम) निर्माताओं से आवश्यक सहायता ली जानी चाहिए।

(ख) मरम्मत शेडों के उचित ले आऊट की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वहां चलने वाली हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के प्रति वहां कार्य करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

2.5 हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के चालक का केबिन उत्तम कोटि का बनाया जाना चाहिए और मजबूत होना चाहिए ताकि गर्मी, धूल, शोर आदि से चालक का समुचित बचाव सुनिश्चित हो सके और साथ ही हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के उलट जाने की अवस्था में चालक को समुचित सुरक्षा उपलब्ध हो सके। चालक की सुरक्षा के लिए एक सीट बैल्ट भी प्रदान की जानी चाहिए।

2.6 (क)प्रत्येक हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का चालक अपेक्षित योग्यता प्राप्त व्यक्तियों में से चुना

जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार की चालन/नियंत्रण कौशल, अभिरूचि, स्वास्थ्य और मौखिक परीक्षा की जांच एक सक्षम चयन समिति द्वारा की जानी चाहिए।

(ख) हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के सभी चालकों को आवधिक रूप से प्रत्येक पांच वर्ष में उनकी चालन/प्रचालन कौशल, जानकारी और स्वास्थ्य के बारे में नियमित परीक्षण करवाने चाहिए।

(ग) व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक कंपनी में उपयुक्त प्रशिक्षण/प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना चाहिए ताकि मशीनीकृत खानों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए केवल विधिवत् प्रशिक्षित प्रचालक ही सदैव उपलब्ध हों।

2.7 ओपेनकास्ट खानों में नियुक्त शॉट-फायररों/ब्लास्टरों, खनन सिरदारों/मैटों औवर मैनों/फोरमैनों द्वारा कानूनी रिपोर्टे लिखने के लिए एक अलग से प्रोफार्मा शीघ्र तैयार किया जाना चाहिए और उसका परिचालन किया जाना चाहिए।

2.8 ड्रैगलाइन वायर रोपों के निरीक्षण की रिपोर्ट लिखने के लिए एक प्रोफार्मा शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए।

2.9 एच ई एम एम सहित ओपेनकास्ट खानों के विभिन्न स्थलों पर आग के सम्बन्ध में एक कार्य संहिता तैयार की जानी चाहिए। सभी भारी भूतल संचालित मशीनरियों में अग्नि शमन की व्यवस्था की जानी चाहिए। आग लग जाने पर इन व्यवस्थाओं, यदि संम्भव है को स्वयं संचालित हो जाना चाहिए।

2.10 ओपेनकास्ट खानों के विभिन्न स्थलों पर प्रकाश की, जो कि विधि अनुसार निर्धारित मानदण्ड से कम न हो, की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए एवं उसे बनाए रखा जाए।

2.11 एच ई एम एम की ढांचागत मजबूती की एक स्वतंत्र विशेषज्ञ दल द्वारा आवधिक रूप से जांच की जानी चाहिए। एच ई एम एम के प्रत्येक प्रमुख मरम्मत के पश्चात ऐसी जांच नियमतः की जानी चाहिए।

3.0 ठेकागत श्रमिकों का नियोजन

3.1 इस विषय से सम्बन्धित दृष्टिकोण पत्र पर अधिक से अधिक छह माह की अवधि के भीतर प्रत्येक कम्पनी को त्रिपक्षीय समिति द्वारा ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों को दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों का पता लगाने के लिए विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

4.0 खनन उद्योग में व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं

4.1 यंत्रीकृत खानों में कार्य करने वाले प्रत्येक खनन कारखाने में एक व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा विभाग सृजित करने की आवश्यकता है।

4.2 व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं में पर्याप्त संख्या में तकनीकी कर्मी नियुक्त होने चाहिए, जिन्हें व्यावसायिक चिकित्सा, औद्योगिक स्वच्छता, श्रम दक्षता शास्त्र, व्यावसायिक स्वास्थ्य और

नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त हों। उन्हें, जहां तक सम्भव हो, अपने कर्त्तव्य के निष्पादन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की अद्यतन प्रगति की जानकारी रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्मिक होने चाहिए। निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उचित प्रकार के उपकरण एवं यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4.3 व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे : -

(i) कार्य स्थल पर स्वास्थ्य जोखिम से उत्पन्न जोखिम का पता लगाना और उसका मूल्यांकन करना ;

(ii) कामकाजी वातावरण एवं कार्य व्यवस्था के कारकों, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करें, की निगरानी ;

(iii) कार्य से सम्बन्धित श्रमिकों के स्वास्थ्य की निगरानी ;

(iv) स्वच्छता, सफाई, स्वस्थता और स्वास्थ्य देख-रेख के सम्बन्ध में श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करना ;

(v) व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता तथा श्रम दक्षता शास्त्र के क्षेत्रों में सूचना, प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करना ;

(vi) खानों में प्रथमोपचार का संघटन जिसमें प्रथमोपचार करने वालों का प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण शामिल है ;

(vii) संबंधित कंपनी की खानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं औद्योगिक स्वच्छता पर एक तिमाही स्थिति रिपोर्ट तैयार करना। तिमाही रिपोर्ट में स्वास्थ्य परीक्षा, अधिसूचनीय बीमारी, प्रथमोपचार की स्थिति, वायु-वाहित धूल, शोर, तापमान, कार्य-स्थलों में वायु एवं स्वच्छता की मात्रा के लिये सर्वेक्षणों के परिणामों के बारे में सूचना शामिल होनी चाहिए।

(viii) प्रत्येक कर्मकार के स्वास्थ्य परीक्षा की रिपोर्ट नियमित रूप से रखी जानी चाहिए और आवधिक स्वास्थ्य परीक्षा का रिकार्ड व्यवस्थित ढंग से रखा जाना चाहिए। आंकड़े रखने और उनकी पुनः प्राप्ति के लिये कम्प्यूटर की अनुप्रयोज्यता वांछनीय होगी ; और

(xi) व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता, प्रथमोपचार और श्रम दक्षता शास्त्र के संबंध में प्रबंधन को सलाह देना।

4.4 व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी होगा।

4.5 व्यावसायिक स्वास्थ्य चिकित्सक सुरक्षा समिति का सदस्य होना चाहिए जिसमें वह कर्मकारों की स्वास्थ्य शिक्षा के लिए योगदान दे सके।

4.6 (i) प्रत्येक मशीनीकृत खान का प्रबंधन व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञों के परामर्श से निम्नलिखित के लिए एक योजना तैयार करेगा ;

(क) उन कार्यों और कार्यकलापों की पहचान करना जिनमें कार्य के दौरान ऐसे कारण मौजूद हैं अथवा उत्पन्न हो सकते हैं जो कार्य करते समय व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए जोखिमकारी हों।

(ख) उन विभिन्न कारकों के स्तरों अथवा मूल्यों की मानीटरिंग जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

(ग) अनुमेय सीमाओं के भीतर स्तरों/मूल्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक विभिन्न नियंत्रण उपायों को निर्दिष्ट करना।

(घ) स्वास्थ्य निगरानी।

(ङ) स्वास्थ्य शिक्षा।

(च) प्रथमोचार प्रशिक्षण।

(ii) उपर्युक्त योजना में मानीटरिंग के लिये प्रयोग किये जाने वाले यंत्रों के प्रकार, अवलोकनों/जांचों की बारम्बारता, प्रशिक्षण/शिक्षा का प्रकार, आंकड़ों, की रिकार्डिंग, और इस योजना के कार्यान्वयन के लिये विभिन्न व्यक्तियों के दायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किये जाने चाहिए।

4.7 प्रत्येक खान के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि : -

(i) सभी खान कर्मकारों को प्रथमोपचार के संबंध में प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ii) प्रथमोपचार प्रमाणपत्रों के धारकों को दो वर्ष में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(iii) बचाव के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों ने प्रथमोपचार के संबंध में प्रवीणता के उच्चतम मानक अर्जित किये हैं।

(iv) एबुलेंस वाहन आपात काल में आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों, दवाइयों और उपकरणों से सुसज्जित है।

4.8 उन छोटी मशीनकृत खानों के संबंध में जो अधिकांश गैर-कोयला क्षेत्र में कार्यरत हैं, एक छोटे संगठन के लिये व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में एक विशेष विभाग का गठन किया जाना व्यवहार्य नहीं है। ऐसी छोटी खानों के लिये यह सुझाव दिया जाता है कि छोटी खानों के आपरेटरों की एसोसिएशन व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये सामान्य सुविधाओं और अवसंरचना का सृजन करे। विशेषरूप से ऐसी सुविधा का सृजन एस्बेस्टस, मैगनीज तथा अभ्रक खानों के लिये आवश्यक है। व्यावसायिक

स्वास्थ्य सेवाओं के लिये सुविधाओं के सृजन के साथ-साथ स्वच्छ पेय जल, बढ़िया स्वच्छता, जल निकास तथा मनोरंजन संबंधी सुविधाओं जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करके सुनियोजित आवास कालोनियों का प्रावधान करके खनन उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाना भी आवश्यक है।

बाल श्रम कानून

3379. श्री चित्त बसु : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल श्रम कानून सामाजिक बुराईयों को कम करने के बदले उसे वैधता प्रदान कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस की समीक्षा करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए.संगमा) : (क). जी नहीं।

(ख) और (ग) तथापि, सरकार ने बाल श्रम कानूनों की पुनरीक्षा की है और इनके प्रवर्तन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की जमा राशि

3380. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री एस. एन. वेकारिया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम की भारी धनराशि गत अनेक वर्षों से बैंकों में बिना किसी उपयोग के पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस धनराशि के उपयोग हेतु किए जाने वाले ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). कर्मचारी राज्य बीमा निधि की कुछ राशि, योजना के अन्तर्गत व्ययों को चुकता करने के लिए जिसकी तत्काल अपेक्षा नहीं होती है, सावधि जमा के रूप में बैंकों में, तथा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार विशेष जमा के रूप में केन्द्रीय सरकार के पास निवेशित कर दी जाती है। स्वीकृत आकस्मिकताओं, चिकित्सा देख-रेख की बढ़ी हुई लागत आदि के व्यय को पूरा करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा पर्याप्त मात्रा में जमापूंजी रखी जाना आवश्यक है। अस्पताल के भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव करने, स्थायी (आंशिक और पूर्ण) विकलांगता लाभ, आश्रितों को लाभ

आदि जैसी विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए उपलब्ध अन्य निधियों के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य सुरक्षित निधि में 1089.72 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने यह भी निर्णय लिया है कि नगद लाभों की वर्तमान दर में वृद्धि की जाए और राज्य सरकारों के बिना किसी अंशदान के इसकी अपनी निधि से दिल्लो, बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास में विशिष्ट उपचार प्रदान करने के लिए व्यावसायिक बीमारियों से संबंधित 4 केन्द्र स्थापित किए जाएं।

[अनुवाद]

वायुदूत का इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय

3381. श्री पी. कुमारासामी :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत का इंडियन एयरलाइंस में विलय करने के संबंध के लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस बारे में विलम्ब के क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). वायुदूत की अलग न्यायिक सत्ता समाप्त करने के लिए कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त पोषण

3382. श्री ग्राभाणी मंगाजी ठाकुर :

श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने गुजरात और मध्य प्रदेश में मकानों की मरम्मत और उनके निर्माण हेतु अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों, आवास वित्त कम्पनियों और राज्य स्तर की शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त समितियों द्वारा ऋण वितरण के लिए इनका पुनर्वित्त पोषण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो 1993-94 में अब तक तत्संबंधी संस्थावार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). राष्ट्रीय आवास बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को उनके द्वारा संवितरित पात्र आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त प्रदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आवास बैंक राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों (एस आर एच डी) में भी अभिदान करता हैं पुनर्वित्त व्यक्तिगत हिताधिकारियों को बड़ी मरम्मतों और उन्नयन के सहित आवास ऋणों के लिए और विभिन्न एजेंसियों द्वारा शुरू की गई भूमि विकास और आश्रय परियोजनाओं के लिए

परियोजना ऋणों के संबंध में प्रदान किया जाता है। 1993-94 के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में विभिन्न एजेंसियों द्वारा शुरू की गई भूमि विकास और आश्रय परियोजनाओं के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया गया विशिष्ट संवितरण नीचे दिया गया है : -

राज्य	(लाख रुपए में)
गुजरात	15
मध्य प्रदेश	1067

1993-94 (जुलाई-जून) के दौरान फरवरी 1994 के अंत तक राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत किए गए संस्थावार संवितरण निम्नानुसार थे :

संस्थाएं	(करोड़ रुपए में)
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	17.88
सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं	23.70
आवास वित्त कंपनियां	142.26

राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों और एन्कलेवों का विस्तार और नवीकरण

3383. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

श्री धर्मण्णा मोंड्यया सादुल :

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीर सागर :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

श्री धर्मभिक्षम :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से असैनिक हवाई अड्डों और असैनिक एन्कलेवों के विस्तार और नवीकरण के लिए प्रस्ताव प्रापत हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 और 1993-94 के दौरान अब तक प्राप्त प्रस्ताव का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक हवाई अड्डे पर कार्य पूरा करने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं : -

1. हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, शिमला और गग्गल हवाई अड्डों के धावनपथ का विस्तार,

2. पंजाब में लुधियाना हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार और

3. केरल में कालीकट हवाई अड्डे के धानवपथ का विस्तार।

(ग) और (घ). शिमला, कुल्लू, गग्गल और लुधियाना हवाई अड्डों के धावनपथ का विस्तार व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

कालीकट के सम्बन्ध में केरल के मुख्य मंत्री और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक में यह निर्णय किया गया है कि हवाई अड्डे पर विशालकाय विमानों के प्रचालन हेतु धावनपथ के विस्तार के लिये अपेक्षित संसाधनों की पूर्ति अनिवासी भारतीयों सहित जनता से अंशदान द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा गठित सोसाइटी संसाधनों को जुटाने और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अग्रिम धन राशि देने की जिम्मेदारी वहन करेगी जिसकी वापस अदायगी हवाई अड्डे द्वारा अर्जित आय में से की जाएगी। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस परियोजना को केवल उस स्थिति में ही शुरू कर सकेगा जब उक्त सोसायटी द्वारा पर्याप्त निधियों की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जायेगी।

वस्त्रों का निर्यात

3384. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 जनवरी, 1994 तक की स्थिति के अनुसार क्रमशः रुपये और डालर के रूप में कितने मूल्य के विभिन्न वस्त्र उत्पादों का निर्यात किया गया ;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वस्त्र निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस संबंध में वर्षवार उपलब्धि क्या रही हैं; और

(ग) उक्त प्रारूप के कार्यान्वयन के बाद देश के वस्त्र उत्पादों के निर्यात की क्या सम्भावना रहेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान विभिन्न वस्त्र उत्पादों के निर्यात के मूल्य 19623.67 करोड़ रुपये मूल्य के हुए जोकि 6256.69 मि. अमरीकी डालर के बराबर है।

(ख) पहले दो वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा तदनुरूपी उपलब्धियां नीचे दिखाई गई हैं : -

(आंकड़े मि. अमरीकी डालर में)

(अनन्तिम)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	6349	6586.61
1993-94 (जनवरी, 94 तक)	7400	6256.69

आठवीं पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि के लिए लक्ष्य उचित समय पर निर्धारित किए जाएंगे।

(ग) सरकार का विचार है कि वस्त्र क्षेत्र का गाट में एकीकरण करने से हमारे वस्त्र तथा क्लोदिंग उत्पादों के निर्यात पर सार्थक प्रभाव पड़ेगा।

बैंकों में "सिंगल विन्डो" योजना

3385. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए विभिन्न बैंकों में "सिंगल विन्डो" योजना कार्यान्वित की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उक्त योजना को कब तक शुरू करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). सरकार द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 1991 को घोषित लघु, अति लघु एवं ग्रामीण उद्यमों का संवर्धन करने एवं उन्हें मजबूत बनाने के नीतिगत उपायों के अनुसार, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से भी अपनी एकल खिड़की योजना को सारणिबद्ध किया है। प्रारंभ में यह योजना केवल राज्य वित्त निगमों और दोहरा कार्य करने वाले राज्य औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से परिचालित की जाती थी। एकल खिड़की योजना के अंतर्गत, नए अति लघु एवं लघु एककों को सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहायता एक ही एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है। इस समय, 20 लाख रुपए तक की परियोजना लागत वाले और 10 लाख रुपए तक की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं वाले लघु उद्योग एकक इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एकल खिड़की योजना सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से परिचालित की जाती है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

बैंकों में लूटपाट/डकैतियां

3386. श्री दिलीप भाई संघाणी :

श्री हरिलाल ननजी पटेल :

श्री बीर सिंह महतो :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक, राज्यवार, लूटपाट/डकैतियों के कितने मामले हुए हैं और इनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है ;

(ख) इन लूटपाट/डकैतियों में मारे गए अथवा घायल हुए बैंक कर्मचारियों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों के आश्रितों को पर्याप्त वित्तीय सहायता अथवा रोजगार दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या उपचारी कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशी बैंक

3387. श्री सुदर्शन राय चौधरी :

श्री चितेन्द्र नाथ दास :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कारोबार कर रहे विदेशी बैंकों को अचल भू-संपदा खरीदने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देश और शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या विदेशी बैंकों द्वारा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विदेशी बैंकों को अपने उपयोग के लिए ही भारत में अचल संपत्ति अर्जित करने की अनुमति दी जाती है। संपत्ति का यह अर्जन या तो उनके कारबार के लिए होता है या अपने कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिए होता है। विदेशी बैंक अचल संपत्ति को किराये पर देने या किराये से आय अर्जित करने के लिये उसे अर्जित नहीं कर सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[हिन्दी]

बकाया ऋण

3388. श्री नीतिश कुमार :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1994 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित समाचार ''फेवर्स टू फारेन बैंक्स क्रिटिसाइज्ड'' शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा मंजूर किए गए कुल ऋण की राशि में से कितना ऋण अब भी बकाया है और कितनी राशि बड़े औद्योगिक घरानों पर बकाया है ;

(घ) क्या सरकार ने इन बड़े औद्योगिक घरानों के बकाया ऋण की वसूली के लिए कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). सन्दर्भाधीन समाचार को देखा गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1993 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) सबसे बड़े 20 औद्योगिक घरानों को मंजूर की गई ऋण सीमाओं के बदले कुल बकाया राशि 7387 करोड़ रुपये थी।

(घ) और (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों को अवरुद्ध अग्रिमों के संबंध में अपनी गंभीर चिंता से अवगत कराता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अतिदेय अग्रिमों और अवरुद्ध अग्रिमों की संख्या को कम करने के लिये अपनी कार्य योजना में विशेष लक्ष्य निर्धारित करने का भी सुझाव दिया है। इस सन्दर्भ में जहां की भी संभव हो, बैंकों से लम्बी मुकदमें बाजी के बजाय उपयुक्त शर्तों पर समझौता सहित संभव व्यावहारिक कार्रवाई करने को कहा गया है।

[अनुवाद]

विमानों का रखरखाव और मरम्मत

3389. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में विमान के मरम्मत और रखरखाव के लिये क्या-क्या सुविधाएं हैं ;

(ख) क्या वर्तमान सुविधाएं बढ़ती मागों के लिए पर्याप्त हैं ;

(ग) क्या इन सुविधाओं को इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया अथवा किसी निजी एयरलाइंस, द्वारा बढ़ाया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इसकी स्थापना कब तक और कहां-कहां की जाएगी तथा इसमें कितना निवेश किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत और पवनहंस लि. के पास उनके विमानों के रखरखाव और ओवरहाल के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। देश के अंदर विभिन्न हवाई टैक्सी प्रचालकों के पास उपलब्ध रखरखाव सुविधाएं नीचे दिए अनुसार हैं : -

(1) ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के पास जांच "सी" तक की रखरखाव सुविधाएं हैं,

(2) दमानिया एयरवेज के पास 1500 घंटों तक की जांच,

(3) जेट एयरवेज के पास 1200 घंटों तक की जांच,

(4) एम.जी. एक्सप्रैस के पास 5 महीनों तक की जांच,

(5) राज एअर के पास 250 घंटों तक की जांच,

(6) जैगसन एयरलाइन्स के पास 100 घंटों तक की जांच की, और

(7) अर्चना एयरवेज के पास 300 घंटों तक की जांच।

(ख) से (ङ). मै. एअर वर्क्स इंडिया, बंबई ने अपनी रखरखाव सुविधाओं का उन्नयन किया है जिससे हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा प्रचालित विमानों के रखरखाव में ग्रस्त अतिरिक्त कार्य को किया जा सके। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि., बंगलौर हवाई टैक्सी प्रचालकों के लिए उनके विमानों के प्रमुख अनुरक्षण कार्य के हेतु, हैंगर सुविधाएं और अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

एयरबस ए-320 विमान के लिए वर्तमान रखरखाव/ओवरहाल सुविधाओं का इंडियन एयरलाइंस द्वारा चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली में, वी-2500 इंजिनों के ओवर हाल के लिए ऐड आन सुविधा भी निर्माणाधीन है।

अट्टारी और मुम्बई में अप्रवास और सीमा शुल्क प्राधिकारी

3390. श्री राम विलास पासवान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अट्टारी और मुम्बई में अप्रवास और सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पाकिस्तानी गुप्तचरों से घूस लेने और उन्हें जांच चौकियों पर पास देने के संबंध में रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा अप्रवास और सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। तथापि, उल्लिखित तथ्यों से सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा किसी हानिकारक कार्रवाई के किए जाने का कोई संकेत मिलता प्रतीत नहीं होता है। रिपोर्ट के संबंध में और आगे ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) गृह मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकार को मामले की जांच करने तथा गलती करने वाले अप्रवासी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय

3391. डा. लाल बहादुर रावल :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का उनके मूल वेतन में विलय किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रस्ताव स्थगित करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) महंगाई भत्ते के एक भाग को महंगाई वेतन मानने से संबंधित मामला राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) के सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर पहले ही तय हो चुका है तथा 16.9.93 को अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में मृत्यु-व-निवृत्ति उपदान की गणना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन के 20 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन मानने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में और कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चावल के लिये नये निर्यात बाजार

3392. डा.के.डी. जेस्वाणी :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान बासमती, गैर-बासमती तथा सुपर फाइन किस्म के चावलों की कितनी मात्रा निर्यात की गई तथा किन-किन देशों ने इन चावलों का आयात किया ;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ग) क्या सरकार ने बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में कुछ उपाय किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 1994-95 के दौरान चावल के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ;

(ङ) क्या सरकार को विदेशों में चावल के नये बाजारों जैसे जापान तथा कोरिया में किस किस्म का चावल चाहिए तथा वहां क्रय प्रणाली कैसी है का पता लगाने हेतु बाजार का सर्वेक्षण करने के लिए कोई अनुरोध मिला है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है, और

(छ) इन देशों में किस प्रकार के चावलों का निर्यात किया जायेगा तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकेगी ?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बासमती चावल और गैर-बासमती चावल/सुपर फाइन गैर-बासमती चावल की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है : -

(मात्रा मी. टन में)

मूल्य मिलियन यू.एस. डालर में)

	बासमती चावल		गैर-बासमती/सुपरफाइन गैर बासमती चावल	
वर्ष	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1990-91	191309	152.57	313720	0104.68
1991-92	266528	202.5	411935	104.01
1992-93	338004	274.1	268976	61.42

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. कलकत्ता।

प्रमुख बाजार हैं - कुवैत, सऊदी अरब अमीरात, यू.के., कैमरून, मलेशिया और श्रीलंका आदि।

(ग) सरकार ने बासमती चावल की न्यूनतम निर्यात कीमत समाप्त कर दी है और सुपर फाईन गैर-बासमती चावल की न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी.) 225 यू.एस. डालर प्रति मी. टन से घटाकर 200 यू.एस. डालर प्रति मी. टन कर दी है।

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान इन उपायों के फलस्वरूप निर्यात में वृद्धि की मात्रा को बताना इस समय सम्भव नहीं।

(ङ) और (च) जापान में असामान्य रूप से कम फसल के कारण जापान द्वारा अन्य देशों से काफी बड़ी मात्रा में चावल का आयात किए जाने की सम्भावना है और आल इंडिया राईस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह जापान के बाजार का सर्वेक्षण करने के लिए वहां के दौरे पर आने वाले शिष्ट मण्डल को सहायता प्रदान करे। यह देखा गया कि जापान मुख्य रूप से जापोनिक किस्मों के चावल का ही आयात करता रहा है। वास्तव में भारत में उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व की पहाड़ियों पर छोटे स्तर के स्थानीय उत्पादन को छोड़कर जापोनिका चावल का उत्पादन नहीं होता है। तथापि, सरकार ने जापान से अनुरोध किया है कि वह दीर्घावधि आधार पर तथा आपातकाल में भारत से चावल का आयात करने पर विचार करे। भारत ने जापान से भारत में एक दल भेजने के लिए भी अनुरोध किया है। भारतीय निर्यातकों का एक शिष्टमण्डल भी शीघ्र ही जापान का दौरान करेगा। सरकार को कोरिया या अन्य देशों में बाजार सर्वेक्षण करने से संबंधित किसी अनुरोध के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(छ) उक्त देशों को चावल के संभावित निर्यात तथा उससे अर्जित होनेवाली विदेशी मुद्रा के संबंध में अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

3393. श्री नुरुल इस्लाम :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

श्री एस.एम. लालजान बाशाः

श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

श्री कृपासिंधु भोई :

श्री गुरूदास कामत :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारत पर्यटन विकास निगम के कितने होटल हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों ने अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया है और 1993-94 में लाभ अर्जित किया है ;

(ग) यदि हां, तो होटल-वार कुल कितना लाभ अर्जित किया गया एवं उक्त अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का समग्र कार्य-निष्पादन कैसा रहा ;

(घ) क्या सरकार का विचार भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के पुनर्गठन हेतु अपनी योजना की समीक्षा करने का है क्योंकि अब ये लाभ अर्जित कर रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या सरकार भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का निजीकरण करने पर भी पुनः विचार कर रही है;

(छ) क्या सरकार का विचार भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी क्षेत्र में पट्टे पर देने का है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(च) से (ज) भारत पर्यटन विकास निगम की लाभकारिता में किस प्रकार वृद्धि हो सकती है - इस विषय पर सतत विचार किया जाता है। भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का निजीकरण करने के लिए कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

इस समय देश में भारत पर्यटन विकास निगम अपने स्वामित्व में 26 होटल चला रहा है। वर्ष 1993-94 (जनवरी, 1994 तक) के दौरान, इनकी अवस्थिति और कार्य निष्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : -

क्र.सं.	होटल का नाम	अवस्थिति	1993-94 के दौरान (जनवरी, 94 तक) अनुमानित निवल लाभ/ हानि (रुपये लाखों में)
1.	आगरा अशोक	आगरा (उ.प्र.)	(-) 17.91
2.	एअरपोर्ट अशोक कलकत्ता	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	(-) 82.99
3.	अशोक बंगलौर	बंगलौर (कर्नाटक)	11.26
4.	अशोक, नई दिल्ली	नई दिल्ली	161.84
5.	अशोक यात्री निवास	नई दिल्ली	(-) 25.61
6.	औरंगाबाद अशोक	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	(-) 12.54
7.	बोधगया अशोक	बोधगया (बिहार)	(-) 2.28
8.	हसन अशोक	हसन (कर्नाटक)	4.35
9.	जयपुर अशोक	जयपुर (राजस्थान)	(-) 10.03

10.	जम्मू अशोक	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	(-) 15.69
11.	जनपथ होटल	नई दिल्ली	53.20
12.	कलिंग अशोक	भुवनेश्वर (उड़ीसा)	(-) 32.69
13.	कनिष्क होटल	नई दिल्ली	201.17
14.	खजुराहो अशोक	खजुराहो (मध्य प्रदेश)	(-) 5.73
15.	कोवलम अशोक बीच रिजार्ट	कोबलम (केरल)	29.99
16.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	मैसूर (कर्नाटक)	55.06
17.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल उदयपुर	उदयपुर (राजस्थान)	60.95
18.	लोदी होटल	नई दिल्ली	49.16
19.	मदुरै अशोक	मदुरै (तमिलनाडु)	(-) 3.77
20.	मनाली अशोक	मनाली (हिमाचल प्रदेश)	4.12
21.	पाट्लीपुत्र अशोक पटना	पटना (बिहार)	(-) 13.79
22.	कुतुब होटल	नई दिल्ली	34.86
23.	रणजीत होटल	नई दिल्ली	(-) 89.33
24.	सम्राट होटल	नई दिल्ली	(-) 33.29
25.	टेम्पल बे अशोक बीच रिजार्ट मामल्लापुरम	मामल्लापुरम (तमिलनाडु)	(-) 0.19
6.	वाराणसी अशोक	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	(-) 19.69
		जोड़ :	300.43

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों ने वर्ष 1993-94 के दौरान अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया है क्योंकि इन होटलों को वर्ष 1992-93 (अप्रैल 92 से जनवरी, 93 तक) के दौरान 542.83 लाख रुपये की हानि हुई थी। जबकि वर्ष 1993-94 (अप्रैल, 93 से जनवरी 94 तक) के दौरान 300.43 लाख रुपये का लाभ हुआ है।

अप्रैल, 93 से जनवरी, 94 की अवधि में अन्य प्रभागों का कार्य निष्पादन निम्नानुसार था : -

प्रभाग का नाम	अनुमानित लाभ
रेस्तरां प्रभाग	9.11 लाख रुपए
अशोक ट्रैवल एण्ड टूअर्स प्रभाग	58.22 लाख रुपए
शुल्क मुक्त व्यवसाय प्रभाग	1037.82 लाख रुपए
ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन, लाल किला	1.96 लाख रुपए

विदेशी इक्विटी

3394. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनन, जहाजरानी और कृषि क्षेत्र में इक्यावन प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों और औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्रालय (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प मेले

3395. श्री जंगबीर सिंह : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार प्रतिवर्ष कितने हस्तशिल्प मेले आयोजित कर रही है ;

(ख) उसमें भाग लेने वाले दस्तकारों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं ;

(ग) इसकी कुल आय को आयोजकों और दस्तकारों में किस प्रकार वितरित किया जाता है ; और

(घ) दस्तकारों और आयोजकों ने इनसे कितना लाभ अर्जित किया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) :

विवरण

(क) और (ख) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले हस्तशिल्प मेलों की संख्या लगभग 50 है। इसके अलावा, यह कार्यालय 4 राष्ट्रीय स्तर के मेलों में भी भाग लेता है।

इन मेलों में भाग लेने वाले कारीगरों अर्थात शिल्पकारों के चयन के लिए मानदण्ड निम्न प्रकार हैं : -

(1) चयन प्राय हस्तशिल्प एककों और शिल्पकारों के क्षेत्र सर्वेक्षण के पश्चात विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों द्वारा रखे गए पंजीयन रजिस्टर के आधार पर किया जाता है।

(2) ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए केवल वास्तविक शिल्पकारों का ही चयन किया जाता है।

(3) सामान्यतः शिल्पकारों का चयन आवर्तन आधार पर किया जाता है ताकि उन्हीं शिल्पकारों का ही पुनः चयन न किया जा सके।

(4) पुरस्कार विजेता शिल्पकारों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) तथा (घ) सरकार द्वारा आयोजित सभी हस्तशिल्प कार्यक्रम विकासशील किस्म के होते हैं और इनमें भाग लेने वाले शिल्पकार स्वयं ही अपने उत्पाद के लिए नियम बनाते हैं और बिक्री की समग्र आमदनी उनको मिलती है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा भाग लेने वाले शिल्पकारों का यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता तथा परिवहन शुल्क वहन किया जाता है। अतः सरकार द्वारा किसी प्रकार की आमदनी अथवा लाभ अर्जित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण

3396. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान बिहार में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कितना ऋण मंजूर तथा वितरित किया गया ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को यह ऋण राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध एवं नियमों के तहत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों को ऋण

3397. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश के कितने लघु उद्योग एककों को ऋण दिया गया ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलबध एवं नियमों के तहत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समाचारपत्र उद्योग को अखबारी कागज का आंबटन

3398. श्री मुमताज अंसारी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचार-पत्र उद्योग ने देशी अखबारी कागज कारखानों से आबंटित अखबारी कागज को प्रापत कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या समाचार-पत्र उद्योग द्वारा माल न उठाने के कारण राज्य व्यापार निगम के पास स्तरीय और चिकने अखबारी कागज का भारी भंडार जमा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा किए गए अखबारी कागज के सरणीकृत आयातों में से 4.3.1994 की स्थिति के अनुसार न उठाए गए स्लेण्ड और स्टैंडर्ड अखबारी कागज का स्टाक 1121 मी. टन था। जैसा कि एस.टी.सी. ने सूचित किया है, उसने निविदा के जरिए स्टाक पहले ही बेच दिया है और क्रेतागण स्टाक को उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों के लिए धनराशि

3399. श्री छीतूभाई गामीत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कपड़ा निगम की मिलों और सहायक मिलों के बजट आबंटन में भारी कटौती की है ;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों ने अपने वित्त और कामकाज की व्यवस्था कैसे की हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की किसी मिल ने श्रम नीति की समीक्षा की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या घाटे में चल रहे एककों के घाटे की भरपाई के लिए अथवा उन्हें बन्द कर दिए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). एन टी सी के नकदी घाटों की प्रतिपूर्ति और द्रव्यता। कार्यशील पूंजी की मांग के लिए बजटीय प्रावधान को वर्ष 1992-93 में 154.80 करोड़ रुपये से घटाकर वर्ष 1993-94 में 132 करोड़ रुपये और 1994-95 में 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। एन टी सी (धारक कम्पनी) ने इन निधियों को अपने सहायक निगमों को आवश्यक कच्ची सामग्री की खरीददारी तथा मजदूरी आदि के भुगतान करने हेतु उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण की थी।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय वस्त्र निगम में खर्चीले तथा गैर-अर्थक्षम क्रियाकलापों को समाप्त करने के उद्देश्य से उसका पुनर्निर्माण करने के कारण फालतू हो गए कामगारों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की पेशकश की गई है। सामान्य सेवा निवृत्ति के लाभों के अलावा इस योजना में सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 1-1½ माह की परिलब्धियों के बराबर की अनुग्रह राशि अथवा सेवानिवृत्ति के समय की परिलब्धियों को सेवा-निवृत्ति की सामान्य आयु तक शेष बचे माह की सेवा से गुणा करके प्राप्त राशि के बराबर की राशि इनमें से जो भी कम हो, के भुगतान का प्रावधान है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का लाभ उठाने वाले एन टी सी के कामगारों को प्रशिक्षण देने तथा पुनः तैनात करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपये की धनराशि से पुनर्वासन निधि की स्थापना भी की गई है। ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिनसे सुव्यवस्थित किए गए कामगार विद्युतकरघा/रीलिंग एकक स्थापित करने

में सक्षम हो सकें। इन योजनाओं की पूंजीगत लागत से 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन तभी प्रदान किया जाता है जबकि करघे/रीलिंग एकक 6 महीनों के लिए सफलतापूर्वक चल जाएं। इसका उद्देश्य उद्यम को अधिक लाभप्रद बनाना है।

(ङ) और (च) ऐसी आशा थी कि सर्वांगीण सुधार नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से एन टी सी 3 वर्षों के भीतर लाभार्जन की स्थिति में आ जाएगी।

भविष्य निधि में भुगतान न किया जाना

3400. श्री एस.बी. थोरात : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि का भुगतान न करने वालों की संख्या कितनी है और राज्यवार कितनी राशि बकाया है ;

(ख) क्या इन वर्षों में यह समस्या गम्भीर हो गई है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इस प्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए इस समस्या पर विचार करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु किसी समिति का गठन किया है ;

(घ) यदि हां, तो समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा उस पर की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियों की समस्या गम्भीर नहीं हुई है। तथापि, बकाया राशियों में होने वाली वृद्धि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए चिन्ता का विषय है। पिछले तीन वर्षों के दौरान (राज्यवार) बकाया राशियों की स्थिति और 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार चूक-कर्ताओं की संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) श्रम मंत्रालय से सम्बद्ध संसद की परामर्शदात्री समिति की एक उप समिति कर्मचारी भविष्य निधि बकाया राशि से सम्बन्धित समस्याओं की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

विवरण

राज्य	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपये में)			31.3.1993 की स्थिति के अनुसार चूक कर्ताओं की संख्या
	1990-91	1991-92	1992-93	
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	5.48	7.25	9.89	793
बिहार	17.52	8.89	7.48	1120

दिल्ली	2.66	2.45	3.82	275
गुजरात	4.94	6.81	4.37	585
हरियाणा	7.42	6.63	7.11	327
कर्नाटक	3.63	3.56	3.70	330
केरल	3.61	3.19	3.56	145
मध्य प्रदेश	14.09	13.95	18.93	662
महाराष्ट्र	17.02	21.78	23.97	887
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1.13	1.24	1.72	277
उड़ीसा	4.19	5.12	4.72	468
पंजाब	1.40	1.27	6.88	1081
राजस्थान	2.29	4.83	2.66	420
तमिलनाडु	10.37	8.67	8.35	1296
उत्तर प्रदेश	17.64	9.25	19.21	1011
पश्चिम बंगाल	114.67	124.55	141.04	1223
जोड़ :	228.06	229.44	267.41	10900

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के पेंशनभोगी

3401. श्री एन. डेनिस : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारत में भारतीयों को दी जाने वाली पेंशन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : विदेशों से भारत को भेजा गया धन भारत में प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से आता है।

राष्ट्रीय त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति

3402. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग संबंधी राष्ट्रीय त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति ने सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के श्रमिकों और प्रबन्धन से अपने को अर्थक्षम बनाने के प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्य समिति को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). भारी उद्योग विभाग से प्राप्त निम्नलिखित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित प्रस्तावों को इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति की 4-2-94 और 14-2-94 को आयोजित बैठकों में उनके समक्ष रखा गया था ;

(1) माइनिंग और एलाइड मशीनरी कारपोरेशन

(2) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

(3) साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(4) नागालैण्ड पल्प और पेपर कार्पोरेशन

(5) मान्ड्या नेशनल पेपर मिल

(6) स्कूटर इण्डिया लिमिटेड

(7) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

(8) भारत आप्थॅल्मिक ग्लास लिमिटेड

(9) भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल लि.,

(10) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.

(11) टेनरी एण्ड फूटवियर कार्पोरेशन

(12) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि.

(13) वेबर्ड इण्डिया लि.

(14) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी और

(15) टायर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

नरसिंह समिति की रिपोर्ट

3403. श्री विजय नवल पाटील :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय सुधारों संबंधी नरसिंहम समिति द्वारा विशेषतः बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन के बारे में की गई मुख्य सिफारिशों से संबधित सिफारिश वार वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इन सिफारिशों पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों / संघों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या अंतरिम समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) कौन-कौन से प्रमुख मुद्दे अभी तक सुलझाये नहीं गये हैं; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ङ). नरसिंहम समिति की अधिकांश सिफारिशों के कार्यान्वयन सम्बन्धी जिसमें सांविधक चलनिधि अनुपात (एस.एल.आर.) और नकदी प्रारक्षिति निधि अनुपात (सी.आर.आर.) में कटौती करना ब्याज दर ढांचे का सरलीकरण करना, पूंजी पर्याप्तता, आय की पहचान और प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित मानदंड निर्धारित करना, बेहतर स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए तुलन पत्र तथा लाभ-हानि फार्मेटों में संशोधन करना, शाखा लाइसेंसिंग/शाखा बंद करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में संशोधन करना, कप्यूटरीकरण के माध्यम से तकनीकी आधार पर आधुनिकीकरण करना, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश के लिए मार्गनिर्देश जारी करना, पूंजी बाजार के उदारीकरण को लक्ष्य करते हुए उपाय करना, एसईबीआई को सांविधिक शक्तियां प्रदान करना, कर रियायतों के क्षेत्र में विभिन्न म्यूचुअल निधियों के साथ समान व्यवहार करना आदि शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में नयी पूंजी जारी करने, विशेष वसूली अधिकरण स्थापित करने और भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड स्थापित करने से संबंधित सिफारिशों को भी स्वीकार किया गया है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों में कमी करके उन्हें 10 प्रतिशत करना और राष्ट्र व्यापी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि की स्थापना से संबंधित की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं।

समिति की जो मुख्य सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं उनमें आय कर अधिनियम के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कटौती के संबंध में किए गए विशिष्ट प्रावधानों, बैंकों में अधिकारियों की भर्ती का विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण ऋण का ढांचा शामिल है। इन सिफारिशों को चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा हैं।

बैंकिंक प्रणाली के पुनर्गठन के संबंध में, समिति ने एक विस्तृत पैटर्न की सिफारिश की थी, और यह सिफारिश की गई थी कि संशोधित प्रणाली की ओर गतिशीलता बाजारोन्मुख होनी चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए समिति की सिफारिशों के संबंध में, कई वैकल्पिक नमूनों पर विचार करने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके तुलन पत्रों को "स्वतः सक्षम" आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है। 1994-95 के दौरान व्यापक पुनर्गठन करने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लिया जाएगा और इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त अनुभवों से बाद के वर्षों में अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रत्यक्ष ऋण कार्यों का अधिग्रहण करने के लिए एक अलग वित्तीय संस्था निगमित करके भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रत्यक्ष ऋण कार्यों का अधिग्रहण करने के लिए एक अलग वित्तीय संस्था निगमित करके भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को एक कंपनी के रूप में पुनर्गठित करने से संबंधित समिति की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं। अलबत्ता, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया है और समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की इक्विटी धारिता को इस कंपनी में कम कर दिया गया है।

(ख) समिति की कुछ सिफारिशों का बैंक कर्मचारियों (कर्मकार और अधिकारियों) के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। अलबत्ता, उन्होंने कथित निजीकरण/नए गैर-सरकारी बैंकों के प्रवेश, शाखाओं को बंद करने, राष्ट्रीयकृत बैंकों को जनता से शेयर पूंजी जुटाने के लिए समर्थ बनाने, नौकरी की सुरक्षा आदि के संबंध में चिंता व्यक्त की है।

सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात

3404. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित योजना क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). सरकार ने अभी तक वर्ष 1994-95 की अवधि के लिए सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। चालू वर्ष के दौरान निर्यात निष्पादन की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के बाद लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

एशियन एयरोस्पेस एयर शो

3405. प्रो. एम. कामसन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर में हाल ही में सातवें एशियन एयरोस्पेस एयर शो का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या भारत ने इस शो में भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो इससे किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). एअर शो सिंगापुर में 22 फरवरी से 27 फरवरी, 1994 को हुआ था। इस आयोजन से विश्व के विमानन, अंतरिक्ष, विमानपत्तन उपस्कर और अन्य संबंधित उद्योगों के अपने उत्पादों और सेवाओं के प्रदर्शन का अवसर मिलता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात आयात नीति में परिवर्तन

3406. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान सार्वजनिक सूचनाओं और अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्यात-आयात नीति में बार-बार परिवर्तन या संशोधन किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अप्रैल, 1993 में घोषित निर्यातोन्मुख एककों की योजना के अन्तर्गत बागवानी, रेशम उत्पादन, मत्स्यपालन, पुष्पोत्पादन, कुक्कुट पालन, पशुपालन और कम्प्यूटर साफ्टवेयर के क्षेत्रों से सम्बद्ध एककों को भी शुल्क-मुक्त आयात के लाभ दिए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस योजना को पूर्णतः कार्यान्वित कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). निर्यात आयात नीति/क्रियाविधि की समीक्षा एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है और जब भी सार्वजनिक हित में आवश्यक समझा जाता है, इसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) निर्यात अभिमुख एकक योजना के अन्तर्गत आने वाली सभी एकक अन्य बातों के साथ साथ आयातों के लाभ के पात्र हैं। तथापि, मत्स्यकी और कृषि निर्यात के क्षेत्र में कुछेक संचालनात्मक ब्यौरे राजस्व विभाग के साथ परामर्श करके तैयार किए जाते हैं क्योंकि ये एकक सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली वास्तविक बोडिंग के लिए जवाबदेही नहीं है।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद

3407. प्रो. के.वी. थामस : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोचीन में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का कार्यालय खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र राज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) सरकार को कोचीन में अपरैल निर्यात संवर्धन परिषद का कार्यालय खोलने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) अपरैल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

प्रशांत महासागरीय देशों के साथ व्यापार

3408. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी :

श्री आर्ज फर्नान्डीज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अन्य प्रशांत महासागरीय देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख). सरकार का निरन्तर प्रयास यह रहा है कि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंण्ड और अन्य प्रशान्त देशों के साथ व्यापार बढ़ाया जाए। इस क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, आदि देशों के साथ संयुक्त व्यापार समितियों जैसे संस्थागत प्रबन्ध स्थापित हैं। इसके अलावा, आस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग बना हुआ है। आस्ट्रेलिया के साथ गठित संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की पिछली बैठक दिनांक 4.2.1994 को सिडनी में हुई जबकि न्यूजीलैण्ड के साथ गठित हमारी संयुक्त व्यापार समिति की पिछली बैठक माह जून, 1992 में दिल्ली में हुई थी। इन बैठकों में व्यापार, पूंजीनिवेश और आर्थिक सहयोग के बारे में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए नियमित सम्पर्क को सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा, आस्ट्रेलिया न्यूजीलैण्ड आदि देशों के साथ संयुक्त व्यापार परिषदें गठित हैं जो द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की संभावना का पता लगाने हेतु व्यापारियों के लिए एक कारगर मंच प्रदान करने के वास्ते नियमित रूप से बैठकें करते रहते हैं। इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार शिष्टमंडलों का नियमित आदान-प्रदान भी होता रहता है और परस्पर हित के व्यापार मेलों में सहभागिता भी होती रहती है।

[हिन्दी]

जनता साड़ियों और जनता कपड़े का उत्पादन

3409. श्री लाल बाबू राय :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार जनता साड़ियों और जनता कपड़े के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और क्या उपलब्धि रही ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान जनता कपड़े के उत्पादन में कमी आई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने अन्य वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) जनता कपड़े का उत्पादन मांग के अनुरूप किया जाता है।

(घ) पावरलूम की स्थापना के लिए सरकार की नीति में संशोधन करके और सुलभ बनाया गया है। चूंकि पावरलूम में उत्पादन विकेंद्रीकृत रूप से होता है इसलिए पावरलूम से उत्पादित कपड़ा सस्ता होता है तथा कम आय वर्ग की कपड़े की अधिकांश आवश्यकता पावरलूम क्षेत्र द्वारा पूरी की जाती है जो प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है।

विवरण

हथकरघा क्षेत्र में 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धि

(आंकड़े मिलियन वर्ग मीटर)

		1990-91		1991-92		1992-93	
क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	65.00	59.26	52.00*	55.09	52.00	49.95
2.	असम	33.00	41.36	30.00	31.08	35.00	34.44
3.	बिहार	42.16	12.00	24.00	11.64	21.50	12.69
4.	गुजरात	15.40	12.33	13.00	7.61	13.00	2.72
5.	हरियाणा	1.00	0.01	0.50	0.003	0.50	-
6.	हिमाचल प्रदेश	1.00	-	0.50	-	0.50	-
7.	जम्मू व कश्मीर	2.20	0.08	1.00	0.72	0.50	0.22
8.	कर्नाटक	40.00	40.25	33.00	32.35	33.00	33.79
9.	केरल	3.00	0.17	1.50	0.04	0.50	-
10.	मध्य प्रदेश	20.00	16.42	18.00	17.63	18.00	15.82
11.	महाराष्ट्र	64.34	34.43	40.00	37.84	34.50	26.69
12.	मनीपुर	1.40	0.02	0.50	0.01	0.50	-
13.	उड़ीसा	33.00	31.62	27.00	26.74	30.00	17.17
14.	पंजाब	2.00	0.50	2.00	1.73	1.50	1.89
15.	राजस्थान	10.00	9.44	9.00	9.01	9.50	3.42
16.	तमिलनाडु	65.00	30.77	45.00	31.62	40.00	33.96
17.	त्रिपुरा	4.00	3.73	2.50	3.59	4.00	2.94
18.	उत्तर प्रदेश	132.00	119.14	100.00	97.82	100.00	82.05
19.	पं.बंगाल	65.00	65.69	50.00	38.16	45.00	10.68
20.	पांडिचेरी+	0.50	0.03	0.50	0.002	0.50	-
	कुल :	600.00	477.15	450.00	402.685	450.00$	328.03

* आंध्र प्रदेश को 5 मिलियन वर्गमीटर का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया।

\+ पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने वर्ष 1992-93 के दौरान जनता कपड़े का उत्पादन बंद कर दिया है।

$ 10 मिलियन वर्गमीटर को आरक्षित रखा गया।

[अनुवाद]

ओम्बड्समैन नियुक्ति

3410. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने एक ''ओम्बड्समैन'' की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में ''औम्बड्समैन की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पास लघु उद्योग एककों की कितनी शिकायतें लम्बित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारतीय स्टेट बैंक में अब तक कोई ओम्बड्समैन नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) बैंकों में ओम्बड्समैन प्रकारक जैसे शिकायत निवारक तंत्र को लागू करने का एक प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है। अलबत्ता, अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार लघु उद्योग की कोई शिकायत उसके पास लम्बित नहीं है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार उनके पास लघु उद्योग की 7 शिकायतें लम्बित हैं।

[हिन्दी]

पूंजीगत माल का आयात

3411. श्री राजबीर सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ''यूरो इक्विटी'' के माध्यम से विदेशी मुद्रा जुटा कर पूंजीगत माल का आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). यूरो बाजार में पहुंच वाली भारतीय कम्पनियों में यूरो इश्यू की प्राप्तियों का विभिन्न उद्देश्यों से उपयोग किया, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजीगत माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करना शामिल है।

[अनुवाद]

उड़ीसा को धनराशि

3412. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1994-95 में राज्य की अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दो हजार पचास करोड़ रुपये का आबंटन करने के लिए सरकार से विशेष अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य की अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार की ओर से 2050 करोड़ रुपये का आबंटन करने का कोई अनुरोध अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि यह उल्लेख किया जाता है कि राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक योजना 1994-95 के लिए 250 करोड़ रुपये के मध्यम अवधि ऋण पर विचार करने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया था। 4.3.1994 को योजना आयोग ने राज्य सरकार को इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाने की सलाह दी थी। किन्तु अभी तक वित्त मंत्रालय को इस प्रकार का कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है और न ही वित्त मंत्रालय ने इससे पहले राज्यों को ऐसे ऋणों के लिए अपनी सहमति दी थी।

विमानपत्तनों का दर्जा बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों के समान करना

3413. श्री रामकृष्ण कोंताला :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद विमानपत्तन का दर्जा बढ़ा कर अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के बराबर करने पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) उक्त पत्तन का दर्जा बढ़ाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(घ) क्या सरकार का विचार, कुछ और अधिक अंतर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन, विशेषतः आगरा में बनाने का है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). हैदराबाद हवाई अड्डे के उन्नयन की अनुमानित लागत 54.77 करोड़ रुपए है। इस संबंध में अब तक 30.10 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। निर्माण कार्यों के मार्च, 1995 तक पूरा होने की आशा है।

(घ) से (च). वर्तमान में, अंतरराष्ट्रीय यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा त्रिवेन्द्रम में स्थित मौजूदा पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर्याप्त समझे जाते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की इक्विटी

3414. श्री राम कापसे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये सिरे से इक्विटी जुटाने के लिए पूंजीबाजार में प्रवेश हेतु कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुमति देने संबंधी कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों को इक्विटी जुटाने की अनुमति दी गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग). सरकार ने निर्णय लिया है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसा करने की स्थिति में हैं, उन्हें अपनी पूंजी आवश्यकताओं की कमी को पूरा करने के लिए नई इक्विटी जुटाने हेतु पूंजी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 21 दिसम्बर, 1993 को बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) संशोधन विधेयक, 1993 लोक सभा में पेश किया गया है। प्रस्तावित संशोधनों से राष्ट्रीयकृत बैंक शेयरों के सार्वजनिक निर्गम द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से अपनी चुकता पूंजी में वृद्धि कर सकेंगे लेकिन शर्त यह होगी कि केन्द्रीय सरकार को कम से कम 51 प्रतिशत चुकता पूंजी सदैव अपने पास रखेगी। राष्ट्रीकृत बैंकों को उपर्युक्त विधेयक अधिनियमित किए जाने के बाद ही पूंजी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।

[हिन्दी]

राजस्थान को सहायता

3415. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान से देय विद्युत शुल्क राशि की कटौती राज्य को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता से करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में राजस्थान सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ,और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) जैसे एन.टी.पी.सी., आर.ई.सी., वी.एच.ई.एल. और एन.पी.सी. की विवाध बकाया राशियों को राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के प्रति राज्य सरकार को देय योजनागत सहायता में से काटने के भारत सरकार के एकतरफा फैसले के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है।

(ङ) समायोजन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संबंधित मंत्रालयों द्वारा सूचित की गई अविवाध बकाया राशियों के आधार पर, 4 समान वार्षिक किश्तों में किया जा रहा है। अगर राज्य सरकार इन बकाया राशियों का विरोध करती है तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ इनका निपटारा करे।

विवरण

राजस्थान सरकार के लिए केन्द्रीय सहायता में से राजस्थान

राज्य विद्युत बोर्ड की बकाया राशियों का समायोजन

(करोड़ रु.)

उपक्रम/मंत्रालय का नाम	कुल बकाया राशियां	निम्नलिखित वर्षों के दौरान समायोजित की गई राशि			
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
	31.5.90 की स्थिति के अनुसार				
एन.टी.पी.सी.	132.00	33.00	33.00	33.00	33.00
बी.एच.ई.एल	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सी.आई.एल.	10.69	2.67	2.67	2.67	2.68
	1.6.90 से 31.5.92 के बीच उपार्जित				
एन.पी.सी.	167.88	-	-	41.97	41.97
आर.ई.सी.	0.74	-	-	0.18	0.18
रेलवे	2.64	-	-	0.66	0.66
गृह मंत्रालय	0.22	-	-	0.06	0.06

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा उद्योग को बढ़ावा देना

3416. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). जी हां । जीवन बीमा और साधारण बीमा उद्योग दोनों ने ही ग्रामीण क्षेत्रों में रेडिया और अखबारों जैसे जनसम्पर्क के माध्यम से और सिनेमा स्लाइडों, पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के माध्यम से अपने

उत्पादों को कारगर ढंग से प्रचारित करके अपने बीमा कारोबार को और अधिक बढ़ाने तथा - लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने संगठनात्मक आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया नया कारोबार वित्तीय वर्ष 1990-91 में 36.75 लाख पालिसियों के अन्तर्गत 10294.55 करोड़ रुपए की बीमाकृत राशि से बढ़कर वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान 44.39 लाख पालिसियों को शामिल करते हुए 14085.03 करोड़ रुपए हो गया था। आसाधाण बीमा उद्योग के मामले में ग्रामीण बीमा प्रीमियम आय 1989-90 में 95.57 करोड़ रुपए से बढ़कर 1992-93 में 111.24 करोड़ रुपए हो गयी थी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के बीड़ी मजदूरों के लिए क्षय-रोग अस्पताल

3417. श्री जायनल अबेदिन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में धुलिया के बीड़ी मजदूरों के लिए 50 बिस्तरों के एक क्षय रोग अस्पताल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) 20 प्रतिशत सिविल कार्य और 90 प्रतिशत बाऊंडरी दिवार पूरी की जा चुकी है तथा स्टाफ क्वाटरों के निर्माण हेतु कार्य सौंपा जा चुका है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुमान के अनुसार सभी कार्य दिसम्बर, 1995 तक पूरे किये जाने के लिए नियत किए गए हैं।

कृषि क्षेत्र को ऋण

3418. श्री प्रताप राव बी. भोंसले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों से कम से कम अपने कुल जमा का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को प्रदान करना होता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल जमा राशि में से कृषि क्षेत्र को कितना ऋण दिया गया और उसमें कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा था ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के तत्संबंधी दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन हो, क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार सभी भारतीय अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंकों को कुल ऋणों का कम से कम 18 प्रतिशत कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त के रूप में उधार देना आवश्यक था। अलबत्ता, अक्तूबर, 1993 से 18 प्रतिशत के लक्ष्य का परिकलन करने के प्रयोजन से कृषि अग्रिमों की "प्रत्यक्ष" एवं "अप्रत्यक्ष" श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले ऋणों को एक साथ मिला दिया गया है। सितम्बर 1991, 1992 और 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल बैंक ऋणों, कुल बकाया राशियों और कुल ऋणों की तुलना में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है : -

(करोड़ रुपए में)

को समाप्त वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया कुल ऋण	कृषि (बकाया प्रत्यक्ष अग्रिम)	कुल बकाया कृषि अग्रिम	2 की तुलना में 3 की प्रतिशतता	2 की तुलना में 4 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
सितम्बर, 1991	1,03,137	16,063	17,316	15.6	16.8
सितम्बर, 1992	1,17,632	17,384	18,636	14.8	16.0
सितम्बर, 1993	1,30,719	18,564	20,111	14.2	15.4

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने लक्ष्य की प्राप्ति में कमी को समय-समय पर बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 21.10.93 के परिपत्र के तहत बैंकों से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयत्न करने को कहा है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकों के असफल रहने पर बैंक विशिष्ट नीतिगत उपाय किए जाएंगे जिसमें प्रारक्षित निधि की आवश्यकताओं में वृद्धि करना या पुनर्वित्त सुविधाओं को वापस लेना या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथावश्यक समझे जाने वाले इस प्रकार के अन्य उपाय शामिल किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

3419. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

डा. चिन्ता मोहन :

श्री नीतिश कुमार :

डा. लाल बहादुर रावल :

कुमारी फ्रिडा तोपनों :

डा. असीम बाला :

डा. के.डी. जेस्वाणी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 तक भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति क्या थी ;

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान सरकार द्वारा संस्था और देश-वार कुल कितनी धनराशि का ऋण लिया ;

(ग) किन-किन परियोजनाओं के लिए इस ऋण से नियतन किया गया और प्रत्येक परियोजना को कितनी धनराशि प्रदान की गई ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उन संस्थाओं को ऋण सेवा अदायगी की कितनी धनराशि दी गई ;

(ङ) इन ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या समयबद्ध नीति बनाई गई है ; और

(च) सरकार द्वारा विदेशी ऋण के भार को कम करने एवं देश की आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश पर रक्षा ऋण और अनिवासी भारतीय जमा राशियों सहित बकाया कुल विदेशी ऋण सितम्बर, 1993 के अंत तक 90.386 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) बकाया विदेशी ऋण पर ऋण की अदायगी की राशि 1992-93 ओर 1993-94 के दौरान क्रमशः 8.2 बिलियन अमरीकी डालर और 8.5 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(ङ) और (च). विदेशी ऋण की वापसी अदायगी प्रत्येक ऋण की शर्तों के अनुसार देय तारीखों पर जाती है। सरकार ने राजस्व प्राप्तियों में सुधार लाने, अनावश्यक और कम प्राथमिकता वाले खर्चों को विलुप्त करने, निर्यातों में तेजी लाने, अदृश्य आयों को बढ़ाने, कारगर आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने, विदेशी निधियों के गैरे-ऋण सृजनकारी अन्तःप्रवाह को बढ़ाने और व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार ली गई निधियों पर निर्भरता को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। दीर्घावधि में इन उपायों से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और हमारी निर्यात अर्जन क्षमता सहित विकास की प्रक्रिया का पुनरुद्धार होगा जिससे अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक पर्याप्त निधियों को सृजित करने, ऋणों की वापसी अदायगी करने और उधार ली गई निधियों पर निर्भरता को घटाने की हमारी क्षमता में वृद्धि होगी।

विवरण

क्रम सं.	देश/संख्या	परियोजना का नाम	ऋण की राशि (मिलियन में)	
1	2	3	4	
	1992-93			
1.	औद्योगिक विकास संघ	सामाजिक सुरक्षा तन्त्र	अमरीकी डालर	500
2.	तदैव	बिहार पठार विकास परियोजना	अमरीकी डालर	117
3.	तदैव	नवीकरणीय संसाधन विकास परियोजना	अमरीकी डालर	115
4.	तदैव	द्वितीय राष्ट्रीय राज-मार्ग परियोजना	अमरीकी डालर	153
5.	तदैव	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना	अमरीकी डालर	84
6.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	विद्युत ग्रिड प्रणाली विकास परियोजना	अमरीकी डालर	350
7.	तदैव	तमिलनाडु अखबारी कागज और कागज नवीकरणीय संसाधन	अमरीकी डालर	75
8.	तदैव	द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत परियोजना	अमरीकी डालर	350
9.	तदैव	द्वितीय राष्ट्रीय राज-मार्ग परियोजना	अमरीकी डालर	153
10.	एशियाई विकास बैंक	द्वितीय रेलवे परियोजना	अमरीकी डालर	225
11.	तदैव	विद्युत दक्षता परियोजना	अमरीकी डालर	250
12.	तदैव	वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम	अमरीकी डालर	300
13.	तदैव	कोयला, पत्तन परियोजना के अन्तर्गत तकनीकी सहायता	अमरीकी डालर	285

1	2	3	4	
14.	आस्ट्रेलिया	भूमिगत जल की खोज और प्रबंधन-किस्त-I	अमरीकी डालर	4.992
15.	तदैव	भूमिगत जल की खोज और प्रबंधन-किस्त-II	अमरीकी डालर	8.097
16.	बेल्जियम	पूंजीगत वस्तु	बे. फ्रैंक	250
17.	जर्मनी	उत्थापक सिंचाई परियोजना	ड्यूश मार्क	55
18.	जर्मनी	संरचनात्मक समायोजन	ड्यूश मार्क	45
19.	जर्मनी	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	ड्यूश मार्क	25
20.	जर्मनी	यूरान गैस टर्बाइन का विस्तार	ड्यूश मार्क	112
21.	जर्मनी	राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण	ड्यूश मार्क	260
22.	जर्मनी	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	ड्यूश मार्क	25
23.	जर्मनी	भा. औ. ऋण और नि. निगम	ड्यूश मार्क	29.6
24.	जापान	अनपारा "बी" तापीय विद्युत स्टेशन परियोजना	येन	13224
25.	जापान	हाइड्रो-कार्बन क्षेत्र	येन	33085
26.	जापान	यमुना कार्रवाई योजना परियोजना	येन	17773
27.	जापान	श्रीसैलम विद्युत सम्प्रेषण प्रणाली	येन	3806
28.	जापान	गांधार गैस आधारित मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना	येन	19538
29.	जापान	उद्योग मंडल अमोनिया संयंत्र प्रतिस्थापन परियोजना	येन	24482

1	2	3	4	
30.	जापान	एक्जिम-बैंक-ई एस ए एल-		
		250 मि. अ. डालर	येन	26500
	1993-94			
31.	औद्योगिक विकास संघ	उ.प्र. सोडीप भूमि सुधार		
		परियोजना	अमरीकी डालर	54.700
32.	औद्योगिक विकास संघ	झरिया खान अग्नि		
		नियंत्रण परियोजना	अमरीकी डालर	12
33.	औद्योगिक विकास संघ	उ.प्र. प्राथमिक शिक्षा		
		परियोजना	अमरीकी डालर	165
34.	तदैव	कर्नाटक ग्रामीण जल पूर्ति	अमरीकी डालर	92
35.	तदैव	रबड़ परियोजना	अमरीकी डालर	92
36.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण			
	और विकास बैंक	विदेशी क्षेत्र और निवेश	अमरीकी डालर	300
37.	तदैव	विद्युत विकास परियोजना		
		के लिए तकनीकी सहायता	अमरीकी डालर	20
38.	तदैव	विद्युत उत्पादन परियोजना	अमरीकी डालर	400
39.	फ्रांस	कोयले की तकनीकी व्यवहार्यता		
		पर अध्ययन	फ्रां. फ्रांक	560
40.	फ्रांस	कोयले की तकनीकी व्यवहार्यता		
		पर अध्ययन (परियोजना-		
		भिन्न)	फ्रां. फ्रांक	1.2
41.	एशियाई विकास बैंक	गैस-प्रदीपन कटौती		
		परियोजना	अमरीकी डालर	300
42.	एशियाई विकास बैंक	ऊर्जा संरक्षण परियोजना	अमरीकी डालर	147
43.	जापान	अनपारा "बी" तापीय		
		विद्युत चरण - V	येन	17638

1	2	3	4	
44.	जापान	बकरेश्वर तापीय विद्युत परियोजना	येन	27069
45.	जापान	फरीदाबाद तापीय विद्युत स्टेशन परियोजना	येन	25536
46.	जापान	नैनी परियोजना के समीप यमुना नदी पर पुल	येन	10037
47.	जापान	राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लाइनों वाला बनाना	येन	11360
48.	जापान	एस.आई.डी.बी.आई-VI	येन	30000
49.	जर्मनी	उर्वरक क्षेत्र परियोजना-II	ड्यूश मार्क	60
50.	जर्मनी	एस.आई.डी.बी. आई	ड्यूश मार्क	20
51.	जर्मनी	एन.एल.सी.-III	ड्यूश मार्क	12
52.	जर्मनी	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	ड्यूश मार्क	25

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पर्यटन समन्वय समिति

3420. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय पर्यटन समन्वय समिति का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका गठन कब तक किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : (क) से (ग). पर्यटन और नागर विमानन मंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति गठित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कुवैत को श्रमिक भेजना

3421. श्री राम बदन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध की समाप्ति के पश्चात् कितने मजदूर कुवैत भेजे गए ; और

(ख) 1994 में कितने मजदूरों को कुवैत भेजे जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). खाड़ी युद्ध के पश्चात् कुवैत में रोजगार के लिए उत्प्रवास संरक्षियों के कार्यालयों द्वारा 62 हजार से अधिक कर्मकारों को अनुमति प्रदान की गयी है। वर्ष 1994 के दौरान इनकी संख्या में वृद्धि होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यात संवर्धन प्रस्ताव को मंजूरी

3422. डा.डी. वेंकटेश्वरराव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन, विदेश व्यापार, विदेशी सहायता से संयुक्त उद्यम और विदेशी निवेशों के प्रस्ताव जिन्हें सरकार मंजूरी दिया करती थी अब भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपने पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में अथवा मुख्य रूप से निर्यात क्रियाकलापों तथा निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप विदेशी प्रौद्योगिकी करारों में संलग्न व्यापारिक कंपनियों में इक्विटी के 51 प्रतिशत तक भारत में पूंजी निवेश से संबंधित प्रस्तावों पर पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीधे ही विचार किया जाता है। जहां तक विदेशी उद्यमों में भारतीय निवेश का संबंध है, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे प्रस्तावों की मंजूरी भी भारतीय रिजर्व बैंक ही प्रदान करे।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंक

3423. श्री एन.जे. राठवा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं खोली गई हैं ;

(ख) क्या इन बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अनेक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद खाली पड़े हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात्, 1991, 1992 और 1993 में गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की खोली गई शाखाओं की कुल संख्या नीचे दी गई है : -

वर्ष	खोली गई शाखाओं की संख्या
1991	2
1992	25
1993	19

(ख) और (ग). सूचना के अनुसार 1.4.1993 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लिपिकीय, अधीनस्थ और सफाई कर्मचारियों की श्रेणियों में (गुजरात राज्य के संबंध में बकाया संबंधी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।) अखिल भारतीय पिछला बकाया नीचे दिया गया है : -

संवर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
लिपिकीय	738	588
अधीनस्थ स्टाफ	287	494
सफाई कर्मचारी	26	114

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने और उन मामलों में जिनमें वर्तमान पिछला बकाया है वहां रिक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण पिछला बकाया हुआ है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम नीचे दिए गए हैं : -

1. 1989, 1990 और 1992 के दौरान विशेष भर्ती अभियान चलाए गए और काफी पिछला बकाया पूरा किया गया। 1993-94 के चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि उपलब्ध रिक्त स्थानों की सीमा तक पिछला बकाया पूरा किया जा सके।
2. प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा विस्तृत प्रोफार्मा के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और उनके प्रतिनिधित्व की समीक्षा की जा रही है और सरकार को स्थिति की सूचना भेजी जा रही है।
3. बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों/रोजगार कार्यालयों के पास बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मांगपत्र के संशोधित फार्मेट के बारे में बैंकों को सूचित कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि

- नयी भर्ती के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करते समय कुल पिछले बकाया को भी गणना में शामिल किया जा सके।

4. बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सभी बैंक भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दे रहे हैं।

5. अनुसूचित जनजाति बहल वाले क्षेत्रों के निकट परीक्षा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं और

6. बैंकों से कहा गया है कि वे अपने एस सी /एस टी कक्षों में काम कर रहे कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करें ताकि आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में उन्हें पूरी तरह से जागरूक बनाया जा सके।

[अनुवाद]

बचत योजना के एजेंटों से संबंधित अधिनिर्णय का कार्यान्वयन

3424. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बचत योजनाओं के एजेंटों के संबंध में 1988 में हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को कार्यान्वित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं :

(घ) कब तक उसे कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. अबरार अहमद) : (क) यह मंत्रालय अल्प बचत एजेंटों से संबंधित प्रश्न में उल्लिखित फैसले से अवगत नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पर्वतीय क्षेत्रों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पर्यटन नीति

3425. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी आयोजना विशेषज्ञों ने पर्वतीय क्षेत्रों के संरक्षण हेतु किसी राष्ट्रीय पर्यटन नीति का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). पर्यावरणीय संरक्षण के विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन का विकास करते समय पर्यावरण और पारिस्थितिकी संरक्षण को ध्यान में रखा जाए। सरकार, पर्यटन के हानि रहित विकास की नीति के अन्तर्गत इस सिद्धांत का अनुसरण करती रही है।

[हिन्दी]

हीरे तथा स्वर्ण आभूषणों का निर्यात

3426. डा. साक्षीजी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष हीरे तथा स्वर्ण आभूषणों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) उक्त निर्यात में उत्तर प्रदेश की कितनी भागीदारी रही ; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यातकों को उक्त आभूषण बनाने हेतु कितने मूल्य का कच्चा माल दिया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान हीरे एवं स्वर्ण आभूषणों का निर्यात क्रमशः 8316.15 करोड़ रुपए एवं 844.04 करोड़ रुपए था।

(ख) निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) रत्न एवं आभूषण के निर्यातकों को शुल्क सहित कच्चे माल के आयात की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 1992-93 के दौरान अपरिष्कृत हीरे एवं स्वर्ण छड़ों का क्रमशः 6768.32 करोड़ रुपए एवं 502.94 करोड़ रुपये का आयात किया गया।

[अनुवाद]

तम्बाकू के संबंध में विधानों का रिकार्ड

3427. प्रो. उमारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड तम्बाकू का उत्पादन करने वाले अन्य देशों द्वारा लागू किये गये विभिन्न विधानों और प्रतिबंधों का रिकार्ड रख रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाई जा रही प्रणाली का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार के अन्य अंगों को ऐसी जानकारी का रिकार्ड उपलब्ध कराया जाता है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). इस प्रकार के मामलों के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए तम्बाकू बोर्ड विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और अन्य संगठनों से सम्पर्क बनाए हुए है। तम्बाकू बोर्ड यह जानकारी सरकार और अन्य इच्छुक संगठनों को प्रदान करता है।

इन्टरनेशनल "एयर कारगो"

3428. श्री सुधीर सावंत : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्तरराष्ट्रीय "एयर कारगो" के संबंध में "ओपन स्काई" नीति अपनाई गई है ;

(ख) इस नीति के अपनाए जाने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय "एयर कारगो" में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) किस एयरलाइन का भारत में तथा भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय एयर कारगो के संबंध में सबसे अधिक अंशदान रहा ; और

(घ) सरकार का भारत में तथा भारत से बाहर एयर इंडिया की एअर कारगो वाहक के रूप में पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी हां। भारत से गैर-अनुसूचित कार्गो वहन में 1991-92 में 69.9 प्रतिशत और 1992-93 में 57.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) भारत से गैर-अनुसूचित कार्गो के वहन में सबसे बड़ा हिस्सा लुफ्थानसा का है। भारत में आने वाले कार्गो के भार की सूचना का रख-रखाव करना अपेक्षित नहीं है।

(घ) देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त हवाई कार्गो क्षमता की व्यवस्था करने के लिए ओपन स्काई नीति अपनाई गई है। एअर इंडिया भी भारत/अमरीका/भारत और बंगलौर-ज्यूरिख और कलकत्ता ज्यूरिख सैक्टरों पर मालवाही सेवाओं के प्रचालन से अपनी मार्केट हिस्सेदारी में सुधार करने का प्रयास कर रहा है।

हथकरघा वस्त्रों का निर्यात

3429. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने दिसम्बर, 1993 के दौरान दक्षिण अमरीकी देशों को 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दौरे के क्या निष्कर्ष रहे ; और

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए हथकरघा वस्त्रों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने नवम्बर-दिसम्बर, 1993 के दौरान अर्जेनटीना, ब्राजील तथा मैक्सीको में 5 निर्यातकों तथा एक अधिकारी वाला एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डल को भेजा था। इस प्रतिनिधिमण्डल के दौरे से नए बाजार प्रवेश पाने के अतिरिक्त अच्छा कारोबार पैदा हुआ है।

(ग) सूती हथकरघा फैब्रिक्स तथा मेड-अप्स के संबंध में वर्ष 1994-95 के लिए निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

3430. श्री महेन्द्रकुमार सिंह ठाकुर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). जी, हां। वाणिज्यिक बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ताकि पता लगाए गए हिताधिकारियों को उनके आर्थिक उत्थान के लिए अर्थक्षम योजनाओं में लगाया जा सकें।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए, ये प्रश्न पैदा नहीं होते।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स का नया किराया ढांचा

3431. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने कुछ क्षेत्रों में किराया कम करके नया किराया ढांचा लागू किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नया किराया ढांचा बनाने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). नया किराया ढांचा आरम्भ नहीं किया गया है। इंडियन एयरलाइन्स बाजार की स्थिति को देखते हुए विशिष्ट सैक्टरों पर विशेष किरायों की पेशकश करती है।

ग्रामीण महिलाओं के लिए नाबार्ड की योजना

3432. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण महिलाओं के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में 1992-93 के दौरान इस योजना से कितनी महिलाएं लाभान्वित हुईं ; और

(ग) 1993-94 और 1994-95 के दौरान कर्नाटक को "नाबार्ड" द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी गई/दिए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कृषितर विकास के लिये ग्रामीण महिलाओं को सहायता (एआरडब्ल्यूआईएनडी) देने की योजना तैयार की है। इस योजना को अक्तूबर, 1993 के दौरान ही शुरू किया गया था। और इस प्रकार वर्ष 1992-93 के दौरान महिला अधिकारियों का कोई कवरेज नहीं था। इस योजना के अधीन हिताधिकारियों की संख्या और उन्हें दिये जाने वाली सहायता राशि का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। कार्यान्वयन करने वाले बैंकों के माध्यम से प्रायोजक एजेंसियों से प्राप्त योजनाओं के आधार पर मंजूरियां दी गई हैं।

[हिन्दी]

अफीम की फसल को नुकसान

3433. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में दिसंबर, 1993 के अंत में एवं जनवरी, 1994 के अंतिम सप्ताह में ओला-वृष्टि के कारण अफीम की फसलों को भारी नुकसान हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अफीम उत्पादकों ने अफीम के निर्धारित कोटे एवं लाइसेंस को सिथिल करने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) ऐसे बहुत से आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें दिसम्बर, 1993 के अन्त में ओलावृष्टि के कारण मंदसौर जिले के विभिन्न गांवों तथा जनवरी और फरवरी, 1994 में तेज हवाओं के कारण रतलाम और उज्जैन जिले के गांवों में पोस्त की फसल को क्षति पहुंचने की सूचना दी गयी है।

(ख) पोस्त की खेती करने वाले किसानों ने अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु न्यूनतम अर्हकारी उपज में कमी करने की मांग की है।

(ग) यदि पोस्त की फसल को हुई क्षति प्रमाणित हो जाती है तो क्षति से प्रभावित हुए गांवों के लिए अर्हकारी उपज में कमी करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

रोजगार योजना का कार्यान्वयन

3434. श्री अंकुशराव साहिब टोपे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रधान मंत्री द्वारा घोषित रोजगार योजना को कार्यान्वित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अनुदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी सहायता दिये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) दिनांक 2 अक्तूबर, 1993 से आरंभ की गई है। योजना का उद्देश्य माइक्रो उद्यमों में लगभग 10 लाख शहरी शिक्षित बेरोजगार युवकों को दीर्घकालीन रोजगार प्रदान करना है। इन उद्यमों में विनिर्माण, सेवा और व्यापार संबंधी उद्यम शामिल होंगे। इस योजना में 1993-94 के दौरान केवल शहरी क्षेत्र शामिल होंगे और 1994-95 से आगे इसमें सारा देश शामिल होगा। पहली अप्रैल, 1994 से शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना पीएमआरवाई में सम्मिलित हो जाएगी। पीएमआरवाई की मुख्य विशेषताएं हैं : -

(i) उन परिवारों के 18 और 35 वर्ष के बीच के वे सभी शिक्षित बेरोजगार युवक, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय कुल 24000/- रुपए से कम हो, वे इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(ii) इन सभी शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को माइक्रो उद्यम आरम्भ करने के लिए प्रत्येक को 7500/- रुपए की सीमा के अध्यधीन 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

(iii) उन्हें मार्जिन राशि के रूप में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रस्तुत करना होगा।

(iv) प्रत्येक उद्यमी एक लाख रुपए की सीमा तक ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा और इस ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

(v) जिन उद्यमियों को इस योजना के अंतर्गत चुना जाएगा उन्हें ऋण संवितरित किए जाने से पहले प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(vi) मैट्रिक (उतीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण) विद्यार्थी, आईटीआई उत्तीर्ण युवक और वे सभी व्यक्ति जिन्होंने कम से कम छः महीने तक सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी पाठ्यक्रम में भाग लिया है, वे इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(vii) इस योजना के कार्यान्वयन में ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को भी शामिल किया जाएगा।

(viii) इस योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5 प्रतिशत और दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(ix) हिताधिकारी शहरी क्षेत्र का तीन वर्ष तक का स्थायी निवासी होना चाहिए।

पी एम आर वाई को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) दिनांक 28 सितम्बर, 1993 को निर्देश जारी किए हैं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपने अग्रणी बैंक अधिकारियों और शाखाओं को इस आशय के उपयुक्त निर्देश जारी करें कि वे योजना में प्रभावशाली ढंग से भाग लें और उसे कार्यान्वित करें।

(ग) वर्ष 1993-94 के लिए 42040 हिताधिकारियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

गैर-योजना परिव्यय

3435. श्री राम निहोर राय :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री चित्त बसु :

श्री बीर सिंह महतो :

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

श्री गुरुदास कामत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने कितने पदों का सृजन किया तथा कुल कितने पद कम किए ;

(ख) क्या सरकार ने 1993-94 में परित्याग किए गए पदों की तुलना में अधिक पदों का सृजन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है ;

(घ) सरकारी व्यय को नियंत्रित रखने हेतु प्रशासनिक पदों को कम किए जाने के संबंध में सरकार के निर्देशों का पालन न करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या वर्ष 1994-95 में सरकार का विचार मितव्ययिता उपायों के तहत प्रशासनिक पदों को कम करने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) से (ग). सरकार द्वारा सृजित किए गए पदों की कुल संख्या और कम किए गए पदों की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (रक्षा सेवा कार्मिकों को छोड़कर) की अनुमानित संख्या इस प्रकार थी : -

वर्ष	अनुमानित संख्या
1991-92	39,98,372
1992-93	39,74,290
1993-94	39,49,407

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 में पदों की संख्या में 24,883 की कमी आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (च) मितव्ययिता को प्रभावी बनाने की दृष्टि से कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा निरन्तर होती रहती है।

असंगठित श्रमिक

3436. श्री एस. बी. सिदनाल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने असंगठित श्रमिक हैं ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असंगठित श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ग) आठवीं योजना के दौरान असंगठित श्रमिकों के कार्यकरण और आर्थिक स्थिति का आकलन करने तथा इसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं / उठाये जाने का विचार है ; और

(घ) असंगठित श्रमिकों का शोषण न होने देने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए.संगमा) : (क) और (ख). जनगणना करते समय कर्मकारों की गणना कार्यकलाप के उस क्षेत्र में की जाती है जिसमें वे नियोजित हैं अर्थात् कृषि तथा उससे संबद्ध व्यवसाय,

खनन और उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, सेवाएं आदि। चूंकि शब्द ''संगठित'' श्रमिक और ''असंगठित'' श्रमिक के बारे में परिभाषा संबंधी स्पष्टता विद्यमान नहीं है अतः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में असंगठित श्रमिकों की वास्तविक संख्या का वर्गीकरण कर पाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ). असंगठित श्रमिकों की पहचान की गयी श्रेणियों को संरक्षण प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, अन्तर राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम आदि जैसे अनेक विधान अधिनियमित किये हैं। राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में इन कानूनों के प्रवर्तन की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार कल्याणकारी कार्यकलाप भी करती है जिनके अंतर्गत लौह-अयस्क, मैगनीज तथा क्रोम अयस्क खानों, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खानों, अभ्रक खानों तथा बीड़ी उद्योग के कर्मकार तथा सिनेमा कर्मकार आते हैं। इसके अतिरिक्त बीमा/सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी हैं जिन्हें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इन योजनाओं के दायरे में भूमिहीन कृषि श्रमिक, हथकरघा, बुनकर, रिक्शाचालक, ऑटोरिक्शा चालक तथा गरीब परिवार आदि आते हैं।

आई.आर. डी. पी., जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा स्व-रोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राईसेम), कर्मचारी बीमा योजना जैसी योजनाओं के पैकेज का उद्देश्य भी ग्रामीण कर्मकारों की दशा में सुधार करना है इसमें वे खेतिहर कर्मकार भी शामिल हैं जो असंगठित कर्मकारों का एक बड़ा भाग हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास विभाग (डी डब्ल्यू सी आर ए) नामक एक योजना है जिसे एक ग्रुप दृष्टिकोण का प्रयोग करके गरीबी रेखा से नीचे वाली ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ताकि उनके कौशलों और अभिरूचि के लिये उपयुक्त आय सृजन कार्यक्रम शुरू किये जा सकें। यह योजना ट्राइसेम और आई आर डी पी के सहयोग से चलती है।

8 वीं पंचवर्षीय योजना में भी आय, कार्य दशाओं तथा सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से असंगठित क्षेत्र की इकाइयों में रोजगार की गुणवत्ता को बेहतर बनाए जाने पर जोर भी दिया गया है। जबकि उत्पादों के लिये प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा बाजार के विकास से उनकी उत्पादकता और मजदूरी का भुगतान करने की क्षमता में वृद्धि होगी, असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिये सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम उपायों का प्रावधान किये जाने के लिये उपयुक्त संरचनात्मक व्यवस्थाओं को विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। यह सिफारिश की गयी है कि बीड़ी एवं सिगार कर्मकार, खान कर्मकार, काजू कर्मकार, कॉयर कर्मकार आदि जैसे असंगठित कर्मकारों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गयी कल्याणकारी बोर्डों की योजना तथा बीमा योजनाओं की समीक्षा की जा सकती है और उपयुक्त माडल अपनाया जा सकता है।

तमिलनाडु में भविष्य निधि कार्यालय

3437. डा. (श्रीमति) के.एस. सौन्द्रम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के सलेम में उप-क्षेत्रीय भविष्यनिधि कार्यालय खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क). कर्मचारी भविष्य् निधि संगठन द्वारा अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

असम में कृषि पर आधारित उद्योग

3438. श्री प्रवीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने असम में कृषि पर आधारित उद्यागों की स्थापना हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये उद्योग किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विक़ास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने असम में कृषि पर आधारित इकाइयों की स्थापना करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

चाय का आयात

3439. श्री उद्धव बर्मन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय का आयात करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो चाय का आयात किन देशों से किया जाएगा ; और

(ग) इस आयात का अपने देश में उत्पादित चाय के उत्पादन और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चाय का आयात करने की अनुमति केवल निर्यातोन्मुख एककों और निर्यात संसाधन जोनों में स्थित एककों को दी जाती है, ताकि वे इसे भारतीय चाय के साथ मिश्रित करने के बाद पुनः निर्यात कर दें।

(ख) पुनर्निर्यात के लिए ऐसे आयात के स्रोत उन अलग-अलग एककों के व्यावसायिक निर्णय पर निर्भर करेंगे जो चाय का आयात करते हैं।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किए गये हैं कि चाय का इस तरह आयात करना भारतीय चाय उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की छवि को प्रभावित न करे। इस योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि ऐसे उद्यमियों द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत मूल्यवर्धन का लक्ष्य पूरा किया जाएगा और यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में शुद्ध भारतीय चाय के प्रतीक चाय बोर्ड लोगो का

प्रयोग नहीं किया जाए। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि चाय केवल छोटे पैकेटों में ही निर्यात की जाए, बल्क में नहीं, ताकि मूल्यवर्धित चाय का निर्यात बढ़ाया जा सके। इन एककों को कोई भी घरेलू बिक्री की अनुमति नहीं दी जाती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इसका स्थानीय चाय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

[हिन्दी]

चाय का आयात

3440. श्री गुमान मल लोढ़ा :

डा. चिन्ता मोहन :

श्री तरित बरण तोपदार :

श्री रूपचन्द पाल :

श्री माणिकराव होडल्या गावीतः

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्री गुरुदास कामत :

श्री मोहन रावले :

श्रीमती प्रतिभा रावले :

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :

श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से चाय अपशिष्ट और निम्न दर्जे की चाय का आयात करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आयातित चाय का भारतीय चाय के साथ मिश्रण करके इसका विदेशी बाजारों में पुनः निर्यात करने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या सरकार को ऐसे आयात के विरुद्ध रोष प्रकट करने वाला कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). इन्सटैंट चाय के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में एक निर्यातोन्मुख इकाई की स्थापना करने के लिए मैसर्स लिप्टन इंडिया लिमिटेड को अपशिष्ट, जो इसटैंट चाय के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्रियों में से एक है, का आयात शामिल है। कम्पनी ने घरेलू बाजार में इस इकाई से अपने उत्पाद का 25 प्रतिशत बेचने का प्रस्ताव भी किया है।

(ग) निर्यातोन्मुख इकाइयों से संबद्ध मौजूदा योजना के तहत निर्यात के लिए केवल भारतीय चाय के साथ मिश्रित करने के लिए चाय के आयात की अनुमति प्रदान की जाती है। इस योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि ऐसे उद्यमों को न्यूनतम 40 प्रतिशत मूल्यवर्धन का लक्ष्य पूरा करना होगा और साथ ही यह भी व्यवस्था है कि टी बोर्ड लोगो, जो शुद्ध भारतीय चाय का प्रतीक है, का इस्तेमाल ऐसे मामलों में न किया जाये। इसमें मूल्यवर्धित चाय के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से चाय को छोटे पैकेटों में निर्यात करना होगा न कि बल्क में। स्थानीय चाय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन इकाईयों को घरेलू बिक्री करने की इजाजत नहीं है।

(घ) जी, हां। प्लान्टेशन एसोसिएशन्स की इंडियन टी एसोसिएशन एण्ड कन्सल्टेटिव कमेटी ने यह आशंका व्यक्त की है कि पुनर्निर्यात के लिए चाय आयात को शासित करने संबंधी उपरोक्त प्रावधान के प्रभाव को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से बल्क चाय के निर्यात की अनुमति देकर अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आयातित चाय की बिक्री की इजाजत देकर कम किया जा सकता है। नीलगिरी लघु चाय उत्पादक संघ ने भी एक अभ्यावेदन इस प्रकार के आयात के विरोध में दिया है जिसमें नीलगिरी में लघु चाय उत्पादकों पर ऐसे आयात का असर पड़ने की बात कही गयी है।

(ङ) पुनर्निर्यात के लिए चाय के आयात को शासित करने वाले मौजूदा प्रावधानों में ढील देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

यूनाइटेड कामर्शियल बैंक

3441. श्री चेतन पी.एस. चौहान :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री रूपचंद पाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक को लाभप्रद बनाने की सभी आशायें छोड़ दी हैं और अपने मंत्रालय से इसके भविष्य पर तुरन्त निर्णय लेने के लिए कहा है ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि अधिक धन लगाने के बावजूद यूको बैंक को लाभप्रद नहीं बनाया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ;

(घ) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस चरण में है ; और

(ङ) बैंक के हजारों कर्मचारियों का हित सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार किये गये यूको बैंक के वार्षिक

वित्तीय निरीक्षण के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति निरंतर असंतोषजनक बनी हुई है। यूको बैंक सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते किये हैं जिसके अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बैंकों के कार्यनिष्पादन के संबंध में उनसे प्रतिबद्धताएं प्राप्त कर ली गई हैं : -

(1) निष्क्रीय आस्तियों में कमी करना ;

(2) काफी समय से रुग्ण शाखाओं की पहचान करना ताकि इन्हें वसूली शाखाओं में परिवर्तित किया जा सके या बंद किया जा सके।

(3) उपरिव्यय को कम करना ;

(4) प्रभावी वसूली उपायों के माध्यम से लाभप्रदता में सुधार करना ;

(5) ऋण मूल्यांकन में सुधार करना ;

(6) उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिक उन्नयन ; और

(7) मानव संसाधन विकास।

यह आशा की जाती है कि इस संबंध में किये गये उपाय यूको बैंक को अपनी कार्यपद्धति में सुधार करने में सक्षम बनायेगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान

3442. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वेतन-मानों से संबंधित ''वर्किंग-ग्रुप'' की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पंचाट ने बकाया राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय दे दिया है और उच्चतम न्यायालय ने इसे बरकरार रखा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ङ). माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार 1987 में सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (एनआईटी) ने 1990 में घोषित अपने पंचाट में अन्य बातों के साथ-साथ फैसला दिया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को 1.9.87 से प्रायोजको बैंकों के तदनुरूप पदों में तुलनीय स्तर के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते और दूसरे लाभ मिलने चाहिए। सरकार ने अधिकरण के पंचाट को स्वीकार कर लिया है। एनआईटी की सिफारिशों के अनुसार पदों की समानता

तथा वेतन तथा भत्तों का निर्धारण करने के लिए समीकरण समिति की नियुक्ति की गई थी। तत्पश्चात् सरकार ने एनआईटी के पंचाट को स्वीकार करते हुए 22.2.91 को निर्देश जारी किए और समीकरण समिति की सिफारिशों को पूर्वप्रवाही तारीख से 1.9.1987 से लागू कर दिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को जनवरी, 1991 से संशोधित वेतन दिया जा रहा है। जहां कहीं 1.1.91 से पहले की अवधि के लिए कर्मचारियों का पिछले बकाया का भुगतान किया जाना था वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण उसका भुगतान नहीं किया जा सका। समीकरण समिति की रिपोर्ट के साथ पठित एनआईटी के पंचाट को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के सेवा विनियमों और भर्ती तथा पदोन्नति नीतियों में कुछ परिवर्तन किए जाने थे। मुख्यतः फिटमेंट लाभ से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे भी उठे जिन पर उचित निर्णय लेने के लिए जांच किए जाने की जरूरत थी। तदनुसार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कार्यदल का गठन किया। फरवरी, 1992 में कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों को सामान्य रूप से नाबार्ड की सलाह पर स्वीकार कर लिया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को वेतनमान, और भत्ते तथा दूसरे लाभ देने से संबंधित निर्देश सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बेंकों को 30.3.93 को जारी किए गए थे।

विमानों में ट्रांसपोन्डर

3443. श्री अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत आने और भारत के ऊपर से उड़ान भरने वाली विदेशी विमान कम्पनियों सहित सभी विमान कम्पनियों को इस वर्ष के अंत तक विमानों में "मोड़ -एस" ट्रांसपोन्डर लगाने के निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विमान कम्पनियों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ; और

(ग) इस निर्देश का अनुपालन न करने वाली विमान कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). नागर विमानन महानिदेशालय ने 8 फरवरी, 1994 को निर्देश जारी किए हैं कि 5700 कि.ग्रा. अथवा इससे अधिक आल-अप-वेट और 30 सीट से ज्यादा यात्री क्षमता वाले सभी टरबाइन इंजन के विमानों में "मोड-एस-ट्रांसपोन्डर" लगाना आवश्यक है। देश में पंजीकृत और प्रचालन कर रहे विमानों तथा भारतीय वायु मार्ग से होकर गुजरने वाले विदेशी विमानों द्वारा इस अपेक्षा का पालन 30 जून, 1995 तक कर लेना आवश्यक है। 30 जून, 1994 के बाद आयात किए जाने वाले विमानों में यह अपेक्षा आयात के समय ही पूरी की जानी होगी। ये अपेक्षाएं इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और हवाई टैक्सी प्रचालकों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् निर्धारित की गई थी।

(ग) सभी एयरलाइनों द्वारा इस अनिवार्य अपेक्षा का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। जब भी इस अपेक्षा का गैर-अनुपालन नागर विमानन महानिदेशालय के ध्यान में आएगा, उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट में कृषि श्रमिक

3444. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री थाइल जॉन अंजलोज :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के कृषि श्रमिकों के कल्याण कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ आगामी दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

चांदी का आयात

3445. डा. परशुराम गंगवार : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत वर्ष के दौरान देशवार कुल कितनी चांदी का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : विवरण निम्नलिखित है :

मात्रा : ग्राम

	1992-93
पाउडर के रूप में चांदी	
नीदरलैंड	120000
स्विटजरलैंड	1000
यू.के.	7000
यू.एस.ए.	1229009
कुल :	1357009
अपरिष्कृत चांदी	
आस्ट्रेलिया	1500
हांगकांग	4856
स्विट्जरलैंड	185000
थाईलैंड	25000

यूके	356.43400
यू.एस.ए.	207050
कुल :	36066806
चांदी की शीट, प्लेट्स, स्ट्रिप्स टयूब और पाइप	
जर्मन संघीय गणराज्य	36510
नीदरलैंड	314000
स्विटजरलैण्ड	9990
यू.के.	4000
कुल :	364500
चांदी के अन्य सभी अर्द्ध-विनिर्मित रूप	
आस्ट्रेलिया	20000
जर्मन संघीय गणराज्य	175605
हांगकांग	71316
इटली	49000
जापान	56048
सिंगापुर	67145
स्पेन	1600
थाईलैण्ड	64631
संयुक्त अरब अमीरात	67000
यू.के.	8500
यू.एस.ए.	1451079
कुल	2031924

अनुवाद]

आपात स्थिति में विमान को उतारने की घटनाएं

3446. डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :

श्री राजेश कुमार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 के दौरान विमानों को आपात स्थिति में उतारने की कितनी घटनायें हुई ;

(ख) उपरोक्त घटनाओं के संबंध में चूक करने का दायित्व कितने कर्मचारियों पर निर्धारित किया गया है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने/कम करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). 15-11-93 को इंडियन एयरलाइन्स के ए-300 विमान की दुर्घटना के अलावा, अनुसूचित एयरलाइनों के किसी भी विमान की 1993 में मजबूरन अवतरण की कोई घटना नहीं घटी। इस दुर्घटना की जांच एक जांच-न्यायालय द्वारा की जा रही है।

वर्ष 1993 के दौरान गैर-अनुसूचित प्रचालकों के विमानों के मजबूरन अवतरण के पांच मामले रिपोर्ट किए गए और इन घटनाओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने के बाद जिम्मेदारी, यदि कोई हुई निर्धारित की जाएगी।

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए तथा हवाई सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं ;

(1) एयरलाइनों की सुरक्षा जांच तथा उड़ान रिकार्डरों पर निगरानी रखना,

(2) उड़ान जाचें,

(3) उपकरण अवतरण प्रक्रियाओं और न्यूनतम मौसम स्थितियों का अनुपालन करना,

(4) आवधिक मौके पर जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, विमान अनुरक्षण इंजीनियरों, विमानचालकों तथा हवाई यातायात नियंत्रकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

विमान के गायब हुए पहिये

3447. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 3 दिसम्बर, 1993 के तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच 31 अक्तूबर, 1993 की दुर्घटना में गायब हुए विमान के पहिये की जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला ;

(ग) क्या बोइंग 737 विमानों के पहिये गायब होने की कुछ हाल की घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) ऐसी प्रत्येक दुर्घटना में कितने लोग हताहत हुए ;

(च) क्या इस बीच गायब हुए पहिये मिल गये हैं ; और

(छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) घटना की जांच से पता चला है कि पिछली बार व्हील असेम्बली के दौरान विमान अनुरक्षण इंजिनियर द्वारा बियरिंग की जांच लापरवाही से की, जिसकी वजह से बियरिंग की खराबी के कारण पहिया बाहर आ गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

(च) जी, हां।

(छ:) इस घटना के तत्काल बाद, नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग-737 विमान के प्रमुख पहियों का एक बारगी निरीक्षण करने के आदेश दिए। नागर विमानन महानिदेशालय, प्रचालकों की अनुरक्षण गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखता है, और पायी गयी खमियों को उन पर उपचरी कार्रवाई के लिए उनके साथ उठाया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में पटसन मिलों का बंद होना

3448. श्री प्रेम चंद राम : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संघ ने बिहार में कुछ पटसन मिलों को बंद करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उन कामगारों, जिनकी इन पटसन मिलों के बंद हो जाने से बेरोजगार हो जाने की संभावना है, उन्हें पुनःस्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) पटसन उद्योग में सुधार लाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) सरकार ने पटसन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए कई उपाय किए हैं जिसमें पटसन आधुनिकीकरण कोष की स्थापना, विशेष पटसन विकास निधि स्थापित करना, विशिष्ट वस्तुओं में पटसन के बोरों से अनिवार्य पैकिंग निर्धारित करना, लागत जमा आधार पर बी ट्विल बोरों की खरीद करना, वित्तीय, राजकोषीय तथा बाजार समर्थन द्वारा विविधीकरण को प्रोत्साहन देना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक पत्तनों में निवेश

3449. श्री गुरूदास कामत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सारे बैंक वाणिज्यिक पत्तनों में निवेश के संबंध में दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक पत्र (सीपी) में बैंकों के निवेश के संबंध में बैंकों को उनके द्वारा कोई औपचारिक दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है। तथापि, इसके जोखिम को देखते हुए बैंकों को सी.पी. में निवेश करते समय उचित ध्यान रखने की सलाह दी गई है क्योंकि सीपी एक बेजमानती लिखत है। बैंकों को यह भी निदेश दिया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि कम्पनियों द्वारा सीपी के माध्यम से जुटायी गई निधियां उचित कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए उपयोग की जाती है और मुद्रा बाजार को विकृति से बचाने के लिये सीपी पर ब्याज की दरों को लगभग उच्चतर ब्याज दर के समान रखा जाए। कुछ बैंकों में दिसम्बर 1993/जनवरी, 1994 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये नमूना छानबीन से पता चला कि प्रश्नगत सम्बद्ध बैंकों ने सामान्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का पालन किया है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नागर विमानन में उपग्रह सहायता प्राप्त प्रणाली

3450. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन संचार नौसंचालन को भूमि पर स्थित उपकरण से उपग्रह सहायता प्राप्त प्रणाली में बदलने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). विश्वव्यापी दिक्चालन उपग्रह प्रणाली (जी.एन.एस.एस.) को जब अंतराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा प्रयोग के लिए अनुमोदित कर दिया जायेगा तब इस प्रणाली के अनुरूप उपयुक्त ग्रांउड आधारभूत संरचना स्थापित करने की राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना है।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सभी हवाई अड्डों को विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले स्पीच तथा उच्च गति डाटा चैनलों के साथ जोड़ने की भी योजना है। यह परियोजना, आयोजना की आरंभिक स्थिति है। अंतरिम उपाय के रूप में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने प्रमुख और दुरस्थ हवाई अड्डों को दूर संचार विभाग के दूरस्थ क्षेत्र बिजनैस मैसेज नेटवर्क के अंतर्गत 5-10 करोड़ रुपए की लागत से निम्न गति डाटा सम्पर्कों के साथ जोड़ने की परियोजना को हाथ में लिया है। इस तरह के सम्पर्क अभी तक 10 हवाई अड्डों पर स्थापित किए गए हैं।

बेरोजगार डाक्टर और इंजीनियर

3451. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 मार्च, 1993 तक बरोजगार डाक्टरों और इंजीनियरों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या रोजगार कार्यालय अपने चालू रजिस्टर की उन लोगों की छटनी करने के लिए जिन्हें रोजगार मिल गया है, आवधिक समीक्षा करता है अथवा निरंतर बेरोजगारी की स्थिति में बाद में पुनपंजीकरण के साथ पंजीकरण की विधिमान्यता के लिए कोई अवधि निर्धारित की गई हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री पी.ए. संगमा) : (क) अनुप्रयुकत जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार 1992 के अंत में 20 प्रमुख राज्य/संघ शासित प्रदेशों में बेरोजगार डिग्री तथा डिप्लोमाधारक इंजीनियरों की कुल संख्या संलग्न विवरण - I में दिए गए अनुसार थी। शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में ऐसे अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं।

इसी प्रकार, डॉक्टरों के संबंध में इस प्रकार के अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं। तथापि, 31.12.1991 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर चिकित्सा में रोजगार चाहने वाले स्नातकों, (स्नातकोत्तरों सहित) यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की संख्या संलग्न विवरण - II में दर्शाई गई है।

(ख) रोजगार प्राप्त कर लेने वालों के नाम हटाने के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा अपने चालू रजिस्टरों की आवधिक पुनरीक्षा की जानी अपेक्षित है। प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् नवीकरण करवाने पर पंजीकरण की अवधि जारी रह सकती है।

विवरण -I

राज्यों द्वारा 1992 के अंत में विभिन्न विधाओं के बेरोजगार इंजीनियरिंग डिग्री एवं डिप्लोमा धारकों की अनुमानित संख्या।

	राज्य	डिग्री धारक	डिप्लोमा धारक
1.	असम	154	255
2.	बिहार	1045	2517
3.	उड़ीसा	149	662
4.	पश्चिमी बंगाल	550	2963
5.	चंडीगढ़	82	112
6.	दिल्ली	258	357
7.	हरियाणा	87	986
8.	हिमाचल प्रदेश	-	238
9.	जम्मू और कश्मीर	109	-
10.	पंजाब	161	1037
11.	राजस्थान	227	759

12.	उत्तर प्रदेश	947	7000
13.	गुजरात	455	2483
14.	मध्य प्रदेश	954	3082
15.	महाराष्ट्र	1351	3150
16.	गोवा	8	43
17.	आंध्र प्रदेश	1974	6116
18.	कर्नाटक	3184	7536
19.	केरल	819	4355
20.	तमिलनाडु	4117	5903

विवरण - II

31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या ।

राज्य/संघ शासित प्रदेश		चिकित्सा स्नातक एवं उससे ऊपर	राज्य/संघ शासित प्रदेश		चिकित्सा स्नातक एवं उससे ऊपर
	राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	3590	2.	अरुणाचल प्रदेश	
3.	असम	192	4.	बिहार	1738
5.	गोवा	251	6.	गुजरात	398
7.	हरियाणा	683	8.	हिमाचल प्रदेश	279
9.	जम्मू और कश्मीर	43	10.	कर्नाटक	835
11.	केरल	3198	12.	मध्य प्रदेश	688
13.	महाराष्ट्र	3956	14.	मणिपुर	39
15.	मेघालय	4	16.	मिजोरम	28
17.	नागालैंड	-	18.	उड़ीसा	1406
19.	पंजाब	358	20.	राजस्थान	2735
21.	सिक्किम *	7133	22.	तमिलनाडु	18
23.	त्रिपुरा	18	24.	उत्तर प्रदेश	1339
25.	पश्चिम बंगाल	687			

	संघ शासित प्रदेश				
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	27.	चंडीगढ़	822
28.	दादर और नगर हवेली	7	29.	दिल्ली	2800
30.	दमन और दीव	9	31.	लक्षद्वीप	7
32.	पांडिचेरी	492			
	योग :	33740			

टिप्पणी : * इस राज्य में कोई रोज़गार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

एअर इंडिया के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभ

3452. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने अपने अधिकारियों की सेवावधि 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष करते हुए उन्हें निःशुल्क विमान यात्रा एवं चिकित्सकीय लाभ सहित सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संशोधन को स्वीकृति दे दी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुर्नविचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमान और पर्यटन मंत्री (गुलाब नबी आजाद) : (क) से (ग). एअर इंडिया के कर्मचारियों की मांग पर, केन्द्रीय सरकार में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रावधानों के अनुरूप समानता लाने के लिए एअर इंडिया ने सरकार के अनुमोदन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अर्हक सेवा कम करके 20 वर्ष करने हेतु अपने सेवा विनियमों में संशोधन किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

3453. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंकवार कितनी शाखाओं का अब तक कम्प्यूटरीकरण किया गया है; और

(ख) शेष बैंक शाखाओं का कब तक कम्प्यूटरीकरण करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). 31.12.1993 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 41 शाखाओं को आंशिक/पूर्णरूप से कम्प्यूटरीकृत कर दिया था। बैंकवार ब्यौरा निम्नानुसार है : -

क्रम संख्या	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	इलाहाबाद बैंक	1
2.	आन्ध्रा बैंक	1
3.	बैंक आफ बड़ौदा	2
4.	बैंक आफ इंडिया	1
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1
6.	केनरा बैंक	1
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1
8.	कारपोरेशन बैंक	3
9.	देना बैंक	2
10.	इंडियन बैंक	1
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1
13.	पंजाब नैशनल बैंक	1
14.	भारतीय स्टेट बैंक	11
15.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1
16.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1
17.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1
18.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1
19.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्रा	1
20.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1
21.	सिंडिकेट बैंक	3
22.	यूको बैंक	2
23.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
24.	विजया बैंक	1
	जोड़ :	41

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अगले 2/3 वर्षों के दौरान 400 शाखाओं के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए योजनाएं तैयार की हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुक्त व्यापार जोन स्थापित करना

3454. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों से उनके क्षेत्र में मुक्त व्यापार जोन स्थापित करने हेतु कोई अनुरोध मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

चाय बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

3455. श्री अमर राय प्रधान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें/उनके मंत्रालय को संसद सदस्यों की ओर से देश में चाय बोर्ड के नये क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई अनुरोध 1993 के दौरान तथा 28 फरवरी, 1994 तक प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). श्री अमर राय प्रधान, संसद सदस्य (लोक सभा) ने वाणिज्य मंत्री को संबोधित अपने दिनांक 14 जनवरी, 1994 के पत्र में सुझाव दिया है कि जलपाइगुड़ी में चाय बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया जाए जो इस क्षेत्र में चाय उत्पादकों की विकास संबंधी जरूरतों का कार्य देखेगा।

इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सीमाशुल्क की वस्तुएं खरीदना

3456. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क विभाग ने गत बारह महीनों में प्रत्येक महीने ऐसे कई यात्रियों का पता लगाया है जो भुनाने के प्रमाण-पत्र से कहीं अधिक मूल्य की वस्तुएं खरीद रहे हैं तथा इससे भारत को विदेशी मुद्रा से वंचित रख रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) इस अवधि के दौरान यात्रियों की जांच पड़ताल पूरी किये जाने में विलम्ब के कारण कितनी विदेशी उड़ाने अवरूद्ध हुई अथवा देरी से चलीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

रेशम उत्पादन उद्यमों के लिए बीमा योजना

3457. श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास आधारित यूनाइटेड इन्श्योरेंस कम्पनी ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में रेशम उत्पादन उद्यमों को बीमा योजना में शामिल करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) क्या युनाइटेड इन्श्योरेंस कम्पनी ने इस संबंध में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के साथ कोई समझौता किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसका मोटे तौर पर क्या ब्यौरा है ;

(ङ) इसकी बीमा योजना कब से प्रभावी होगी ;

(च) क्या बीमा करने से रेशम उत्पादन उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा ; और

(छ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (छ) तक : केवल बीज उत्पादकों तक सीमित रेशमकीट पालन की एक बीमा योजना पिछले लगभग 10 वर्षों से पहले ही लागू है। और उसे यूनाइटेड इंडिया द्वारा आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में राज्य सरकारों के माध्यम से सीधे क्रियान्वित किया जा रहा है। भारतीय साधारण बीमा निगम ने बताया है कि यूनाइटेड इंडिया ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के साथ एक व्यापक रेशम कीट बीमा योजना का मामला उठाया है जिसका प्रयोजन रोगमुक्त अण्डे देने की अवस्था से लेकर कृमिकोष की अवस्था तक की विभिन्न किस्मों को शामिल करते हुए बीमा संरक्षण प्रदान करना है, इस योजना में विभिन्न वर्गों के किसानों को कवच प्रदान किया जाएगा, यह योजना विश्व बैंक और देशभर के अन्य बैंक वित्त कार्यक्रमों द्वारा सहायता प्राप्त है।

चूंकि इस प्रस्तावित योजना में देशभर के सभी किसानों और बीच उत्पादकों को शामिल किया जाएगा, इसलिए उम्मीद है कि इससे रेशम कीटपालन उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा।

कोवलम अशोक बीच रिसॉर्ट

3458. श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल का ''कोवलम अशोक बीच रिसॉर्ट'' लाभ कमा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उक्त होटल द्वारा कितना लाभ कमाया गया ;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटकों को आकृष्ठ करने के लिए इस होटल को और विकसित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम के कोवलम अशोक बीच रिसार्ट ने गत तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार लाभ कमाया है : -

वर्ष	निवल लाभ (रुपये लाखों में)
1990-91	9.03
1991-92	2.14
1992-93	0.37

(ग) और (घ) होटल को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से होटल में निम्न सुविधाएं जोड़ कर उसका विस्तार किया जा रहा है।

- एक नया ब्लाक जिसमें 60 अतिथि कमरे और दो कमरों का सेट (स्वीट) तथा एक अनन्य जल-पान गृह तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं।

- आधुनिक सम्मेलन प्रणाली और सुविधाओं से युकत 500 सीटों वाला कन्वेन्शन केन्द्र।

-तरणताल।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी

3459. श्री रामप्रसाद सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन पर विचार करनेके लिए जनवरी, 1994 में मजदूरी सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में बोर्ड ने क्या सिफारिशें की; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-7 के अंतर्गत पुनर्गठित न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक 28-1-1994 को आयोजित हुई थी। बोर्ड ने अपने कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर प्राथमिक विचार विर्मश किया। बोर्ड ने बैठक के दौरान किसी मामले पर कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की।

बैंकों की लघु बचत योजनाएं

3460. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न बैंकों की लघु बचत योजनाएं समाप्त करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त योजना में शामिल बचत एजेंटों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) :

(क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों की लघु बचत योजनाओं को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। यह निर्णय संबंधित बैंकों को लेना है कि क्या उन्हें ऐसी जमा योजनाओं को जारी रखना चाहिए या नहीं।

(ग) भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) ने सूचित किया है कि बैंकों की विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत घर-घर जाकर जमाराशियां एकत्र करने वाले जमा संग्रहकर्ताओं की सेवा शर्तों के संबंध में औद्योगिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद ने एक अधिनिर्णय दिया था। उक्त अधिनिर्णय में यह निर्देश दिया गया है कि आयु आदि के संबंध में कतिपय निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले जमा संग्रहकर्ताओं को कर्मकार के रूप में खपाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस मामले में बैंकों की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक संघ हैदराबाद उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई है।

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों द्वारा वित्तीय संस्थाएं खोला जाना

3461. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री तरित बरण तोपदार :

श्री चित्त बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विदेशी बैंको को भारत में वित्तीय संस्थाएं खोलने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन बैंको का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इनमें से कोई बैंक, प्रतिभूति घोटाले में शामिल था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ङ). दो विदेशी बैंक अर्थात बैंक आफ अमेरिका तथा बैंक आफ बहरीन और कुवैत को वित्तीय सेवाएं शुरू करने के लिए अनुषंगी कम्पनियों की स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इन बैंकों में से बैंक आफ अमेरिका प्रतिभूति घोटाले में शामिल था। विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत अनुमोदन प्राप्त करने हेतु इन बैंकों द्वारा अभी औपचारिक आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना है।

ब्रिटेन में भारतीय निवेश

3462. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारतीय निवेश का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या इस संबंध में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग विभाग ने भारत सरकार से संपर्क किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1994-95 के दौरान ब्रिटेन में किन-किन परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रणव मुखर्जी) : (क). ब्रिटेन में भारतीय निवेश की संभावना का पता लगाने के लिए जनवरी-फरवरी 1994 में ब्रिटेन की एक सरकारी एजेंसी के एक प्रतिनिधि ने भारत का दौरा किया है।

(ख) से (घ) हालांकि इस संबंध में ब्रिटेन के व्यापार एवं उद्योग विभाग ने कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा है, फिर भी भारतीय कंपनियों द्वारा ब्रिटेन में व्यापक क्षेत्रों में निवेश करने के अवसरों का लाभ उठाने की संभावनाएं हैं।

औद्योगिक रुग्णता

3463. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

श्री तारा सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक रूग्णता का मूल्यांकन करने के लिए कोई नई प्रणाली तैयार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव की विस्तृत रूप-रेखा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्य-क्षेत्र को बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ). संभवतः माननीय सदस्य औद्योगिक रूग्णता एवं कम्पनी पुनर्निर्माण पर समिति की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जिसने औद्योगिक रुग्णता तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की कार्यप्रणाली की अवधारणा पर कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

सुरक्षोपाय

3464. डा. असीम बाला : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटना मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए खानों में अत्याधुनिक सुरक्षोपाय किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) घातक खान दुर्घटनाओं से निपटने के लिए प्रयुक्त सुरक्षोपाय का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). जी हां।

सुरक्षा स्थिति में सुधार करने और उससे दुर्घटनाएं कम करने के लिये कई वर्षो से खानों में अनेक आधुनिक सुरक्षोपाय किये गये हैं। अपनाए गये महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय निम्नलिखित है : -

- नये सिरे से आरक्षित छतों के लिये सुव्यवस्थित सपोर्ट नियम का समावेश।

  इस्पात सपोर्ट का समावेश।
- मैकेनिकल संचालन उपाय।
- वैयक्तिक बचाव उपकरण।
- कैपलैम्पों का समावेश।
- गैस डिटैक्शन उपकरण।
- व्युत्क्रम के दौरान चेतावनी देने के लिये डंपरों पर श्रव्य-दृष्य अलार्म।
- ओपन कास्ट खानों में यातायात नियम।
- खानों व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण।
- सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकारों की भागेदारी।
- खानो में आंतरिक सुरक्षा संगठन।
- कर्मकारों के ऊपर जोखिमकारी वातावरण के प्रभाव को कम करने के लिये कार्य स्थल पर कार्यों का मशीनीकरण।
- आग को रोकने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग।

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल और औषधालय

3465. श्री काशी राम राणा :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल और औषधालय हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ अस्पतालों/औषधालयों का दर्जा बढ़ाने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल/औषधालय किराए के भवनों में चल रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). इस समय गुजरात में 9 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 116 औषधालय तथा महाराष्ट्र में 12 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 75 औषधालय हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख के प्रशासन का दायितव संबंधित राज्य सरकारों का है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में किसी भी कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालय को समुन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापि, गुजरात सरकार ने विद्यमान 225 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा चेस्ट अस्पताल, अहमदाबाद को अपग्रेड करके 300 बिस्तर का सामान्य अस्पताल किये जाने के प्रस्ताव की सूचना दी है।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा का कोई भी अस्पताल किराये की इमारतों में कार्य नहीं कर रहा है। तथापि महाराष्ट्र में 71 औषधालय तथा गुजरात में 45 औषधालय किराये की इमारतों में कार्य कर रहे हैं।

एअर टेक्सी आपरेटर

3466. श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री सत्यदेव सिंह :

प्रो. के.वी. थामस :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एअर टैक्सी आपरेटर" अब अपनी सेवाओं को निजी विमान सेवाओं में बदल सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रावधान कब से प्रभावी होगा ;

(ग) क्या "एअर टैक्सी आपरेटर" अब अपनी उड़ान समय सारिणी प्रकाशित कर सकते हैं :

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). देश में अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के लिए एयरलाइन्स आपरेटरों द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं जारी कर दी गई हैं। एक विवरण संलग्न है। सभी अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालक अपनी समयावलियां प्रकाशित कर सकते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के प्रचालक द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं

1. कम से कम तीन विमानों का बेड़ा जो भारत में पंजीकृत हो। प्रत्येक विमान का आल-अप-वेट 5700 किलोग्राम से अधिक हो।

2. 40000 किलोग्राम से अधिक आल-अप-वेट वाले विमानों के प्रचालकों के संबंध में अभिदत्त

ईक्विटी पूंजी 15 करोड़ से कम नहीं हो तथा 40000 किलोग्राम से अनधिक आल-अप-वेट वाले विमानों के लिए 5 करोड़ रुपए से कम नहीं।

3. प्रति विमान उड़ान कर्मीदल तथा केबिन कर्मीदल के तीन सेटों से कम नहीं।

4. 500 घंटों तक के निरीक्षण अथवा बोइंग 737 विमान के लिए चैक 'बी' वाले विमानों के रखरखाव हेतु अनुमोदित अनुरक्षण संगठन और सुविधाएं।

5. प्रचालन, प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण तथा रखरखाव के लिए अनुमोदित मैनुअल।

6. कर्मीदल की उड़ान पूर्व चिकित्सा जांच, उड़ान आयोजना तथा त्रेषण विमान कल-पुर्जो तथा प्रणालियों का विश्वसनीयता विश्लेषण, दोष जांच, सेवा बुलिटनों और सुधारों का अनुपालन और बड़े कल-पुर्जो के रिकार्ड के लिए कक्ष।

7. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कार्यक्रम और सभी प्रचालनरत स्टेशनों पर प्रशिक्षित सुरक्षा कार्मिक।

8. श्रेणी-1 के अधीन अनुबंध में निर्दिष्ट किसी भी मार्ग पर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालित करने वाले प्रचालकों को अनुबंध में बताए श्रेणी-2 तथा 3 में बताए अनुसार न्यूनतम अनुसूचित सेवा प्रदान करनी होगी। श्रेणी-2 तथा 3 में वर्णित मार्गों पर निर्धारित न्यूनतम सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रचालक को इस बात की छूट रहती है कि वह या तो अपने स्वयं के विमान बेडे के विमान से अथवा अन्य प्रचालक के विमान बेडे से परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान कर सकता है। बाद के मामले में, इस प्रकार के प्रबंध के लिए नागर विमानन महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

9. प्रचालक उन सभी आगे की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा जो नागर विमानन महानिदेशक अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा और सुरक्षित प्रचालन और विश्वसनीय सेवाओं की निगरानी के लिए आवश्यक समझे।

10. वे प्रचालक अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालन के लिए अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं वे वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची-II के प्रावधानों और उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए नागर विमानन महानिदेशक को आवेदन कर सकते हैं।

मार्गों की विभिन्न श्रेणियों में सेवाओं की व्यवस्था

श्रेणी - 1

सीधे जुड़े मार्ग

बंबई -बंगलौर	कलकत्ता-दिल्ली
बंबई-कलकत्ता	कलकत्ता-बंगलौर
बंबई-दिल्ली	कलकत्ता-मद्रास

बंबई-हैदराबाद	दिल्ली-बंगलौर
बंबई-मद्रास	दिल्ली-हैदराबाद
बंबई-त्रिवेन्द्रम	दिल्ली-मद्रास

श्रेणी-2

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्टेशनों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्ष्यद्वीप को जोड़ने वाले मार्ग।

श्रेणी - 3

श्रेणी-1 और श्रेणी-2 से भिन्न मार्ग

जो भी प्रचालक श्रेणी-1 के अंतर्गत एक अथवा अधिक मार्गों पर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालित करता है, उसे नीचे बताए अनुसार श्रेणी-2 और 3 में ऐसी सेवाएं चलानी अपेक्षित होंगी : -

चालक को श्रेणी-1 में मार्गों पर उल्लिखित नियोजित क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत श्रेणी-2 में उल्लिखित मार्गों पर लगाना होगा और इस प्रकार श्रेणी-2 के मार्गों पर नियोजित की जाने वाली क्षमता को कम से कम 10 प्रतिशत सर्वथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्ष्यद्वीप के अंदर प्रचालित सेवाओं पर अथवा उनके खंडों पर नियोजित किया जाएगा।

प्रचालक को श्रेणी-1 में नियोजित क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत श्रेणी-3 में उल्लिखित मार्गो पर लगायेगा।

नोट 1 : अंतराष्ट्रीय हवाई सेवा के अंग के रूप में श्रेणी-1 में प्रचालित सेवा की गणना उपर्युक्त प्रयोजन के लिए नही की जाएगी।

नोर्ट 2 : नियोजित क्षमता की गणना उपलब्ध सीट किलोमीटर (ए.एस.के.एम.) में की जाएगी।

नोट 3: दिल्ली-कलकत्ता-गुवाहाटी-इम्फाल जैसे बहुत सैक्टर मार्गों पर, दिल्ली-कलकत्ता सैक्टर पर प्रदान की गयी क्षमता श्रेणी-1 के अंतर्गत मानी जाएगी, कलकत्ता-गुवाहाटी सैक्टर पर प्रदान की गयी क्षमता श्रेणी -2 के अंतर्गत मानी जाएगी और गुवाहाटी-इम्फाल सैक्टर पर प्रदान की गयी क्षमता सर्वथा श्रेणी-2 के अंतर्गत मानी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में निर्यात संसाधन जोन

3467. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के कोझीकोड में निर्यात संसाधन जोन की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क). जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निधियों की उपलब्धता और मौजूदा जोनों में बुनियादी संरचना संबंधी सुविधाओं को अधिकतम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के लिए इस समय देश में नए जोन विकसित करने पर विचार करना संभव नहीं होगा।

इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं

3468. श्री हरिन पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने चुने हुए शहरों के जोड़ों के लिए बिन्दु दर सेवाएं आरंभ की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). बिन्दु दर बिन्दु किराए अंतर्देशीय मार्गों पर शुरू किए गए हैं जिनका उल्लेख अनुबंध में किया गया है।

विवरण

1.	अगरतला-दिल्ली-बरास्ता कलकत्ता
2.	आगरा-बंबई बरास्ता दिल्ली
3.	अहमदाबाद-कलकत्ता- बरास्ता बंबई
4.	अहमदाबाद-कलकत्ता बरास्ता दिल्ली
5.	अहमदाबाद-हैदाराबाद बरास्ता बंबई
6.	अहमदाबाद-मद्रास बरास्ता बंबई
7.	अहमदाबाद-गोवा-बरास्ता बंबई
8.	अहमदाबाद-कोचीन-बरास्ता-बंबई
9.	अहमदाबाद-कोयम्बतूर-बरास्ता-बंबई
10.	अहमदाबाद-ग्वालियर बरास्ता दिल्ली
11.	अहमदाबाद-लखनऊ-बरास्ता-दिल्ली
12.	अहमदाबाद-जयपुर-बरास्ता-बंबई
13.	अहमदाबाद-मंगलौर-बरास्ता-बंबई
14.	अहमदाबाद-बंगलौर-बरास्ता-बंबई
15.	अमृतसर-बंबई-बरास्ता-दिल्ली
16.	अमृतसर-बंगलौर-बरास्ता-दिल्ली

17. अमृतसर-हैदराबाद-बरास्ता-दिल्ली
18. औरंगाबाद-उदयपुर बरास्ता बंबई
19. बंगलौर-भोपाल-बरास्ता-बंबई
20. बंगलौर-इंदौर-बरास्ता-बंबई
21. बंगलौर-गोवा-बरास्ता-बंबई
22. बंगलौर-जयपुर-बरास्ता-बंबई
23. बंगलौर-बड़ौदरा-बरास्ता-बंबई
24. बंगलौर-जोधपुर-बरास्ता-बंबई
25. बंगलौर-विशाखापत्तनम-बरास्ता-हैदराबाद
26. बंगलौर-चण्डीगढ़-बरास्ता-दिल्ली
27. बंगलौर-ग्वालियर-बरास्ता-दिल्ली
28. भोपाल-हैदराबाद-बरास्ता-बंबई
29. भोपाल-गोवा-बरास्ता-बंबई
30. भोपाल-मद्रास-बरास्ता-बंबई
31. भोपाल-कलकत्ता-बरास्ता-दिल्ली
32. भुवनेश्वर-बंबई-बरास्ता-दिल्ली
33. भुवनेश्वर-बंबई-बरास्ता-हैदराबाद
34. बंबई-लखनऊ-बरास्ता-दिल्ली
35. बंबई-गुवाहाटी-बरास्ता-कलकत्ता
36. बंबई-विशाखापत्तनम-बरास्ता-हैदराबाद
37. बंबई-वाराणसी-बरास्ता-दिल्ली
38. बंबई-खुजराहो-बरास्ता-दिल्ली
39. बंबई-मदुरै-बरास्ता-मद्रास
40. बंबई-मद्रास-बरास्ता-बंगलौर
41. बंबई-श्रीनगर-बरास्ता-दिल्ली
42. बंबई-तिरूचिरापल्ली-बरास्ता-मद्रास
43. बंबई-चंडीगढ़-बरास्ता-दिल्ली

44. बंबई-ग्वालियर-बरास्ता-दिल्ली
45. बंबई-जम्मू-वरास्ता-दिल्ली
46. बंबई-लेह-बरास्ता-दिल्ली
47. बंबई-पटना-बरास्ता-दिल्ली
48. कलकत्ता-बड़ौदरा-बरास्ता-बंबई
49. कलकत्ता-जयपुर-बरास्ता-दिल्ली
50. कलकत्ता-ग्वालियर-बरास्ता-दिल्ली
51. कलकत्ता-मंगलौर-बरास्ता-बंबई
52. कालीकट-बड़ौदरा-बरास्ता-बंबई
53. चंडीगढ़-हैदराबाद-बरास्ता-दिल्ली
54. चंडीगढ़-मद्रास-बरास्ता-दिल्ली
55. कोचीन-दिल्ली-बरास्ता-मद्रास
56. कोचीन-दिल्ली-बरास्ता-बंगलौर
57. कोयम्बतूर-दिल्ली-बरास्ता-बंबई
58. कोयम्बतूर-दिल्ली-बरास्ता-बंगलौर
59. कोयम्बतूर-बड़ौदरा-बरास्ता-बंबई
60. दिल्ली-मंगलौर-बरास्ता-बंबई
61. दिल्ली-इम्फाल-बरास्ता-कलकत्ता
62. दिल्ली-डिब्रूगढ़-बरास्ता-कलकत्ता
63. दिल्ली-दीमापुर-बरास्ता-कलकत्ता
64. दिल्ली-मदुरै-बरास्ता-मद्रास
65. दिल्ली-त्रिरचरापल्ली-बरास्ता-मद्रास
66. दिल्ली-विशाखापत्तनम-बरास्ता-हैदराबाद
67. दिल्ली-त्रिवेन्द्रम-बरास्ता-बंगलौर
68. दिल्ली-त्रिवेन्द्रम-बरास्ता-मद्रास
69. दिल्ली-मंगलौर-बरास्ता-बंगलौर
70. गोवा-बड़ौदरा-बरास्ता-बंबई

71. गोवा-जयपुर-बरास्ता-बंबई

72. गोवा-इंदौर-बरास्ता-बंबई

73. ग्वालियर-हैदराबाद-बरास्ता-दिल्ली

74. ग्वालियर-जयपुर-बरास्ता-दिल्ली

75. ग्वालियर-मद्रास-बरास्ता-दिल्ली

76. ग्वालियर-बड़ौदरा-बरास्ता-दिल्ली

77. हैदराबाद-रायपुर-बरास्ता-बम्बई

78. हैदराबाद-बड़ौदरा-बरास्ता-बंबई

79. हैदराबाद-इंदौर-बरास्ता-बंबई

80. इंदौर-मद्रास-बरास्ता-बंबई

81. जयपुर-मद्रास-बरास्ता-बंबई

82. जयपुर-मद्रास-बरास्ता-बंबई

83. मद्रास-बड़ौदरा-बरास्ता-बंबई

84. मंगलौर-बड़ौदरा-बरास्ता-बंबई।

भाण्डागार संबंधी कानून

3469. श्री तारा सिंह :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री ताराचंद खंडेलवाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भाण्डागार संबंधी कानून की समीक्षा करने और उसमें सुधार करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी, हां। सरकार को, आयातित माल के भाण्डागारण से संबंधित सीमाशुल्क उपबंधों की पुनरीक्षा तथा संशोधन करने के लिए, व्यापार और उद्योग से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) मुख्यतया, ये प्रस्ताव निम्नलिखित हैं : -

(i) नष्ट होने वाले माल को छोड़कर अन्य माल के संबंध में भाण्डागारण अवधि एक वर्ष के लिए नियत की जानी चाहिए तथा शिप स्टोर्स आदि जैसे माल के लिए यह अवधि दो वर्ष नियत की जानी चाहिए ;

(ii) वास्तविक मामलों में इन अवधियों को बढ़ाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए;

(iii) निर्धारित शुल्क के 50 प्रतिशत की पूर्व-जमा की अपेक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ;

(iv) शुल्क पर ब्याज माल की निकासी की तारीख तक के स्थान पर सीमाशुल्क की अदायगी तक की तारीख तक प्रभार्य होना चाहिए ;

(v) भाण्डागारण के लिए ब्याज देयता आगम-पत्र की वापसी के 7वें दिन के बाद आरम्भ नहीं होनी चाहिए।

(ग) सरकार ने इन सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा वित्त विधेयक 1994-95 में, भाण्डागरण कानूनों में निम्नानुसार संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है : -

(i) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों द्वारा आयात किए गए पूंजीगत माल के सिवाय, जिसके लिए इस अवधि को 5 वर्ष रखने का प्रस्ताव है, सभी प्रकार के माल के लिए भाण्डागारण अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा दिए जाने का प्रस्ताव है ;

(ii) भाण्डागारण अवधि में वृद्धि किए जाने के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ;

(iii) शुल्क के 50 प्रतिशत पूर्व-जमा को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है ;

(iv) ब्याज संबंधी देनदारी को भाण्डागार में रखे गए माल पर की गयी शुल्क की अदायगी की तारीख तक ही सीमित किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(v) ब्याज संबंधी देनदारी की संगणना को केवल भाण्डागारण अवधि के समाप्त होने से शुल्क की अदायगी की तारीख तक किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

स्वापक औषधियां

3470. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश में स्वापक-औषधों का प्रकोप बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष राज्य-वार स्वापक औषधों का धन्धा करने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा स्वापक-औषधों की कितनी मात्रा जब्त की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). चूंकि स्वापकों की बिक्री और खपत एक गुप्त गतिविधि है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह गुजरात और उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है अथवा नहीं। तथापि, इन राज्यों में वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और जब्त की गई औषधों की मात्रा के संबंध में उपलब्ध जानकारी निम्न प्रकार है : -

गुजरात

ओषध	1991	1992	1993
	(जब्त की गई मात्रा किलोग्राम में)		
अफीम	52.000	53.000	29.000
हेरोइन	2.500	0.805	1.000
गांजा	278.972	361.530	164.703
हशीश	60.000	302.00	95.000
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	346	315	226

उत्तर प्रदेश

अफीम	143.000	211.000	139.000
मारफीन	13.000	33.000	34.000
हेरोइन	9.000	15.000	29.000
गांजा	2242.000	7862.000	3616.000
हशीश	380.000	924.000	699.000
मैथाक्वालोन	6660 गोलियां	4622 गोलियां	7004.गोलियां
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	2958	6181	5330

[अनुवाद]

उड़ीसा में पटसन का उत्पादन

3471. श्री के. प्रधानी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष में उड़ीसा में पटसन के उत्पादन में तेजी से कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1994-95 में राज्य में पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पटसन उत्पादकों को सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). पटसन का उत्पादन वर्ष 1992-93 में 380800 गांठों से घटकर वर्ष 1993-94 में 325000 गांठें रह गया।

(ग) भारत सरकार उड़ीसा सहित प्रमुख पटसन और मेस्ता उपजाने वाले राज्यों में विशेष पटसन विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत पटसन विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत पटसन उपजकर्ताओं को बीज, औजार, कीटनाशी स्प्रेयर्स, पोषण आहारों आदि जैसे आवश्यक आवकों की सप्लाई करने और साथ ही कृषकों को खेतों में प्रदर्शन दिखाने व उनके प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पटसन उपजकर्ताओं को रेटिंग टेंकों के निर्माण करने और फाइबर क्वालिटी में सुधार हेतु फंगल कल्चर की सप्लाई के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। ये सुविधाएं वर्ष 1994-95 के दौरान पटसन उपजकर्ताओं को प्रदान की जाती रहेंगी।

इंडियन एयरलाइंस के कमांडर

3472. श्री रवि राय : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने 1995 के मध्य तक पर्याप्त संख्या में कमांडरों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) अगले दो वर्षों में, विभिन्न किस्म के विमानों पर 110 कमांडरों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है।

"यूरो इश्यू"

3473. श्री एम. कृष्णस्वामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कंपनियों के "इश्यूओं" के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) कितनी भारतीय कंपनियों ने अब तक यूरो इश्यू खरीदे हैं तथा कितनी कंपनियों ने इनके लिए आवेदन किया है ;

(ग) इन इश्यूओं से अब तक कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ;

(घ) क्या इन कंपनियों द्वारा अपने "यूरो इश्यूओं" के संबंध में अधिमान्य आबंटन संबंधी मार्गनिर्देशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). यूरो इश्यू जारी करने की इच्छुक भारतीय कंपनी से, उसके कम से कम तीन वर्ष के अच्छे कार्य-निष्पादन का स्वच्छ इतिहास होने की आशा की जाती है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (सार्वभौम निक्षेप प्राप्तियों के तंत्र के जरिए) किया गया कुल विदेशी निवेश कंपनी की निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी के 51 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ख) और (ग) 4.3.1994 की स्थिति के अनुसार 20 भारतीय कंपनियों ने अपने इश्यू जारी करने आरंभ कर दिए थे और 2336.37 मिलियन अमरीकी डालर की कुल आय जुटा ली थी। 16.3.1994 तक, सरकार को यूरो-इश्यू जारी करने हेतु मंजूरी प्राप्त करने के लिए कंपनियों से 116 आवेदन प्राप्त हो चुके थे।

(घ) यूरो इश्यू, सार्वभौम निक्षेप तंत्र के जरिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों ओर सामान्य शेयरों को जारी करने हेतु 12.11.1993 को सरकार द्वारा अधिसूचित योजना द्वारा शासित होते हैं।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय में ठेका मजदूर प्रणाली

3474. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न राज्यों में निगम कार्यालयों में ठेका मजदूर प्रणाली के अन्तर्गत मजदूरी का कार्य अब भी किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार के पास ठेकेदारों के अधीन कार्य कर रहे मजदूरों को शिक्षित करने तथा उनसे सीधे कार्य लेने संबंधी कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चावल का निर्यात

3475. श्री नीतीश कुमार : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्युत्तम किस्म के गैर-बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य देश में चावल के वर्तमान बिक्रय मूल्य की तुलना में बहुत कम था ;

(ख) यदि हां, तो देश में चावल का प्रति क्विन्टल न्यूनतम निर्यात मूल्य कितना है और घरेलू बाजार में उसका प्रति क्विन्टल औसत मूल्य क्या है ;

(ग) क्या निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की बिक्री उसी मूल्य पर कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो चावल के निर्यात के कारण देश को कितनी वित्तीय हानि हुई; और

(ङ) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). सुपरफाइन क्वालिटि के गैर-बासमती चावल की घरेलू बाजार में औसत बिक्री कीमत 6000/- से 7250/- रुपए प्रति मी. टन तक रहती है जो

अमरीकी डालर के रूप में 191.30 अमरीकी डालर से 231.15 अमरीकी डालर प्रति एम टी के बीच बैठती है जबकि 3.1.1994 से न्यूनतम निर्यात कीमत 200 अमरीकी डालर प्रति एम.टी. है।

(ग) और (घ). अप्रैल-नवम्बर, 1993 की अवधि के दौरान, सुपरफाइन गैर-बासमती चावल के लिए इकाई मूल्य वसूली 338.40 अमरीकी डालर प्रति एम.टी. है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बकाया राशि की वसूली

3476. श्री राम टहल चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा औद्योगिक एककों को दी गई बड़ी ऋण राशि उन पर अभी भी बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है ; और

(ग) बकाया राशि की वसूली हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि मार्च, 1993 के अंत (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार उनकी प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अंतर्गत बकाया ऋणों की राशि 14164.2 करोड़ रुपए थी। प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अंतर्गत बकाया सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अंतर्गत बकाया ऋणों की वापसी अदायगी ऋणों का करार करते समय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार करनी होती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहायता प्रदत्त कंपनियों की अनुवर्ती निरीक्षणों, तिमाही प्रगति रिपोर्टों आदि के तंत्र के माध्यम से निगरानी करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नियुक्त किए गए निदेशक भी सहायता प्रदत्त कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समय-समय पर सूचना देते रहते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक सहायता प्रदत्त परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं और प्रारंभिक रूग्णता दिखाई देते ही सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। देय राशियों की वसूली की निगरानी करने के लिए प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय स्तर पर विशेष वसूली कक्ष स्थापित किए गए हैं।

विवरण

31.3.1993 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋणों का राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	राज्य	बकाया ऋण
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1307.59

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.40
3.	असम	126.36
4.	बिहार	184.02
5.	चंडीगढ़	4.96
6.	दमन व दीव	7.30
7.	गोवा	74.86
8.	गुजरात	2168.98
9.	हरियाणा	215.16
10.	हिमाचल प्रदेश	59.58
11.	जम्मू एवं कश्मीर	10.21
12.	कर्नाटक	626.44
13.	केरल	205.70
14.	मेघालय	842.35
15.	महाराष्ट्र	2477.14
16.	मणिपुर	2.73
17.	मेघालय	7.04
18.	नागालैंड	4.45
19.	उड़ीसा	411.64
20.	पंजाब	419.26
21.	राजस्थान	715.10
22.	सिक्किम	5.89
23.	तमिलनाडु	1237.30
24.	दादर एवं नगर हवेली	16.26
25.	दिल्ली	201.74
26.	पांडिचेरी	79.05
27.	उत्तर प्रदेश	1504.32
28.	पश्चिम बंगाल	743.36
	जोड़ :	14164.21

[अनुवाद]

"एअर टैक्सी आपरेटरों" के लिए दिशा-निर्देश :

3477. डा. लाल बहादुर रावल :

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरसन को देखते हुए "एअर टैक्सी आपरेटरों" के कार्यकरण को नियंत्रित करने हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं या जारी करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के प्रचालन के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सैट संलग्न विवरण एक और दो में किया गया है।

विवरण - 1

संख्या एवी 11012/2/94-ए

भारत सरकार

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1.3.94

आदेश

वायुयान नियम, 1937 के नियम 134 के उपनियम (1 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, हवाई यातायात सेवाओं के बेहतर विनियमन की दृष्टि से और देश के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई यातायात सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एतदद्वारा निदेश देती है कि प्रत्येक प्रचालक जो इसके साथ संलग्न अनुबंध में श्रेणी 1 के अंतर्गत, निर्दिष्ट किसी भी मार्ग पर देश के भीतर कोई अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालित करता है। उसे अनुबंध में श्रेणी II और III में उल्लिखित मार्गों पर न्यूनतम अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा उपलब्ध करानी अपेक्षित होगी। श्रेणी II और III में मार्गों पर निर्धारित न्यूनतम सेवा प्रदान करने के लिए प्रचालक अपने विकल्प पर अपने बेड़ें के विमान द्वारा अथवा परस्पर सहमत शर्तों पर किसी दूसरे प्रचालक के बेड़े के विमान द्वारा सेवा प्रदान कर सकता है। बाद वाले मामले में, उक्त व्यवस्था के लिए नागर विमानन महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

ह/०
(पी.के. बैनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 4610369

विवरण -2

श्रेणी -I

सीधे जुड़े मार्ग

बंबई-बंगलौर	कलकत्ता-दिल्ली
बंबई-कलकत्ता	कलकत्ता-बंगलौर
बंबई-दिल्ली	कलकत्ता-मद्रास
बंबई-हैदराबाद	दिल्ली-बंगलौर
बंबई-मद्रास	दिल्ली-हैदराबाद
बंबई-त्रिवेन्द्रम	दिल्ली-मद्रास

श्रेणी-II

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्टेशनों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्ष्यद्वीप को जोड़ने वाले मार्ग।

श्रेणी-III

श्रेणी-I और श्रेणी-II से भिन्न मार्ग

जो भी प्रचालक श्रेणी-1 के अंतर्गत एक अथवा अधिक मार्गों पर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालित करता है, उसे नीचे बताए अनुसार श्रेणी-II और III में ऐसी सेवाएं चलानी अपेक्षित होगी : -

प्रचालक को श्रेणी-I में मार्गों पर उल्लिखित नियोजित क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत श्रेणी-II में उल्लिखित मार्गों पर लगाना होगा और इस प्रकार श्रेणी-II के मार्गों पर नियोजित की जानेवाली क्षमता को कम से कम 10 प्रतिशत सर्वथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्षयद्वीप के अंदर प्रचालित सेवाओं पर अथवा उनके खंडों पर नियोजित किया जाएगा।

प्रचालक को श्रेणी-I में नियोजित क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत श्रेणी-III में उल्लिखित मार्गों पर लगायेगा।

नोट 1: अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा के अंग के रूप में श्रेणी-I में प्रचालित सेवा की गणना उपर्युक्त प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।

नोट 2: नियोजित क्षमता की गणना सीट किलोमीटर (ए.एस.के.एम.) में की जाएगी।

नोट 3: दिल्ली-कलकत्ता-गुवाहटी-इम्फाल जैसे बहुत सैक्टर मार्गों पर, दिल्ली-कलकत्ता सैक्टर पर प्रदान की गयी क्षमता श्रेणी-I के अंतर्गत मानी जाएगी, कलकत्ता-गुवाहटी सैक्टर पर प्रदान की गयी क्षमता श्रेणी-II के अंतर्गत मानी जाएगी और गुवाहटी-इम्फाल सैक्टर पर प्रदान की गयी

क्षमता सर्वथा श्रेणी-II के अंतर्गत मानी जाएगी।

अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के प्रचालक द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं

1. कम से कम तीन विमानों का बेड़ा जो भारत में पंजीकृत हो। प्रत्येक विमान का आल-अप-वेट 5700 किलोग्राम से अधिक हो।

2. 40000 किलोग्राम से अधिक आल-अप-वेट वाले विमानों के प्रचालकों के संबंध में अभिदत्त ईक्विटी पूंजी 15 करोड़ रुपए से कम नहीं हो तथा 40000 किलोग्राम से अनधिक आल-अप-वेट वाले विमानों के लिए 5 करोड़ रुपए से कम नहीं।

3. प्रति विमान उड़ान कर्मीदल तथा केबिन कर्मीदल के तीन सेटों से कम नहीं।

4. 500 घंटों तक के निरीक्षण अथवा बोइंग 737 विमान के लिए चैक 'बी' वाले विमानों के रखरखाव हेतू अनुमोदित अनुरक्षण संगठन और सुविधाएं।

5. प्रचालन, प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण एवं रखरखाव के लिए अनुमोदित मैनुअल।

6. कर्मीदल की उड़ान पूर्व चिकित्सा जांच, उड़ान आयोजना तथा त्रेषण विमान कल-पुर्जों तथा प्रणालियों का विश्वसनीयता विशलेषण, दोष जांच, सेवा बुलिटनों और सुधारों का अनुपालन और बड़े कल-पुर्जों के रिकार्ड के लिए कक्ष।

7. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कार्यक्रम और सभी प्रचालनरत स्टेशनों पर प्रशिक्षित सुरक्षा कार्मिक।

8. श्रेणी-I के अधीन अनुबंध में निर्दिष्ट किसी भी मार्ग पर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालित करने वाले प्रचालकों को अनुबंध में बताए अनुसार श्रेणी-II तथा III में बताएं अनुसार न्यूनतम अनुसूचित सेवा प्रदान करनी होगी। श्रेणी-II तथा III में वर्णित मार्गों पर निर्धारित न्यूनतम सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रचालक को इस बात की छूट रहती है कि वह या तो अपने स्वयं के विमान बेड़े के विमान से अथवा अन्य प्रचालक के विमान बेड़े से परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान कर सकता है। बाद के मामले में, इस प्रकार के प्रबंध के लिए नागर विमानन महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

9. प्रचालक उन सभी आगे की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा जो नागर विमानन महानिदेशक अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा और सुरक्षित प्रचालन और विश्वसनीय सेवाओं की निगरानी के लिए आवश्यक समझे।

10. वे प्रचालक जो अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालन के लिए अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं, वे वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची-II के प्रावधानों और उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए नागर विमानन महानिदेशक को आवेदन कर सकते हैं।

विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय

3478. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1994 और 1995 में विदेशी पर्यटकों से अलग-अलग अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : वर्ष 1994 और 1995 के दौरान, पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय का अनुमान क्रमशः 4890 करोड़ रुपये और 5620 करोड़ रुपये लगाया गया है।

सोने की तस्करी

3479. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने के आयात की नीति के उदारीकरण के बावजूद सोने की तस्करी लगभग बेरोकटोक जारी है ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान जब्त किये गये सोने का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जनवरी महीने के दौरान केवल सीमा शुल्क अधिकारियों ने इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1.5 करोड़ रुपये मूल्य का सोना और विदेशी मुद्रा जब्त की ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) देश में सोने की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). उदारीकृत आयात नीति तथा आयात शुल्क कम करने से सोने सहित बहुमूल्य धातुओं की बड़े पैमाने पर की जा रही तस्करी में कमी आई प्रतीत होती है। तथापि, सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं की कम मात्रा में तस्करी किए जाने के मामले अभी भी देखने में आ रहे हैं।

पिछले छः महीने के दौरान पकड़े गए सोने का ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

मास	पकड़ा गया सोना (किलोग्राम में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
सितम्बर, 1993	66.736	2.90
अक्तूबर, 1993	147.385	6.82
नवम्बर, 1993	96.435	4.32

दिसम्बर, 1993	86.457	3.88
जनवरी, 1994	93.137 *	4.31 *
फरवरी, 1994	15.097 *	0.69 *

* आंकड़े अंतिम हैं।

(ग) और (घ). जनवरी, 1994 के मास के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 59.99 लाख रुपये मूल्य का सोना और 12.19 लाख रुपयें की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई थी।

(ङ) तस्करी को रोकने और इसका पता लगाने के कार्य में लगी केन्द्रीय और राज्य सरकारों की एजेन्सियां सोने की तस्करी सहित सभी तरह की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क हैं। ऐसी तस्करी की रोकथाम करने के लिए उन्हें बेहतर साधनों से सुसज्जित किया गया है।

दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग

3480. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी उन्मुलन योजना के अन्तर्गत ऋण

3481. श्री राम पूजन पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को 1991-92, 1992-93 के दौरान और 1993-94 में अब तक कितना ऋण/सहायता दी गई ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऋण/सहायता देने हेतु 1994-95 के लिए कोई योजना बनायी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों क अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अपने कुल ऋणों का कम से कम 10 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित कमज़ोर वर्गों को देना होता है। इस संबंध में राज्य-वार उधारकर्ता श्रेणीवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। आंकड़ा सूचना प्रणाली से समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, मार्च, 1991, 1992, 1993 को समाप्त वर्ष और जून, 1993 को समाप्त तिमाही के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों को दिए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों की बकाया राशि क्रमशः 10260 करोड़

रुपए, 10881 करोड़ रुपए, 11855 करोड़ रुपए और 11881 करोड़ रुपए थी। उपर्युक्त राशि में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा क्रमशः 3288 करोड़ रुपए, 3629 करोड़ रुपए, 4141 करोड़ और 4262 करोड़ रुपए था। सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋणों की मंजूरी के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई हैं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों के लिए उपयुक्त बैंक योग्य योजनाएं विकसित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। तदनुसार, वाणिज्यिक बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ताकि पता लगाए हिताधिकारी अपने आर्थिक उत्थान के लिए अर्थक्षम योजना अपना सकें।

बेरोज़गारी की समस्या

3482, श्री राम विलास पासवान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शिक्षित, कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों के बीच और कृषि क्षेत्र में बेरोज़गारी में अनुमानतः कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम शक्ति में कितनी अनुमानित कमी हुई ;

(ग) देश में आठवीं योजना के दौरान लक्ष्य की तुलना में बेरोज़गारी निवारण का कितना प्रतिशत प्राप्त किया गया ; और

(घ) नौवीं योजनावधि के दौरान समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या नीति अपनाने पर विचार किया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 के दौरान देश के रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित (मैट्रिक तथा उससे ऊपर) कुशल/अर्ध कुशल तथा अकुशल वर्ग के रोज़गार चाहने वालों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोज़गार हों, की संख्या संलग्न विवरण में निर्दिष्ट की गई है। कृषि क्षेत्र से संबंधित इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोज़गार से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के माध्यम से एकत्र सूचना के अनुसार वर्ष 1988, 1990 तथा 1991 के दौरान केन्द्र सरकार (अर्ध) तथा राज्य सरकार (अर्ध) में रोज़गार में कोई कमी नहीं आई थी।

(ग) और (घ) समग्र बेरोज़गारी अप्रैल 1990 में लगभग 12.7 मिलियन से बढ़कर अप्रैल, 1993 में लगभग 17.8 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। आठवीं योजना में योजना अवधि के दौरान प्रतिवर्ष औसतन लगभग 8 से 9 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार अवसर सृजित करने की परिकल्पना की गई है। 1992-93 के दौरान लगभग 6 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार अवसर सृजित किये जाने का अनुमान है। आठवीं योजना में परिकल्पित वृद्धि को यदि नौवीं योजना में जारी रखा जाता हैं तो वर्ष 2002 तक बेरोज़गारी का स्तर कम होकर नगण्य रह जाएगा।

विवरण

देश के रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोज़गार चाहने वालों की संख्या के संबंध में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन

वर्ष	शिक्षित (मैट्रिक तथा उससे ऊपर)	कुशल/ अर्धकुशल	अकुशल
1987	+1.7	-19.4	-5.8
1988	+4.6	-0.6	-7.4
1989	+9.3	+8.2	+2.3

बाल श्रमिक

3483. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 85 प्रतिशत बाल श्रमिक बाल श्रमिक (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नहीं आते हैं ;

(ख) यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन बच्चों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाने हेतु कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी बैंक

3484. श्री मुमताज अंसारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी बैंकों को लाइसेंस दिए गये ; और

(ख) इन बैंकों और इनकी उन शाखाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त अवधि के दौरान देश में बंद कर दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में, निम्नलिखित 12 विदेशी बैंकों को शाखाएं खोलने के वास्ते लाइसेंस जारी किये गये हैं।

(I) ए.बी.एन. एम्रो बैंक

(II) हांगकांग बैंक

(III) अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक

(VI) ब्रिटिश बैंक आफ मिडिल ईस्ट

(V) ओमान इंटरनेशनल बैंक

(VI) क्रेडिट लायोनेस

(VII) डयूश बैंक

(VIII) बैंक आफ नोवा स्कोटिया

(XI) सोसिबेट जेनरेल

(X) बारकलेज बैंक

(XI) आई.एन.जी.बैंक

(XII) स्टेट बैंक आफ मारीशस

उक्त बैंकों में से किसी भी बैंक ने इस अवधि के दौरान अपनी कोई भी शाखा बंद नहीं की है।

[अनुवाद]

निर्यात एवं आयात के लिए सरणीबद्ध वस्तुएं

3485. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात/निर्यात के लिए सरणीबद्ध वस्तुएं कौन-कौन सी हैं तथा इसके लिए सरणीबद्ध एजेन्सियां कौन-कौन सी हैं ;

(ख) क्या सरकार को इन वस्तुओं को गैर-सरणीबद्ध करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ). मदों के ब्यौरे तथा जिन अभिकरणों के माध्यम से ऐसी मदों के आयात/निर्यात को सरणीकृत किया जाता है, उनका विवरण निर्यात और आयात नीति, 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1993), में दिया गया है। इस नीति की प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

नीति की समीक्षा एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जनता से प्राप्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए जनहित में जब भी आवश्यक समझा जाता है इसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीदे गए शेयर

3486. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्री राम सिंह कस्वा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों द्वारा किसी अन्य अप्रवासी से शेयर खरीदने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को समाप्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कब तक उक्त प्रस्ताव को लागू किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ समझौते

3487. श्री विजय एन. पाटील : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन समझौतों में विदेशी एयरलाइनों के भारत को सीधी उड़ाने आरंभ करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख), 1.1.1992 से 28.2.1994 की अवधि में भारत ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में निम्नलिखित 6 देशों के साथ द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए हैं : -

(1)	हंगरी	16.10.92
(2)	बेलारूस	14.5.93
(3)	इजरायल	18.5.93
(4)	उज्बेकिस्तान	29.7.93

(5)	कोरिया	10.9.93
(6)	सिंगापुर	24.1.94

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षुओं को वजीफे

3488. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण काल के दौरान दिये जाने वाले वजीफे की वर्तमान दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). शिक्षुओं को देय वृत्ति की दरें व्यवसाय शिक्षुओं के लिए 27 फरवरी, 1993 तथा शिक्षुओं के अन्य सभी वर्गो के लिए 20 अप्रैल, 1993 से बढ़ा दी गई हैं। वृत्तिका की दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हड़ताल और तालाबंदी

3489. प्रो. के.वी. थामस :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 तथा जनवरी, 1994 के दौरान प्रत्येक राज्य में हड़ताल तथा तालाबन्दी के कारण उद्योगों में बेकार हुए श्रम दिवसों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसी हड़तालों तथा तालाबन्दी के कारण उत्पादन में तथा श्रमिकों को मजदूरी में अलग-अलग से कितना घाटा हुआ, और

(ग) क्या हड़ताल तथा तालाबन्दी के मामलों में कमी आ रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क). 1993 (जन. से नवम्बर) (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण होने वाले श्रम दिवसों की हानि सम्बन्धित राज्य-वार सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 1993 (जन-नवम्बर) के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण उत्पादन की हानि क्रमशः 181.67 करोड़ रुपए एवं 84.88 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसी अवधि के के दौरान हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण मजदूरी में हुई हानि क्रमशः 7.53 करोड़ रुपए और 10.11 करोड़ रु. आंकी गई है।

(ग) इन हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण हड़तालों और तालाबन्दियों तथा नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या नीचे दी गई है : -

हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या		नष्ट हुए श्रम दिवस (मिलियन में)
1991	1810	26.43
1992	1714	31.26
1993 (जन. - नव.)	1050	15.46

(उपरोक्त आंकड़े अनन्तिम हैं)

विवरण

1993 (जन.-नव.) के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवसों की राज्य वार संख्या (हजारों में) (अंतिम)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नष्ट हुए श्रम दिवस	
	हड़ताल	तालाबंदियां
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	218	1034
बिहार	52	365
दिल्ली	16	0
गोवा, दमण और दीव	3	4
गुजरात	308	259
हरियाणा	132	128
कर्नाटक	294	61
केरल	180	789
मध्य प्रदेश	75	0
महाराष्ट्र	390	1560
उड़ीसा	26	12

1	2	3
पांडिचेरी	0	0
पंजाब	78	2
राजस्थान	91	146
तमिलनाडु	1906	315
उत्तर प्रदेश	24	316
पश्चिम बंगाल	234	6347
अन्य	52	40.
कुल	4076	11378

0 = शून्य अथवा 500 से कम

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला

[हिन्दी]

हड़ताल और तालाबन्दी

3490. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 1993 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के परिणामस्वरूप उद्योगों में हुई श्रमदिवसों की हानि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) ऐसी हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण उत्पादन में और श्रमिकों को वेतन की अलग-अलग कितनी हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 1993 (जनवरी-नवंबर) के दौरान हड़तालों एवं तालाबंदियों के कारण उद्योगों में नष्ट श्रम दिवसों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1993 (जनवरी-नवंबर) के दौरान हड़तालों एवं तालाबंदियों के कारण उत्पादन की हानि क्रमशः 181.67 और 84.88 करोड़ रुपये आंकी गयी है और इसी अवधि के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण मजदूरी में हुई हानि क्रमशः 7.53 करोड़ रुपये और 10.11 करोड़ रुपये आंकी गयी है।

विवरण

1993 के दौरान (जनवरी-नवंबर) हड़तालों और तालाबंदियों के कारण उद्योग वार नष्ट हुये श्रम दिवस (हजारों में)

(अनंतिम)

उद्योग समूह	नष्ट हुये श्रम दिवस	
	हड़ताल	तालाबंदियों
1	2	3
खाद्य उत्पाद	120	103
पेय, तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	17	13
सूती वस्त्र	1328	1861
ऊन रेश्मे एवं सिंथेटिक वस्त्र	46	0
जूट, हेम्प और मेस्ता वस्त्र	32	3263
वस्त्र उत्पाद	61	397
इंजिनीयरिंग	743	2263
रसायन एवं रसायन उत्पाद	38	447
गैर धात्विक खनिज उत्पाद	206	422
अन्य विनिर्माण उद्योग	18	117
कोयला खनन	30	213
गैर कोयला खनन	378	99
बागान	64	54
रबर, प्लास्ट, पेट्रो एवं कोयला उत्पाद	193	554
बैंक एवं इसी तरह की वित्तीय संस्थान	283	0
अन्य	522	1573
अखिल भारतीय	4079	11378

0 - शून्य या 500 से कम

स्रोत - श्रम ब्यूरो, शिमला

आंकड़ों के पूर्णांक होने की वजह से कुल योग मेल नहीं खा सकते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3491. प्रो. रासा सिंह रावत:

श्री बलराज पासी :

श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग). अखिल भारत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ (एआईआरआरबीईए) तथा अखिल भारत ग्रामीण बैंक अधिकारी तथा कर्मचारी समन्वय समिति (एआईजीबीओ एण्ड ईसीसी) ने सरकार को सम्बोधित अपने पत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें की थी जैसे - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल के पंचाट के मुताबिक बकाया रकम का भुगतान तुरन्त वेतन संशोधन, अंशदायिक भविष्य निधि और उपदान के अतिरिक्त पेंशन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी सेवा नियमों/पदोन्नति नियमों में संशोधन ओर राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आदि शामिल हैं। जहां तक एन.आई.टी. पंचाट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को बकाया रकम का भुगतान किये जाने का संबंध है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण इस रकम का भुगतान नहीं कर पाये हैं। तुरंत वेतन संशोधन, सीपीएफ और उपदान के अतिरिक्त पेंशान, सेवा विनियमों, पदोन्नति और भर्ती नीति में संशोधन आदि जैसी अन्य मांगों पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रस्तावित पुनर्गठन के प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए, नाबार्ड द्वारा विचार करना अपेक्षित होगा।

जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन का संबंध हैं, वित्त मंत्री ने 28 फरवरी, 1994 को दिये गये अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि वर्ष 1994-95 के दौरान, पूरे देश में स्थित 195 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 बैंकों के संबंध में, उनके तुलनपत्रों में सुस्पष्टता लाने तथा नयी पूंजी प्रदान करने समेत उनका व्यापाक रूप से पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सरकारी अधिकारियों द्वारा हवाई यात्राएं

3492. श्री रमेश चेन्नितला :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने अधिकारियों को एयर टैक्सियों से यात्रा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके फलस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया और वायुदूत को कितना वार्षिक घाटा होने का अनुमान है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). सरकारी कर्मचारियों को हवाई टैक्सी द्वारा यात्रा करने की अनुमति के आदेश दिसम्बर, 1993 में जारी किए गए थे। ये आदेश अब वापस ले लिए गए हैं।

(ग) इस अल्प अवधि के दौरान के दौरान इंडियन एयर लाइन्स/वायुदूत की हुई हानि का अनुमान संभव नही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

3493. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे के अनुसार है : -

	मद	रिलीज की गई राशि (करोड़ रुपये में)		
		1990-91	1991-92	1992-93
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	387.23	468.23	479.06
2.	वाह्‌य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	47.81	96.14	81.27
3.	केन्द्रीय करों का हिस्सा (रेल यात्री किराया कर को मिलाकर) संशोधित अनुमान)	1098.44	1300.11	1548.71
4.	लघु बचत उगाहियों के प्रति ऋण	232.96	179.29	112.98
5.	योजनागत राजस्व घाटा अनुदान	141.45	167.65	204.32
6.	आपदा राहत कोष के लिए केन्द्र का अंशदान	27.75	27.75	27.75
7.	प्रशासन के स्तर उन्नयन के लिए तथा विशेष समस्याओं के लिए अनुदान	13.05	11.44	5.26
8.	भोपाल गैस त्रासदी कार्ययोजना के लिए योजना-भिन्न अनुदान	24.45	24.45	12.225

[अनुवाद]

रूई का निर्यात

3494. श्री एम.वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री नितिश कुमार :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

श्री नारायण सिंह चौधरी :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की रूई के मूल्यों पर अंकुश रखने के उद्देश्य से संविदाकृत रूई का निर्यात रोक दिये जाने की प्रस्तावित कार्यवाही से रूई का कारोबार करने वाली कुछ प्रमुख यूरोपीय और जापानी बहुराष्ट्रिक कंपनियां असन्तुष्ट हैं ;

(ख) क्या इसके कारण रूई निर्यातक के रूप में भारत को काली सूची में रखे जाने की आंशका है ;

(ग) क्या रूई के निर्यात के इस संकट का हल ढूंढने के लिए गत महीने उच्चस्तरीय बातचीत हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

(ङ) क्या भारत द्वारा 2 लाख गांठों के निर्यात के ठेकों के अपने वायदे को पूरा न कर पाने के कारण निर्यात एककों को मुकदमों तथा क्षतिपूर्ति के दावों का सामना करना पड़ेगा ; और

(च) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से कैसे निपटेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (च). विश्व कपास निर्यातक संघ ने सरकार द्वारा कपास के निर्यात को आस्थगित करने पर चिंता व्यक्त की है। संघ की ओर से एक शिष्ट मण्डल ने सरकार को संविदागत अनिवार्यताओं का सम्मान करने और आस्थगन आदेश की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया हैं तथापि सरकार कपास के मूल्य में असामान्य वृद्धि जिसके कारण हथकरघा तथा विद्युतकरघा बुनकरों को भारी कठिनाई हो रही है, को ध्यान में रखते हुए, कपास की स्थिति पर सूक्ष्म निगरानी रख रही है।

इंजीनियरी उद्योग के लिए क्रेडिट पैकेज

3495. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे विश्व में इंजीनियरी उद्योग में कड़ी प्रतिस्पर्धा है ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरी उपक्रमों के लिए प्रति व्यापार/दीर्घकालिक ऋण व्यवस्था द्वारा निर्यात को सहायता देने की कोई आवश्यकता है ;

(ग) क्या भारतीय बैंकिंग व्यवस्था बड़े पैमाने पर इंजिनियरी निर्यात को सहायता देने में सक्षम है ;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि बैंकिंग प्रणाली द्वारा क्रेडिट पैकेज सहायता न मिलने के कारण निर्यात आदेश बेकार न हों ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ). इंजीनियरिंग मदों का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद किया जा रहा है। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र से किया जाने वाला निर्यात भी शामिल है, को प्रभावकारी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाने के लिए हमारे निर्यात के लिए ऋण और प्रति-व्यापार उपायों सहित, विभिन्न सहायता उपाय किए जा रहे हैं। परियोजना-निर्यात को ऋण सुविधा दिलाने के लिए एक; एक ही स्थान पर निर्वाधन की व्यवस्था स्थापित की गयी है। आस्थगित भुगतान सुविधा वाले तथा 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रस्तावों को आयात-निर्यात बैंक के एक अन्तः संस्थागत कार्यदल द्वारा एक नोडीय अभिकरण के रूप में क्लीयर किया जाता है। 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपये के बीच के मूल्य के प्रस्तावों को आयात-निर्यात बैंकों द्वारा क्लीयर किया जाता है। 10 करोड़ से रुपये से कम मूल्य के प्रस्तावों को वाणिज्यिक बैंक द्वारा क्लीयर किया जाता है। ऋण सहायता प्रदान करते समय ऋणदाता संस्थान प्रस्ताव की वाणिज्यिक अर्थक्षमता विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. की बीमा उपलब्धता को ध्यान में रखते हैं। विगत में इंजीनियरिंग सेक्टर में आयात-निर्यात बैंक/कार्यदल ने भारत हैवी इलेक्टिकल्स लिमि., टेलीकॅम्यूनिकेशन कंसल्टेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड, इण्डियन रेलवे कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड आदि जैसीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को इस तरह की ऋण सुविधा प्रदान की है।

विदेशी निवेश

3496. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में विभिन्न उद्योगों में समग्र रूप से कुल कितनी धनराशि का विदेशी पूंजी निवेश किया गया ;

(ख) कितनी कम्पनियों में विदेशी निवेशकों की 49 प्रतिशत पूंजी से अधिक सम्पत्ति है; और

(ग) हमारे देश की भीतरी तथा बाहरी अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). वर्ष 1991 से 1993 तक विदेशी निवेश का वास्तविक अन्तर्प्रवाह 2812.64 करोड़ रुपए है जिसमें अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया निवेश भी शामिल है।

(ख) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) जुलाई, 1991 से आरंभ किए गए आर्थिक सुधारों के पैकेज ने देश की विदेशी भुगतान संबंधी स्थिति की आर्थिक क्षमता को पुनःस्थापित कर दिया है और आज हमारे विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डार 14 बिलियन डालर हैं जबकि जून, 1991 में यह केवल 1.1 बिलियन डालर थे।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधकों के परिसरों पर छापे

3497. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1994 के दौरान देश के कई स्थानों में भारतीय स्टेट बैंक के महा प्रबंधकों के परिसरों पर छापे डाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (डा. अबरार अहमद). (क) से (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, कलकत्ता के महा प्रबंधक और भारतीय स्टेट बैंक, गुवाहाटी के महा प्रबंधक तथा दिल्ली की कम्पनियों के एक समूह के विरुद्ध 688 लाख रुपए की धनराशि की अनेक ऋण सुविधा प्रदान करने में अनुचित पक्षपात दिखाने के आरोपों के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 के तहत एक मामला रजिस्टर कराया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तलाशियां ली थी, जिसमें एक बड़ी संख्या में अपराध में लिप्त होने के दस्तावेज, उनके द्वारा पकड़े गए बताए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि दोनों महाप्रबंधकों को 18.2.94 से बैंक सेवा से निलंबित कर दिया गया है।

सर्वेक्षक और क्षति निर्धारक

3498. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा नीतियों के अन्तर्गत मुआवजे का निर्धारण करने की प्रक्रिया में सर्वेक्षकों और क्षति निर्धारकों की भूमिका के सम्बन्ध में कई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो दावों के भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के सम्बन्ध में सरकार का विचार इसमें संशोधन करने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार बीमा नियन्त्रक द्वारा सर्वेक्षकों को जारी किये जाने वाले लाइसेंस प्रणाली में कोई संशोधन करने का भी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) साधारण बीमा निगम द्वारा सूचित किया गया है कि साधारण बीमा पालिसियों में क्षतिपूर्ति के निर्धारण की प्रक्रिया में सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों की भूमिका के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) से (घ). बीमा क्षेत्र में सुधार लाने संबंधी सुझाव प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित समिति ने 7 जनवरी, 1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ बीमा उद्योग में दावों के निपटान की प्रक्रिया में सुधार लाने और बीमा नियंत्रक द्वारा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया समाप्त करने की सिफारिश की है ; ताकि बीमा कम्पनियां उपयुक्त सर्वेक्षक को उचित कार्य सौंपने के लिए मुक्त हो सके। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा अभी विचार किया जाना है।

[अनुवाद]

कृषि ऋण

3499. श्री प्रतापराव बी. भोंसले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों तथा कृषि उपकरणों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण की ब्याज दर को कम करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उर्वरकों और कृषि औजारों की कीमतों में वृद्धि के कारण कृषि ऋणों पर ब्याज की दर को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बेरोज़गार अभियन्ता

3500. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बेरोज़गार डिग्री, डिप्लोमा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रमाणपत्र धारकों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार 1992 के अंत में 20 प्रमुख राज्य/संघ शासित प्रदेशों में बेरोजगार डिग्री तथा डिप्लोमाधारक इंजीनियरों की कुल संख्या संलग्न विवरण-1 में दिए गए अनुसार थी। शेष राज्यो/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में ऐसे अनुमान तैयार नहीं किए गए है।

इसी प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमाणपत्र धरकों के संबंध में इस प्रकार के अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं। तथापि, 31.12.1991 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमाणपत्र धारकों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हो, की संख्या संलग्न विवरण-2 में दर्शाई गई है।

विवरण – 1

राज्यों द्वारा 1992 के अंत में विभिन्न विधाओं के बेरोजगार इंजीनियरिंग डिग्री एवं डिप्लोमाधारकों की अनुमानित संख्या।

राज्य		डिग्री धारक	डिप्लोमा धारक
1		2	3
1.	असम	154	255
2.	बिहार	1045	2517
3.	उड़ीसा	149	662
4.	पश्चिमी बंगाल	550	2963
5.	चंडीगढ़	82	112
6.	दिल्ली	258	357
7.	हरियाणा	87	986
8.	हिमाचल प्रदेश	–	238
9.	जम्मू और कश्मीर	109	–
10.	पंजाब	161	1037
11.	राजस्थान	227	759
12.	उत्तर प्रदेश	947	7000
13.	गुजरात	455	2483
14.	मध्य प्रदेश	954	3082
15.	महाराष्ट्र	1351	3150
16.	गोवा	8	43
17.	आंध्र प्रदेश	1974	6116
18.	कर्नाटक	3184	7536
19.	केरल	819	4355
20.	तमिलनाडु	4117	5903

विवरण - 2

31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या।

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चालू रजिस्टर पर भूतपूर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
	1	2
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	132845
2.	अरुणाचल प्रदेश	29
3.	असम	12028
4.	बिहार	93681
5.	गोवा	5369
6.	गुजरात	23413
7.	हरियाणा	26497
४.	हिमाचल प्रदेश	18312
9.	जम्मू और कश्मीर	2216
10.	कर्नाटक	35732
11.	केरल	82825
12.	मध्य प्रदेश	42553
13.	महाराष्ट्र	73103
14.	मणिपुर	319
15.	मेघालय	128
16.	मिज़ोरम	195
17.	नागालैण्ड	205
18.	उड़ीसा	19233
19.	पंजाब	34199

1		2
20.	राजस्थान	16147
21.	सिक्किम *	-
22.	तमिलनाडु	95194
23.	त्रिपुरा	391
24.	उत्तर प्रदेश	135977
25.	पश्चिम बंगाल	32613
	संघ शासित प्रदेश	
26.	अंडमान और नगर हवेली	-
27.	चंडीगढ़	10705
28.	दादर और और नगर हवेली	185
29.	दिल्ली	13595
30.	दमन और दीव	100
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पांडिचेरी	5430
	योग	913219

टिप्पणी : * इस राज्य में कोई रोज़गार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यातकों के लिये सुविधाएं

3501. श्री रामबदन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान विभिन्न देशों को सिले सिलाये वस्त्रों का किये गये निर्यात का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यातकों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1993-94 (31 जनवरी, 94 तक), के दौरान प्रमुख देशों को सिले-सिलाये परिधानों के निर्यात के विवरण निम्नानुसार हैं : -

देश	मात्रा (लाख)	मूल्य अमरीकी मिलियन डालर में (अनतिम)
ई ई सी	3227	1173

1	2	3
यू एस ए	1195	727
यू ए ई	726	143
स्विटजरलैंड	256	86
कनाडा	229	85
जापान	211	85
आस्ट्रेलिया	95	43

स्रोत : अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद।

(ख) सिले-सिलाएं परिधानों के निर्यातकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में एकीकृत बाजार निर्धारण विनिमय दर प्रणाली की शुरूआत चालू खाते में रुपये की परिवर्तन शीलता, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुकुर बनाना, निर्यात ऋण की उपलब्धता में वृद्धि, विदेशी मुद्रा खातों में 25 प्रतिशत तक विदेशी विनियम प्राप्तियों को बनाए रखने की अनुमति निर्यातकों को क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल करना है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के ऋण

3502. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया पर कितने ऋण थे ;

(ख) क्या गत पांच वर्षों के दौरान एयर इंडिया के ऋण में बढ़ोतरी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1990-91 और वर्ष 1992-93 के दौरान एयर इंडिया के दीर्घकालीन ऋण की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है : -

वर्ष	ऋण देयता (करोड़ रुपए में)
1990-91	1308.91
1991-92	1879.17
1992-93	2171.46

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). एयर इंडिया द्वारा विमान खरीदने के लिए वित्त व्यवस्था विदेशी बैंकों से दीर्घकालिक ऋणों के जरिए की जाती है। अतिरिक्त नए विमानों के आने से पिछले पांच वर्षों में दीर्घकालिक ऋण की राशि क्रमशः बढ़ गई है। तथापि, ऋण के पुनर्भुगतान शीघ्रता से किये जा रहे हैं और कोई चूक नहीं हुई है।

रंगराजन समिति की रिपोर्ट

3503. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री हाराधन राय :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकारी उद्यम अनिवेश के सम्बंध में एक समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम तथा कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस समिति ने कोई सिफारिश की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के एक्कों के अनिवेश की प्रक्रिया में संशोधन करने का विचार हैं और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (च). रंगराजन समिति की सिफारिशें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विनिवेश की प्रक्रिथा भी शामिल है, सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

पश्चिमी राज्यों में पर्यटन विकास

3504. श्री एन.जे. राठवा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिपी राज्यों विशेषकर गुजरात में पर्यटन विकास के संबंध में उपलब्धियों का आकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन राज्यों की उपलब्धियों का आकलन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). केन्द्रीय पर्यटन विभाग, गुजरात सहित प्रत्येक राज्य में पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं/स्कीमों के संबंध में प्रत्येक राज्य के कार्य-निष्पादन की साथ-समय पर निगरानी करता है।

विदेशों में भारतीय निर्माण कंपनियां

3505. डा. साक्षीजी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्यरत भारतीय निर्माण कंपनियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) गत दो वर्षो के दौरान और चालू वर्ष के दौरान आज तक इन कंपनियों ने कितने मजदूर विदेशों में भेजे हैं ;

(ग) क्या उन मजदूरों को विदेशों में रोजगार उपलबध कराया गया है ; और

(घ) उनमें से कितने मजदूर वापस आए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क). ओवरसीज कन्स्ट्रक्शन काऊंसील ऑफ इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार विदेशों में निर्माण कार्य में 18 भारतीय कंपनियां लगी हैं। संलग्न विवरण में इनका ब्यौरा दिया गया है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

विदेशों में निर्माण कार्य में लगी भारतीय कंपनियों का ब्यौरा : –

क्र.सं.	कम्पनी का नाम व पता	क्र.सं.	कम्पनी का नाम व पता
1.	इन्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कं.लि. पालिका भवन, सेक्टर-13, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110 066	2.	कॉन्टिनेन्टल कन्स्ट्रक्शन लि., कॉन्टिनेन्टल हाऊस, 28 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली
3.	अन्सल प्रोपरटीज एण्ड इन्ड.लि., 115, अन्सल भवन, 16 के जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001	4.	भागीरथ इन्जिनियरिंग लि., 132, पनपिल्ली, पो.बा.नं. 2338 कोचीन-682016, केरल
5.	सिम्प्टो इन्टरनेशनल, अंतरिक्ष भवन, चौथी मंजिल, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110 001.	6.	गैमन इन्डिया लि०, गैमन हाऊस, वीर सावरकर मार्ग, प्रभा देवी, बम्बई-400025

क्र.सं.	कम्पनी का नाम व पता	क्र.सं.	कम्पनी का नाम व पता
7.	आई एन एम ए कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. 251 अवई, शनूमुगम रोड़, गोपालपुरम मद्रास-600086	8.	जयप्रकाश इन्ड. लि. जे.ए. हाऊस, 13 बसन्त लोक कम्युनिटी सेन्टर, बसन्त बिहार, नई दिल्ली-110057
9.	के ई सी इन्टरनेशनल लि., लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, कुर्ला, बम्बई-400070	10.	लार्सन टूब्रो लि., ई सी सी कन्स्ट्रक्शन ग्रुप, माउन्ट पूनामल्ली रोड़, मनपक्कम, पो.बा.नं. 979, मद्रास 600089
11.	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि., एन बी सी सी हाऊस, लोधी रोड़, नई दिल्ली 110 003.	12.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि., राजा हाऊस, 31, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019
13.	पैट्रोन सिविल इंजीनियरिंग लि., स्वास्थिक चैम्बर, छठी मंजिल सॉयन, ट्राम्बे रोड़, चेम्बूर, बम्बई-400071	14.	सोमदत्त बिल्डर्स लि., एस डी बी हाऊस, 56-58 कम्युनिटी सेन्टर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली - 110 065
15.	टाटा प्रोजेक्ट्स लि. सूर्योदय 1-10-60/3 बेगमपेट हैदराबाद - 500016	16.	यूनीटेक लि., यूनीटेक हाउस 6, कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली - 110 017
17.	हिन्दुस्तान कन्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि., कन्स्ट्रशन हाउस, वाल चन्द हीरा चन्द मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, बम्बई - 400038	18.	पैट्रॉन इन्जीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन लि., स्वास्तिक चेम्बर्स, छठी मंजित, सायन, ट्राम्बे रोड़, चेम्बूर, बम्बई-400071

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में तंबाकू नीलामी केन्द्रों की स्थापना

3506. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या वाणिज्य मंत्री यह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंबाकू बोर्ड को आन्ध्र प्रदेश में कुछ और तंबाकू नीलामी केन्द्र खोलने हेतु अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस मौसम में तंबाकू बोर्ड द्वारा तंबाकू पैदा करने वाले किसानों की कौन-कौन सी मुख्य शिकायतों का निवारण किया जा रहा है ; और

(घ) क्या तंबाकू बोर्ड ने कृषक समुदाय को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तंबाकू की खेती से संबंधित नीतियों से सतर्क किया है ?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तंबाकू कृषकों की मुख्य शिकायत नीलामी में न्यूनतम कीमतों में गिरावट होने के संबंध में थी। आपूर्ति एवं मांग की स्थिति के आधार पर चालू मौसम के लिए फसल का आकार निर्धारित करके इस शिकायत का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन कीमत (एम एस पी) की घोषणा भी कर दी है।

(घ) सरकार ने इस बात का भली भांति प्रचार कर दिया है कि धूम्रपान स्वास्यि के लिए हानिकारक है।

भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन

3507. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड का पुनर्गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा बोर्ड का पुनर्गठन कब तक कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति हेतु नामों को सरकार द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है। औपचारिकताओं के पूर्ण होने के पश्चात इन नियुक्तियों की आवश्यक अधिसूचनाएं शीघ्र जारी कर दी जाएंगी।

उड्डयन क्षेत्र में विदेशी निवेश

3509. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड्डयन क्षेत्र में निवेश करने हेतु अनिवासी भारतीयों से कुछ प्रस्ताव मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने प्रस्ताव मिले हैं ;

(ग) क्या उड्डयन क्षेत्र में विदशी पूँजी निवेश हेतु अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी सें प्रस्ताव मिले हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने उपरोक्त प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). कोचीन में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण और कालीकट में हवाई अड्डे के उन्नयन के वित्त पोषण हेतु केरल सरकार ने अनिवासी भारतीयों सहित जनता से धन जुटाने के लिए सोसाइटियाँ गठित की हैं।

(ग) से (ङ) इन देशों की सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कुक्कुट पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण

3510. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने तथा कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए कुक्कुट पालकों को ऋण देने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) सरकार को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से राज्य में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए मूर्गी-पालन फार्म मालिकों को ऋण स्वीकृति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए, यह प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

कर्नाटक में महिला सहकारी बैंक

3511. श्रीमंती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितनी महिला सहकारी बैंक है ;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक महिला सहकारी बैंक खोलने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). कर्नाटक राज्य में लाइसेंस प्राप्त तीन महिला शहरी सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति में प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि वे प्रस्ताव भविष्य की आवश्यक संभाव्यता और अर्थक्षमता की संभावना को पूरा करते हों। महिलाओं द्वारा शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए आरम्भिक शेयर पूंजी और सदस्यता के संबंध में प्रवेश बिन्दु मानदंडों में कुछ ढील देने की अनुमति भी दी गई है।

हवाला लेन-देन रैकेट

3512. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 फरवरी, 1994 को करोड़ो रुपये के हवाला लेन-देन संबंधी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि जब्त की गई तथा इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ;

(ग) वर्ष 1993 के दौरान तथा 1994 में अब तक गुजरात तथा अन्य राज्यों से अवैध लेनदेन के ऐसे कितने रैकेटों का पता चला है ; और

(घ) इसमें कितनी राशि जब्त की गई तथा इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3513. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लगातार घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक उक्त बैंकों को कितना घाटा हुआ ;

(ग) इन बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में सुधार हेतु कोई विशेष पैकेज दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह पैकेज कब से प्रभावी होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य में मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). 1992-93 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 172 को कुल 327.76 करोड़ रुपए की हानि हुई। 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इस अवधि के दौरान 13.74 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया।

(ग) से (ङ). क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को होने वाली हानियों को रोकने और सामान्य रूप से उनकी अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं : -

(I) 12.9.92 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके नये ऋणों के 40 प्रतिशत से अनधिक ऋणों को गैर लक्ष्य समूह के ऋणकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने की अनुमति दी गई है। गैर-लक्ष्य समूहों को वित्तीय सहायता देने के लिए इसे जनवरी 1994 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

(II) भारतीय रिजर्व बैंक ने 4.3.93 को सभी प्रायोजक बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि उनके पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा की गई सभी एस एल आर सावधि राशियों पर कम से कम 13.5 प्रतिशत वार्षिक का भुगतान करें। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंको (प्रायोजक या गैर प्रायोजक) से कहा है कि ऐसे बैंकों के पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखे गए चालू खाता बकाया राशि पर ब्याज दरों का 1. 4.93 से 6.5 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दें।

(III) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 15 लाख रुपए से अनधिक परिव्यय वाले लघु और अतिलघु औद्योगिक इकाइयों के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए शत प्रतिशत पुनर्वित सहायता आहरित करने की अनुमति दी गई है। लघु सड़क परिवहन परिचालकों का वित्तपोषण करने के लिए भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शत प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध है।

(IV) इसके साथ ही 22.12.1993 से सरकार के साथ परामर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उपायों का एक पैकेज शुरू किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ गैर निधिबद्ध कारबार बढ़ाने, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र बाध्यता से मुक्त करने जिनका 1992-93 के दौरान 2 करोड़ रुपए से कम का संवितरण था और उन्हें हानि उठाने वाली शाखाओं की मंडियो, तालुका/जिला मुख्यालयों, कृषि उत्पाद केन्द्रों आदि जैसे स्थानों में पुनःस्थापित करने और विस्तार काउंटर खोलने तथा सेफ डिपाजिट लाकर स्थापित करने की अनुमति देने जैसे उपाय शामिल हैं।

तेलुगू-गंगा परियोजना

3514. श्री पी. कुमारसामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से तेलुगू-गंगा परियोजना के लिए अनिवासी भारतीयों के बांडों के माध्यम से धन इक्ट्ठा करने की अनुमति मांगने वाला कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

असम में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

3515. श्री प्रबीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार असम में भारतीय स्टेट बैंक की ओर अधिक शाखाएं खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये शाखाएं कब तक खोल दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1990-95 की योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक को असम में निम्नलिखित स्थानों पर शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं : -

जिला		केन्द्र
कामरूप	1.	गुवाहाटी कालीपुर
	2.	भूतनाथ
मोरीगांव		मोरीगांव
नागौर		लम्डिंग
जोरहाट		जोरहाट (बोरपुल)

इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक को गुवाहाटी में एक औद्योगिक वित्त शाखा खोलने के लिए भी लाइसेंस दिया गया है। आबंटित केन्द्रों में शाखाएं खोलना उपर्युक्त परिसर की उपलब्धता, सभी मौसमों के लिए सड़क परिवहन की सुविधा, दूरसंचार आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करता है।

एफ.सी.वी. तंबाकू का उत्पादन

3516. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान अब तक कुल कितनी फल्यूक्योर्ड वर्जीनिया (एफ.सी.वी.) तंबाकू का उत्पादन हुआ ;

(ख) 27 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार नीलामी केन्द्रों के माध्यम से कितना तंबाकू बेचा गया ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान तंबाकू का प्रति किलो कितना औसत मूल्य वसूल किया गया ;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष फल्यूक्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू का कितना औसत मूल्य वसूल किया गया ;

(ङ) औसत मूल्य वसूली में गिरावट के क्या कारण है ; और

(च) सरकार ने किसानों को उच्च मूल्य प्राप्त करने में सहायता करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क). वर्ष 1993-94 के दौरान लगभग 128 मि. कि.ग्रा. एफ.सी.वी. तंबाकू का उत्पादन हुआ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश की 1992 की फसल से 27.6.1993 तक 101.18 मि. कि.ग्रा. तंबाकू की बिक्री नीलामी मंचों के माध्यम से की गई।

(ग) वसूल की गई औसत कीमत लगभग 22.18 रुपये प्रति कि.ग्रा. थी।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान एफ.सी.वी. तंबाकू की वसूली की गई औसत कीमत नीचे दी गई है : -

फसल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक
1991	27.63 रुपये प्रति कि.ग्राम	42.13 रुपये प्रति कि.ग्राम
1992	20.74 रुपये प्रति कि.ग्रा.	26.52 रुपये प्रति कि.ग्राम

(ङ) वसूली गई औसत कीमत में गिरावट के निम्नलिखित कारण हैं : -

(1) किसानों द्वारा अधिक उत्पादन करने से आपूर्ति तथा मांग की स्थिति असन्तुलित हो गई जिससे उपजकर्ता-कीमतों पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

(2) जिम्बाबे, चीन, ब्राजील, आदि जैसे अन्य प्रमुख तंबाकू उपजकर्ता देशों में उत्पादन में काफी वृद्धि होने से विश्वव्यापी आपूर्ति बढ़ गई।

(3) सिगरेट विनिर्माताओं की लम्बी मालसूची तथा सामान्य मंदी की हालत की वजह से भारतीय निर्यातकों को विदेशी यूरोपीय ग्राहकों से पर्याप्त आर्डर प्राप्त नहीं हुए जिसके फलस्वरूप नीलामी मंच पर खरीददारी का जोशोखरोश कम रहा।

(4) रूसी बाजारों की अनिश्चिताओं से खरीद का जोश धीमा रहा।

(च) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं : -

(1) विनिर्माताओं, निर्यातकों तथा आई टी ए के साथ तंबाकू बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय ने अनेक बैठकें की गई जिनमें अनुरोध किया गया कि वे नीलामियों में सक्रिय रूप से भाग लें तथा किसानों को बेहतर कीमत का भुगतान करें।

(2) तंबाकू बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक व्यापार शिष्टमण्डल ने निर्यात आर्डरों में तेजी लाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए रूस का दौरा किया।

(3) सरकार ने वर्ष 1993 के मौसम के दौरान भारत से केवल तंबाकू की खरीद करने के लिए रूस की सरकार को ऋण पुनर्भुगतान कार्यक्रम के आधार पर 100 करोड़ रुपये का तदर्थ अग्रिम प्रदान किया।

महाराष्ट्र में नागर विमानन का विकास

3517. श्री धर्मणा मोंडय्या सादुल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में नागर विमानन के मूलभूत ढांचे का निर्माण और विकास करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि रखी गई है ; और

(ग) इसका वर्ष-वार विवरण क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ख). महाराष्ट्र में हवाई अड्डों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 128.32 करोड़ रुपए आबंटित किये हैं।

(ग) वर्ष-वार आबंटन नीचे दिए गए हैं : -

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटन
1992-93	16.17
1993-94	51.14
1994-95	26.97
1995-96	18.11
1996-97	15.93

[हिन्दी]

बिहार में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण

3518. श्री राम कृपाल यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण कितना था;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान औसतन प्रति व्यक्ति बैंक ऋण कितना था; और

(ग) सरकार ने बिहार में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की सीमा में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये हैं और सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग). 1991 की जनगणना के अनुसार प्रकट की गयी जनसंख्या के आधार पर, मार्च, 1991, 1992 और 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार बिहार में अनुमानित प्रति व्यक्ति बैंक ऋण और समूचे रूप से पूरे देश में औसत प्रति व्यक्ति बैंक ऋण तथा इसी अवधि से संबंधित ऋण जमा-अनुपात नीचे दर्शाया गया है : -

वर्ष	प्रति व्यक्ति बैंक ऋण (रुपए)		ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)	
	बिहार	अखिल भारत	बिहार	अखिल भारत
मार्च, 1991	428	1569	39.6	66.2
मार्च, 1992	456	1684	39.5	61.0
मार्च, 1993	499	1964	38.8	60.5

किसी खास क्षेत्र में ऋण वितरण, आर्थिक कार्यकलाप के स्तर, उद्यमवृत्ति, कच्चे माल और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, अन्य निवेश के अवसरों आदि जैसे विभिन्न पहलुओं और उस क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बिहार में कम ऋण-जमा अनुपात के कारणों पर विचार करने और उसमें सुधार लाने संबंधी सुझाव देने के लिए एक कृतिक दल का गठन किया था। इस कृतिक दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही राज्य सरकार, बैंकों आदि जैसी संबंधित एजेंसियों को यह रिपोर्ट, मामले में उचित कार्रवाई करने के लिये भेज दी है।

[अनुवाद]

विदेशों में रोजगार

3519. डा. के.सी. जेस्वाणी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को विदेशों में रोजगार पाने वाले लोगों को आवश्यक सहायता देने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने विदेशों में रोजगार पाने वाले लोगों की मदद करने के लिए एजेंसियां स्थापित की हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अब तक ऐसे कितने लोगों को सहायता दी गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). मैसर्स गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लि., अहमदाबाद, जो कि गुजरात सरकार का एक उपक्रम है, ने श्रमिकों का विदेशों में नियोजन करने के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत पंजीकरण के लिये आवेदन किया था। निगम से कहा गया है कि वह पंजीकरण के लिए अपेक्षित कतिपय सूचनाएं/दरस्तावेज भेजे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्याज माफ करना

3520. राम कापसे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को औद्योगिक प्रतिष्ठाा (रुग्ण अथवा अन्य एककों) से बकाया राशि की वसूली के लिये ''एक बार लागू किये निर्णय'' आधार के अंतर्गत ब्याज को पूर्णतः माफ करने करने के लिये कोई मार्गनिर्देश जारी किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) निजी और सरकारी क्षेत्र के कितने प्रतिष्ठानों, कंपनियों के ब्याज पूरी तरह माफ किये गए थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग). आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक

के निरीक्षणों के निष्कर्षों के संबंध में बैंकों के अध्यक्षों से हाल में हुए विचार विमर्श के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके अवरुद्ध अग्रिमों के स्तर के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की है और उन्हें अग्रिमों की संख्या और अवरुद्ध अग्रिमों को कम करने के लिये विशेष लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को लम्बी मुकदमेंबाजी की जगह जहां कहीं आवश्यक समझा जाए उपयुक्त शर्तों पर समझौता करने जैसी व्यावहारिक कार्रवाई करने की सलाह दी है। इसके आगे उन्हे कहा गया है कि अवरुद्ध अग्रिमों की वसूली/उगाही की प्रगति वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर पर बारीकी से मॉनीटर की जाती है। उधारकर्ताओं के साथ समझौता प्रस्तावों में बैंक की देयराशि को पूरा या उसके भाग को बट्टे खाते डालने/माफ करने या अन्यथा अंत में बट्टे खाते डालने/पूर्वानुमोदन/संदर्भ भेजने संबंधी मामलों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और ऐसे निर्णय लेना मूलतः सम्बद्ध बैंक के प्रबंधन का कार्य है। किसी खास बैंक के निदेशक मंडल से बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार ऐसी सुरक्षा, शर्तों और रिपोर्टिंग के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि वह अशोध्य ऋणों/घाटों को बट्टे खाते डालने और समझौता प्रस्तावों के लिये उपयुक्त शक्ति प्रत्यायोजित करें।

जल्दी खराब होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में विदेशी पूंजी

3521. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल्दी खराब होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में विदेशी पूंजी में तेजी से वृद्धि हुई है तथा ऐसे उत्पादों के विपणन के लिए विदेशी ब्रांड नामों का उपयोग करने से राष्ट्रीय पूंजी की क्षति होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे विदेशी पूंजी के आने पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ). सरकार विदेशी निवेश के संबंध में एक चुनिन्दा दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है। चुनिन्दा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में 51 प्रतिशत तक की इक्विटी के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्वतः अनुमोदन की अनुमति प्रदान की गई है। वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्यक्ष ओर पोर्टफोलियो निवेश दोनों का कुल मिलाकर वास्तविक अंतःप्रवाह 585 मिलियन अमरीकी डालर था, जो पूर्ववर्ती वर्षो की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। वर्ष 1993-94 में अप्रैल-दिसम्बर, 1993 के दौरान विदेशी निवेश का वास्तविक अंतःप्रवाह लगभग 1.8 बिलियन अमरीकी डालर सूचित किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 80 प्रतिशत से अधिक अनुमोदन विद्युत-उत्पादन, तेलशोधक, बिजली, उपस्कर, रसायन और निर्यात-संबद्ध क्षेत्रों जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेश का वर्तमान स्तर भारत में कुल घरेलू निवेश का नगण्य हिस्सा है। भारतीय उद्योग विदेशी निवेश के ऐसे छोटे से हिस्से द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के प्रति काफी मजबूत और लचीला भी हैं। इसके विपरीत, विदेशी निवेश अंतः प्रवाह प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए आवश्यक हैं।

भारतीय होटल निगम

3522. श्री सुधीर सावंत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय होटल निगम की स्थापना एअर इंडिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी ;

(ख) एअर इंडिया ने गत वर्ष के दौरान भारतीय होटल निगम के अतिरिक्त मुम्बई और दिल्ली में अन्य होटल बुक करने पर कितना धन खर्च किया ; और

(ग) एअर इंडिया द्वारा गत वर्ष के दौरान भारतीय होटल निगम के अतिरिक्त अन्य साधनों से खाद्य और पेय पदार्थों के लिए ठेके पर कितना धन खर्च किया गया ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क). भारतीय होटल निगम (एच.सी. आई.) की स्थापना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय वाहक कम्पनी के रूप में एयर इंडिया के व्यवसाय को बढ़ावा/सहायता देना था।

(ख) एअर इंडिया ने वर्ष 1992-93 के दौरान भारतीय होटल निगम से भिन्न बम्बई और दिल्ली में अन्य होटलों में बुकिंग पर 587.67 लाख रुपए व्यय किए।

(ग) एअर इंडिया ने वर्ष 1992-93 के दौरान भारतीय होटल निगम से भिन्न श्रोतों से खाद्य और पेय पदार्थों के लिए 521.87 लाख रुपए का भुगतान किया।

[हिन्दी]

3523. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुल निर्यात में वस्तु-विनिमय व्यापार के भाग को बढ़ाने हेतु नई प्रति-व्यापार नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विश्व में प्रति-व्यापार में वृद्धि हो रही है और भारत इस क्षेत्र में प्रमुख भागीदार नहीं बन पा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) सरकार की प्रति-व्यापार की ओर वर्तमान नीति क्या है ;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रति - व्यापार के अन्तर्गत हुए प्रमुख सौदों का ब्यौरा क्या है ; और

(छ) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा परियोजना और उपकरण निगम (पी.ई.सी.) द्वारा प्रति-व्यापार के अन्तर्गत संचालन किए गए कुल निर्यात के मामलों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ). कुल विश्व व्यापार के सम्बन्ध में प्रति-व्यापार की

मात्रा के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। परन्तु, सामान्यतः ऐसा विश्वास है कि यह व्यापार बढ़ रहा है। वर्ष 1992-93 में भारत के कुल निर्यात में प्रति-व्यापार निर्यात का हिस्सा लगभग 1.5 प्रतिशत था।

वाणिज्य मंत्रालय में प्रति-व्यापार (सी टी) नीति की समीक्षा की जा रही है और आधा है कि यह शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। नई नीति में प्रति-व्यापार प्रणाली के लिए जरिए भारतीय निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाएगा।

(ङ) मौजूदा नीति में प्रति-व्यापार की तीन व्यापक श्रेणियों का प्रावधान है : -

(1) प्रमुख सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की खरीदों के लिए प्रति व्यापार

(2) एस्को खाते के जरिए प्रति-व्यापार

(3) प्रत्यक्ष खाता प्रणाली के जरिए प्रति-व्यापार

सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रमुख आयातों की कुछ श्रेणियों के सम्बन्ध में प्रमुख खरीदों के लिए प्रति-व्यापार के प्रावधान अभी लागू हैं। ऐसे मामलों में, यह अपेक्षा की जाती है कि निर्यात मदों की सकारात्मक सूची से किए जाएं बशर्ते कि वे अतिरिक्तता-मानदंडो को भी पूरा करते हो। अब सकारात्मक सूची या अतिरिक्तता के प्रतिबन्धों के बिना किसी भी देश के साथ एस्क्रो खाते के जरिए प्रति-व्यापार करना संभव है। इस प्रणाली से उन देशों के साथ व्यापार करना सुकर हो गया है, जिनके पास दुर्लभ मुद्रा की कमी है। प्रत्यक्ष खाता प्रणाली के जरिए प्रति-व्यापार मुख्यतः मलेशिया के साथ व्यापार करने के लिए लागू होता है, जबकि भारत से अधिकांश निर्यात परियोजनाओं के रूप में किया जा रहा हो।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति-व्यापार वाले प्रमुख लेन-देन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(छ) वर्ष 1992-93 के दौरान एस टी सी, एम एम टी सी और पी ई सी द्वारा प्रति-व्यापार के तहत किए गए कुल निर्यात निम्नलिखित है : -

	(अमरीकी डालर में)
एम एम टी सी	182.18 मिलियन
एस टी सी	95.75 मिलियन
पी ई सी	23.5 मिलियन

विवरण

	सप्लायर/देश का नाम	आयातित मद	प्रति-व्यापार का मूल्य
एस.टी.सी. (1)	विनटेन, ब्रिटेन	रक्षा उपस्कर	10.000 मिलियन पौन्ड स्टर्लिंग

	(2)	सीएई, कनाडा	हवाई जहाज के पुर्जे आदि	6.116 मिलियन अमरीकी डालर
	(3)	बोईन, संयुक्त राष्य अमेरिका	हवाई जहाज आदि	135.408 मिलियन अमेरीकी डालर
	(4)	एयरबस, फ्रांस	हवाई जहाज आदि	20.000 मिलियन अमरीकी डालर
	(5)	जीई, संयुक्त राष्य अमेरिका	हवाई जहाज आदि और उपस्कर	5.639 मिलियन अमरीकी डालर
पी.ई.सी.	(6)	एफडीएसपी, युगोस्लाविया यूनिस कोमेर	निर्धारित किया जाना है।	10.000 मिलियन अमरीकी डालर
	(7)	सिगनाल, हालैण्ड	निर्धारित किया जाना है।	23.000 मिलियन अमरीकी डालर
एम एम टी सी	(8)	एनटीके, जर्मनी	एमओपी	18.720 मिलियन अमरीकी डालर
	(9)	के एण्ड एस, जर्मनी	एमओपी	14.650 मिलियन अमरीकी डालर
	(10)	केनपोटेक्स, कनाडा	एमओपी	14.650 मिलियन अमरीकी डालर
	(11)	सेमीनोल, संयुक्त राष्य अमेरिका	डीएपी	5.620 मिलियन अमरीकी डालर
	(12)	फौसचैम, संयुक्त राष्य अमेरिका	डीएपी	12.220 मिलियन अमरीकी डालर

इलैक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

3524. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज प्रणाली के माध्यम से भारत में पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अपना कार्य शुरू हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). विदेश संचार निगम लिमिटेड ने निर्यातकों को व्यापार से सम्बन्धित दस्तावेजों के परेषण की सुविधा प्रदान करने हेतु नवम्बर, 1993 से गेटवे फार ई डी आई सिस्टम की शुरूआत की है जिसे ''जी ई डी आई एस'' के रूप में जाना जाता है।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज

3525. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज के आधुनिकीकरण हेतु कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कार्य के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवास ऋण

3526. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवास ऋण देने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की ऋण नीति को सरल बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार आवास ऋण पर ब्याज दर में कमी करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वृद्धिशील जमा राशियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष उनके लिए आवास वित्त संबंधी लक्ष्य निर्धारित करता है। वर्ष 1990-91 से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से वृद्धिशील जमा राशियों के 1.5 प्रतिशत की दर से आवास वित्त के आबंटन के लिए अपने हिस्से को अभिकलित करने के लिये कहा है। तथापि, किसी बैंक के अपने संसाधनों की स्थिति और सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए उचित सीमा तक इस स्तर को पार करने पर कोई आपत्ति नहीं है। आवास वित्त के लिये निश्चित किये गये वार्षिक आबंटन में से बैंकों द्वारा 30 प्रतिशत प्रत्यक्ष ऋण के रूप में दिये जाने की अपेक्षा की जाती है। इसका कम से कम आधा (अर्थात कुल आबंटन का 15 प्रतिशत) प्रत्यक्ष आवास वित्त के रूप में ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस आबंटन का 30 प्रतिशत अप्रत्यक्ष ऋण के लिए है, जो आवास वित्त संस्थाओं, आवास बोर्डों, दूसरी एजेंसियों और निजी मकान निर्माताओं को सावधि ऋण के रूप में दिया जाना है। आबंटन का शेष 40 प्रतिशत भाग राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास एवं शहरी विकास निगम के गारंटी बांडों और डिबेंचरों के अभिदान के लिये रखा जाना है।

(ग) और (घ). प्रत्यक्ष आवास वित्त के लिये ब्याज की दर विभिन्न उद्देश्यों के लिये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के वास्ते निर्धारित ऋण दर ढांचे के अनुसार लागू हैं और यह ऋण की सीमा के अनुसार है। आवास वित्त संस्थाओं से प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दर 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिये लागू दर से तीन प्रतिशतता बिन्दू नीचे है। प्राथमिकता के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के क्षेत्र हिताधिकारियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये तक का मंजूर किया गया आवास वित्त 4 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर से है।

सूती धागा बैंक योजना

3527. श्री अन्ना जोशी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों के लिए सूती धागा बैंक योजना आरंभ की है जो हथकरघा क्षेत्र में सूती धागे के प्रमुख उपभोक्ता हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि हथकरघा क्षेत्र के लिए हैंक यार्न दायित्व योजना के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में सूत की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

[हिन्दी]

अखबारी कागज का आयात

3528. श्री राजवीर सिंह :

श्री रामपूजन पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखबारी कागज का आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है और किन मूल्यों पर ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : चालू वर्ष की वह नवीनतम अवधि जिसके लिए ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं अर्थात् अप्रैल-दिसम्बर, 1993 के दौरान प्रमुख देशों से अखबारी-कागज के आयात के ब्यौरे निम्नलिखित हैं : -

	देश का नाम	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रुपए)	इकाई मूल्य (रुपया प्रति मी.टन)
1.	कनाडा	47293	7423	15696
2.	फिनलैंड	26829	4542	16929

	1	2	3	4
3.	न्यूजीलैंड	17156	2705	15767
4.	नार्वे	7118	1244	17477
5.	रूस	70110	8932	12740
6.	संयुक्त राज्य अमेरिका	14207	2183	15366
	कुल आयात :	213885	31561	14756

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा सहायता

3529. श्री प्रेमचंद राम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस आई डी बी आई) ने लघु उद्योग क्षेत्र के छोटे एककों को अपनी पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों और बैंकों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के लिए शर्तों में छूट दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि वह राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों और बैंकों के माध्यम से अपनी पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत अति लघु और लघु औद्योगिक क्षेत्र को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों में अन्यों के साथ-साथ ये शामिल हैं :

(1) 2 लाख रुपए तक के सावधि ऋणों और कार्यशील पूंजी सहायता पर रियायती ब्याज दर।

(2) 10 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए अति लघु और लघु औद्योगिक क्षेत्र को सहायता देने के न्यूनतम ऋण इक्विटी अनुपात को 2:1 से 3:1 करने की ढील देना।

(3) सिडबी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को 50,000/- रुपए तक की सहायता के लिए अपनी मिश्रित ऋण योजना के संबंध में प्रवर्तकों के किसी अंशदान पर जोर नहीं देता है। उसके अतिरिक्त राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना (एन ई एफ) और महिला उद्यम निधि योजना (एम यू एन) जैसी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों के मामले में प्रवर्तकों का अंशदान कम दर पर 10 प्रतिशत विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) सिडबी एन ई एफ और एम यू एन जैसी योजनाओं के अंतर्गत नए उद्यमियों को सुलभ ऋण के द्वारा वहां इक्विटी किस्म की सहायता प्रदान करता है जहाँ कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाता है बल्कि ऐसे सुलभ ऋणों पर 1 प्रतिशत मामूली सेवा प्रभाव वसूल किया जाता है।

[अनुवाद]

विदेशी एयरलाइनों का संचालन

3530. श्री गुरूदास कामत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी एअरलाइनों को देश के अन्दर संचालन की अनुमति न देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क). जी हां।

(ख) देश में चुने हुए मुख्य केन्द्रों के लिए/से विदेशी एयरलाइनों को प्रचालनों की अनुमति देना एक प्रचलित अंतरराष्ट्रीय परिपाटी है। अंतर्देशीय मार्गों पर प्रचालन करने के अधिकार सामान्यतः द्विपक्षीय करारों के अधीन प्रदान नहीं किए जाते।

बी-777 विमान

3531. श्री मनोरंजन भक्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी बोइंग विमान कंपनी ने एयर इंडिया और इंडियन एयर-लाइन्स को अपने नए विमान बी-777 के दो माडल देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) : इस समय एअर इंडिया लि. और इंडियन एयरलाइन्स लि. दोनों की बी-777 विमान खरीदने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। एयर इंडिया मध्यम क्षमता लम्बी दूरी के विमान के चयन के बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इस विमान का अन्य विमानों के साथ मूल्यांकन करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की बकाया राशि

3532. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की अपने कर्जदारों पर कितनी-कितनी राशि बकाया है ;

(ख) ऐसे कर्जदारों की संख्या कितनी-कितनी है तथा एक लाख, पांच लाख, दस लाख, एक करोड़ और एक करोड़ से अधिक की राशि के स्लैब के अनुसार कितनी-कितनी राशि बकाया है ;

(ग) 31 मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार सम्बद्ध बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितने मामले दर्ज किये हैं ;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक उपलब्ध जानकारी की जांच करके सभी बैंकों को चेतावनी सूची परिचालित करता है ताकि ये कर्जदार अन्य बैंकों से ऋण न ले पायें; और

(ङ) यदि हां, तो अंतिम चेतावनी सूची किसी तिथि को परिचालित की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) : राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को, विभिन्न प्रकार की जानकारी और उससे संबंधित आंकड़े तथा साथ ही साथ अतिदेय रकमों की स्थिति के बारे में, रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्धारित विभिन्न रिपोर्टों/विवरणियों के जरिए समय-समय पर अवगत करवाते रहते हैं। मार्च 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के अग्रिमों के संबंध में अतिदेय की स्थिति, जिसमें अतिदेय रकम और अंतर्ग्रस्त खातों की संख्या (बैंकवार) विवरण में दर्शायी गयी है। अतिदेय रकम वाले ऋणकर्ताओं की संख्या का ब्यौरा और एक लाख रुपये, पांच लाख रुपये, दस लाख रुपये, एक करोड़ रुपये और एक करोड़ रुपये से अधिक रकम के स्लैबों तक देय कुल रकम के आंकड़े, जो विवरण में दिये गये हैं, वे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) : भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के अध्यक्षों को चेतावनी संबंधी हिदायतें जारी करता आ रहा है जिनमें उन क्षेत्रों से संबंधित जानकारी के बारे में सूचित किया जाता है जिनमें बेईमान ऋणकर्ताओं, उसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा धोखाधड़ियां की गयी थीं और कमियों का पता चला था और उनसे अनुरोध किया जाता है कि चेतावनी सूचियों में जिन ऋणकर्ताओं के नाम दिये जाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की ऋण सुविधा प्रदान/नवीकरण करने से पहले, गहराई से जांच कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान हिदायतों के अनुसार, बैंक, रिजर्व बैंक को, उन बेईमान ऋणकर्ताओं द्वारा की गयी धोखाधड़ियों से संबंधित ब्यौरे के बारे में प्रोफार्मा में सूचित करते हैं जिनमें अंतर्ग्रस्त रकम पांच लाख रुपये और उससे अधिक होती है। इन धोखाधड़ियों की रिपोर्टों के आधार पर प्रत्येक धोखाधड़ी के संबंध में अलग-अलग चेतावनी सूची (सी ए) जारी की जाती है। चेतावनी सूची का प्रयोजन बैंकों पर सी ए में दिखाये गये ऋणकर्ताओं को किसी भी प्रकार की ऋण मंजूरी/नवीकरण करने से मनाही करना नहीं है अपितु बैंकरों को इन ऋणकर्ताओं के मामले में ऋण सीमाओं का वित्तपोषण नवीकरण करते समय सतर्क रखना है।

विवरण

बैंक का नाम	खातों की संख्या	अतिदेय राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1. इलाहाबाद बैंक	677920	62900.00
2. आन्ध्रा बैंक	556538	43520.00
3. बैंक आफ बड़ौदा	673161	131425.00
4. बैंक आफ इंडिया	801615	141100.00

1		2	3
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	417581	77472.00
6.	केनरा बैंक	1211571	207963.00
7.	सेंट्रल बैंक	1313541	193885.00
8.	कारपोरेशन बैंक	215717	16552.00
9.	देना बैंक	344877	51731.00
10.	इंडियन ओवरसीज बैंक	916644	89071.00
11.	इंडियन बैंक	636535	84715.00
12.	न्यू बैंक आफ इंडिया	188361	49332.67
13.	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	195479	19969.00
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	209027	6260.2.00
15.	पंजाब नेशनल बैंक	1183505	103522.00
16.	सिंडिकेट बैंक	1074851	119001.00
17.	यूको बैंक	741961 *	92350.38 *
18.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	618480	76602.00
19.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	403279	39013.15
20.	विजया बैंक	273807	55399.00
	कुल	11912489	1622774.82

* (30.9.1992 के अनुसार स्थिति)

[हिन्दी]

कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने संबंधी नीति

3533. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों/श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने के लिये कोई समान नीति है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कर्मचारियों को नियमित करने के लियं कितने कार्य दिवस निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) क्या विभिन्न सरकारी विभागों में अस्थाई आधार पर मस्टर रोल पर कार्यरत श्रमिकों के कार्य दिवसों को कम करने की प्रथा रही है ताकि वे अपनी नौकरी को नियमित करने का दावा नहीं कर सकें ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

3534. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कुछ और गंभीर तथा चिरकालिक बीमारियों को ऐसे रोगों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है जिसके लिए काफी समय तक इलाज कराना पड़ता है तथा रोगियों को अन्य सुविधाओं की जरूरत होती है ;

(ख) यदि हां, तो इन बीमारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) परिवृर्धित योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या कुछ और बीमारियों को शामिल करने पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना को दी जाने वाली राशि में भी वृद्धि की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गयी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). जी हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने लम्बी अवधि तक रहने वाले चिरकालिक 22 रोगों की विद्यमान सूची में निम्नलिखित 7 रोगों को शामिल करने का निर्णय किया है : -

(1) हृदय फेल हो जाना/हृदय रोगों की जटिलता सहित हृदय के वाल्व के रोग।

(2) चिरकालिक रूप से गुर्दे का काम न करना।

(3) हेमिपारेसिस, जो आठ सप्ताह से लम्बी अवधि का हो।

(4) कम गंभीर प्रकृति का पोस्ट ट्राऊमैटिक सर्जिकल एम्प्यूटेशन

(5) संक्रमण सहित 50 प्रतिशत से अधिक जल जाना।

(6) चिरकालिक हड्डी रोग सहित कम्पांऊड फैक्चर

(7) कन्जेस्टिव हार्ट फैल्यर सहित चिरकालिक या पल्मोनेल

(ग) विद्यमान लंबी अवधि के चिरकालिक 22 रोगों में शामिल बीमांकित व्यक्तियों को उपलब्ध योजना के अन्तर्गत दिये जा रहे रूग्णता लाभ अब सूची में जोड़े गये 7 रोगों के लिये भी उपलब्ध होंगे।

(घ) एवं (ङ) क.रा.बी. योजना मुख्यतः स्व वित्त पोषित योजना है। केवल चिकित्सा देख रेख के व्यय

के 1/8 वें भाग का वहन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नकद लाभों के भुगतान संबंधी व्यय का वहन केवल क.रा.बी.निगम द्वारा किया जाता है। तदनुसार, नकद तथा चिकित्सा-लाभों पर अतिरिक्त व्यय का वहन करने के लिये क.रा.बी. निगम ने अपने बजट में पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किये हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंक

3535. श्री काशीराम राणा :

श्री एन.जे. राठवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में कितने सरकारी क्षेत्र के तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंक कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में इन बैंकों की और शाखाएं खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के शाखा विस्तार कार्यक्रम, 1990-95 के अंतर्गत राज्य में उक्त बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए आबंटित केन्द्रों की संख्या और ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). 30 जून, 1993 तक की स्थिति के अनुसार, गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों समेत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कार्यरत शाखाओं की संख्या 2989 थी। जहां तक इन शाखाओं की अवस्थिति का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) शाखा विस्तार कार्यक्रम 1900-95 के दौरान, राज्य में नयी शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनेक बैंकों को आबंटित किये गये केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

शाखा विस्तार कार्यक्रम 1990-95 के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र/अनुसूचित बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए आबंटित केन्द्रों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	ग्रामीण केन्द्र	जिला	बैंक का नाम
1	2	3	4
1.	सरखेज	खेड़ा	स्टेट बैंक आफ इंडिया
2.	कानपुर	भावनगर	- तदैव -
3.	चमरदी	- तदैव -	- तदैव -
4.	मालापारा	- तदैव -	- तदैव -

1	2	3	4
5.	पिथावदी	- तदैव -	- तदैव -
6.	भद्रावाल	- तदैव -	- तदैव -
7.	हनोल	खेड़ा	- तदैव -
8.	सिमरदा	- तदैव -	- तदैव -
9.	खगाश्री	जूनागढ़	- तदैव -
10.	जामवला	- तदैव -	- तदैव -
11.	सोनवर	- तदैव -	- तदैव -
12.	जरागली	- तदैव -	- तदैव -
13.	बेदिया	- तदैव -	- तदैव -
14.	अलीधर	- तदैव -	- तदैव -
15.	छोटावादी	- तदैव -	- तदैव -
16.	हर्षदपुर	जामनगर	- तदैव -
17.	झेबा	- तदैव -	- तदैव -
18.	धबर	- तदैव -	- तदैव -
19.	सनोसरी	- तदैव -	- तदैव -
20.	वाद पंचासांग	- तदैव -	- तदैव -
21.	ईशावेरिग	- तदैव -	- तदैव -
22.	सेमर	- तदैव -	- तदैव -
23.	मनदाना	- तदैव -	- तदैव -
24.	भोगत	- तदैव -	- तदैव -
25.	धानेश्वर	- तदैव -	- तदैव -
26.	पिपलवा	- तदैव -	- तदैव -
27.	किचा	- तदैव -	- तदैव -
28.	मोटा मचियाला	- तदैव -	- तदैव -
29.	मोटा रिनगनियाला	अमराली	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
30.	मलश्रोम	- तदैव -	- तदैव -

31.	चरखा	- तदैव -	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
32.	भलवाव	- तदैव -	- तदैव -
33.	बमनगम	बड़ोदरा	- तदैव -
34.	चनसोल	महसाणा	बैंक आफ बड़ौदा
35.	मऊ	- तदैव -	- तदैव -
36.	बोईनामुदा चावड़ी	पंचमहल	बैंक आफ बड़ौदा
37.	दरयाना गोरिडा	- तदैव -	- तदैव -
38.	दरयाना गोरिडा	- तदैव -	- तदैव -
39.	रणजीत नगर	- तदैव -	- तदैव -
40.	दिवादा.कालोनी	- तदैव -	- तदैव -
41.	शेहरा	- तदैव -	- तदैव -
42.	चतोदर	बनासकांठा	- तदैव -
43.	फिनव	खेड़ा	- तदैव -
44.	जलसन	- तदैव -	- तदैव -
45.	मोटा वरचा	सूरत	- तदैव -
46.	मसमा	- तदैव -	- तदैव -
47.	गौजी	- तदैव -	- तदैव -
48.	दरद	जामनगर	- तदैव -
49.	आरवा	सूरत	- तदैव -
50.	समंग	जामनगर	- तदैव -
51.	कदवसन	अमराली	बैंक आफ बड़ौदा
52.	बेदवा	खेड़ा	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया
53.	कसोर	- तदैव -	- तदैव -
54.	लंभवेल	- तदैव -	- तदैव -

अर्ध-शहरी क्षेत्रों में केन्द्र

1	2	3	4
1.	ऊंझा (स्टेशन रोड)	मेहसाणा	तमिलनाडु मरकेंटाइल बैंक
2.	अनजर	कच्छ	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
3.	मुंद्रा	- तदैव -	- तदैव -
4.	उंझा	मेहसाणा	- तदैव -
5.	खेड़ा	खेड़ा	- तदैव -
6.	गनदेवी	बुलसर (वलसाड)	- तदैव -
7.	कपतवंज	खेड़ा	- तदैव -
8.	करजन	वड़ोदरा	- तदैव -
9.	कोसांबा	सूरत	- तदैव -
10.	वलसाड	वलसाड	इंडियन ओवरसीज बैंक
11.	गांधीनगर	गांधीनगर	लक्ष्मी विलास बैंक लि.
12.	- तदैव -	- तदैव -	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
13.	गांधीधाम	कच्छ	- तदैव -
14.	आनंद	खेड़ा	लक्ष्मी विलास बैंक लि.
15.	भुज	कच्छ	बैंक ऑफ बड़ौदा
16.	केशोड	जूनागढ़	बैंक आफ बड़ौदा
17.	सिहोर	भावनगर	- तदैव -
18.	धरंगाधुर	सुरेन्द्रनगर	- तदैव -
19.	महुआ	भावनगर	- तदैव -
20.	चन्नी	वड़ोदरा	व्यास बैंक लि.
21.	बरदोली	सूरत	व्यास बैंक लि.
22.	गांधीनगर	गांधीनगर	- तदैव -
23.	- तदैव -	- तदैव -	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
24.	महदापर	कच्छ	- तदैव -
25.	गांधीधाम	कच्छ	- तदैव -

महानगरीय/ कार्पोरेशन बैंक

1.	अहमदाबाद	पत्तन नगरीय केन्द्र	बैंक आफ बड़ौदा
2.	शंकर निकेतन सोसाइटी रोड़ सामपुरी के निकट	वस्त्रापर	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
3.	सरदार पटेल नगर रोड		इलाहाबाद बैंक
4.	एम.जे. लाइब्रेरी के निकट		कार्पोरेशन बैंक
5.	प्रीतम नगर अखादा		सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
6.	वधवा औद्योगिक एस्टेट फेज - 4		सिंडिकेट बैंक
7.	री आफ इंडिया कालोनी ऑन नरोत-नरोधा हाईवे		बैंक आफ इंडिया
8.	दक्षिणी सोसाइटी		इंडियन बैंक
9.	म्युनिसिपल ओ. एस्टेट पाटली		पंजाब नैशनल बैंक
10.	पेरिमल क्रॉसिंग इलिस ब्रिज असर्व नतन मिल्स		देना बैंक
11.	असव नतन मिल्स		स्टेट बैंक आफ इंडिया
12.	एल एम टाकीज के निकट		स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
13.	अहमदाबाद		बैंक आफ बड़ौदा (औ. वित्त शाखा)
14.	भरूच (डाडिया बाजार)बैंक आफ बड़ौदा		
15.	भरूच (कोटोपोर दरवाजे वार्ड.बी)		सैट्रंल आफ बैंक इडिया

16.	भरूंच (अम्बिका नगर)		इलाहाबाद बैंक
17.	जूनागढ़	(वनथाली दरवाजा)	केनरा बैंक
18.	जूनागढ़	पोरबंदर (मदवानी कालेज)	आन्ध्रा बैंक
19.	जूनागढ़ पोरबंदर	(राजमहल रोड़)	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
20.	पोरबंदर (सुभाष नगर)		स्टेट बैंक आफ इंडिया
21.	जूनागढ़	नडियार्ड (पी एल जे रोड)	स्टेट बैंक आफ इंडिया
22.	खेड़ा	नडियाड (कापड़वंज रोड)	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
23.	राजकोट	राजकोट (सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज, डा. याज्ञनिक रोड़)	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
24.	राजकोट (विवेकानंद चौक)		ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
25.	राजकोट	क्षेत्र, जीआईडीसी राजकोट (एजी.ओ. कम्पलेक्स)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
26.	राजकोट	(विश्वेश्वर महादेव लोदी रोड़, वार्ड नं. 7)	बैंक आफ बड़ौदा
27.	राजकोट	राजकोट (शिवनगर कोडल रोड)	पंजाब नेशनल बैंक
28.	सूरत	सूरत (विशालनगर)	देना बैंक
29.	सूरत	सूरत (दभोली)	पंजाब नेशनल बैंक
30.	सूरत	सूरत (अश्विनी कुमार रोड़)	स्टेट बैंक आफ मैसूर
31.	सूरत	सूरत (कपदोरा)	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर
32.	सूरत	सूरत (नवसारी बाजार)	स्टेट बैंक आफ इंडिया
33.	सूरत	सूरत (उमरा जाकत नाका अथवा लाइन्स)	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
34.	सूरत	सूरत (भतेर रोड़)	बैंक आफ बड़ौदा
35.	सूरत	सूरत (दुमभई ऑन सूरत बरदोली बरदोली रोड़)	सिंडिकेट बैंक
36.	सूरत	सूरत (माता वाड़ी, लाम्बे हनुमान रोड़)	बैंक आफ इंडिया

37.	वडोदरा	वडोदरा - निजामपुर डीलक्स सोसाइटी के निकट	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
38.	वडोदरा	वड़ोदरा - सुभनपुरा	स्टेट बैंक आफ मैसूर
39.	वडोदरा	वडोदरा गोत्री- गायत्री नगर	पंजाब नेशनल बैंक
40.	वलसाड	नवसारी-घेलाखेड़ी रोड़	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
41.	वलसाड	नवसारी-छपरा रोड़	स्टेट बैंक आफ इंडिया
42.	वलसाड	महरानी-शांतादेवी रोड़	आन्ध्रा बैंक
43.	कच्छ	महरानी-शांतादेवी रोड़	केनरा बैंक
44.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	केनरा बैंक
45.	अहमदाबाद	अहमदाबाद-आश्रम रोड़	कैथोलिक सिरीयन बैंक लि.
46.	वड़ोदरा	वडोदरा-आर.सी.दत्ता रोड़	करूर व्यास बैंक लि.
47.	वडोदरा	वडोदरा-जगोर नगर, पुरानी पेड्रा रोड़	कर्नाटिक बैंक लि.
48.	वडोदरा	वडोदरा-सायाजी गंज	साउथ इंडियन बैंक लि.
49.	वडोदरा	वडोदरा-वाशीदिया रोड	सांगली बैंक लि.,
50.	वडोदरा	वडोदरा-आंगन टावर, माजलपुर	सांगली बैंक लि.,
51.	सूरत	सूरत-मोरा भगत	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.
52.	सूरत	रिंग रोड-सूरत	सांगली बैंक लि.
53.	सूरत	सूरत-मजूरा गेट रिंग रोड	साउथ इंडियन बैंक लि.
54.	सूरत	सूरत-बम्बई मार्केट क्षेत्र	तमिलनाडु मर्कैंटाइल बैंक लि.
55.	सूरत	सूरत-हनुमान रोड	फेडेरल बैंक लि.
56.	सूरत	सूरत-बेलजियम टावर, रिंग रोड़	
57.	राजकोट	राजकोट-कलवाड़ रोड़	लक्ष्मी विलास बैंक लि.
58.	राजकोट	राजकोट-कलवाड़ रोड़	करूर व्यास बैंक लि.
59.	जूनागढ़	वरावल (जीआईडीसी ओ. एस्टेट)	इंडियन बैंक
60.	वडोदरा	वड़ोदरा-न्यू सेना रोड़	स्टेट बैंक आफ इंडिया

[अनुवाद]

कालीकट हवाई अड्डे में एक्स-रे यूनिट

3536. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट हवाई अड्डे पर एक्स-रे यूनिट स्थापित किए जाने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). कालीकट हवाई अड्डे पर दो एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणालियां पहले ही कार्य कर रही है।

भारत पर्यटन विकास निगम

3537. श्री हरिन पाठक : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संसद सदस्यों से भारत पर्यटन विकास निगम के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) जून, 1993 से आज तक ऐसी किस-किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) कितनी शिकायतें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत दो वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यों के विरुद्ध संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं : -

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1992	17
1993	18

(ख) से (ङ). भारत पर्यटन विकास निगमकेविरुद्ध मिली शिकायतों का संबंध अनियमितताओं, कार्यचालन संबंधी कमियों आदि से हैं।

जून, 1993 से फरवरी, 1994 की अवधि में भारत पर्यटन विकास निगम के विरुद्ध 17 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन ने अभी तक 17 शिकायतों में से, 13 शिकायतों के संबंध में आवश्यक उपचारी उपाय किए हैं और शेष 4 शिकायतों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण

3558. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों के विकास हेतु ऋण देने में उदार रवैया अपनाने तथा रियायत देने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रलय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). जुटाये गये संसाधनों के अभिनियोजन में ग्रामीण शहरी असमानताओं को कम करने और संतुलित ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों की प्राप्ति का लक्ष्य रखते हुए सरकारी बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक का अनुदेश है कि वे अखिल भारतीय आधार पर अलग से अपनी ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं के संबंध में 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात (सीडीआर) प्राप्त करें। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सलाह दी है कि यद्यपि शाखा-वार जिला-वार या क्षेत्र-वार अलग से इस अनुपात को प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, फिर भी बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न राज्यों के बीच अनुपात में अत्यधिक असमानता से बचा जाए। तथापि, इस बारे में कोई राज्य-वार/क्षेत्र-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। ग्रामीण शाखाओं और अर्धशहरी शाखाओं के लिये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मार्च 1993 (अद्यतन उपलब्ध) के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार ऋण जमा अनुपात क्रमशः 56.9 प्रतिशत और 45 प्रतिशत था। किसी क्षेत्र विशेष में ऋण का अभिनियोजन आर्थिक क्रियाकलापों के स्तर, उद्यमवृत्ति, कच्चे माल की उपलब्धता और अन्य मूलभूत सुविधाओं, अन्य निवेश अवसरों और उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की भी स्थिति जैसी विभिन्न मदों पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

मल्टी फाइबर अरेन्जमेंट प्रोग्राम

3539. डा. असीम बाला : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मल्टी फाइबर अरेन्जमेंट प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या छोटे और सीमांत हथकरघा बुनकरों को इस कार्यक्रम से लाभ मिलेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) ऊरुग्वे दौर पैकेज में शामिल वस्त्र और क्लादिंग करार की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं : -

(1) 10 वर्ष की पारगमन अवधि के अंत में सम्पूर्ण वस्त्र और क्लादिंग क्षेत्रों का बहुपक्षीय ढांचे सहित एकीकरण हो जाएगा। इस प्रकार बहु-रेशा करार के अन्तर्गत विकसित आयातक देशों द्वारा अपनाए गये भेदभाव पूर्ण कोटा साम्राज्य का अन्त हो जाएगा।

(2) 10 वर्ष की पारगमन अवधि 3:4:3 वर्षों के तीन चरणों में बांटी जाएगी।

(3) प्रथम चरण की शुरूआत में वर्ष 1990 में आयातों के कुल भाग के 16 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी उत्पादों का गाट में एकीकरण कर दिया जाएगा।

(4) द्वितीय तथा तृतीय चरणों की शुरूआत में ऐसे एकीकरण की प्रतिशतता क्रमशः 17 और 18 होगी।

(5) शेष 49 प्रतिशत एकीकरण 10 वर्ष की पारगमन अवधि के अन्त में किया जाएगा।

(6) क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरणों की शुरूआत पर कोटा प्रतिबन्धों के अधीन उत्पादों की मौजूदा वृद्धि दरों में क्रमशः 16 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 27 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी।

(ख) और (ग) ऐसी आशा है कि वस्त्र क्षेत्र का गाठ में एकीकरण हो जाने पर हथकरघा उत्पादों के निर्यात में सुधार संबंधी सहायता मिलेगी जो कि इस समय आयातक देशों में कोटा प्रतिबन्धों के अधीन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के एककों को धनराशि

3540. श्री नीतिश कुमार

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कुछ एककों ने अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए सरकार से धनराशि देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने एकक हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्रालय (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). राष्ट्रीय वस्त्र निगम को निधियां रिलीज करने के लिए सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि इसके कामगारों को मजदूरी का भुगतान किया जा सके। एन टी सी के नगद घाटों की प्रतिपूर्ति करने तथा द्रव्यता/कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 1993-94 के दौरान सरकार ने इसको 132 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की है। इन निधियों को एन टी-सी (धारक कम्पनी) लिमिटेड ने अपने सहायक निगमों की आवश्यकता के अनुसार मजदूरियों का भुगतान करने तथा आवश्यक कच्चा माल आदि खरीदने के लिए वितरित कर दिया है।

स्वयंसेवी एजेंसियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता

3541. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने स्वंयसेवी एजेंसियों को सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वह स्वैच्छिक एजेसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इन एजेसियों को मंजूर/रिलीज की जाने वाली रकम, अनेक राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित होती है। इन स्वैच्छिक एजेसियों का चयन, सहायता के पात्र, औद्योगिक/रोजगार-उन्मुख कार्यकलापों में उनके विनियोजन के आधार पर किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में 31 मार्च, 1993 तक, आई.डी.बी.आई. द्वारा स्वैच्छिक एजेंसियों को मंजूर तथा संवितरित की गयी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1-4-1990 से 31-3-1993 में स्वैच्छिक अभिकरणों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृति	संवितरण
1.	उड़ीसा	25.25	22.21
2.	पश्चिम बंगाल	14.63	18.01
3.	उत्तर प्रदेश	-	0.35
4.	असम	8.50	7.75
5.	मेघालय	1.60	1.25
6.	हरियाणा	3.00	2.14
7.	नागालैंड	-	10.35
8.	बिहार	4.00	-
9.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	7.65
10.	मिजोरम	-	5.50
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (सामान्य कार्यक्रम)	400.00	400.00
12.	राजस्थान	12.50	9.90
13.	दिल्ली	13.80	16.45
14.	गुजरात	31.09	24.11
15.	मध्य प्रदेश	15.75	4.00
16.	महाराष्ट्र	74.38	88.36

17.	कर्नाटक	31.50	30.77
18.	आन्ध्र प्रदेश	3.00	6.50
19.	केरल	10.56	2.25
20.	तमिलनाडु	8.00	17.95
	कुल :	663.56	675.50

[अनुवाद]

एयरलाइंस की निगरानी

3542. डा. लाल बहादुर रावल :

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान क्षमता के इष्टतम उपयोग हेतु एयर टैक्सियों सहित सभी एयरलाइंस उड़ान की निष्पादन क्षमता का विनियमन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). देश में विभिन्न श्रेणियों के मार्गों पर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए 1.3.1994 से मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। एक विवरण संलग्न है। मौजूदा मार्गदर्शी - सिंद्धांतों के अनुसार, हवाई टैक्सियों को उन सभी हवाई अड्डों पर प्रचालन करने की अनुमति है, जो सिविल प्रचालनों के लिए खुले हैं। एयरलाइनों और टैक्सी प्रचालकों द्वारा हवाई सेवाओं का प्रचालन अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक आधारों पर किया जाता है।

विवरण

संख्या एवी 11012/2/94-ए

भारत सरकार

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1.3.94

आदेश

वायुयान नियम, 1937 के नियम 134 के उपनियम (1 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

केन्द्रीय सरकार, हवाई यातायात सेवाओं के बेहतर विनियमन की दृष्टि से और देश के विभिन्न क्षेत्रों में हवााई यातायात सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एतदद्वारा निदेश देती है कि प्रत्येक प्रचालक जो इसके साथ संलग्न अनुबंध में श्रेणी 1 के अंतर्गत, निर्दिष्ट किसी भी मार्ग पर देश के भीतर कोई अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालित करता है उसे अनुबंध में श्रेणी 2 और 3 में उल्लिखित मार्गों पर न्यूनतम अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा उपलब्ध करानी अपेक्षित होगी। श्रेणी 2 और 3 में मार्गों पर निर्धारित न्यूनतम सेवा प्रदान करने के लिए प्रचालक अपने विकल्प पर अपने बेड़े के विमान द्वारा अथवा परस्पर सहमत शर्तों पर किसी दूसरे प्रचालक के बेड़े के विमान द्वारा सेवा प्रदान कर सकता है। बाद वाले मामले में, उक्त व्यवस्था के लिए नागर विमानन महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

ह/.

(पी. के. बनर्जी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नं. 4610369

विवरण

अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के प्रचालक द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं

1. कम से कम तीन विमानों का बेड़ा जो भारत में पंजीकृत हो। प्रत्येक विमान का आल-अप-वेट 5700 किलोग्राम से अधिक हो।
2. 40000 किलोग्राम से अधिक आल-अप-वेट वाले विमानों के प्रचालकों के संबंध में अभिदत्त इक्विटी पूंजी 15 करोड़ रुपए से कम नहीं हो तथा 4000 किलोग्राम से अनधिक आल-अप-वेट वाले विमानों के लिए 5 करोड़ रुपए से कम नहीं।
3. प्रति विमान उड़ान कर्मीदल तथा केबिन कर्मीदल के तीन सेटों से कम नहीं।
4. 500 घंटों तक के निरीक्षण अथवा बोइंग 737 विमान के लिए चैक 'बी' वाले विमानों के रखरखाव हेतु अनुमोदित अनुरक्षण संगठन और सुविधाएँ।
5. प्रचालन, प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण एवं रखरखाव के लिए अनुमोदित मैनुअल।
6. कर्मीदल की उड़ान पूर्व चिकित्सा जांच, उड़ान आयोजना तथा त्रेषण विमान कल-पुर्जों तथा प्रणालियों का विश्वसनीयता विश्लेषण, दोष जांच, सेवा बुलिटनों और सुधारों का अनुपालन और प्रणालियों का विश्वसनीयता विश्लेषण, बड़े कल-पुर्जों के रिकार्ड के लिए कक्ष।
7. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कार्यक्रम और सभी प्रचालनरत स्टेशनों पर प्रशिक्षित सुरक्षा कार्मिक।
8. श्रेणी-1 के अधीन अनुबंध में निर्दिष्ट किसी भी मार्ग पर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालित करने वाले प्रचालकों को अनुबंध में बताए अनुसार श्रेणियों-2 तथा 3 में बताए

अनुसार न्यूनतम अनुसूचित सेवा प्रदान करनी होगी। श्रेणी-2 तथा 3 में वर्णित मार्गों पर निर्धारित न्यूनतम सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रचालक को इस बात की छूट रहतो है कि वह या तो अपने स्वयं के विमान बेडे के विमान से अथवा अन्य प्रचालक के विमान बेड़े से परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान कर सकता है। बाद के मामले में, इस प्रकार के प्रबंध के लिए नागर विमानन महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

9. प्रचालक आगे की उन सभी शर्तों का पालन करनें के लिए बाध्य होगा जो नागर विमानन महानिदेशक अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा और सुरक्षित प्रचालन और विश्वसनीय सेवाओं की निगरानी के लिए आवश्यक समझे।

10. वे प्रचालक जो अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालन के लिए अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं, वे वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची-2 के प्रावधानों और उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए नागर विमानन महानिदेशक को आवेदन कर सकते हैं

अनुबन्ध

मार्गों की विभिन्न श्रेणियों में सेवाओं की व्यवस्था

श्रेणी - 1

सीधे जुड़े मार्ग

बंबई - बंगलौर	कलकत्ता-दिल्ली
बंबई-कलकत्ता	कलकत्ता-बंगलौर
बंबई-दिल्ली	कलकत्ता-मद्रास
बंबई-हैदराबाद	दिल्ली-बंगलौर
बंबई-मद्रास	दिल्ली-हैदराबाद
बंबई-त्रिवेन्द्रम	दिल्ली-मद्रास

श्रेणी - 2

उत्तर -पूर्वी क्षेत्र में स्टेशनों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्ष्यद्वीप को जोड़ने वाले मार्ग।

श्रेणी - 3

श्रेणी-1 और श्रेणी-2 से भिन्न मार्ग

जो भी प्रचालक श्रेणी-1 के अंतर्गत एक अथवा अधिक मार्गों पर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालित करता है, उसे नीचे बताए अनुसार श्रेणी-2 और 3 में ऐसी सेवाएं चलानी अपेक्षित होंगी : -

प्रचालक को श्रेणी-1 में मार्गों पर उल्लिखित नियोजित क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत श्रेणी - 2 में उल्लिखित मार्गो पर लगाना होगा और इस प्रकार श्रेणी-2 के मार्गों पर नियोजित की जाने वाली क्षमता को कम से कम 10 प्रतिशत सर्वथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के अंदर प्रचालित सेवाओं पर अथवा उनके खंडों पर नियोजित किया जाएगा।

प्रचालक को श्रेणी-1 में नियोजित क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत श्रेणी - 3 में उल्लिखित मार्गों पर लगायेगा।

नोट 1 : अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा के अंग के रूप में श्रेणी - 1 में प्रचालित सेवा की गणना उपर्युक्त प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।

नोट 2 : नियोजित क्षमता की गणना उपलब्ध सीट किलोमीटर (ए.एस.के.एम.) में की जाएगी।

नोट 3 : दिल्ली - कलकत्ता-गुवाहटी-इम्फाल जैसे बहुत सैक्टर मार्गो पर, दिल्ली-कलकत्ता सेक्टर पर प्रदान की गयी क्षमता श्रेणी-1 के अंतर्गत मानी जाएगी, कलकत्ता-गुवाहटी सैक्टर पर प्रदान की गयी क्षमता श्रेणी-2 के अंतर्गत मानी जाएगी और गुवाहटी-इम्फाल सैक्टर पर प्रदान की गयी क्षमता सर्वथा श्रेणी-2 के अंतर्गत मानी जाएगी।

महिला कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र

3543. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, विकास आयुकत, हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली, को महिला कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कितने और किन-किन स्थानों पर महिला कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये ; और

(घ) इन केन्द्रों में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया ?

वस्त्र मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). जी नहीं। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय देश में हस्तशिल्प के विकास के लिए सरकार का एक मॉडल संगठन है। समग्र देश में कालीन बुनाई प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलाए जा रहे कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों, जो केवल महिलाओं के लिए नहीं हैं, के अलावा केन्द्रीय और राज्य हस्तशिल्प विकास निगम, शीर्ष सहकारी समितियों और ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, कालीन बुनाई में महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए कोई अलग योजना नहीं है। अब तक विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने 134.87 लाख की वित्तीय सहायता से 29 संगठनों को 91 योजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनमें से 15 संगठनों ने 40 प्रशिक्षणों केन्द्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। उन प्रशिक्षण केन्द्रों, जिसमें वित्तीय सहायता के साथ केवल महिलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा जहां महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

क्रमांक	राज्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	निगम/संगठन का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	महिलाओं के लिए खोले गए केन्द्र	प्रशिक्षित महिलाओं की सं.	केन्द्र का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पंजाब	1990-91	पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लि. चण्डीगढ़	14.75	10	9	-	होशियारपुर -1 गुरदासपुर - 3 रोपड़ - 3 अमृतसर - 1 पठानकोट - 1
2.	हिमाचल प्रदेश	1990-91	मैसर्स बोध कार्पेट वीवर्स, मनाली	2.00	1	1	-	मनाली - 1
3.	पंजाब	1991-92	पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लि. चण्डीगढ़	9.34	10	9	200	होशियारपुर- 3 गुरदासपुर - 2 रोपड़ - 1 अमृतसर - 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	हिमाचल प्रदेश	1991-92	1. मैसर्स बोध कार्पेट वीवर्स, मनाली 2. मैसर्स कामों पोतसंघ उत्पादन-सह-औद्योगिक समिति, धर्मशाला	3.60	2	2	25	कुल्लू - 1 धर्मशाला - 1
5.	उत्तर प्रदेश	1992-93	1. महिला कल्याण समिति पीलीभीत 2. ग्रामीण जनकल्याण संस्थान, मिर्जापुर 3. विन्ध्या लोक समिति, मिर्जापुर 4. अशोक आश्रम, देहरादून	14.035	11	10	-	पीलीभत - 2 मिर्जापुर - 7 देहरादून - 1
6.	सिक्किम	1992-93	सिक्किम ग्रामीण विकास एजेन्सी, गंगटोक	1.875	1	1	-	गंगटोक - 1
7.	हिमाचल प्रदेश	1992-93	1. मैसर्स सत्य कालीन बुनकर, उद्योग सहकारी सभा, रामपुर (शिमला)	4.825	3	3	50	रामपुर - 1 कुल्लू - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				2. बोध कार्पेट वीवर्स, मनाली					धर्मशाला – 1
				3. मैसर्स ग्रामों पोतसंघ उत्पादन-सह-औद्योगिक समिति, धर्मशाला					
	8.	राजस्थान	1992-93	मैसर्स उत्थान संस्थान, जोधपुर	7.50	4	4	–	जोधपुर – 4
	9.	मणिपुर	1992-93	मैसर्स मणिपुर विकास समिति, इम्फाल	0.775	1	1	थौबल	– 1
	10.	पंजाब	–	–	–	–	–	220	

* 220 महिला प्रशिक्षणार्थियों ने, जो 1991-92 में प्रशिक्षण प्रापत कर रही थीं, 1992-93 के दौरान पंजाब राज्य से प्रशिक्षित हुईं।

ऋण वितरण प्रणाली

3544. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के किसान/दस्तकार समुदाय को आसानी से तथा पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण वितरण प्रणाली संबंधी औपचारिकताओं में परिवर्तन करने सहित कई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य-वार उपलब्ध कराये गये ग्रामीण ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). वर्तमान ग्रामीण ऋण नीति इस तरह तैयार की गई है कि वह कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्पों और अन्य ग्रामीण शिल्पों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करे। समस्त देश के ग्रामीण उधारकर्ताओं को स्वयं उनके द्वारा या इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के माध्यम से शुरू की जाने वाली गतिविधियों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। गरीब व्यक्ति की बैंक ऋण तक पहुंच में सुधार करने के प्रयोजन से ग्रामीण गरीबों को स्वतः सहायक समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि जैसे बिचौलियों के माध्यम से औपचारिक बैंकिग प्रणाली के साथ संबद्ध करना लाभदायक समझा गया है।

(ग) मार्च 1992 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, द्वारा उपलब्ध कराए गए कृषि ऋणों की राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) सहकारी ऋण प्रणाली को आत्म-निर्भर बनाने और सुचारू ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नाबार्ड अर्थक्षमता प्राप्त करने के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन के वास्ते एस सी बी और डीसीसीबी तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। इन योजनाओं में अन्य बातों के साथ साथ अतिदेय ऋणों की वसूली, ऋण के प्रवाह में वृद्धि करना और लाभप्रदत्ता तथा अर्थक्षमता सुनिश्चित करना शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को गैर लक्ष्य समूहों को 60 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता जमा लाकर स्थापित करने की अनुमति सहित हानि उठाने वाली शाखाओं को दूसरे स्थानों पर ले जाने की हिदायत दी गई है।

विवरण

मार्च, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए कृषि ऋणों की राज्य-वार राशि दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	हरियाणा	723.34
2.	हिमाचल प्रदेश	85.50
3.	जम्मू एवं कश्मीर	60.90
4.	पंजाब	1280.30
5.	राजस्थान	901.60
6.	चंडीगढ़	169.39
7.	दिल्ली	118.09
8.	असम	141.14
9.	मणिपुर	5.83
10.	मेघालय	10.67
11.	नागालैंड	22.94
12.	त्रिपुरा	20.47
13.	अरुणाचल प्रदेश	4.40
14.	मिजोरम	2.33
15.	सिक्किम	3.21
16.	बिहार	861.07
17.	उड़ीसा	391.80
18.	पश्चिम बंगाल	628.92
19.	अंडमान एवं निकोबार	2.33
20.	मध्य प्रदेश	1300.78
21.	उत्तर प्रदेश	2112.14
22.	गुजरात	989.35
23.	महाराष्ट्र	1911.49
24.	दमन एवं दीव	.76
25.	गोवा	34.59

1	2	3
26.	दादर एवं नगर हवेली	.75
27.	आन्ध्र प्रदेश	2322.48
28.	कर्नाटक	1595.42
29.	केरल	786.68
30.	तमिलनाडु	2310.04
31.	पांडिचेरी	31.01
32.	लक्षद्वीप	.37
33.	अखिल भारत	18830.65

[हिन्दी]

बछावत समिति की रिपोर्ट

3445. श्री राम विलास पासवान : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई समाचार पत्र उद्योग बछावत समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किये जाने के बावजूद इसकी सिफारिशों को लागू नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1548 समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में से 905 प्रतिष्ठानों ने बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन नहीं किया है। इनका कार्यान्वयन न करने के प्रमुख कारण वित्तीय कठिनाइयां एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार बछावत पंचाट के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध करती रही है।

कृषि और लघु औद्योगिक क्षेत्र को ऋण

3546. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल में कृषि और लघु उद्योग क्षेत्र को पर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ). मार्च 1990, 1991 और 1992 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक पश्चिम बंगाल राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि और लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिमों की स्थिति नीचे दी गई हैं : -

(करोड़ रुपए)

को समाप्त वर्ष मार्च	कृषि (बकाया राशि)	लघु क्षेत्र के उद्योग (बकाया राशि)
1990	672.70	1106.94
1991	628.82	1273.69
1992	628.92	1400.24

अग्रिम मंजूर न करने के बारे में सरकार को यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उसे संबद्ध बैंक के साथ उठाया जाता है।

[हिन्दी]

चाय का आयात

3547. श्री मुमताज अन्सारी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ कम्पनियों को 1993 के दौरान चाय के आयात की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 1993 के दौरान चाय का आयात किया है और किन देशों से चाय का आयात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). चाय के आयात की अनुमति केवल निर्यात अभिमुख एककों और निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में स्थित एककों को ही उसमें भारतीय चाय का मिश्रण करके केवल पुनर्निर्यात के लिए दी जाती है। इस प्रकार के आयात की अनुमति देते समय सरकार ने ऐसे काफी पूर्वोपाय किए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि इस प्रकार के आयात से घरेलू चाय उद्योग और विश्व बाजार में भारतीय चाय की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वर्ष 1993 के दौरान निम्नलिखित कम्पनियों के निर्यात अभिमुख एककों को मिश्रण करके पुनर्नियात के लिए चाय के आयात हेतु अनुमोदन किए गए हैं ;

1. मैसर्स ए.बी. इंटरनेशनल, तमिलनाडु
2. मैसर्स कृष्णा इंटरनेशनल, कोचीन
3. मैसर्स टी पैक्स स्पेशियलिटि कलकत्ता

4. मैसर्स टाटा टी लि., मुन्नार, इडुकी

5. मैसर्स त्रलित धानुका, त्रिपुरा

6. मैसर्स साउथ इण्डिया टी कं. कोचीन

7. मैसर्स नेस्ले इण्डिया लि., नई दिल्ली

इन कम्पनियों द्वारा किए गए वास्तविक आयात के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। इन कम्पनियों द्वारा चाय आयात के स्रोत चाय आयात करने वाले अलग-अलग एककों के वाणिज्यिक निर्णयन पर निर्भर करेंगे।

[अनुवाद]

पायलटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

3548. प्रो. के.वी. थॉमस :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में एयरबस पायलटों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, हैदराबाद में प्रतिवर्ष कितने पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान की कमान संभालने के लिए बोइंग को-पायलट्स (पी 2 एस) को पदोन्नति देने हेतु किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करने से केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ने मना कर दिया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या एयर टैक्सी संचालकों के पायलटों को भी केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण देने का विचार है ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). वर्तमान प्रचालन अनुसूची का पालन कमांडरों की मौजूदा क्षमता से किया जा रहा है। तथापि, विमानों के इष्टतम उपयोग के लिए और अधिक कमांडरों को प्रशिक्षित किया जाना है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस के हैदराबाद स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 में प्रशिक्षित पायलटों की संख्या क्रमशः 47, 123 और 37 है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) वर्तमान में केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के लिए हवाई टैक्सी प्रचालकों के पायलेटों को प्रशिक्षित करना संभव नहीं है क्योंकि मौजूदा क्षमता द्वारा इंडियन एयरलाइंस की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एन.जे. एम.सी. द्वारा जूट की आपूर्ति

3549. श्रीमती मुखर्जी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.जे.एम.सी. ने सरकार से पर्याप्त फालतू पुर्जों और कच्चे जूट की आपूर्ति का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) : सरकार ने पहले ही एन जे एम सी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 26.25 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए हैं जैसा कि बजट में प्रावधान किया गया है। एन जे एम सी की आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1993-94 के बजट में 4 करोड़ रुपये के परिव्यय की भी व्यवस्था की गई है।

एयर टैक्सी ऑपरेटरों के साथ इन्टर-लाइन समझौते

3550. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर टैक्सी ऑपरेटरों ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के साथ इन्टर-लाईन समझौतों की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का क्या लाभ होगा; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) : निम्नलिखित एयर टैक्सी प्रचालकों ने इंटरलाइन करारों के लिए एयर इंडिया से संपर्क किया है :

(1) ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स

(2) जेट एयरवेज

(3) गांदी लुफ्त

(4) दमानिया एयरवेज

(5) सहारा इंडिया एयरलाइन्स

(6) एन.ई.पी.सी. एयरलाइन्स ; और

(7) राज एअर

एअर इंडिया ने 10 दिसम्बर, 1992 को ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स के साथ एक इंटरलाइन करार किया है जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं : –

(1) करार के अंतर्गत, ईस्ट वेस्ट एयरलाइन अपनी सेवाओं पर परिवहन के लिए एयर इंडिया के टिकटों को स्वीकार करती है लेकिन एअर इंडिया ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स के यात्रियों के लिए अपनी सेवाओं पर इसी तरह की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करती है।

(2) एअरइंडिया ईस्ट वेस्ट एयरलाइन के बिलों का भुगतान भारतीय रुपए में करता है जबकि एयर इंडिया विदेशों में बेचे गए टिकटों पर समतुल्य राशि विदेशी मुद्रा में वसूल करता है। अतः एअर इंडिया अपनी अर्जित विदेशी मुद्रा आय अपने पास रखता है।

(3) ईस्ट वेस्ट एयर लाइन सामान्य अंतर-लाइनों की सेवा पर 9 प्रतिशत के प्रभार के साथ-साथ अंतर्देशीय सैक्टरों के किरायों पर एअर इंडिया को 12 प्रतिशत की विशेष छूट देता है। अंतर्देशीय सैक्टर टिकट अंतरराष्ट्रीय सैक्टर टिकट के साथ मिलाकर जारी किया जाता है।

इस बारे में कुछ एअर टैक्सी प्रचालकों ने इंडियन एयरलाइंस के साथ भी संपर्क किया है। फिलहाल एअर टैक्सी प्रचालकों के साथ ऐसे करारों से इंडियन एयरलाइंस को कोई प्रत्यक्ष लाभ नजर नहीं आता।

(घ) एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस अपने वाणिज्यिक विवेक का प्रयोग करते हुए इंटरलाइन करारों के संबंध में निर्णय लेने में स्वतंत्र है।

निगमित क्षेत्र में संसाधनों का अभाव

3351. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम ऋण दर में कमी और सांविधिक द्रव्यता अनुपात में कटौती के बावजूद निगमित क्षेत्रों को संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कार्मस एंड इंडस्ट्री ने भारतीय रिजर्व बैंक को एक ज्ञापन दिया है और निगमित क्षेत्र को कम ब्याज दर पर बड़ी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने की मांग की है ;

(ग) "एसोचैम" ने किन अन्य मुद्दों को उठाया है ;

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) उद्योग की सहायता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि एसोसियेटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया

(ए एस एस आं सी एच ए एम) ने दिसम्बर 1993 में उन्हें विभिन्न मामलों पर एक नोट प्रस्तुत किया था जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निगमित क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता, ब्याज दर और निर्यात ऋण संबंधी मामलों को शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन मामलों पर 23 दिसम्बर 1993 पर ए एसएस ओ सी एच ए एमके प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। ए एसएस ओ सी एच ए एम के प्रतिनिधियों को अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उधारकर्ताओं की वास्तविक और अनुभव की गई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंकों से कहा था तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा था कि प्रत्यावर्तित ऋण मंजूरी की शक्तियों का विधिवत् उपयोग करें और नए ऋणों तथा नवीकरण संबंधी प्रस्तावों को अधिकतम 3 महीने की अवधि में संसाधित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने ए एस एस ओ सी एच ए एम के प्रतिनिधियों को सूचित किया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान निर्धारित ब्याज दर संरचना के पर्याप्त यौक्तिकीकरण और सरलीकरण के बावजूद अभी ऋण दरों की पूरी तरह स्वतंत्र करने का समय नहीं आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें निर्यात ऋण की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम की भी जानकारी दी है। उन्हें बताया गया था कि बैंक लदानपूर्व निर्यात ऋण (रुपया) और निर्यातोत्तर लदान ऋण (विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य) रियायती दरों पर उपलब्ध कराते हैं।

निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 01 मार्च 1994 से तीन वर्ष और इससे अधिक के सावधि ऋणों के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की न्यूनतम उधार दर को एक प्रतिशत बिन्दु कम (15 प्रतिशत से 14 प्रतिशत) कर दिया है।

[हिन्दी]

जरी और जरदोजी वस्तुओं का निर्यात

3552. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जरी और जरदोजी वस्तुओं का किन-किन राज्यों में सबसे अधिक उत्पादन होता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क). भारत में जरी की वस्तुओं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्य उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तथा दिल्ली हैं जबकि जरदोजी की वस्तुओं का अधिकतर उत्पादन उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में किया जाता है।

(ख) तथा (ग) जी हां। जरी तथा जरदोजी वस्तुओं सहित हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के विचार से सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन परिषद के मार्फत विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें ये शामिल हैं, बिक्री-सह-बैठकों में भाग लेना, विदेशों में प्रचार, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित करना आदि। सभी प्रकार के तांबा अंश वाले नकली जरी के निर्यात पर 1-8-1993 से प्रति किलो 49.60 रुपये की दर से शुल्क वापसी सुविधा देय है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कपड़े का उत्पादन

3553. डा. साक्षी जी :

श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 में और 1993-94 के दौरान अब तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कपड़े का कितना उत्पादन किया गया ;

(ख) क्या इसके लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) एन टी सी ने 1992-93 में 306.24 मिलियन मी. कपड़ा तथा 1993-94 (अप्रैल-दिसम्बर) में 148.11 मि.मी. कपड़े का उत्पादन किया।

(ख) जी नहीं।

(ग) कुछ मिलों में गैर मितव्ययी गतिविधियों में कांट-छांट करने तथा कार्यशील-पूंजी की कमी के कारण एन टी सी में कपड़े के उत्पादन में कमी हुई।

[अनुवाद]

विदेशी बाजारों में वित्तीय संस्थाओं का प्रवेश

3554. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विदेशी बाजारों में धन जुटाने हेतु सरकारी स्वामित्व की वित्तीय संस्थाओं के प्रवेश के संबंध में पर्याप्त एहतियाती उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी ऑफ इंडिया, इन्डस्ट्रीयल फाइनेंशियल कोरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्डस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कोरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा इन्डस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कोरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा इन्डस्ट्रीयल डवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना ऋण लिया और कितना धन जुटाया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). विदेशी बाजारों से सरकारी स्वामित्वाधीन वित्तीय संस्थानों द्वारा निधि जुटाने संबंधी गतिविधियों विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के क्षेत्र में सरकारी नीति तथा दिशानिर्देशों जो सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं, और सार्वभौम निक्षेप प्राप्तियों तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के निर्गम हेतु अधिसूचित योजना द्वारा शासित होती हैं।

विवरण

(ग) 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम (एस.सी.आई. सी. आई.) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.बी.आई.) तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी. बी.आई.) द्वारा विदेशों में जारी किए गए विदेशी मुद्रा बांड और परिवर्तनीय बांड निम्नानुसार हैं : -

(मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष)

	संस्था का नाम	1992-93	1993-94	
		बांड	बांड	परिवर्तनीय बांड
(i)	एस.सी.आई.सी.आई.	-	-	100.00
(ii)	आई.एफ.सी.आई.	63.21	-	-
(iii)	आई.सी.आई.सी.आई.	70.67	13.24	200.00
(iv)	आई.डी.बी.आई.	288.84	-	-

पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याएं

3555. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त यात्र के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में तेजी से औद्योगिकरण के मार्ग में आने वाली विशेष समस्याओं का पता लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उनं समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाहीं की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क). वित्त मंत्री ने 22 जनवरी, 1994 को शिलांग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आयोजित मंत्रियों की समिति की बैठक में भाग लिया था।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास में कमी का कारण राज्यों को संसाधन आधार कमजोर होना हो सकता है एवं इसके विपरीत विकास न होने से संसाधन आधार कमजोर होना हो सकता है। अतः इस बात पर विचार किया गया है कि इसके लिए क्षेत्र में कृषि आधारित और वन आधारित उद्योगों, इलेक्ट्रानिक्स, खाद्य प्रस्संकरण, हथकरघा और हस्तकरघा तथा खनिज संसाधनों के व्यावसायिक दोहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कताई मिलों को ऋण

3556. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण

और निवेश निगम जैसी वित्तीय संस्थाएं मध्य प्रदेश की कताई मिलों को ऋण मंजूर करने में बहुत समय लेती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में उपाचारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों की प्रक्रिया में साधारणतया औसतन लगभग 3 महीने लगते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

उद्योगों में ठेके के मजदूर

3357. श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उद्योगों में ठेके-मजदूरों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) क्या विश्वव्यापीकरण से ठेका-मजदूरों में भारी वृद्धि होगी ;

(ग) यदि हां, तो ठेका-मजदूर की शर्तों में विनियमन और सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में उपयुक्त नीति बनाने में सहायता करने हेतु ठेका-मजदूरों का व्यापक सर्वेक्षण आरंभ करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) कानूनी ढांचे के अन्तर्गत ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एवं (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण वितरण

3558. श्री प्रबीन डेका : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नये ऋण के वितरण और बकाया ऋणों की वसूली में कमी आती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और उसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). असम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋणों में पिछले वर्ष अर्थात् 1991-92 की तुलना में वर्ष 1992-93 के दौरान वृद्धि कम हुई है। अलबत्ता, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1992-93 के दौरान वसूलियों में आंशिक रूप से गिरावट आई। ब्यौरा निम्नानुसार हैं : -

लाख रुपए में

	जारी किए गए ऋण	वसूल किए गए ऋण
1991-92	1075.03	860.32
1992-93 *	2796.15	853.84

*(आंकड़े अनन्तिम)

वसूली की स्थिति में गिरावट के लिए कई कारक उत्तरदायी हो सकते हैं जैसेः प्राकृतिक आपदाएं, ऋण के अंतिम उपयोग का अपर्याप्त पर्यवेक्षण, ऋण की माफी के कारण वसूली के वातावरण में खराबी, वसूली के प्रयत्नों में स्थानीय प्रशासन का अपर्याप्त समर्थन और जानबूझकर चूक करना।

(ग) उनकी अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए दिसम्बर 1993 में कई उपायों की घोषणा की गई है। इन उपायों में ये शामिल हैं : - गैर-लक्ष्य समूहों के वित्तपोषण का 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर-निधि कारोबार में वृद्धि करना, वर्ष 1992-93 के दौरान जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संवितरण 2 करोड़ रुपये से कम था, उन्हें सेवा क्षेत्र की बाध्यता से मुक्त करना और हानि उठाने वाली शाखाओं को मंडियों, तालुको/जिला मुख्यालों, कृषि उत्पाद केन्द्रों जैसे स्थानों के निकट ले जाने की अनुमति प्रदान करना और उन संस्थाओं के परिसरों में, जितना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रधान बैंकर है, विस्तार काउंटर खोलना। क्षेत्रीय ग्रामीणबैंकों को सुरक्षित/लाकर स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

चिकित्सकीय उपकरण

3559. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और ब्रिटेन के अनेक अनिवासी भारतीयों ने विकसित/आधुनिक चिकित्सकीय उपकरण भारत को मुफ्त भेजने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे उपकरणों पर सीमाशुल्क में छूट देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) धर्मार्थ अस्पतालों को मुफ्त दान दिये गये चिकित्सा उपकरणों पर सीमाशुल्क से छूट देने के लिए हाल ही में पिछले दिनों अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). ऐसे चिकित्सा उपकरणों के लिए सामान्य स्वरूप की छूट देने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, शुल्क से छूट देने संबंधी अनुरोधों पर विचार करने के लिए अलग-अलग अनुरोधों की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है।

[हिन्दी]

गुजरात में विद्युतकरघों का आधुनिकीकरण

3560. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में विद्युत करघा के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्युत करघा के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

औषध कानूनों को लागू करना

3561. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री ताराचंद खण्डेलवाल :

श्री तारा सिंह :

श्री मोहन रावले :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध कानूनों को लागू करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम और निदेश पद क्या है ;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं। तथापि, औषध दुरुपयोग से निपटने के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) समिति के अध्यक्ष राज्य मंत्री (राजस्व एवं व्यय) हैं। इसके सदस्य संसद सदस्य, समाजसेवी तथा सरकारी अधिकारी है। समिति के विचारणीय विषय, निम्नलिखित जांच और सिफारिशें करना है : -

(i) औषध दुरुपयोग नियंत्रण के लिए वर्तमान कानून और व्यवस्थाएं जिसमें नियमन और कल्याण तथा पुनःस्थापन कार्यक्रम भी शामिल हैं ।

(ii) संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वर्तमान प्रणाली और तन्त्र के लिए समन्वय, और

(iii) उपर्युक्त से संबंधित कोई अन्य विषय।

(ग) से (ङ) जी नहीं। ऐसी आशा की जाती है कि समिति अपनी रिपोर्ट 30.6.1994 तक दे दगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निवेश

3562. श्री के. प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितना ऋण अग्रिम निवेश किया गया ;

(ख) क्या उड़ीसा में कृषि और उद्योग के क्षेत्र में किया गया निवेश अन्य राज्यों की तुलना में कम था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). मार्च 1991, 1992 और 1993 के अंत तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की राज्य-वार बकाया रकम का ब्यौरा संलग्न विवरण -I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा मार्च 1991 और मार्च 1992 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक, कृषि क्षेत्र और लघु औद्योगिक क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों की राज्यवार बकाया रकमें और इसी अवधि के संबंध में अखिल भारत वित्तीय संस्थाओं द्वारा बड़े तथा मझोले उद्योगों को मंजूर तथा संवितरित की गयी रकम विवरण - II क तथा विवरण II ख में दिखाया गया है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारत वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के मामले में उड़ीसा की स्थिति, कई राज्यों से बेहतर हैं। अलबत्ता, किसी राज्य/क्षेत्र में ऋण वितरण, आर्थिक कार्यकलाप के स्तर, उद्यमवृत्ति कच्चे माल और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, अन्य निवेश के अवसरों आदि जैसे विभिन्न पहलुओं और उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है।

विवरण - I

मार्च 1991, 1992 तथा 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों पर अग्रिमों की बकाया राशि राज्य वार दर्शाने वाला विवरण।

क्षेत्र/राज्य/संघशासित प्रदेश	मार्च, 91	मार्च, 92	मार्च, 93
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	1293716	1396336	1588693
हरियाणा	151862	154745	179677
हिमाचल प्रदेश	29521	31409	34339
जम्मू व कश्मीर	15142	15401	17471
पंजाब	291703	309158	366296
राजस्थान	153010	169719	191246
चंडीगढ़	52000	53688	63209
दिल्ली	600478	662213	736452
उत्तर पूर्वी	82676	90526	100057
अरुणाचल प्रदेश	450	583	665
असम	64031	69423	76862
मणिपुर	4375	5322	6155
मेघालय	3404	3873	3468
मिजोरम	316	355	361
नागालैंड	2970	3419	3828
त्रिपुरा	7130	7548	8715
पूर्वी क्षेत्र	852837	911232	1044494
बिहार	190227	207202	225531
उड़ीसा	101115	106997	115755
सिक्किम	653	864	896
पश्चिम बंगाल	560026	595304	701239
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	815	863	1072
मध्य क्षेत्र	811204	857919	927056
मध्य प्रदेश	245604	260816	279647
उत्तर प्रदेश	565600	597102	647408

1	2	3	4
पश्चिमी क्षेत्र	2248859	2312025	2824775
गोवा	34702	35945	41056
गुजरात	444848	471641	528543
महाराष्ट्र	1768374	1803456	2254170
दादर व नागर हवेली	543	607	616
दमन व दीव	391	375	388
दक्षिणी क्षेत्र	1854745	1971397	2179722
आन्ध्र प्रदेश	449912	479262	528156
कर्नाटक	471766	480776	521264
केरल	170670	179588	199236
तमिलनाडु	750050	819344	917283
लक्षद्वीप	150	147	135
पांडीचेरी	12197	12278	13646
अखिल भारत	7144037	7539438	8664800

विवरण - 2 क

दिनांक 31.3.1991 और 1992 की स्थिति के अनुसार कृषि और लघु उद्योग क्षेत्रों को दिये गये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम की राज्यवार राशि

राज्य/क्षेत्र	कृषि		लघु उद्योग	
	A	B	C	D
	1991 मार्च	1992 मार्च	1991 मार्च	1992 मार्च
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र	31298047	33391164	37974929	38633671
हरियाणा	6941151	7233459	5369022	5526988
हिमाचल प्रदेश	802347	854993	967062	1060731

1	2	3	4	5
जम्मू व कश्मीर	523674	608971	1191340	1336769
पंजाब	12048401	12802970	10052064	9693959
राजस्थान	7945381	9016010	4571278	4795098
चंडीगढ़	2015783	1693900	1059069	1031427
दिल्ली	1021310	1180861	14765094	15188699
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1986678	2109991	2320145	2491204
	1327732	1411465	1645025	1773696
असम	62113	58306	168768	207511
मणिपुर	96659	106688	76286	66790
मेघालय	1193786	229378	163089	,186538
त्रिपुरा	225139	204665	144976	145237
अरुणाचल प्रदेश	33812	44025	54043	33945
मिजोरम	21385	23336	36534	38322
सिक्किम	26052	32128	31424	39115
पूर्वी क्षेत्र	17751612	18846751	21215835	22860303
बिहार	7883132	8610724	5684813	5882346
उड़ीसा	3555432	3918574	2773099	2955168
पश्चिम बंगाल	6288282	6289179	1273938	14002383
अंडमान व निकोबार	24766	23274	20985	20406
मध्य क्षेत्र	30825374	34129212	23297773	24371631
मध्य प्रदेश	11808743	13007763	7118893	7474923
उत्तर प्रदेश	19016631	21121449	16178880	16896708
पश्चिमी क्षेत्र	26663015	29369448	46481256	48865194
गुजरात	8872009	9893550	13282277	13742231
महाराष्ट्र	17227422	19114922	32414073	34323002
दमन व दीव	9204	7602	82159	100041

1	2	3	4	5
गोवा	547057	345911	680615	676497
दादर व नागर हवेली	7323	7463	22132	23430
दक्षिणी क्षेत्र	64815302	70459946	48088365	52167737
आंध्र प्रदेश	21468502	23224762	10789293	11495069
कर्नाटक	14770188	15954162	10797266	11763174
केरल	7467148	7866768	5942695	6498958
तमिलनाडु	20804250	23100407	20289817	22086769
पांडिचेरी	301627	310119	268783	322588
लक्षद्वीप	3587	3728	511	1179
अखिल भारत	173340028	188306512	179378303	189389740

विवरण -II ख

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को स्वीकृत और संवितरित सहायता की राशि राज्य-वार

राज्य	स्वीकृत धनराशि		संवितरित राशि	
	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
आंध्रा प्रदेश	1544.9	1450.4	950.9	1454.3
अरुणाचल प्रदेश	3.9	0.5	1.4	1.4
असम	69.1	120.3	71.8	116.1
बिहार	199.9	470.1	116.0	317.3
गोवा	88.5	128.6	83.4	107.5
गुजरात	2538.9	2556.4	1413.5	1650.4
हरियाणा	346.7	474.5	316.9	339.3
हिमाचल प्रदेश	322.3	347.2	75.3	130.3
जम्मू व कश्मीर	54.3	38.4	39.8	35.2

1	2	3	4	5
कर्नाटक	908.4	1174.1	559.4	678.0
केरल	283.1	356.2	200.5	263.8
मध्य प्रदेश	1191.2	983.7	634.0	683.4
महाराष्ट्र	4151.6	5643.0	2245.0	3728.7
मणिपुर	2.6	3.1	4.8	4.4
मेघालय	5.4	7.8	7.7	4.9
मिजोरम	4.5	1.7	4.0	1.8
नागालैंड	3.3	6.2	3.6	2.6
उड़ीसा	302.6	263.1	293.7	313.3
पंजाब	439.6	457.0	357.4	339.0
राजस्थान	776.5	781.7	429.3	547.4
सिक्किम	1.2	2.8	3.6	4.5
तमिलनाडु	1389.4	1912.6	981.0	1170.4
त्रिपुरा	1.3	2.6	2.3	2.0
उत्तर प्रदेश	1358.3	1350.2	908.7	1068.9
पश्चिम बंगाल	664.9	2026.7	443.2	479.2
अंडमान व निकोबार	0.7	0.1	0.4	0.2
दिल्ली	240.8	827.7	132.0	666.1
दमन व दीव	14.5	21.3	3.6	7.2
दादर व नगर हवेली	31.9	20.1	22.1	20.9
चंडीगढ़	13.8	10.6	7.9	11.1
लक्षद्वीप	-	0.1	-	0.3
पांडीचेरी	96.7	64.4	43.3	79.4
अखिल भारत	17056.8@	21504.9 $	10356.5	14229.8

@ आई सी सी आई द्वारा रूस को स्वीकृत 6 करोड़ रुपए की सहायता सहित।

$ आई सी सी आई द्वारा मलेरिया को स्वीकृत 7 करोड़ रुपए की सहायता सहित।

[हिन्दी]

जाली बैंक ड्राफ्टों को भुनाया जाना

3563. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जाली डिमांड ड्राफ्टों को भुनाये जाने के कितने मामले प्रकाश में आये और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक मामले में बैंकों को कितना नुकसान हुआ है ;

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) इन मामलों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और कितने मामलों में बैंक कर्मचारी भी शामिल पाये गये ;

(घ) क्या इन घटनाओं में शामिल किसी गिरोह का पता चला है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस गिरोह को पकड़ने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर अपवचन

3564. श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की चोरी के कितने मामले पकड़े गए तथा ये कितने राजस्व की चोरी के हैं ;

(ख) किन-किन बीस शीर्षस्थ फर्मों पर सीमा शुल्क/उत्पादन शुल्क की चोरी का आरोप लगाया गया है ;

(ग) 31 अक्तूबर, 1993 तक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की चोरी के कुल कितने मामले लंबित हैं और ये कितनी धनराशि के हैं ; और

(घ) बकायादारों से बकाया धन वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और शुल्क चोरी रोकने के लिए क्या कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुद्रास्फीति - दर

3565. श्री रमेश चेन्निथला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मुद्रास्फोति की वार्षिक दर क्या थी ;

(ख) उक्त अविध के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सकल राष्ट्रीय उत्पादों में कितनी वृद्धि हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के लिए बिन्दु-प्रति-बिन्दु आधार पर थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर और आवश्यक मदों के मूल्यों में वृद्धि नीचे सूचीबद्ध की गई है ;

	मुद्रास्फीति की दर (प्रतिशत)	आवश्यक मदों के मूल्यों में वृद्धि (प्रतिशत)
1990-91	12.1	15.0
1991-92	13.6	15.2
1992-93	7.0	5.1
1993-94* (26.2.94)	8.8	11.4

* अनन्तिम

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए 1980-81 के मूल्यों के आधार पर उत्पादन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि नीचे सूचीबद्ध की गई हैं : -

	सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि (प्रतिशत)
1990-91	4.7
1991-92	0.6
1992-93 (त्वरित अनुमान)	4.3
1993-94 (अग्रिम अनुमान)	3.08

कर्नाटक रेशम विपणन बोर्ड को एक बार सहायता

3566. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक रेशम विपणन बोर्ड ने मूल्य समर्थन योजना के कार्यान्वयन के लिए एक बार सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की सहायता मांगी गयी है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख). कर्नाटक सरकार ने अपरिष्कृत रेशम के लिए समर्थन मूल्य योजना के कार्यान्वयन हेतु कर्नाटक रेशम विपणन बोर्ड के लिए 118.50 करोड़ रुपये की एकमुश्त सहायता देने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) यह प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

कास्टिड सोडा/फ्लैक्स/सोलिड/ लाई का आयात

3567. डा. रमेश चन्द्र तोमर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू वर्धित अग्रिम लाइसेंसों पर कॉस्टिड सोडा/फ्लैक्स/सोलिड/लाई का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन मदों का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा इन पर प्रति मीट्रिक टन की दर से कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(घ) क्या इन मदों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में भारी कमी हुई है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन मदों के अत्यधिक आयात किये जाने से स्वदेशी एककों पर प्रभाव पड़ रहा है ;

(च) क्या सरकार को देश में ऐसे आयातित मदों के दुरुपयोग के बारे में स्वदेशी एककों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). शुल्क योजना के तहत कई उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में कास्टिड सोडा/फ्लेक्स/सौलिड/ लाई के आयात की अनुमति दी जाती है। तथापि, एक्सिम नीति 1992-97 के तहत विदेश व्यापार महानिदेशक संगठन द्वारा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों सहित विशिष्ट कच्चे माल का लाइसेन्स-वार निर्यात उत्पाद-वार आयात करने के सम्बन्ध में लेखा-जोखा रखे जाने जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक्सिम नीति 1992-97 के तहत किसी भी मद के आयात का मात्रा की दृष्टि से या विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की दृष्टि से लेखा-जोखा रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) तथा (ङ) विदेश व्यापार महानिदेशक संगठन से विभिन्न मदों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के ऐसे आंकड़े एकत्र करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। परन्तु, यह उल्लेखनीय है कि मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत कास्टिक सोडा/फ्लेक्स/सौलिड/लाई को लाइसेन्स के पूरे मूल्य के लिए शामिल किया जा सकता है। क्योंकि यह संवेदनशील मद नहीं है।

(च) से (ज). अल्कली मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन आफ इंडिया से एक अभिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि इस तथ्य को देखते हुए कास्टिक सोडा को संवेदनशील मदों की सूची में रखा जाए कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत में तीव्र गिरावट आ जाने से उसका मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेन्सों पर आयात किया जा सकेगा जिससे स्वदेशी उद्योग प्रभावित होगा। इसके अलावा, उक्त एसोसिएशन के अनुसार, कास्टिड सोडा का उत्पादन करते समय, क्लोरिन नामक एक महत्वपूर्ण सह-उत्पाद भी तैयार होता है, जिसका प्रयोग औषधि तथा भेषजीय-उत्पाद और रसायन उद्योगों द्वारा किया जाता है। इसलिए, यदि कास्टिक सोडा का

सीधे ही आयात किया जाए तो महत्वपूर्ण सह-उत्पाद की हानि हो जाएगी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विशेष अग्रिम लाइसेंसिंग समिति, जो निर्विष्टि उत्पादन मानदंडों को निर्धारण करती है, ने कास्टिक सोडा/फ्लेक्स/सौलिड/लाई को संवेदनशील मदों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है जिसके आधार पर मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेन्स पर इनके आयात भो है पर मात्रा संबंधी प्रतिबन्ध लग सकेगा। इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है जिसे संसद-पुस्तकालय को भी भेज दिया जाएगा।

गुजरात में पर्यटन का विकास

3568. श्री काशीराम राणा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात में समेकित पर्यटन विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

|हिन्दी|

भारतीय रिजर्व बैंक की आय और व्यय का अनुपात

3569. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

श्री गुमान मन लोढ़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की आय और व्यय के अनुपात में अंतर प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकरण में सुधार करने और मितव्ययिता बनाने हेतु अनेक उपाय किए गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन उपायों के कार्यान्वियन हेतु कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 1980-81 से 1988-89 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक के व्यय की तुलना में आय का अनुपात कम होता जा रहा है और केवल वर्ष 1990-91 को छोड़कर, तत्पश्चात् वर्ष 1992-93 तक यह अनुपात तकरीबर स्थिर रहा।

(ख) 1990-91 से 1992-93 के वर्षों में कुल आय, कुल व्यय और व्यय की तुलना में आय के अनुपात का ब्यौरा निम्नानुसार है : -

वर्ष	रकम करोड़ रुपये में		व्यय की तुलना में आय का अनुपात
	कुल आय	**कुल व्यय**	
1990-91	4624.97	3279.97	1.41 : 1
1991-92	5699.56	4199.56	1.36 : 1
1992-93	5632.12	4128.12	1.36 : 1

(ग) और (घ) जी, हां। अनेक समितियों ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकरण के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया है। उनकी सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने परिचालनों में कारगरता लाने के लिये कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं। इनमें मोटे तौर पर नीतियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन, आधुनिक कार्यालय स्वचलन उपस्कर, समर्पित संचार प्रणालियां स्थापित करना और मानव संसाधन विकास शामिल है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंके के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटरों, माइको प्रोसेसरों डुप्लीकेटरों, फोटो कापियर, दूरसंचार उपकरणों पर खर्च की गयी रकम का ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

(रकम करोड़ रुपये में)

वर्ष	**खर्च की गयी रकम**
1990-91	2.68
1991-92	2.68
1992-93	2.07

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

3570. श्री राम नगीना मिश्र : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बी आई सी के अंतर्गत चीनी मिलों को घाटा हा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों को गत तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे का मिल-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन मिलों पर क्रमशः सरकार और निजी पाटियों की कुल कितनी धनराशि बकाया है ;

(घ) क्या इनमें से किसी मिल को निजी पार्टियों को बेचने का कोई प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इन मिलों को फिर से चालू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). कानपुर शुगर वर्क्स लि. के

अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अवस्थित 3 चीनी मिलों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उठाये गये लाभ/हानि के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं : -

वर्ष	**पडुरौना**	**कथर्कुयान**	**गौरी**
	रु./लाख	**रु./करोड़**	**रु./लाख**
1990-91	(+) 98	(-) 89	(-) 174
1991-92	(-) 37	(-) 160	(-) 258
(1992-93	(+) 70	(-) 52	(-) 343

(ग) इन मिलों द्वारा सरकार और निजी पार्टियों को देय राशि निम्नानुसार है : -

		पडरौना	**कथकुयान**	**गौरी**
1.	4-3-94 की स्थिति के अनुसार गन्ने की देय राशि (रु./लाख)	316	161	197
2.	31.3.93 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थाओं को देय राशियां (रू./लाख)	621	231	-
3.	31-3-93 की स्थिति के अनुसार उ.प्र. सरकार को देय राशियां (रु./लाख)	421	182	140
4.	31-3-93 की स्थिति के अनुसार एस.डी.एफ. ऋण (रु./लाख)	92	32	-
5.	31-3-93 की स्थिति के अनुसार अन्य चालू देयताएं (रु./लाख)	723	351	193

(घ) से (च). रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत कानपुर शुगर वर्क्स लि. के पुनरुद्धार का दायित्व औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड को सौंपा गया है। बी आई एफ आर के निर्देशों पर संचालन अभिकरण ने मै. कानपुर शुगर वर्क्स लि. के पुनरूद्धार के लिए नये प्रबन्धन संबंधी विज्ञापन दिया है।

[अनुवाद]

निर्यात-आयात नीति की पुनरीक्षा के लिए समिति

3571. श्री तारा सिंह :

श्री वी. श्री निवास प्रसाद :

श्री ताराचन्द्र खंडेलवाल :

श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री एस. वी. सिदनाल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात-आयात प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). समिति की सिफारिशों में ये प्रक्रियाएं कवर होती हैं - एग्जिम नीति प्रकियाएं/सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क प्रक्रियाएं/मुद्रानियंत्रण से सम्बन्धित बैंकिग प्रकियाएं, वाणिज्यिक बैंकिंग तथा निर्यात-आयात के प्रलेखन मामले। सम्बन्धित मंत्रालय इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की विस्तार से जाचं पड़ताल कर रहे हैं।

विदेशी पूंजी निवेशकों को शेयरों का आबंटन

3572. श्री चेतन पी. एस. चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारतीय कंपनियों को विदेशी वित्तीय पूंजी निवेशकों को शेयरों के अधिमान्य आबंटन करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिमान्य आबंटन की कार्यविधि मानदंड क्या है ; और

(ग) देश के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क). जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय कपंनियां अपनी इक्विटी पूंजी के 24 प्रतिशत तक का निश्चित आबंटन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीयों तथा समुद्रपारीय निगमित निकायों को कर सकती हैं। भारतीय कंपनियों, द्वारा उनके सार्वजनिक निर्गमों के 24 प्रतिशत तक को इस श्रेणी के निवेशकों की तरजीही आबंटन के लिए प्रारक्षित किया जा सकता है। मौजूदा सूचीबद्ध कंपनियां सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन तरजीही आबंटन कर सकती हैं ;

(i) कंपनी, तरजीही आबंटन करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 81 (1 क) के तहत आम बैठक में शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करेगी।

(ii) किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा उसी समूह के विदेशी संस्थागत निवेशकों की धारिता इस कंपनी की चुकता पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक और किसी भी कंपनी में सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीयों तथा समुद्रपारीय निगमित निकायों की सामूहिक धारिता 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) जिन स्टाक एक्सचेजों में किसी कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हों, उन सभी एक्सचेजों में तरजीही आबंटन में पेशकश किए गए शेयरों का मूल्य विगत 26 सप्ताहों के दौरान उल्लिखित उच्चतम मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

बिहार में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

3573. श्री प्रेमचन्द राम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को दी जा रही केन्द्रीय सहायता को कम कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना कम किया गया है तथा किस योजना विशेष के लिए कम किया गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). यह मंत्रालय राज्यों को राज्य योजनागत स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता सकल ऋणों और सकल अनुदान के रूप में जारी करता है, जिसका ताल्लुक किसी तरह के विकास शीर्ष अथवा स्कीम से नहीं होता। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान न्यूनतम, आवश्यकता कार्यक्रम (एम. एन.पी.) स्कीमों के तहत योजना आयोग द्वारा मंजूर किए गए परिव्ययों के प्रति व्यय का ब्यौरा दिया है, जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) स्कीमों के अंतर्गत संशोधित परिव्यय के प्रति किए व्यय से संबंधित जानकारी के आधार पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम स्कीमों के व्यय में कमी के कारण राज्य वार्षिक योजना 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सहायता में क्रमशः 1128. 78 लाख रुपये, 429.86 लाख रुपये और 114.03 लाख रुपये की आनुपातिक कटौती की गई थी।

विवरण

(लाख रु. में)

मद विकासशीर्ष न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम स्कीमें	वर्ष 1990-91 संशोधित स्वीकृत परिव्यय	राज्य सरकार द्वारा बताया गया व्यय	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम स्कीमों के अंतर्गत व्यय में कमी
1	2	3	4
1. सड़कें और पुल	7500.00	5667.27	1832.73
2. नागरिक आपूर्ति	250.00	249.67	0.33
3. प्रौढ़ शिक्षा	1250.00	1172.00	78.00
4. चिकित्सा एवं सावर्जनिक स्वास्थ्य	2130.00	2115.00	15.00
5. ग्रामीण जल-आपूर्ति और ग्रामीण सफाई	2968.00	2791.00	177.00
6. आवास	200.00	170.00	30.00
7. शहरी विकास	260.00	75.00	185.00
8. पोषाहार	1187.00	973.00	214.00
9. ग्रामीण ईन्धन की लकड़ी	200.00	185.00	15.00
केन्द्रीय सहायता में 1128.78 लाख रुपये की आनुपातिक कटौती			2547.06
वर्ष 1991-92			
1. नागरिक आपूर्ति	109.00	108.00	1.00
2. ग्रामीण जल आपूर्ति	4920.00	4879.00	41.00
3. प्राथमिक शिक्षा	4459.00	3934.00	525.00
केन्द्रीय सहायता में 429.86 लाख रुपये की आनुपातिक कटौती			567.00
वर्ष 1992-93			
10 ग्रामीण विद्युतीकरण	400.00	238.00	162.00
			162.00

केन्द्रीय सहायता में 114.03 लाख रुपये की आनुपातिक कटौती।

[अनुवाद]

सोयाबीन खली का निर्यात

3574. श्रीमती शीला गौतम : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु चारे के रूप में पूरी सोयाबीन खली का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसके उत्पादन और निर्यात का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चारे के रूप में इसका निर्यात करने के क्या कारण हैं जबकि इसका मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जा सकता है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों में सोयाबीन की तेल रहित खली/ निरूपारण के उत्पादन और निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : -

(मात्रा लाख मी. टन में)

	1990-91	**1991-92**	**1992-93**
उत्पादन	17.05	16.36	20.63
निर्यात	14.55	12.79	17.25

(स्रोत : पोलबैन्ट एक्सट्रैक्टरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया)

इस वस्तु के अंत्य प्रयोग का निर्धारण न तो नीति में किया गया है और न ही सरकार निर्यात की गई मात्राओं के अंत्य प्रयोग को दर्शाने वाला कोई रिकार्ड रखती है।

शीतकालीन पर्यटन प्रयोजनों के लिये क्षेत्रों को खोलना

3575. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीतकालीन पर्यटन प्रयोजनों के लिये ऊंचे पर्वतों और पर्वतीय क्षेत्रों को खोलने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क). सरकार ने ऐसे कुछ ऊंचे पहाड़ों और पर्वतीय क्षेत्र के प्रदेशों को खोल दिया है जहां हिम पर्यटन का संवर्धन करना सम्भव हैं।

(ख) इन क्षेत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अरुणाचल प्रदेश

ईटानगर, जीरो, एलोंग, पासीघाट,

म्याओ और नामदाफा।

असम

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस पक्षी बिहार-स्थल,

गुवाहाटी शहर और कामाख्या मंदिर, शिवसागर, जतिंगा पक्षी बिहार-स्थल।

मणिपुर

लोकतक झील, इम्फाल, मोयरांग, आई.एन.ए. स्मारक,

केबुल हिरण अभ्यारण्य, वेथ झील।

मेघालय

शिलांग, बारापानी, चिरापूंजी, मॉसीराम, जेकरन, रानीकोर,

थडलसकीन, नारटियांग, तूरा और सिज।

मिजोरम

वैरांगटे, थिंगडावी और ऐजवाल।

सिक्किम

(क)

गंगटोक, रूमटेक, फोडांग, पेमेंग्त्से।

(ख)

पश्चिम सिक्किम में जोंगरी

हिमाचल प्रदेश

(1)

पूह-खाब-सुमधो-थंकार-ताबो-गोंपा-कज।

(2)

मोरांग-डबलिंग

(3)

काजर-किबर-प्रांगला पास-बाराल-किलांग-मनाली मार्ग

उत्तर प्रदेश

(1) मिलाम ग्लेशियर

(2) धर्म घाटी, जोलिंग कौंग क्षेत्र सोबला, धारचुला,

चौदास और मिलाम ग्लेशियर

(3) नंदा देवी अभयारण्य, मिति घाटी, कालिंदी खाल और

कुटी घाटी नही बल्कि मिलाम ग्लेशियर से जुड़ा क्षेत्र।

(4) सिपर और मार्चा तिडांग का दक्षिण, डाबर, गौ, दांती व्यास घाटी, छियालेख गांव का दक्षिण क्षेत्र आर्यात बुडी, मैबपाट आदि परन्तु गारीबियरे क्षेत्र को छोड़कर

खालत्से उप प्रभाग

परिपथ

(1) खालत्से-दुमखर-स्कोरडुचन-हांडो-बियामा-था

नुब्रा उप प्रभाग

परिपथ

(1) लेह-खारदुंगला-खाल्सर-पनामिक तक टिबिट

(2) लेह-खारदुंगला-खाल्सर-हुंडेर तक

(3) लेह-साबो-डिगारिला-लाबाब-कनूनगरू गंपा-तंगा

(अनुमोदित यात्रा प्रचालकों द्वारा संचालित ट्रैकिंग के लिए ही जिनके साथ राज्य पुलिस के कार्मिक जाते हैं)

न्योमा उप प्रभाग

(1) लेह-उपशी-चुओनाथांग-माहे-पूगा-त्सो-मोरारी झील/कोर्जोक

(2) लेह-उपशी-डेबरिंग-पूगा-त्सो-मोरारी झील/कोर्जोक

(3) लेह-कारू-चांग ला-डुर्बुक-तांगत्से-लुकुंग-स्पांकमिक (स्पांकमिक तक पांगोंग झील)

[हिन्दी]

12.14 म.प.

आजाद हिन्द फौज के शहीदों को श्रद्धांजलि

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विषय पर विचार करेंगे ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हमने एक नोटिस दिया है। महोदय, आज ऐतिहासिक दिन है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज ने वर्मा-भारत सीमा पार की और भारतीय भूमि पर तिरंगा झंडा फहराया। उन्होंने इसकी घोषणा 21 मार्च को वर्मा में की थी। मैं चाहता हूँ। इस ऐतिहासिक और देशभक्ति के कार्य की, जिससे इस देश को स्वतंत्रता मिली, स्मृति में पूरी सभा उस घटना का उल्लेख करें और अध्यक्ष महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालें तथा सभी माननीय सदस्य उन शहीदों की स्मृति में मौन खड़े हों जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अटल बाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री सैफुद्दीन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आई.एन.ए. के 50 वर्ष पूरे होने पर संसद में उल्लेख किया है। यह उल्लेख सैफुद्दीन साहब की तरफ से आया, इसका भी अपना महत्व है। आई.एन.ए. को हमने सिपाही विद्रोही नहीं माना। सेना के कड़े अनुशासन के अन्तर्गत उन्हें किस रूप में लिया जाए। इसके बारे में उस समय भी चर्चा हुई थी। लेकिन वे देश की स्वाधीनता के लिए लड़े, नेताजी के नेतृत्व में लड़े, सारे देश ने उन्हें सर आंखों पर उठाया और इसलिए आज 50 साल पूरे होने पर हम उनका स्मरण करें, यह स्वाभाविक है।

अध्यक्ष महोदय, आप भी हम हम दोनों की आवाज में अपनी आवाज मिला दें तो अच्छा होगा।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, श्री सैफुद्दीन ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं हृदय और आनन्द से समर्थन ही नहीं करना चाहता बल्कि यह भी कहना चाहता हूं कि नेताजी हम सबकी आजादी की जंग थे, विशेष तौर पर नौजवानों की सम्पूर्ण चेतना के प्रतीक थे। वे हमारे मन को आज भी स्पर्श करते हैं। उन्होंने आजादी की जंग का कमांडर बनने का काम किया। वे केवल एक कमांडर ही नहीं थे, उसके पहले हिन्दुस्तान की आजादी की कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। गांधी जी के बाद जवाहरलाल जी के समकक्ष नेता भी थे। आई.एन.ए. की फौज का नेतृत्व करके हिन्दुस्तान ऐंटर करने का उनका दिन तो यह है ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी की लड़ाई के दौरान त्रिपुरी कांग्रेस तक उनकी ऐतिहासिक भूमिका थी। यदि वह दिशा बनी रहती तो आज देश की परिस्थिति दूसरी होती।

इसलिए आज का दिन नेताजी के लिए भी और उनके साथ जिन्होंने आई.एन.ए. के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की आजादी की जंग के ग्लोरियस पीरियड तक पहुंचने का काम किया, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। मेरा मत है कि यदि आपकी तरफ से भी एक प्रस्ताव आता और आप भी कुछ विचार व्यक्त करते तो उन शहीदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसात) : मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा किए गये प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूं। इस दृष्टि से यह एक पवित्र दिन हैं कि महान नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज के अन्तर्गत भारतीय सिपाहियों ने हमारी मातृभूमि की पवित्र मिट्टी का स्पर्श किया था। वहाँ से उन्होंने इम्फाल, मणिपुर को कूच किया और आजाद हिन्द सरकार के झंडे को फहराया। यह हमारे देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

मैं सोचता हूँ कि सभा की ओर से अध्यक्ष के रूप में आप इसका कुछ उल्लेख करें ताकि इसका और महत्व तथा गरिमा बढ़े। इस संबंध में आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं इम्फाल गया था। मैंने वहाँ उन जापानी सिपाहियों की यादगार में बनाए गये अनेक कब्रगाहों को देखा जिन्होंने उस समय युद्ध में भाग लिया था। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि वहाँ आजाद हिन्द फौज के उन सिपाहियों की कोई भी स्मारक नहीं है जिन्होंने उस समय ऐतिहासिक युद्ध के दौरान मणिपुर में अपने प्राणों को न्यौछावर किया था।

जापान सरकार से अपने उन सिपाहियों की स्मृति में एक और स्मारक बनाने का प्रस्ताव मिला है जो द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। इसका निर्णय सरकार करेगी कि क्या वह जापान सरकार को यह स्मारक बनाने की अनुमति दे। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारी सरकार की ओर से युद्ध के दौरान शहीद हुए आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों की स्मृति में कोई स्मारक बनाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आजाद हिन्द फौज के उन सिपाहियों की यादगार में स्मारक बनाने हेतु ठोस प्रस्ताव करें जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अत्यन्त कठिन संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगत सिंहपुर) : महोदय, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी अनेक घटनाएं हुई और अनेक योगदान दिये गये हैं जो इतिहास के विषय बन गये हैं तथा इनसे हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता भी मिली थी। नेताजी सुभाष चन्द बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज द्वारा छेड़ा गया युद्ध इसकी स्मरणीय घटना है। इसलिए मैं अन्य लोगों के साथ हूँ, मेरे विचार से यह अच्छा होगा कि यदि आप भी हमारे साथ हों तथा हम सब उन शहीदों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए सभा में मौन धारण करें जो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में युद्ध के दौरान शहीद हुए थे।

श्री थाइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, यह हमारे लिए विशेषतः इस सभा के लिए उचित होगा कि हम उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह सच है कि नेताजी सुभाष ने मणिपुर की जनता तथा अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को, जो बाद में मणिपुर में आजाद हिन्द फौज में उनके साथ हो गए, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। अब मैं आजाद हिन्द के झंडे का उल्लेख करना चाहता हूँ जो मणिपुर में फहराया गया था और इसकी स्मृति में वहाँ एक स्मारक बनाया गया है। शाहनराज खां का कार्यालया वहाँ अभी भी सुरक्षित है। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाए तथा यह उन लोगों के प्रति कृतज्ञता होगी जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण के समर्पित किये।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं आजाद हिन्द फौज के शहीदों तथा सर्वोच्च नेता, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने में सभा के साथ हूँ। जैसा कि श्री सैफुद्दीन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आजाद हिन्द फौज की स्थापना से पहले उन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में काफी लम्बे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। उनके समर्थकों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए महान बलिदान किया है। इसलिए यह अच्छी बात है कि भारतीय सीमा में उनके प्रवेश की 50वीं वर्षगांठ पर इस घटना का उल्लेख किया जा रहा है। हमने एक स्मारक बनाया है तथा वहाँ प्रति वर्ष कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। परन्तु श्री चित्त बसु के सुझाव पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा और हम यह देखेंगे कि इस संबंध में और क्या किया जा सकता है। मैं, भारत सरकार की ओर से भारतीय स्वतन्त्रता के शहीदों तथा सुप्रीम कमांडर, नेताजी बोस को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा यह चाहता हूँ कि इस अवसर को पूरे देश में उचित ढंग से मनाया जाए।

महोदय, यदि आप यह उचित समझते हैं तो आप अपनी टिप्पणियों के माध्यम से सभा की भावनाओं को प्रतिध्वनित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐतिहासिक घटना की 50 वीं वर्षगांठ पर सभा आजाद हिन्द फौज के शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करती है। भारत की जनता उनके बलिदान को बड़े गर्व और कृतज्ञता के साथ याद करती है और करती रहेगी अब हम शहीदों की याद में कुछ क्षण के लिए मूक खड़े हों।

12.25 म.प.

(सदस्यगण दो मिनट तक मौन खड़े रहे)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मुझे एक घोषणा करनी है। कृपया, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

12.27½ म.प.

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

29 और 30 मार्च, 1994 को सभा की बैठक

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि दलों के नेताओं की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि उर्वे चक्र की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के परिणाम दर्शाने वाले अन्तिम अधिनियम पर चर्चा करने के लिए मंगलवार 29 और बुधवार 30 मार्च 1994 को सभा की बैठक हो।

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : कल जब हम 29 और 30 मार्च, 1994 को सभा की प्रस्तावित बैठक के बारे में विचारविमर्श कर रहे थे उस समय हमारे पास 28 और 29 मार्च, 1994 को दिल्ली में होने वाली ग्रुप-15 शिखर सम्मेलन की बैठक की सूचना नहीं थी। इन दिनों प्रधानमंत्री और अन्य संबंधित मंत्री इस बैठक में व्यस्त रहेंगे। हमने पहले ही 29 और 30 मार्च, 1994 को सभा की बैठक बुलाने के निर्णय का स्वागत किया है। कृपया इस बात पर विचार किया जाए कि क्या इन तारीखों में कुछ फेर-बदल करने की आवश्यता है। अन्यथा, यदि इन तारीखों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिया जाए तो क्या यह अच्छा होगा कि जो मंत्री ग्रुप - 15 शिखर सम्मेलन की बैठक में व्यस्त रहेंगे वे यहाँ की चर्चा से अनुपस्थित रहें ? यदि यह स्वीकार्य नहीं है तो प्रस्तावित तारीखों में कुछ फेर-बदल किया जाए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आप सब की सलाह से 29 और 30 तारीखें निश्चित हुई थीं। जिस बैठक का शुक्ल जी ने उल्लेख किया, वह बैठक भी पहले से निर्धारित है मगर चर्चा के समय हमें प्रधान मंत्री की आवश्यकता होगी, वाणिज्य मंत्री की भी आवश्यकता होगी लेकिन शुक्ल जी ने यह नहीं बताया कि उनके पास वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा कि जब हम लोगों की बैठक हो रही थी, उस वक्त

मेरे पास भी सूचना नहीं थी और मैं समझता हूँ कि जो विरोधी दल के माननीय नेतागण हैं, उनके पास भी सूचना नहीं थी और यह सूचना मुझे आज मिली है, इसलिए मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ। मीटिंग के दौरान हम लोग यह चाहेंगे कि वाणिज्य मंत्री यहां मौजूद रहें, अन्य मंत्रियों की भी यहां जरूरत पड़ेगी इसलिए हम तारीखों को कुछ आगे पीछे कर सकें तो ठीक हैं, नहीं तो जो तारीखें निर्धारित हुए हैं, उसमें बहस हो जायेगी और जहां तक हो सकेगा, मंत्रिगण यहां आयेंगे और जो भी समय दे सकते हैं, देंगें। यह कठिनाई हम लोगों को जाननी इसलिए जरूरी हैं कि चूंकि उस समय कोई व्यवधान इस प्रकार का न पड़े, जिससे कि जो बहस की उपयोगिता है, उसमें कोई कमी हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सुझाव क्या है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, यह साधारण सी जो घोषणा संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने की है, इससे यह पता चलता है कि हम कहां पहुंच गये हैं। आप अध्यक्ष हैं, मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करूंगा। किसी भी संसदीय कार्य प्रणाली के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि संसद का विशेष अधिवेशन इसलिए स्थगित कर दिया जाय कि 10 या 15 देशों के लोग आ रहे हैं ? क्या उनसे यह निवेदन नहीं किया जा सकता था कि आप लोग एक दो दिन बाद या एक दो दिन पहले आइये ? क्या हम इतने विवश हैं कि जो जब चाहे, हमारे देश में आये और उसके लिए संसद का अधिवेशन . . . **(व्यवधान)** . . . मैं आपको बताऊं, यह साधारण बात नहीं है, यह हंसने की बात नहीं है। दुनिया के इतिहास में आप कहीं बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए कि विदेशी लोगों के कहने पर और उनकी सुविधा के ऊपर संसद का अधिवेशन, जो पूर्व निश्चित है और जो सब की सलाह से किया गया हो। और वह भी जब आपने संसद में इसकी घोषणा कर दी हो। अगर यह बात थी तो आज संसदीय कार्य मंत्री को पहले आपसे कहना चाहिए था कि आप इसकी घोषणा सदन में मत कीजिए और यदि आप नेताओं को पहले ही बुलाकर यह कर लेते तो अच्छा होता, मुझे कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि उस बहस से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ स्वाभिमान, राष्ट्रीय गौरव और कुछ संसद की परम्परा का थोड़ा निर्वाह करना चाहिए, यह आपके ऊपर ही है कि करें या न करें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अजीब बात है, माननीय चन्द्र शेखर जी इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 29-30 तारीख को बैठेंगे उस वक्त हम लोगों को यह सूचना नहीं थी। . . . **(व्यवधान)** . . . हमने जब 29-30 तारीख निर्धारित की थी उस वक्त ऐसी बात नहीं थी, बाद में ये तारीखे निर्धारित हुई और पूर्व निर्धारित संसद की बैठक को हम बदल रहे हैं क्योंकि जी-15 की मीटिंग उसके बाद निर्धारित हुई है, ऐसी बात नहीं हैं मुझे केवल एक छोटी सी बात यह कहनी है कि जी-15 की मीटिंग तो बहुत पहले से तय थी, लेकिन पहले यह सूचना मेरे पास नहीं थी, नहीं तो हम उसी वक्त तय कर लेते। आज भी हम इस बात को तय कर सकते हैं कि हम लोग 29-30 तारीख के बदले 30-31 तारीख को बैठ जाएं, यह भी हो सकता है। . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, अगर यह हालत इस सरकार की है तो भगवान ही रक्षा करे। संसदीय कार्य मंत्री को जी-15 की मीटिंग मालूम नहीं थी, जब कि यह बात 15 दिनों से चल रही है तो क्या 15 दिनों से गवर्नमेंट सोई हुई थी **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : उस वक्त हम लोग छुट्टी पर चले गए थे और यह बात मेरे ध्यान में आज ही आई। . . .**(व्यवधान)** . . .

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : महोदय, आपने इतनी मीटिंग बुलाई, शुकल जी का भी गजब हिसाब है। चन्द्र शेखर जी ने ठीक कहा है कि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं और आपको इसकी सूचना नहीं थी कि वहां के लोग आने वाले हैं। आपको इसकी याद नहीं थी, आप भूल गए यह तो आप कह सकते हैं। आपको मालूम था लेकिन आप इतने असावधान थे क्योंकि वहां मीटिंग में जब यह बैठते हैं तो अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, इनको इतने काम मिले हुए हैं। ये पार्टियों के एम.पीज़ा. को सब जगह फोन करते रहते हैं कि हमारी पार्टी में आओ, पार्टी में आओ। इसके कारण भी आपके कामों में बहुत बाधा पड़ रही है, यानी यह इतने कामों में व्यस्त रहते हैं। . . . **(व्यवधान)** . . . इसका गवाह आपसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। अगर 31 तारीख का कल निर्मल दा ने जिक्र भी किया तो आपकी कितनी नाराजगी हम लोगों को झेलनी पड़ी, यह बात हमको रात को भी याद रही।

महोदय, दूसरी तरफ सरकार के संसदीय कार्य मंत्री दूसरे कामों में इतने व्यस्त हैं कि इनको इस काम के लिए समय भी थोड़ा कम मिलता है और जब आप यहां बैठते हैं तो उन्हीं चीजों में खोए रहते हैं, नहीं तो आप यह गलती नहीं करते। अब 29-30 तारीख के बदले 31 तारीख के लिए आप ही कल कह रहे थे कि गुड फ्राइडे है और आप जानते हैं कि 31 तारीख के ऊपर कितना विरोध हुआ था। हमारे जो क्रिश्चन मैम्बर्स थे उसके विरोध करने के बावजूद आप यह भूल गए और आज फिर यह कह रहे हैं कि 31 तारीख कर दीजिए। . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह आरोप सरासर गलत है। . . . **(व्यवधान)** . . . मैंने तो यह प्रस्ताव कभी नहीं किया था कि हमको बहस करनी चाहिए, यह आप ही ने कहा था। . . . **(व्यवधान)** . . . आपकी मौजूदगी में यह तारीख निर्धारित हुई। . . . . **(व्यवधान)** . . .

जो तारीखें निर्धारित हुई हैं, उनमें हम बहस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कोई फेर-बदल की आंवश्यकता नहीं है। मैंने कोई फेर-बदल का सुझाव नहीं दिया है। मैंने सिर्फ संभावित कठिनाई की तरफ सदन का ध्यान दिलाया है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी व्यस्तता का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि मैं इनसे बहुत कम व्यस्त रहता हूं, बल्कि ये आजकल स्वयं बहुत व्यस्त हैं और लोगों को इस तरह से घेरने में लगें हुए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। हमारी तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई हैं। मैं तो पूरी तरह से आराम से अपने कमरे में बैठकर काम करता रहता हूं, दौड़-धूप तो शरद यादव जी को करनी पड़ रही है।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय शुक्ल जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क है। और मैं जानता हूं

कि ये शासकीय कार्यों में कम व्यस्त रहते हैं और राजनीतिक कामों में अधिक व्यस्त रहते हैं। मैं यही नहीं कह रहा कि हमारे एमपीज के साथ इनके बहुत संपर्क हैं, बल्कि इनको और बहुत काम हैं। मेरा कहना है कि और कामों को बंद करिए, यह देश के हित में नहीं हैं अब तो आप अच्छी जगह बैठे हैं, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, दूसरे कामों में व्यस्त न रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। यदि आप अपने कामों में पूरा ध्यान देते तो इतनी सी बात आपको नहीं भूलती।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने संसद की विशेष बैठक के संबंध में 29-30 तारीख की घोषणा की है और संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा वह बहुत आब्जेक्शनेबल है और इस बारे में श्री चन्द्र शेखर जी ने और श्री शरद यादव जी ने जो बातें कहीं हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आए दिन सदन के संबंध में, सदन की बैठकों के संबंध में, सदन की कार्रवाई के संबंध में जितना अंगभीर ढंग से संसदीय कार्य मंत्री का व्यवहार होता है, इस सवाल को लगातार हम लोग उठाते रहे हैं। . . . **(व्यवधान)** . . .

[अनुवाद]

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही : (देवगढ़) सभा में इस पर और चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप इसका निर्णय अपने चैम्बर में ले सकते हैं और कल उसकी घोषणा कर दें।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : अभी जैसा कि शरद यादव जी ने कहा कि मंत्री महोदय दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, असल में विद्या चरण जी चाहते हैं कि इस देश में उनकी संस्कृति के अधिक से अधिक लोग हो जाएं, अपनी संस्कृति के अधिक से लोग वे पैदा करना चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारा सख्त ऐतराज हैं, 29-30 को सदन की बैठक होनी चाहिए, उसमें कोई फेर-बदल नहीं होना चाहिए। प्रधान मंत्री जी यदि सम्मेलन में थोड़ी देर के लिए जाएंगे, लेकिन 30 तारीख को तो यहां पर उपस्थित रह सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि 29-30 तारीख की सदन की बैठकों की जो घोषणा हो चुकी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुश्किल यह है कि इस बारे में बहुत सारी डेट्स बदलने का काम हो चुका है। पहले 19 तारीख को बहस करने की बात थी, फिर 28-29 की बात हुई, फिर उसके लिए भी हमने न कह दिया और वह तारीख भी बदली गई। इसलिए यहां पर मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। चन्द्र शेखर जी ने जो कुछ इसके बारे में कहा है, वह सही है, ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन को टाला जाता तो अच्छा रहता। मैं समझता हूँ कि 29-30 तारीख जो अनाउंस कर दी है, इस पर हम स्ट्रिक्ट रहें।

[अनुवाद]

और शायद इसकी देखभाल करना मंत्रियों की संयुक्त जिम्मेदारी है। कुछ मंत्री यहाँ उपस्थित रहेंगे और कुछ उस बैठक में रहेंगे। मुझे आशा है कि सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी। हम एक कार्य टालने का प्रयास करना चाहिए।

[हिन्दी]

दूसरी बात यह है कि जब भी आप कमेटी में आते हैं तो अथारिटी लेकर आना चाहिए, पूरी मालूमात

लेकर आना चाहिए। वहां पर एक बात बोलेंगे और दस्तखत करके मुझे दूसरा लैटर देंगे तो मुश्किल होगा, इसको अवाइड कीजिए, ऐसा होता है।

. . . **(व्यवधान)** . . .

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : (दमदम) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कल हमने इस विषय पर चर्चा की थी और यह सुझाव दिया था कि इस सत्र के दूसरे चरण के लिए बजट पर सामान्य चर्चा को हिस्सों में बौंटने के बजाए यदि वे इस चर्चा को 31 तारीख तक बढ़ाने के लिए सहमत हैं तो हम यह चर्चा समाप्त कर सकते हैं।मैं आपको यह याद दिला रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात दूसरों को स्वीकार्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बार-बार नर्मदा योजना की पूर्ति के बारे में जब-जब भी मंत्रियों के ब्यान आए हैं तो हमने तब-तब गुजरात की जनता के आक्रोश को यहां पर रखा है। अभी दो दिन पहले पर्यावरण मंत्री ने दबाव में आकर एक टीम भेजने का फैसला कर लिया है। वह टीम गुजरात जाएगी और फैसला करेगी कि बांध होगा या नहीं। और पर्यावरण की समस्या हल हुई या नहीं। मैंने पिछले सप्ताह आपकी अनुमति से प्रश्न उठाया था कि नर्मदा योजना हमारे लिए प्राण प्रश्न है . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : आप रोज उठायेंगे क्या ?

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : यहां पर आश्वासन दिया जाता है कि नर्मदा बनकर रहेगी और इसमें सरकार पीछे नहीं हटेगी। ऐसा सदन में आश्वासन देने के बाद पर्यावरणवादी उनके आफिस में चले जाते हैं तो फिर दबाव में आकर कहते हैं कि बांध की ऊंचाई कम कर देंगे और फिर उनके साथ समझौता करके कहते हैं कि टीम जाएगी। गुजरात की जनता का आक्रोश आंदोलन करने से शुरू होता है . . . . **(व्यवधान)** आप सदन में आकर कहते हैं कि ट्रिब्युनल के फैसले के आधार पर निश्चित काल में योजना पूरी होगी और किसी के साथ समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ पीछे के दरवाजे से पर्यावरणवादियों के साथ समझौता करके गुजरात की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे गुजरात की जनता दुखी है, आक्रोशित है इसलिए इन लोगों के दबाव में आकर गुजरात की जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कभी सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेना बंद कर देती हैं। पता नहीं सरकार क्या करती है ? मैं कहना चाहता हूं कि टीम को वापिस बुलाया जाए। आपने सदन में कहा था कि 48 घंटें में टीम जाएगी, वहां जाकर जांच करेगी और 48 घंटों में रिपोर्ट देगी और आपके मंत्री कभी यह कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय योजना कहते हैं। . . . **(व्यवधान)** . . . हमारी जिंदगी इस पर लगी हुई है। इसलिए हमारे साथ खिलवाड़ मत करें।

अध्यक्ष महोदय : क्या खिलवाड़ कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको जबाव नहीं चाहिए तो मंत्री जी को बैठने के लिए बोल दूंगा।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो आरोप लगाया गया है यह बेबुनियाद और गलत आरोप है। गुजरात में कांग्रेस की सरकार चल रही है . . . **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, क्या गलत आरोप हैं ? क्या पर्यावरण मंत्री ने टीम भेजने का फैसला नहीं किया है ? . . . **(व्यवधान)** आप गलत बता रहे हैं। क्या गलत आरोप हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह आरोप लगाया गया है कि हम चोर दरवाजे से गुजरात की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत आरोप है . . . **(व्यवधान)** गुजरात की जनता के हितों की रक्षा करने की हमारी मंशा है और हमारी चिंता आपसे कहीं अधिक है। . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सुनना नहीं चाहते तो मिनिस्टर नहीं बोलेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उन्नति के विकास पर अच्छी योजना है जिसका हम समर्थन करते हैं, जो चल रही है इसलिए उसको राजनीति में मत डालिए। यह कहना कि उसमें केन्द्र सरकार व्यवधान डाल रही है तो बिल्कुल गलत है और न वहां पर कोई चोर दरवाजा है और न किसी प्रकार की कोई बात है। कोई टीम जाती है या आती है तो उससे सरदार सरोवर के बनाने के शेडयुल पर असर पड़ने वाला नहीं है। . . . **(व्यवधान)** गुजरात की जब तक सहमति नहीं होगी तब तक ऊंचाई नहीं बदली जा सकती है। आप कितना भी कहें लेकिन गुजरात की जनता यह समझती है कि उनके हितों को रक्षा कौन कर रहा है और कौन कर सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें भी चिन्ता है गुजरात के हितों की। यह टीम भेजने का फैसला क्यों हुआ ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जोर-जोर से उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो तथ्य हैं वे बने रहेंगे। सरकार ने पहले कहा था वह बात वैसी की वैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। मैं माननीय सदस्यों को पुनः कहना चाहूंगा कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, जो मैंने पहले वक्तव्य दिया था, उसमें लेशमात्र भी फर्क नहीं है। जो हमारा स्टेंड हैं उसीके हिसाब से चलेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इतना समझ लें कि सरकार को अपने साथ सभी लोगों को लेकर चलना है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, पश्चिम बंगाल के छात्र तथा युवक कल से धरना दिये बैठे हैं और वे अपनी माँगे मनवाने के लिये आज गिरफ्तारी देंगे। उनकी और हमारी माँग यह है कि एक लाखी बलूरघाट, दीधा-तामलोक, हावड़ा-आमटा, खाना सौंतिया रेल लाइन को दोहरा करना, शांतिपुर नवदीपधाम, आमान परिवर्तन तथा आदरा-मिदनापुर और बाँकुरा-दामोदर नदी रेलवे जैसी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। जिन्हें सरकार ने शुरू नहीं किया है।

12.46 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक लाखी बलूरघाट परियोजना मध्यप्रदेश राज्य में अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है, जो जिला मुख्यालय जहाँ एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है, को जोड़ेगी तथा पूर्वी क्षेत्र को भी जोड़ेगी।

पिछले वर्ष के बजट में उस परियोजना के लिये एक करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। और एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। इस वर्ष उसे घटा कर मात्र 1,000 रुपये कर दिया गया है।

हावड़ा-आमटा परियोजना की भी यही सचाई है। उस परियोजना का उद्घाटन 1972 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने किया था वह भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना है। पिछले वर्ष एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी परन्तु एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया और इस वर्ष उसे घटाकर मात्र 1,000 रुपये कर दिया गया है।

दीघा-तामलोक परियोजना तथा खाना-सौंतिया और शाँतिपुर-नवदीप धाम रेल लाइन, जो केवल 10 किलोमीटर है, को दोहरा करने की भी यही स्थिति है। महोदय, यह पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

यद्यपि समूचे पूर्वी क्षेत्र, अर्थात् बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में आमान-परिवर्तन के लिये 1,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का आबंटन किया गया है तथापि पश्चिम बंगाल राज्य में एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। इसी कारण पश्चिम बंगाल के युवकों ने 26 फरवरी को 12 घंटे तक रेल-रोको अभियान चलाया था।

हमारी माँग यह है कि एक लाखी बलूरघाट, दीघा-तामलोक, हावड़ा-आमटा, खाना-सौंतिया रेल लाइन को दोहरा करना, शाँतिपुर नवदीपधाम, आमान परिवर्तन तथा आदरा-मिदनापुर और बाँकुरा-दामोदर नदी रेलवे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये पर्याप्त धनराशि का आबंटन किया जाना चाहिये। सरकार को उनकी माँग पर विचार करना चाहिये क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और इन सभी परियोजनाओं के लिये पर्याप्त धनराशि का आबंटन किया जाना चाहिये। यह माँग पश्चिम बंगाल के लोगों की है और मैं चाहूँगा कि संसदीय कार्य मंत्री इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : माननीय सदस्य महोदय ने अभी-अभी रेलवे तथा पूर्वी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाये हैं। मैं यहाँ पर यह उल्लेख करना चाहूँगा कि हमने रेल बजट पर लम्बी चर्चा की है। रेलवे से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिये सदन के पास कुछ और समय उपलब्ध रहेगा और मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण उस समय के दौरान इन मुद्दों को उठा सकते हैं - परन्तु इस तरह से चाहे तब नहीं - ताकि रेल मंत्री उपयुक्त रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : माननीय मंत्री महोदय को पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में व्याप्त असंतोष की तीव्रता का अहसास नहीं है। **(व्यवधान)** रेले चलनी बंद हो जायेंगी। उनके द्वारा कोयले की ढुलाई बंद हो जायेगी। यह एक असाधारण बात है। वे यहाँ नियमित रूप से 'घरने' पर बैठने नहीं आते हैं। लोग अत्यन्त उत्तेजित हैं; आपको यह बात समझनी चाहिये वे लोग यहाँ धरने पर बैठने के लिये आये हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर वापस जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष पीठ खड़े हों तो प्रथा यह है कि माननीय सदस्यगण अपने-अपने आसन ग्रहण कर लें। कृपया अपने आसन ग्रहण करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप अध्यक्ष पीठ से सरकार को निदेश भी दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज का कानून यहां बनाया गया और राज्य सरकारों ने अपने ऐक्ट बनाने शुरू किये। बिहार के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने पंचायती राज ऐक्ट में संशोधन किया और उन्होंने उसमें यह अधिकार दिया है कि जो भी कर्मचारी है उनको सस्पैण्ड और सेवामुक्त तुरंत किया जा सकता है। ऐसा ऐक्ट जंगल राज है। ऐसा अंधा कानून बना है, उसको लेकर बिहार के सारे अधिकारी यहां आए हैं और वह प्रदर्शन कर रहे थे और उस प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस छोड़ी गई। . . . **(व्यवधान)** . . . जो जंगल राज्य बिहार में चल रहा है उसके कारण यह हो रहा है। इन प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और कानून में संशोधन करे तथा बिहार सरकार को समाप्त करना चाहिए। वहां जंगल राज चल रहा है, वह डिक्टेटर है और उन्होंने सारे कर्मचारियों को तबाह करने का काम किया है और वे कर्मचारी भारत सरकार से मांग करने आए हैं कि बिहार सरकार को समाप्त करें और उस कानून में संशोधन करें। मैं आपको यही सूचना देना चाहता था। . . . **(व्यवधान)** . . .

12.55 म.प.

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कृषि मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : मैं कृषि मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5580/94)

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1994-95 अनुदानों की विस्तृत माँगे

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्री गुलाब नबी आजाद की

भोर से, मैं नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5581/94)

विद्युत मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत माँगें

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : श्री एन.के.पी. साल्वे की ओर से, मैं विद्युत मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5582/94)

चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत अधिसूचना

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 के अंतर्गत जारी चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1993, जो 21 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 998 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5583/94)

शिक्षु अधिनियम, 1961 आदि के अंतर्गत अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : श्री पी.ए. संगमा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ : -

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1993, जो 9 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 497 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 8 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2143, जो 9 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें पदनामी ट्रेडों और व्यवसाय में अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकारों और शिक्षुओं का अनुपात दर्शाने वाला आदेश सम्मिलित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2144, जो 9 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए व्यवसायों को पदनामी व्यवसाय विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 5584/94)

(4) सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 की धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1994, जो 10 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 11 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5585/94)

(5) (एक) केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड, नागपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड, नागपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 5586/94)

(6) श्रम मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की *अनुदानों की विस्तृत मांगों के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5587/94)

मोटर यान अधिनियम, 1988 तथा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 आदि के अंतर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्री जगदीश टाईटलर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं : -

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 1993, जो 30 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 799 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5588/94)

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) सा.का.नि. 753 (अ), जो 15 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (आवासों का आबंटन) संशोधन विनियम, 1993 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 10 (अ), जो 7 जनवरी 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या और उपचार) विनियम, 1993 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 704 (अ), जो 12 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1993 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा. का.नि. 719 (अ), जो 25 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) विनियम, 1993 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 70 (अ), जो 7 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहार-अग्रिम) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 89(अ), जो 10 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 3 नवम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 845 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(सात) सा.का.नि. 39 (अ), जो 28 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाव पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 715 (अ), जो 23 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 27 नवम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 899 (अ) में प्रकाशित मारमुगाव पत्तन कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति के पश्चात् रोजगार की स्वीकृति) (पहला संशोधन) विनियम, 1992 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(नौ) सा.का.नि. 50(अ), जो 1 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू-मंगलौर पत्तन कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति के पश्चात् रोजगार अभिदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा प्रसुविधा) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5589/94)

(3) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5590/94)

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) हुगली डॉक एड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5591/94)

इंस्टीट्यूट आफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नयी दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्री गिरिधर गोमांगों की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ : -

(1) (एक) इंस्टिट्यूट आफ अप्लाइड मैनपावर, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिनदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 5592/94)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्री जी. वेंकट स्वामी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 5593/94)

(3) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 5594/94)

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.5593/94)

सुपर बाजार सहकारी स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) (एक) सुपर बाजार सहकारी स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सुपर बाजार सहकारी स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 5596/94)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्रीमती कृष्णा साही की ओर से, मैं आवश्यक वस्तु

अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 7(अ), जो 6 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यूनाईटेड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, होशियारपुर को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5597/94)

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर की वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लिमिटेड पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 5598/94)

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम

1970 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी.वी.एस. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) बैंक ऑफ बड़ोदा अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1990 जो 24 सितम्बर, 1993 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ-ओएसआर एण्ड आई आर-ए-10/16-1029 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5599/94)

(दो) दि इंडियन बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1992 जो 4 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5600/94)

(तीन) देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1992 जो 20 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5601/94)

(चार) दि यूको बैंक (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 1992 जो 16 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/1/1/1992 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5602/94)

(पांच) दि यूनियन बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 जो 27 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/8 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5603/94)

(छह) दि बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1992 जो 28 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए एक्स आई/एस टी/ओ एस आर/9502 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5604/94)

(सात) दि केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1979 जो 6 फरवरी, 1993 के भारत के रापजत्र में अधिसूचना संख्या पी आई डब्ल्यूएमः 12420:71 आरएओ में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5605/94)

(आठ) दि यूनियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 जो 12 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओसीआर/7 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5606/94)

(नौ) दि यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1991 जो 18 जरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीइआर/ पीसीआर/91/5122 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5607/94)

(दस) दि सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1992 जो 30 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1087/0090/एस/पीडी;आईआरडी में प्रकाशित

हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5608/94)

(ग्यारह) *दि इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1992 जो 19 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचनासंख्या एचओ/लीगल/एक्स-29/0646 में प्रकाशित हुए थे।*

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5609/94)

(बारह) दि बैंक आफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1992 जो 24 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ-ओएसआर एड आईआरए/10/9/657 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5610/94)

(तेरह) दि बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1993 जो 17 अप्रैल, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्स-आई/एसटी-ओएसआर/2775/93 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5611/94)

(चौदह) दि अमेंडमेंटस टू पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 जो 12 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी. 5612/94)

(पन्द्रह) दि केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1993 जो 9 अक्तूबर, 1993 अधिसूचना की संख्या आईआरएस:1:1872:डीआरडी में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5613/94)

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) दि विजय बैंक (अधिकारी) सेवा (पहला संशोधन) विनियम, 1982 जो 6 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 571 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5614/94)

(दो) दि ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियमम, 1992 जो 9 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3915 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5615/94)

(तीन) दि पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1993 जो 4 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएस/स्टाफ ओएसआर-1993 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5616/94)

(चार) दि ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 1990 जो 5 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3910 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5617/94)

(पांच) दि आन्ध्र बैंक (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 1991 जो 21 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/ए-1292 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5618/94)

(छह) दि कारपोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1993 जो 27 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडी:आईआर:89:89:013:93 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5619/94)

(3) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या पीएफ/एलइजी/26/92 जो 20मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा निर्यात-आयात बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1982 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5620/94)

(4) भारतीय स्टेट बैंक (समानुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) अधिसूचना संख्या एसबीडी संख्या एसबीडी संख्या 14/1993 जो 9 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर/हैदराबाद/इंदौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/ट्रावनकोर कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के विनियम 14(1) (क) (तीन) में कतिपय संशोधनों का अनुमोदन किया गया है।

(ग्रंन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5621/94)

(दो) अधिसूचना संख्या 16/1991 जो 9 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर और

जयपुर/हैदराबाद/इंदौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/ट्रावनकोर कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के उप-विनियम 8(1) में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5622/94)

(तीन) अधिसूचना संख्या 18/1991 जो 9 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर/हैदराबाद/इंदौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/ट्रावनकोर कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों 15 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5623/94)

(चार) अधिसूचना संख्या 3/1992 जो 25 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर/हैदराबाद/इंदौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/ट्रावनकोर कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के उप-विनियम 12(2) में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 5624/94)

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) सा.का.नि. 738 (अ) जो 8 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय आई.आई.टीज, डी.आर.डी.ओ., सी.एस.आई.आर., सी.पी.आर.आई. तथा अन्य अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों द्वारा परीक्षण के लिए आयात किये गये माल को सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 780(अ) जो 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय 19 अक्तूबर, 1993 की अधिसूचना संख्या 175/93-सी.शु. की बैधता अवधि को 31 मार्च, 1994 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 786 (अ) जो 28 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय इंजन, इंजन के पुर्जो, हवाईजहाज के पुर्जो और हवाईजहाज के टायरों और टयूबों पर लागू 3 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क में बिना कोई परिवर्तन किये हवाई जहाजों की मरम्मत के काम के लिए अतिरिक्त पुर्जो के रूप में आयात किए जाने पर टायरों और टयूबो के संबंध में अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट को समाप्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 798 (अ) जो 30 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जून, 1993 की अधिसूचना संख्या 128/93-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 12(अ) जो 10 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बैंकाक करार पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से आयातित माल के संबंध में शुल्क की अधिमानी दरों को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 13 (अ) जो 10 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बैंकाक करार पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से आयातित माल के संबंध में शुल्क की अधिमानी दरों को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 19 (अ) जो 12 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन्स पर मूल सीमा शुल्क को 85 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 86 (अ) जो 8 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना संख्या 161/92-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 205 (अ) जो 25 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 206 (अ) जो 25 फैरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 312(अ) जो 11 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान के उद्‌भूत विस्फेनॉलक पर सात हजार चार सौ सतहत्तर रुपये प्रति मीटरी टन की दर से एन्टी डम्पिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 119 (अ) से सा.का.नि. 212 (अ), जो 1 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में 28 फरवरी, 1994 को घोषित किये गये अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा शुल्क परिवर्तनों और छूट के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 5625/94)

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) सा.का.नि. 779(अ) जो 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय 19 अक्तूबर, 1993 की अधिसूचना संख्या 97/93-के.उ.शु. की वैधता अवधि को 31 मार्च, 1994 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 781(अ) जो 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों या मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित या विनिर्मित और निर्यात तथा आयात नीति के विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार भारत में बेचे जाने की अनुमति प्राप्त माल पर उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित करना है ताकि ऐसे माल (अपशिष्ट एवं स्क्रैप सहित) पर इसी तरह के माल पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के 50 प्रतिशत की दर पर उत्पाद शुल्क लगाया जायेगा जब उसका भारत में आयात किया जाये बशर्ते कि उक्त राशि स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र में स्थित किसी इकाई में उत्पादित एवं विनिर्मित माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुलक से कम न हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 782 (अ) जो 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1993 की अधिसूचना संख्या 91/93-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 783 (अ) जो 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय किसी शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम या मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित या विनिर्मित और स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र में निकासी किये गये, रेडीमेड कपड़ों के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न हांने वाले रैग्स, ट्रिमिंग और टेलर कटिंग्स को उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 787 (अ) जो 28 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या 31/93-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 49 (अ) जो 1 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय किसी वित्तीय वर्ष में निकासी सीमा को 1,98,000 से 2,20,000 टन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 248 (अ) जो 1 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या 150/81-सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 213 (अ) से सा.का.नि. 283 (अ), जो 1 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 1994 को लोक सभा में घोषित किये गये अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के सन्दर्भ में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में परिवर्तनों तथा छूट के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 5626/94)

(7) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना

संख्या 4, जो 21 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियम, 1990 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 5627/94)

(8) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) नियम, 1993, जो 7 जून, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443 में प्रकाशित हुए थे, की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 5628/94)

(9) औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 444 (अ), जो 7 जून, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 1993 को ऐसी तिथि के रूप में नियत किया गया है जिसको निगम का उपक्रम कम्पनी को अंतरित ओर उसमें निहित होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 5629/94)

(10) सरकारी बजट पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 87 (अ), जो 9 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा किसान विकास पत्र को पचास हजार रुपये के अभिधान में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 5630/94)

(11) अधिसूचना संख्या एफ.एन. 15/2/93-एन.एस. II, जो 18 फरवरी 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय सेवा-निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए निक्षेप योजना, 1989 में कतिपय संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 5631/94)

(12) संसद राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 5632/94)

संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगे

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 5633/94)

स्टेट कार्मस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों आदि को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला एक विवरण

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : श्री कृष्णकुमार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5634/94)

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5635/94)

नेशनल काउंसिल फार होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नालोजी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्रीमती सुखबंस कौर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) (क) (एक) नेशनल काउंसिल फोर होटल मैनेजमेट एण्ड केटरिंग टेक्नोलोजी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 5636/94)

(दो) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालोजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5637/94)

(तीन) इंस्टीट्यूट आफ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, दार्जीलिंग के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5638/94)

(चार) पांडिचेरी इंस्टीट्यूट आफ होस्पटलिटी क्राफ्टस, पांडिचेरी के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5639/94)

(पांच) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5640/94)

(ख) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, दिल्ली, कलकत्ता, और फूडक्राफ्ट इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग और पांडिचेरी इंस्टीयूट ऑफ होस्पिटैलिटी क्राफ्ट्स, पांडिचेरी और नेशनल काउंसिल फार होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालोजी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5641/94)

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5642/94)

12.56 म.प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूं : -

(1) सरकारी उपक्रमों में लम्बित मुकदमों के निपटाने संबंधी अपने नौवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उनतीसवां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड - अखबारी कागज का आयात संबंधी अपने तेईसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तीसवां प्रतिवेदन।

12.56½ म.प.

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं 'नाभिकीय संयन्त्र सुरक्षा और प्रयुक्त ईंधन प्रबधन विषयक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं।

12.57 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल में दूरसंचार के विकास के लिए और अधिक धनराशि आवंटित किए, जाने की आवश्यकता।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुंदपुरम) : केरल घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसके ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य राज्यों की तुलना में तिगुना अधिक पूंजी निवेश होता है। लगभग 14,000 टेलीफोनों, 54 कि.मी. लम्बी पुरानी और दोषपूर्ण भूमिगत केबलों, 1345 कि.मी. लम्बे जीर्ण-शीर्ण और तारों, 372 कि.मी. दोषपूर्ण ओ./एच. लाइनों, स्विच उपस्करों और केबलों को तुरंत बदले जाने की आवश्यकता है। पूरे देश में लगभग 30 लाख लोग टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं और इसमें से केवल केरल में ही लगभग 3,32,827 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं।

केरल राज्य में टेलीफोन कनेक्शनों के अधिकतम उपभोग को ध्यान में रखते हुए 600 करोड़ रुपये तत्काल

आबंटित किए जाने की आवश्यकता है। मैं केंद्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि उपरोक्त मांगों को ध्यान में रखते हुए केरल में दूरसंचार हेतु धनराशि आबंटित करे।

(दो) महाराष्ट्र में आगामी दस वर्षों के लिए एकाधिकार कपास खरीद योजना के विस्तारण की आवश्यकता।

श्री अशोक आनंदराव देशमुख (परभनी) : महोदय, महाराष्ट्र कच्चा कपास (खरीद, प्रसंस्करण और विपणन) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र में एकाधिकार कपास खरीद योजना गत 22 वर्षों से चल रही है। भारत सरकार से अनुमति लेकर इस योजना का समय समय पर विस्तारण किया जाता है। वर्तमान विस्तार-काल 30 जून, 1994 को समाप्त हो रहा है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कपास उत्पादकों को उनकी कपास के मूल्यों का भुगतान सुनिश्चित कर उनके हितों की रक्षा करना है। यह योजना राज्य के कपास उत्पादक किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में कपास एकाधिकार योजना के निर्धारण हेतु कपास उत्पादकों, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की राय मांगी गई थी। सर्वसम्मत राय यही थी कि यह योजना चालू रहे।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं, जैसा कि राज्य सरकार ने सिफारिश की है, कि इस योजना के अगले दस वर्षों के लिए विस्तारण को तत्काल स्वीकृति दी जाए।

1.00 म.प.

(तीन) उड़ीसा में सम्बलपुर-तालचेर रेल लाइन के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, 1984 में सम्बलपुर तालचेर रेल लाइन के शिलान्यास के बाद से ही, पिछले एक दशक से इस परियोजना का निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। जिस अनमने ढंग से परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि यह कार्य निकट भविष्य में पूरा नहीं हो पाएगा। अपर्याप्त बजट नियतन और समुचित निगरानी की कमी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजना की धीमी प्रगति के कारण हैं, जिसके परिणामस्वरूप लोगों में भारी असंतोष और रोष उत्पन्न हो रहा है।

अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस परियोजना को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए इस परियोजना को एक वर्ष में पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

(चार) कराड, महाराष्ट्र हवाई पट्टी के बेहतर उपयोग के लिए वहां एन.सी.सी. एयर विंग बटालियन आरम्भ करने की आवश्यकता।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड) : महोदय, कराड़ में एक सुविकसित हवाई पट्टी है जो पिछले 30 वर्षों से संचालन में है। यह हवाई पट्टी जो पश्चिमी महाराष्ट्र में पहली हवाई पट्टी है, नियमित रुपये राज्य सरकार और निजी विमानों द्वारा नियमित रुपये प्रयोग में लाई जाती है। कराड़ एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र हैं और यहां 2000 से भी अकि कालेज जाने वाले छात्र हैं। यहां एक मेडिकल एक इंजीनियरिंग और एक फार्मेसी कालेज सहित दस कालेज हैं। कराड़ में एन.सी.सी. (सेना) की एक बटालियन है। हवाई पट्टी की उपलब्धता और छात्रों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए कालेज प्राधिकारी काफी लम्बे समय से एन.सी.सी. की एक हवाई विंग आरम्भ करने की मांग करते आ रहे हैं।

मैं रक्षा मंत्रालय से कराड़ में एन.सी.सी. की एक एयर विंग आरम्भ करने का अनुरोध करता हूं ताकि कराड़ की हवाईपट्टी का बेहतर उपयोग हो सके।

(पांच) स्व. श्री हेमवती नंदन बहुगुणा की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, कल 17 मार्च 1994 को स्वर्गीय श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी की पुण्य तिथि थी। 17 मार्च 1989 को उनका देहांत हुआ था। एक देशभक्त और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जिन्होंने इस देश की सराहनीय सेवा की है।

वर्ष 1942 के "भारत छोड़ो-आंदोलन" में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसके कारण तत्कालीन अंग्रेजों हुकूमत द्वारा उन्हें जेल में बन्द कर दिया गया था। उन्हें जेल में विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ा था, परन्तु इसके बावजूद भी उन्होंने जेल से भी देश की आजादी के लिए विभिन्न छात्र संगठन, मजदूर संगठन एवं संघों का नेतृत्व किया।

वे केन्द्र सरकार में संचार, पेट्रोलियम एवं वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रहे तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रह कर उन्होंने अविरल रूप से देश की सेवा की है।

मैने 17 मार्च, 1992 को माननीय संचार मंत्री जी से निवेदन किया था कि 25 अप्रैल को स्व. श्री बहुगुणा जी के जन्म दिन पर डाक टिकट निकाला जाए। तत्कालीन संचार मंत्री जी ने इस पर अपनी सहमति भी प्रकट की थी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन हैं कि वह स्व. बहुगुणा जी के जन्म दिन के अवसर पर 25 अप्रैल को एक डाक टिकट जारी करवाने की कृपा करें।

(छः) डालमियानगर, बिहार में एक रेल उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : मान्यवर, बिहार राज्य में डालमियानगर एक प्रसिद्ध औद्योगिक, व्यवसायिक शहर है। यह ग्रैंड कार्ड रेलवे लाइन पर बसा हुआ है। रेलवे लाइन शहर के बीचो-बीच होकर गुजरती है। यह शहर काफी व्यस्त है। अनेक सरकारी प्रतिष्ठान रोहतास उद्योग पुंज तथा बड़ा व्यवसायिक शहर के साथ-साथ यहां चार महाविद्यालय और पांच उच्च विद्यालय हैं। यहां मुख्य अभियन्ता सिचाई, डी.आई.जी. पुलिस, आरक्षी अधीक्षक, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत पथ निर्माण के कार्यालय हैं। यहां से विक्रमगंज आरा पटना जाने के लिए कम से कम 50 बसों को उक्त सड़क की रेलवे गुमटी को क्रास करके जाना पड़ता है। साथ ही रिक्शा, टमटम एवं बैलगाड़ियों को भी रूकना पड़ता है। फलस्वरूप कभी-कभी तो भंयकर दुर्घटना हो जाती है और सदा दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। यात्रियों की परेशानियां भी बढ़ जाती है।

इन समस्याओं के निदान हेतु सरकार ने केन्द्र सरकार के पास उक्त रेलवे क्रासिंग पर एक ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा है जो वर्षों से लंबित है।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध हैं कि उक्त क्रासिंग पर जनहित और समाज हित में ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र किया जाए।

[अनुवाद]

(सात) केंद्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी संघों की संयुक्त कार्य समिति के साथ उनके मांग पत्र कि सम्बन्ध में वार्ता आयोजित किए जाने की आवश्यकता

श्री मुही राम सैकिया (नोगोंग) : ऐसी सूचना है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी संघों की संयुक्त कार्यवाही समिति के 25 सुत्री मांग पत्र सार्थक बातचीत नहीं हुई ; यदि सूचीबद्ध शिकायतें दूर नहीं की गई, और केंद्रीय विद्यालय के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए अभियोगों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश 31 मार्च, 1994 तक नहीं दिए गए। तो समिति के 21 कार्यकर्ता 8 अप्रैल, 1994 को नई दिल्ली में सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह उनके साथ वार्ता आयोजित करें। और सौहार्द कायम करें।

(आठ) ओरैया गैस पाइप लाइन का उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और आगरा तक विस्तार

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद में 147 कल कारखाने बन्द होने के कारण करीब 5 लाख श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, बिना काम के भुखमरी के कगार पर है जिसके कारण जनता में काफी असंतोष हैं। सरकार की रोजगार बढ़ाने की नीति रही है। यदि सरकार श्रमिकों को रोजगार देना चाहती है तो ओरैया गैस पाइपलाइन योजना को शिकोहाबाद, फिरोजाबाद एवं आगरा से जोड़ना चाहिए ताकि जो श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सकें।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ओरैया गैस पाइपलाइन को शिकोहाबाद, फिरोजाबाद एवं आगरा से जोड़ने के लिए आदेश निर्गत करने का कष्ट करें ताकि बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह काम सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शन के मुताबिक हुआ है। पता नहीं आप कैसे परमिशन दे रहे हैं। . . . **(व्यवधान)** . . .

[अनुवाद]

2.19 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.19 म.प. पर

पुन समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

समान्य बजट 1994-95 सामान्य चर्चा

श्री राम कापसे (थाने) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डा. मनमोहन सिंह जी ने अपना लगातार चौथा बजट पेश किया है। उनके बजट के प्रसतुतीकरण के पूर्व देश में करोड़ों लोग यह नहीं जानते थे कि वित्त मंत्री अपने बजट में क्या करने जा रहे हैं तथा इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज, डा. मनमोहन सिंह देश में सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति हैं।

गत पन्द्रह दिनों में वे प्रसिद्ध हो गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहां तक कि कूड़ा बीनने वाले जो प्रतिदिन 10 से 15 रुपये पाते हैं। उन्हें इस बजट की वजह से नई नौकरी तलाश करनी पड़ेगी। नए कर ढांचे के बाद, पुर्नप्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक और बाहर से आयातित प्लास्टिक की लगभग समान कीमत होगी। 30 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने के कारण और आयात शुल्क को 88 प्रतिशत से कम करके 65 प्रतिशत करने की वजह से, इन कूड़ा बीननेवालों को नए रोजगार तलाशने होंगे। यही तथ्य है जिसे हम लोगों को देखना होगा। उन व्यक्तियों के मामलों में भी यही बात है जो बेकार स्नेहंक तेल को एकत्र करके उसका परिष्करण करते हैं।

मैं इस बजट को गरीब विरोधी तथा लघु उद्योग विरोधी बजट मानता हूँ। सामान्य व्यक्ति की सभी आशाएँ क्षीण हो गई हैं। यह बजट लघु उद्योगों के लिए मौत की दस्तक है। लघु उद्योग देश के लगभग सभी भागों में, विशेषरूप से गुजरात और महाराष्ट्र में एक-के-बाद-एक बन्द कर दिए गए हैं।

सामान्यतया, जब बजट पेश किया जाता है तो हम यह मान कर चलते हैं कि यह अगले 12 महीनों के लिए है, लेकिन इस वर्ष हमने अनुभव किया कि यह बजट 14 महीनों के लिए है। यह रसोई गेस, गेहूं, चावल, चीनी, डीजल और पेट्रोल के नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि से शुरू हुआ। सरकार ने लगभग 6000 करोड़ रुपये रसोई गैस, गेहूं, चावल, चीनी, डीजल और पेट्रोल पर अधिभार से एकत्र किए हैं। इसके बाद बजट पूर्व लगभग 1200 करोड़ रुपये की खाद्य राजसहायता में कटौती की घोषणा की गई। मूल्य वृद्धि के सूचकांक में लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ तक दिल्ली में भी, जो राजधानी तथा शक्ति का केन्द्र होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि सरकार देश के अन्य भागों की अपेक्षा यहां के नागरिकों का अधिक ध्यान रखती है। सब्जियों के भाव गत वर्ष कभी कम नहीं हुए। इस परिस्थिति में, हम सामान्य व्यक्ति के लिए अगले वर्ष किस प्रकार बेहतर जिंदगी देने की आशा रखते हैं ? यही वास्तविक समस्या हैं।

लोगों की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लोग अपने रोजगार से हाथ धो रहे हैं। मूल्य में लगातार वृद्धि ही पहला आक्रमण है। 24 फरवरी को रेल मंत्री ने 1000 करोड़ रुपये के यात्रीभाड़े तथा माल भाड़े में वृद्धि

की घोषणा की। जब सदन में रेलवे बजट पर चर्चा हुई थी तो श्री जाफर शरीफ से पूछा गया कि दरों में वृद्धि के क्या कारण हैं। उनका उत्तर था कि यह सहनीय है। अब श्री मनमोहन सिंह या श्री मूर्ति भी वित्त मंत्री की ओर से कह सकते हैं कि यह सहनीय है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह सचमुच में सहनीय है। एक व्यक्ति जो अपनी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं पा रहा है। जिसे, अपने परिवार का भी अवश्य ही पालन करना होता है - क्या वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर पाएगा ? यही वास्तविक समस्या है। महानगरीय शहरों में सीजन टिकट रखनेवालों के बारे में रेल मंत्री सोचते हैं कि वे इस भार का वहन कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या वे ज्यादा कमाने लगे हैं या उनके दूसरे व्ययों में कोई कमी आई है। मंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि वृद्धि सहनीय है ? यह सब कुछ एक अच्छे मानसून के परिप्रेक्ष्य में है।

आपकी सरकार इस एक मामले में भाग्यशाली है कि लगातार छः वर्षों से मानसून अच्छा रहा है। यदि मानूसन अच्छा नहीं होता, तो क्या परिस्थितियां होती ? आप इसकी कल्पना कर सकते हैं।

विश्व तेल मूल्य में गिरावट आई हैं। इसके बावजूद, आपके मन में सामान्य व्यक्ति और मध्य वर्ग के प्रति कोई दया भाव नहीं है। आप वास्तव में मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। आप गत तीन वर्षों में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों की तुलना करें, तब आप उत्तर दें, क्या मूल्य नीचे गए हैं। थोक मूल्य सूचकांक की बात नहीं करें, आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें और तब आप जान पाएँगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। गत वर्ष के दौरान, उड़ीसा और महाराष्ट्र से 900 लोगों की भुखमरी से मृत्यु होने की रिपोर्ट आई है। महाराष्ट्र में चाहे वह अमरावती हो या थाने जिले के जवाहर और मोखराज जिले हों अथवा धूलिया, जिला हो, इन जिलों से भुखमरी रिपोर्ट आई है। आपके भंडार-गृह भरे होने के बावजूद, लोग भूखमरी से मरे। उनहें समय पर दवाईयां नहीं मिल पाई। जब 400 मिलियन भारतीय दिन में दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं और उनके पास कोई पड़ाव या बिस्तर नहीं है, तब आप कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बेहतर है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि आप मूल्य-वृद्धि को रोक पाने की स्थिति में नहीं हैं, तो कम से कम, कूड़ा बीनने वाले तथा अन्य गरीब व्यक्तियों का रोजगार तो न छीनें। जो उद्योग गरीबों को रोजगार देते हैं, उन्हें अपने हाथ में न लें। कम-से-कम इन व्यक्तियों के बारे में कुछ विचार करें। वे कौन लोग हैं जो राशन की दुकान जाते हैं ? ये गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं जो राशन की दुकानों पर जाते हैं। वे कौन लोग हैं जो बस द्वारा यात्रा करते हैं या किसी तरह रेल के डिब्बों में घुस पाते हैं ? ये गरीब और मध्य वर्ग के लोग हैं। आपने बजट से पूर्व उन पर कर लगाया और अब 6000 करोड़ रुपये का घाटे का वजट लेकर आयें हें आप सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुओं एवं लौंड्री वस्तुओं पर कम कर लगा रहे हैं। आपने जनता साबुन की कीमत बढ़ा दी है। क्या यही न्यायसंगतीकरण है ? मेरे पास हिन्दुस्तान लीवर का एक विज्ञापन है जो 3 मार्च, 1994 के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ।

इसमें लिखा है :

"अब शैम्पू की कीमतें कम होंगी। त्वचा पर प्रयुक्त की जानेवाली फेयर एण्ड लवली क्रीम, विंटर स्पेशल क्रीम की कीमतें अब कम होंगी। लिरिल टेलकम पाउडर की कीमत कम होगीं लाउन्ड्री साबुन - सनलाइट जिसकी कीमत 21 रुपये/कि.ग्रा. थीं अब 22 रुपये/कि.ग्रा. होंगी।" यह एक तरह से सफाई पर कर लगाया जाना है। आप सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में ज्यादा चिंतित हैं और आप जनसामान्य की उपभोग की वस्तुओं

के बारे में कम चिंतित हैं। मेरे हिसाब से यह डकेलाइजेशन के सिवा और कुछ नहीं है। डंकेलाइजेशन पहले से ही शुरू हो चुका है। आपने देखा है कि गत तीन महीनों में क्या हुआ है आप देखेंगे कि आगामी वर्ष क्या होता है। मैं सुझाव देता हूँ कि सरकार डंकल डाफ्ट पर 15 अप्रैल को हस्ताक्षर करें और देखें कि लोग किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। इसकी चेतावनी मैं आज दे रहा हूं।

हवाई चप्पल का ही उदाहरण लें। आप संसद भवन के कमरा नं. 7 में जाय। वहाँ, आप पूरे देश से संसद-सदस्य जमा पाएँगे।

सभी राजनीतिक दलों के संसद सदस्य वहाँ आए और उन्होंने श्री मनमोहन सिंह से आग्रह किया कि वे उनके आग्रह पर विचार करें। जब मैं वहां बैठा था, केरल के संसद सदस्य आए और उनसे हवाई चप्पल और रबर की चप्पल के संबंध में आग्रह कर रहेथे जो सामान्य लोग पहनते हैं श्री मनमोहन सिंह का उत्तर नकारात्मक था। कांग्रेस के संसद-सदस्यों के लिए भी, उत्तर वही था। वे मेरी इस बात को पुष्टि करेंगे। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या वे उनके आग्रह पर विचार कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने उन्हें क्या उत्तर दिया।

वास्तविक रूप से, जिन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर वोट मांगना है, उन्हें इसका अनुभव होगा। श्री मनमोहन सिंह को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा; आपको जाकर वोट मांगने होंगे। वे लोगों के साथ जुआ खेल सकते हैं; आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं।

पाइप फिटिंग्स, छाता और पी.वी.सी. कपड़े पर कर लगा है। लोग विदेशों से आयातित कैनवस के जूतें हमारे जूतों के स्थान पर पसंद करेगें। अतएव, कृपया इन सभी पहुओं पर निर्णय लेने के पहले विचार करें।

आपने सौन्दर्य प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क 75 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन जहाँ तक लौंड्री-साबुन का प्रश्न है, आपने कर बढ़ाकर इसे 5 से 10 प्रतिशत कर दिया है। क्या यही आपका न्यायसंगतीकरण है। सफेद सीमेंट के ऊपर, इसे 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। कीटनाशकों के लिए कच्चे माल पर आपने बढ़ाकर इसे 10 प्रतिशत कर दिया है। अंततः किसान पीड़ित होंगे ; बागवानी को नुकसान पहुँचेगा। आपने आयुर्वेदिक, यूनानी ओर होम्योपैथिक उद्योग - जिनका ब्रांड है को भी नहीं छोड़ा। आयुर्वेद हमारी अपनी चिकित्सा प्रणाली है। आप उस पर भी शुल्क लगा रहे हैं।

सूती कपड़े को आम आदमी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले क्या स्थिति है ? आपने निम्न श्रेणी के कपड़े पर भी शुल्क लगाया है ; निम्न श्रेणी के सूत पर 430 प्रतिशत शुल्क लगाने के कारण उसकी लागत और अधिक हो जायेगी। जहां तक बढ़िया कपड़े का संबंध है, इस पर यह केवल 12 से 43 प्रतिशत तक है। अतः विद्युतकरघा ओर हथकरघा क्षेत्र का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए कि ये जीवन की अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं।

खाद्य पदार्थों के संबंध में भी आपने कोई चिंता नहीं की है। कपड़े के संबंध में आपने कोई सहृदयता नहीं दिखाई है। जहां तक प्लास्टिक उद्योग का सम्बन्ध है, आपने इस पर भी प्रहार किया है। आपने ग्लेज्ड टाइल्स पर शुल्क को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया है। गलीचे ओर फर्श सज्जा सामान पर प्रभार 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

छातों की कीमतों में वृद्धि होगी। वातानुकूलित कार पर शुल्क को कम कर देने के कारण इसकी कीमतों में कमी होगी। आप किन लोगों की परवाह करते हैं ? (व्यवधान) असली समस्या तो यही है कि सरकार वातानुकूलित कार के बारे में चिन्तित है और एक छतरी के बारे में नहीं ; और उन्हें इस समस्या का सामना चुनाव के दौरान करना पड़ेगा आज नहीं। एक करोड़, अस्सी लाख खेतिहर मजदूर, शिल्पकार युवा और महिलाएं ऐसी हैं जिनका कोई निर्धारित पारिश्रमिक नहीं है। प्रत्येक तीसरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। और ऐसे परिवारों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे कई परिवार हैं जिनकी दैनिक आय 20 रुपये से भी कम है। 20 प्रतिशत लोगों के पास 80 प्रतिशत सम्पत्ति हे और 80 प्रतिशत लोग 20 प्रतिशत सम्पत्ति के सहभागी हैं वास्तव में वे सम्पति के सहभागी नहीं हैं, अपितु वे गरीबी के सहभागी हैं।

तीन लाख गांवों में कोई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नहीं हैं; हजारों गांवों को महीनों तक पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता। आप उनको पीने के पानी की बजाय कोका कोला और पेप्सी कोला उपलब्ध कराना चाहते हैं।

[हिन्दी]

"दे दे दाना बच्चा बोला, मनमोहन बोला लेले कोला।"

यह मनमोहन का जवाब है।

[अनुवाद]

मूर्तिजी आपको इस वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए कहा गया है। और श्री मनमोहन सिंह बजट का खिलवाड़ करके पहले ही जा चुके हैं।

गत तीन वर्षों में मुम्बई और ठाणे में उद्योगों की तालाबंदी और उनके बंद होने के कारण लगभग एक लाख युवाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। आप इस बात से खुश हैं कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण में कमी आई है। वित्त मंत्रालय के पास देश में रोजगार और बेरोज़गारी संबंधी आंकड़ें हैं परन्तु आप रोजगार कार्यालय के पंजीकरण आंकड़ों पर अधिक आश्रित हैं। क्या आपको विश्वास है कि आपने उन सभी पंजीकृत लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया है ? इन आंकड़ों में कमी क्यों आई हैं ? आपको यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। कि पंजीकरण में कमी आई है। आपकी सरकार को यह गलत धारणा है कि पंजीकरण में कमी आई है। इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। आप रेलवे जनशक्ति प्रबंधन के बारे में ही देख लीजिए। गत तीन वर्षों से रेलवे में एक भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है। इसमें कटौती की जा रही है और वे और कटौती करना चाहते हैं। आपने 30 लाख रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाया है। परन्तु वास्तव में आज सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निजी उद्योगों, में कोई नौकरी नहीं है, यहां तक कि आरक्षित श्रेणी में भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आपने आरक्षित श्रेणी के बारे में जो घोषणा की हैं उसके लिए भी कोई नौकरी उपलब्ध नहीं है।

यह आपका चौथा बजट है और आप जनशक्ति प्रबंधन के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं किया है। आपको देश में बेरोजगारी की समस्या की कोई चिन्ता नहीं है।

एक के बाद दूसरे बैंक का अन्धाधुन्ध कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है और एक करोड़ स्नातक युवा नौकरी के लिए प्रतीक्षारत हैं। वे नौकरी की तलाश में हैं। वे आपसे मिलते भी होंगे। वे आपसे पर्चियां भी ले जाते होंगे और उन्हें आपकी सिफारिश की पर्चियों के बावजूद नौकरी नहीं मिलती हैं। . . . **(व्यवधान)** . . . मैं चाहता हूँ कि आप इस पर टिप्पणी करें। क्या वे आपके पास नहीं आते हैं ?

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : आप उन्हें शराब प्रदान करते हैं।

श्री राम कापसे : आप उन्हें क्या देते हैं। इसके बारे में आप ही बेहतर जानते हें।

एक के बाद दूसरा सरकारी उपक्रम बंद होता जा रहा है। इस मामले में एन.टी.सी. का बंद होना एक ताजा उदाहरण है।

हम यहां शालीनता और संसदीय शिष्टाचार को दिखातें हैं परन्तु जब ये युवा सड़कों पर निकल आयेंगे तो जहां तक आपका सम्बन्ध हैं, ये कोई शालीनता और शिष्टाचार नहीं दिखाएंगे। कम से कम गुजरात के अनुभव से सबक लीजिए। गुजरात में 1974 में क्या हुआ था ?

संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आई है। वर्ष 1980-90 के बीच स्वचालित यंत्रों के कारण रोजगार के अवसरों में कमी आई है। रोजगार प्रदान करने वाले लघु उद्योग एककों को बंद किया जा रहा है क्योंकि आप इन सरकारी उद्यमों में रूचि नहीं ले रहे हैं।

मैं आपको एक सरकारी उद्यम की तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे उन्हें चालू रखना होगा। महोदय, मैं ये तस्वीरें दूंगा। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र स्टील सर्किल अर्थात् पट्टा के बारे में है।

वे इस कारखाने में दस लोगों को रोजगार देते थे। यह कारखाना गत-15 वर्षों से बंद पड़ा है। आप उन्हें 'मोडवेट' दे रहे हैं इसीलिए वे कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या वे 'मोडवेट' का लाभ उठा सकते हैं ? यहां तो लगभग सभी कुछ एक ही व्यक्ति के हाथ में है। एक ही व्यक्ति विपणन का कार्य देखता है। और उत्पादन का कार्य भी देखता है और आप यह चाहते हैं कि उस कारखाने में एक दक्ष व्यक्ति हो और वह 'मोडवेट' का लाभ उठाए। अन्यथा उसे उत्पाद शुल्क देना होगा और प्रतिस्पर्धा करनी होगी। वह कारखाना कैसे चल सकता है ?

आज की स्थिति के अनुसार, 28 फरवरी के बाद कारखानों के बंद हो जाने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं।" गुजरात में जामनगर जिले में 3 मार्च के बाद एक कारखाने को छोड़कर सभी कारखाने बन्द पड़े हैं। केवल आपके बर्ताव के कारण सभी कारखाने बंद पड़े हैं। आप ऐसा क्यों कर रहें हैं ?

रद्दी स्क्रैप और स्नेहक तेल दोनों के मामले में स्थिति एक जैसी है। उदाहरणार्थ, 1975 में आपने यह निर्णय लिया था कि हमें पट्रोल और डीजल के बारे में अधिक ध्यान देना चाहिए। स्नेहक तेल का तो पूर्णतः आयात किया जाता है। भारत में इसका निर्माण नहीं किया जाता हैं पेट्रोलियम के संरक्षण के बारे में 1975 एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। पेट्रोलिंयम मंत्रालय ने 1978 में स्वैच्छिक पंजीकरण की एक योजना बनायी थी। तेलशोधक कारखानों में कारखानों कार्यशालाओं और गेराजों और अन्य स्थानों से अपशिष्ट स्नेहक तेल एकत्र किया गया। अपशिष्ट स्नेहक तेल के संग्रहण कार्य में हजारों लोगों को रोजगार मिला। सैकड़ों तेलशोधक कारखानों और लघु उद्योगों में हजारों लोगों को काम मिला। नए सिरे से उत्पाद शुल्क लगाया गया और आयात

शुल्क घटा दिया गया है। अतः, ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन कारखानों को बंद कर दिया गया है। कम से कम आप इस मांग पर विचार कीजिए। कि यदि आयातित तेल किफायती है और इस पर उत्पाद शुल्क नहीं हटाया जाता है तो इसका प्रभाव आम आदमी और लघु उद्योगों पर पड़ेगा, जो बड़े उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपेक्षा अधिक रोजगार उपलबध कराते हैं।

'डाबोल' में एक विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया जा रहा है। इसकी लागत 9000 करोड़ रुपये है और इसमें केवल 300 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अतः 'डाबोल' में प्रति 3000 करोड़ रुपये पर एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध होगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अच्छा आप ही बता दीजिये कि सही क्या है ?

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : आपने कहा है कि 3000 करोड़ पर एक आदमी है, लेकिन वह गलत है।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : हां, यह सही गणना है और यदि यह सही नहीं है तो आप मेरी ओर से लोकसभा की ओर से तथा लोगों की ओर से श्री मनमोहन सिंह से पूछिए। यदि आप 3000 करोड़ रुपये वाली इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लायेंगे तो केवल एक व्यक्ति को ही रोजगार मिल पाएगा पूरे कारखाने में केवल 300 व्यक्तियों को ही रोजगार मिल पाएगा।

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा : मैं यही विनती कर रहा हूं कि आपके ही गणित के अनुसार आप गलत बोल रहे हैं। दो शून्य आप गलत बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : यह 90,000 करोड़ रुपए की परियोजना है।

श्री मुरली देवरा : मैं भी ठीक यही बात आपसे कह रहा हूं।

श्री राम कापसे : इसमें सुधार के लिए आपका धन्यवाद। कृपया श्री मनमोहन सिंह को भी सुधारें।

उपाध्यक्ष : जो भी हो, उन्होंने सुधार किया है। आगे से खुद सुधार करें।

श्री मुरली देवर : मैं उनकी बात में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं।

श्री राम कापसे : मैं उनकी बात में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा क्योंकि वह मेरी बात से सहमत होंगे। यह मैं जानता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्वयं उनका एक लघु उद्योग है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वे इसे बंद करना चाहते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : उनका उद्योग प्रभावित नहीं होगा। इस सम्बन्ध में श्री मनमोहन सिंह की बात बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री राम कापसे : तो बेरोजगार युवकों का क्या होगा ? अततः वे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे। कृपया उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाइएं। आप अब यह कहना चाहते हैं, "हम लघु उद्योगों के विरुद्ध कुछ नहीं करेगे ओर हम उनका विकास करने की कोशिश करेंगे।" बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व श्री मनमोहन सिंह द्वारा ये घोषणाएं की गई थीं। मैं तो केवल उनके द्वारा की गई ये सभी घोषणाएं आपको याद दिलाऊंगा। ये बजट से पूर्व के वक्तव्य हैं। जब वे पूरे देश में एक शहर से दूसरे शहर गए तो उन्होंने कहा, "अब के बाद जो अच्छा माल होगा उसी की मांग होगी ; अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कीजिए; करो या मरो ; मूल्यों को कम करिये अथवा आयात का संकट झेलिए।" अतः आपने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। और उन चेतावनियों के बाद भी ये लघु एकक कर देने के इच्छुक हैं आप पहले से ही अधिकृत कर लगाइए। आप मेरे सुझाव पर विचार कीजिए। आप उन्हें ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए न कहें जो उस कार्य में विशेषज्ञान प्राप्त है। यह आसान काम नहीं है। वे नए व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकते। आप पहले से ही अधिकृत कर लगा दीजिए। वे इसे स्वीकार कर सकते हैं। किन्तु आप उत्पाद शुल्क विभाग में पहले से ही व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए नए क्षेत्र पैदा न करें। नया ढांचा किसी भी प्रकार कार्य नहीं कर सकेगा। 'मॉडवेट' उनकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाएगा।

पेंट के क्षेत्र में बड़े तथा लघु दोनों ही प्रकार के उद्योग हैं। इनमें 15 प्रतिशत के लगभग का अंतर था। अब यह अंतर मात्र 3 प्रतिशत है। लोग ब्रांड वाले उत्पाद खरीदेगें। आपने पहले ही कह दिया है कि यदि छोटे और लघु उद्योग अपने ब्रांड नाम के अंतर्गत निर्माण करने का प्रयास करेंगे उन्हें लघु उद्योगों को मिलने वाली सहायता बंद हो जाएगी। 1 मार्च, 194 की अधिसूचना द्वारा आपने लघु उद्योगों को रियायतें प्रदान करने वाली सभी 389 अधिसूचनाओं को वापस ले लिया है। आपने एक ही झटके में सभी अधिसूचनाएं वापस ले ली हैं। आपने पहले दो अथवा तीन अधिसूचनाएं वापस ली होतीं। आपको उनके बारे में सोचना चाहिए था। आपने ऐसा केवल इसलिए किया कि आप 15 अप्रैल को डंकल मसौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। लघु क्षेत्र की लागत पर जिसने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे रखा है, आप भारत से बाहर की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का स्वागत करने जा रहे हैं। क्या आप उनके श्रमिकों की मदद करना चाहते हैं ? अमरीका और जापान में पहले ही मंदी का दौर चल रहा है। क्या आप वहां की मंदी को समाप्त करना चाहते हैं ? हम उनके नए सूत्र के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री रवीकांत जेना (कटक): हमें उनका बचाव करना चाहिए।

श्री राम कापसे : समस्या तो यह है कि फिर हमारा बचाव कौन करेगा ?

कृषि क्षेत्र में पहले ही भारी अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है मकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 35 प्रतिशत है और इस पर 65 प्रतिशत व्यक्ति निर्भर करते हैं। जहां तक निर्माण और सेवा क्षेत्र का संबंध हैं, यह स्थिति विपरीत है यह सकल घरेलू उत्पाद का 65 प्रतिशत है और इस पर निर्भरता 35 प्रतिशत है। जहां तक कृषि का संबंध है। कृषि निर्भर लोगों के पास पहले ही रोजगार की कमी है। आपने उनके लिए क्या किया है ? आप यह

कहेंगे कि कृषि के लिए आपने अधिक धन दिया है। क्या आपने ऐसा किया है ? वास्तव में तो आपने आज की मुद्रा स्फीति की स्थिति के हिसाब से कम धनराशि प्रदान की है। इसीलिए इस क्षेत्र में बेरोजगारी की गरीबी है।

सिंचाई के क्षेत्र की क्या स्थिति है ? पिछले वर्ष के संशोधित प्राकलनों मे यह राशि 280 करोड़ रुपए थी और इस वर्ष के बजट में यह राशि 260 करोड़ रुपए है। और वास्तव में यह राशि 230 करोड़ रुपए होगी। इसलिए, आप सिंचाई पर अधिक धन नहीं खर्च करना चाहते। वास्तव में कुछ रक्षा पर भी अधिक नहीं खर्च करना चाहते। मानव विकास की क्या स्थिति है ? सूचकांक की तो आपको जानकारी होगी। मानव विकास के मामले में 173 देशों में हमारा स्थान 134 वां है। जहां तक शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और परिवार नियोजन का सम्बन्ध हैं, इस मामले में पाकिस्तान का 132 वां और चीन का 101 वां स्थान है। पूरे विश्व में हमारा 134 वां स्थान है।

क्या आप इन मानव सुविधाओं पर ज्यादा धन खर्च कर रहे हैं ? इसका उत्तर नकारात्मक है और आपका यह कहना है कि आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। क्या वास्तव में ऐसा है ? मूल्यों के मामलों में तो ऐसा नहीं है। रोजगार के मामले में भी ऐसी स्थिति नहीं है। आवास और जल के मामले में भी ऐसा नहीं है। विदेशी ऋण भार की स्थिति क्या है ? वर्ष 1980-81 में यह मात्र 70,000 करोड़ रुपए था और अब यह 2,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह चार गुणा हो गया है। आपका कहना है कि यह 1 विलियन से 13 मिलियन हो गया है। हम वास्तविक स्थिति की जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि विदेशी निवेशकों ने कितना निवेश किया है, अनिवासी भारतीयों ने कितना निवेश किया है, विदेशी बैंकों जिनकी घोटाले में हिस्सेदारी थी, कितना धन लाए हैं। क्या हमें विदेशी ऋण प्राप्त होने, उस पर दिए जाने वाले ब्याज पर खुश होना चाहिए ? किन्तु आप यही चाहते हैं कि हमें इससे प्रसन्न होना चाहिए। आप यह कहते हैं कि सोना वापस लाया जाएगा। किन्तु आप यह नहीं बता रहे कि तीन-चार वर्ष पूर्व बाहर रखे गए सोने को आप कब वापस लाएंगे। क्या आपने इसे नया ऋण लेने के लिए रखा हुआ है ? आप इसे वापस क्यों नहीं ला रहें हैं ? मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या श्री गुलाम नबी आजाद ने आपकी मदद नहीं की ? इसका क्या कारण था ? 4000 करोड़ रुपए की अपेक्षित सीमा शुल्क वसूली भी नहीं हो सकी और आप इस पर खुश हो रहे हैं। कम सीमा शुल्क की वसूली का असली कारण भी भारत में मंदी का दौर है। इसीलिए बाहर से चीजें नहीं लाई गई। आप इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि आप बजट के मामले में आंकड़ों की हेरा-फेरा नहीं कर रहे। आपका इन तथ्यों के मामले में यही कहना है कि ऋण ओर मुद्रास्फीति के मामले में वर्तमान स्थिति क्या है। आपका यह कहना है कि थोक मूल्य सूचकांक नीचे आ गया है। किन्तु इसमें तो 360 चीजें शामिल हैं। मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा लोग विशेष रूप से सरकारी विभागों को महंगाई भत्ता मिलता है। आप कृपया इसके आंकड़े दीजिए कि यह बढ़ा है अथवा घटा है। जहां तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संबंध है, इसमें कमी आई है। अतः आप थोक मूल्य सूचकांक की बात न करें। बजटीय घाटा 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो गया है। तो क्या हमें इससे प्रसन्न होना चाहिए ? पिछले वर्ष आपका अनुमान गलत निकला और अब आप यह चाहते हैं कि हम विश्वास कर लें कि जो कुछ आप आज अनुमान लगा रहे हैं वह सच साबित होगा। विदेशी ऋण का क्या होगा ? हम वित्तीय घाटे के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। राजस्व व्यय में वृद्धि हो रही है, मंत्रियों के दौरों पर होने वाले व्यय भी चार गुणा हो गए हैं पिछले वर्ष

आपने मंत्रियों के दौरों पर 50 करोड़ रुपए व्यय किए। डा. मनमोहन सिंह का कहना है कि उनका अपने साथियों और नौकरशाहों पर नियंत्रण नहीं है यदि नौकरशाहों और आपके साथियों पर ही आपका नियंत्रण नहीं है। तो उन पर और कौन नियंत्रण करेगा ? इस वर्ष पुनर्भुगतान की राशि 63,632 करोड़ रुपए है, और ब्याज की राशि 46,000 करोड़ रुपए है, अतः यह राशि तो राजस्व प्राप्ति का 53 प्रतिशत बनती है क्योंकि राजस्व प्राप्ति तो मात्र 86,000 करोड़ रुपए है। 1980 से पहले यह देखा जाना था कि राजस्व प्राप्तियां राजस्व के व्यय से कम नहीं होनी चाहिए। किन्तु उसके पश्चात् उन्होंने इनके कम होने की स्थिति के बावजूद भी कोई चिन्ता नहीं की है और राजस्व प्राप्तियों के 53 प्रतिशत को वे ब्याज के भुगतान के लिए ही खर्च करेंगे। हमारे पास औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड अधिनियम है जिसका यह कहना है कि यदि प्रबंधन इसी ढंग से कार्य करता है तो प्रबंधन को बदले जाने की आवश्यकता है यदि मैं आपसे यह पूछूं कि यदि औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अधिनियम की बात को देखें, तो हमें यह क्यों नहीं कहना चाहिए कि प्रबंधन को बदले जाने की आवश्यकता है ? इन चार्वाकों को वहां से हटा देना चाहिए और सरकार को बाहर कर देना चाहिए।

जहां तक वेतन भोगी महिलाओं को रियायत देने का संबंध है, उसमें हिन्दू अविभाजित परिवारों के मामले में पचास प्रतिशत की कमी कर दी गई है। यही हाल धारा 80 एल का है और यही हल आय-कर छूट का है। जहां तक आयकर छूट का संबंध है, हमने इसे बढ़ाकर 50,000 करने के लिए कहा था। किन्तु उन्होंने इस मांग को न मानकर इसे 30000 रुपये से बढ़ाकर मात्र 35,000 रुपए कर दिया है किन्तु मुद्रास्फीति के कारण इसका महत्व तो पहले ही खत्म हो चुका है। अतः सभी चार्वाकों को खदेड़ने की जरूरत है। मैं लोगों की ओर से यह मांग करता हूं कि प्रबंधन में परिवर्तन करें अथवा व्यवहार में बदलाव लाएं।

श्री मुरली देवरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले वित्त मंत्री को भारत के इतिहास में पहली बार जनता और इस संसद के समक्ष लगातार चार बार बजट पेश करने के लिए, बधाई देता हूं। मैं प्रधान मंत्री को भी अपने कार्यकाल के 1,000 दिन पूरा करने के लिए भी बधाई देता हूं . . . **(व्यवधान)** . . .

[हिन्दी]

श्री राम कापसे :(ठाणे) : मराठी में कहते हैं ''हमारे 100 दिन भर गए ''.

श्री मुरली देवरा : हिंदी में कहावत है. जसवंत सिंह जी बताएंगे कि श्रावण में जो जन्मता है, उसको हरा ही हरा दिखाई देता है। कापसे जी की आंख पर पट्टी लगी हुई है, इसलिए इनको सब चीज हरी दिखाई देती है।

[अनुवाद]

आप हमेशा अंधेरे पक्ष को देखते हैं। इस देश में आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : (दमदम): टी.वी. लाईट छोड़ के।

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा : इनको टी.वी. लाईट में भी अंधेरा दिखाई देता है।

[अनुवाद]

महोदय, यदि हम तीन वर्ष पूर्व या एक हजार दिन पहले के अपने देश, भारत के बारे में विचार करें तो

कोई भी इस बात पर सहमत होगा कि उस समय की तुलना में आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। यह प्रमाणपत्र तो जसवंत सिंह जी तक का है अथवा कोई और भी दे सकता है। क्या आप तत्कालीन नेता श्री श्री वी.पी. सिंह और मुम्बई से निर्वाचित तत्कालीन सक्रिय वित्त मंत्री प्रो. मधु दंडवते के अधीन सरकार की आप कल्पना कर सकते हैं . . . **(व्यवधान)** . . .। महोदय, वे बोलते नहीं है वे केवल व्यवधान पैदा करते हैं। यद्यपि वे मेरे मित्र हैं इसलिए मैं उनका अन्यथा नहीं मानता।

मुझे याद है भुम्बई से मेरे मित्र प्रो. मधु दंडवते, जब भा.ज.पा. के समर्थक से वित्त मंत्री बने तब उन्होंने सबसे पहले जो बड़ी बात कही वह यह थी कि देश का खजाना खाली है और पूरे वर्ष जब तक वे सत्ता में रहे उन्होंने देश के खजाना को खाली करने की दिशा में ही कार्य किए। पहली बार किसी वित्तीय मंत्री ने यह कहा है कि देश के पास पैसा नहीं है ही नहीं ? और महोदय, इसके क्या परिणाम निकले ? इसका परिणाम यह हुआ, श्री जसवंत सिंह अच्छी तरह जानते हैं - वह इस बात को माने या न मानें ; कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख अत्यधिक गिर गई। इस कारण हमें लगभग आधा बिलियन डालर की अतिरिक्त ब्याज देनी पड़ी . . . **(व्यवधान)** . . .। श्री जेना, आज यहां है, कल आप कहां होगें यह नहीं जानते। इसलिए कृपया आप मुझे आज न टोंके। मैं जानता हूं कि उड़ीसा में आपके सामने क्या समस्याएं हैं। मैं बाद में उड़ीसा के बारे में बात करूँगा। तब आप मुझसे सहमत होंगे। अतः आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

श्री श्रीकांत जेना : जब प्रो. दंडवते ने यह कहा था कि खजाना खाली है तो क्या यह उस समय भरा था ?

3.00 बजे म.प.

श्री मुरली देवरा : मैंने ऐसा नहीं कहा। कृपया मेरी बात सुनें। मैं केवल यह कहने की चेष्टा कर रहा हूँ कि भारत का एक वित्त मंत्री यह कहा था कि खजाना खाली है। तो ऐसा कहना गैर जिम्मेदारी की हद है। दुनिया किसी ने कभी ऐसा नही कहा जैसा कि प्रो. मधुदंडवते ने कहा था। प्रो. मधुदंडवते व्यक्तिगत तौर पर मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और सभी यह जानते हैं। मैं उनकी आलोचना व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर रहा हूं। मैं तो तत्कालीन उस समय सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं जिसका सरकार उस समय अनुसरण कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा था ? प्रत्येक भारतीय इस बात के लिए चिंतित था कि क्या हम ऋण अदा सकेंगे या अपने ऋण वायदें को निभा सकेंगे। आज मुझे एक घटना याद आती है। श्री चन्द्रशेखर अभी यहां नहीं है। मुझे याद है कि एक बार 'संडे' पत्रिका के वर्षगांठ पर आयोजित एक पार्टी में श्री चन्द्रशेखर ने कहा था कि वह भयभीत है और उन्हें यह पता नहीं कि कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारी साख की स्थिति यह होगी कि भारत अपने ऋण वायदों को निभाने में विफल रहा। उस समय यह स्थिति थी। मुद्रा स्फीति की स्थिति क्या थी । . . . **(व्यवधान)** . . . । 'बजट में केवल रबड़, साडी और सूत की ही चर्चा नहीं होती है। बजट भरत की आर्थिक नीति है। बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दिशा दी जाती है। बजट में केवल सूत पर शुल्क बढ़ाने और लघु उद्योग के बारे में ही चर्चा नहीं होती है। जब मैं इस पहलू की बात करता हूं तो हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन बजट वह मौलिक नीति है जो बताता है कि इस वर्ष देश को किस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे यही कहना है। उस समय मुद्रा स्फीति की उच्चतम दर 17-18 प्रतिशत चल रही थी और हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय

साख न्यूनतम थी। इस पर सभी सहमत होंगे और श्री जसवंत सिंह ने स्वयं यह कहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि श्री जसवंत सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। कम-से-कम बधाई स्वीकार करने में शर्माएं नहीं।

3.02 म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

यह सरकार जून, 1991 में सत्ता में आई। 1000 दिन पहले क्या हुआ। पहली बार डा. मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में बजट पेश किया था तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश और हमारी सरकार का पहला और महत्वपूर्ण कार्य मुद्रास्फीति को कम करना होगा। अब, मुद्रास्फीति की दर क्या है ? कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जिनमें अब भी मुद्रास्फीति की उच्च दर होगी। सभी यह महसूस करेंगे कि इन तीन वर्षों के दौरान मुद्रा स्फीति की दर में अत्यधिक गिरावट आई है। यह कम से कम 6,7 या 8 प्रतिशत है यह 17 या 18 प्रतिशत या उतनी खतरनाक नहीं है जितनी उस समय थी। डा. मनमोहन सिंह और भारत सरकार ने यह आर्थिक नीति दी है जिससे मुद्रास्फीति में कमी आई है . . . **(व्यवधान)** . . .। विपक्ष के साथ यही समस्या है। वे चाहते हैं कि किसानों को अधिकतम मूल्य मिले और दूसरी और वे उपभोक्ताओं को भड़काते हैं कि वे अधिक मूल्य न दें। आप यह दोनो कार्य नहीं कर सकते हैं। आप विकास भी चाहते हैं, आप रोजगार भी चाहते हैं और आप औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप थोड़ी भी मुद्रास्फीति नहीं चाहते। हमें अर्थव्यवस्था में संतुलन रखना चाहिए। मैं डा. मनमोहन सिंह की आलोचना उन मुद्दों पर करूंगा जहां मैं उनकी नीति उपयुक्त नहीं है जैसे लघु उद्योग के मामलों में। मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। . . . **(व्यवधान)** . . . मैं यह कह रहा था कि देश की अर्थव्यवस्था में गत तीन वर्षों में अच्छी हो गई है। श्री राम कापसे ने अभी ही कहा है कि गत पंद्रह दिनों के अंदर देश में सभी लोग डा. मनमोहन सिंह को जान गए हैं। ऐसा नहीं कि मात्र 15 दिनों में ही लोग उन्हें जान पाए हैं आज विकसित और विकासशील देशों में लोग डा. मनमोहन सिंह को जानते हैं और उनके कार्यों से भी अवगत हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल इतना ही जानते हैं कि उन्होंने बजट भाषण में क्या कहा है बल्कि वे यह भी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के प्रबंध में उन्होंने क्या -क्या किया हैं। . . . **(व्यवधान)** . . . अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट की तैयारी के दौरान विपक्ष में सरकार पर यह आरोप लगाया कि बजट विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया है ओर इसको तैयारी भारत में नहीं की गई है। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं। मेरी समझ इससे अधिक कुछ नहीं हो सकती कि संसद का एक उत्तरदायी सदस्य या नेता भारत सरकार पर इस तरह के आरोप लगाए।

वे लोग जो यह कहा करते थे कि इस बार भी बजट विश्व बैंक द्वारा दी गई है और वे लोग जो यह सोंचते थे कि हमारी सरकार फिर उनसे ऋण मांगेगी उन्हें इस बजट को देखकर धक्का लगा कि भारत सरकार ने विश्व बैंक को 1.4 बिलियन अमरीकी डालर का अग्रिम भुगतान किया है यद्यपि यह भी अब देय नहीं है। उन्हें इस पर क्या कहना है ?

भारत सरकार ने खाद्य पदार्थों और उर्वरकों पर राजसहायता में वृद्धि की है। क्या यह नीति भी वाशिंगटन अथवा विश्व बैंक की थी ? यह हमारी अपनी नीति है। विश्व बैंक की यह इच्छा है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

संबंधी योजना आबंटन में कमी की जानी चाहिए। आज सबेरे श्री जार्ज फर्नान्डीज आंगनवाड़ी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ले रहे थे। यदि आप हमारी योजना आबंटन पर गौर करे तो पाएंगे कि इन कार्यक्रमों के लिए आबंटन में 17 प्रतिशत वृद्धि की गई है। रक्षा के संबंध में आबंटन 21,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 23,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। खाद्य पदार्थों एवं उर्वरकों पर प्रत्येक के संबंध में राजसहायता बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। दूसरे शब्दों में खाद्य पदार्थों पर 2,000 करोड़ रुपये तथा उर्वरकों पर 900 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष किया गया है। कल्याण क्षेत्र पर आबंटन में 14 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए आबंटन 5,010 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,010 करोड़ रुपया कर दिया गया है। अत: आप इन क्षेत्रों में की गई भारी वृद्धि को समझ सकते हैं।

अब हम आयकर छूट की बात करते हैं। हमारे भा.ज.पा. के मित्रों ने बड़े जोरदार ढंग से आयकर में छूट देने की मांग की है। श्री एल.के. आडवाणी यहां पर नहीं है। उन्होंने सरकार को बधाई देते हुए वक्तव्य भी जारी नहीं किया है। जबकि सरकार ने वह कार्य कर दिया है जिसकी वह मांग कर रहे थे। वर्तमान कर ढाँचा के अनुसार 50,000 से कम आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों तथा महिलाओं के संबंध में 52,000 से कम आय वाली महिलाओं को आय कर देने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

गैर-निर्गमित आय के ऊपर 12 प्रतिशत अधिभार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। उपहार-कर के लिये छूट की सीमा बढ़ाकर 100,000 रुपये कर दी गई है।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : दहेज बढ़ा दिया।

श्री मुरली देवेरा : बिना दहेज के भी गिफ्ट होता है। उन्होंने कहा है कि शादी के खर्चे भी हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि दहेज ही है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

शिक्षा पर निर्धारित धनराशि बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये कर दी गई है जो लगभग 20 प्रतिशत बढ़ोतरी है। उच्चतर शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर कर में छूट दिए जाने का भी प्रावधान है। शैक्षिक संस्थाओं को दिए जाने वाले सभी दान पर कर में पूरी तरह छूट दी गई है। प्रावधान के अनुसार, यदि कोई निगमित कम्पनी या व्यक्ति शैक्षिक संस्थाओं को धन दान में देता हैं तो उसे आय कर से मुकत रखा जायगा। आप देखेंगे कि देश भर के धन-वंचित शैक्षिक संस्थाओं के पास काफी धन आने लगेगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : किसी भी स्थिति में, वे लोग कोई आयकर अदा नहीं करते हैं।

श्री मुरली देवरा : वे आयकर जरूर देते हैं। आप ऐसा कैसे कहते हैं ?

महोदय, अर्थव्यवस्था रास्ते पर आ रही है। मुद्रास्फीति जो 17 से 18 प्रतिशत के बीच थी वह काम चलाऊ ढंग से घटकर एक अंक पर आचुकी है। बहुत से लोग वित्त मंत्री द्वारा की गई घाटे की व्यवस्था की ऊँची

दर से नाखुश हैं सच तो यह है कि स्वयं वित्तमंत्री ने बताया है कि वह घाटे की व्यवस्था से खुश नहीं है जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 7.1 प्रतिशत हैं। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : जी हां, एक चुनाव-वर्ष में कोई कर ही क्या सकता है ?

श्री मुरली देवरा : सच तो यह है कि हम उर्वरक के लिए और ज्यादा राजसहायता चाहते हैं; हम और ज्यादा गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम चाहते हैं ; हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए और ज्यादा आबंटन चाहते हैं। आदि-आदि। इन सबका एकमात्र निदान यह है कि हमें इस घाटे से निबटना है।

लेकिन यहाँ मैं वित्त मंत्री को मुबारक देता हूँ कि इतनी अधिक घाटे की व्यवस्था होने तथा निर्धारित राशि से कम राजस्व एकत्र होने के बावजूद उन्होंने कोई नहीं बढ़ाया है। अब उन्होंने इस जुअे का खतरा उठाने का रास्ता चुना है, यदि वास्तव में यह एक जुआ है तो ? मेरा यह मत है कि यह एक जुआ नहीं है। गतवर्ष क्या हुआ है ? जैसा श्री राम कापसे ने सही बताया, हम भारी मंदी के दौर से होकर गुजर रहे थे और हमारा उत्पादन कम हो रहा था।

अनेक उद्योगों में उत्पादन बिल्कुल नहीं हो रहा था। उनकी क्षमता बेकार पड़ी थी या मैं नहीं आ रही थी। वर्तमान बजट से औद्योगिक उत्पादन रोजगार और निवेश को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। और, ब्याज की दर कम करके तथा उत्पादन में वृद्धि करके इस घाटे को समाप्त किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व बढ़ेगा और अधिक विकास होगा जैसा कि विगत में कभी नहीं हुआ। यही समय है जब यह खतरा उठाया जा सकता है। मैं इसके लिये आपको दो या तीन कारण और बताऊँगा ? हमारी विदेशी मुद्रा का भण्डार अब पहले से सबसे अधिक है। यह 1 बिलियन डालर से 13-14 बिलियन डालर तक पहुँच गया है।

हमारे खाद्यान्न भण्डार लगभग 23 मिलियन टन हो गया है, जो पिछले 7-8 वर्षों में कभी नहीं हुआ था।

मुद्रास्फीति की स्थिति पर नियन्त्रण रखा जा सकता है।

1993-94 के दौरान और लगभग साढ़े तीन बिलियन डालर के लगभग काफी बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और भारतीय उद्योगों को उभरने में सहायता मिलेगी।

गत वर्ष, भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने 5400 करोड़ रुपये से अधिक राशि के अतिरिक्त ऋण की मंजूरी दी थी लेकिन 9 महीनों के कार्यकाल के दौरान, अर्थात् अप्रैल दिसंबर, तक, केवल 900 करोड़ रुपये बितरित किये गये हैं। मंजूरी तथा वितरण के बीच समय का अन्तर रहा है। जब यह बहुत बड़ी धन राशि भारतीय उद्योगपतियों के पास पहुंचेगी तब और ज्यादा उत्पादन और निवेश होगा। अप्रैल से दिसंबर 1993 की अवधि के दौरान, भारतीय कम्पनियों ने पूँजी बाजार से 18000 करोड़ रुपये जमा किए और उन्हें 2.76 बिलियन रुपये इस वर्ष के दौरान जमा होने की आशा है। इससे न केवल स्टॉक मार्केट या शेयर मूल्य को ही बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इसका उपयोग कुछ हद तक उत्पादक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकेगा। इससे रोजगार के और अधिक पैदा होंगे क्योंकि उद्योगों में और ज्यादा निवेश हो पायगा। मैं आशा करता हूँ कि उद्यमी वित्त मंत्री के संदेश को सही दिशा में समझेंगे। आप यह कहना सच हैं कि औद्योगिक उत्पादन 2 प्रतिशत या उससे कम पर स्थिर हो गया है।

मुझे विश्वास है कि यह बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि यदि राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, उद्यमी तथा आम जनता सहयोग करे तो हमारी वृद्धि दर 78 प्रतिशत के आसपास होगी।

श्रीकांत जेना : आप कैसी बातें कर रहे हैं ?

श्री मुरली देवरा : आप कृपया इंतजार करें और देखें। कृपया निराशावादी न हों। आपकी पार्टी सत्ता में नहीं हैं, अतः आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

इस बजट का प्रतयेक नागरिक द्वारा स्वागत किया गया है। मुझे याद है, मुम्बई शहर में श्री नानी पालकीवाला द्वारा आयोजित विशाल सभा के दौरान, प्रत्येक नागरिक ने बजट का स्वागत किया। अब समय आ गया है कि कर एकत्रीकरण प्रणाली को सरल बना कर हम ज्यादा राजस्व अर्जित कर सकते हैं। मुझे याद हैं कि श्री प्रणव मुखर्जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक में एक कहानी कहा करते थे। वह इस प्रकार है।

किसी मंदिर के एक पुजारी ने अपने चेले से भगवान के दर्शन करने हेतु आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के जूते पर निगाह रखने को कहा।

[हिन्दी]

''उनके जूतों का ध्यान कीजिए और बगैर जूते रखे किंसी को अलाऊ मत करो।''

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जैसा एक सक्रिय युवा व्यक्ति अपनी कार में आया। यह देखने पर कि काफी ज्यादा जूते वहाँ पड़े हैं, उसने अपने जूते कार में छोड़ दिये और मंदिर की ओर पैदल चल पड़ा। चेले ने उसे पकड़ा और पूछा कि ''आप कहाँ जा रहे हैं ? '' ''आपके जूते कहां हैं ?'' उस व्यक्ति ने उत्तर दिया : ''जूते मेरी कार में है।'' तब चेले ने उनसे कहा : ''नहीं, आप अपने जूते कार में नहीं रख सकते हैं। मुझे यह आदेश मिला है कि जूते यहीं पर रखे जायें।''

यही डा. मनमोहन सिंह की स्थिति है। कुछ क्षेत्रों में उनके विभिन्न आदेश गए हैं। पुजारी हमेशा सही है।

[हिन्दी]

जूते गुम नहीं होने चाहिए, जूतों का ध्यान रखो लेकिन चेलों ने ऐसे जूते रख दिए जिनके पास जूते नहीं थे उनको भी पकड़ लिया। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि

[अनुवाद]

मैं उनसे सहमत हूँ। गत 15- 16 दिनों तक वह जो भी करते रहे थे, मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्री कापसे, मैंने स्वयं छह या सात प्रतिनिधि महाराष्ट्र और गुजरात से और यहाँ तक कि सिलवासा से लिये थे। कुछ असंगतियाँ हैं। मुझे विश्वास है कि डा. मनमोहन सिंह इस सत्र की समाप्ति के पूर्व इन असंगतियों को दूर कर देंगे। ये असंगतियाँ निश्चित रूप से दूर होनी चाहिए।

महोदय, मैं पैराग्राफ 56 पढ़ना चाहता हूँ। मैं श्री कापसे के दावे का समर्थन करता हूँ। मैं उद्धृत करता हूँ।

यद्यपि गत तीन बजटों में सीमा शुल्क घटाया गया है तथापि इसे और भी कम किये जाने की आवश्यकता

है जिससे कि भारतीय उद्योग को आयाति कच्चा माल ओर पूंजीगत माल उचित मूल्यों पर प्राप्त हो सके और उद्योग के संरक्षण के अनुचित उच्च स्तर भी कम हो सकें। साथ ही शुल्क कटौती इस स्तर तक अंशशोधित की जाये कि इसका अनुचित दवाब इसी प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर न पड़े।''

दुर्भाग्यवश जो कुछ पैराग्राफ 56 में कहा गया है, उसे सही ढंग से कार्य रूप में परिणित नहीं किया गया है। आप छाते और इसके भागों का उदाहरण लें। **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, इस मामले में, जैसा कि सत्तापक्ष की ओर से हस्तक्षेप करने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, लघु क्षेत्र प्रभावित हुआ हैं। यह इसलिए कि या तो, शायद, वे आपके द्वारा लाए गए परिवर्तन को नहीं समझ नहीं सके हैं या वे इसलिए व्यथित हैं क्योंकि पहले उत्पाद शुल्क जमा करना इत्यादि उत्पाद शुल्क एकत्र करने के दायरे में नहीं आता था। अब या तो वे उत्पाद शुल्क या मोडवेट के अन्तर्गत आ गये हैं। क्या आप पहले परीक्षण करेंगे। और तब अपनी सरकार को इस सुझाव पर विचार करने को कहेंगे कि प्रत्यक्ष कर की तरह से, आपने प्रकल्पित कर जैसे सोद्देश्य कदम की शुरूआत की है ? 'प्रकल्पित कर' से नागरिकों को कर्मचारियों और भ्रष्टाचार आदि से युक्ति मिली थी। क्या आप 'प्रकल्पित मोडवेट' या 'प्रकल्पित उत्पाद शुल्क' लागू करने की संभावना की जांच करेगें जिससे कि लघु क्षेत्र और अति लघु क्षेत्र की कठिनाइयाँ दूर किया जा सके और अधिकारियों की निरकुंशता को समाप्त किया जा सके ? यदि ऐसा होता है तो सम्भवतः क्षेत्रों की बहुत सारी कार्यवाही को, जो प्रतिनिधि के रूप में आ रहे है और आपकी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, निपटाया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : मैं श्री जसवन्त सिंह का शुक्रगुजार हूँ। अनुमान के आधार पर प्रत्यक्ष करों की गणना करना आसान है, परन्तु, मेरे विचार से अनुमान के आधार पर अप्रत्यक्ष करों की गणना करना बहुत मुश्किल है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं होता कि सरकार द्वारा इस विशिष्ट क्षेत्र के बारे में कोई सीमा न निर्धारित की जाये। एक ओर तो सरकार सही तरीके से करों की वसूली करेगी और दूसरी ओर किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। 'मोडवेट' क्या है ? यह एक सही प्रणाली है। हर देश इस 'मोडवेट' योजना को अपना रहा हैं वे किसी उत्पाद से उत्पाद शुल्क की वसूली करने की बजाय कर का दायरा बढ़ा रहे हैं। यह एक अच्छी बात है कि कर के दायरे के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाकर उनसे धनराशि की वसूली है की जाये। आप सूत, रूमाल, छतरी, आदि का उत्पादन करने वाले लोगों का उदाहरण ही ले लीजिए। उसमें आप यह पायेंगे कि उत्पाद शुल्क अधिनियम की एक उपधारा में यह कहा गया है कि कपड़ा निर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाया जायेगा। उन्होंने टाई का उल्लेख किया था, और हम यह देख रहे है कि वे रूमालों पर उत्पाद शुल्क की वसूली कर रहे हैं। वस्तुतः, उनका इरादा भी इस तरह का नहीं था। मैं जानता हूं कि गुजरात में ऐसी महिलायें हैं जो अपने घरों में बैठे-बैठे रूमाल तैयार करती हैं। हम उनके एक शिष्टमंडल को डा. मनमोहन सिंह और श्री मूर्ति के पास ले गए थे। उन्होंने यह कहा कि यदि उनका कुल कारोबार 30 लाख रुपये के अंदर आता है तो उन्हें कर अदा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री को यह बताना चाहता हूँ कि यह सही नहीं है। मुझे इस बात का आज पता चला है।

मुझे विश्वास है कि धारा 1/93 के अनुसार उनका कुल कारोबार 30 लाख रुपये से कम है तब पर भी वे कर के दायरे में आ रहे हैं। ऐसी विसंगतियां दूर की जानी चाहिए। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं। कि आप अनुमानित कर की बात कर रहे हैं ; उत्पाद शुल्क विभाग ने एक गेट पास रखने और बीजक के पीछे मूल्य दर्शाने का प्रस्ताव किया है ताकि सही बीजक के सही मूल्य की घोषणा करने में सहायता मिल सके। इससे विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न बीजकों के बारे में घोषणा की बात दूर की जा सकेगी जोकि एक अच्छी बात है। मुम्बई में कुछ उद्योगपतियों ने मुझे बताया कि अब उन्होंने यह उपबंध किया है कि कंपनी के प्रत्येक निदेशक बीजक के पीछे अपने हस्ताक्षर करेगा। हम किसी कंपनी के निदेशक से कारखाने में बैठने की अपेक्षा नहीं करते। श्री रघुनंदन लाल भाटिया मेरी इस बात से सहमत होंगे। इसमें विसंगतियां हो रही हैं और श्री मनमोहन सिंह अथवा उनकी सरकार ने उनके बारे कुछ नहीं कहा है।

कल उन्होंने राज्य सभा में बजट का उत्तर दिया था और उन्होंने मुम्बई से आये कई शिष्टमंडल, जिसमें कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी शामिल हैं, से भेंट की थी तथा उन्हें यह आश्वासन दिया था कि वे इस पर विचार कर रहे हैं। अतः मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वह और समय बर्बाद किए बिना, इस पर कार्यवाही करें क्योंकि उद्योगों का पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है ; और समग्र गुजरात और यहां तक कि हरियाणा में भी सभी उद्योगों के लिये काम को चालू रखना सम्भव नहीं हो पायेगा। श्री जसवन्त सिंह सही कह रहे हैं। पहले कुछ लोगों ने बजट का स्थागत किया और सही तरीके से वे यह नहीं समझ पाये कि इसका उद्योग पर क्या वास्तविक प्रभाव पड़ेगा। परन्तु बाद में वे यह जान पाये कि उनका किस क्षेत्र में शोषण किया जा रहाहै। अब जब वे अपनी नींद से जाग उठे हैं तो वे यह कह रहे हैं कि उन्हें मुसीबत में डाल दिया गया है। ऐसे लोग भी हैं जो इमानदारी से कर जमा करना चाहते हैं। अतः, सरकार मूल्य वर्द्धित करने के साथ यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे लोगों से अधिकाधिक कर की वसूली की जाये और यहभी देखे कि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाये। यह एक अच्छी प्रणाली है और इसे भारत में शुरू किया जाना चाहिए परन्तु इसे बड़े पैमाने पर न लागू किया जाये जिसमें कि अत्यन्त लघु और अल्प क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाये। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं। कि इन लघु और अल्प क्षेत्र के व्यवसायियों को कर की सीमा में न लायें। श्री राम कापसे ठीक ही कह रहे हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं। ऐसे एकक में जहां 30 अथवा 40 अथवा 50 लोग नियोजित हों, ऐसी भी स्थिति है जहां एक ही व्यक्ति इंजीनियर-कम-अधिकारी विक्रय अधिकारी वगैरह सब कुछ है। अतः, कृपया इन्हें कर की सीमा में न लायें। अन्यथा, इससे बहुत गम्भीर समस्यायें उत्पन्न होंगी। और मुबाई में अथवा कहीं अत्यन्त भी ऐसे किसी भी उत्पाद शुल्क निरीक्षक का होना संभव नहीं है जो जाकर ईमानदारी से कर की वसूली कर पाये। मैं जानता हूं कि इस कार्य के लिए श्री मनमोहन सिंह ने स्वयं ही केबिनट सचिव और राजस्व सचिव को भेजा था। वे मुम्बई, थाणे और अन्य क्षेत्रों में गए और उन्होंने लोगों से भेंट की। मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में वे इसका हल ढूंढ निकालेंगे। मुझे विश्वास है कि इससे लघु उद्योग, जो भारत भर में कुछ क्षेत्र में झगड़े, विवाद और हड़तालों से घिरा रहा है, को सहायता मिलेगी। मैं श्री राम कापसे का समर्थन कर रहा है; वे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। **(व्यवधान)** वह मुम्बई आ रहे हैं और आपसे मिलने को तैयार हैं। आप जानते हैं कि प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के आपके अपने लोग और गुजरात के लोग वहां आते हैं। हम आपके साथ हैं। आपने यह

क्यों कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच परस्पर मतभेद है ? लघु एककों के मुद्दों के बारे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई मतभेद नहीं है।

श्री राम कापसे ने भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता की बात कही है। यदि गत कई वर्षों, तीन दिन अथवा चार दशकों की भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर डाली जाए तो यह देखा जा सकता है कि एक समय था जब बजाज स्कूटर 12 वर्षों बाद मिलता था। टाटा टेल्को ट्रक की डेलीवरी 4 वर्षों में हुआ करती थी। उस स्कूटर का बाजार मूल्य घोषित मूल्य से तीन गुना अधिक था। इससे हमारे भारतीय उद्योग को अनुचित संरक्षण मिला। कुछ कंपनियों में कोई विपणन विभाग नहीं था; वहां विपणन विभाग की कोई आवश्यकता न होने के कारण कोई प्रेषण विभाग नहीं था। किसी संसद सदस्य को भी किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर उसके लिए प्रबंध निदेशक को फोन करना पड़ता था। इसका क्या नतीजा निकला ? नई प्रौद्योगिकी नहीं आई पाई और इसलिए, अधिक उत्पादन नहीं हो रहा है। हमारे देश में लाइसेंसिंग प्रणाली में हमेशा ही बनावटी अभाव की स्थिति बनी रही।

मैं श्री मनमोहन सिंह को भारतीय उद्योग को प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए अनुमति देने के लिए बधाई देता हूं। अब वे प्रतियोगिता की ऐसी स्थिति का मुकाबला करेंगे जिसमें स्कूटरों का निर्माण बजाज कंपनी ही नहीं बल्कि अन्य 2-3-4-5-6 कंपनियां भी स्कूटर का निर्माण करेंगी ; ट्रकों का निर्माण केवल टाटा और टेलकों कंपनियाँ ही नहीं बल्कि कुछ अन्य कंपनियां भी करेंगी। इस तरह इसमें ऐसी प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्यों की प्रतियोगिता होगी। इसके अलावा गुणवत्ता, रखरखाव, सेवाएं आदि की प्रतियोगिता होगी और इससे स्थिति में सुधर होने में सहायता मिलेगी।

हमारे देश में अपार संसाधन हैं। हम अन्य उद्योगों के साथ प्रतियोगिता की अनुमति देकर ही इन संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। मैं इस बात की याद दिलाना चाहूँगा कि आज पूर्वी एशिया के इन्डोनेशिया, चीन, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया आदि जैसे देशों में जीवन स्तर एक पीढ़ी के अंतर पर ही हमारे देश से कहीं ऊंचा हो गया है। इन देशों में वर्ष 1960 के आरम्भ में गरीबों का अनुपात जो 40 प्रतिशत था उससे गिरकर 10 प्रतिशत हो गया है।

20 वर्ष पूर्व उनकी स्थिति ठीक उसी तरह की थी, जैसी आज हमारी है। इतना अंतर क्यों हुआ है ? क्योंकि उन्होंने सुधार कार्यक्रमों को अपनाया और हम उसी लाइसेंसिग और परमिट नीति का पालन करते रहे। अतः, हमें इस समय पिछली हालत के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। . . . **(व्यवधान)** . . . मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें पिछली बातों के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें उदारीकरण की नीति अपनानी चाहिए।

इससे पूर्व सप्ताह में हमारे प्रधानमंत्री इंग्लैड में थे। मैं इस समय 'द इकॉनामिस्ट' की एक पंक्ति का, जिसे 'संडे टाइम्स' में प्रकाशित किया गया था, उद्धारण देना चाहता हूं - भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी और अब कैसी होनी चाहिए ? अब मैं उद्धरण देता हूं :

''द इकानामिस्ट ने हाल ही में यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत द्वारा हासिल की गई उपलब्धि और वह उपलब्धि, जो प्राप्त की जानी थी, का अंतर बहुत कम है और यहां तक कि ऐसी स्थिति कम्यूनिस्ट चीन अथवा सोवियत संघ में भी नहीं है।''

यह वास्तविक है। मुझे यह अच्छा लगा जब श्री सैफुद्दीन चौधरी ने सुबह मुझसे यह बात कही कि हमें परिवर्तन लाना होगा और हमें अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। यदि हम अपनी गलतियों को आज नहीं सुधारेंगे तो यह विश्व और आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी और मैं यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि हमने भी गलतियां की हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : हम आपसे सहमत नहीं हैं।

श्री मुरली देवरा : आप चीन में जो कुछ हुआ और रूस में जो भी हुआ उससे सहमत नहीं हैं मैं यह नहीं समझ पाता कि आप किस देश को अपनायेंगे। अब आपके सामने ऐसे किसी देश का दृष्टान्त नहीं बचा है।

श्री लोकनाथ चौधरी : आपका भी एक देश है और अन्य देशों को भी आपका अनुकरण करना चाहिए।

श्री मुरली देवरा : जी हां . . . **(व्यवधान)** . . . परन्तु इसके साथ ही मैं भारतीय उद्योग की मांग से सहमत हूं। उनके लिए उन्हें एक बराबर क्षेत्र मिलना चाहिए। हमें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे भारतीय उद्योगों को अत्यधिक ऊँची दर से ब्याज चुकाना पड़ रहा है और विदेशी उद्योग ब्याज की बहुत कम दर अर्थात् केवल 6-7 प्रतिशत चुका रहे हैं। भारतीय उद्योग 3 प्रतिशत घटाने के बाद 15-16-17-18 प्रतिशत ब्याज चुका रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि हम विदेशियों को एक स्वास्थ्य प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और न कि अपने उद्योगों की कीमत पर।

आप मुक्त व्यापार की बात कर रहे हैं। आप यह देखेंगे कि अमरीका और जापान में भारत और किसी अन्य देश की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित व्यापार है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप किसी उत्पाद को ले जाकर जापान नहीं बेच सकते। गत महीने वाशिंग्टन में राष्ट्रपति क्लिंटन और जापानी प्रधानमंत्री के बीच क्या हुआ ? वे राजी नहीं हुए। वे उन पर सुपर 301 लाना चाह रहे हैं। अतः हमें अपने स्वस्थ उद्योगों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। हमें स्वस्थ तरीके से अपने स्वदेशी उद्योग की रक्षा करनी चाहिए। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम आपसे उत्पादन में ही कटौती कर दें। इसका मतलब यह नहीं कि यदि हमें 100 कारों की आवश्यकता हों, तो आप हमें 90 कारों के लाइसेंस दें। इससे समृद्धि नहीं बढ़ेगी। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इस तरह नहीं। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) **:** वह पूरे भारत के सबसे स्वतंत्र कांग्रेस सांसद हैं।

श्री मुरली देवरा : महोदय, हमारे यहां प्रतिभूति घोटाला हुआ था।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) **:** महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य से मनहट्टन स्पष्टीकरण के बारे में पूछ सकता हूं ?

तीन आंकड़ों के कारण मुझे परेशानी हो रही है। लगभग रु. 13000 करोड़ विदेशी मुद्रा है।

श्री मुरली देवरा : मैं आपको बता दूं कि यह 13,000 करोड़ नहीं है। एक डालर की कीमत अब रु. 10/- नहीं है; अब वह लगभग रु. 34/- है।

श्री जसवंत सिंह : ठीक है, 13 विलियन। यह लगभग एफ.सी.एन. आर., अप्रवासी भारतीयों का जमा और निवेश के लिए आए रुपयों के बराबर हें। **(व्यवधान)** अब भारतीय उद्योग में होने वाले निवेश का जायजा लें। मेरे पास बिल्कुल ठीक आंकड़े तो नहीं है, पर उद्यम पूंजी लगभग 3000 करोड़ से 4,000 करोड़ होती है और भारतीय उद्योग को रु. 18,000 करोड़ मिले हैं। ऊपर से जिस 13 मिलियन की बात की जा रही थी, वह उद्यम पूंजी मुद्रा के संबंध में है। आज यह भारत में हैं; कल वह भारत से बाहर भी जा सकती है। क्या आप इस पर अपनी टिप्पणी देंगे ? यह एक मुद्दा है।

दूसरा मुद्दा यह है कि यदि उद्यम पूंजी की राशि केवल रु. 4,000 करोड़ है तो क्या मुद्रा की अधिक प्राप्ति में कोई संस्थात्मक कठिनाई है, या हमसे कोई गलती हो रही है या फिर हमने इसके लिए सही माहौल तैयार नहीं किया है ?

श्री मुरली देवरा : मैं इनकी बात से सहमत हूं। यह राशि 13 मिलियन डालर की है। भले ही यह विदेशी मुद्रा हो, पर यह अर्जित मुद्रा कतई नहीं है। मैं इनसे सहमत हूं। एफ.सी.एन.आर. और निवासी भारतीय मुद्रा अवश्य है। एफ.सी.आर. क्या है ? यह फारेन करेंसी नन-रेजीडेंट इंडियन डिपोजिट है। जब उन्होंने देख लिया कि पैसे की वसूली नहीं हो पाती, जब वे देखेंगे कि दुनिया के दूसरे हिस्से में ब्याज का दर अधिक है, तो वे वापस ले लेंगे। मैं आपसे सहमत हूं। पर जरा इन एफ.सी.एन.आर. लोगों का विश्वास तो देखें। मैं आपसे कह रहा हूं अब कोई नहीं सुनेगा। यही तो समस्या है, पर वही लोग जो दूसरे तरीके से सोच रहे थे, उनका अब इस सरकार में विश्वास है।

कल मेरीलिंक, जो दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी निवेश बैंकर है, के प्रतिनिधि यहां थे। दुनिया भर के सभी बड़े-बड़े बैंकर अब भारत आ रहे हैं। उनके पास पारस्परिक धन था; अब यह धन 'आइ एन डी अमेरिका' है। इसे छूने को भी कोई तैयार नहीं था। लीबो, लंदन का ब्याज दर, का दो प्रतिशत, तीन प्रतिशत। आज हम उस दर से 0.3 प्रतिशत अधिक का भुगतान कर रहे हैं। शीघ्र ही हमें कुछ अवसर मिलेंगे। यही भारत की आर्थिक स्थिरता है। मैं यही कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी और श्री मनमोहन सिंह ने भारत को राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता प्रदान की है। इसी कारण लोग यहां आने को तैयार हैं।

जिस समय श्री जसवंत सिंह द्वारा समर्थन प्राप्त सरकार थी, उस समय वही एफ.सी.एन.आर. वापस जाने लगा था। बैंक ऑफ इंग्लैंड को क्या हुआ था ? यह बैंक सोने के स्थान पर विश्वास नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें सोने पर अंतिम स्वामित्व चाहिए। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ है। भारत को भूल जाइये; रूस के इतिहास तक में ऐसा नहीं हुआ है। श्री जसवंत सिंह यह बात जानते हैं।

हमारे यहां भारी प्रतिभूति घोटाला हुआ और संयुक्त संसदीय समिति में रहने का मुझे दुर्भाग्यपूर्ण या सौभाग्यपूर्ण अनुभव रहा।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) **:** दुर्भाग्यपूर्ण 'कहिए।

श्री मुरली देवरा : मैं आपसे सहमत हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि वित्तीय क्षेत्र में जिन अनेक आर्थिक सुधारों का वादा

उन्होंने गत वर्ष किया था, उनका अभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। मैं इन सुधारों में से कुछ पढ़कर सुनाऊंगा। इस वर्ष में जो कुछ हुआ, उससे मैं सहमत हूं। एक संयुकत संसदीय समिति थी जिसने अनेक संस्थानों को काम नहीं करने दिया। हम सभी यह जानते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, वह यह है कि भूतकाल को हम भूल जाएं, पर बम्बई स्टाक एक्सचेंज और एस.ई.बी.आई. में कई सुधारों की आवश्यकता है। परिसम्पत्तियों का कड़ाई से अंतरण जैसे उपायों का कार्यान्वयन अब होना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया था। गत वर्षों में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था।

पहली बात रिजर्व बैंक के बारे में हैं। उन्होंने वादा किया था कि वित्तीय संस्थानों के,पर्यवेक्षण बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। काफी समय गुजर चुका है। उन्होंने इस बात की चर्चा अपने बजट भाषण में की है। मैं उनसे अब पर्यवेक्षण बोर्ड के गठन का अनुरोध करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री ने अशोद्ध ऋणों की वसूली का भी जिक्र किया था। कल हमने इस संबंध में विचार विमर्श किया था ? प्रतिभूतियों के लिए एक बोर्ड का गठन करना होगा। चाहे जो भी कारण भी हो, अभी तक एक भी काम करने की स्थिति में नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ज्यादा विलंब न करके इसे शीघ्रता से करे।

बाज़ार में समुचित अंतरण प्रणाली होनी चाहिए। कतरनों-कूड़े का हस्तांतरण हो जाता है पर परिसम्पत्तियों का नहीं होता। इसका भी वादा किया गया था। जहां स्पष्ट रूप से प्रतिभूतियों का अंतरण नहीं होता, वहां राष्ट्रीय जमा प्रणाली लागू की जानी चाहिए। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इसे शीघ्र लागू करें।

दो वर्ष पहले राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज के गठन के विषय में एक वादा किया गया था। मुझे पता है कि इस संबंध में मुम्बई में कदम उठाए गए हैं और राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज तैयार हो रहा है। अब समय आ गया है। इसमें देर नहीं होनी चाहिए।

सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में भी कई संशोधनों का वादा किया था। इसमें काफी देर हो चुकी है। गत बजट में किये गये वादों का कार्यान्वयन 1993-94 में नहीं हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका कार्यान्वयन शीघ्र होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड के पुनर्गठन के विषय में एक और बात कहनी है। इस बोर्ड का गठन आठ-नौ साल पहले किया गया था। मुझे पता है कि वित्त मंत्री ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष क्या कहा। मैं कहना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक के एक गतिशील बोर्ड के गठन में अब ज्यादा समय नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बोर्ड में सभी वर्गों और उन सभी को जो अंशदान कर सकें, प्रतिनिधित्व दिया जाए।

महोदय, अब मैं अपनी अर्थव्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की चर्चा करना चाहूंगा। पहला क्षेत्र तेल है। 1993-94 में उत्पादन का लक्ष्य 3 करोड़ 16 लाख टन था और वास्तविक उत्पादन 2 करोड़ 86 लाख टन हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि उत्पादन 16 या 20 प्रतिशत से कम है। 1994-95 में आठवीं योजना का लक्ष्य 4 करोड़ 40 लाख 35 हजार टन है यह एक सपना जैसा है। हम सभी जानते हैं कि हम यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। हम यह लक्ष्य प्राप्त करने योग्य नहीं है। हमारी विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा तेल और पेट्रोलियम

उत्पादों, पर खर्च होता है। श्री मुखर्जी मुझसे सहमत होंगे कि आठवीं योजना में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बिल 8,900 करोड़ रुपये के आसपास था। अब इसके 1,09,107 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने का अनुमान है। 25 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है और वह भी तब जबकि तेल की कीमत विश्व बाजार में ज्यादा ऊंची नहीं है। आज विश्व बाजार में बिल्कुल प्रतियोगात्मक दर पर पर्याप्त तेल उपलब्ध है। यह सब हो रहा है। 1980 के दशक के आरम्भिक वर्षों में तेल का घरेलू उत्पादन खपत का दो तिहाई था। दो तिहाई से, यह अब एक तिहाई हो गया है। क्या करना है। सभी को मालूम है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम और अन्य तेल विभाग किस तरह काम कर रहे हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सबने उस पर अपनी टिप्पणी दी है। वे अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम घरेलू तेल उद्योग का पुनरूद्धार करें। तेल और प्राकृतिक गैस निगम को, जिसे सरकारी सीमित कम्पनी बना दिया गया है, एक अच्छा अध्यक्ष, पर्याप्त शक्तियां, समुचित नियंत्रण और स्वायतता के साथ अच्छा प्रबन्ध कौशल दिया जाना चाहिए, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र का खात्मा न हो।

महोदय, तेल की खोज करने के संबंध में पश्चिम से बड़ी कम्पनियां यहां आ रही हैं। शैल, ओमाको, गल्फ, कालटेक्स जैसी पश्चिम की बड़ी कम्पनियां फिर से भारत में आ रही हैं। मुझे जानकारी है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पास इस्सो और शैल काम कर रही हैं। अब वे बंद की जा रही हैं। किन्तु इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। मैं उनको बंद किये जाने के खिलाफ नहीं हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि वे कम्पनियां लुब्रीकेंट्स और विमान ईंधन संबंधी अपना उत्पाद लेकर यहां वापस आ रही हैं-यह पर्याप्त नहीं है - यह कार्य तो हमारी कम्पनी इंडियन आयात ही कर सकती है। क्या यहां इनकी जरूरत है। उनके पास पर्याप्त औद्योगिकी है। वे वियतनाम, कम्बोडिया, चीन और मैक्सिको में तेल की खोज का कार्य कर रही हैं। उन्हें तेल की खोज के कार्य के लिए निवेश करने के लिए कहा जाए और जोर डाला जाए।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : तब आपने यह कार्य विडियोकोन को क्यों सौंपा है ?

श्री मुरली देवरा : जब उन्होंने प्रौद्योगिकी हासिल कर ली है तो क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए ? हमें किसी भारतीय कम्पनी को यह काम सौंपना चाहिए। आप विडियोकोन के नाम से क्यों चितिंत हैं ? यदि कोई भारतीय कम्पनी संयुक्त अच्छा निजी क्षेत्र में तेल भी खोज करना चाहती है तो यह अच्छी बात है कि वे ही तेल की खोज करें। श्री जसवंत सिंह जी, मैं 25 वर्ष पूर्व सऊदी अरब और दुबई गया था। मैं वहां आठ वर्ष पूर्व भी गया था। आप यह देखें कि दुबई में अब क्या हो रहा है और पच्चीस वर्ष पूर्व क्या हुआ था और इंडोनेशिया में क्या हो रहा है। उन्होंने इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने यहां तेल की खोज करने की अनुमति प्रदान की है। मुझे इस बात का खेद है कि मेरे दल अथवा विपक्षी दल के कुछ सदस्यों को यह बात अच्छी न लगे। हमें भी अपने यहां तेल की खोज करने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान करनी चाहिए। मैंने अपने भाषण में चौथी यह बात कही है। सरकार पिछले वर्ष इन बड़ी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा तेल की खोज करने पर सहमत हुई है। आपके पास और कोई चारा भी नहीं है क्योंकि उनके पास प्रौद्योगिकी है और आवश्यक धनराशि है, क्योंकि इसमें 5000 करोड़ रुपए अर्थात् 2 मिलियन डालर से भी अधिक राशि की आवश्यकता है। कोई भी भारतीय कम्पनी यह कार्य नहीं

कर सकेगी। सरकार से मैं यह देखने का अनुरोध करूंगा कि इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा ट्यूब आयल लुब्रीकेंट और विमान आयल की बिक्री करने की बजाय इस तेल की खोज की जाए।

अब मैं अपने देश के दूसरे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर आता हूं जो कि विद्युत का है। हमारे पास जल विद्युत, ताप और परमाणु ऊर्जा तीनों के मामले में निजी, राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 73000 मैगावाट की क्षमता है, यह पर्याप्त नहीं है। यह कमी इतनी अधिक नहीं हैं कि इसकी कुल मांग की तुलना में उपलब्धता और पूर्ति 30 प्रतिशत के लगभग है। दिल्ली में रहने वाले लोगों का पता है कि बिजली कैसे चली जाती है। हमारे देश के लिए यह अच्छा नहीं है विद्युत क्षेत्र में भारी निवेश होना जरूरी है। इन निजी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निजी रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान करने हेतु मुझे सरकार को बधाई देनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री मुरली देवरा : मैं सरकार को इसलिए बधाई देता हूं कि विद्युत क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति प्रदान करना बेहतर होगा। विद्युत क्षेत्र में कमी की अपेक्षा निजी क्षेत्र को प्रवेश देना बेहतर ही होगा। **(व्यवधान)**

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, यदि हम तीन राज्यों अर्थात् बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा को अलग करके देखें तो देश में हमारे पास पर्याप्त विद्युत होनी। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : यदि आप बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को अलग कर दें, तो यहां कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी नहीं आएगी क्योंकि कोयला तो वहीं पर उपलब्ध है। **(व्यवधान)**

माननीय सभापति महोदय : थोड़ा बहुत हस्तक्षेप तो ठीक है किन्तु बार-बार ऐसा नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : महोदय, विद्युत क्षेत्र में 1993-94 में योजना आबंटन की राशि 7461 करोड़ रुपए थी और 1994-95 में यह राशि मात्र 8484 करोड़ रुपए है तथा बजटीय सहायता में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अर्थात् यह राशि 2445 करोड़ रुपए से बढ़कर 3117 करोड़ रुपए हो गई है। वास्तव में इससे अधिक विद्युत का उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है ? मेरे विचार इसे थोड़ा-बहुत बढ़ाकर 4500- 500 मेगावाट किया जा सकता है। अतः यह पर्याप्त नहीं है। सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारतीय निजी बड़े उद्योगों को निजी क्षेत्र में आने की अनुमति प्रदान करके सही कार्य किया है। महोदय, मेरे पास एक सुझाव है, विद्युत क्षेत्र के निजीकरण के मामले में श्री एन.के.पी. साल्वे द्वारा परिचालित पत्र, जो मेरे मित्र श्री श्रीकांत जेना ने मुझे दिया है, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। **(व्यवधान)**। यहां एक समान नीति बनाए जाने की जरूरत है। अब एक अमरीकी कम्पनी और दूसरी अमरीकी कम्पनी से अलग व्यवहार नहीं कर सकते। पर यहां हुआ क्या है ? हमने कम से कम 16 प्रतिशत लाभ की गारंटी दी है। इसका अभिप्राय यह कि उड़ीसा जैसे राज्य विद्युत बोर्ड भुगतान न भी करें, तो भी उन्हें पैसा दिया जाएगा। **(व्यवधान)** ऊर्जा समिति का सदस्य होने के कारण मुझे यह पता चला। मैंने यह सब चीजें पढ़ी थीं, नहीं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं होती। मैंने यह प्रश्न स्थायी समिति में भी उठाया था। सरकार उच्च पी.एल. एफ. हेतु लगभग 16 प्रतिशत लाभांश दे रही है और यह उच्च पी. एल. एफ. 68.5 प्रतिशत के लगभग बनता है। श्री एन.के.पी. साल्वे के पत्र में यह कहा गया है कि इन उद्योगों

की औसत संयंत्र भार क्षमता 82 से 83 प्रतिशत होगी और निजी रूप में श्री साल्वे कहते हैं कि यह 90 प्रतिशत है, यह बात सही नहीं है। चाहे कोई इस बात को पसन्द करे अथवा न करे किंतु मैं तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश किए जाने का समर्थक हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि सभी के लिए समान मानक और समान मानदण्ड होना चाहिए। मैं श्री जेना का आभारी हूं जिन्होंने मुझे यह सूचना दी है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने किसी कम्पनी के साथ निजी तौर पर कोई समझौता किया है और संयंत्र भार क्षमता में प्रत्येक प्रतिशत की वृद्धि पर 0.7 प्रतिशत की जगह एक प्रतिशत बोनस दिया है। सामान्यतौर पर यह होता है कि यदि आप संयंत्र भार क्षमता में एक प्रतिशत की वृद्धि करते हैं, तो आपको 0.7 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस मिलता है। किन्तु उड़ीसा सरकार ने एक प्रतिशत बोनस दिया हैं अन्य राज्य अपने समझौते में 0.7 प्रतिशत बोनस दे रहे हैं। अतः इसके लिए समान मानदंड होना चाहिए। मैं कम्पनी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे नाम से कोई लेना-देना नहीं है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं। वह यह कि भारत सरकार को यह निर्देश देना चाहिए कि सभी के लिए समान नीति हो, चाहे वह उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली अथवा अन्य कोई भी राज्य हो। **(व्यवधान)** आप एक कम्युनिस्ट को नहीं पढ़ा सकते। वे हमेशा यही कहेंगे कि वे ही आपको पढ़ा रहे हैं। वे इस बात को भली-भान्ति जानते हैं। **(व्यवधान)** ठीक है, मुझे इस बात का खेद है और क्षमा मांगता हूँ।

महोदय, आप भी मुम्बई से ही सांसद हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि भविष्य में विद्युत शुल्क के मामले में उपभोक्ताओं का भी संरक्षण हो। यदि सरकार अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझौते करती है तो इसमें खतरा तो है ही। मैं यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि विद्युत शुल्क डालर के रूप में वसूल किया जाता है और रुपए का थोड़ा और अवमूल्यन हो जाता है, तो जसवंत सिंह जी आप यह बताइए कि आप समिति में किस बात पर चर्चा कर पाएंगे ? भारत में उपभोक्ताओं को 1.80 रुपए अथवा 1.90 रुपये के स्थान पर 5 रुपए प्रति यूनिट अथवा इससे भी अधिक देना पड़ेगा . . . **(व्यवधान)** उड़ीसा में तो यह 7 रुपए तक भी हो सकता है। क्योंकि तब तक वहां भी जेना जी सत्ता में हो सकते हैं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि : (क) निजी क्षेत्र के निजीकरण के संबंध में भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों के लिए एक समान नीति होनी चाहिए ; और (ख) सरकार को उपभोक्ताओं के सभी प्रकार के हितों का संरक्षण करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि उन्हें अधिक मूल्य न देना पड़े।

मेरा अगला सुझाव यह है कि सुरक्षित विद्युत उत्पादन हेतु उद्योगों को वित्तीय लाभ दिया जाना चाहिए . . . . **(व्यवधान)** . . .

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : इक्विटी के बारे में आपने नहीं बताया है।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : महोदय, मैं उनसे सहमत हूं जो बात वे सही कहेंगे, मैं उनका समर्थन करूँगा। एक और मुद्दा यह है कि विश्व बाजार में ब्याज की दर 5 से 6 प्रतिशत है। विपक्ष के मेरे मित्र ने कहा है कि ऋण प्रभार अत्यधिक है और ऋण की अपेक्षा इक्विटी हासिल करना अच्छा रहेगा। मध्य की अपेक्षाकृत इक्विटी हमेशा ही बेहतर है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। किन्तु विद्युत क्षेत्र के मामले में, यह बात ठीक नहीं है और मुझे यह

विश्वास है कि वित्त मंत्री महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम आज विश्व बाजार से छः प्रतिशत अथवा सात प्रतिशत या आठ प्रतिशत पर धन उधार लें सकते हैं। दूसरी और यदि हम विद्युत क्षेत्र में विदेशियों को इक्विटी सहभागिता की इजाजत देते हैं, तो हमें भारी हानि होगी। हम उनके न्यूनतम 16 प्रतिशत दे रहे हैं और इसके ऊपर अतिरिक्त विद्युत भार क्षमता पर एक प्रतिशत अथवा 0.7 प्रतिशत बोनस दे रहे हैं। जिसका आधार ही 68.5 प्रतिशत है, जो कि बहुत ही कम है इस प्रकार से वास्तव में वे 29-30 प्रतिशत पा सकेंगे। माननीय वित्त मंत्री महोदय से मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस ऋण इक्विटी अनुपात पर किसी को जोर नहीं देना चाहिए। ऋण-इक्विटी अनुपात के बारे में मुझे कुछ अन्य सिद्धान्तों की भी जानकारी है जिसका पालन विदेशियों को करना है। किन्तु अन्य मामलों को छोड़कर विद्युत के क्षेत्र में ऋण की तुलना में इक्विटी अधिक होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र के मामले में, जब ऐसी भारी गारंटी का दिया जाना, ऐसा भारी संरक्षण दिया जाना उपयुक्त नहीं है और मुझे इस बात की याद दिलाने के लिये मैं श्री जेना का आभारी हूँ।

श्री श्रीकांत जेना : श्री देवरा, उड़ीसा सरकार तथा अमेरिकी सरकार भारत सरकार के पास आने को कैसे राजी हुई ?

श्री मुरली देवरा : शायद, उन्होंने वायदा किया है कि वह कुछ संसद सदस्यों को यहाँ पर भेजेंगे। हो सकता है आप ही को पहले भेजा जाये इसलिये, चिन्ता न करें।

महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि भारत में राज्य विद्युत परिषदों द्वारा उत्पादित वाणिज्यिक विद्युत का साठ प्रतिशत भाग भारत में उद्योगों में खप जाता है और मेरा एक सुझाव यह है कि रक्षित विद्युत उत्पादन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। हो सकता है किसी को तेलशोधक कारखाना स्थापित करना हो। उसे इस पर 7,000 से 8,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। उसे 90 मेगावाट से अथवा 100 मेगावाट के विद्युत संयंत्र की आवश्यकता पड़ेगी।

हम उसे अपने 'ग्रिड' से बिजली क्यों दें ? इससे बेहतर यह होगा कि उसे अपना स्वयं का रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने को विवश किया जाये जैसाकि हमने इस्पात कारखानों, कोयला खदानों अथवा कुछ तेल शोधक कारखानों में किया है। एक चीज जो होने वाली है। जिसके बारे में मुझे बताया गया और मुझे विश्वास है - कि उद्योगों द्वारा रक्षित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु, मूल्यह्रास की 100 प्रतिशत भरपाई की जानी चाहिये। मुझे याद है कि मैंने परामर्शदात्री समिति की बैठक में वित्त मंत्री से इस पर चर्चा की थी और उनकी यह चिन्ता ठीक ही थी कि यदि ऐसा किया गया तो हम आयात किये गये ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकेंगे। मुझे बताया गया था विद्युत उत्पादन में निम्न ग्रेड के रेजीड्यूल ईंधन तेल, जो तेल शोधक कारखानों से निकला एक प्रकार का अपशिष्ट है, का बड़े स्तर पर उपयोग किया जाना अच्छा और अपेक्षाकृत सस्ता होगा। मुझे यह भी बताया गया था कि इस विद्युत उत्पादन की लागत वास्तव में एक तिहाई तथा आधी होगी। अतः, मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह रक्षित विद्युत उत्पादन के लिये कुछ और वित्तीय प्रोत्साहन देने पर विचार करें जो अत्यंत उपयोगी होगा।

मैं दूसरी बात, अर्थात् विदेशी निवेश पर आता हूँ। खान और खनिज संशोधन अधिनियम पर चर्चा के दौरान मुझे श्री निर्मलकान्ति चटर्जी का भाषण सुनने का अवसर मिला था। मुझे अनुभव हुआ कि ये लोग ईस्ट

इंडिया कंपनी को लेकर अभी तक चिंतित हैं। उस समय श्री जसवंत सिंह यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। मेरे विचार से यह देश इतना कमजोर नहीं है और हमारे यहाँ के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश पर फिर से कब्जा जमाने देंगे। सौभाग्य से, मीर जाफर, जैसे लोग अब नहीं हैं क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त है। यदि इस देश में विदेशी पूँजी निवेश होता है, तो इस देश पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा बड़े घरानों का अधिकार स्थापित हो सकता है, परन्तु यहाँ पर मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक एक बात कहूँगा। विदेशी पूँजीनिवेश, विशेष रूप से इक्विटी के संबंध में ऐसे निवेश के बारे में, इन दिनों अनेक लेख लिखे गये हैं। प्रचार माध्यमों के बड़े-बड़े दिग्गज भारत में आ रहे हैं और आप जानते हैं कि वे कौन-कौन हैं ? उनमें से कुछ को मैं जानता हूँ और उनसे मैं मिला हूँ। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि दूरदर्शन केन्द्रों तथा भारतीय समाचार पत्रों जैसे भारतीय प्रचार माध्यमों, में उनकी 'इक्विटी' भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। मैं यह इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि उनमें से कुछ ने मुझसे बात की थी। मैं आपसे सच कह रहा हूँ और मुझे इस पर कोई लज्जा नहीं है। मुझे इस पर गर्व है और इसलिये, मैं यह कह रहा हूँ। हम विदेशी पूँजी निवेश का प्रचार माध्यमों के क्षेत्र में स्वागत करते हैं चाहे वह सी.एन.एन. हो अथवा रूपर्ट मर्डोक अथवा कोई और। परन्तु मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि उन्हें अधिकांश अर्थात् 50 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने की अनुमति देना हमारे देश के लिये खतरनाक होगा ? उनका आगमन पहले ही हो चुका है और जी.टी.वी. में ही, रूपर्ट मर्डोक के पास 50 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं और एक भारतीय के पास 51 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं। यदि हमारी कोई नीति है तो वे इसका पालन करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि हमारी नीतियाँ स्पष्ट हैं तो कोई भी विदेशी इनका अनुसरण करेगा। उन्हें भारत जैसा बाजार नहीं मिलेगा जिसमें उनके कार्यक्रम 400 से 500 मिलियन लोगों द्वारा देखा अथवा पढ़ा जायेगा। श्री सैफुद्दीन चौधरी, भारत जैसा बाजार पूरे विश्व में नहीं मिल सकता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : समस्या का कारण हम स्वयं हैं, वे नहीं। यदि हम सही हैं, तो वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

श्री मुरली देवरा : तो फिर आपको इन बातों की चिन्ता क्यों हैं ? कल, आपके नेता ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा कर रहे थे।

हमारी एक-चौथाई जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती हैं और मुझे मालूम है कि हमारे अधिकांश संसद सदस्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। वे भारत में गरीबी, बेरोजगारी आदि की बात करते हैं। वह सब ठीक है परन्तु शहरी क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी, अराजकता, तनाव तथा अपराध का किसी को अन्दाज नहीं है। निस्संदेह, शहरी क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है तथा शताब्दी के अन्त तक प्रत्येक तीन भारतीयों में से एक की रिहाइश दिल्ली, मुम्बई, मद्रास तथा इन जैसे अन्य बड़े शहरों में होगी। अब समय आ गया है जब कि हमें एक राष्ट्रीय शहरी नीति अपनानी चाहिये। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हम विश्व के दूसरे देशों द्वारा की गयी गलतियों को दोहरायें नहीं। लोग कहते हैं कि यदि मुम्बई जाओ तो नौकरी मिल जाती है। परन्तु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मुम्बई में ही रोजगार के अवसर कितने ही बेरोजगारी के कारण मलिन बस्तियों तथा अपराध होते हैं। यहाँ मुझे एक सुझाव देना है। यह सुझाव मैं नौंवी बार दे रहा हूँ। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसलिये मुंबई के रोजगार सेवायोजन कार्यालय में दर्ज बरोजगारों की संख्या में कोई कमी नहीं आयी है, क्या यह सच है ?

श्री मुरली देवरा : मैं मुम्बई अथवा दिल्ली अथवा और कहीं भी रोजगार कार्यालय पर विश्वास नहीं है। आप मेरी बात उद्धृत कर सकते हैं। मेरी बात रिकार्ड की जा रही है और मैं कहता हूँ कि ये इस रोजगार कार्यालय से बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाते क्योंकि लोग वहाँ जाते नहीं हैं। मुझे मालूम हैं मेरी बातें रिकार्ड की जा रही हैं, परन्तु मुझे चिन्ता नहीं है वित्त मंत्री स्वयं यह जानते हे। कम से कम, वह इस संबंध में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिये उनके लिये समस्या उत्पन्न न करें। यदि आप कर सकते हैं तो उनकी सहायता करें।

प्रत्येक बजट में जब भी मैं बोलता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ और वित्त मंत्री इसे जानते हैं। प्रत्येक बजट में, वह आर्थिक सुधारों की बात करते हैं। एक चीज होती शहरी भूमि हदबंदी जिसे समाप्त कर देना चाहिये। दिल्ली, मुम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में हजारों एकड़ भूमि अभी भी उपलब्ध है जहाँ पर मकान बनाये जा सकते हैं। दक्षिण मुम्बई, जहाँ का मैं हूँ, और जिसकी तुलना मैंने 'हैट्टन' से की जाती है, कोई नवविवाहित युवक जिसकी शिक्षा अमेरिका अथवा किसी अन्य देश में हुई हो और जो मातृभूमि की सेवा करना चाहता है एक छोटा सा फ्लैट पाने की आकांक्षा नहीं कर सकता है। चाहे उसे 30,000 रुपये प्रति माह तथा उसकी पत्नी को 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा हो। इतने धन से भी उसे एक कमरे तथा एक रसोई का छोटा सा फ्लैट नहीं मिल सकता है। एक मकान के लिये 30 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ता ही चूँकि वे इतनी धनराशि नहीं चुका सकते। इसलिये उन्हें अपने घर से कार्य-स्थल तक डेढ़ घंटे की यात्रा करनी पड़ती है। अतः शहरी आवासों के निर्माण हेतु विशाल निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। भूमि उपलब्ध ही परन्तु यह नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, जो मेरे विचार से एक मूर्खतापूर्ण तथा प्रतिगामी अधिनियम है, जिसे भारत सरकार ने भारत के लोगों पर थोप दिया है, समाप्त किया जाना चाहिये। इसमें संशोधन अथवा इसका उत्पादन किया जाना चाहिये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्रीमती शीला कौल को सक्रिय बनाइये।

श्री मुरली देवरा : मैंने कितनी बार उनसे कहा है। श्री रामकापसे ने अपने भाषण में एक उर्वरक संयंत्र के लिये अपेक्षित विशाल पूँजी के संबंध में कहा है और इससे कितने रोजगार का सृजन होता है ? दूसरी ओर आवास निर्माण क्षेत्र में न्यूनतम पूँजी से अधिकतम रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इससे केवल रोजगारों का ही सृजन नहीं होगा। बल्कि इससे सीमेंट, इस्पात तथा अन्य अनेक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूँ कि केबिनेट की अगली बैठक में जाने से पहले वह यह सुनिश्चित करें कि इस नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का उत्पादन करने हेतु प्रस्ताव रखा जाये।

(व्यवधान) मैं वित्त मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को समाप्त किया जाये, 'नाबार्ड' की तरह एक शहरी मूलभूत संरचना बैंक (अर्बन लैंड इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक) की नितान्त आवश्यकता है। यह इस बैंक से पुलों, जलापूर्ति, मलजल व्ययन परियोजनाओं, कलकत्ता मेट्रो आदि जेसी शहरी मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया जा सकता है। इन परियोजनाओं की रोजगार क्षमता का सहज की अनुमान लगाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, चम्बल वैली फैक्टरी, कोटा में 11 हजार करोड़ रुपया इनवेस्ट हुआ है और केवल सवा तीन सौ आदमी काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि फर्टिलाइजर फैक्टरी से रोजगार की योजना बनेगी। इसी प्रकार कोटा की श्रीराम सीमेंट फैक्टरी में 700 करोड़ इनवेस्ट हुआ है जहां केवल 200 आदमी काम कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि सीमेंट फैक्टरी भी रोजगारोन्मुखी बनेगी तो यह कैसे होगा ?

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा : मैंने कहा कि यदि घर बनाने की स्कीमें बड़ी होंगी तो सीमेंट की इंडस्ट्री के लोग शोर कर रहे हैं कि सीमेंट बिक नहीं रहा है। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं माफी मांगता हूं और आपसे हार मान रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के बारे में एक और बात कहना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इस पक्ष पर अधिक ध्यान दें। दुर्भाग्यवश वह इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं। प्रतिभूति घोटाले पर भी संयुक्त संसदीय समिति में हमने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के बारे में चर्चा की थी, परसों एक अल्प सूचना प्रश्न पूछा गया था और श्रीमती कृष्णा साही उसका उत्तर दे रही थीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसे सही कीजिये, वह उत्तर नहीं दे रही थीं।

श्री मुरली देवरा : सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के 37 उपक्रमों में विनिवेश के पहले चरण में 3,038 करोड़ रुपये की आय हुई। वित्त राज्य मंत्री श्री मूर्ति, कृपया इसकी जानकारी वित्त मंत्री को दें। यहां मैं इस बात का उल्लेख करने का प्रयास कर रहा हूं कि माननीय उद्योग मंत्री ने उत्तर देते समय कहा था कि उनके पास शेयरों की नीलामी करने की कुछ योजनाएं हैं, यह सही योजना नहीं हैं।

4.00 म.प.

यह सही दावा नहीं हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं वित्त मंत्री के ध्यान में शेयरों के विनिवेश के कुछ आंकड़े लाना चाहता हूं। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मामले में शेयरों का विनिवेश 20 प्रतिशत था। शेयर का बाजार मूल्य 130 रुपये के विपरीत इसे 38.10 रुपये में बेचा गया। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मामले में शेयरों का विनिवेश 20 प्रतिशत था। इसका बाजार मूल्य 290 रुपये था जबकि इसे 46.30 रुपये में बेचा गया। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के मामले में बाजार मूल्य 75 रुपये था जबकि इसे 13.20 रुपये में बेचा गया। बी.एस.एन.एल. के मामले में, 1700 करोड़ रुपये शेयर के बाजार मूल्य के विपरीत इसे 123.30 रुपये में बेचा गया। अब आप ही बतायें यह लूट है अथवा कुछ और।

मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसे मट्ठीभर संगठनों को लाने की प्रणाली समाप्त की जाये। मैं कहूंगा कि विनिवेश की आवश्यकता है। भारत सरकार के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह 51 प्रतिशत से अधिक शेयर अपने पास रखे। 51

प्रतिशत के अतिरिक्त शेयर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से 49 प्रतिशत शेयरों में से प्रत्येक शेयर को विनिवेश किया जाये। सरकारी क्षेत्र के शेयर किसी भी मूल्य पर बेचे जाने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि एक समुचित मूल्य तन्त्र का अनुपालन किया जाये और समुचित मूल्य तन्त्र का अनुपालन केवल समुचित इक्विटी अनुपात से ही हो सकता है। मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इन शेयरों को शेयर बाजार में उद्धृत करने की अनुमति दी जाये।

भारत में विश्व बैंक के ऋण की उपयोग में न लाई गयी भारी धनराशि पड़ी है। 15मिलियन डालर से अधिक की धनराशि का ऋण लिया गया है और जिसके लिए हम वायदा प्रकार दे रहे हैं, उसका अभी भी उपयोग नहीं किया गया है। इसमें अत्यधिक विलम्ब हुआ है और इस कार्य को सुगम तथा कारगर बनाने की आवश्यकता है। यदि वित्त मंत्रालय द्वारा धन वितरित ही नहीं किया जाता है, तो कलकत्ता मैट्रो के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने का क्या प्रयोजन है; मुम्बई जल आपूर्ति परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण लेने का क्या प्रयोजन है ? इसमें असाधारण विलम्ब हुआ है। इसे परियोजना के मूल्यांकन स्वीकृति तथा कार्यान्वयन के समय से ही सुगम और कारगर बनाया जाना चाहिये। मैं ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति का आभारी हूं जहां से मुझे पता चला है कि कुछ स्वीकृत परियोजनाओं को बीच में धनराशि नहीं दी गयी। उदाहरण के लिऐ 1989 में स्वीकृत किये गये मुम्बई के तारापुर चार और पांच परमाणु संयन्त्रों के लिए केवल 700 करोड़ रुपये मिले थे और अब इनकी लागत तीन गुना बढ़ गयी है। इसी प्रकार हमने परिवार नियोजन कार्यक्रमों और अन्य स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से स्वीकृत ऋण का केवल 8 प्रतिशत भाग का ही उपयोग किया है। मैं कहता हूं कि सरकार द्वारा किये गये सभी वायदों को पूरा किया जाना चाहिये।

मुझे यह जानकर आघात पहुंचा है कि जो सरकार उदारीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता तथा इस तरह की अन्य बातें कर रही है, उसमें 1000 रूई की गाठों का निर्यात करने का वायदा किया था, किन्तु अब सरकार ने महाराष्ट्र रूई संघ को निवेश दिया है कि इस वायदे को पूरा नहीं करना है। यह सही नहीं है। एक बार किया गया वायदा, चाहे वह सरकार करे अथवा कोई गैर-सरकारी निगम अवश्य पूरा किया जाना चाहिये। अन्यथा, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश का नाम कहीं नहीं रहेगा। मुझे बताया गया था कि पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय राज सहायता देने के लिए कुछ वायदे किये गये थे। यहां, कुछ माननीय सदस्य सिलवासा, दादरा और नागर हवेली में पिछड़ा क्षेत्र विकास की बातें कर रहे थे, 1986 में उद्योगों को धनराशि दिये जाने संबंधी वायदे का क्या हुआ ? वह धनराशि अभी तक नहीं दी गयी है। सिलवासा और दादर तथा नगर हवेली जैसे पिछड़े क्षेत्रों में जाने का क्या औचित्य है ? आप जानते हैं कि भारत सरकार 20 प्रतिशत राज सहायता दे रही है। यह धन उसी तक वितरित नहीं किया गया है, अतः इसे विपरित किया जाये।

महोदय, यहां पर हमारे दो प्रमुख विपक्षी दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर बना वामपंथी मोर्चा है। मैं अपने मित्र ज्योति बसु को बधाई देता हूं, उनके दल के प्रतिनिधियों द्वारा वित्त मंत्री के सुधारों तथा उदारीकरण नीति का पूर्णतः विरोध करने के बावजूद श्री ज्योति बसु यहां बनाई जा रही नीतियां के अतिरिक्त नीतियों भी कार्यान्वित कर रहे हैं, वह डा. मनमोहन सिंह से बहुत आगे हैं।

जब मुम्बई से कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े औद्योगिक गृहों के कुछ अधिकारी कलकत्ता गये, तो

श्री ज्योति बसु ने उन्हें कलकत्ता जिमखाना में बढ़िया भोजन कराया। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। भारत में केवल पश्चिम बंगाल राज्य ही ऐसा है, जिसने दूध की डेरी का भी निजीकरण कर दिया है। वह वीरेन शाह की कम्पनी है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई दे रहा हूं। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं। अब कलकत्ता मैट्रो का उदाहरण लें। विश्व बैंक से दिया गया पहला ऋण इसे ही दिया गया था। श्रीमती गीता मुखर्जी इस बारे में जानती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह गलत बात नहीं है। यह सरकारी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। सरकारी क्षेत्र की तरह यह देश के लिए हानिकारक है।

श्री मुरली देवरा : मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। जब इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के निजीकरण का प्रश्न आया था, ज्योति बसु पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इसका समर्थन किया था। आप अच्छी तरह जानते हैं। आप लोग, चाहे श्री सैफुद्दीन चौधरी हों या श्री निर्मल चटर्जी अथवा श्री सोमनाथ चटर्जी और आपके मित्र कुछ भी कह सकते हैं, अतः, महोदय, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर : वे देश में साम्यवाद का निर्यातोन्मुखी फर्म चला रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : वे दोहरी नीति अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अनाई जा रही पहली नीति देश की प्रगति के लिए अच्छी है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि श्री सैफुद्दीन चौधरी, श्री निर्मल चटर्जी और और श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे माननीय सदस्यों को यह बात महसूस हो रही है, वे महसूस कर रहे हैं कि देश में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस देश को कंगाल बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इस देश को पुराने और मूर्खतापूर्ण विनियम, जिसका हम अनुकरण करते आये हैं, का शिकार और नहीं बनाया जा सकता है। मेरा कहना है कि कृपया जागिये और देखिये कि जिन अधिक सुधारों का आप अपने राज्य में समर्थन कर रहे हैं, उनका यहां भी समर्थन कीजिये।

दूसरा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है। वे सारे विश्व में सबसे बड़े ढोंगी हैं। मुझे यह कहने में शर्म आती है। जब कभी श्री आडवाणी - दुर्भाग्य से श्री जसवन्त सिंह बाहर गये हैं, मैं उनकी अनुपस्थिति में कुछ नहीं कहना चाहता - मुम्बई आते हैं, वह श्री टाटा, श्री बिरला और श्री नानी पालखीवाला से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि जो आर्थिक सुधार किये जा रहे हैं वह उनकी पार्टी के हैं, ये उनके कार्यक्रम हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है। वे यहां तक कहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो डा. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनायेंगे। डा. मनमोहन इतने नादान नहीं हैं जो वहां जाकर उनके वित्त मंत्री बनेंगे हरकोई जानता है कि वे कभी भी सत्ता में नहीं आयेंगे, ऐसा ढोंग नहीं करेंगे। जब श्री वीरेन शाह और श्री जसवन्त सिंह वाणिज्य, सी. सी.आई., फिक्की और एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जैसे आर्थिक मंचों पर जाते हैं और आर्थिक सुधारों पर बोलते हैं, तो वे कहते हैं कि वे आर्थिक सुधारों के लिए हैं, यहां पर वे कहते हैं कि भारत सरकार ने अपनी आत्मा और प्रभुसत्ता दोनों ही विश्व बैंक को बेच दी हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

मैं आपको 28 फरवरी, 1994 के टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। मैं दिल्ली आ रहा था, विमान में मैंने यह रिपोर्ट पढ़ी, मैं केवल एक पंक्ति उद्धृत करूंगा।

बजट-हैन्डिवर्क ऑफ वर्ल्ड बैंक - आडवाणी

(विश्व बैंक द्वारा बनाया गया बजट - आडवाणी)

बजट प्रस्तुत नहीं किया गया था, मैं नहीं जानता कि क्या श्री आडवाणी के पास कोई ज्योतिषी है, जिसने उन्हें बताया हो कि बजट विश्व बैंक द्वारा तैयार किया जायेगा, यह अच्छी बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : इस बार का बजट भले ही मनमोहन सिंह जी ने बनाया है, लेकिन आपके मार्गदर्शक तो वे ही हैं।

श्री मुरली देवरा : इसलिए शायद हमने कुछ पैसा उनका वापस कर दिया, **(व्यवधान)** लेकिन जोशी जी, जो बात आप कह रहे हैं वैसा आडवाणी जी ने नहीं कहा।

[अनुवाद]

महोदय, मुझे आशा है कि आगामी चुनावों में हमारे देश में ऐसा समय आयेगा जब मंदिर का निर्माण अथवा जाति अथवा चाहे आप अनुसूचित जाति के हों अथवा चाहे आप कोई विशेष भाषा बोलते हों अथवा आप किसी राज्य विशेष के हों, ये चुनावी मुद्दे नहीं रहेंगे।

मुझे आशा है कि भारत के लोग उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों को उनके आर्थिक कार्य-निष्पादन के आधार पर चुनेंगे। लोगों को निर्णय लेने दीजिये कि हमने कैसी आर्थिक सम्पन्नता का वचन दिया था ; और हमने 2½ वर्षों में ही उसे प्राप्त किया है अथवा नहीं; क्या हमने वायदे पूरे किये हैं अथवा नहीं। सत्ताधारी किसी भी सरकार का आर्थिक कार्य-निष्पादन चुनाव की कार्यसूची में होना चाहिये। यही वास्तविक मुद्दा होना चाहिये न कि मंदिर और जाति।

मुझे खेद है कि अपने भाषण के अन्त में श्री राम कापसे ने कहा है, '' जब भारत के लोग मत देंगे, तभी उन्हें पता चलेगा।'' उन्होंने निश्चय किया है। किसी अन्य ज्योतिषी ने उनसे कहा है कि उनकी पार्टी सत्ता में आयेगी। उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं मैं समझता हूं उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, अभी हमारे माननीय सदस्य मुरली देवरा जी बोल रहे थे, उन्होंने जो बातें कहीं . . . **(व्यवधान)** . . .

4.12 म.प.

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

सभापति जी, अभी मुरली देवरा जी ने हमारी जो नई इकौनौमिक पौलिसी है, आर्थिक नीति है, उसका हवाला देते हुए, मनमोहन सिंह जी और प्रधानमंत्री जी के सपने की बात कही और उनके सपनों का सदन में रखने का भरपूर प्रयास किया। मैं इस वर्ष के बजट पर अपनी बात शुरू करते हुए, दो-तीन मुख्य मुद्दों की तरफ सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोई कौम, कोई देश और कोई देश और कोई समाज बगैर

सपना देखे नहीं बनता। हरेक के अलग-अलग सपने हो सकते हैं, लेकिन हमें उन सपनों पर विचार करने का काम शुरू करना चाहिये। आजादी की लड़ाई के समय में महात्मा जी ने एक सपना देखा था जो गांव और देहात से शुरू होता था। एक सपना महात्मा जी ने वह भी देखा था, जब हिन्दुस्तान गुलाम था और गुलामी में हमारी हालत को देखते हुए उन्होंने एक सपना देखा था कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के यहां आने के बाद, अंग्रेजों ने यहां की राजसत्ता पर कब्जा करने का सपना क्यों देखा और क्यों उसका प्रयास किया। यदि उस समय के सारे इतिहास को पढ़ें, इतिहास का मननकरें तो पता चलेगा कि उसके बाद महात्मा जी को अहसास हुआ कि हमारे देश का जो उद्योग था, यद्यपि वह सिर्फ हमारी उंगलियों पर था। फिर भी उसका ऐसा जलवा उस वक्त था कि पूरे यूरोप का बाजार उसके माल से भरा रहता था, पटा रहता था। यूरोप की जो मशीनी सभ्यता थी, उस सामान के सामने टिक नहीं पा रही थी, उसे मार नहीं पा रही थी। जब वह किसी तरह से उसको मार नहीं पाई तो ईस्ट इंडिया कम्पनी के सब प्रयास खत्म होने के बाद, अंतिम प्रयास उनका यह था कि हिन्दुस्तान की राजनैतिक सत्ता पर कब्जा किये बगैर हम हिन्दुस्तान के कुटीर उद्योग को या हाथ के धंधे को बर्बाद नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, उसी सपने के बाद महात्मा जी ने अपने तन पर मशीन के कपड़े को पहनना छोड़ दिया था। गांधी जी ने खुद सूत को कातने का काम किया, उसको पहनने का काम किया और उन्होंने पूरे नहीं अधूरे वस्त्र पहने। देश की आजादी की जंग लड़ने वालों को कहा कि आजादी की लड़ाई वह आदमी लड़ नहीं सकता जो हिन्दुस्तान की चीजों को इस्तेमाल करके सत्याग्रह के जेल के दरवाजे पर नहीं पहुंचेगा। यानी देश में आजादी के दौर में लोगों ने जेल के भीतर अनशन किया कि हमें खादी का चरखा दो, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे तो ऐसी बातों से पूरा इतिहास भरा हुआ है। गांधी जी ने एक सपना देखा था कि हिन्दुस्तान का जो आदमी है, इस मौके पर मैं एक पत्र का जिक्र करना चाहता हूं। आइनस्टाइन साहब को जब यह पता चल गया कि गांधी जी विज्ञान के, मशीन के बहुत खिलाफ हैं तो उन्होंने उनको एक पत्र लिखा तो जब गांधी जी ने उस पत्र का जवाब दिया, तो मैं मुरली देवरा जी आपको बताना चाहता हूं कि आज भी वह पत्र ही हमें दिशा दिखाने वाला हो सकता है, नहीं तो यह मुल्क बर्बादी से नहीं बच सकता।

महोदय, मैंने इस पूरे बजट की दो स्पीच सुनी हैं। हमने इसको बहुत मजाक से चलाया और मैंने कई बजट देखें हैं लेकिन जितना गंभीर और हास्य से भरा हुआ यह बजट है और इस बजट से हम कहां पहुंच रहे हैं इस पर जितनी आज बहस की जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। मैं बजट पर बहुत कम बोलता हूं लेकिन इस बार इस पर बोलने के लिए इसलिए आया हूं कि इस बजट से मेरे मन में बहुत आशंका है और उन आशंकाओं के रहते हुए मैं आइनस्टाइल के पत्र के बारे में आपको बता रहा था, कि इसमें जब महात्मा गांधी जी के बाद आइनस्टाइन साहब ने वापसी में लिखा तो उस पत्र में उन्होंने यह आशंका की कि आप तो विज्ञान और मशीन के खिलाफ हैं, तो गांधी जी ने कहा कि आपको किसी एक मेरे मित्र ने बहुत बढ़िया सूचना दी, आप इस दुनिया में गलतफहमी में चले जाते और मैं आपको अपनी सफाई पेश नहीं कर पाता। गांधी जी ने जो पत्र लिखा वह ऐसे था कि ईसानी सभ्यता में जिन चीजों की भी खोज हुई है, चाहे मशीन हो या कोई भी चीज हो वह इंसान की खिदमत के लिए है। आइनस्टाइन साहब , आप नहीं जानते कि मशीन ने हमारे देश के पेट की आंतों को किस तरह काटा। हमारे देश के दस्तकारों के जीने को किस तरह कठिन किया। उनके हाथों को किस तरह निकम्मा

बनाया। मैं उस मशीन के खिलाफ हूं जो मशीन दुनिया के इंसान की मदद नहीं करती है, बल्कि उसको बेरोजगार और तबाह कर रही है। मुरली देवरा जी, आपने जितनी बातें कहीं हैं मैं यकीनन कहता हूं कि आपकी बदनियत नहीं है। आपने कहा है कि इस बजट से क्या-क्या होगा, यानी आपने इनका जो सपना है उसमें अपने सपने को मिला कर के सारी चीजें कही हैं। एक सपना गांधी जी का था वह सपना बिल्कुल अलग है, मशीन की जगह हाथ होगा, बड़ी मशीन की जगह छोटी मशीन होगी। इस हिन्दुस्तान की 70-80 फीसदी आबादी गांवों और खेतों में रोजगार पाती है। पहले उन गांवों को उठाना पड़ेगा। मैं गांधी जी के सपने के बारे में बताता हूं, उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में आजादी आएगी, तो उसको किस तरह से परखना है। हिंदुस्तान का सबसे कमजोर आदमी दिहाड़ी मजदूर है, उसकी जिंदगी में यदि कोई फर्क आएगा, उसके चेहरे पर चमक में कोई अंतर आएगा तो समझ लेना कि मुरली देवरा और मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत आंकड़े ठीक हैं और यदि दिहाड़ी मजदूर की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आता है, उसके चेहरे की चमक में कोई अंतर नहीं आता है, तो दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए लोगों को उखाड़ने का, उनको तबाह करने का संकल्प ले लेना, चाहे जान जाए या रहे, तब तक हमारी आजादी मुकम्मल नहीं हो सकती, यह गांधी जी ने कहा था, उन्होंने यह सपना देखा था। मणिशंकर जी बैठ जाइए, मुझ जैसे छोटे व्यक्ति की बात भी सुन लीजिए। . . . **(व्यवधान)**

महात्मा जी ने जिस आजादी का सपना देखा था, वह सपना अभी साकार नहीं हुआ है। इसी तरह से मार्क्स और माओत्सेतुंग ने भी एक सपना देखा था। आप कम्युनिजम और मार्क्सवाद के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। . . . **(व्यवधान)** . . .

इन्द्रजीत जी, हम तो आपके छोटे भाई हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि रूस के टूटने पर इन लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की थी, कहते थे कि उनकी बुरी हालत हुई है, लेकिन इन्द्रजीत बाबू, मार्क्स का वह सपना अभी टूटा नहीं है, चीन खड़ा है और हमारे से ज्यादा मजबूती से खड़ा है। कश्मीर समस्या के सवाल के जेनेवा में उठने पर आपकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन तिब्बत का सवाल उठने पर चीन की हालत खराब नहीं होती, क्योंकि चीन अपने सपनों के जरिए इतना मजबूत है कि वह अमरीका को ललकार कर कह देता है कि इन्सान के बारे में तुम्हारा सपना अलग है और हमारा सपना अलग है। मार्क्स ने एक नए इन्सान का सपना देखा था, इसको तय नहीं मान लेना चाहिए कि मार्क्स का वह सपना टूट गया है। . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : आप अपने बारे में भी तो कुछ बोलिए।

श्री शरद यादव : नायक साहब, आप जिस खादी को पहनते हो और जिस पार्टी में हो, वे दोनों बरबाद हो चुके हैं इसलिए यह बात आपको कतयी समझ नहीं आएगी।

श्री मृत्युंजय नायक : ईराक वार के समय, उस समय आप रीफ्यूलिंग कर रहे थे ?

श्री शरद यादव : ईराक वार के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि महात्मा जी ने यह सपना देखा था। चन्दू लाल चन्द्राकर जी यहां बैठे हैं, गांधी जी की लाश इनके सामने गिरी थी। नया इन्सान बनाने का एक सपना मारक्स ने, माओ ने लेनिन

ने देखा था और हिन्दुस्तान में नया इन्सान बनाने का, नया देश बनाने का सपना महात्मा गांधी ने देखा था। वह नया इन्सान, नया देश गांव से बनेगा, दिहाड़ी मजदूर से बनेगा। नायक साहब फूलबनी से आते हैं, जहां पर देश के सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर, 52 परसेंट दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, लेकिन नायक साहब इतने तंदरूस्त हो रहे हैं, लगता है कि उन दिहाड़ी मजदूरों की सारी समस्याओं का इन्होंने समाधान कर दिया है। इनके चेहरे पर कोई बैचेनी नहीं है, आपकी तंदरुस्ती बढ़ रही है और वहां लोग भूखों मर रहे हैं। आप यहां पर शाउटिंग ब्रिगेड के लीडर बने हुए हैं, जब खड़े हो जाते हैं तो और कोई बोल नहीं पाता है। . . . **(व्यवधान)** . . . एक बात और सुनिए नायक साहब, आपके काम की है, क्योंकि आप फूलबनी से आते हैं। एक सपना महात्मा गांधी ने देखा था और एक सपना गांधी जी के से सपने से हट कर जवाहर लाल जी ने रूस, चीन और यूगोस्लाविया को देख कर देखा था।

पब्लिक बनाने का सपना था यानि 45 वर्षों में कितनी अरब संपत्ति उसमें लगी हुई है, इसका कोई जिक्र मैं नहीं करना चाहता। जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद सपना देखा था। उनका आदर्श रूस, यूगोस्लाविया और चीन का था। खाद, स्टील जैसे मामलों में हमारे देश के पूंजीपति नहीं जाना चाहते क्योंकि उसमें कमाई कम होती है। जो बुनियादी चीजें हैं जैसे बिजली आदि के कारखाने और डैम आदि तो उन्होंने कहा कि ये हमारे आधुनिक तीर्थ हैं। पूरी दुनिया बदल जाने के बाद हमारे देश में मनमोहन सिंह जी के बदले नरसिंह राव जी ने देखा है। उस सपने से संबंधित मुरली देवरा जी का सपना है . . . .**(व्यवधान)**

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : क्या श्री वी. पी. सिंह ने सपना नहीं देखा ?

श्री शरद यादव : ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में आतंकवाद खत्म हो गया है। लेकिन आपकी मूंछे देखकर लगता है कि खत्म नहीं हुआ है। आप जब खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि जेब से कोई चीज आपके हाथ में न आ जाए। . . . **(व्यवधान)** . . . हमको पंजाब में जाकर देखना पड़ेगा कि वहां आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं। श्री वी. पी. सिंह आयेंगे या श्री नरसिंह राव आयेंगे, यह कोई बड़ी चीज नहीं है। श्री नरसिंह राव सरकार में हैं, इसलिए यह बात कह रहा हूं। . . . .**(व्यवधान)** . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुद्दे पर आइये। इस पर सौ सदस्य बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : महोदय, वह हमारे दल के नेता है, उन्होंने अभी अपना भाषण शुरू किया हैं, उनके भाषण में व्यवधान मत डालिये *. . .

सभापति महोदय : इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : सभा की ऐसी परम्परा नहीं रही है। * . . . उन्होंने अपना भाषण शुरू ही किया है। *

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : आजादी की लड़ाई को आप गहराई से जानते हैं और जिस तकलीफ के दौर से गुजरे हैं तो आपके मन को लगता होगा . . . . .**(व्यवधान)** . . . आप उनको नहीं रोक रहे हैं, परंतु मुझे रोक रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री नीतिश कुमार : महोदय आप जानते हैं कि संसद की यही जीवनचर्या है, **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : क्या आप समझते हैं कि संसद की जीवनचर्या के बारे में जाते हैं और अन्य सदस्य ऐसा नहीं जानते ?

(व्यवधान)

श्री नीतिश कुमार : अन्यथा यह सभा एक नीरस चैम्बर बनकर रह जायेगी।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : जिंदगीभर मनमोहन सिंह जी की तारीफ की जाती है तो वे तारीफ के लायक आदमी हो सकते हैं। मेरी नजर में उनके आने के बाद जो देश बनेगा और जो देश आयेगा वह किस तरह भुगतेगा। इनका जो नया सपना है जिसको मुरली देवरा जी ने तौरतरीके से रखने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि संसद में जबसे सरकार आई है, तो एक फैशन बन गया है।

1990-91 में यह देश बहुत भारी संकट में फंसा हुआ था। जब भी मनमोहन सिंह जी का भाषण होता है या सरकार की तरफ से कोई बोलेगा तो यही कहेगा कि इस दौरान देश में भारी संकट था और हमने उस संकट को टाला और देश को उबारा। किस बात का संकट था ! उस समय फारेन रिजर्व डेंजरस पाइंट से नीचे चला गया था। औद्योगिक उत्पादन 8 प्रतिशत था। हमें भूलना नहीं चाहिए कि वही जमाना था 1990-91 का जब कुवैत और इराक में युद्ध चल रहा था और क्रूड आयल के दाम 18 डालर प्रति बैरल से 40 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गये थे।

मैं देवरा जी की एक बात से सहमत हूं कि इस देश को हमने संकट में खड़ा किया और इसलिए उबार नहीं पाये क्योंकि हमने गांधीजी का रास्ता छोड़ दिया है। वह रास्ता अगर नहीं छोड़ा तो आज हम किसी संकट में नहीं फंसे होते।

इस देश में तेल हमारी फांसी बन गया है। एक प्रकार से संकट बन गया है। वह इसलिए हो गया है कि हम लोग ही सबसे ज्यादा इस तेल को पीते हैं। हिन्दुस्तान की गरीब जनता का काम यदि देखा जाये हमारे देश से निकलने वाले तेल से ही चल सकता है। आपने कहा कि हम तेल की खोज के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनीज को बुलाना चाहते हैं। यदि हमें तेल के संकट से उबरना है तो निश्चित तौर पर उनको बुलाना चाहिए और तेल की खोज करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास इतनी कुवत नहीं है, हमारे पास पैसे और साधन नहीं हैं, हमने अपने देश को ऐसा बनाया और ऐसी जगह लाकर खड़ा किया कि हम देश को मजबूत नहीं सके। इसलिए तेल नहीं निकाल

सकते। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि तेल की खोज के लिए अगर हमें राक्षस से भी समझौता करना पड़े तो वह भी करना चाहिए। इसी तरह से बिजली का सवाल है। हिन्दुस्तान में बिजली का संकट हल करने के लिए हमें इसी तरह से बहुराष्ट्रीय कम्पनीज तो क्या राक्षस से भी हाथ मिलाना चाहिए। लेकिन यहां तो एक फैशन बन गया है, यह कहना कि 1990-91 में देश में भारी संकट था।

आज क्रूड आयल का भाव 13 डालर प्रति बैरल है। मनमोहन सिंह जी सोचें कि यदि आज 40 डालर प्रति बैरल क्रूड आयल का भाव हो जाये तो देश में कैसा संकट पैदा होगा ? आप कह रहे हैं कि 13 बिलियन डालर्स की विदेशी मुद्रा का हमारे पास भण्डार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें से आपकी कमाई कितनी है ? यह जरूर साफ करना चाहिए।

यहां पर एन.आर.आई. के बारे में कहा कि वे यहां पूंजी लगा रहे हैं और इसके लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। चीन में भी वहां के एन.आर.आई. वहां पर निवेश कर रहे हैं। आज का चीन माओ-त्से-तुंग की वजह से खड़ा हुआ है, वहां के एन.आर.आई. और हमारे एन.आर.आई. में बहुत फर्क है। ऐसे ही हमारा देश जिस आदमी से खड़ा हुआ है वह आदमी महात्मा गांधी है। उस गांधी के सपने से देश खड़ा होता तो बात ही अलग होती। आपने कल राज्य सभा में कहा कि अयोध्या के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बहुत से एन.आर. आइज भाग गये। बम्बई में जब बम फूटा तो बहुत से भाग गये। हमारे एन.आर.आइज चीन जैसे मजबूत मन वाले लोग हैं जब हिन्दुस्तान में पत्ता खड़केगा तो एन.आर.आई. सटकेगा। फिर आपका 13 बिलियन डालर का फारेन एक्चजेंज रिज़र्व कहां बचेगा ? कर्जा आप पर है 90 बिलियन डालर। अब आप फर्क देख लीजिये। आप कैसे चुकायेंगे यह सब ? आपकी आर्थिक समीक्षा 1993-94 में साफ लिखा है कि उद्योग में मंदी है। खेती में सटेगनेशन है तो जब महंगाई बढ़ेगी आप कैसे कह सकते हैं कि सब ठीक है ? आप कह रहे हैं कि-1990-91 के चलते बहुत आगे आ गये हैं। उस समय औद्योगिक उत्पादन बढ़ा 8 प्रतिशत और आज बढ़ा है 1.6 प्रतिशत तो आप एक तरफ बढ़ते हैं और दूसरी तरफ गड्ढे में गिरते हैं। यह है आपकी आर्थिक स्थिति जो कभी स्थिर नहीं है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारा फारेन एक्सचेंज रिज़र्व भरा हुआ है लेकिन मैं वित्तमंत्री से साफ चित्र चाहता हूं कि आपने कितना एक्सपोर्ट करके कमाया, कितना एन.आर.आइज के द्वारा आया, कितने बाहर के लोगों ने कमा कर दिया है और कितना विदेशी लोगों का पैसा शेयर मार्किट में लगा हुआ है ? इसलिये हम कहते हैं कि 1994-95 में ऐसी खतरनाक स्थिति में जायेंगे, डैबट ट्रेप में रहेंगे लेकिन आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। भगवान न करे कि ऐसा हो क्योंकि हम उसके भरोसे ही हैं।

आपने कहा कि आपको काफी उपलब्धियां हुई हैं लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि जब तक आप चित्र स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ मालूम नहीं होगा। आपने राजस्व घाटा 58 हजार करोड़ बताया है और बजटी घाटा आपका 6000 करोड़ रुपये है तो इस सब के लिये आपने कितनी कसरत की है। आपने अब तक तीन बजट घाटे के पेश किये हैं और मैं इस बात को मानता हूं कि आपने आई.एम.एफ. के मानदंडों के अनुसार इस बजट को बनाया है।

अब ये चौथा बजट क्यों बनाया आपने ? घाटा तो कम हुआ नहीं लेकिन घाटे को कम करने के लिए आपने कौन-कौन से काम नहीं किये ? घाटे को कम करने के लिए आपने बिजली के, खाद के, पानी के दाम बढ़ाए

हैं। आपने चीनी, पैट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए बजट घाटे को कम करने के लिए पिछले कुछ सालों से लगातार घाटा कम करने की आप कोशिश करते हैं, मगर 45 साल में इतना बड़ा 6000 करोड़ रुपए का घाटा वित्त मंत्री ने बड़ी चतुराई से दिखाया है किस तरह से राजकोषीय घाटे को बढ़ाया है। दुनिया में दो तीन चीजें झूठ बोलती हैं। हिन्दुस्तान में आंकड़े झूठ बोलते हैं। हिन्दुस्तान में यदि भाषा का सवाल न होता तो हम लोग बच नहीं पाते। यह अंग्रेजी भाषा भी इन आंकड़ों के झूठ साबित करने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया इस देश में बनी हुई है। मेरा आपसे कहना है कि इस घाटे के लिए आपने कितने काम किये हैं और घाटा कम नहीं हुआ है, घाटा और बढ़ेगा। आपके पास कर्ज़ से कमाई इतनी हो गई है कि आप जब कर्ज़ लौटाना शुरू करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा ? 50 फीसदी से शुरू करेंगे तो आपकी हालत क्या होगी ? जो लंबे समय और छोटे समय के कर्जे हैं उनको मिलाकर अगर आप शुरू करेंगे तो मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान कर्ज़ के फंदे में फंसने से रुक नहीं सकता है। मुरली देवरा जी कितना ही सपना दिखाएं लेकिन यह भी सच है कि आपको फंसना है और यह बात मनमोहन सिंह जी भी अंदर-अंदर जानते हैं। यह भयभीत वित्त मंत्री का बजट है जो भविष्य की निराशाओं से भयभीत है।

श्री प्रकाश वी.पाटील (सांगली) : इस निराशा से हम बाहर कैसे आ पाएंगे ?

श्री शरद यादव : वह भी मैं बताऊंगा। मैं अपने अनुभव से बताऊंगा क्योंकि मैं कोई अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं इंजीनियर हूं, गणित का विद्यार्थी रहा हूं लेकिन इकॉनोमिस्ट नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ बजट पर नहीं बोलूंगा उसका विकल्प बता कर जाऊंगा। आपने घाटा कम करने के लिए लगातार चार साल से और इसी बजट के पहले ही चीनी, डीजल, गैस आदि के दाम बढ़ाए हैं।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : बढ़ती आबादी का खर्च कहां से आएगा ?

श्री नीतीश कुमार : यह नरसिंह राव जी से पूछिए।

श्री शरद यादव : अब टाइटलर जी साफ कह रहे हैं। आबादी इनके लिए मजबूरी है। गांठ में सब मुल्क है इसलिए मजबूरी है। फॉरेन रिज़र्व कम हो गया इसलिए बाहर से लाना मजबूरी हो गया। अंदर से हम इतने खोखले हैं कि अगर रूस मदद नहीं करता तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान किस तरह से अपनी आज़ादी बचा पाता ? यह बात सच है लेकिन सच को कहने में जब बीजेपी के लोग बोलते हैं तो वह कहते हैं कि स्वाभिमान की बात है। हाथ ही नहीं, टांग उठाकर बोलते हैं लेकिन आप कितनी ही टांग उठा लो, अगर इंजिन के सामने जाओ तो चाहे कितने ही पहलवान हो, वह तो आपके टक्कर ही मारेगा। अब हमारा मामला सैटल्ड भी है लेकिन जब आप कोई गड़बड़ करते हैं तो आपसे आगे जाकर हम इनकी उठी टांक को नीचे करने का काम करते हैं और कहते हैं कि असभ्यता मत करो।

मैं कहना चाहता हूं कि बजट के घाटे को पूरा करने के लिये वित्त मंत्री जी आपने कितनी कसरत की है, उसे आप भी जानते हैं लेकिन देश सच्चाई मांगता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपका बजट का घाटा और ज्यादा बढ़ेगा कम नहीं होगा और खतरनाक स्थिति तक जायेगा। अभी आपने 6 हजार करोड़ रुपए का घाटा

बताया है, यह और बढ़ जायेगा लेकिन महंगाई को बढ़ने से आप नहीं रोक सकते हैं, वह आपके बस की बात नहीं है। आपने जिन चीजों की तारीख मांगी है, अब वह मैं आपसे कहता हूं। आप कहते हैं कि हमारे पास अनाज का भण्डार है। जब यहां मुरली देवरा जी बोल रहे थे तो कांग्रेस के लोगों ने जोरों से तालियां बजायी थीं। मैं कहना चाहता हूं कि ताली बजाना ठीक है लेकिन तालियां दोनों बातों के लिये हों क्योंकि हमारे एफ. सी. आई. के जो गोदाम हैं, उनमें आज जितना अनाज जमा है, हमारे पौरुष का बहुत ज्यादा हिस्सा उसमें नहीं है। जवाहर लाल नेहरू जी ने जो सपना देखा था, उस सपने का कुछ थोड़ा सा हिस्सा इसमें जरूर है। उन्होंने सपने के अनुसार जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा किया था, बड़े-बड़े डैम बनाने का जो सपना लिया था और उनके चलते जो सिंचाई देश में हुई, उसी के परिणामस्वरूप हम आज अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हुए हैं और एग्रीकल्चर रिवौल्यूशन वहीं हुआ है जहां खेत को हमने पानी से या सिंचाई से जोड़ने का काम किया है। जैसा अभी सैफुद्दीन साहब कह रहे थे, यदि वित्त मंत्री जी मानसून मंत्री बनें तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि इस साल हमारे खेतों में जो उत्पादन हुआ है, वह पिछले साल की तुलना में घटा है और पिछले तीन साल हम मानसून के कारण ही बच पाये हैं। मानसून से तो बचे लेकिन उसके लिये हमने क्या किया। मैं आपको फीगर्स देना चाहता हूं।

वर्ष 1951-52 में हिन्दुस्तान की सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का, गांवों और देहातों की तरफ, योगदान 60 फीसदी था। मैं आपको मोटी बात बताता हूं, बड़ी-बड़ी किताबों में गोता लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। गांधी जी की तरह मोटी बात पकड़ लो। माओ बहुत ज्यादा किताबों में घुसा हुआ व्यक्ति नहीं था। यदि जमीन से जुड़े, रिक्षा और तांगे वाले से बात करोगे तो समझ जाओगे। हिन्दुस्तान में जो आदमी खेत में काम कर रहा है, यदि उसके गीत सुनोगे तो वह दिन भर पानी के गीत ही गाता है। घाघ के गीत अधिकतर मौसम पर हैं। मौसम के कारण ही हमारे देश में खेती का काम चलता है। यदि देश के किसी अंगूठाछाप आदमी को आप वित्त मंत्री बनादोगे तो वह सबसे पहले हिन्दुस्तान के खेतों को पानी से जोड़ेगा। सत्तर फीसदी आदमी आज भी खेती में काम करता है और 1951-52 में 60 फीसदी पूंजी उसके हिस्से में थी लेकिन वित्त मंत्री जी आज उन 70 फीसदी लोगों के हाथ में राष्ट्रीय पूंजी का सिर्फ 30 फीसदी हिस्सा है। इससे हमारी आंखें खुलनी चाहियें। जहां 1951-52 में 70 फीसदी लोगों के हाथ में राष्ट्रीय पूंजी का 60 प्रतिशत हिस्सा था, आने वाले समय में क्या होगा जबकि खेती, गांव और किसानों की तरफ हमारी राष्ट्रीय पूंजी का आज केवल 30 फीसदी हिस्सा रह गया है, जिस काम में इस देश के 70 फीसदी लोग लगे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गरीबी के आंकड़े आप कहां से लाये हैं और क्यों कहते हो कि देश में सम्पन्नता आ रही है। पहले जो 70 फीसदी लोग 60 प्रतिशत राष्ट्रीय पूंजी पर जिन्दा थे, आज वे ही 70 फीसदी लोग 30 प्रतिशत पूंजी पर चल रहे हैं। इस देश के गांव इसीलिये उजड़ रहे हैं।

मुरली देवरा जी स्लम्स की चर्चा की, स्लम्स के बारे में लगता है कि वे बड़े चिन्तित हैं और इसलिये कि उसके कारण गांव उजड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश में बेकारी और बेरोजगारी का ऐसा हाल होना है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि आपने बजट ही ऐसा यहां लाया है और इस बारे में बोलने के लिये ही मैं यहां आया हूं। मुझसे अनेक डैलीगेशन मिले हैं। एक डैपूटेशन रद्दी बेचने वालों का मिला। इस देश में करीब एक करोड़ लोग रद्दी बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं, रोजी कमाते हैं। पता नहीं

क्या चीज इनके ऊपर सवार है कि उन्होंने कई ऐसी चीजों पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी है, जिसके डिटेल्स में मैं बाद में जाऊंगा लेकिन आस्ट्रेलिया से रद्दी इम्पोर्ट करने के लिये इन्होंने उस पर ड्यूटी कम कर दी जैसे शायद आस्ट्रेलिया के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने अपनी रद्दी हिन्दुस्तान में भेजने के लिये पटक दी हो, फेंक दी हो। जब पहले ही हमारे देश में एक करोड़ लोग रद्दी बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे, 5 रुपये किलो उनको रद्दी के दाम मिल जाया करते थे लेकिन अब वही रद्दी ढाई रुपये किलो के हिसाब से भी नहीं बिक रही है, क्या इस बारे में हमने कभी सोचा या विचार किया। रद्दी का मतलब कूड़ा ही होता है।

अभी नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हॉलैंड से गोबर आने वाला है, जिसमें कैमिकल मिला होगा, यह मामला उन्होंने यहां उठाया था। किसी को गोबर फैंकने से हम कैसे मना कर सकते हैं और वहां गोबर कोई महत्त्वपूर्ण चीज नहीं हैं क्योंकि गोबर बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहां तो गाय को गौमाता कहते हैं लेकिन वहां की गाय हमारे यहां की गायों से ज्यादा दूध देती हैं। वे लोग दूध भी पीते हैं और गाय का मांस भी खाते हैं। जब गाय ज्यादा दूध देगी तो खायेगी भी ज्यादा, यह तो स्वाभाविक है, मोटी सी बात है फिर आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही है। किसी से कहेंगे तो लोग हंसेगे कि क्या बात है। नीतीश कुमार जी जब बोलेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि मसखरीपन मत करो लेकिन जो रद्दी आस्ट्रेलिया से आ रही है, क्या आप उसे मना कर सकते हो। मणि शंकर जी मैं जानता हूं कि आप नेहरू परिवार के बड़े खास आदमियों में से हैं, पहले भी थे और आज भी हैं, हो सकता है कि थोड़ा-बहुत हिलडुल रहे हों यानी आप मुरादाबादी लोटे की तरह हो रहे हैं जो ढला हुआ होता है। राजीव जी से मेरा भी सम्पर्क था, मैं जानता हूं कि आप उनके बहुत चहेते थे और आप भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे लेकिन आजकल आप मुरादाबादी लोटे हैं।

मेरा कहने का मतलब है कि नेहरू जी का जो सपना था, उसके कारण जितना रोजगार इस देश में पैदा हुआ, कारखाने लगे, चाहे स्टील के कारखाने लगे हों, या पेपर मिल लगी हों, लेकिन आज स्थिति यह है कि विशेष पेपर पर आपने कस्टम ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी और दूसरी तरफ 24 घंटे जिस कागज पर बच्चे लिखते हैं, उस पर आपने कस्टम ड्यूटी लगा दी। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कागज उद्योग आज खतरे में है।

गांव के लिये आपने क्या किया, जैस मैंने पहले कहा कि हमारे 70 फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं, कृषि कार्य करते हैं, उन्हें आपने क्या दिया। मैं इस बारे में थोड़े से आंकड़े बताना चाहता हूं गांधी जी के सपने के अनुसार आप क्यों इस देश को खड़ा करना नहीं चाहते हैं। आज नहीं तो कल, पिटने के बाद, बर्बाद होने के बाद, हो सकता है कि इस मुल्क के टुकड़े-टुकड़े करने के बाद जब भी आपको होश आयेगा, जब तक आप हिन्दुस्तान के आम आदमी को देखकर इस देश का बजट नहीं बनायेंगे, उस समय तक देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। पिछली बार आपने बाढ़-नियंत्रण और सिंचाई के लिये 280 करोड़ रुपये रखे थे लेकिन इस बार बाढ़ और सिंचाई शीर्षक के अंतर्गत केवल 261 करोड़ रुपये ही रखे गये हैं यानी घटा दिये गये हैं और यह कितना बड़ा मामला है। मैं मुरली देवरा जी को बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की तकदीर को केवल एक ही चीज बदल सकती है, इस देश में तेज धार से बहती हुई अनेकों नदियां हैं और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय हमारे यहां है।

यानी सबसे तेज नदियां हैं, सबसे तेज धारा का पानी है, लेकिन बिजली नहीं है। हाइड्रोइलैक्ट्रसिटी से किसान के खेत को जोड़ दो फिर देखो कमाल। जहां बिजली से किसान के खेत के खेत को जोड़ा है वहां मजदूरी 40 रुपए हो गई हैं पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा को जोड़ा है वहां तरक्की के नए कीर्तिमाब बनाए गए हैं। वहां आदमी की मांग हो गई है पानी लाओ बिजली लाओ, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे ज्यादा उर्वरा भूमि है और वहां बिजली और पानी नहीं है जिसके कारण वहां के आदमी की दयनीय दशा है।

आज यहां चन्द्राकर जी बैठे हैं यदि छत्तीसगढ़ की जमीन पर पानी चला जाए तो छत्तीसगढ़ से आम आदमी की गरीबी दूर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में स्टील का कारखाना लगने से वहां के आम आदमी की गरीबी दूर नहीं होगी। अगर उस इलाके के आदमी की तकदीर को बदलना है और वहां के लोगों को रोजगार देना है तो उसको खेत से जोड़ो और खेत से तभी जुड़ेगा जब खेत को पानी और बिजली मिलेगी। वित्त मंत्री जी आपके दिमाग में यह बात नहीं आएगी। अगर आपकी जगह कोई बूढ़ा या बुढ़िया आए, तो वह सबसे पहले अपने अधिकारियों से कहकर इस मौसम से छुटकारा पाए। खेत को पानी और बिजली पहुंचाने का प्रयत्न करेगी जिससे बाढ़ और सुखाड़ से जो वह तंग रहती है उससे निजात मिले।

आपने सिंचाई और बाढ़ के लिए 261 करोड़ रुपए रखे हैं इससे प्रतीत होता है कि बेरोजगारी और गरीबी के बारे में आज कितनी बुरी तरह से आपका दिमाग बन्द है। आपका एक ही दिमाग बना हुआ है और आप एक ही चीज सोचतें हैं कि घाटे को कम किया जाए। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं ? इसको कम करने का रास्ता आपने क्या पकड़ा है यही न कि रेल का किराया बढ़ाओ, पेट्रोल, चावल, चीन और गेंहूं के दाम आपने बढ़ा दिए और इससे केन्द्र को जो पैसा आता है उसमें से एक पैसा भी प्रान्तों को नहीं मिलने वाला है जबकि कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है कि सूबों को हिस्सा मिलेगा, लेकिन आपने इस ढंग से दाम बढ़ाए हैं जिससे सूबों को एक पैसा भी इस बढ़ी हुई केन्द्र का आमदनी में प्राप्त नहीं होगा। हमारा जो फैडरेल स्ट्रक्चर है उसके अनुसार जो नए टैक्स लगाए हैं उसमें से सूबों को क्या मिलेगा ? इस प्रकार से जितने भी सूबे हैं उनके पैसों में से कटौती की गई है।

आपका जो 13 बिलियन डालर का फारेन रिजर्व है उसके बारे में आप जब अपना उत्तर दें, तो जरूर बताइए कि उसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का कितना हिस्सा है। मुल्क इस तरह से इंतजार नहीं करता। आप कह रहे हैं तो मैं बताता हूं हमारे समय में कुवैत और ईराक का युद्ध हुआ और हमारे जमाने में स्वर्ग आ रहा था यह बात हमने तो नहीं कही। अगर कही है, तो हमें पकड़ लो। हमने तो कहा कि आपने तो देश को रास्ते से भटका दिया। हम बड़े बेकूवत लोग हैं। क्योंकि हमारा यह जो बजट आया है इसमें हमने सब चीजों में उद्योग पर जोर दिया है कि उद्योग बढ़ें, लेकिन आपका जो यह बैलेंस ऑफ पेमेंट है यह घटा है इससे पता चलता है कि उद्योग की इस देश में बुरी हालत है। उद्योग पर आप इतना जोर दे रहे हैं और उद्योग बढ़ नहीं रहा है। उद्योग में विकास की दर 1.6 प्रतिशत रही है। इसका मतलब है कि सरकारी छूट देने के बाद भी कैपीटल का निर्माण नहीं हुआ।

5.00 म.प.

कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से माफ करने के बाद भी लोग इस देश में उद्योग लगाने को तैयार नहीं हैं। यह अच्छा है तीन साल से इस देश में मौसम आपके अनुकूल है। मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की 75 फीसदी जनता जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग हैं, के लिए आपने क्या किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने

संविधान बनाकर जिनको हक दिया था, क्या उन लोगों को आपने बजट में कुछ दिया है ? अनुसूचित जाति के मैट्रिक तक के विद्यार्थियों की फीस इत्यादि को माफ करने के लिए आपने पहले 14 करोड़ रुपये दिए थे। लेकिन इस बार उसे घटाकर 10 करोड़ कर दिया है। सफाई कर्मचारियों के लिए पिछले बजट में 73.20 करोड़ रुपये रखे थे। महंगाई 10 फीसदी बढ़ गई है, उसे निकाल दें तो वह 63 करोड़ ही रह जाएगा। हिन्दुस्तान में नए उपभोक्तावाद से सबसे ज्यादा तबाह आदिवासी, जो वन में रहते हैं, हुए हैं। उनके लिए पिछले बजट में आपने 295 करोड़ रुपये रखे थे। लेकिन इस बार घटाकर 275 करोड़ कर दिए हैं। इसमें महंगाई और जोड़ दें तो वह मुश्किल से 200 करोड़ ही रह जाएगा।

आपने पिछड़ा आयोग बनाया। उसमें हिन्दुस्तान की 43 करोड़ जनता को आपने 32 करोड़ दिए थे। इस बार उसे 35.90 करोड़ कर दिया, उसमें और जोड़ दें तो 30 करोड़ ही बचता है। गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर ने इन वर्गों के उत्थान के लिए सपना देखा था। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह बाल्मीकी हो, पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी हों, आपने सब मिलाकर 75 फीसदी जनता को मात्र 383.90 करोड़ दिया है। पूरे देश की 70 करोड़ जनता के लिए क्या दिया, आपके सामने है। गरीब के विकास का रास्ता कैसे बनेगा। दुनियाभर के गरीब मुल्कों को लेकर आपको संघर्ष करना चाहिए, आप कहते हैं कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने इंपोर्ट को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया है, इससे गांव और गरीबों की क्या हालत होने वाली है। यह बजट गरीबों का नहीं है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ग्रामीण उद्योग थे, उन पर आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। एग्रो बेस्ड कागज इंडस्ट्री, जिसमें भूसे से, धान के छिलके से, जूट से कागज और डिब्बे बनाए जाते थे, उस पर आपने 10 परसेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। पेस्टीसाइज्स ड्यूटी बढ़ा दी, पावर पैदा करने वाले इंजिन पर ड्यूटी बढ़ा दी, चप्पल, जूता, स्टेनलैस स्टील, मोटा कपड़ा, कपड़ा धोने वाले साबुन पर, छाता बनाने वाले पर आपने ड्यूटी बढ़ा दी है, जो कि गरीब के इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं। ग्रामीण उद्योगों और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को हतोत्साहित किया गया है और टाटा, बाटा आदि बड़े उद्योगों को सब तरह से राहत दी गई है, बड़े लोगों को इसमें राहत दी गई है। डंकल तथा आईएमएफ के डबल रस्से के दबाव में आकर आपने इस बजट में बहुत सारी चीजें की हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने का यह आपका अजीब तरीका है। संपन्न वर्ग के इस्तेमाल की चीजें, लिपिस्टिक-पाउडर, जो हमने जिंदगी में कभी नहीं लगाया, अगर लगा लें तो रात को नींद नहीं आएगी, इन चीजों पर आपने छूट दी है। आप समझ रहे हैं कि इससे आपका उद्योग बहुत बढ़ेगा। पहले आपका तीर्थ रूस और यूगोस्लाविया था, आज आपका तीर्थ जापान और ताईवान है, जहां खुला बाजार है, इससे उनका विकास हुआ है।

सभापति महोदय, यह बजट गांव या गरीब आदमी को देख कर नहीं बनाया गया है, गांवों को उजाड़ने के लिए, ग्रामीण और एग्रो बेस्ड उद्योगों को उजाड़ने के लिए बनाया गया है, जिसमें 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, इतना रोजगार और किसी क्षेत्र में नहीं मिला हुआ है। इस बजट से इतनी तबाही मचने वाली है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा है कि यह बजट डंकल, गैट, आईएमएफ और विश्व बैंक के दबाव में और इन सब की रस्सी बनाकर उससे अपने आपको फांसी पर लटकाने का काम किया गया है, जिसका नतीजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।

सभापति महोदय, पार्लियामेंट के बाहर महात्मा गांधी का बुत लगाया गया है और बाबा साहेब अम्बेडकर का बुत लगाया गया है, जिनके हाथ में संविधान है। संविधान की किताब में उनके हक हैं इसलिए वे सीने से लगाते हैं। मैंने आपको बाबा साहब के अरमान के बारे में बता दिया है। गांधी का बुत विचारों और सपनों का था। वह दुनिया की जिंदगी और तकदीर बनने वाला, अरमान देखने वाला दस्तकार बनकर लड़ने वाला था तो हमने उस आदमी को बुत बनाकर संसद के सामने बैठा दिया है। जिस रिजिम में गांधी के अरमान और विचारों को दफन करने का काम किया है तो इसमें नरसिंह राव की सरकार और उसके हथियार मनमोहन सिंह हैं। इस बात को इतिहास तबाही के साथ लिखेगा तो आने वाली पीढ़ी और जितने बेकार हो रहे हैं ये दुनिया की दौड़ में देखेंगे कि आपने अपनी कमजोरी के चलते गांधी के अरमान और विचारों को बुत बनाकर रख दिया और गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाकर बचना चाहते हो। हिंदुस्तान में दस करोड़ बेकार लोगों का समुद्र है। गरीब और लाचार गांव छोड़ रहे हैं, यह तो आपको मालूम है कि पानी और बिजली का संकट है। आने वाला कल बेकारी, गरीबी और लाचारी का देश होगा। यह जो खुलेपन का आपका सपना है तो इन सपनों से जो लोग आयेंगे तो निश्चित तौर पर गांधी के सपनों का अहिंसा का रास्ता खत्म करके लोग हिंसा के रास्ते पर चलेंगे और अपनी छाती पर टैंक उतारकर युद्ध के खिलाफ लड़ेंगे। यह तो आपको मालूम है कि बाहर से आने वाली चीजों से लाखों मजदूर बेकार होंगे। उनसे, आपसे और हमसे कहा जाएगा कि मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान को तबाही के कगार तक पहुंचाया है जबकि इस तबाही से बचने का रास्ता उनके पास था कि कार नहीं चलायेंगे और पैट्रोल नहीं मंगायेंगे लेकिन हम हिंदुस्तान में गांधी की तरह चलेंगे। आपने गोल्डन हैंड शेक का काम किया है तो उससे ऐसा लगता है कि आपने मौत के शेक का काम किया है। मैं इस बजट का पूर्ण ताकत और शक्ति से विरोध करता हूं। आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपने हिंदुस्तान को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। जब दीवार कटेगी तो बिल्ली छलांग लगाती है और हिंदुस्तान में गरीब और बेकार छलांग लगायेगा तो आपको अपनी सजाओं को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह बर्बाद करने का काम आपने किया है और जो मैंने कहा है तो उन बातों का आप जवाब देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदय, श्री मनमोहन सिंह के चौथे बजट में एक अर्थशास्त्री के चित्र को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है, जो बहुत तेजी से एक राजनीतिज्ञ के रूप में बदले हैं, वह कांग्रेसी संस्कृति के एक विशेष किस्म के राजनीतिज्ञ बने हैं, जिन्होंने अपने बजट में इस बात पर खुशी व्यक्त की है कि उन्होनें दल बदल कराकर आकड़ों का खेल पूरा कर लिया है और वह देश के सबसे बड़े घोटाले की जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं तथा उन्हें इसमें भी खुशी मिलती है।

अतः मुझे इस बात में आश्चर्य नहीं है कि यह बजट राजनैतिक शब्दाडम्बर है, यह किसी सार, किसी वास्तविकता, किसी जबावदेही और किसी पावनता से रहित है। इस बजट में विदेशों से लाई गई दार्शनिकता के लिए अप्रासंगिक भावातिरेक है। यह निजीकरण के लिए हमारी अर्थव्यवस्था में खुलापन लाने का दर्शन है, यह अन्तर्राष्ट्रीयकरण और बाजारी अर्थव्यवस्था का दर्शन है।

महोदय, विश्व का अनुभव है कि जहां आय, संसाधन और राजनैतिक शक्तियों में विषमताएं रही हैं, वहां

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष बाजारी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहने की सीख देते हैं, जिसका परिणाम विनाशकारी होता है।

वित्त मंत्री के लिए, मैं प्रसिद्ध अमरीकी अर्थशास्त्री, श्री पॉल स्ट्रीटेन द्वारा बाजारी अर्थव्यवस्था के बारे में कही गयी बातों को उद्धृत करता हूं; उन्होंने कहा है ;

''शायद अत्यधिक गम्भीर समस्याएं बाजार की विफलता नहीं अपितु बाजार की सफलता से पैदा होती हैं, यदि बाजार से मिलने वाले संकेत भूमि, अन्य परिसम्पत्तियों तथा आय के असमान वितरण पर आधारित हों, तो यह इन संकेतों की प्रतिक्रिया में बाजार की सफलता है जिससे संकट पैदा होते हैं।''

5.17 म.प.

(श्री नीतिश कुमार पीठासीन हुए)

किन्तु वित्त मंत्री इतिहास के अनुभव से कोई सीख नहीं लेना चाहते हैं, श्री स्ट्रीटेन ने यह बताने का प्रयास किया है कि यदि क्रय शक्ति कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाती है, तो सभी निवेश तथा उत्पादन संबंधी निर्णय बाजार प्रणाली के अन्तर्गत लोगों के एक छोटे वर्ग की इच्छाओं और निर्णयों के अनुसार लिए जायेंगे। इसके बावजूद वित्त मंत्री अपनी जिद पर तथा विदेशों से लाई गयी अपनी दार्शनिकता पर अड़े रहेंगे। महोदय, इस पर मुझे जलते हुए जहाज पर खड़े एक लड़के की याद आती है। वह अपने स्थान पर ही रहेगा और शायद अपने भाषण के दौरान इन विदेशी हुक्मरानों को उसने एक दोहा समर्पित किया है :

[हिन्दी]

माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं

तू मुझको देख और मेरे मुंह की तरफ देख।

[अनुवाद]

यही वित्त वित्त मंत्री ने कहा है। यद्यपि मैं आपकी नजरों के काबिल नहीं हूं, आप मेरी तरफ देखिये और देखिये मैं आपको कितना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री जनता को कितना चाहते हैं, उनका विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा घोषित की गयी दार्शनिकता के साथ आदर्श भावनात्मक लगाव है।

शुरू में ही हमने कहा था कि अब सरकार ने चिर-परिचित फैशन में बजट सत्र के प्रारम्भ होने से पहले ही चावल, गेहूं, पेट्रोल, डीजल, चीनी और अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ाये हैं। इसमें संवेदशून्यता है। बजट की पावनता का अभाव है। इसके अतिरिक्त, इससे देश में अराजकता की स्थिति पैदा हुई है, जब आपने प्रशासी मूल्यों में वृद्धि की है, तो आपने राज्यों को भी कुछ लिखा है और राज्यों में भुखमरी पैदा होगी, दूसरी बात यह है कि इससे हमारे देश की जनता पर 6,000 करोड़ रुपये का भार पड़ा है। रेल बजट से आपने 1,000 करोड़ रुपये और जुटाये। इस प्रकार 7,000 करोड़ रुपये जुटाकर उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में छूट दी है और 6,000 करोड़ रुपयों के बजट घाटे की घोषणा की है। अब यह एक धोखा है, जनता के साथ क्रूर मजाक है, इससे मूल्यों में वृद्धि होगी। इससे देश की जनता की मुसीबतें बढ़ेंगी, किन्तु माननीय वित्त मंत्री को उनकी चिन्ता नहीं है।

दूसरे, यह बजट सभी क्षेत्रों में विफलता का दस्तावेज है - यह करों द्वारा संसाधन जुटाने में विफल रहा है - बाजार मे 8,000 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त नहीं किये गये हैं - आयात के क्षेत्र में विफल हैं, रोजगार के क्षेत्र में विफल हैं। औद्योगिक मंदी पैदा हो गयी है, राजस्व घाटे में वृद्धि हुई है। निस्सदेंह इसमें दुगुनी वृद्धि हुई है। प्राथमिक घाटा ऋणात्मक आकड़े से 22,000 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच गया है और वित्तीय घाटा 36,959 करोड़ रुपये से बढ़कर 58,551 रुपये हो गया है। अब माननीय वित्त मंत्री यह बताना चाहते हैं कि भारी वित्तीय घाटा, उद्योगों को अर्थक्षम बनाने की दृष्टि से लगातार मंदी के मामले में जानबूझ कर लिए गए निर्णय का परिणाम है। आवश्यकता को इस दलील में कोई दम नहीं है। इससे सूक्ष्म आर्थिक सहलग्नता के संबंध में गलत दृष्टिकोण का पता चलता है।

जहां तक कर वसूली का संबंध है, जैसाकि मैंने पहले कहा है, आप उस मामले में असफल रहे हैं। अब आपका दृष्टिकोण हमें यह बताता है कि हम अदा करने की क्षमता के सिद्धांत पर निर्भर करना छोड़ दें और उन कर दाताओं को अधिक छूट दी जाए जो कर दे सकते हैं और इससे हमें अधिक राशि मिलेगी। लेकिन इसके क्या परिणाम निकले। असफलता मिली है। इस बजट में भी आप सीमा शुल्क राजस्व में 12 प्रतिशत, 15.6 प्रतिशत उत्पाद शुल्क राजस्व में, 15 प्रतिशत आयकर में, और 18.9 प्रतिशत निर्गमित कर में वृद्धि की आशा कर रहे हैं यद्यपि आप जानते हैं कि गत तीन वर्षों के दौरान आप विफल रहे हैं।

आपके कर प्रस्ताव में सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं पर शुल्क को 70 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत कर दिया गया है, डिटरजेंट पावडर, रसोई गैस संबंधी उपकरणों, वाशिंग मशीन, टाइपराइटर्स, सेफ और तिजोरियों, चमकदार सिरेमिक टाइल्स और सफेद सीमेंट पर शुल्क कम कर दिया गया है। लेकिन बिस्कुट, पेट्रोलियम उत्पादों, हस्तनिर्मित कागज, जूतों और इस्पात पर शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। एक ओर आपने तर्कसंगत बनाने के नाम पर इस्पात पर उत्पाद शुल्क में 75 से 50 प्रतिशत कमी की है और दूसरी और सभी इस्पात उत्पादों पर 15 प्रतिशत यथामूल्य उत्पाद शुल्क लगाया गया है। मिश्र धातु एवं विशेष प्रकार के इस्पात में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप 300 से 400 की वृद्धि हो जाती है आय क्या करना चाहते हैं ? विदेश से सस्ते दर पर इस्पात का आयात किया जाएगा और अपने देश में आप इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इससे हमारा इस्पात उद्योग जीवित रह पाएगा।

मैं हावड़ा का रहने वाला हूं जो एक औद्योगिक शहर है और यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। प्रत्यक्ष कर के प्रावधान से लोहा, इस्पात, पटसन, हस्तनिर्मित कागज और कुछ किस्म के औषधि उद्योग आदि प्रभावित होंगे।

पश्चिम बंगाल में जहां तक री रॉलिंग उद्योग का संबंध है, उनमें से 90 प्रतिशत री-रॉलिंग उद्योग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। री-रॉलिंग एवं फाउन्ड्री उद्योग तथा जूट उद्योग के लोग मुझसे मिले ; केवल श्रमिक ही नहीं बल्कि उसके मालिक भी मिले। आपने टी-रॉलिंग उद्योग में क्या किया है उत्पाद पर 15 प्रतिशत यथामूल्य लागू किया गया है जो परिवर्तन शुल्क से 120 प्रतिशत अधिक है या री-रॉलर द्वारा आदान पर वर्धित मूल्य का चालीस प्रतिशत है जबकि चेलैय्या समिति ने वर्धित मूल्य पर 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने की सिफारिश की है साथ ही मानित ऋण के लाभ को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आदान पर वे 15 प्रतिशत यथामूल्य देते हैं तथा तैयार वस्तुओं पर उन्हें 15 प्रतिशत वर्धित मूल्य देना होगा। इससे

उनके उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी। रॉलिंग तथा फाउन्ड्री मिल के मालिकों ने हड़ताल कर दिया। उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया। केवल मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में इन दो उद्योगों में पांच लाख से अधिक श्रमिक नियोजित हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने पहले ही प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। इस संबंध मैंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। प्रत्येक माध्यम से मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस मुद्दे पर पुनर्विचार करें। विशिष्ट की बजाय यथामूल्य शुल्क लगाने के कारण पटसन से बनी वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का भार 120 प्रतिशत तक बढ़ गया है। पूर्व में प्रतिटन शुल्क 760 रुपये था और इस नए प्रस्ताव के बाद टाट (सैकिंग) का मूल्य 1,500 रुपये, हेसियन का 1,900 और सी बी क्लॉथ का मूल्य 2,200 रुपया होगा। क्या आप यह समझते हैं कि लघु उद्योग इससे जीवित रह पाएंगे और क्या हमारी अर्थव्यवस्था कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप समृद्ध होगी।

यही बात बेल्टिंग उद्योग के मामले में भी लागू है यह उद्योग वर्तमान बजट में की गई उत्पाद शुल्क वृद्धि के कारण बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वह इस पर पुनर्विचार करें ताकि इन सभी उद्योगों के मामलों में विसंगतियों को दूर किया जा सके।

बजट आबंटनों पर अब विचार करें। माननीय मुरली देवरा यहां पर नहीं हैं। वह कह रहे थे कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के लिए आबंटनों में अमुक-अमुक राशि में वृद्धि हुई है। लेकिन 1994-95 के लिए बजट आबंटन से अर्थव्यवस्था में किसी विशेष विकास की संभावना नहीं है। इस बजट के अनुसार सरकार के कुल खर्च में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी लेकिन सकल घरेलू उत्पाद, के अनुपात में यह 1993-94 की तुलना में 18 प्रतिशत से घटकर 1994-95 में 16.7 प्रतिशत हो जाएगी। इसलिए सही मायने में आप आंकड़े बढ़ा रहे हैं लेकिन गत वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में इसमें कमी आ रही है। गत वर्ष की तुलना में योजना परिव्यय 556 करोड़ रुपये या 1.2 प्रतिशत अधिक होगा लेकिन वास्तव में इसमें कमी आएगी। वित्त मंत्री जी, आपने निश्चित तौर पर केन्द्रीय योजना के लिए बजट समर्थन 25,200 से बढ़ाकर 27,2768 करोड़ रुपये कर दिया है लेकिन साथ ही राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता में 1,710 करोड़ रुपये कम कर दिए हैं। अतः इस प्रकार राज्य की धन राशि में आठ प्रतिशत कमी की गई है और आप कहते हैं कि आप वृद्धि कर रहे हैं। वास्तविक वृद्धि क्या है। आपने योजना प्रक्रिया को अलविदा कह दिया है हम निर्देशात्मक आयोजना के युग में हैं। केन्द्रीय सहायता में इस कटौती, से राज्यों के योजना परिव्ययों में 1994-95 में निश्चित तौर पर और भी कमी हो जाएगी। कृषि आबंटन के मामले में 7.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की गई है, यह अच्छी तरह जानते हुए कि सार्वजनिक निवेश है जो कृषि और उद्योग क्षेत्र में निजी निवेश के पूर्व किया गया है। आप कहते हैं कि आप युवाओं के हितों पर ध्यान दे रहे है। आज पश्चिम बंगाल के युवकों ने दिल्ली में एकत्र होकर कई मांगें की हैं। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना है तथा इन युवकों के लिए कुछ और योजनाएं हैं। लेकिन आप यह नहीं समझ रहे हैं कि रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए आबंटन नियमित विकास कार्यक्रमों से उत्पन्न प्रोत्साहन का विकल्प नहीं है। आप इस तथ्य को भूल जाते हैं और आपको इससे सबक लेना चाहिए।

जोरदार निर्यातोन्मुख एवं आयात उदारीकरण की नई नीतियों की सफलता पर भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। आप यह दावा करते हैं कि इसके परिणामस्वरूप 1991 के

तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार में 13 बिलियन डालर की वृद्धि हुई है ? इसकी पृष्ठ भूमि क्या है ? इसकी पृष्ठभूमि यह है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा ऋण राशि से प्राप्त हुई है। दूसरा, कम आयात और मांग के कारण घरेलू बाजार में अधिक डालर है। इस वर्ष 1990 की तुलना में आयात मात्र चार प्रतिशत है। यदि सामान्य वृद्धि होती तो यह 12 प्रतिशत होता। तब हमारे यहां 34 बिलियन डालर का आयात होता और हमें गर्व हैं कि हमारे पास 13 बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा का भंडार है। तीसरा; निर्यात में वृद्धि जैसा कि वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि कृषि आधारित उत्पादों और पौध-रोपण फसलों के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो क्रमशः 59 प्रतिशत और 76 प्रतिशत हो गया है। चौथी बात है कि विदेशी ऋण की। आर्थिक सर्वेक्षण में हमने देखा कि यह राशि 90 बिलियन डालर है। इस वर्ष हमें लगभग 8.5 बिलियन डालर अदा करनी है। आने वाले वर्षों में यदि हम उस सहायता राशि को अदा करना शुरू करें, जो हमें अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों से मिली है, तो यह दस बिलियन डालर से अधिक होगी। आप क्या करेंगे ? आप इसे कैसे अदा करेंगे ? आप बजट प्रस्तावों से निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं। आप क्या निर्यात करेंगे और किसको निर्यात करेंगे तथा आज विश्व में बाजार कौनसा है ? हर जगह मंदी का दौर है। स्थिति संतोषजनक नहीं है इसलिए वहां 'गैट' लागू है। वे हमारे बाजार का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु वह यह नहीं चाहते कि हम उनके बाजार का लाभ लें। आप इन बातों को जानते हैं परंतु आप धोखा-धड़ी करने में माहिर हैं।

वित्त मंत्री महोदय यह दावा करते हैं कि पूंजीनिवेश में वृद्धि हुई है। 1991-92 में 148 मिलियन का पूंजी निवेश किया गया और 1993-94 के गत नौ महीनों के दौरान यह बढ़कर 3.5 बिलियन डालर हो गया है। परंतु, हमारे उद्योग को प्रोत्साहन क्यों नहीं मिला है ? इसे अर्थक्षम क्यों नहीं बनाया गया है ? सच्चाई यह कि इस 3.5 बिलियन डालर में से केवल 350 मिलियन डालर सीधे पूंजी निवेश किया गया और शेष पूंजी निवेश पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में किया गया। इस राशि का ये विदेशी लोग विकास के लिए खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ उद्योगों को, जिन्हें हमने रूग्ण घोषित किया है तथा जिन्हें हम निजी क्षेत्र से अधिग्रहण करके अर्थक्षम बना सके हैं, खरीदना चाहते हैं। आपने जनता से यह वादा किया था कि आप उन्हें अर्थक्षम और आधुनिक बनाएंगे परंतु आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। एन.टी.सी., एन.जे.एम.सी., हुगली डॉकिंग और पोर्ट इंजीनियरिंग के मामलों को ही लीजिए। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है। किन्तु आप उन्हें बेचने की सोच रहे हैं और विदेशी लोग उन्हें खरीदने के इच्छुक हैं। आप उनके लिए धन जुटाने का कोई अन्य मार्ग नहीं ढूंढ सकते। आप यह कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र का विनिवेश ही एकमात्र विकल्प है और निस्संदेह ही यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ही विचार हैं। जब यह पूछा जाता है कि "क्यों" तो आप यह कहते हैं कि वे अकुशल हैं। किन्तु क्या यह वास्तविकता है ? क्या ये सरकारी उपक्रम निस्संदेह ही अकुशल है ? मैं एक दो उदाहरण दूंगा। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। हम 'इंडल' और 'हिन्डालकों' की तुलना 'नेल्को' से करें। वास्तव में 'नेल्को' देश के बाहर अपने क्षेत्र की किसी भी कम्पनी से प्रतियोगिता कर सकती है। हिन्दुस्तान जिंक का भी उदाहरण लें। यह भी विश्व में अपने क्षेत्र को किसी भी कम्पनी के साथ प्रतियोगिता कर सकती है। इसकी कुशलता की रिलायन्स उद्योग के साथ तुलना करें। यही हिन्दुस्तान जिंक, गान्फार में एक नई इकाई खोलने जा रही थी। किन्तु मैंने यह सूचना एकत्रित की है कि इस पर पहले से ही दबांव पड़ना आरम्भ हो गया था ताकि इथिलीन इस इकाई से न

लेकर आर आइ एल से लिया जाए। अतः यह तो आपका दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के साथ आप किसे लाभ पहुंचाएंगे आपकी विनिवेश नीति से किसे लाभ पहुंचेगा ? यदि हिन्दुस्तान जिंक के अनुसंधान और विकास संबंधी बहुमूल्य परिणाम लीक करके इसके विरोधियों को सौंपे गए तो इससे किसे लाभ मिलेगा ? क्या कृपया आप हमें यह बता सकते हैं ? और हमारे देश के लोगों द्वारा कई वर्षों के प्रयास से तैयार किए गए अनुसंधान को ऐसे गवां देने का अधिकार आपको किसने दिया है ? इन इकाइयों को बहुत ही कम मूल्यों पर बेचने का अधिकार आपको किसने दिया है ? यहां मैं अपनी बात विस्तार से नहीं कहूंगा कि आपने यह कैसे और किस मूल्य पर किया। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं वह एक साधारण सा प्रश्न है। आपको हिन्दुस्तान जिंक लि. को बेच डालने का अधिकार किसने दिया ? कुल मिलाकर हम संकट में तो नहीं हैं। क्या यह धन की चाह में किया गया है ?

भारत से हुए पूंजी पलायन पर जरा विचार करें। वर्ष 1981 से 8.1 बिलीयन डालर पूंजी हाथ से निकल चुकी है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 40,000 करोड़ रुपए का काला धन एकत्रित होता है। आप वह धन क्यों नहीं जुटाते। दूसरे बट्टेखाते की राशि कितनी है ? इस बट्टेखाते के लिए कौन जिम्मेदार है ? आप यह मानते हैं कि बट्टे खाते के रूप में लगभग 36,000 करोड़ रुपए चले जाते हैं। आपको इस राशि को वसूल करने और इसे अपने देश के लोगों के विकास पर खर्च करने से कौन रोकता है ? अब आप सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को बेच रहे हैं। किंतु इस बट्टेखाते की राशि को वसूलने और सरकारी क्षेत्र की ईकाइयों को बचाने में इसका उपयोग करने से आपको किसने रोका है ? किन्तु आपने ऐसा नहीं किया है। आप ऐसा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप बाहरी विचारधारा से प्रभावित हैं।

आज हमारे निजी क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों का नियंत्रण बढ़ता ही जा रहा है। विदेशी कम्पनियों में लगी पूंजी 1961 की 25.86 प्रतिशत से बढ़कर 1965 में 30.57 प्रतिशत हो गई। उनका लाभ 1980-81 के 24.9 प्रतिशत से बढ़कर 1988-89 में 30.66 प्रतिशत हो गया। ये आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं और यह स्थिति तो ''फेरा'' के रहते हुए थी। अब ''फेरा'' का प्रत्यक्ष कम होने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा ? यह कल्पना करना अधिक कठिन नहीं है।

इस नीतियों का स्पष्ट प्रभाव यह होना कि हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देश के स्वयं-पोषित दलालों के हाथ में चला जाएगा। इस सबके परिणामस्वरूपं भारत नवउपनिवेशवाद का शिकार हो जाएगा। किन्तु यह तो उन सभी देशों के साथ घटित हुआ है, जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया है। 47 वर्ष के पश्चात भी हम पूर्व उपनिवेशी से निकलकर अधिक विकसित उपनिवेशी अवस्था में पहुंच गए हैं। महोदय, आज हम यह क्या देख रहे हैं, इसके बारे में यदि मुझे कुछ कहने दिया जाए तो वह यह कि हम बिना किसी रूकावट, बिना कोई गोली चलाए और बिना किसी सैनिक बलों के ईस्ट इंडिया कम्पनी को यहां पुनःजन्म लेने दे रहे हैं। क्या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तर्क के आधार पर ऐसा होने देने में कोई सार्थकता है ? किन्तु आपने कोई बात नहीं सुनी और आपने डंकल मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए जो आप पर निम्न प्रौद्योगिकी और श्रमिक-बहुल उद्योगों को रियायत देने पर यह कहते हुए रोक लगाता है कि इससे उत्पादन की लागत कम आएगी और इस प्रकार से विदेशी लोग कठिनाई में पड़ जाएंगे। आप तो उस मार्ग पर चल रहे हैं जो हमारे देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या की क्रय शक्ति को बढ़ाने की बात आपको नहीं सिखाता ; जो आपको भूमि

सुधार कार्य करने को नहीं कहता ; जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर विश्वास करने को नहीं कहता ; जो हमारे देश की खानों में उपलब्ध संसाधनों की प्रतिभा को इक्ट्ठा करने और भारतीय युवाशक्ति की प्रतिभा का उपयोग करने की बात नहीं कहता। आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं।

21वीं शताब्दी में एक दशक से भी कम समय रह गया है और हमारे देश में आज भी अज्ञानता और गरीबी विद्यमान हैं। गणतंत्र और विकास के 47 वर्ष के बाद भी भारत उन प्रमुख अंतविरोधी और भिन्नताओं को खत्म नहीं कर पाया है। जो इसके सामाजिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। देश में समाजिक और राजनैतिक तनाव की स्थिति है जो देश को दोफाड़ करता है। इतनी वैज्ञानिक खोजों के होते हुए, जो हमारे पास आधी शताब्दी पूर्व नहीं थीं, बड़ी संख्या में लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है। लोग भूख से मर रहे हैं। छोटे बच्चों को अपनी जीविका कमाने के लिए दो घंटे से भी अधिक का सफर रोजाना तय करना पड़ता है। महोदय, यह तो हमारी पृष्ठभूमि के ही विपरीत है कि भारत जिस दशा में पहुंच चुका है उस सत्य को जानने के लिए एक पल रूककर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

आप भारत में कैसी अर्थव्यस्था चाहते हैं ? क्या आप यहां पर कुशल, दूरदर्शी और विकासमयी अर्थव्यवस्था चाहते हैं ? यदि हां, तो माननीय वित्त मंत्री महोदय इसके लिए आपको भिन्न प्रकार के बुनियादी परिवर्तन करने होंगे जिन्हें शायद आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अथवा आप यहां पर भारत की 10-15 प्रतिशत जनसंख्या के लिए रंगीन किस्म की अर्थव्यवस्था चाहते हैं ? आप तो प्रभाव के उस द्वीप पर निर्भर करते हैं जिस पर विदेशी ताकतें निर्भर करती हैं। दूसरे देशों से तुलना करने पर 10-15 प्रतिशत जनसंख्या से एक बड़ा बाजार हासिल हो जाता है। महोदय, इसीलिए मैं अपने प्रश्न को दोहरा रहा हूं। क्या आप 10-15 प्रतिशत लोगों के लाभ के लिए महत्त्वकांक्षी और रंगीन किस्म की अर्थव्यवस्था ही स्थापित करना चाहते हैं जिसमें लोग अपने तुच्छ लाभ के लिए चालबाजी, जयचंद और मीर जाफर टाइप खेल खेलेंगे ?

महोदय, महज के जाल में फंसकर हम धीरे-धीरे डूबते जा रहे हैं। हम बेरोजगारी और निष्क्रियता के चक्र में फंसते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद् और साहित्यिक व्यक्ति इसका विकल्प प्रस्तुत करने के लिए आगे आ रहे हें। किन्तु आपने देशभक्ति पर भी एकाधिकार कर लिया है। आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे। आप उनके विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहते। कृपया आप यह विश्वास भी करें कि वे लोग भी देशभक्त हैं। वे भी यही चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे। आप उनसे बात करके अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं। बड़े औद्योगिक समूहों ने भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध सम्मान प्रतिस्पर्द्धा 'की मांग करते हुए अपनी आवाज उठानी आरंभ कर दी है। लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों के मालिक तो सड़कों पर उतर आए हैं। दलगत आधारों से उठकर लोग भी धीरे-धीरे संगठित होते जा रहे हैं। वे सभी आदोलित हैं। आपकी नीतियों के विरोध में अपनी आवाज उठाने के लिए 5 अप्रैल को दिल्ली में कुछ लाख पीड़ित श्रमिक आ रहे हैं। यह मत सोचना कि वे आकर हाथ जोड़ेंगे, वे कुछ मांगने नहीं बल्कि विरोध करने आ रहे हैं। वे यह कहने के लिए आ रहे हैं कि वे अपने को विदेशी ताकतों की जंजीरों में जकड़ने की इजाजत नहीं देंगे। परिवर्तनों की हवा चल रही है, इसे सुनिए। बिगुल बज रहा है। कृपया इस आने वाले परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। मुझे यह भी विश्वास है कि यह परिवर्तन निष्ठुर वातावरण के बीच होगा। एक बार टैगोर महान ने बंगाली में यह कहा था जिसका मैं उद्धरण कर रहा हूं : -

"दमामा ओई बाज़े,

दिन बादलर पाला इलो

झोरो ध्यार माझे"

तूफान चल रहा है। परिवर्तन आ रहा है लोग इसे सहन करने को तैयार नहीं हैं। अतः माननीय वित्त मंत्री महोदय से मैं यह अनुरोध करूंगा कि इससे पूर्व कि बहुत देर हो जाए, वे इस देश को मत बेचें और चौथे वर्ष के बजट में परिलक्षित आर्थिक नीति के कार्यक्रम के आगे मत बढ़ाएं। अतः महोदय जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं और मेरे जैसे व्यक्ति का यही विश्वास है कि अंततः जीत उत्पीड़क की न होकर मानव की जीत होगी और इसी के साथ मैं बाजार प्रस्तावों का पुरजोर विरोध किए बिना नहीं रह सकता।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं, अपना कथन आरम्भ करने से पूर्व अपनी राय देना चाहता हूं। मैं बजट के बारे में बोलना चाहता हूं।

महोदय, डा. मनमोहन सिंह, जिन्होंने सुधार कार्यक्रम शुरू किया है, का प्रमुख उद्देश्य घाटे को कम करना था। मुझे यह नहीं मालूम कि वित्त मंत्री अपने कुशल प्रबंधन अपने कुप्रबंधन के कारण हर प्रकार से असफल रहे। वह इसलिए असफल रहे क्योंकि वर्ष 1993-94 में 36,959 करोड़ रुपये अथवा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.7 प्रतिशत का वित्तीय घाटा हुआ। संशोधित अनुमान में इसे 58,551 करोड़ रुपये दर्शाया गया है जो वर्ष 1992-93 में 5.7 प्रतिशत से कहीं अधिक है। अतः महोदय, वह इस बार पुनः असफल रहे यदि आप वर्ष 1994 के बजट अनुमान में 5495 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा दर्शाया गया है और इसलिए वह इस बार पुनः असफल रहे। बजट घाटा 4340 करोड़ रुपए का था परन्तु संशोधित अनुमान में यह दोगुना 9060 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1995 के लिए बजट में 6,000 रुपये का घाटे का अनुमान किया गया है। वास्तव में यह घाटा उससे भी अधिक होगा।

वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को पहली बार 9,000 करोड़ रुपये के घाटे के बारे में बताया है। वह इस बात के प्रति पहले से ही सजग हैं कि यह घाटा 6,000 करोड़ रुपये के अंदर ही सीमित नहीं रहेगा ; इसका यह आशय है कि देश में यह लोकप्रिय राय बनायी जा रही है कि बजट में कोई कर नहीं लगाया गया है। परन्तु 5000 करोड़ रुपये तक मूल्य वृद्धि हुई है और इसका बोझ सामान्य लोगों पर पड़ा है। इसके बाद रेलवे यात्री किराया और माल-ढुलाई भाड़े में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 997 करोड़ रुपये की है ; इससे लोगों की आय और मूल्य स्थिति भी प्रभावित होगी।

अतः, कुल मिलाकर यदि आप बजट पर नजर डालेंगे तो यह पायेंगे कि यह एक कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त के विरुद्ध है। जब तक हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है हम गरीबों की सहायता के लिए अमीरों पर कर लगायेंगे।

एक बार जब पाण्डव वनवास में थे। उस समय बन में उनके सामने श्री कृष्ण एक पशु का रूप धारण करके यह देखने के लिए आये कि क्या वे उनको पहचान पाते हैं। उनके पूरे शरीर में नौ तरह के जानवरों का रूप

था। उस जानवर को हमारे पुराण में नभगुंज के नाम से जाना जाता है। उनके हाथ में एक चक्र था जिसके कारण वे (पाण्डव) श्री कृष्ण को पहचान सके। अतः इसी तरह से डाबोस में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए लोकप्रिय भाषण के बाद बजट में कुछ बातें जोड़ने के बावजूद उसकी स्थिति पहले जैसी थी। इस प्रकार से उन्होंने सीमा शुल्क और अन्य कटौतियों के द्वारा अमीरों ओर निगमित क्षेत्र को 4081 करोड़ रुपये मूल्य की कर रियायतें दीं। इस तरह से जहां एक और निगमित क्षेत्र के लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों और अन्य लोगों को रियायतें दी गई हैं वहीं दूसरी और यह देखा जा सकता है कि बजट में इस बात पर अत्यधिक जोर दिया गया है कि इसमें आम आदमी के बारे में ध्यान नहीं दिया गया है।

उत्पाद शुल्क घटा दिया गया है। सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क में इतनी समानता है कि यह कहा जा सकता है कि सभी चर्चायें एक विशिष्ट वर्ग की सहायता की गई है। आप लोहा और स्टील उत्पादन, मानव निर्मित तन्तु जैसे कतिपय मदों को ही ले लीजिए। इसमें सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दोनों में वृद्धि हुई है। बजट में इतनी जटिलता है कि एक ओर जहां लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए सीमा शुल्क में 120 करोड़ रुपये की छूट दी गई तो दूसरी ओर इस 350 करोड़ का उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। इससे हमारा इस्पात उद्योग प्रभावित होगा जोकि एक आधार क्षेत्र है मेरे विचार से इस बजट का हमारे इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। वित्त मंत्री जी इसका ब्यौरा देने की कृपा करें। यह दावा किया गया है कि वर्ष 1994-95 के लिए उर्वरक राजसहायता की राशि 4000 करोड़ रुपये की धनराशि अनुरक्षित की गयी है यह उर्वरकों के लिए वर्ष 1993-94 के संशोधित अनुमान, जो 5,200 रुपये है, के प्रति है। इसमें पिछले वर्ष की 1,900 करोड़ रुपये की राशि शामिल की गई है, इसका यह मतलब है कि उर्वरकों के लिए वर्ष 1994-95 में केवल 320 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। यह स्वाभाविक है, मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में स्थिति के बारे में ब्यौरा देने की मांग करूंगा। पहली बात खाद्य राजसहायता के बारे में हे और दूसरी बात उर्वरक राजसहायता से संबंधित है।

महोदय, वर्ष 1994-95 की बजट में 4000 करोड़ रुपये का प्राक्कलन है। वर्ष 1993-94 के संशोधित प्राक्कलन में चालू वर्ष में वास्तविक उर्वरक राजसहायता की राशि 6,600 करोड़ रुपये अनुमानित है जिसमें वर्ष 1992-93 से 77 करोड़ रुपये की राशि शामिल की गई है। इसका यह मतलब है कि वर्ष 1994-95 के लिए जो राशि 4,400 करोड़ रुपये है उसमें अग्रेषित की गई 2,200 करोड़ रुपये की राशि शामिल है इस तरह से चालू वर्ष का वास्तविक आबंटन 6,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे यह पूरी तरह से साबित होता है कि इस बजट में उर्वरक और खाद्य दोनों की राजसहायता में कटौती करने के बारे में विश्व बैंक को दिए गए वचन का ध्यान रखा जा रहा है। अन्य बातों के बारे में वे यह बताते हैं कि बजट में केन्द्रीय योजना परिव्यय 80 प्रतिशत, अर्थात् 220 करोड़ रुपये, अधिक है। परन्तु ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश के पृष्ठाधार के विरुद्ध किया गया है। योजना व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश को भी नहीं जोड़ा गया है। इसे कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए लगाया गया है। उससे यह पता चलता है कि हमारी सरकार किस ओर जा रही है, मैं केवल यही बात बताना चाहता हूं।

अब अगले वर्ष मुद्रा स्फीति की दर 8.5 प्रतिशत हो जायेगी और मैं यह नहीं जानता कि आप इसे कैसे रोकेंगे। मेरे विचार से वित्त मंत्री जी अपना उत्तर देते समय इस मामले के बारे में हमें कुछ बतायेंगे। वास्तव में

यह योजना, वास्तविक योजना के आकार से कहीं छोटी होगी। क्या आप जानते हैं कि योजना का वास्तविक आकार क्या है ?

इस बजट में एक और महत्वपूर्ण और गौरतलब बात यह है कि पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए 4,433 करोड़ रुपये का प्राक्कलन रखा गया है यह बहुत बड़ी राशि है। मेरे विचार से सरकार को यह आशंका है कि ऐसी स्थिति हो सकती है। देश में ऐसी कतिपय परिस्थितियां हैं जिसके लिए पुलिस बल अपेक्षित हैं, परन्तु ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होंगी जिसके लिए सरकार पहले से ही तैयार है। परन्तु सरकार अन्य बातों अथवा मामलों के लिए तैयार नहीं है।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : अन्य मामले क्या हैं ?

श्री लोकनाथ चौधरी : अन्य मामलों में लोग, उनका जीवन स्तर आदि बातें आयेंगी। भुगतान संतुलन के बारे में काफी पूछताछ होती रहती है। अतः, वे हमें यह भी बतायें कि हमने कितना अर्जन किया है। क्या मंत्री जी सभा को यह बता सकेंगे कि इस 21 प्रतिशत का अर्जन किस तरह से हुआ है ? क्या यह निर्यात द्वारा अथवा बीजक में कम राशि लगाकर अथवा कुछ अन्य मामलों के माध्यम से अर्जित किया गया है ? आप इनके अंशों का ब्यौरा दीजिए।

आप यह कह सकते हैं, हमारे उद्योगों में, जिनका विकास 1.6 प्रतिशत है, मंदी है और कृषि क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है। क्या आप अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेध और दिए गए ऋण पर निर्भर रह सकते हैं ? मैं आपको यह बता दूं कि जब उन्हें यह पता लगेगा कि उन्हें आपके द्वारा अर्जित ब्याज से कहीं अधिक लाभ हो रहा है, तो वे अपनी धनराशि वापस ले लेंगे।

6.00 बजे म.प.

इसलिए सरकार यह न समझे कि उसके भुगतान संतुलन की स्थिति अधिक मजबूत है। सरकार औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन की वृद्धि करके अपने भुगतान संतुलन की स्थिति को मजबूत कर सकती है। औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पाद को बिना बढ़ाये यह सम्भव नहीं है। दूसरी और सरकार उद्योगों पर से आयात शुल्क हटाकर और इन्हें अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता में लाकर अड़चनें डाल रही है। मैं उस विषय के बारे में बाद में बोलूंगा इस समय उसके बारे में बताना सम्भव नहीं है।

मैं इस संबंध में एक अन्य बात बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने अपना कार्यभार सम्भालने के बाद हमें यह बताया कि वह इस योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्र, गरीब जनता के लिए 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए उपाय करेंगे। तीन वर्षों में अब तक 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है और इसके अलावा 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि इस वर्ष दी जायेगी। परन्तु यह कार्य किस तरह चल रहा है ? कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। मेरे विचार से यह समीक्षा इस बात पर प्रकाश डालेगी और यह बात स्पष्ट होगी कि इस पर निगरानी रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

सरकार यह कहती है कि इससे कई श्रमिक दिन सृजित होंगे। हम यह देखना चाहते हैं कि उन्होंने कितने श्रमिक दिवस सृजित किए हैं। श्रमिक दिवसों की संख्या लगभग तीन सौ ही थी। क्या सरकार इसमें 10,000

और जोड़ेगी। वर्ष के अंत में धनराशि व्यय की जायेगी। यदि वर्ष के अंत में यह धनराशि व्यय की जायेगी तो इससे आम आदमी को श्रमिक दिवसों का लाभ कैसे मिलेगा ? यह विषय एक प्रमुख विशेषता का है जिस पर सरकार और वित्त मंत्रालय द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

हम अन्य योजना विद्वानों के बारे में विचार करेंगे। भारतीय बजट के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई जब बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन के बीच इतना अधिक अंतर रहा हो। ऐसी स्थिति पहली बार उत्पन्न हुई है। आप यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसका क्या कारण है ? बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन के बीच अत्यधिक अंतर पाया गया है।

सरकार यह कह रही है कि कृषि के लिये अधिक प्रावधान किया जा रहा है। परन्तु जहां तक कृषि का संबंध है पिछले वर्ष इसके लिए 24,00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया परन्तु इसके संशोधित प्राक्कलन में गिरावट आई है।

जब मैंने कृषि मंत्री से एक प्रश्न किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अधिक निवेश के कारण कृषि उत्पादन बढ़ा है। लेकिन इसकी अधिक वसूली नहीं हो पाई है। जितना आबंटन किया गया था उसका एक अंश भी कृषि को नहीं मिला है। लेकिन सरकार अभी भी दावा करती है कि उत्पादन में वृद्धि अधिक आबंटन के कारण हुई है।

अब मैं शिक्षा के प्रश्न पर आता हूँ। हमें निरक्षरता के उन्मूलन हेतु आरम्भिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। अन्यथा इस शताब्दी के अन्त तक निरक्षरों की संख्या के मामले में भारत अग्रणी देश होगा। इस हेतु 523 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। जोकि अपर्याप्त है। हमारे विश्वविद्यालयों हेतु इस वर्ष 209 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान है। यदि आप शिक्षा के स्तर में सुधार लाना चाहते हैं, तो हमें इस मुद्दे पर गौर करना होना। लोग अब हमें आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तैयार करना चाहते हैं। ताकि दुनिया में परिवर्तित होती परिस्थितियों का सामना कर सकें और हमारी अच्छी स्थिति हो सके। शिक्षा के लिए आबंटन और अधिक होना चाहिए था।

अब मैं सड़क परिवहन पर आता हूँ। हमारे देश में 40 प्रतिशत लोग सड़क परिवहन का प्रयोग करते हैं। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों जो केन्द्रीय संवर्ग के अन्तर्गत हैं के लिए 600 करोड़ से ऊपर का परिव्यय है। मैं इस संबंध में उल्लेख करना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता के बाद सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है लेकिन इनसे कुल राजस्व की प्राप्ति 8,500 करोड़ है। आज कुल परिवहन का 40 प्रतिशत परिवहन सड़क परिवहन के माध्यम से होता है। स्वतन्त्रता के उपरान्त राष्ट्रीय राजमार्गों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। लेकिन हमें इससे केवल 8,500 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। अन्य देशों में, उन्हें पूरी धनराशि को पुनः सड़कों के विकास हेतु निवेश करने की अनुमति होती है। लेकिन हमारे देश में कुल 8,500 करोड़ की आय में से 2,250 करोड़ को सड़कों के विकास हेतु पुनः खर्च करने की अनुमति देते हैं।

गत वर्ष संसद में एक प्रस्ताव पारित किया था सरकार को इसे सीधा कार्यान्वित करना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के बावजूद की वित्त विभाग इसे लेकर बैठा है। केन्द्रीय सड़क निधि जो गत वर्ष 30

प्रतिशत थी 1987 में घटकर आधा प्रतिशत रह गई है। अतः सरकार के प्रयासों से संसद से केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। परन्तु अभी तक केन्द्र और राज्य सड़क क्षेत्रों को बढ़ी हुई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

हमें खराब सड़कों के कारण 2,250 करोड़ की हानि हो रही है। बजट में राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु भी एक घटक है। आज मुक्त बाजार व्यवस्था में, हमारे किसान सड़कों के न होनें के कारण बाजार नहीं जा सकते हैं।

देश में विदेशी निवेश की अनुमति देने से हमारे उद्योगों के विदेशी हाथों में चले जाने की संभावनां पैदा हो जाएगी। डंकल प्रस्तावों में टी.आर.आई.एम.एस.का प्रावधान है उसके अनुसार, सरकार विदेशी निवेश को उन क्षेत्रों में सीमित नहीं कर सकती जहाँ पर इसकी अनुमति दे दी गई है। अतएव स्वाभाविक रूप से उद्यानों के विदेशी कम्पनियों के हाथों में चले जाने की सम्भावना है।

अंत में, मैं सांसद विकास निधि के बारे में कहना चाहूँगा। प्रत्येक सांसद को एक करोड़ की राशि दी गई है। मैं नहीं जानता कि सरकार का उद्देश्य क्या है। जो परिपत्र हमें दिया गया था मैंने उसे पढ़ा है। मैं समझता हूँ कि अधिकतर सांसद इससे अलोकप्रिय हो जाएंगे। हमारी अधिकतर धनराशि ठेकेदारों की जेबों में जाती है। क्या सांसदों को इस तरह से उत्तरदायित्व दिया जाएगा ताकि स्थानीय लोग भी निर्माण में शामिल हो सकें ? स्थानीय लोग कुल निर्माण कार्य के 50 प्रतिशत में अपने श्रमदान का योगदान करेंगे। इससे देश में राष्ट्र के पुर्ननिर्माण हेतु नई भावना जागृत होगी।

अतः मैं, एक देश का अपनी विरासत से सम्बन्ध विच्छेद कर लेना एक पेड़ द्वारा अपनी जड़ों से कट जाने के समान है। पूंजीवाद के प्रादुभाव के साथ पूंजीवादी देशों को गरीब देशों और औपनिवेशक देशों की बचत को अपने प्रयोग में लाने के रास्ते हमेशा तलाशते हैं। उनको ऐसा करने के अनेक तरीके आते हैं और वे ऐसा कर रहे हैं। आज, विश्व में कोई साम्राज्यवादी राष्ट्र नहीं है। इसका स्थान एकाधिकारवाद ने ले लिया है। अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ और एकाधिकारवाद चला है। एकाधिकार पाँच हैं। वे हैं : प्रौद्योगिकी में एकाधिकार, निवेश में एकाधिकार, विकसित राष्ट्रों के प्राकृत संसाधनों तक मुक्त पहुँच का एकाधिकार, संचार माध्यमों और हथियारों का एकाधिकार।

मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र था। जब कामरेड श्री निर्मल कान्ति चटर्जी प्लासी युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, बहुत से लोग उन पर हंस रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि प्लासी युद्ध के बाद जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी लार्ड क्लाइव को दे दी गई थी, उसने ब्रिटिश पूँजी की वृद्धि के लिए देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल किया था। भूराजस्व प्रणाली बदल दी गई थी, कृषि उत्पाद को इग्लैण्ड पहुँचा दिया गया और हमारे किसानों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। अब गैट और डंकेल प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करके वही स्थिति आने जा रही है जब हमारे देश की बचत विकसित राष्ट्रों की ओर जाएगी जिसके परिणामस्वरूप हमारे उद्योग और अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी जिसे हमने 45 वर्षों में खड़ा किया है।

जब गाँधी जी ने आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आपको न केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए बल्कि स्वयं भी पैदा

करो। इसीलिए उन्हें आसान तरीके से समझाया कि 'काटी पिडों कुटी स्वाओ'। यह आत्मनिर्भरता का सार है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के झन्डे पर भी चक्र का निशान है।

जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आर्थिक नीति बनाई थी तो यह मिली जुली अर्थव्यवस्था थी जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। तब हमारा पेट्रोलियम उत्पाद 9 लाख टन था और आज यह 30 मिलियन टन है हमारी इस्पात उत्पादन 1 मिलियन टन था जो अब 17 मिलियन टन है, हमारा विद्युत उत्पादन 233 मैगावाट था जो आज 74000 मैगावाट है। यह नेहरू जी की दूरदर्शिता से ही संभव था। हम नेहरू जी का विरोध कर रहे थे। क्योंकि इसके लाभ आम लोगों को नहीं मिल रहे थे और प्रगति आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। इसीलिए हमारा संघर्ष सकारात्मक था।

अब मैं जानता हूँ कि दुनिया में परिवर्तन आया है। अतः हमें अपने स्वतन्त्र आधार को सुरक्षित रखते हुए और सब कुछ न बेचते हुए बल्कि उन क्षेत्रों में समायोजन करते हुए जिनमें हमने प्रगति नहीं की है समायोजन करना पड़ेगा। अब यदि हम कहें कि कोई विकल्प नहीं है तब यह कायरता होगी इतिहास ने उनको कभी माफ नहीं किया है जो विकल्प बनाने से डरते हैं जिससे हमारी सम्प्रभुता बनी रहेगी और हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं होगी और विदेशों द्वारा शोषण भी नहीं होगा।

मैं कांग्रेस के लोगों को बताना चाहता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय श्री पी.सी. जोशी ने हिटलर के आक्रमण के विरुद्ध सोवियत संघ का समर्थन करने के लिए गाँधी जी को लिखा था। गाँधी ने उत्तर देते हुए लिखा था कि जब एक जहाज दो पहाड़ियों के बीच होता है और यदि तूफान आता है तो जहाज को बचाने के लिए इसे बीच समुद्र में रखना होता है। उस समय तक शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा।

श्री मुरली देवरा : साम्यवादी पार्टी अब नहीं आई है।

श्री लोकनाथ चौधरी : नहीं, यह समाप्त नहीं हुई है। यह पुनः जागृत हो रही है। सोवियत संघ का विखंडन सोवियतवाद की समाप्ति है न कि साम्यवाद की। यदि आप ईर्ष्या नहीं रखते हैं तो आप देखेंगे कि चीन, हंगरी, इटली और फ्रान्स में साम्यवादी आन्दोलन का पुनः जागरण हो रहा है। उन्होंने अब महसूस कर लिया है कि बदलती अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाता है। एक साम्यवादी का दृष्टिकोण क्या है ? हम साम्यवादी, विश्व को देखते हैं और विश्व को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण बनाते हैं। डंकल पर सदन में चर्चा होगी। श्री मनमोहनसिंह अपने वर्तमान बजट से गरीबों को ही कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि वह मुद्रा-कोष और विश्व बैंक की नीतियों को एक ही दृष्टिकोण से लागू कर रहे हैं। वह प्रधानमंत्री द्वारा दावोस में दिए गए वक्तव्य तथा मुद्रा-कोष और विश्व बैंक के बीच सन्तुलन नहीं रख पा रहे हैं। श्री देवरिया को यह जानना चाहिए।

सभापति महोदय : लोकनाथ जी, आप किन्हीं देवरिया का उल्लेख कर रहे हैं। देवरिया कौन है ? देवरिया उ.प्र. में एक स्थान है।

श्री लोकनाथ चौधरी : प्रधानमंत्री ने अपने विचारों को मूर्तरूप प्रदान करने के वास्ते एक ऐसा बच्चा पैदा किया है जिसके न तो सिर है और न पैर और जो देश की अर्थव्यवस्था को बदतर कर देगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री पी.जी. नारायणन (गोबीचेट्टी पलायम) : माननीय सभापति महोदय, डा. मनमोहन सिंह का चौथा बजट खतरनाक दुस्साहस का प्रतीक है जो अत्यन्त धीमी औद्योगिक उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में सुधार प्रक्रिया के तर्क से नियंत्रित है। चाहे सरकार के प्रवक्ता घटनाक्रम की जैसे भी व्याख्या करें, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि वर्तमान वर्ष के आंकड़े अनुचित रूप से अधिक वित्तीय घाटे का प्रदर्शन करते हैं जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 7.3 प्रतिशत है। यह एक वर्ष पूर्व 4.7 प्रतिशत के घोषित लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। आगामी वर्ष का लक्ष्य भी सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत है जो 1991-92 और 1992-93 दोनों सत्रों में प्राप्त स्तर से कहीं ज्यादा है। एक तरह से डा. मनमोहन सिंह द्वारा एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत बजट का पूरा अंकगणित गलत साबित हुआ है। राजस्व लक्ष्य से काफी कम है। इस तरह की परिस्थिति के लिए कोई विश्वसनीय व्याख्या नहीं दी गई है।

1993-94 में सीमा एवं उत्पाद शुल्कों में कमी की गई थी और 5522 करोड़ रुपये का सकल घाटा था और यह मान लिया गया था कि उत्पाद शुल्क की बेहतर कर वसूली से 1000 करोड़ रुपयों का लाभ होगा। राज्यों के हिस्से के 541 करोड़ अलग रखने के बाद, केन्द्र के खाते में 3961 करोड़ राजस्व घाटा आया था। 4314 करोड़ रुपये का कुल घाटा माना गया था। 1993-94 में केन्द्रीय अर्थप्रबंध में गिरावट मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष करों की वसूली में आई कमी के कारण आई, जबकि संशोधित प्राक्कलन के अनुसार प्रत्यक्ष करों की वसूली पिछले अनुमानित लक्ष्यों के बराबर हुई। तथापि, विदेश मुद्रा भंडार की संतोषजनक स्थिति और विदेशी पूंजी निवेश के देश में आने तथा अप्रत्यक्ष प्राप्तियों के मद्देनजर 1994-95 में वित्तीय घाटे की सकल घरेलू उत्पाद के केवल 6 प्रतिशत पर लाया जा चुका है। यहां तक कि इस तरह के कार्य, शुल्कों के सरलीकरण और उत्पाद-शुल्क ढांचे को न्यायसंगत बनाने संबंधी निर्णयों को देखते हुए कठिन होते हैं।

राज्य भी वर्तमान समय में राजस्व कमी की वजह से अत्यधिक रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि आयकर दरों में समायोजन के कारण केन्द्रीय राजस्व के 'डिविजिबल पूल' के अंशदान में ही 625 करोड़ रुपये की कमी लाएगा। तथापि, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने परिवर्तन संबंधी कोई घोषणा नहीं की है जिसका राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न की बिक्री पर प्रभाव न पड़े या नाइट्रोजन उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि पर पड़ा हो जिससे गैर-योजना खर्च और राजसहायता में कमी की जा सके। यह देखना बाकी है कि क्या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न पर प्रतिबंध के बारे में तथा उचित लाभ सुनिश्चित करने हेतु नाइट्रोजनीकृत उर्वरकों की बिक्री-दर बढ़ाए जाने संबंधी ढ्रए निर्णय लिए जायेंगे। अतएव बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि अगले वित्तीय वर्ष के दौरान क्या होता है और आर्थिक गतिविधियों को लागू करने के प्रयास कैसे उत्साहवर्द्धक परिणाम देते हैं। ऊपर से यह बजट पारंपरिक दीखता है तथा इसमें आश्चर्यजनक तत्व नहीं हैं।

जहाँ तक वित्तीय घाटे का सवाल है, यह आश्चर्य की बात है कि यह घाटा इतना अधिक नहीं है जितना कि यह होना चाहिए था वित्त मंत्री और सरकार ने अधिक वित्तीय घाटे के साथ इस वर्ष और अगले वर्ष खतरे से भरा खेल खेला है। हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि यदि डा. मनमोहन सिंह इस वर्ष महंगाई को रोकने में सफल रहते हैं तो इसका श्रेय अच्छे कृषि-मौसम और विश्व अर्थव्यवस्था की मंदी को जायेगा।

बजट का सबसे ज्यादा दुखद पहलू वित्तीय, राजस्व तथा प्राथमिक घाटें में भारी वृद्धि है। यह गंभीर चिंता

का कारण है। जिस अनियंत्रित तरीके से सरकार ने घाटे को बढ़ने दिया है, वह एक प्रकार से वित्तीय समायोजन कार्यक्रम को 1993 के मध्य से छोड़ना था जिसे जुलाई, 1991 में शुरू किया गया था।

केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय समायोजन के भार को राज्य सरकारों के मत्थे मढ़ने के लगातार प्रयास समान रूप से चिन्ता के विषय हैं। राज्यों और संघ शासित राज्य क्षेत्रों की योजना सहायता इस वर्ष थोड़ी कम कर दी गई है। यह अनुचित है कि केन्द्र सरकार, जो बड़े पैमाने पर वित्तीय और राजस्व घाटे को चलाती है और अपने आपको अनुशासित करने में असमर्थ है, वह इस मामले में राज्यों को दोषी बनाए। कतिपय बुनियादी तथा विकास क्षेत्र योजना परिव्यय में वृद्धि जहाँ स्वागत योग्य है, वहीं पूँजीगत खर्च के मामले में केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रीय सहायता की अपेक्षा राज्य योजनाओं के लिए बहुत थोड़ी राशि उपलब्ध कराना खेदजनक है। यह अधिक उपयुक्त रहेगा कि राज्यों को ज्यादा संसाधन उपलब्ध किये जाएं जिससे वे ग्रामीण विधान और सामाजिक क्षेत्रों में प्रमुख कार्यक्रम शुरू कर सकें।

वास्तव में, राज्य सेवाओं पर शुल्क लगाने की वकालत करते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्व को राज्यों के साथ बाँटने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि सेवाओं पर शुल्क का विशेष प्रावधान न तो राज्य-सूची में किया गया है, अतः उपयुक्त बात यही रहेगी कि राजस्व को राज्यों के साथ बांटा जाए। इसके अतिरिक्त अन्य सेवाओं को भी शुल्क-योग्य बनाया जाए और ऐसा कानून भी शीघ्र बनाया जाना चाहिए जिससे राज्य सेवाओं पर शुल्क लगा सकें। मैं वित्त मंत्री जी से इस पहलू पर विचार करने का आग्रह करता हूँ क्योंकि यह विशेष रूप से उस पारेषण शुल्क को लगाने के संबंध में प्रासंगिक था, जिसकी राज्य एक दशक से भी अधिक समय से मांग करते रहे थे। यह आश्चर्यजनक बात है कि बजट में इस शुल्क का प्रावधान करने संबंधी विधान लाने के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई।

छूट-सीमा और आयकर स्लैब तो एक स्वागत योग्य बात है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अल्प बचत के लिए विशेष प्रोत्साहन के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। वस्तुतः अन्य कंपनियों के ब्रांड नामों का उपयोग करने वाली लघु एककों से शुल्क राहत वापिस लेने से मेरे विचार से अपने उत्पाद स्वयं तैयार करने वाली कंपनियों, और लघु एककों से तैयार करवाने वाली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही, कतिपय बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अत्यधिक प्रतिकूल असर पड़ेगा। हमें आशा है कि निर्गमित क्षेत्र को दी जाने वाली रियायतों का बचत और निवेश को बढ़ावा देने में समुचित उपयोग किया जायेगा।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि योजना के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली सहायता में केवल अल्प वृद्धि की गई है और यह एक दुखदायी बात है कि समग्र रूप से राज्यों को राजस्व की हिस्सेदारी में फायदा नहीं होगा और आम आदमी विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी निर्धन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में राज्यों को स्वयं वित्त व्यवस्था करनी होगी।

गत वर्ष हमारे मुख्य मंत्री डा. पुरतचिखलाइवी ने सुझाव दिया था कि कुछेक संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में पांच वर्ष की एक कर-मुक्त अवधि होनी चाहिए जिसे वित्त मंत्री ने विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया। इसका स्वागत करते हुए हम आशा करते हैं कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का सही-सही निर्धारण किया जायेगा ताकि नये रूप से निवेश किया जा सके।

तथापि, 1994-95 की योजना में ग्रामीण विकास को जो अधिकाधिक प्राथमिकता दी गई है, नयी रोजगार आश्वासन योजना के लिए परिव्यय दुगना करने के लिए जो पहल की गई है तथा शिक्षा, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए परिव्यय में जो वृद्धि की गई है, वह स्वागत योग्य बात है।

यह देखकर प्रसन्नता हुई कि परिव्यय में वृद्धि करके आधारभूत ढाँचे की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई है। और इससे पूंजीगत सामान उद्योग की मांग में वृद्धि हुई है। हमें आशा है कि प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए प्रस्तावित निधि का उपयोग गैर पारंपरिक ऊर्जा और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए किया जायेगा।

यह देखकर भी प्रसन्नता होती है कि वित्त मंत्री ने बजट में एच डी पी ई (प्लास्टिक) से बने मोनोफिलामेंट पर मूल्यानुसार 30 प्रतिशत का केन्द्रीय उत्पाद कर लगाया है। इन वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले एकक करूर, सेलम और बंगलौर में केन्द्रित हैं और इनमें लगभग 50,000 श्रमिक लगे हुए हैं। अधिकतर उद्योग गांवों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं और यह शुल्क बहुत ज्यादा है यह उन मालिकों के लिए अनुचित रूप से कठिनाई पैदा करेगी जोकि अधिकांशतः अशिक्षित हैं। इस उत्पाद शुल्क के कारण अधिकतर एकक पिछले दो सप्ताह से बंद पड़े हैं। जब तक यह उत्पाद-कर वापिस नहीं लिया जाता, तब तक ये एकक चलते नहीं रह सकते। अतः मैं वित्त मंत्री जी से इस मद पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को वापिस लेने का आग्रह करता हूँ।

6.32 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, सूत पर मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क लगाया गया है। अतः सूत का मूल्य बढ़ गया है। सूत के मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण विद्युतकरघे और हथकरघों पर अधिकांशतः प्रतिकूल असर पड़ा है। कताई मिलें, हथकरघों और विद्युतकरघे अब बंद होने के कगार पर हैं। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृपया सूत पर, इस मूल्यानुसार शुल्क की बजाय जो पूर्व उत्पाद शुल्क प्रणाली थी, वही लागू की जाये।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल के शासित मूल्य में वृद्धि डीजल, रसोई गैस की कीमत में वृद्धि तथा कोयला की भाड़ा दरों में वृद्धि से आप लोगों पर बोझ और बढ़ गया है।

इस संबंध में मैं शुरू में ही यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा न केवल हाल ही में हुई मुद्रास्फीति और मूल्यवृद्धि के परिणामस्वरूप आम लोगों पर पड़े भार से ही सरोकार है, बल्कि विभिन्न वस्तुओं के शासित मूल्यों के सन्दर्भ में सरकार का कार्यकरण का जो तरीका है, हम उससे भी चिन्तित हैं। आमतौर पर और विगत में भी सदा यह अपेक्षा की जाती रही हैं। कि जब भी बजट सत्र शुरू होने वाला होता है, लोगों को पड़ने वाले भार की आशंका और मिलने वाली राहतों की प्रतीक्षा होती है। अब वह प्रक्रिया तोड़ दी गई है। अब तो इस सभा में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व ही लोगों पर भार डाल दिया जाता है और अब यह आम बात हो गई है कि बजट के क्षेत्राधिकार से बाहर वाली वस्तुओं के शासित मूल्यों में वृद्धि करके जो संसाधन जुटाए जाते हैं वह बजटीय योजनाओं से जुटाए जाने वाले संसाधनों से काफी अधिक होते हैं।

हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें बना रहे हैं और उदारीकरण, विश्वीकरण, बाजारोन्मुख आर्थिक मानदंडों के

सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार दस बिलियन डालर से अधिक का हो गया है। निर्यात में 15 से 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। 1993-94 में व्यापार घाटा अनुमानित 4314 करोड़ रुपये की तुलना में 9000 करोड़ रुपये तक जा सकता है। वर्ष के शेष महीनों में बजट-पूर्व मूल्य-वृद्धि से घाटे में भाग 400 करोड़ रुपये की कमी आएगी। इसी तरह से, औद्योगिक विकास में भी वृद्धि नहीं हुई है ये चिंता की बाते हैं।

तथापि, आम आदमी इस सुखद स्थिति से प्रभावित नहीं हो पाया है। उसका पूरी तरह से मोहभंग हो गया है उसकी आर्थिक फायदों से अंततः होने वाले लाभ की जानकारी संबंधी विचारगोष्ठियों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में कोई रूचि नहीं है।

उसका वास्ता भविष्य की बजाय अपने वर्तमान से ज्यादा है। वह चाहता है कि उसे आवश्यक वस्तुएं वहनीय कीमतों पर उपलब्ध हों और उसके बच्चों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिएं। आम आदमी चकित है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तो बढ़ते जाते हैं, वहीं थोक मूल्यों में स्थिरता बनी हुई है। तथापि, सरकार को एक कल्पनाहीन लेखाकार के कृत्य की बजाय देश के प्रति अपनी समग्र जिम्मेदारी समझनी होगी।

नयी आर्थिक नीति का कार्यान्वयन करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि इस नीति को जो अनिवार्य आवश्यकता पूरी करनी होगी, वह है अधिक रोजगार पैदा करना और क्रय शक्ति बढ़ाना जिससे लोग एक तर्कसंगत मूल्य निर्धारण नीति की कठोरता को सह सकें। सरकार ने खाद्यान्न के जारी मूल्यों में पहले ही जो वृद्धि कर दी है, वह असहनीय है और अब मूल्यों को और बढ़ाना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करते समय यह आशा भी करती है कि राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के निदेशों को कार्यान्वित करें। अतः राज्य सरकारों को चावल, चीनी, कोयला, पैट्रोलियम और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अक्सर वृद्धि के परिणामस्वरूप लोगों में पैदा हुए रोष को झेलना ही पड़ेगा। तमिलनाडु के प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से बातचीत किए बिना आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। लेकिन लगता है वित्त मंत्री जी ने इस बात को पूर्णतः अनदेखा कर दिया है।

इस तरह से, ये वे चिंता के विषय हैं जिनसे बजट में घोषित व्यावहारिक और विकासोन्मुख कदमों को ध्यान में रखते हुए साथ-साथ निपटना होगा। इस चरण में किसी भी चूक से हमारी संकल्प हीनता ही सामने आएगी और इतने अधिक बलिदान और प्रयासों के पश्चात् हमारा आर्थिक विकास का जो भव्य आधार बना है वह पुनः नष्ट हो सकता है। इन सभी बातों पर एक साथ विचार करते हुए यह मानने का कोई आधार नहीं बनता है कि इस वर्ष ,अर्थात् 1994-95 का वित्तीय घाटा चालू वर्ष के वित्तीय घाटे से किसी तरह से कम रहेगा।

वित्त मंत्री जी जरा भी विचलित नहीं हैं। अपने भाषण में उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया है कि मुद्रा स्फीति पुनः दो अंकों में आ गई है। औद्योगिक विकास में आयी स्थिरता को देखते हुए भी उन्हें आशा की टिमटिमाहट नजर आती है जबकि दूसरों को कुछ भी नजर नहीं आता है। प्रचार माध्यम उनके प्रति निष्ठावान हैं यह वित्त मंत्री की ओर से उनके पक्ष को उजागर करती रहेगी, यहाँ तक कि वित्त मंत्री जी अपने ही भ्रमजाल में आस्था व्यक्त करना शुरू कर देंगे। इससे वास्तविकता में परिवर्तन नहीं आयेगा। बजट से अब यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था विदेशियों की दया पर टिकी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करता हूँ।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, मैं माननीय वित्तमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा बजट का समर्थन प्रस्तुत करता हूं। यह उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला चौथा बजट है। निश्चय ही यह विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत बजट के माध्यम से वर्ष 1991 में शुरू किये गये आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का एक ईमानदार प्रयास किया है।

आज हमारा देश आर्थिक भविष्य के चौराहे पर खड़ा है। सारी दुनिया की नजर हम पर टिकी है। भारत में हुए आर्थिक सुधारों का विश्व के आर्थिक संगठनों ने स्वागत किया है तथा सराहा है। हमारे द्वारा इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों का सभी देशों ने स्वागत किया है और इसकी प्रशंसा की है।

महोदय, वर्तमान आर्थिक सुधार का मूल उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ तथा प्रतिस्पर्धि बनाना है तथा गरीबों, पिछड़ों व आम आदमी को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित कराना है ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके।

महोदय, यह बात निःसंदेह जानी जा सकती है कि कुछ प्रयत्नों के फलस्वरूप हमारे देश की अन्तर्राष्ट्रीय साख बढ़ी है और गरीबों तथा पिछड़ों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बहुत हद तक पूरी हुई है।

महोदय, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में 4080 करोड़ रुपयों की रियायत और सावधिक ऋण पर ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी किए जाने का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार की गति में तेजी लाना है।

महोदय, औद्योगिक क्षेत्र पर गौर कीजिए। कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद भी हम उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर पाए ? औद्योगिक क्षेत्र, के विकास हेतु सम्मिलित प्रयास होने चाहिएं।

अब मैं माननीय वित्तमंत्री के वक्तव्य को उद्धृत करता हूँ : -

''बजट का उद्देश्य मजबूत औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर निवेश तथा पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को मुख्य रूप से प्रोत्साहन प्रदान करना है।''

महोदय, औद्योगिक विकास तथा इस क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान किए बिना हम देश के समक्ष प्रस्तुत समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते। हम बेरोजगारी की समस्या का निराकरण नहीं कर सकते हैं।

महोदय, हमें बजट को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक विशेषतायें हैं, वे इस प्रकार हैं : -

(1) निर्यात के मामले में डॉलर में 21 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि के बाद चालू खाते में रुपये की परिवर्तनियता ;

(2) संतोषप्रद विदेशी मुद्रा भंडार ;

(3) निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा के प्रतिधारण में वृद्धि ;

(4) ग्रामीण विकास हेतु राशि आबंटन में चालीस प्रतिशत की वृद्धि ;

(5) सामाजिक क्षेत्र के लिए अधिक परिव्यय ;

(6) बैंकिग प्रणाली को मजबूत करने हेतु उठाए गए कदम ;

(7) ग्रामीण ऋण प्रणाली ;

(8) निगमित कर की दर में कमी ;

(9) व्यक्तिगत आयकर की सीमा में छूट ; और

(10) कर प्रणाली का सरलीकरण।

सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में राजा चिल्लैया समिति की सिफारिशों के आधार पर कमी की गयी थी।

महोदय, मैं पहले ही कहना चाहूँगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यह एक ठोस शुरूआत की है। हमारा घाटा बढ़कर 5851 करोड़ रुपये हो गया है। इस पर कई तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। कुछ लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि मुद्रास्फीति काफी बढ़ेगी। कुछ लोगों ने कहा है कि यह घाटा समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई भी सामान्य वित्त मंत्री उत्पाद तथा सीमा शुल्क पर रियायत नहीं देगा। उन्होंने 3600 करोड़ रुपये तक की रियायत दी है। इस तरह का मत तैयार करने के लिए बड़े हिम्मत व विश्वास की आवश्यकता पड़ती है।

उन्होंने ऐसा बजट क्यों तैयार किया ? उनके सामने दो विकल्प थे, यथा

(1) लोगों पर अधिक कर लादना तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र हेतु कम राशि का आबंटन करना। दूसरे शब्दों में, घाटा कम होना; और (2) आर्थिक क्षमता का वास्तविक मूल्यांकन करना तथा लोगों को दिए जाने वाले मदद को पूरी तरह सावधानीपूर्वक तैयार करना।

महोदय, हमारे वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने दूसरे विकल्प को चुना। यह हमारे वित्त मंत्री द्वारा उठाया गया एक ठोस कदम था। महोदय, इस बजट की प्रमुख महत्वपूर्ण बात हमारे उद्योगों को काफी अधिक रियायतें प्रदान करना है। महोदय, अनेक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में कमी करके, उन्होंने प्रमुख उद्योगों को रियायतें प्रदान की हैं। कई मौकों पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास नीचे आया है।

महोदय, गत दो वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पाद मात्र 2 प्रतिशत रहा है। परियोजनागत आयातों तथा पूंजीगत वस्तुओं के मूल सीमा शुल्क पर 35 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की कमी; इस्पात पर 95 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की कमी तथा फिर 50 प्रतिशत की कमी की गई। अन्य कई रियायतें दी गईं। इन रियायतों से एक सकारात्मक औद्योगिक माहौल के निर्माण में मदद मिलेगी।

महोदय, बजट की मुख्य बात कर प्रणाली का सरलीकरण तथा सुसंगत बनाया जाना है। आयकर सीमा में छूट की 35,000 रुपये तक बढ़ाए जाने से नौकरीपेशा लोगों को मदद मिलेगी। महोदय, गैर निर्गमित आय पर से 12 प्रतिशत अधिभार को हटा लिया गया है। कर स्तरों में समायोजन किया गया है, इससे भी करदाताओं को मदद मिलेगी।

इस संबंध में, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भते पर आयकर न लगाए जाने पर विचार किया जाए।

महंगाई भत्ता कोई आय नहीं है और यह महंगाई बढ़ने के कारण दिया जाता है। व्यक्तिगत कर में कमी करना तथा इसे वर्गीकृत करके इसे संयत व सरल बनाया जाना एक सही कदम था। अतः मैं माननीय मंत्री जी से मंहगाई भत्ते को आयकर की परिधि से हटाए जाने की मांग करता हूं जिससे उन लोगों को लाभ मिलेगा।

महोदय, कर में प्रमुख रियायत उत्पाद-शुल्क में रियायत तथा आयकर के मामले में लाभ का प्रावधान किया गया है। उत्पाद शुल्क में रियायत से मध्यम वर्ग के लोगों को मदद मिलेगी तथा उद्योगों को मंदी की स्थिति से उबरने में मदद मिलेगी।

विपक्ष हमेशा आलोचना करता रहा है कि यह बजट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के इशारे पर तैयार किया गया है। एक दूसरा उद्धरण अर्थात् ईस्ट इंडिया कम्पनी का दिया जा रहा है। मैं उनकी मानसिकता को नहीं समझता। मैं यह नहीं जानता कि वे इस प्रकार आलोचना क्यों कर रहे हैं वे कह रहे हैं कि हम अपने देश को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक को बेच रहे हैं निस्संदेह मैं यह नहीं समझता कि साम्यवादियों का दृष्टिकोण हमेशा संकीर्ण रहता है। आप लोग हमेशा ऐसा ही सोचते हैं विश्व में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जानने की आपकी रूचि नहीं है। आप विश्व की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विश्व में तेजी से परिवर्तन हो रहा है . . . **(व्यवधान)** . . . आपको विश्व में बदलती हुई स्थिति समझनी चाहिए भारत अकेला नहीं रह सकता है। भारत को बिना किसी हिचकिचाहट के विश्व में हो रहे परिवर्तनों के साथ चलना चाहिए। **(व्यवधान)** हमारे देश की व्यापक क्षमता है, हम किसी की दया पर आश्रित नहीं हैं। हमारी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए ? हमें विश्व बाजार में प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी के रूप में सामने आना चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था गतिशील और अधिक सुदृढ़ हो सके। इसके पीछे यही धारणा है। आप लोग हमेशा तथ्यों की गलत व्याख्या करते हैं और जनता के दिमाग में भ्रम पैदा करते हैं। इस देश में यह योजना कामयाब नहीं होगी। यह बात देश के अनेक राज्यों में हुए चुनावों में सिद्ध हो गई है . . . **(व्यवधान)** . . . इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है मुझे विश्वास है कि . . . **(व्यवधान)** . . . आप उस उद्देश्य को नहीं समझ रहे हैं जिससे श्री मनमोहन सिंह ने यह बजट तैयार किया है, यही सबसे बड़ी परेशानी है।

बजट का असली उद्देश्य क्या है। इक्विटी और विकास ही इस बजट का उद्देश्य है।

बजट का यही उद्देश्य है। सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क में पर्याप्त रियायतें देकर वित्त मंत्री महोदय ने औद्योगिक क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन दिया है ? उनका यह अनुमान है कि इस क्षेत्र में अत्यधिक विकास होगा और इससे पर्याप्त सजस्व की प्राप्ति होगी **(व्यवधान)** श्री लोकनाथ चौधरी जी आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सही नहीं है। हमारे औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। हम पर्याप्त राजस्व प्राप्त कर सकते हैं ताकि इस घाटे को कम किया जा सके और हम यह आने वाले दिनों में सुनिश्चित कर पायेंगे।

उन्होंने निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिए हैं। आज हमारे निर्यात का कितना प्रतिशत है ? आज हमारा 21 प्रतिशत निर्यात होता है। क्या आप इसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं। महोदय, वे मुझसे इसका ब्यौरा मांग रहे हैं, मैं उनकी मानसिकता नहीं समझता हूं। यह कटु सच है जिसे आपको समझना है। हम कृषि में अच्छी सफलता की आशा कर रहे हैं

श्री लोकनाथ चौधरी : उन्हें निर्यात का ब्यौरा देना चाहिए ?

श्री रमेश चेन्नितला : मैं यह नहीं जानता कि आप इस बात को किस प्रकार समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसे समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका दृष्टिकोण संकीर्ण है, यही आपकी समस्या है ? हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाए, कृषि क्षेत्र का विकास हो और कृषि वस्तुओं का निर्यात किया जाए ताकि हम अधिक राजस्व अर्जित कर सकें। उसके बाद बागवानी क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र में निर्यात क्षमता का सही पता लगाया है और इसके आबंटन में वृद्धि करने का प्रयास किया है।

वित्त मंत्री महोदय ने उर्वरकों के लिए 400 करोड़ रुपये की राज सहायता देने के बारे में उल्लेख किया है। इससे उर्वरक राजसहायता संबंधी शंका दूर हो जानी चाहिए। जहाँ तक कृषि का संबंध है,इस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से हम कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि करने की स्थिति में हैं। हरित क्रान्ति क्षेत्र में खाद्य उत्पादन कम हो रहा है परन्तु गेहूँ और चावल की खेती की जाने वाली भूमि के विस्तार हेतु नीति बनायी जानी चाहिए। यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि गेहूँ का प्रति व्यक्ति उत्पादन 1848 किलोग्राम से कुछ अधिक है जबकि विश्व औसत करीब 2144 किलोग्राम है। इसी प्रकार भारत में प्रति व्यक्ति चावल उत्पादन 2025 किलोग्राम के करीब है जबकि विश्व औसत 3004 किलोग्राम है। सर्वोत्तम उत्पादन अस्सी के दशक में कोरिया में हुआ था जो कि 6304 किलोग्राम था। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारत को कृषि क्षेत्र में कठिन परिश्रम करना है ताकि प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। मूलतः भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से यह स्वीकार किया जाता है कि हमारी वस्तुएं गुणात्मक दृष्टि से बेहतर हैं। चूँकि खाद्य उत्पादन मूल्य स्थिरता के प्रश्न से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे विचार से कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करके हम मूल्य ढांचा स्थिर बना सकते हैं। इस बजट में सामाजिक सहभागिता के प्रति गहरी आस्था दर्शायी गई है। सामाजिक क्षेत्र में आबंटन बढ़ाना वित्त मंत्री महोदय की दूसरी रणनीति है। यहाँ सहभागिता का प्रश्न उठाया जाता है। इससे शिक्षा के लिए सामाजिक सहभागिता और स्वास्थ्य के लिए 17.6 प्रतिशत तथा रोजगार सृजन के लिए 20 प्रतिशत की वृद्धि करने में सरकार की गहरी रूचि स्पष्ट होती है। आज हमारे देश के समक्ष बेरोज़गारी की भीषण समस्या है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसके बारे में चिन्तित हैं, हमें इस मुद्दे पर ध्यान देना है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिये। केवल इतना कहना ही उचित नहीं है कि बेरोजगारी की दर घटती जा रही है। मैं इस समझौते में विश्वास नहीं करता। ग्रामीण, शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में हमारे युवक रोजगार के अभाव में इधर-उधर भटक रहे हैं। हमारे देश में शिक्षित बेरोजगार और अशिक्षित बरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है हम एक दिन में इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है इस समस्या पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए ताकि इसे शीघ्रतापूर्वक हल किया जा सके। वित्त मंत्री महोदय ने रोजगार सृजन में 20 प्रतिशत की वृद्धि के लिए आबंटन में बढ़ोत्तरी करने हेतु जो प्रोत्साहन दिया है वह एक स्वागत योग्य कदम है तथा इस बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए और गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे समक्ष यह प्रश्न है कि घाटे में सच्चाई कितनी है ? अनेक माननीय सदस्य यह मुद्दा उठा रहे

हैं कि क्या जमा राशि के ये आंकड़े सही हैं अथवा नहीं। जब बेहतर कर-राजस्व और कर संग्रह पर बल दिया जा रहा है तो हमारे वित्त मंत्री महोदय ने निश्चित रूप से जान-बूझ कर यह जोखिम उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने 15 मिनट ले लिए हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : प्रत्येक व्यक्ति ने एक-डेढ़ घण्टा लिया है आप मुझ पर प्रतिबन्ध क्यों लगा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि 44 सदस्य कांग्रेस के और 25 सदस्य भाजपा के यानी कुल 100 से अधिक सदस्य बोलने के लिए हैं। इसलिए सीमित रहना ही हमारे लिए उचित है।

श्री रमेश चेन्नितला : आशा है कि औद्योगिक लाभप्रदता' में वृद्धि और बेहतर खाद्य उत्पादन से बजट घाटा कम हो जाएगा। यह आशा उन आर्थिक ताकतों की बेहतर समझबूझ पर आधारित है जिन्हें वित्त मंत्री महोदय ने उदारीकरण के द्वारा मुक्त कर दिया है। हमें यह स्वीकार करना है कि वह ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने मुद्रास्फीति की दर दो अंकों से घटाकर एक अंक कर दी है। कुछ ऐसे विकसित देश हैं यह मुद्रास्फीति की दर 150 प्रतिशत अंक से अधिक है, वे अपने गम्भीर प्रयासों के बावजूद भी इसमें कमी नहीं ला पाये हैं वह ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने साहसिक कदम उठा कर मुद्रास्फीति की दर दो अंकों से घटाकर एक अंक में कर दी है।

कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। एक, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि आबंटन के संबंध में है। राज्यों के राजस्व में राज्य योजना, गैर-योजना अनुदान और कर भागेदारी फार्मूला के अन्तर्गत अन्य धनराशि का अंतरण शामिल है। एक राज्य की यही आय होती है। 1994-95 के बजट में इन मदों में, जो राज्यों के संसाधन हैं, बहुत अधिक कमी आयी है।

राज्यों को अनेक विकास कार्य शुरू करने हैं, राज्य सरकारों को अनेक सामाजिक दायित्वों को पूरा करना है परन्तु राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए योजना सहायता में कमी होती जा रही है। इसके विपरीत, केन्द्र की धनराशि में वृद्धि होती जा रही है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ, जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने इस सभा में अनेक बार ठीक ही कहा था कि अनेक राज्य सरकारों का प्रबंध अच्छा नहीं है परन्तु राज्य सरकारों को विकासात्मक कार्य करने हैं, हमें उनकी सहायता करनी है। अब स्थिति यह है कि वे अनियंत्रित फिजूल खर्च कर रहे हैं। राज्य सरकारें योजना की धनराशि को गैर-योजना व्यय के क्षेत्र पर खर्च कर रही हैं और अधिकांश राज्य सरकारें उसका उपयोग उत्पादक कार्यों के लिए नहीं कर रही हैं और वे संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना ही धन खर्च कर रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि राज्य सरकारें यह जानती हैं कि अन्त में जब राज्यों पर ओवरड्राफ्ट हो जाएगा तो वे केन्द्र से सहायता मागेंगे और केन्द्र को उनकी सहायता करनी पड़ेगी। हम इसी प्रणाली का पालन कर रहे हैं। लेकिन दलगत भावनाओं से हटकर में यह कह रहा हूं कि यदि हम बेहतर अर्थव्यवस्था चाहते हैं तो हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को अच्छी तरह जारी रखना होगा। राज्यों को इस प्रकार के दृष्टिकोण का परित्याग करना होगा और उन्हें योजना आबंटन पर दृढ़ रहना होगा तथा उन्हें आर्थिक अनुशासन का पालन करना होगा। निश्चित तौर पर केन्द्र द्वारा आर्थिक अनुशासन बनाए रखना होगा और राज्यों को उसका अनुसरण करना होगा अन्यथा हमारी अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाएगी।

नौवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों को उपयुक्त आबंटन किया जाए। सीमा और उत्पाद शुल्कों में रियायत देने से निश्चित तौर पर राज्यों के राजस्व में कमी आती है। उद्योग को दी गई भारी छूट या उद्योग को दी गई औद्योगिक प्रोत्साहन से राज्यों को घाटा होगा।

7.00 म.प.

अतः प्रश्न यह है कि समस्यों को किस तरह सुलझाया जाए। नौवें वित्त आयोग ने राज्यों को संसाधन के अंतरण के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है। मेरे विचार में वित्त मंत्री को ये बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिएं और इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। नौवें वित्त आयोग की सिफारिश क्या है ? नौंवें वित्त आयोग की सिफारिश में यह कहा गया है कि आयकर में राज्यों का हिस्सा 85 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। लेकिन इस बजट के अनुसार 4,081 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और इससे राज्य प्रभावित होंगे। मैं निश्चित तौर पर यह मानता हूँ कि राज्यों को आर्थिक अनुशासन बनाए रखना चाहिए और उन्हें अपनी फिजूलखर्ची में कटौती करनी चाहिए। उन्हें भी इस मानदंड का पालन करना होगा। लेकिन साथ ही में यह भी ध्यान रखना होगा कि राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विकास कार्य कर रही हैं, वे उन लोगों के स्वास्थ्य एवं उनकी मौलिक आवश्यकताओं का ध्यान रख रही है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन ज्ञापन करते हैं। मैं वित्त मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि वह इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, अन्यथा हमारे राज्यों के समक्ष संकट पैदा हो जाएगा और हमारे विकास कार्यक्रम खटाई में पड़ जाएंगे।

महोदय, मेरा यह कहना है कि केन्द्र राज्यों का संसाधनों का कम हस्तांतरण करना चाहती है। इस सम्माननीय सभा ने पंचायती राज विधेयक को पारित किया है। लेकिन इसे राज्य सरकारों को लागू करना है। निश्चित तौर पर एक वित्त आयोग है। लेकिन जब राज्यों के पास राजस्व होगा ही नहीं, तो वे अपने विकास कार्यक्रम किस तरह से चलाएंगे ? अतः इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार जाना चाहिए और इस दिशा में कुछ भी जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे दो-तीन सुझाव देने हैं। कर वसूल करने वाली व्यवस्था के संबंध में उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। कराधान को संगत बनाने के संबंध में वित्त मंत्री को राजा चेलैय्या समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार बेहतर कर वसूली सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन यदि कर वसूली तंत्र ही दोषपूर्ण हो तो आप किस तरह बेहतर कर वसूली कर सकेंगे ? बजट में इस बात पर बल देते हुए हमें बेहतर कर वसूली तंत्र उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

महोदय, दूसरे क्षेत्रों में भी कराधान हो सकता है। जब आप टेलीफोन बिल पर कर लगा रहे हैं तो आप सेवा और विज्ञापन क्षेत्र पर भी कर क्यों नहीं लगा सकते ? कई रास्ते हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। उन क्षेत्रों को भी कराधान के दायरे में लाया जाए ताकि राजस्व की स्थिति बेहतर हो सके।

अति महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रियायतें उद्योगों को दी गई हैं उनका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। पिछले बजट में भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों एवं उद्योग को बहुत सी रियायतें दी थीं। हमें यह देखना है कि क्या उन रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं को मिला। अतः हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो रियायतें औद्योगिक क्षेत्र को दी गई हैं, उसका लाभ उपभोक्ताओं को भी मिले।

अंत में, मैं दो-तीन बातें कहूंगा जो हमारे राज्य और गरीब जनता को प्रभावित करती हैं।

रबड़ चप्पल का उपयोग आम जनता और गरीब लोगों द्वारा किया जाता है। इसका अधिकतम मूल्य मात्र 50 रुपया होता है। लेकिन रबड़ चप्पलों पर उत्पादन शुल्क एवं रबड़ कंपाउंड पर शुल्क में वृद्धि किये जाने के कारण हवाई चप्पल के मूल्य में भारी वृद्धि होगी, इससे आम आदमी प्रभावित होगा। चूंकि यह भारी मात्रा में उपयोग की जाने वाली वस्तु है। अतः इस पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने से न केवल आम आदमी प्रभावित होगा, बल्कि लघु उद्योग जो देश के हजारों व्यक्ति को रोजगार देता है, भी प्रभावित होगा।

दूसरे छाते पर भी उत्पाद शुल्क लगाया गया है। इस मामले का उल्लेख पहले भी कई सदस्यों ने किया है। मैं इसका जिक्र करने नहीं जा रहा हूं। छाते का भी उपयोग सामान्य द्वारा किया जाता है।

हमारे देश में हस्तनिर्मित साबुन का उपयोग भी आम लोगों द्वारा किया जाता है। अतः हस्तनिर्मित साबुन पर भी उत्पाद शुल्क को कम किया जाना चाहिए।

आयुर्वेदिक दवाओं, जिसे प्राचीन आयुर्वैदिक नुस्खे के अनुसार तैयार किया जाता है, उस पर आयात शुल्क कम किया जाना चाहिए क्योंकि आज लोग एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बदले आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, यह हमारी संस्कृति, विरासत और भारतीय मूल से जुड़ा है।

अंत में, मैं इलेक्ट्रॉनिक असम्बलिंग यूनिटों पर लगाए गए शुल्कों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस क्षेत्र में हजारो महिलाएं श्रमिक सहकारी समितियो के माध्यम से कार्य करती हैं। शुल्क लगाए जाने के कारण उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें ताकि वे अपना कार्य जारी रख सकें।

अंत में, मैं प्रधान मंत्री द्वारा डाबोस में विश्व आर्थिक मंच में दिए गए भाषण का अंश उद्धृत करता हूं : -

"भारत एक सफल लोकतांत्रिक देश होने के साथ-साथ वास्तविक तौर पर गतिशील एवं विश्व परिस्थितियों के अनुरूप अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो इस नई बदलती विश्व परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपने बड़े और उभरते बाजार के साथ भारत एशियाई एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक शक्तिशाली प्रेरणा स्रोत हो सकता है।"

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री काशीराम राणा।

श्री काशीराम राणा : जिन माननीय सदस्यों को पहले बोलने का मौका मिला उन्होंने अधिक समय लिया था। अतः आप कृपया अपना भाषण पंद्रह मिनट में समाप्त करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994-95 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी

ने इस सभा-गृह में प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बजट का विरोध इसलिये करना पड़ रहा है क्योंकि यह बजट देश के आम लोगों में खुशहाली नहीं लायेगा बल्कि उन्हें तबाह करेगा। यह बजट स्माल स्केल सैक्टर के हित में भी नहीं है, बल्कि उसमें बर्बादी लायेगा ओर इसीलिये मैं इस बजट का विरोध करना चाहता हूं।

यह बजट एन्टी-प्यूपिल बजट है, क्योंकि यह डंकेल प्रस्तावों पर आधारित है। इसे न तो वित्त मंत्री ने स्वयं बनाया है और न प्रधानमंत्री जी की इंसपिरेशन पर बनाया है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिये मैंने कहा है इस बजट से पूरे देश की इंडस्ट्री, खासकर लघु उद्योग और जितनी लघु इंडस्ट्रीज हैं, उनको भारी आघात पहुंचेगा, उन्हें खत्म करके मल्टी-नेशनल्स को देश में इन्वाइट किया जा रहा है और उन्हें ही देश में इस्टैब्लिश करने का इरादा इस सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार का है।

इस बजट में 6 हजार करोड़ रुपये का घाटा बताया गया है। इस घाटे के बारे में, मैं वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम इतनी एफीशियेंटली अपना कारोबार करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे कि यह 6 हजार करोड़ रुपये का घाटा नहीं रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हंसी भी आती है वित्त मंत्री के इस स्टेटमेंट पर कि यह 6 हजार करोड़ रुपए का घाटा कम हो जाएगा। उनके ही बजट में जो डिटेल दी गई है उसमें बताया गया है कि 1993-94 में 4314 करोड़ रुपए का घाटा था जो आखिर में बढ़कर 9 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। यह गरीब लोगों के लिए नहीं यह अमीर आदमियों के लिए है। इसी प्रकार से 1992-93 में जो घाटा 5382 करोड़ रुपए का बताया था वह रिवाइज होकर इनके अनुसार 7212 करोड़ रुपए का था जो अन्त में बढ़कर 12312 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार से देखा जाए तो हर साल जो घाटा इन्होंने बजट में बताया वह अन्त में बढ़ता ही गया है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह जो घाटा 6 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है यह साल के अन्त में 20 हजार करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। जो घाटा लास्ट ईयर का बताया गया है अगर 15 दिन पहले डीजल, रसोई गैस, चीनी, चावल और गेहूं के दाम नहीं बढ़ाए जाते तो यह घाटा 14-15 हजार करोड़ रुपए होता। मेरा कहना है कि इस साल भी ये ऐसा ही करेंगे। जब साल के अन्त में यह घाटा बढ़ जाएगा, तो गरीब और आम आदमियों के उपयोग की चीजों के दाम फिर बढ़ा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने क्या उपलब्धियां की हैं इसके लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। इस सम्बन्ध में हमारे रमेश चेनीतला और मुरली देवड़ा जी ने भी कई बातें कहीं हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में इस देश के ऊपर कितना ऋण लाद दिया गया है वह मैं आपके माध्यम से यहां बताना चाहता हूं। 1992-93 में 3,54,262 करोड़ रुपए का ऋण इस देश पर था और अब 1994-95 में 5,32,753 करोड़ रुपए का ऋण इस देश पर इस कांग्रेस सरकार ने लाद दिया है इससे इनकी कारगुजारियों का पता चलता है कि वे कितनी खराब हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सालाना ऋण के ऊपर ब्याज कितना दे रहे हैं वह मैं बताना चाहता हूं। 1991-92 में 26,563 करोड़ देते थे और अब 46 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा देते हैं। हमारे देश का कुल एक वर्ष का राजस्व 86 हजार करोड़ रुपया है और उसमें से 46 हजार करोड़ रुपए ब्याज में जा रहे हैं। इस प्रकार से तो ऋण

लेते रहो और अपनी अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ करते रहो, इस प्रकार से कैसे काम होगा और हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी।

मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता को मिसगाइड करने का कांग्रेसी सिलसिला जो सालों से चल रहा है उसमें डा. मनमोहन सिंह भी शामिल हो गए। जब 28 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पढ़ रहे थे, तो आप लोग अपनी टेबल थपथपाकर खुश हो रहे थे, देश की जनता भी खुश हो रही थीं। लेकिन पहली मार्च को जनता को जब पूरा पता लगा तो उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। डा. मनमोहन सिंह के नार्थ ब्लाक के ऑफिस में स्माल सैक्टर के कई लोग आने-जाने लगे।

कहा जाता है कि यह ग्रोथ ऑरिएन्टेड बजट है। मैं समझ नहीं पाया कि यह कैसा ग्रोथ ओरिएन्टेड बजट है। देश की 22 लाख स्माल स्केल यूनिट्स में से 5 लाख यूनिट्स आज बन्द पड़ी हैं, लाखों कामगार बेकार हो चुके हैं, यह इंडस्ट्री की रिपोर्ट हैं।

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय के एक आंकलन के अनुसार, वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त 2 लाख 45 हजार एकक हैं जो गत कुछ वर्षों के दौरान रूग्ण हो गए हैं।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि प्रोडक्शन होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए लेकिन मास प्रोडक्शन मासेस से होना चाहिए। आज आप जो ग्रोथ ओरिएन्टेड बजट बता रहे हैं, उसमें इन्सान की कोई कीमत नहीं है। जहां पर मानव-शक्ति विपुल है और उसका उपयोग नहीं होगा तो ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगा। सरकार ने ग्रोथ आरिएन्टेड बजट की जो बात बताई है, उससे ऐसा लगता है कि वह इस देश में स्माल सैक्टर की सभी यूनिट्स को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। क्योंकि डंकल में उनको यही सिगनल दिया गया है।

इस देश में हम टोटल रिवैन्यू का 31 प्रतिशत बौरो करते हैं, इसलिए भी 19,600 करोड़ का ऋण बढ़ने वाला है। क्या यह ग्रोथ ओरिएन्टेड बजट है ?

7.19 म.प.

श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए

हमारे वित्त मंत्री पहले बार-बार यह क्लेम करते थे कि हम 6 प्रतिशत का ग्रोथ कर पाएंगे लेकिन वे 4 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़े। यदि देश की अर्थव्यवस्था इस तरह से चली तो उनका 6 प्रतिशत का क्लेम कभी पूरा नहीं होगा।

इस बजट से छोटे-छोटे उद्योगों पर आपने बहुत भारी एक्साइड ड्यूटी लगा दी है। एक ओर बड़े आदमियों को सहूलियत देने के लिए कस्टम ड्यूटी में रिलीफ दिया गया है, तो दूसरी तरफ छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि डा. मनमोहन सिंह जी और प्रधानमंत्री जी ने वायदा नहीं किया कि इसका क्या प्रतिकूल असर पड़ेगा ?

मैं अभी अपने मित्र मुरली देवरा जी का भाषण सुन रहा था। वह एक तरफ बजट की प्रशंसा कर रहे थे तो दूसरी तरफ बम्बई, सूरत, अहमदाबाद और पूरे देश भर की स्माल स्केल इंडस्ट्रीज पर जो एक्साइज ड्यूटी लगायी गई, उसका विरोध कर रहे थे। टेक्सच्यूराइज्ड यार्न के प्लांट्स जो कि ट्राइबल इलाके में चल रहे हैं, उसके ऊपर आपने एक्साइज ड्यूटी लगा कर, उनको मुश्किल में डाल दिया है। एक मार्च से ऐसी सारी यूनिट्स बंद पड़ी है। करोड़ों-अरबों रुपये की हानि इस देश को इससे हो रही है और लाखों कामगार इससे बेकार हो रहे हैं। गांवों के आसपास जितनी इंडस्ट्रीज चलती थीं, उनको खत्म करने का आप शायद इरादा रखते हैं। जामनगर में ब्रास पार्ट्स के कारखाने हैं। (और भावनगर में रोलिंग मिलें हैं) वहां जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री हैं, जिसे डैवलप करने के लिये कई प्रयत्न हम लोगों ने किये थे, इस बजट के द्वारा उन पर 10 परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगायी गई है। वह भी बंद पड़ी है। राजकोट में आयल इंजन इंडस्ट्री हैं, उस पर आपने 15 परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। वह सारे देश को आयल ईंजन सप्लाई करती थी। यह इंडस्ट्री बंद ही नहीं हुई है बल्कि देश के करोड़ों किसानों को भी अन्न उत्पादन करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इससे किसान दुखी हैं।

गांवों में छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज जो कि जरी, झालर, रिबन, इलास्टिक टेप, लेस बार्डर और प्लास्टिक की चीजें बनाती थीं, वे भी बंद होने के कगार पर हैं। गरीब लोग जो कि इसको चलाते हैं, वे वहीं सोते हैं, वहीं काम करते हैं और वहीं खाना खाते हैं। वहां का एक्साइज आफिसर आकर उन्हें कहता है कि मेरे कहे बगैर तुम माल बाहर नहीं निकाल सकते हो। यह सरकार क्या कर रही है ? यह कैसा ग्रोथ ओरियंटिड बजट है ? आप देश को क्या बनाना चाहते हैं ? देश के लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से देश का विकास नहीं होगा। इससे विकास मल्टी नेशनल का होगा और आप सबका होगा।

जब गुजरात के मुख्यमंत्री वित्तमंत्री जी से मिलने के लिये गये और कहा कि आपने क्यों टैक्सचराइज्ड प्लांट्स पर ड्यूटी लगा दी है तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि वहां से टैक्स इवेजन बहुत होता है।

[अनुवाद]

मैं डा. मनमोहन सिंह से पूछना चाहता हूं - कर चोरी के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

डा. मनमोहन सिंह जिम्मेदार हैं, उनका विभाग जिम्मेदारहै। मैं समझता हूं और गुजरात के लोगों का भी विश्वास है कि यह सूरत और गुजरात की जनता का अपमान है।

[हिन्दी]

आपको टैक्स चाहिए तो दूसरा कोई रास्ता निकालिये।

मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और गुजरात दो ऐसे स्टेट्स हैं, जो देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग चाहते हैं कि वह जो कमाते हैं, उसमें से थोड़ा हिस्सा सरकार को भी दें, जिससे देश का विकास हो सके। लेकिन उनके लिए कहा गया है कि वह टैक्स इवेजन करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से टैक्स इवेजन कम करने का नहीं, करप्शन बढ़ाने का काम सरकार ने बजट के थ्रू किया है।

आप जो चाहें एक्साइज लगा दें और एक्साइज वसूली के लिए आफिसर्स बढ़ेंगे, तो इससे आपका खर्च भी बढ़ेगा। मैं बजट देख रहा था तो लास्ट ईयर में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर 2000 करोड़ रुपये बढ़ाया

है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज वाले हैं, इनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, उसे वापस लेना चाहिए। इतना ही नहीं मैनमेड फाइबर पर तो करीब 300 परसेंट लगाई है और जिस प्रकार से बजट की रचना की गई है, उसमें ऊंचे किस्म के कपड़े पहनने वालों को रिलीफ मिली है और छोटे आदमियों, गरीब आदमियों, कामगारों और सैलरीज पीपुल के द्वारा इस्तेमाल होने वाले कपड़े पर ड्यूटी बढ़ाई है मनमोहन सिंह जी ने इसमें अपनी जादूगरी दिखाई है। पहले 20 रुपये मीटर के कपड़े पर 50 पैसे प्लस 5 परसेंट मिलाकर एक रुपया 50 पैसे होता था लेकिन उस पर 10 परसेंट ड्यूटी करने से दो रुपये हो गया और उस पर 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई यानि 33 परसेंट और अब देना पड़ेगा। 40 रुपये पर मीटर के कपड़े पर पहले 2.50 रुपये लगता था लेकिन अब 4 रुपये देना पड़ेगा, मतलब 1.50 रुपये और देना पड़ेगा। छोटे आदमी के लिए तो आपने बढ़ा दिया लेकिन बड़े आदमी को इसमें रिलीफ दी गई है। जो 100 रुपये प्रति मीटर वाला कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसे पहले 2.50 रुपया प्लस 20 परसेंट देना पड़ता था यानि 14.50 रुपये लेकिन अब 10 परसेंट के हिसाब से उसको 10 रुपये देना पड़ेगा। क्या यह बड़े आदमी की सरकार नहीं है। छोटे आदमी जो 70 प्रतिशत गांव में रहते हैं, उनके पहनने वाले कपड़े पर और जो मां-बहनें रीबन लगाती हैं, उन पर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाई है।

काटन के ऊपर पहले ड्यूटी 20 पैसे थी, जिसको अब 50 पैसे कर दिया गया है और उसमें 150 परसेंट की वृद्धि की गई है। मेरे पास बहुत सारे फीगर्स हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से गरीब लोगों की लूट की जा रही है और अमीर लोगों को रिलीफ देने के लिए मनमोहन जी ने बजट में चालाकी और जादूगरी की है।

इसी तरह काटन यार्न का मामला है, जिसका 240 मिलियन किलोग्राम प्रोडक्शन था, पहले उसकी ड्यूटी 0.575 थी लेकिन अब वह 2.60 रुपये हो गई, 352 परसेंट ड्यूटी उस पर लग गई। मनमोहन सिंह या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कैसे एक्साइज को लागू किया है, इसका पूरा इतिहास यह बजट कह रहा है। अब इस बारे में वित्त मंत्री को हमने रीप्रजेंट किया तो उन्होंने कहा कि जिसका 30 लाख रुपये टर्न ओवर होगा, उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि स्माल स्केल सैक्टर से तो पूरी एक्साइज ड्यूटी इसको वापस लेना ही पड़ेगा। हमारे वित्त मंत्री ने टीवी और मीडिया के ऊपर जो प्रोमिस किया है कि 30 लाख के टर्न ओवर पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, तो यह 30 लाख ही क्यों रखी है। 1986 में इसे 30 लाख किया गया था। लेकिन 1994 तक रुपये का मूल्य कम हो गया। तब रुपये का मूल्य 22 पैसे था और अब सात पैसे हो गया है तो मैं यह मांग करना चाहता हूं कि छोटे-छोटे इण्डस्ट्री वालों से, जो अपने घर में मशीन लगाकर धन्धा करते हैं, उनके लिए यह 30 लाख की सीमा कम है और इसको बढ़ाकर 75 लाख करना चाहिए, तभी छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज बच पाएंगी।

आजकल रेशनेलाइजेशन और सिम्प्लीफिकेशन का बड़ा नाम है लेकिन इससे फायदा किसको होगा ? इससे बड़े लोगों का फायदा होगा। इस किताब में बताया गया है कि 325 करोड़ रुपये की आमदनी यार्न पर जो अलग-अलग प्रकार की एक्साइज ड्यटी बढ़ाई है, इससे होगी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपने जो 325 करोड़ रुपये की ड्यूटी लगाई है, इसका एस्टीमेट आपने जान बूझकर कम दिया है। मेरा कहना है कि इससे 1000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की आमदनी होगी, जो आपने 10 परसेंट एक्साइज ड्यूटी यार्न और रीरोलिंग मिल वगैरह पर लगाई है।

अभी रमेश भाई कह रहे थे कि आज देश में 70 परसेंट लोग जो गांवों में बसे हैं, वह 80 परसेंट आयुर्वेदिक मैडीसंन यूज करते हैं। इस पर आपको 10 परसेंट एक्साइज लगाने की क्या जरूरत थी ? इससे गरीब आदमी पर असर पड़ेगा। आयुर्वेदिक मैडीसंन और स्माल स्केल सेक्टर पर, छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज पर जो एक्साइज लगाई गई है, वह वापस लेनी चाहिए, नहीं तो करप्शन बढ़ेगा। आज मैं यहां पर सूरत को रीप्रजेण्ट कर रहा हूं। एक्साइज लाइसेंस लेने के लिए वैसे तो कोई फीस नहीं है लेकिन एक मार्च से पहले इस पर 1000 रुपये लिए जाते थे लेकिन 18 मार्च को इस पर 10,000 रुपये हो गये। उसी के अनुसार वहां के लोग मांगते हैं तो इससे करप्शन बढ़ेगा। इससे छोटे आदमियों के लिए भी मुश्किल हो जायेगी।

इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से आदमियों को गुमराह करके इस बजट के थ्रू आप अरबों रुपये कमाने की दयानत छोड़ दीजिए। गुजराती में कहावत है ''दुखिया जनों की जठराग्नि जाक्षे, भूखे मारन रानी भस्म कणी ना लाक्षे'', यानि गरीब मर जायेगा तो मर जायेगा लेकिन जो मरने वाला है, उसको भी भस्म कर देगा।

आखिर में जो यहां पर कापसे जी ने भी बताया है कि आयकर की जो सीमा है, वह 30 से 35 हजार कर दी गई है, यह भी एक मजाक है। अगर बड़े आदमी को चाहिए तो दे देते हैं, जैसे बजट में स्पिनर्स पर एक्साइज 69 रुपये से कम करके 69 परसेंट होगी, मतलब एक किलो पर सीधे 7 रुपये की छूट दे दी गई है कि जाओ, खाओ। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं वह यह है कि ये जो सैलरीड पीपल हैं, जो बेचारे ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं, अब जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से जो इनको आपने पांच हजार की और छूट दी है, तो क्या आप इनको कोई भिखारी समझते हैं। इनको तो 30 हजार की बजाए 50 हजार करके इन गरीब और सैलरीड लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। आप जो बड़े-बड़े आदमियों को ही राहत देते हैं यह ठीक नहीं है वह तो कहीं से भी कर लेगा।

महोदय, अंत में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी सरकार ने सर्विसेस के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया है। टेलीफोन के ऊपर पांच परसेन्ट टैक्स लगा दिया, इसका क्या आप कोई तर्क दे सकते हैं। सरकार को अगर पैसा चाहिए तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जो आपने तय किया है इसमें आप कुछ ऐसे स्टेप लीजिए जिससे बचाव हो सके। लेकिन आपने पांच परसेन्ट टैक्स टेलीफोन के ऊपर लगा दिया, तो इस प्रकार से जो सर्विसेस के ऊपर भी टैक्स लगाया है वह ठीक नहीं है और जो सबसे गलत बात की है, हमारी जो सोशल सर्विस है उसमें भी आपने इतना कम पैसा इस बजट में रखा है। आपने सोशल सर्विसेस में, एजुकेशन, हैल्थ में पिछले साल 2644 करोड़ रुपया रखा था, लेकिन इस साल आपने 2623 कर दिया। क्या हमारे देश में सब एजुकेट हो गए।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आप अमेरिका को देखिए, आप बड़ी-बड़ी डेवेल्पड कंट्रीस की बात करिए वहां आप देखिए सोशल सर्विसेस के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। जब कि यहां पर एजुकेशन, हैल्थ के लिए इस बजट में कम कर दिया गया है। इसके लिए हमें कहना पड़ता है कि यह सरकार सिर्फ छोटे आदमी को, गरीब आदमी को और छोटे इंडस्ट्री वाले को ही मारना चाहती है और यह बड़े आदमी को ही खुशहाली में रखना चाहती है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि यह बजट गरीबों की खुशहाली के लिए

नहीं, लघु उद्योगों की खुशहाली के लिए नहीं है। लेकिन यह बजट बड़े-बड़े उद्योगपति, मल्टीनेशनल कम्पनियों के ओनरों के लिए खुशहाली लाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह तबाही का बजट है और इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा (हसन) : महोदय, पहले मैं बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

मैं अपने सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की भावनाओं को आहत करना नहीं चाहता। मुझे लोकसभा सचिवालय द्वारा भेजी गई सूचना बुलेटिन मिली है। भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री श्री चिदम्बरम ने स्वयं इसके बारे में कहा है। उन्हें लगता है कि इस वर्ष का बजट दो मुद्दों के इर्द-गिर्द रहेगा। पहला है बीमा, विद्युत, तेल और दूरसंचार के प्रमुख क्षेत्रों में सुधार आरम्भ करने की घोषणा करने में संकोच। दूसरा मुद्दा जिस पर भारी बहस होगी, वह आर्थिक घाटा है। भूतपूर्व मंत्री श्री चिदम्बरम ने यही अभिव्यक्त किया है।

हमारे महाराष्ट्र के मित्र श्री मुरली ने, जो इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, अपने वक्तव्य में श्री पालकीवाला की अभ्युक्तियों पर ध्यान आकृष्ट किया है। यह सूचना संसद सचिवालय द्वारा दी गई है। श्री पालकीवाला ने चेतावनी दी है कि यह भूलना नहीं चाहिए कि तीसरी दुनिया की सहायता के लिए एफ आई आई नहीं है और यहां आने का उनका सीधा सा उद्देश्य निजी और स्वार्थ से प्रेरित है।

मैं केवल माननीय वित्त राज्य मंत्री का ध्यान इस वक्तव्य की और आकृष्ट करना चाहूंगा।

द इकोनोमिक टाइम्स रिसर्च ब्यूरो ने 1994-95 के बजट को उद्योग के लिए हितकारी माना है क्योंकि इससे लगता है कि यह मुक्त बाजार की शक्तियों को मार्ग देकर अर्थव्यवस्था के गैर विनियमन को बढ़ावा देगा।

महोदय, श्री मनमोहन सिंह का बजट उनके पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों से कई मायनों में भिन्न है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें गरीब की दशा सुधारने जैसी दिखावटी बात नहीं है जो उनसे पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों की प्रिय अभिव्यक्ति होती थी। मैं इस माननीय सदन का ध्यान क्यों आकृष्ट कर रहा हूं ? अपने बजट भाषण के भाग-ख में उन्होंने स्वयं कहा है : "अध्यक्ष महोदय, यह बजट इस दृढ़ विश्वास से प्रेरित है कि भारत में वे सभी सामग्रियां और मानव संसाधन हैं जिनके बल पर वह विश्व का एक अग्रगण्य राष्ट्र बन सकता है।" डा. मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण के भाग-ख में यही कहा है।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि आज जापान के पास 90 अरब अमरीकी डालर का अतिरिक्त व्यापार कैसे है। भारत के विषय में सारा जादू लगाकर उन्होंने अपने बजट भाषण के भाग-क में कहा था कि विदेश स्तर पर नाटकीय प्रगति हुई है। उन्होंने जादू शब्द का प्रयोग नहीं किया था। फिर भी उन्होंने कहा था "जैसा कि मैंने कहा है, सभी बातों में कोई न कोई जोखिम होता है।" दोनों तरीकों से वे बात कहते हैं।

महोदय, मैं सदन का ध्यान उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां तक 1993-94 की स्थिति का संबंध है, तो राजस्व में घाटा 58,551 करोड़ रुपये का है। बजट घाटा 34,058 करोड़ रुपये और राजकोष घाटा 9,060 करोड़ रुपये का है। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है, हालांकि इस वर्ष उन्होंने

तकनीकी विशेषज्ञ होने के चलते काफी चतुराई से इसे दूसरी तरह से प्रस्तुत किया है। हम उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण अभिव्यक्ति को समझ नहीं सकते और हमें यह स्वीकार करना होगा। बजट में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र को दिए गए उधारों का आकलन नहीं है। उन्होंने आराम से इससे बचने की कोशिश की है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं और कोई अशोभनीय शब्द नहीं कहना चाहता।

महोदय मैं राज्य विधान सभा में विपक्ष का नेता हुआ करता था और 1971 से ही इसी सदन में गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ और भ्रष्टाचार आदि हटाने पर ढेर सारी चर्चाएं सुनता था। ये नारे श्रीमती गांधी के दिनों में दिए गए थे। आज वे सारे भुला दिए गए हैं। अपने पहले बजट भाषण में श्री मनमोहन सिंह ने स्व. राजीव गांधी का जिक्र तो किया। पर आज वह नाम नहीं है। वे चुपचाप उसे भूल गए क्योंकि सार्वजनिक स्मृति कम होती है। इस बार उन्होंने केवल वर्तमान प्रधानमंत्री की चर्चा की है। वे प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञ हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय के सर्वोच्च पद पर उन्हें बैठा दिया है। मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है।

महोदय, आज का नारा 'बाजार की शक्तियों और परिवर्तनीया, निर्यात को बढ़ावा, निजीकरण और विश्वकरण की बात' है। ये मात्र नारें हैं और इससे अधिक कुछ भी नहीं हैं। पूरा वाद-विवाद इन तीन अथवा चार पहलुओं पर ही केन्द्रित है और इससे अधिक कुछ नहीं है।

महोदय, चूंकि मुझे अधिक समय नहीं मिला है, अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से मात्र यही पूछना चाहूंगा कि उन्होंने उद्योगपतियों, अथवा कंपनियों अथवा बड़े निगमित क्षेत्र को कितना उपहार - मैं इसे उपहार ही कह सकता हूं - दिया है।

मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता। मैं तो जहां तक औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों का संबंध हैं, इनके संबंध में तुलनात्मक आंकड़े चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने किस भाव के साथ कहा है : ''हमारा कृषि क्षेत्र सशक्त है, और नई नीतियों से भलीभांति तालमेल बैठा सकता है।'' आपने कृषि के क्षेत्र में कौनसा उदारीकरण किया है ? मुझे तो जानकारी है नहीं ; कृपया अपने उत्तर में यह बताएँ। (व्यवधान)

मैं एक अपील करना चाहता हूँ। मैं कभी भी व्यवधान नहीं डालता जब कोई बोल रहा होता है। मैं तो कार्यवाही देखता हूं। क्योंकि मैं पहली बार संसद में आया हूं, मैं तो कम से कम यही सोचता हूं कि मुझे कि मुझे कतिपय गरिमा और मर्यादा बनए रखनी चाहिए। मैं उस सीमा से अधिक नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने निर्धन लोगों की बजाय सम्पन्न लोगों की कैसे सहायता की है। उन्होंने वेतनभोगियों को कर-छूट प्रदान की हैं, अब प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक का सकल वेतन पाने वाले पर कोई कर देयता नही है। श्रीमन, आप स्वयं हम सभी से अधिक जानकारी रखते हैं क्योंकि मैं आपके घर आया था और आपके जीवन स्तर से परिचित हूँ, मैं ईमानदारीपूर्वक कहूंगा कि आपको समाज के निर्धन वर्गों की चिंता है। क्या 4000 रुपये प्रतिभार पाने वाला कोई व्यक्ति ईमानदारीपूर्वक रह सकता है ? हमें अपने दिल को टटोलना चाहिए। मैं यहाँ पर राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी के साथ ही कितना कर-संग्रह होता है ? यहां तक कि गत वर्ष से अधिक शीर्ष उद्योगपतियों ने कर के रूप में एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया है। क्योंकि आपने इतने सारे अवसर जो दे दिए हैं। कल बैंकिंग विधेयक पर इतना अधिक वाद-विवाद हुआ। मैं सब देख रहा था। इन

सभी कानूनों से उन शीर्ष उद्योगपतियों अथवा बड़े औद्योगिक घरानों को इस बारे मे पर्याप्त अवसर मिल गये हैं कि कर कैसे बचाया जाये। वे यह सीखने के लिए देश से बाहर विशेषज्ञ रखते हैं कि कर से कैसे बचा जाए। क्योंकि वे डा. मनमोहन सिंह से अधिक चतुर हैं।

आप इस प्रभाव में न रहें कि डा. मनमोहन सिंह अधिक चतुर हैं। श्री पालकीवाला जैसे चतुर काफी लोग हैं। मैं उनके नामों का यहां उल्लेख नहीं करना चाहता। आप बजट प्रस्तावों अथवा आपने जो कदम उठाये हैं, उनकी ऐसे ही पुष्टि अथवा समर्थन करेंगे। आपको यह करना ही होगा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। यदि आप हमारी जगह होते, तो आप मेरे से भी अधिक आलोचक रहे होते। मुझे इस बारे में भरोसा है।

आपने औद्योगिक क्षेत्र को क्या - क्या फायदें प्रदान किए हैं ? आपने कंपनी कर 51.7 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। आपने आयात शुल्क 85 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। आपने सभी उपभोक्ता सामान जिनमें मनोरंजन और इलैक्ट्रानिक सामान शामिल है पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। आपने सभी सौन्दर्य-प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क को 70 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। आपने कंपनियों पर पूंजीगत लाभ कर को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया है। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि एफ आई आई को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। अब भारतीय उद्योगपतियों की ओर से माग की गई है। उनका कहना है कि आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, आप वही फायदे हमें भी क्यों नहीं दे सकते। एक यह मांग है। क्योंकि एफ आई आई हमारे आपने अनिवासी भारतीय है अथवा मुझे उन्हें क्या कहना चाहिए, यह मुझे नहीं मालूम। हमारे भारतीयों को 40 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है जबकि एफ आई आई को केवल 10 प्रतिश्त ही देना पड़ता है। यह भेदभाव आपने दिखाया है।

इसके अतिरिक्त आपने निर्यातकों को काफी सुविधाएँ दी हैं। मैं सभा का ध्यान एक बात को ओर दिलाता हूँ। ये सभी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। आपने किसानों को कुछ नहीं दिया है। लेकिन हमारे उन मित्रों - उन बड़े लोगों को जो इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं को आप सभी चीजें दे रहे हैं। हमने अब ऋण के पैसे और कृषि निर्यात आदि से 13 बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित कर ली है - जोकि बहुत अच्छी बात है और एक सुखद उपलब्धि है। आप निर्यातकों को असीमित ऋण प्रदान कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों ने उस निर्यात क्षेत्र, जहां पर खाते अनियमित नहीं थे, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिना किसी सीमा के ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। इस निर्णय की जानकारी कैबीनेट सचिव जफर सैफुल्लाह की अध्यक्षता में व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में दी गई। ये सभी लोग इन मालिकों की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। इससे अधिक कुछ नहीं है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता। बिना किसी सीमा के ऋण दिया गया है ; और देखिए वे उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। वे लोग बिना कोई निर्यात किए और जो कुछ उन्होंने देश में बनाया है, उसकी देश में ही बिक्री करके रियायत ले रहे हैं। यही यहीं पर हो रहा है; और आपने इसे नहीं रोका है। हमारे सबसे वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बार बता रहे थे कि निर्यात की खानापूर्ति और बीजक तैयार करके; वे लोग फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने यही बात कही थी। आज वे निर्यातक

निर्यात के नाम पर अपना माल देश में ही बेच रहे हैं और फायदा ले रहे है। कृपया यह बात समझिए; और भगवान के लिए इस सभा में बैठकर लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। हम उन सभी बातों पर अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं जो आप यहाँ कहते हैं।

रुपये की परिवर्तनीयता का मामला ले लीजिए। रुपये की परिवर्तनीयता से पहले क्या स्थिति थी ? श्री चिदम्बरम ने निर्यात राज सहायता समाप्त कर दी है क्योंकि काफी भ्रष्टाचार था और खूब जोड़-तोड़ किए जा रहे थे। इसीलिए, श्री चिरम्बरम ने वाणिज्य मंत्री के तौर पर उस समय मिर्यात राज सहायता समाप्त करने का निर्णय लिया। वह भ्रष्टाचार दूर करना चाहते थे ; और उन्होंने निर्यात-आयात नीति लागू की। तत्पश्चात् व्यापार खाते के संबंध में रुपयें की परिवर्तनीयता शुरू की गई। उस समय डालर में रुपये की कीमत कितनी थी ? यह 23 या 24 अथवा 26 रुपये थी। आज यह कीमत 40 रुपये है। यह फायदा किसके लिए किया गया है ? अब आपने चालू खाता परिवर्तनीयता, पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की है। रुपये की कीमत है 40 और इससे किस को घाटा होगा ? कृपया हमें समझाइये। उस समय यह कीमत प्रति डालर 26 रुपये थी। आज यह प्रति डालर 40 रुपये पहुंच गई है। कृपया हमें आश्वस्त कीजिए क्योंकि हम तकनीकीविद अथवा अर्थशास्त्री तो हैं नहीं। (व्यवधान) 1991 में एक डालर 26 रुपये का होता था। यह बात संशोधन योग्य है। कृपया वित्त मंत्री मेरी गलती ठीक करें, यदि मैंने यह गलत बताई हैं।

अब मैं यह स्पष्ट करूंगा कि हमने कृषक समुदाय और कृषि क्षेत्र के हित में क्या-क्या काम किए हैं कुछ लोग हमेशा यह कहने का प्रयास करते हैं कि शहरी लोगों के प्रति मेरा रवैया पक्षपातपूर्ण है। अथवा मैं केवल ग्रामीण लोगों के हितों के लिए लड़ रहा हूं। यह संभव है। एक माननीय सदस्य ने, जिनका कि मैं पूरा नाम नहीं जानता हूं, यह कहा था कि एक भारतीय जो बाहर से यहां आता है तथा वह और उसकी पत्नी 45,000 रुपए प्रति मास कमा रहे हैं, किन्तु उन्हें अपना मकान बनाने के लिए भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलता। यह बहुत अच्छी स्थिति है और इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। किंतु वह शहरी भूमि निगम की बात करते हैं। हम इस बात पर न जाएं। इसी सभा द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम) अधिनियम लागू किए जाने के पश्चात् गत 30 वर्षों में कितनी भूमि की छूट प्रदान की गई है। (व्यवधान)। मैं स्थान की बात नहीं कर रहा हूं चाहे यह बंगलौर में हो अथवा मुम्बई या फिर दिल्ली में हो। मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं। क्या आप हमें आंकड़े बता सकते हैं ? ऐसा किसने किया है ? चाहे वे लोग किसी भी दल से संबंधित क्यों न हों मैं यह बात किसी राजनैतिक उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं। किन्तु उन्होंने इन उद्योगपतियों अथवा बड़े औद्योगिक घरानों अथवा बड़े भूपतियों को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम) अधिनियम के अंतर्गत शहरों में भूमि रखने की अनुमति दी है फिर चाहे इसके लिए कारण कुछ भी रहे हों। उन्हें नगर भूमि (सीमा और विनियम) अधिनियम की धारा 20-क ओर 20-ख के अंतर्गत यह छूट प्रदान की गई है। ऐसा क्यों किया गया है ?

डी.सी.एम. की एक कपड़ा मिल है। मैंने दिल्ली में भ्रमण के दौरान देखा कि उनके पास काफी भूमि है। अब वे डीलक्स अपार्टमेंटस का निर्माण कर रहे हैं। इसकी अनुमति किसने दी है ? क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता था कि इस भूमि को अपने हाथ में लेकर भूमिहीन लोगों में बांट दी जाती ? मुम्बई में आज कितनी ही कपड़ा मिलें देखी जा सकती है ? वे इसकी बात कर रहे थे। कितनी भूमि यहां उपलब्ध है ? यह भूमि उद्योगों

के विकास हेतु इन उद्योगपतियों को लगभग 30-40 वर्ष पूर्व सस्ते दामों पर दी गई थी। अब ये सभी कारखानें बंद हो चुके हैं। उदारीकरण हो अथवा कुछ और मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। अब फिलहाल हमें इनकी शर्तों और अन्य ब्यौरों पर नहीं जाना चाहिए। इनमें से कुछ रूग्ण उद्योगों की स्थापना 5,6,8 अथवा 10 वर्ष पूर्व की गई थी। अब यहां पर कितनी भूमि उपलब्ध है। उन उद्योगपतियों को कितनी भूमि का उपयोग करने की छूट प्रदान की गई है ? एक ओर तो वे ऐसा कर रहे हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और आई.सी.आई. सी. आई. के करोड़ो रुपए इन पर बकाया है। दूसरी और आपने उन्हें यह छूट दे दी है और वे इस पर बहस कर रहे हैं। उन्हें उन लोगों के लिए बड़ा कष्ट हो रहा था, जो 45,000 रुपए कमा रहे हैं किन्तु उनके पास घर ही नहीं है। मुझे तो आश्चर्य हुआ था। उन्हें पार्टी के उन नेताओं को यह बात बताने दें जो कार्यों का संचालन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आपके पास दो मिनट का समय और है आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : महोदय, आप यदि कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं क्योंकि मैं अध्यक्षपीठ के साथ भिड़ना नहीं चाहता। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा।

अब मैं कृषक समुदाय से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकाश डालूंगा। चूंकि उन्होंने इसका उल्लेख किया है, इसलिए कुछ बातें मेरे दिमाग में पैदा हुई हैं मैं उन पर प्रकाश डालूंगा। सरकार किसी की भी क्यों न हों पर दलगत राजनीति की शरण न लें। हमारे देश में पहली बार 1990-91 में इसी सभा में किसानों के 70,000 रुपए तक के ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में आवश्यक निर्देश राज्य सरकारों को जारी किए गए थे। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश इसी वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए थे। संसद में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा 7,760 करोड़ रुपए माफ किए जाने थे। इस सभा में आश्वासन भी दिया गया था। इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई है ? वर्ष 1991-92 में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। किन्तु अंततः 1425 करोड़ रुपए की ही राशि जारी की गई थी। वर्ष 1992-93 में 500 करोड़ रुपए ; 1993-94 में भी 500 करोड़ रुपए और इस वर्ष में यह राशि 341 करोड़ रुपए है।

इसका शुद्ध परिणाम क्या निकला ? कुछ राज्यों ने तो केन्द्रीय सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया। कुछ राज्यों ने राजनीतिक मतभेदों के कारण सहयोग नहीं किया। उन्होंने इस बात का सहारा लिया कि सारा बोझ केन्द्रीय सरकार द्वारा ही वहन किया जाए। केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसका पचास प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा और पचास प्रतिशत राशि का वहन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। किन्तु राज्य और केन्द्र के बीच मतभेदों के कारण गरीब किसान को परेशानी हुई। मैं अपने लिए अथवा श्री बलराम जाखड़ के लिए, जो एक किसान है, यह आग्रह नहीं कर रहा हूं, मैं उनके लिए अथवा इस सभा में उपस्थित किसी सदस्य के लिए यह आग्रह नहीं कर रहा हूं। औद्योगिक क्षेत्र में अशोध्य ऋणों के छब्बीस प्रतिशत ऋण को माफ कर दिया गया है। जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का संबंध है, उसके लिए आपने कोष में से 6,000 करोड़ रुपए के वसूल न किए जा सके अशोध्य ऋण को माफ कर दिया है।

8.00 म.प.

छः हजार करोड़ रुपए एक राशि है। जब 6,000 करोड़ की राशि ही अधिक है, तो वे विकास संबंधी

गतिविधियों के व्यय की पूर्ति के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए कैसे मंजूर करने जा रहे हैं ? इसका यह अर्थ हुआ कि आप एक इंज भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। जब तक श्री मनमोहन सिहं वित्त मंत्री हैं तब तक मैं उनसे किसी भी प्रकार की आशा नहीं करता। मुझे नहीं पता कि वे क्या करने जा रहे हैं। इस बात में कोई संदेह ही नहीं है कि श्री चन्द्रशेखर मूर्ति उनके साथी हैं, उन्हें भी मेरी तरह ही निर्वाचक का सामना करना है। अतः उनके अपने हित में ही मैं उन्हें यह बता दूं कि उन्हें कर्नाटक में जनता का सामना करना है। यह इतनी आसान बात नहीं है। यदि आप राज्य सभा में जाने की सोच रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यदि आप लोक सभा में आना चाहते हैं, तो आपको सावधाना होगा पड़ेगा। इन सब बातों पर मैं ध्यान दूँगा।

मैं सिर्फ यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कृषि क्षेत्र में आपको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। मैं श्री चन्द्रशेखर मूर्ति से केवल यही अनुरोध कर रहा हूं कि वे इस सभा की ओर ध्यान न देकर उन लोगों की ओर देखें जिनका कि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह केन्द्रीय सरकार में राज्य मंत्री हैं। मैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा अन्य चीजों के बारे में चिंता करने की नहीं कह रहा हूं। उन्हें केवल यही बताना चाहिए कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में किस प्रकार की ग्रामीण गतिविधि आरम्भ की गई है। यदि ऐसा कुछ नहीं किया गया तो हमें क्या करना चाहिए ? मेरी यह मांग है कि विकास संबंधी गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली कुल आय का 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जाना चाहिए। आपने आज आंकड़े दिए हैं। कृषि क्षेत्र का हिस्सा 9.7 प्रतिशत, ग्रामीण विकास का हिस्सा-22.1 प्रतिशत और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का हिस्सा 1 प्रतिशत है। इस प्रकार से ग्रामीण लोगों और कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से खर्च की जाने वाली राशि कुल व्यय का 33 प्रतिशत बनती है। आप अपने रक्षा तथा अन्य व्यय को भी पूरा करें। किन्तु मेरी मांग यह है कि विकास संबंधी कुल राशि का जनसंख्या के आधार पर 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता पर खर्च करें। मैं यहां भीख नहीं मांग रहा हूं। मेरी मांग नहीं है कि हमारे संसाधनों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। मेरी यही मांग है अनिवासी भारतीयों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उन क्षेत्रों में भेजना चाहिए जहां वे निवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यह बात जानता है कि वे यहां पर केवल लाभ कमाने ही आते हैं।

कृषि उनके लिए मुनाफे का क्षेत्र नहीं है और वे इस पर खर्च नहीं करने जा रहे हैं। मेरा सरकार से यही अनुरोध है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा इस देश में निवेश किए जाने के बाद सरकार कुछ संसाधनों को बचा पाएगी। सरकार उन्हें उन क्षेत्रों में आने के लिए अनुमति दे सकती हैं। आप इण्डियन एयर लाइन्स को क्यों रखना चाहते हैं ? इसे आप बेच सकते हैं ; मेरी उसमें कोई रूचि नहीं है। जिस क्षेत्र पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का क्षेत्र है। जहां तक उद्यान कृषि का प्रश्न है, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 130 करोड़ से 180 करोड़ रुपये के मध्य है। उद्यान कृषि वह क्षेत्र है जिसके माध्यम से हमारे कृषक समुदाय की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया जा सकता है। इसी प्रकार मत्सय पालन, डेरी उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इन कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ावा देने हेतु ऋण देने की सुविधा में कम से कम 30 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि श्रीमती गांधी ने बैंक में 18 प्रतिशत तक जमा राशि को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अग्रिम के रूप में दिए जाने की अनुशंसा की थी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार तब की व्यवस्था से रह रही है। आज, यह आंकड़ा गिरकर मात्र दश प्रतिशत पर आ गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे ग्रामीण क्षेत्रिय बैंकों को जो अग्रिम देने की स्थिति में नहीं हैं 100 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। इससे ऐसे बैंक मजबूत होंगे और मैं इसका स्वागत करता हूं। 'नाबार्ड' के लिए अलग से 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान है, यह भी स्वागत योग्य है।

पहले बहु-एजेंसी दृष्टिकोण अपनाया जाता था। अब वह समाप्त कर दिया गया है तथा सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। एक मूल्यांकन रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्टतः उद्धृत किया है कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण पूर्णतः असफल रहा है तथा कृषक समुदाय को इससे लाभ नहीं हुआ है ? इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री चन्द्रशेखर मूर्ति से अनुरोध करना चाहूंगा कि ग्रामीण ऋण व्यवस्था को अवरुद्ध न किया जाए। उन्हें इस संबंध में कुछ करना चाहिए।

इन्ही टिप्पणियों के साथ मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं तथा मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं सूचित करना चाहता हूं कि 107 सदस्यों ने बहस में हिस्सा लेने हेतु अपने नाम दिए हैं। अब तक केवल नौ सदस्य ही बोल पाए हैं। मैं माननीय सदस्यों से सहयोग देने का अनुरोध करता हूं। कृपया आप लोग संक्षेप में अपनी बात रखें ताकि अधिक से अधिक सदस्यों को मौका मिल सके।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभा 8 बजे म.प. तक ही चलने का निर्णय हुआ था। यदि आप समय बढ़ाना चाहते हैं, तो कृपया इसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : आप कृपाकर पहले सदस्यों का विचार जान लें।

अनेक माननीय सदस्य : आज को कार्यवाही समाप्त की जाए और इस पर कल विचार हो।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मुझे लगता है कि अनेक सदस्य बैठने के लिए तैयार हैं और सभा की कार्यवाही को जब तक संभव है तब तक जारी रखना चाहते हैं।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। वाजपेयी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। हम लोगों को एक समय सीमा निर्धारित करनी होगी। सभा कब तक चलेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम लोग सभा की कार्यवाही को 9 बजे म.प. तक बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : क्या यह सदन का विचार है कि सभा की कार्यवाही 9 बजे म.प. तक चले ताकि कुछ अन्य माननीय सदस्य आज बहस में हिस्सा ले सकें।

अनेक माननीय सदस्य : हां, महोदय सभा की कार्यवाही 9 बजे म.प. तक बढ़ाई जाए।

सभापति महोदय : ठीक है। सभा की कार्यवाही 9 बजे म.प. तक चलेगी। श्री प्रफुल पटेल, अपने विचार रखें।

श्री प्रफुल पटेल (भंडारा) : बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय वित्त

मंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत 1994-95 के बजट का मैं समर्थन करता हूँ। मुझे इस बात की खुशी व गौरव है कि वाजपेयी जी यहां मेरी बात को केवल सुनने बल्कि मुझे प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित हैं। जहाँ तक संसदीय वाद-विवाद का प्रश्न है, आप हमेशा मेरे लिए एक आदर्श रहे हैं। मैं माननीय सहयोगी श्री शरद यादव द्वारा कही गई बात से शुरू करना चाहूँगा। वे इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने स्वतंत्रतापूर्व की आर्थिक स्थिति को उजागर करते हुए स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक स्थिति तक की विवेचना की। उन्होंने हमारे महान नेता महात्मा गांधी के विचार व दर्शन से अवगत कराने की कृपा की। उन्होंने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा महात्मा गांधी के विचार व दर्शन के लाभों को हमें समझाने का प्रयास किा। जिस तरह उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का वर्णन किया उससे मैं एक क्षण के लिए बहुत ही प्रभावित और प्रसन्न हुआ।

समय बदल गया है। पूरे संपर्ण विश्व अर्थव्यवस्था परिवर्तित हो चुकी है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे देश की भी उसी प्रगति के पथ को अपनाना होगा नहीं तो मैं निश्चित रूपसे कह सकता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी हम लोगों के प्रति अधिक कृतज्ञ नहीं होगी। हमने हमेशा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है जिसकी नींव नेहरूवादी माडल पर रखी गई थी। उनका एक दर्शन था। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हमारे पास अब 40 मिनट ही शेष रह गए हैं और मैं चाहता हूँ कम से कम तीन-चार और सदस्यों को खोलने का मौका मिले। **(व्यवधान)**

|हिन्दी|

श्री प्रफुल्ल पटेल : यादव जी ने तो 45 मिनट तक गांधी जी और उनके सूत-चरखे के बारे में ही भाषण दिया। बजट के संबंध में आगे क्या करना है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर भी, हम ऐप्रीशिएट करते हैं क्योंकि आप लोगों को चिन्ता लगी हुई है कि हम गांधी जी को भूल रहे हैं। गांधी जी 1948 में हमारे बीच से चले गए। . . . **(व्यवधान)** . . . .

|अनुवाद|

मैं तो कहूंगा कि सरकार बहुत ही भ्रमित है क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने आपके आर्थिक कार्यक्रम को चुरा लिया है, लेकिन समस्या यह है कि अब आप स्वदेशी तथा वैसी चीजों की बात कर रहे हैं जिनका हमारे आर्थिक कार्यक्रम से कोई तालमेल नहीं है और जिसे आप वास्तव में अपने कार्यक्रम कह रहे हैं।

जो भी हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बुनियाद नेहरूवादी व्यवस्था में रखी गई थी और इसीलिए आज विशाल विविधताओं वाले इस देश में एक ऐसा देश जहाँ के क्षेत्र दूरदराज तक फैले हैं और जहाँ सामान्यतः किसी भी प्रकार की आर्थिक अथवा औद्योगिक क्रियाकलाप नहीं हो सकती थी - वैसे दूरस्त क्षेत्रों में भी ठोस निर्माणकारी तथा औद्योगिक आधार हैं। इसके लिए नेहरूवादी आधार है। इसके लिए नेहरूवादी व्यवस्था बहुत ही उपयोगी है।

|अनुवाद|

मैं आप सभी लोगों को यही याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री ने हाल ही में गत माह में डाबोस

में विश्व आर्थिक फोरम में अपने भाषण में इस दृष्टिकोण को दोहराया है कि हमारे देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था आवश्यक है जिसकी नींव हमारे स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। हमने यह बात कही है कि हम इस तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने विश्व आर्थिक फोरम, जहां सभी अर्थशास्त्री वित्तमंत्री और उद्योगपति उपस्थित थे, के समक्ष दृढ़तापूर्वक इस बात पर विशेष जोर भी दिया। वहां कई अन्य औद्योगिक देशों के प्रतिनिधित्व भी उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि हम किसी ऐसे प्रतिमान अथवा प्रणाली से शासित नहीं होंगे जो हमारे लिए बिल्कुल अप्रांसगिक हो। मुझे विश्वास है कि हम सभी लोग डाबोस में विश्व आर्थिक फोरम में दिए गए इस अत्यधिक महत्वपूर्ण और वैध वक्तव्य का तात्पर्य समझ सकते हैं। अतः मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य वर्तमान सरकार की नीति को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी सराहना भी करेंगे। हमारे पास अत्यधिक मजबूत विनिर्माण आधार है। हालांकि हमारे पास काफी बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है, हम जिसकी अक्सर आलोचना करते रहते हैं, मेरे विचार से श्रीनगर, जम्मू कश्मीर या नागालैंड अथवा मणिपुर अथवा त्रिपुरा जैसे स्थानों पर आज जो बड़े उद्योग हैं या वहां पर कोई औद्योगिक उत्पादन होता है तो वह इस सरकारी क्षेत्र में निवेश होने के कारण संभव हुआ अन्यथा इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ऐसी औद्योगिक अथवा आर्थिक गतिविधियां नहीं होतीं। तथापि, मैं माननीय मंत्री को चेतावनी के रूप में उनको एक बात बताना चाहूंगा। आप कुछ समय के बाद यह महसूस करेंगे कि बदलती हुई अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने दृष्टिकोण और अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एक स्वतंत्र कंपनी अथवा एक लाभ कमाने वाले एकक की अपेक्षा सरकार के एक अंग के रूप में कार्य करते रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी भी दुर्भाग्य से अपनी कंपनी नौकरी को जहां पर वे जबावदेह होते हैं तथा जो कार्य उन्हें सौंपा गया है उसके वांछित परिणाम दिखाने होते हैं, की अपेक्षा सरकारी नौकरी अधिक समझ रहे हैं - इसके कारण चाहे जो हों, इसके लिए हम सभी दोषी हैं, इसके लिए हमारी राजनीतिक प्रणाली को भी दोष दिया जा सकता है। अतः हमें निश्चित रूप से इस समस्या पर ध्यान देकर इससे निपटना चाहिए। हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की अंशधारिता के क्रमिक विनिवेश की ओर बढ़ रहे हैं। यह कदम स्वागत योग्य है और इसे बढ़ावा देना चाहिए। और इसे मान्यता दी जानी चाहिए, मेरे विचार से आज की परिस्थितियों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का विनिवेश एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र होगा जिस पर सरकार इस वजह से बल देगी क्योंकि इनका वित्तीय घाटा इतना अधिक हो गया है कि वह नियंत्रण के बाहर होता जा रहा है। हम एक बड़े बजट घाटे पर बातचीत कर रहे हैं। इन सभी प्रश्नों पर तभी ध्यान दिया जा सकेगा। जब हम एक निश्चित अवधि में सरकार की पूरी अंशधारिता का बहुत ही सुनियोजित एवं तर्कसंगत रूप से विनिवेश कर सकेंगे और इस तरह के विनिवेश से अधिकाधिक आय और लाभ कमा सकेंगे।

20.08 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं, बहुत ही प्रभावित हुआ था, जब हमारे माननीय देवगौड़ा हालांकि वे इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं- कृषि संबंधी दृढ़ आधार की बात कर रहे थे। मैं भी एक बहुत ही ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का हूं। यह सच्ची बात है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में केवल गांव ही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1600 गांव हैं। हमारे क्षेत्र में कोई

बड़ा शहरी क्षेत्र नहीं हैं। मैं श्री देवगोड़ा द्वारा उठाए गए प्रश्न का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र पर अधिकाधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है। इस बात को छोड़ दीजिए कि आने वाला कल क्या होगा जबकि अधिक से अधिक शहरीकरण हो रहा है और आबादी का प्रचास प्रतिशत अथवा दो तिहाई हिस्सा शहरों की ओर बढ़ रहा है। परन्तु आज की स्थिति को देखते हुए कृषि संबंधी दृढ़ आधार आज की आवश्यकता है। आज चाहे हम जो भी करें आर चाहे अधिकाधिक औद्योगिकीरण क्यों न कर लें फिर भी मजबूत कृषि आधार की आवश्यकता होगी। कुछ माननीय सदस्य डंकल प्रस्तावों के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। दूसरी और से श्री जोशी ने इस प्रश्न को पूछा था। उन्होंने यह कहा कि सरकार 2000 करोड़ रुपये मूल्य की उर्वरक एकक लगाये और यह देखे कि इससे रोजगार का सृजन हो। सरकार 500 अथवा 600 कार्मिकों को रोजगार उपलब्ध करा सकेगी। उद्योग द्वारा निश्चित रूप से उस तरह से अधिक रोजगार सृजित नहीं किए जा सकेंगे। परन्तु इसके साथ ही औद्योगिकीकरण भी अनिवार्य है क्योंकि इसी की नींव पर आर्थिक विकास हो सकेगा और अर्थव्यवस्था का यह प्रमुख क्षेत्र होगा। परंतु, हम इस बात पर ध्यान देने का यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि इन आर्थिक सुधारों से लोगों को अधिकाधिक लाभ मिले। वहां वे अपनी अंशधारिता से अधिकतम सीमा तक अपनी आय पा सकेंगे। आने वाले दिनों में कृषि प्रमुखता वाला क्षेत्र होगा क्योंकि आने वाले वर्षों अथवा अगले सौ वर्षों में मुझे ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती जब गांवों में रहने वाले ग्रामीणों और कृषि पर आश्रित लोगों की आय का कोई अन्य जरिया हो जो वर्तमान आय पद्धति के अनुरूप हो अथवा उसकी पूरक हो।

अतः इस क्षेत्र पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। सिंचाई कृषि के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आदान है। सिंचाई के मामले में हमारे सम्मुख अत्यधिक कठिन परिस्थितियां हैं। एक ओर तो हमने अनेक सिंचाई परियोजनाएं शुरू की हैं और दूसरी ओर इन परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 20 लघु मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं ये परियोजनाएं 10 वर्ष अथवा 15 वर्ष अथवा 20 वर्ष पूर्व शुरू की गई थीं परन्तु संसाधनों की कमी के कारण ये परियोजनाएं अब तक पूरी नहीं की गईं। सिंचाई क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। परन्तु इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के मामले में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास कमी रही है और इस मामले में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

हम खुले बाजार की बात करते हैं। मेरी पृष्ठ भूमि मूलरूप से उस तरह की है आप मुझे बार-बार इस मामले के बारे में उकसा रहे हैं। मैं एक समृद्ध परिवार का हूं। अतः, आप बसु साहिब के शब्दों में मुझे पूंजीपति समझ सकते हैं। मैं दक्षिण पंथी विचारधारा का समर्थक हूं। मैं खुले बाजार का पूर्ण समर्थक हूं। मेरा यह विनम्र निवेदन और पूर्ण विश्वास है कि अमरीका, इंग्लैंड और जर्मनी के खुले बाजार में भी एक ऐसी प्रणाली पायी जाती है जिसे सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है, और उस प्रणाली द्वारा गरीब लोगों, विशेषाधिकार से वंचित लोगों, जिनके पास, जीने की मूल सुविधाओं का अभाव है, के संरक्षण की आवश्यक का ध्यान रखा जाता है। अमरीका और इंग्लैण्ड में भी ऐसे लोग हैं जो बेकारी अनुदान पर जीवन ज्ञापन करते हैं और हमें ऐसे लोग भी मिलेगें जो मूल रूप से सरकारी खजाने से स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

हमारे देश में उन देशों की तरह कोई सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। चूंकि हम अन्तरराष्ट्रीयकरण

और आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं और मुक्त बाजार की शक्तियों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। अतः हमें बहुत सचेत की आवश्यकता है जिससे कि कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उर्वरकों पर राजसहायता जारी रहे अथवा इसमें और अधिक मात्रा में वृद्धि की जा सके। इसका सीधा सा कारण यह है कि हम किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा की क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अमरीका और इंग्लैण्ड की तरह सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हमारे देश में होना संभव है। अतः हमें इस क्षेत्र की सुरक्षा करनी होगी। हमें राजसहायता के बारे में ध्यान रखना होगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ने भी यह महसूस कर लिया है। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि इस समय दी जा रही राजसहायता को यदि आवश्यक हो, तो हम बढ़ा सकते हैं, यह स्वागत योग्य कदम है। हमें इसका ध्यान रखना होगा।

हम वित्तीय और बजटीय घाटा रखने की बात कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए सरकारी खर्च को कम करना होगा। मेरा मानना है कि आज सरकारी खर्च को कम करना कोई आसान हल नहीं है; यह व्यावहारिक नहीं है। व्यावहारिक होगा कि सरकारी खर्च और अधिक न बढ़ने दिया जाय और मैं मानता हूं कि इसी प्रकार इस समस्या से निबटा जा सकता है। मैं नहीं समझता कि इस समस्या को राजनीतिक ढंग से या किसी अन्य तरीके से सुलझाया जा सकता है। अध्यक्ष पीठ पर कोई इस पक्ष से हो या उस पक्ष से यह कार्य आसान नहीं है। सर्वोत्तम तरीका यही है कि सरकारी खर्च और अधिक न बढ़े।

सरकारी खर्च को कम करने का यह आसान तरीका होगा। मेरा विश्वास है कि हम इस समस्या को हल करना होगा क्योंकि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है और जो आंकड़े सामने हैं उनसे स्पष्ट है कि आप अपनी सारी कोशिशों के बावजूद सरकारी खर्च को नियंत्रित नहीं रख पाए। वास्तव में, तो इसमें दो हजार करोड़ की वृद्धि हुई है। अतएव मेरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री इस समस्या पर ध्यान देंगे।

व्यक्तिगत करों के सम्बन्ध में, मेरा मानना है कि श्री वाजपेयी यह सुनकर प्रसन्न होंगे, 3000-7000 रुपये आय वर्ग वाले सर्वाधिक पीड़ित हैं। यह समाज का एक वर्ग है। एक गरीब व्यक्ति जो 500 रुपये से 1000 या कुछ कम या अधिक कमाता है, वह अपना काम चला सकता है। उस पर कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। उसका कोई सम्मान नहीं है और वह उसे बनाए रखने की आशा भी नहीं रखता। जबकि 3000-7000 रुपये आयवर्ग वाला व्यक्ति जिसे हम बाबू कहते हैं, जिसे हम मध्यमवर्गीय व्यक्ति कहते हैं, यह वर्ग सर्वाधिक परेशान है। उनके पास अपनी आय को बढ़ाने का कोई अतिरिक्त उपाय नहीं है लेकिन शिक्षा के प्रति उनमें प्रतिबद्धता है अतः इस वर्ग की रक्षा करना आवश्यक है। अतः उनको कोई सुविधा, कोई राहत देने के लिए आयकर की आधार सीमा को बढ़ाकर या कर की दर को कम करके हो सकती है। कर की वर्तमान दर 20 प्रतिशत है जबकि इस वर्ग में यह 10 या 15 प्रतिशत होनी चाहिए। वित्त मंत्री अपने उत्तर देते समय इस पर ध्यान दे सकते हैं।

तेल की निकासी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि हमारे आयात खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा तेल आयात का है और सौभाग्य से पिछले दो-तीन वर्षों में तेल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अनुकूल रहा है। ये 13-14 डालर प्रति बेरल रहा है।

परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि मूल्य की यह स्थिति लम्बे समय तक बनी रहे। यदि तेल के अन्तर्राष्ट्रीय

मूल्यों में कुछ उतार-चढ़ाव आता तो इससे हमारे बजटीय आकड़े गड़बड़ा जायें। अतः 'तेल' की खोज के सम्बन्ध में हमारे वामपन्थी तो पसन्द नहीं करेंगे-ज्यादातर वामपन्थी मित्र उपस्थित नहीं हैं। वे सलाहकार हैं लेकिन क्षेत्र अपना उत्पादन विदेशी समझौतों के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि नीति में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है और इस पर बल दिया जा रहा है। कोई वीडियोकोन की शिकायत कर रहा था। कौन कहता है इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। वह कोई भी क, ख, ग हो सकता है। वह कम्पनी भारतीय हो अथवा विदेशी, यदि कोई वह तेल की खोज में निवेश को तैयार है तो हमें उसका इस क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में समर्थन करना चाहिए।

हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के लिए बहुत सा धन आ रहा है। जब मेरे मित्र श्री मुरली देवड़ा बोले तो वह मेरी निराशा या आशा या चिन्ताओं से सहमत दिखाई दिये।

मुझे इस बात की भी चिन्ता है कि जब हम विद्युत क्षेत्र में आ रहे हैं और निवेश पर 16 प्रतिशत प्रतिदेय देने का आश्वासन दे रहे हैं तो यह प्रवृति हमारे लिये आवश्यक नहीं कि उपयोगी हो।

इसका कारण है कि पश्चिम बंगाल राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड क्या करेगा ? यदि आप विद्युत संयंत्र लगाने के लिए विदेशी कम्पनी लाते हैं और 16 प्रतिशत प्रतिदेय देने का आश्वासन देते हें तो क्या आप वसूली कर पायेंगे ? आपके राज्य बिजली बोर्ड, किसानों उपभोक्ताओं और उद्योगपतियों से बिल वसूल कर सकने में सक्षम नहीं हैं यदि राज्य बिजली बोर्ड जिनमें आप विदेशी निवेशक से वायदा कर रहे हैं, ठीक ठाक कार्य नहीं करते तो आपको वही भावना और कार्यकुशलता इन राज्य बिजली बोर्डों में लानी होगी।

इसीलिए में राज्य बिजली बोर्डों की अक्षमता के लिये चिन्तित हूँ। मैं उनके द्वारा अधिक धन लिये जाने से चिंतित नहीं हूँ। परन्तु चिन्ता इस बात की है कि हम वसूली नहीं कर पाएंगे हालांकि हमें, विद्युत और तेल क्षेत्रों में भारी निवेश करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि माननीय वित्त मंत्री इसका ध्यान देंगे। हमारी चिंता प्रशासनिक वेदी के बारे में जो सभी क्षेत्रों में है। कभी-कभी मैं महसूस करता हूँ कि हमें प्रशासन या इस प्रकार के तंत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समस्या यह है जिसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी समझते हैं कि शीर्षस्थ व्यक्ति अथवा सभी स्तर के व्यक्ति या तो बहुत अधिक जानकारी रखते हैं अथवा उन्हें कोई जानकारी है ही नहीं। यदि समुचित जानकारी और समझदारी प्राप्य हो जाएं तो हमारी 50 प्रतिशत समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा।

[अनुवाद]

अब मैं अपने जीवन ज्ञापन, अपनी रोजी-रोटी यानी बीड़ी उद्योग के बारे में कहूँगा **(व्यवधान)** मुझे अपनी रोजी-रोटी भी देखनी है। आखिरकार मुझे भोजन उसी से प्राप्त होता है। मैं केवल इतना कहूँगा कि रोजगार के नजरिये से कृषि के बाद यह देश का सबसे बड़ा उद्योग है यह सीधे देश के 50 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। मैं, अप्रत्यक्ष रोजगार की भी बात नहीं कर रहा हूं। **(व्यवधान)** दुर्भाग्यवश पंजाब में सिख समुदाय धूम्रपान नहीं करते हैं। अन्यथा मेरे पंजाब के मित्रों को बेहतर अनुमान होता। इस समय 50 लाख बीड़ी श्रमिक हैं और यह सुनकर उन्हें प्रसन्नता होगी कि मैं केवल उनके राज्य के हजारों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा हूं।

उन्हें मेरा समर्थन करना चाहिए क्योंकि मैं उनके राज्य में रोजगार के अवसर सृजित कर रहा हूँ जो आवश्यक रूप से मेरे मित्र के निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आते हैं। जो भी हो यह एक व्यक्तिगत मामला है। यह व्यक्तिगत मसलों पर बोलने का मंच नहीं है।

मैं सामान्यतः उस उद्योग के बारे में बात करना चाहूँगा जो कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोजक है। इस उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। यह न तो लघु उद्योग है, न कुटीर उद्योग, न ग्राम उद्योग और न ही बड़े पैमाने का उद्योग। यह किस तरह का उद्योग है ? मैं माननीय वित्त मंत्री को इस उद्योग की महत्ता समझने में मदद करना करूँगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

आप लोग इतनी बात करते हैं, कहीं तो हमारा मूल्यांकन करवाइए।

[अनुवाद]

हमारा यह उद्योग कुटीर उद्योग नहीं है, ना ही ग्राम उद्योग है ; यह कोई उद्योग है ही नहीं। अतएव, इस पर रियायती दर पर धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे कोई वित्त उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित उद्योग या इसी प्रकार का कोई उद्योग नहीं है। मुद्दा यह है कि इस उद्योग में 50 व्यक्ति कार्यरत हैं। जिनमें से 49 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों के हैं इससे गाँवों में और लगभग 30 लाख औरतों को रोजगार मिलेगा, और ये औरतें पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्र के एक छोटे से गांव की और महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों तथा आदिवासी क्षेत्रों की हैं यह इस तरह का उद्योग है जिसमें दूर-दराज के लोग रोजगार हेतु भारी संख्या इसमें आते हैं।

अतएव, इस उद्योग को मान्यता दी जानी चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मेरे विचार से सरकार धूम्रपान-विरोधी बातें कर रही है; अतएव, मैं उस दिशा में कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन रूकावटें हैं और निर्यात के लिए भी एक सीमा है। कुछ भी हो, समस्या का समाधान युक्तिसंगत ढंग से किया जाना चाहिए तथा उत्पाद और सीमा शुल्क में कुछ संरचनात्मक समायोजन किया जाना चाहिए। कुछ लोग, विशेष रूप से लघु उद्योगों से संबंधित लोग और दूसरे उद्योगों के लोगों से असंतुष्ट थे। मेरे विचार से ऐसा विशेष रूप से कपड़ा, इस्पात प्लास्टिक और कागज, विशेषतः कृषि अपशिष्ट तथा बोरों इत्यादि से निर्मित कागज से संबंधित उद्योग के संबंध में है। मेरा विश्वास है कि माननीय वित मंत्री इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

मैं अपना भाषण इस अपील के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि हमारे कृषि क्षेत्र और सरकार के वास्तविक खर्च पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे अधिकांश व्यक्ति संबंधित हैं।

जहाँ तक शहरी क्षेत्रों का संबंध है, मेरे मित्र श्री मुरली देवरा, ने भी कुछ विचार प्रस्तुत किये हैं। नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम निश्चित रूप से एक रूकावट है। श्री देवगौड़ा ने नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में तथा गुप्त नीति में असंगतियाँ बताई हैं और लोग सारी सुविधाओं का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने भाषण को संक्षिप्त करें तथा समाप्त करें।

श्री प्रफुल पटेल : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ।

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम निश्चित रूप से अतीत का अधिनियम है। वर्तमान परिस्थिति के अन्तर्गत आज की वास्तविकताओं तथा जनसंख्या की अधिकता के परिप्रेक्ष्य में, हमें निश्चित रूप से आवास की समस्या से निपटना होगा। इस देश में आवास की सुविधा उन लोगों को भी प्राप्त नहीं है। जो इसका खर्च वहन कर सकते हैं। आज भवन उपलब्ध नहीं है। बम्बई शहर में, इसकी कीमत 10 लाख या 20 लाख है। एक मध्य आय वर्ग का व्यक्ति किस तरह दूरस्थ स्थानों यथा बम्बई में बोरीविले, बिआन्दर में फ्लैट खरीद सकता है ? अतएव, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में छूट देकर या इसे समाप्त करके और आवास वित्त निगम की स्थापना आवास क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि वे आगे आ रहे हैं। हमारे समक्ष हुडको हैं तथा आज यही एकमात्र उपलब्ध एजेन्सी है आवास क्षेत्र के लिये आज इस प्रकार की वित्त कम्पनियों की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार भी इस मुद्दे पर ध्यान देगी।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) पद्मा (नागपट्टीनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1994-95 के सामान्य बजट का समर्थन करता हूं तथा वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह, जिन्होंने लगतार चौथी बार सफलतापूर्वक बजट पेश किया, उन्हें मुबारक देता हूँ। यह एक प्रगतिकारक विकासोन्मुख तथा लोकप्रिय बजट है, जिसका सभी वर्ग के लोगों द्वारा स्वागत किया जायेगा।

माननीय मंत्री ने सामाजिक क्षेत्र के लिए तथा शिक्षा हेतु अधिक धनराशि रखी है। टेलीकॉम क्षेत्र में भी, मंत्री ने 1993-94 के 6,470 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित आकलन की तुलना में 7,246 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। यह देश में संचार क्रांति लाएगी जो त्वरित औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। माननीय वित्त मंत्री ने भी जवाहर रोजगार योजना, अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इत्यादि जैसी योजनाओं के लिए ग्रामीण विकास परिव्यय में भी 40 प्रतिशत वृद्धि की है। उनके ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत करने संबंधी उठाए गए कदमों की घोषणा सबसे ज्यादा स्वागत योग्य है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार तथा गिरवी रखकर ऋण देने वाले लोग गरीब जनता का बुरी तरह शोषण करते हैं। चालू खाता में मुद्रा-परिवर्तनीयता व्यापार लेन-देन, यात्रा, शिक्षा तथा चिकित्सा खर्च के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को और ज्यादा उदार बनाएगा। वर्तमान समय में, पर्यटन, शिक्षा या चिकित्सा खर्च के लिए विदेश जाने की स्थिति में तीन वर्ष में एक बार विदेश भ्रमण योजना के अन्तर्गत 500 डालर की व्यवस्था है। इसे उदार बनाकर 2000 डालर प्रतिवर्ष कर दिया गया है, जो इंजीनियरी मेडिकल आदि उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने वाले छात्रों तथा अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा।

अयोध्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पश्चात् तथा इसके बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों और 1992 के शुरू में हुए बम विस्फोटों के बाद, स्थिति सामान्य हुई है तथा आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसका श्रेय हमारे माननीय वित्त मंत्री की विकासोन्मुख नीतियों को जाता है जिन्होंने श्री नरसिंम्हा राव के नेतृत्व में अपना काम किया है। जून, 1991 में जब हम केन्द्र में सत्ता में आए तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार एक बिलियन डालर था जो अब लगभग 13 बिलियन डालर के करीब पहुँच गया है। इसका श्रेय माननीय वित्त मंत्री को जाता है जिन्होंने

अर्थव्यवस्था में मूल-चूल परिवर्तन लाकर निर्यात को बढ़ाने की कोशिश की है। भारतीय उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास फिर से लौट आया है तथा विदेशी संस्थानों/निगमित व्यापार ने भारत में निवेश करना शुरू कर दिया है।

मुद्रास्फीति निस्संदेह रूप से अगस्त, 1991 के 17 प्रतिशत से घटकर अब 8 प्रतिशत पर आ गई है। लेकिन अब भी, जनसामान्य मूल्य-वृद्धि की समस्या से तथा रुपये के मूल्य में अवमूल्यन से जूझ रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूँगा कि वे मुद्रास्फीति को लगातार नियंत्रण में रखने हेतु कदम उठाएं और इसे 6 प्रतिशत से नीचे ले आयें।

माननीय वित्त मंत्री ने उदारीकरण नीति तथा विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार को देखते हुए विदेश मुद्रा नियमन कानून, 1973 के पुनर्निरीक्षण का संकेत दिया है। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे देखें कि सरकार का विदेशी मुद्रा के प्रवाह पर पूरा नियंत्रण रहे ताकि बेईमानी व्यक्ति इसका फायदा न उठा पाएं। माननीय वित्त मंत्री ने निर्यात-संवर्द्धन के लिए काफी प्रोत्साहन दिये हैं। जिसका निर्यात उद्योग ने स्वागत किया है। मुझे विश्वास है कि यह विदेशों में हमारे निर्यात को काफी बढ़ाएगा तथा हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में मदद करेगा।

मैं कई वस्तुओं यथा पूँजीगत वस्तुएं तथा दूसरी मशीनरी तथा अतिरिक्त कल पुर्जों पर उत्पाद-शुल्क तक सीमा-शुल्क में कटौती का स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपने बजट में कहा और मैं उसे उद्धृत करता हूँ : उचित मूल्य पर पूँजीगत वस्तुओं की उपलब्धता हमारी प्रतियोगिता और निवेश-संवर्द्धन के लिए आवश्यक है। यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमारे घरेलू पूँजीगत वस्तु उत्पादक उद्योग जिनके पास अपार क्षमता है, वह कर ढांचे में त्रुटियों की वजह से तुलनात्मक रूप से हानि की स्थिति में न रह जायें।"

अतएव, हमारी प्रतियोगिता और निवेश को बढ़ाए जाने के लिए जो कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं, हमारे माननीय वित्तमंत्री ने कुछ संयंत्रों तथा मशीनरी पर सीमा शुल्क में छूट दी है।

जैसा कि मानवीय वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा हमारे देश में कुछ आयातित वस्तुओं की अवास्तविक रूप से कम मूल्य पर भरमार करने संबंधी पहलू को देखें तथा कम मूल्यों पर चीजों की भरमार रोकने संबंधी उपायों को सख्ती से लागू करें। बहुराष्ट्रीय एजेन्सियों को अनावश्यक वस्तुओं को कम मूल्य पर भारत में भरमार करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

माननीय मंत्री ने एक-सी वस्तुओं पर यथासंभव समान दर लगाने की बात कही है। यह कर-प्रक्रिया को सरलीकृत करेगा, अफसरों द्वारा दुरुपयोग एवं पक्षपात करने की गुंजाईश को कम करेगा एवं मुकदमेबाजी को भी कम करेगा। उत्पाद शुल्क से संबंधी न्यायालय में प्रायः मामले एक - सी वस्तुओं के वर्गीकरण को लेकर विवादित पड़े हैं। एक सी वस्तुओं पर समान दर लगाने से इस आधार पर न्यायालयों में मुकदमा दायर करने के मामलों में काफी कमी आयेगी।

माननीय मंत्री ने एक-सी वस्तुओं पर विशेष छूट अधिसूचनाओं की संख्या में कमी लाने तथा समान दर लगाने संबंधी प्रस्तावित कदमों की ओर इंगित करते हुए कहा और मैं उसे उद्धृत करता हूँ :

"ये कदम उत्पादन की मात्रा और रोजगार को बढ़ावा देंगे, कर-प्रशासन को आसान बनाएँगे, इसके स्वविवेक-आधारित होने में कमी करेंगे तथा गलत-वर्गीकरण विवाद तथा कर चोरी की गुंजाइश में कमी लाएँगे। इनसे राजस्व लचीलेपन में वृद्धि होगी तथा एक प्रकार से मूल्य वर्द्धित कर को अपनाने की राह निकालेगा।"

मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि कई कराधान समितियाँ आईं और गईं लेकिन प्रायः प्रत्येक समिति ने कर-प्रणाली को सरलीकरण और न्यायसंगत बनाने तथा कर-प्रशासन को आसान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। तथा यह एक अनवरत कदम है और मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूँगा कि वे लगातार विभिन्न कर प्रस्तावों का पुनर्निरीक्षण करें; जहां पर भी त्रुटियां समाप्त करने की आवश्यकता हो अथवा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता हो तो अनुवर्ती कार्यवाही करें।

सामान्य लघु उद्योग छूट योजना में प्रस्तावित परिवर्तन स्वागत योग्य है। इससे कर अफसरों द्वारा लघु उद्योग में लगे लोगों को परेशान करने के मामलों में कमी आयेगी। इस प्रस्ताव द्वारा, माननीय मंत्री ने 75 लाख रुपये किलीयरेंस वैल्यू तक की सभी पंजीकृत या गैर-पंजीकृत लघु इकाइयों को शुल्क छूट का लाभ दिया गया है। इस योजना का लाभ कुछ क्षेत्रों, यथा, लोहा, इस्पात और ताँबा के निर्माण में लगे उद्योगों जैसे उत्पादों को भी दिया गया है। यह लघु उद्योग को बहुत ज्यादा मदद करेगा तथा रोजगार के अवसर एवं स्वरोजगार पैदा करने में मदद करेगा।

सामान्य बजट 1994-95 इस मायने में नया है कि माननीय वित्त मंत्री ने सेवा क्षेत्र पर जो टेलीफोन आइ. एस.डी./एस.टी.डी., स्थानीय काल, जैसी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तथा गैर-जीवन-बीमा सेवाएं यथा अग्नि-बीमा, बाढ़-बीमा, चोरी धोखाधड़ी के खिलाफ बीमा, मोटरकार बीमा इत्यादि से संबंधित बीमा कंपनियों पर 5 प्रतिशत कर लगाया है। मैं माननीय वित्त मंत्री को स्टाक दलालों की सेवाओं के लिए ली जाने वाली दलाली पर 5 प्रतिशत लगाने के लिए मुबारकबाद देता हूँ।

माननीय मंत्री ने बजट से 4000 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र की इक्विटी बेचने का प्रस्ताव किया है। मैं सरकार को यह चेतावनी देता हूँ कि शेयर के विनिवेश के दौरान, हमें यह सावधानी से देखना होगा कि यह विवेकपूर्ण ढंग से किया जाय ताकि सरकारी क्षेत्र की किसी इकाई को घाटा न हो। कार्य प्रक्रिया इस तरह विकसित की जानी चाहिए। कि इक्विटी जारी करने वाले प्रबंधकों के लिए हेराफेरी करने की कोई सम्भावना न रहे। कर दाताओं को प्रत्यक्ष कर संबंधी रियायतों के संबंध में छात्रों के दिए लिये गये शिक्षा-ऋण की वापसी तथा बड़े नागरिकों को दिए गए लाभों को कर-मुक्त करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। 'लॉरी' मालिकों तथा 'फ्लीट' मालिकों पर 'प्रिजम्प्टिव' कर लगाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है।

आयकर के लिए कर स्लैब में 35000-60000 रुपये के वर्ग में 20 प्रतिशत कर-दर तथा 60,001 रुपये - 1,20,000 रुपये के दूसरे वर्ग में 30 प्रतिशत कर-दर के संमजन का स्वागत करता हूँ तथा इसके साथ ही गैर-निगमित करदाताओं की आय कर पर अधिभार को पूर्णरूप से वापस लेने का भी स्वागत करता हूँ। तथापि, मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूँगा कि वे आयकर में छूट की सीमा 35000 रुपये से बढ़ाकर 40000 रुपये करें तथा वेतन भोगी वर्ग के लिए स्टैण्डर्ड डिडक्शन 15,000 से बढ़ाकर 18,000 करें। रुपये के अवमूल्यन तथा

8 प्रतिशत जैसी ऊंची मुद्रास्फीति की स्थिति में ऐसा करना आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं इस बजट प्रस्ताव का विरोध करता हूँ जो सबसे ज्यादा गरीब विरोधी, किसान विरोधी तथा मध्य वर्ग विरोधी है। मैं इस बजट को गरीब-विरोधी इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस बजट ने निगमित क्षेत्र तथा समृद्ध वर्ग की हजारों करोड़ रुपयें की छूट दी है जबकि सामान्य व्यक्ति और गरीब व्यक्ति पर हजारों करोड़ रुपये का बोझ लादा है। यद्यपि डा. मनमोहन सिंह इस बजट के निर्माता हैं, मैं इस बजट को बनाने में स्पष्ट रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का हाथ देखता हूँ क्योंकि इस सरकार ने वही किया जो वे चाहते थे। वे सीमा-शुल्क तथा आयात शुल्क में कमी लाने के लिए दबाव डालते रहे तथा विकसित देशों से इस देश में आयात होनेवाली वस्तुओं पर आयात संबंधी रूकावटों को कम करने की बात करते रहे तथा वित्त मंत्री ने इस पर सावधानीपूर्वक अमल किया है। इसके पहले कि 1994 के अप्रैल माह में 'गैट' के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर करने जाय, इतने 'गैट' समझौते के प्रावधानों पर पहले ही अमल कर लिया है।

वित्तीय मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि यद्यपि सरकार सीमा शुल्क में कमी रही है। फिर में उन्हें घरेलू उद्योगों के प्रति काफी ज्यादा चिंता है। जोकि समान व्यवहार चाहते हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए काफी दुख होता है कि सरकार ने घरेलू उद्योगों के प्रति विशेषरूप से लघु उद्योग के प्रति कोई चिंता प्रदर्शित नहीं की है। लघु उद्योगों की बीस लाख इकाइयां हैं, ये देश के 126 लाख लोगों को रोजगार दे रही हैं और निर्यात आमदनी में इनका 40 प्रतिशत हिस्सा है। परन्तु सरकार ने इनके लिए इस बजट में क्या किया है ? यद्यपि उन्होंने पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत इकाइयों के बीच लगे कतिपय प्रतिबंधों के विभेद को दूर किया है।, लघु उद्योगों की मुख्य मांग यह है कि 30 लाख की छूट-सीमा जोकि पहले से चली आ रही है। बढ़ायी जाये। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। विशेष रूप से जब हम इस्पात, लौह तथा अन्य लघु उद्योगों के काम में आने वाली अति आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती लागत पर विचार करते हैं। तो लगता है कि उन्हें छूट सीमा बढ़ानी चाहिए थी।

महांदय, बड़े उद्योगों के पास अपनी पूँजी आवश्यकता पूरी करने के कई स्रोत हैं, यह वाणिज्यक बैंकों से पैसा लेते हैं। यह जनसामान्य को शेयर बांटकर 'पब्लिक इश्यू' निकाल सकते हैं। और ये 'मुचुअल फन्ड' का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन लघु उद्योग का क्या होगा ? मुद्दा यह है कि लघु क्षेत्र की कामचलाऊ पूँजी की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। आज सुबह भी इस सभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था। जिसमें कहा गया कि उत्पाद उत्पादन के मूल्य का कम-से-कम 20 प्रतिशत लघु उद्योगों को कार्यपूँजी के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मैं इससे खुश हूँ। यह ठीक है कि सरकार ने अक्तूबर, 1993 में निर्देश दिए थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पी.आर. नायक समिति ने स्पष्ट रूप से उस समय कहा था कि लघु उद्योग अपने उत्पादन मूल्य का केवल 8 प्रतिशत कार्यपूँजी के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इन लघु-इकाईयों में से 95 प्रतिशत अत्यन्त छोटी इकाईयां, ग्राम उद्योग इकाइयां हैं तथा वे अपने उत्पादन का केवल 2.7 प्रतिशत, कार्यपूंजी के रूप में प्राप्त कर रही हैं। यही वास्तविक स्थिति हैं। इसीलिए इन लघु इकाईयों में से कई बीमार हो रही हैं।

आप इससे अवगत हैं कि दो लाख से अधिक इकाईयों रूग्ण हो गयी हैं। सरकार को मेरा सुझाव है कि

जब तक आप वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं कठोरता से निगरानी नहीं रखेंगे तथा उन्हें लघु इकाईयों को बचाने के लिए नहीं कहेंगे, लघु उद्योग निकट भविष्य में और ज्यादा नुकसान होगा। सरकार से मेरा यही नम्र निवेदन है और मैं आपसे इस संबध में सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

लघु उद्योग एक मुद्दे पर आग्रह कर रहा है। यह सीमित साझेदारी कानून को लाए जाने के बारे में है। जब लघु उद्योग आँशिक रूप से रूग्ण होने को हो या यह वित्तीय संकट में हो और एक नया उद्यमी या हिस्सेदार इसमें शामिल होने के लिए आगे आये तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि उसकी जिम्मेदारी निवेश की जा रही धनराशि तक ही सीमित हैं, वह भी इसे सहायता देने के लिए आगे आएगा। यदि उस पर समूचा भार डाल दिया जाय, तो वह आगे नहीं आयेगा। यह सुझाव लघु-उद्योग से आया है। सरकार के कदम इस दिशा में सराहनीय रहे हैं। लेकिन इसने इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया है।

यद्यपि आपने लघु उद्योग को सहायता नहीं दी है, मैं यहां एक शब्द कहना चाहूँगा। सरकार ने लघु, अत्यंत लघु तथा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने संबंधी नीतिगत कदमों की 6 अगस्त, 1991 को इस सदन में घोषणा की है। मैं इससे उद्धृत करता हूं : -

"**नियमों तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण :** लघु इकाईयों की अधिकांशतया शिकायत यह रहती हैं कि उन्हें कई अधिनियमों और कानूनों कौ सामना करना पड़ता है, कई रजिस्टर रखने पड़ते हैं प्राप्तियां जमा करनी होती हैं और तीन महीने का निश्चित अवधि में निरीक्षकों की एक फौज का सामना करना पड़ता है।"

यह आपका वादा है सरकार ने इस वादे के संबंध में क्या किया है ? मैं सरकार से उत्तर चाहता हूं।

और किसी ने नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि सरकार 'इंस्टपेक्टर राज' समाप्त करना चाहती है और इस सरकार की यह इच्छा नहीं है कि ये परेशान करने वाले निरीक्षक लघु इकाईयों को दौरा करें और उन्हें परेशान करें। प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा है। मैंने इसी सदन में एक प्रश्न रखा था और मुझे उत्तर दिया गया कि इस तरह को कोई प्रस्ताव सरकार के विचार में नहीं है। यही उत्तर मेरे अतारांकित प्रश्न को दिया गया। जब प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं और सरकार इसे उत्तर में नकारती है तो यह अच्छा नहीं है।

इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लघु उद्योग की ओर अपना नजरिया बदलें जो हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में लाखों को रोजगार मिलेगा।

महोदय, विशेषरूप से उत्पाद शुल्क लघु क्षेत्र में विशेषरूप से री-रोलिंग मिल्स को चलाने में काफी हानि पहुँचा रहा है। यदि वे टुकड़े का इस्तेमाल करें तो उत्पाद को उत्पाद शुल्क में छूट दी जा सकती थी। इसके कारण, री-रोलिंग मिल्स के उत्पाद यथा छड़े और 'फ्लैट्स' और बड़ी इस्पात फैक्ट्रियों से आनेवाले उत्पाद के बीच मूल्य में कुछ अंतर थे। इस मूल्य-अंतर के कारण, छोटे व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति तथा निम्न मध्य वर्ग के लोग छड़े खरीदा करते थे जो रि-रोलिंग मिल्स से आती है। अब, आपने छूट समाप्त कर दी है और यथामूल्य टैक्स लगा दिया है। इसके कारण, मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और यह उपभोक्ताओं पर न केवल गंभीर रूपसे भार डालने जा रहा है बल्कि यह रि-रोलिंग मिल्स को गंभीर चोट पहुँचाने जा रहा है। मैं सरकार से इसके ऊपर नम्रतापूर्वक विचार करने के लिए आग्रह करता हूँ।

पहले, जहाँ तक कीटनाशक का संबंध हैं, आपने कीटनाशक के ऊपर आयात शुल्क 85 प्रतिशत से घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। साथ ही, आपने कीटनाशक, मध्यस्थ एवं अंतिम उत्पाद पर विशेष रूप से किसानों की जरूरत के एक महत्वपूर्ण कीटनाशक, 'मोना क्रोटोपास' पर 10 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क लगाया। यह मूल्य बढ़ने जा रहा है। पहले ही किसान उर्वरकों और कई ओर कृषि आदानों के मूल्य के बोझ से लदे हैं। यह और ज्यादा किसानों पर बोझ डालेगा, विशेषरूप से आन्ध्र में इन कीटनाशकों के अधिकतम उपभोक्ता हैं। मैं सरकार से इसकी जांच करने का आग्रह करता हूँ।

जैसा कि मेरे अन्य सहयोगी ने कहा है, मैं हवाई चप्पल और 125 रुपये से कम मूलय के चप्पलों के बारे में विस्तार में नहीं जाऊँगा। अब आपने उनपर उत्पाद शुल्क लगाया है। आप भी सूती कपड़ा मिश्रित धागे का उत्पाद-शुल्क के दायरे में लाये है। यह कैसे है कि आपने बड़ी कम्पनियों तथा बड़ी निगमितों को कई हजार करोड़ रुपयों की छूट दी है और आप छोटे व्यक्तियों पर भार डालना चाहते हैं ? इस देश में एक बहुत बड़ी सिगरेट कम्पनी है जिसका सरकार के पास 1000 करोड़ रुपया बकाया है। यह गत सात या आठ वर्षों में नहीं दिया गया है। मामला न्यायालय में गया तथा स्थगन आदेश लेकर वहीं का वहीं पड़ा है। जब आपने निगमित कर फायदा दिया है, यह कम्पनी कुछ सौ करोड़ रुपयों का फायदा उठाने जा रही है। आपने गेहूँ और चावल के भाव बढ़ा दिए हैं, इस देश के उपभोक्ताओं पर लगभग 4000 करोड़ रुपये का भार गया है। क्या यह उचित हैं ? क्या यह प्रदर्शित नहीं करता कि आपका प्यार कहां है, आपका हित कहां है ? मैं सरकार से इस पर विचार करने के लिए आग्रह करता हूं। मेरे मित्र, श्री देवगौड़ा इसके बारे में पहले ही कह चुके हैं। आपने पहले जो प्रस्ताव किया था कृपया उसमें संशोधन कर लीजिए।

मेरी दूसरी चिन्ता का कारण यह है कि भारत सरकार राज्य सरकार के संसाधनों में घुसपैठ कर रही है। करों में केन्द्र के हिस्से में 15 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। लेकिन राज्य सरकारों को आपके द्वारा की जाने वाली सहायता कम हो गई है। महोदय, 1991-92 में राज्यों को संसाधनों का जो वास्तविक हस्तांतरण किया गया था वह 37.9 प्रतिशत था वह 1993-94 के संशोधित बजट में कम होकर 37.4 प्रतिशत हो गया और अब 1994-95 के चालू बजट में यह मात्र 35 प्रतिशत हो गया है। इसलिए राज्य सरकार की बजट जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और योजना परिव्यय में 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। भारत सरकार से सहायता कम होती जा रही है। आपने महिलाओं के लिये बचत हेतु 'कल्याण योजना' बनाई है। हम इस योजना की भावना के विरुद्ध नहीं हैं। यह एक अच्छी योजना हैं किन्तु इसके साथ-साथ इससे लघु बचत के रूप में राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाले संसाधनों में घुसपैठ होगी।

अभी-अभी मेरे माननीय मित्र ने सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कुछ कहा है। इस बार दशकों में जो 263 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हाथ में ली गई थीं उनमें से केवल 83 परियोजनाएं पूरी की गई थीं। 180 परियोजनाओं पर अभी भी काम चल रहा है। और यही हाल मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं का है किन्तु महाराष्ट्र सरकार ने इन परियोजनाओं में से कुछ को कम से सन 2000 से पहले पूरा करने की आकांक्षा के साथ भारत सरकार से सिंचाई बांड जारी करने के अनुमति मांगी हैं। आपने इस पर अपनी सहमति प्रदान नहीं की हैं।

9 म.प.

आपने इस पर सहमति नहीं दी है। मुझे इसका उत्तर मिल चुका है। इस संबंध में मैंने दो बार प्रश्न पूछा तथा यह उत्तर दिया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बांडों को गारंटी देने की इच्छुक नहीं है पर क्यों ? राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बांडों के प्रति आपका ऐसा दृष्टिकोण क्यों हैं ? आखिर इससे सिंचाई सुविधाओं के सृजन में मदद मिलेगी। फिलहाल हम देश में उपलब्ध उपयोगी जल संसाधनों का भाग 48 प्रतिशत ही उपयोग कर पाने में सक्षम हैं। श्री विद्याचरण शुक्ल ने मुझे इस तथ्य की जानकारी कुछ महीने पूर्व ही दी थी। सिंचाई सुविधाओं के बिना आप कृषि उत्पादकता को कैसे सुधार सकते हैं ? सिंचाई सुविधाओं क बिना आप कुल उत्पादन में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् निर्यात योग्य उत्पादन प्राप्त हो सकेगा। जिसकी आपको आज अत्यधिक जरूरत हैं ?

सरकार से मेरा अनुरोध यह है कि यह कृपया अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने अपने उत्तर में यह कहा है . . .

" भारत सरकार चाहती है कि वह कृषि क्षेत्र से 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात करें।"

हम बहुत प्रसन्न हैं। यहां पर हम सभी भुगतान संतुलन स्थिति को ठीक करने और हमारे निर्यात में वृद्धि करने में सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए ही उपस्थित हैं। किंतु आप कृषि क्षेत्र के लिए यह क्या कर रहे हैं। कृपया मुझे यह बताएं। क्या इस बजट में एक भी ऐसी बात कहीं गयी हैं। जिससे कृषि क्षेत्र खुश हो सके ?

दो वर्ष पूर्व वित्त मंत्री ने यह कहा था :

"निर्यात से पूरा लाभ उठाने के विचार से मुख्य रूप से किसानों को सहायता पहुचांने के लिए एक सर्वसम्मत व्यापार सहायता संघ की स्थापना की जाएगी।"

वह सहायता संघ है। मैंने दो वर्ष से इसके बारे में नहीं सुना हैं। मैं इसके लिए बड़ी उत्सुकता से समाचारपत्र देखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम 9 बजे तक बैठने के लिए सहमत हो गए हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं अपनी बात कल कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करने वाले हों तो अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : कल जारी रखने पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात जारी रखें ;

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : सरकार ने देश के किसानों से वायदा किया है कि एक सर्वसम्मत व्यापार सहायता संघ की स्थापना की जायेगी। आज तक ऐसा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया हैं जबकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मामले में आप रातों-रात क्या कुछ कर रहे हैं। आपने बहुत तेजी से नियमों और प्रक्रियाओं को तथा

सभी कुछ बदल कर रख दिया है। किन्तु इस सरकार की उसमें रूचि क्यों नहीं है ? यही मेरे लिए घोर चिन्ता का विषय हैं।

कृषि हेतु योजना परिव्यय पहली योजना के 15 प्रतिशत से कम होकर इस योजना में 5.2 प्रतिशत हो गया है। सिंचाई के मामले में यह 22 प्रतिशत से कम होकर 7.9 प्रतिशत हो गय है। और क्या इस सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कोई उपाय किया है ? नहीं किया है। पिछले वर्ष 1,60,00 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। किसानों को ऋण के रूप में 13000 करोड़ रुपए भी नहीं दिए गए । यदि ऐसा रहा, तो किसानों की ऋण आवश्यकताएं कैसे पूरी की जाएंगी। माननीय वित्त यमंत्री महोदय श्री एच.डी. देवगौड़ा ने यह कहा है कि हमारे देश में संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यह बिल्कुल सत्य है। हमारे पास सभी जरूरी चीजें हैं। हमारे पास इस देश में भूमि, जल, मौसम और कठिन परिश्रमी किसान सभी कुछ हैं। वह रात में भी टयूबवैल का पानी चलाने के लिए खेत में जाता है। कई बार किसानों को शॉट सर्किट हो जाने की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। ऐसे हैं यहां के किसान। किन्तु यह सरकार हमारे देश का विकास करने हेतु किसानों की मदद कर रही हैं ?

मैं इस सरकार से पूछता हूं, "क्या आपने देश को कृषि के मामले में देश को नम्बर एक शक्ति बनाने हेतु पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है ? अब फिलहाल 45 वर्षों के पश्चात् हमने अपने पास उपलब्ध संसाधनों का मात्र 40 प्रतिशत मात्र ही जारी किया है। अभी 60 प्रतिशत संसाधन जारी किए जाने बाकी हैं। यदि आप इसमें से 20प्रतिशत भी जारी कर दें तो जैसा कि मेरे माननीय मित्र महोदय ने भी कहा है कि आपके पास यहां पर जापान की तरह से हजारों करोड़ रुपए फालतू हो जायेंगे। मेरा यही कहना हैं कि आप अपने दृष्टिकोण लक्ष्य में परिवर्तन लाएं। कृपया यह न सोचें कि इस देश की बहुराष्ट्रीय निगम ही मदद करेंगे, यह सोचना अनुचित है आपकी तो केवल कृषि और लघु-उद्योग ही मदद कर सकते हैं।

माननीय मंत्री महोदय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक किस्त के पूर्व भुगतान के बारे में कुछ कह रहे थे। निस्संदेह ही, वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किस्त में पूर्व भुगतान की बात पर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे थे। ऋण का पहले भुगतान कर देने से हमें क्या मिलेगा ? इससे हमें केवल थोड़ी सी राशि की ब्याज के रूप में बचत हो जाएगी। मुझे इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री की चिंता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी कि मंजूर की गई 66,000 करोड़ रुपए की सहायता का उपयोग क्यों नहीं किया गया। क्या वास्तविकता नहीं है ? 2,18000 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता में से 66,000 करोड़ रुपए उपयुक्त पड़े हुए हैं ? क्या यह सत्य नहीं हैं कि पिछले वर्ष एशियाई विकास बैंक ने एक परियोजना को इसलिए रद्द कर दिया था क्योंकि हम सात वर्ष से भी अधिक समय तथा उस धन का उपयोग नहीं कर सके थे ? इससे परेशान होकर उन्होंने इसे रद्द कर दिया। हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने दृढ़ विश्वास के साथ यह कहा है कि देश को ऋण के फंदे में नहीं फंसने दिया जाएगा। मैं इस सरकार को श्री राजीव गांधी के समय से आरम्भ हुई। भुगतान संतुलन की स्थिति की बढ़ते हुए अंतर की ओर सावधान करना चाहता हूं। निस्संदेह ही हमें उनसे असीम प्यार हैं। उनका दृष्टिकोण अत्यधिक आधुनिक था। वे इस देश को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जाना चाहते थे। हम इसके लिए उनकी भरपूर प्रशंसा करते हैं। किंतु उनके शासनकाल में आरंभ की गई उदारीकरण की प्रक्रिया भी विदेशी मुद्रा भंडार स्थिति को बदतर बनाने वाले कारणों

में से एक हैं।

श्री पटेल ने विद्युत क्षेत्र के बारे में अभी अभी कुछ कहा था। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने अमरीका की मैसर्स इनरान परवर कार्पोरेशन के साथ एक समझौता किया है यदि उनके द्वारा मांगी गई और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्वीकृत सभी शर्तो को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी जाती है, तो वह दिन दूर नहीं जब उनके लाभ अथवा कर पश्चात् 16 प्रतिशत गारंटीशुदा लाभ के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की पूर्ति करना इस सरकार के लिए भी कठिन हो जाएगा। इससे कितना बोझ पड़ने जा रहा है ? निस्संदेह ही ऐसा नहीं हैं कि हम राज्य विद्युत बोर्डो द्वारा अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के विरुद्ध हों। कार्य-निष्पादन में निश्चित रूप से सुधार किए जाने की जरूरत हैं। कृषि हेतु विद्युत शुल्क और अन्य शुल्कों में हल्की वृद्धि निश्चित रूप से की जा सकती हैं। किन्तु ऐसा नहीं कि यह वृद्धि सौ प्रतिशत अथवा दो सौ प्रतिशत तक हो, जैसा कि कुछ समितियों द्वारा सुझाव दिया गया है। किन्तु मैसर्स इसरान को कर-पश्चात् 16 प्रतिशत लाभ की जो गारंटी दी जा रही हैं वह देश के हित में नहीं है।

अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इससे पूर्व मै यह कहना चाहूंगा कि अब स्थिति यह है कि यदि इन शर्तों को स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको बाहर से आने वाले अन्य सभी विद्युत निगमों के मामले में ये शर्तें माननी पड़ेंगी। दूरसंचार विभाग ने कर पश्चात् के 16 प्रतिशत लाभ के लिए सहमति हेतु वित्त मंत्रालय को पहले ही सिफारिश की है। भविष्य में आने वाले अन्य सभी निवेशों के मामले में भी यही स्थिति होगी।

[अनुवाद]

यह हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर जबर्दश्त दबाव डालेगा। अतएव, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पहलू पर गौर करें।

अंत में मैं एक बात कहूँगा। मैं अंतिम मुद्दे पर आ रहा हूँ।

बेरोजगारी के मामले में, सरकार यह सोच रही है कि चूंकि इसने धनराशि निर्धारित कर दी है, अतः लोगों को रोजगार मिल जायेगा। मैं केवल अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में कहता हूँ। उन्होंने "प्रधानमंत्री" रोजगार योजना" नामक एक कार्यक्रम चलाया है। उद्देश्य अच्छा है। यह शिक्षित बेरोजगारों को अपने पैर पर खड़े होने में मदद करेगा। एक दिन आपने उत्तर दिया था कि 30 प्रतिशत लाभार्थियों को भी ऋण नहीं मिल पाया है। तथा आपने इसके कारणों का पता भी लगाया है ? वर्तमान प्रतिबंधों के अनुसार अभी एक शाखा प्रबंधक के पास 25000 रुपये तक ऋण मंजूर करने का अधिकार हैं। इससे अतिरिक्त धनराशि के लिए उसे क्षेत्रीय कार्यालय या अन्य किसी व्यक्ति से मंजूरी लेनी पडती है। योजना में यह उल्लिखित है कि 1 लाख रुपयों तक का ऋण दिया जाना चाहिए। यह सही है। परन्तु गरीब व्यक्ति प्रतिभूति नहीं दे सकते हैं। और यदि लाभार्थी बाद में ऋण नहीं लौटा पाता है तो शाखा प्रबंधक जिम्मेवार होता है। ये व्यावहारिक समस्याएँ है जो रूकावटें बनकर रास्ते में आ रही हैं। आप इस पर विचार करें। तथा तुरंत आवश्यक कदम उठाएं जिससे उचित निर्देश देने में तथा कड़े दिशानिर्देश में या आदेश में जिससे कि गरीब व्यक्ति को, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के द्वारा या अन्य किसी स्व-रोजगार योजना के द्वारा, सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाय।

अंत में, मैं कहना चाहता हूँ कि सुधार कुछ हद तक भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। परन्तु राज्य सरकार के स्तर पर, कोई सुधार प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अभी नौकरशाही की पकड़ मजबूत है। नौकरशाही के काम करने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जब तक कि वहाँ की कुछ सुधार शुरू नहीं किए जाते, यह कोई लाभ नहीं देगा।

अंत में, मैं सरकार से आग्रह करूँगा, हमने डा. मनमोहन सिंह से भी इस संबंध में अभ्यावेदन दिया है, कि गाड़ी का व्यवसाय करने वालों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। यदि उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उन्हें कुछ धनराशि दे दी जाती है। उसी तरह, आन्ध्र प्रदेश, केरल और कुछ अन्य स्थानों पर लाखों लोग नारियल के पेड़ पर चढ़ते हैं। तथा नारियल उतारते हैं। लेकिन जब वह मरते हैं तो उस समय कोई सहायता नहीं दी जाती है। हम लोगों ने सलाह दी - श्री बालयोगी, मैंने और आन्ध्र प्रदेश से अन्य सहयोगियों ने - कि कुछ ऐसी सहायता दी जाय। मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें तथा उनके लिए उपयुक्त योजना तैयार करें।

अंत में, मैं सरकार से केवल यह आग्रह करता हूँ कि वे जनसामान्य और मध्य वर्ग पर से यह अत्यधिक भार हटा लें और इन चीजों को दूर करें तथा यदि आवश्यक हो, तो अमीर और निगम पर भार डालें न कि छोटे लोगों पर। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में प्रशसंनीय धैर्य का प्रदर्शन करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब सभा कल 11.00 म.पू. पर पुनः समेवत होने तक के लिए स्थगित होती है।

9.13 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 19 मार्च, 1994/फाल्गुन 28, 1915 (शक)

के 11.00 म.पू. तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/29/16/94 (एन०)
250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-11006 द्वारा मुद्रित ।